

संस्कृतिका

समय-समाज के संदर्भों की शोध-पत्रिका

संपादक

डा. वज कुमार पाण्डेय

डा. दीपक कुमार राय

448, पॉकेट-5, मयूर विहार, फेज-I
दिल्ली-110091

वर्ष : 5 अंक : 16 □ जुलाई-सितम्बर 2012

सैद्धांतिकी

सैद्धांतिकी भारत में समाचार पत्रों के निबंधक (आर.एन.आई.) द्वारा अनुमोदित है।

- संरक्षक:** डा. नवल किशोर
डा. पी. एन. सिंह
डा. एस. त्रिपाठी
- परामर्श:** डा. गिरीश मिश्र
डा. आर. एन. कुमार
डा. जी. पी. ओझा
- संपादक मंडल:** डा. शशिकांत राय
डा. कृष्ण कुमार सिंह
डा. अनिल कुमार सिंह
डा. अमर कान्त सिंह
- प्रबंध संपादक:** डॉ. अमर कान्त सिंह
- साज-सज्जा :** पंकज कुमार झा

संपादकीय सम्पर्क:

448, पॉकेट-5, मयूर विहार, फेज-1,
दिल्ली-110091
फोन : 011-47541851, 64683387
e-mail : editorialindia@gmail.com

मूल्य : रूपये 1500.00

मुद्रक एवं प्रकाशक शैलेन्द्र सेंगर द्वारा 448, पॉकेट-5, मयूर विहार, फेज-I, दिल्ली-110091 से प्रकाशित तथा शिव शक्ति प्रिंटर्स, नवीन शाहदरा दिल्ली-32 से मुद्रित

नोट :

पत्रिका में प्रकाशित लेखकों के विचार अपने हैं। उसके लिए पत्रिका/संपादक/संपादक मंडल को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। पत्रिका से सम्बंधित किसी भी विवाद के निपटारे के लिए न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा।

Editorial

Education is one of the most potential weapons to fight against socio-economic maladies like poverty and inequality. Education is equally key to enhance India's competitiveness in the global economy especially in view of interdependence and integration of Indian economy with world economy posing many challenges like maintaining international quality in higher education and acceptability and sustainability of skilled manpower. This seems to be more important for a country like India which is the second largest system of higher education, next only to USA, Therefore, ensuring access to quality education for all, in particular for the poor and rural population, is key to the economic and social development of India. Looking at the ground reality, it gives a dismal picture of the state of higher education in India. The Gross Enrolment Ratio (GER) in India is 12 percent while that of some developed countries is around 70 percent, Ballal (2009). One of the reasons of such a poor state of affairs may be attributed to concentration of educational institutes in the urban areas while majority of population live in rural areas. This is evident from the fact that in India only as negligible as 20 percent of Higher Education Institutes are located in the rural areas with more than 65 percent of its population while the remaining 80 percent of Institutions are located in urban or Semi-urban areas which constitute only 30 to 35 percent of population. This invariably reflects gross disparities in access to higher education in India. Moreover, over the years Information and Communication Technology (ICT) has been emerging as a potential alternative to ensure greater accessibility to higher education beyond geographical and political boundaries with all its advanced tools like teleconferencing, email, audio conferencing, television lessons, radio broadcasts, interactive radio counseling, interactive voice response system, and CD ROMs and it can also facilitate many such academic and administrative activities with e-orientation

An academic revolution has taken place in higher education particularly in the past half century marked by a paradigm shift in scope and opportunity. Over the years higher education system has become an enterprise having much of business orientation with all its exposure to fierce competition at different levels of stakeholders. Indian education system considered as one of the largest of its kind in the world also faces/encounters enormous challenges in the new millennium. These challenges are diversified and manifold stretching from contemporary curriculum development, quality assurance and accreditation and ethical value propositions to policy planning and governance. In a technology driven society knowledge rewrites the fate of a nation and so does higher education. One of the major reasons for India's performance for being not that encouraging was due to suboptimal investment on higher education in the recent past. With unprecedented growth of knowledge typically in the area of information and communication followed by globalization shrinking the world into a global village, competitiveness has become a decisive force of growth. This necessitates massive investment on higher education so that availability of internationally acceptable highly skilled manpower can be ensured. But, this drive for internationalization of higher education is a highly ticklish and delicate move and should not be accomplished at the cost of identity of the nation as rightly quoted "Internationalisation of higher education is one of the ways a country responds to the impact of globalization yet, at the same time respects the individuality of the nation (Knight and deWit, 1997)". As a part of India's integration into the world economy the role played by potential foreign participants need a special mention. The impact of potential entrants on Indian higher education system can be felt in most of the functional areas like access, equity and quality. Moreover, in view of the inherent lapses in the regulatory structure of the system, unregulated foreign participation may lead to unfair and exploitative practices; to mention a few high capitation fees, misrepresentation of courses and corruption in admission process which may further accentuate the functional and ideological differences. Thus, in order to ensure excellence and reasonable match between demand for and supply of globally acceptable labour, striking balance has to be restored between accessibility to world-class educational system and model exemplifying national values, ethics and standards. Given this background, an attempt has been made in this paper to identify the recent status of higher education system of India and explore the possibilities of revamping and revitalizing the core functional areas so that growth in this crucial sector becomes qualitative and sustainable.

—Editor

इस अंक में

इतिहास

प्राचीनकाल में नारी शिक्षा: एक दृष्टि—शंभु कुमार राम	7
प्राचीन काल में ज्येष्ठ पुत्र का साम्प्रतिक अधिकार संबंधी विधान—मुरारी ठाकुर	11
भारतीय संस्कृति की पहचान: होली (कुमाऊँ के सन्दर्भ में)—डॉ० सावित्री कैड़ा जन्तवाल	13
आधुनिक युग में गाँधी और शांति का भविष्य—मदन पासवान	20
पं० जवाहरलाल नेहरू का समाजवाद—विजय कुमार	23
“बिहार में चम्पारण सत्याग्रह और गाँधी”—अजय यशराज	26
“बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन एक समीक्षा”—रंजन कुमार	29
1942 के आन्दोलन का परिप्रेक्ष्य और वैचारिक टकरावों का मूल्यांकन—विशाखा कुमारी	32
ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास—डॉ. कंचन माला	34
अंग्रेजों के काल में राजभक्ति पर दबाव—अमरेश कुमार भारती	39
उपनिषद् में तत्व मीमांसा—रंजीत कुमार केशरी	43
भारत में तकनीकी विकास—रणजीत कुमार	46
जैन धर्म तथा बौद्ध धर्मों के सामाजिक आयाम की ऐतिहासिकता—डॉ. शेखर सिंह	49
ब्रिटिश भारत में धन की निकासी—सुनील कुमार पाण्डेय	52

हिन्दी साहित्य

दलित साहित्य और नारी—डॉ. ब्रजबिहारी पाण्डेय	55
हिन्दी लोक साहित्य की वाचिक परंपरा—कुमार चंदन	60
महादेवी की विरह-वेदना—डॉ० प्रतिभा कुमारी	63
‘आधे-अधूरे’ नाटक में सावित्री का पारिवारिक एवं आर्थिक संघर्ष—डॉ० महेश प्रसाद सिंह	66
प्रस्थान बिंदु की तलाश में—सुन्देश्वर	69
मिथिलेश्वर के उपन्यास ‘माटी कहे कुम्हार से’ में नारी संघर्ष—सुनीता राजपूत	75
राष्ट्रकवि दिनकर की प्रासंगिकता—डॉ० अशोक कुमार सिन्हा	80
आचार्य शिवपूजन सहाय, निराला एवं ‘मतवाला’ की पत्रकारिता—डॉ. कृष्णा कुमारी ‘कनुश्री’	84

संस्कृत साहित्य

संस्कृत नाट्य परम्परा में ऐतिहासिक और राजनीतिक नाटक—नमिता कुमारी	87
अथर्ववेद और अग्निपुराण में गौसंरक्षण एवं गौचिकित्साविज्ञान—डॉ० नरेन्द्र एम० राठोड़	90
वैदिक साहित्य में नारी—डॉ. जस्मिन आर. दुछात्रा	94
सवितृ ऋक् में व्याहृति और महाव्याहृति—पूर्णिमा कुमारी	98
संस्कृत साहित्य में तन्त्र साधना—कमलेश कमल	101
संस्कृत साहित्य में पर्यावरण का महत्व—डॉ. कुमारी संगीता	104
आश्रम-व्यवस्था की उपादेयता—डॉ. इंदु कुमारी	108
संस्कृत साहित्य में कृषि विज्ञान—डॉ. अरुण पाठक	111

दर्शनशास्त्र

- स्वामी विवेकानंद का ईश्वर विचार: एक अध्ययन—डॉ. रश्मि कुमारी सिंह 114
श्रीमद्भगवद्गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय—सोनम कुमारी 116

शिक्षाशास्त्र

- कविगुरु रवीन्द्रनाथ टैगोर के मानव-स्वास्थ्य संबंधी विचार: एक शैक्षणिक अध्ययन—डॉ० सिद्धार्थ कुमार 120

राजनीति विज्ञान

- मानवाधिकार और दलित: भारतीय संदर्भ में—दीपक कुमार दिनकर, सुधांशु शेखर 122
भारत में समाजवाद—विजय कुमार 127
राजनीति में महात्मा गाँधी द्वारा सत्याग्रह की अवधारणा: एक विश्लेषण—पूर्णानन्द सिंह 130

अर्थशास्त्र

- जल संकट: एक अर्थशास्त्रीय विश्लेषण—डॉ० अनिल ठाकुर 133

गृह विज्ञान

- पाक-कला का महत्व एवं उपयोगिता: संतुलित पोषाहार के संदर्भ में—नीलम कुमारी 136

पालि साहित्य

- राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और धर्मनिरपेक्षतावाद—डॉ. अनिता रानी 139

Economics

- Land Reform: Need for Agricultural Development in Bihar—Dr. Gokhula Prasad Singh 143
Issues and Challenges of Food Security in India—Dr. Phanindra Kumar Singh 146
Entrepreneurship and Economic Well-being—Dr. Anwar Imam 150
Non Government Initiatives in Natural Resource Management—Rajiv Ranjan Singh 154
Preparation of Environmental Management Plans—Dr. Sanjeev Kumar Singh 158
Wages Under Various Market Models—Rajiv Kerketta 162
Agricultural Scenario in Himachal Pradesh—A Macro View—Dr. Shankar Shah 166

Education

- Attitudes Towards Disability in India—Meena Kumari 169
Overview of Primary Schools Education in Delhi—Manisha, S.Vivek Adhish 173
Implications of the Impulses for Philosophy of Education—Dr. Anita Sharma 177

English

- Spiritual Development in Child Literature—Dr. Sunil Kumar 180
Feminine Sensibility in Shashi Deshpande—Dr.Ruchi Malaviya 184
Principles and Parameters of English Grammar—Dr. Raj Kumar Singh 188

Geography

Urbanisation Needs Sustainable Approach in India—Sushil Kumar Singh	191
History of Economic Geography—Smriti Amrita	194
Criticism of the Malthusian Theory—Anil Kumar	198
Determinants of Population Growth—Garib Nath Ray	201
The Socio-Ecology of Groundwater in India—Panna Lal	204
Urbanization — An Emerging Humanitarian Disaster—Kumari Sweta Sinha	207

History

Islam and the Trade in Medieval India—Dr. Birendra Kumar Singh	210
The Revenue System of the Delhi Sultanate—Prof. (Dr.) Yogendra Pd. Rai	213
Tribal Movements in the Early Nineteenth Century—Shashi Pratap Upadhayay	216

Home Science

The Role of Good Nutrition in Maintaining Good Health—Karuna Kanan	220
--	-----

L.S.W.

Social Security Measures in India—Dr. Vidyapati Gautam	223
--	-----

Management

Credit Risk: Concepts and Process of Risk Management—Chakresh Kuntal	226
--	-----

Philosophy

Educational Philosophy of Tilak—Dr. Vishwamitra Pandey	229
--	-----

Political Science

Concept of the Nation—Anil Sharan	232
-----------------------------------	-----

Psychology

Operant Learning Behaviour—Rajeewa Kumar	236
Nature and Principles of Human Growth and Development—Dr. Manoj Kumar Singh	240

Sociology

Sociological Perspectives in Rural Economy—Dr. Tarun Pathak	243
---	-----

Visual Art

A Treatise on the Drawings of the Indian Artists—Ekta Kulshreshtha	247
--	-----

प्राचीनकाल में नारी शिक्षा: एक दृष्टि

शंभु कुमार राम

प्राचीन काल से ही भारतीय सामाजिक व्यवस्था में नारी का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। भारतीय धर्मशास्त्रों में नारी सर्वशक्तिसम्पन्न मानी गई है तथा विद्याशील, ममता, यश तथा सम्पत्ति की प्रतीक समझी गई हैं। स्त्री-पुरुष की शरीरार्द्ध और अर्द्धाग्निनी मानी गई है तथा श्री और लक्ष्मी के रूप में वह मनुष्य जीवन को सुख और समृद्धि से दीप्त और पूजित करने वाली कही गई। इस काल में स्त्रियों की स्थिति प्रायः पुरुषों के समान ही थी। स्त्री को पुरुष की सहधर्मिणी माना जाता था और यह समझा जाता था कि स्त्री के बिना पुरुष का कोई यज्ञ व धार्मिक कृत्य पूरा नहीं हो सकता। स्त्रियाँ भी पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करती थी और सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में उनका हाथ बटाती थीं। वस्तुतः स्त्री और पुरुष दोनों यज्ञ रूपी रथ के जुड़े हुए दो बैल थे। वैदिक काल में शिक्षिता कन्या की प्राप्ति के लिए विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया जाता था। वैदिक काल में नारी पुरुषों के समान शिक्षा ग्रहण करती थी और विदुषी बनती थी। उस युग में जो स्त्री-पुरुष शिक्षित होते थे वे विवाह योग्य उत्तम माने जाते थे। कालांतर में स्त्रियों की स्थिति हीन हो गई, वे परदे में रहने लगी और सार्वजनिक जीवन से उनका सम्बंध प्रायः नष्ट हो गया। स्त्रियों की स्थिति में यह परिवर्तन किस प्रकार आया, यह एक ऐतिहासिक विवेचन का महत्वपूर्ण विषय है लेकिन वर्तमान समय में पुनः स्त्रियों की शिक्षा में गुणात्मक सुधार देखने को मिलता है और वे पुरुषों के समान शैक्षणिक प्रणाली में अग्रसर हो रही हैं।

वैदिक युग में स्त्रियाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करती थी और याज्ञिक अनुष्ठान में पुरुषों को सहयोग प्रदान करती थी अनेक स्त्रियाँ उच्च शिक्षा प्राप्त कर ब्रह्मवादिनी की उत्कृष्ट कोटि तक पहुँच जाती थीं जो आजीवन अविवाहित रहकर केवल ब्रह्मचर्यव्रत का पालन करती हुई शिक्षा का दान करती थी। दूसरी परम्परा की महिलायें 'सद्योवधू' कहलाती थी जो शिक्षा प्राप्ति के उपरांत गृहस्थ जीवन में प्रवेश करती थी।

अथर्ववेद के अनुसार तो विवाह के हेतु उसी कन्या का चयन किया जाता था जो पूर्णतः शिक्षित होती थी।² वेदों में विदुषी नारियों के प्रमाण भी मौजूद हैं। ऋग्वेद में अनेक ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है जिन्होंने अनेकानेक मंत्रों और ऋचाओं की रचना की थीं³ जिनमें लोपामुद्रा, विश्वहारा, सिकता, आत्रेयी, घोषा, काक्षीवती, अपाला एवं निवावरी आदि थीं। अतः वैदिक युग में विद्या उपार्जन और ब्रह्मचर्य पालन का अधिकार स्त्रियों को भी प्राप्त था। कन्यायें शिक्षा प्राप्ति के पश्चात् अपने समान विद्वान् पुरुष से विवाह करती थी जिसका उल्लेख यजुर्वेद में है।⁴

उत्तर वैदिक काल में भी स्त्री शिक्षा की परम्परा विद्यमान थीं। गार्गी, मैत्रेयी, सुलभा, बड़वा आदि महिलायें अध्यात्म क्षेत्र में अग्रणी थीं। गार्गी ने जनक की राजसभा में याज्ञवल्क्य जैसे विद्वान् महापुरुष को अपने गूढ़ प्रश्नों से मूक कर दिया था।⁵ याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी भी अत्यन्त विदुषी और ब्रह्मवादिनी थीं।⁶ गृह्यसूत्रों से ज्ञात होता है कि स्त्रियों का उपनयन के साथ-साथ समावर्तन संस्कार भी होता था।⁷ समावर्तन संस्कार ब्रह्मचर्य जीवन की समाप्ति के पश्चात् सम्पन्न होता था।⁸ ऐसा प्रतीत होता है कि सूत्रयुग में पुरुषों की तरह स्त्रियाँ भी शिक्षा प्राप्त करने के निमित्त ब्रह्मचर्यव्रत धारण करती थीं। अध्यापन कार्य करने वाली नारी 'आचार्या' और 'उपाध्याया' कही जाती थी।

महाकाव्य काल में भी स्त्री शिक्षा पर जोर दिया जाता था। कौशल्या और तारा मंत्रविद् नारियाँ थीं।⁹ सीता द्वारा भी वैदिक पूजा करने का उल्लेख रामायण में वाल्मीकि ने किया है। कैकेयी अस्त्र-शस्त्र की शिक्षा में निष्णात थी। महाभारत में सुलभा को जीवन पर्यन्त वेदान्त का अध्ययन करते हुए दर्शाया गया है। महाभारत काल की नारी कुंती अथर्ववेद के मंत्रों से परिचित थी।¹⁰ महाभारत में द्रौपदी पंडिता थी और उत्तरा ने अर्जुन से संगीत और नृत्य की शिक्षा प्राप्त की थी।¹¹ महाभारत में ब्राह्मणी काशकृत्स्नी नामक एक विदुषी महिला ने मीमांसा दर्शन पर एक ग्रंथ की रचना की थी और इस दर्शन पद्धति के विकास में विशेष रूप से योगदान दिया था। महाभारत में जहाँ ऐसी नारियों का उल्लेख है वहीं अनुशासनपर्व के पंचचूड़ा अप्सरा- नारद संवाद तथा युधिष्ठिर-भीष्म संवाद में नारी के चरित्र और स्वभाव पर कलंकपूर्ण दोषारोपण भी

यू.जी.सी. नेट (इतिहास), शोधार्थी, बी० आर० ए० बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर

किया गया है जिसमें कहा गया है कि स्त्रियों से बढ़कर कोई भी पापिष्ठ नहीं है और सभी दोषों की जड़ है। मृत्यु, पावन, पाताल, क्षीरधारा, सर्प विष और आग की ज्वाला सब मिलकर स्त्री के समान है।¹²

वेद, उपनिषद् और महाकाव्यों में नारियों की स्थिति और उनकी शैक्षणिक दशा का उल्लेख विशद् रूप से आया है, जिससे प्रमाणित होता है कि महिलायें पुरुषों के समान सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण थीं। केवल महाभारत के अनुशासन पर्व में महिलाओं के सम्बन्ध में दोषयुक्त शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होगा। जहाँ तक हमारी समझ में यह बात आती है कि महिलाओं के स्वतंत्रता से कहीं न कहीं पुरुष की स्वतंत्रता प्रभावित हुई होगी। मिला जुलाकर देखने से यह प्रतीत होता है कि महाकाव्य काल तक महिलाओं को पुरुषों के समान शैक्षणिक अधिकार प्राप्त थे।

परवर्तीकाल में नारी शिक्षा पर प्रतिबंध लगने लगा था, यद्यपि बौद्ध एवं जैन परम्पराओं से विदित होता है कि स्त्रियाँ सुशिक्षिता होती थीं। संघमित्रा लंका जाकर बौद्ध शिक्षा के प्रचार में संलग्न हुई। सुभा, अनुपमा आदि स्त्रियाँ दर्शन में पारंगत थीं। थेरीगाथा में लगभग 50 भिक्षुणियों की कविताएँ संकलित हैं जो उनकी प्रतिभाएँ और ज्ञान को व्यक्त करती हैं। पतंजलि ने औवमेध्य नामक आचार्या का उल्लेख किया है तथा उससे पढ़ने वाली छात्रा 'औदमेद्य' कहलाती थी।¹³ छात्राओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए छात्रशालाएँ हुआ करती थीं।¹⁹

स्मृतिकाल में नारी शिक्षा या उसकी स्थिति में बदलाव आया। वात्स्यायन ने स्त्रियों के लिए 64 अंगविधाओं के

अध्ययन का उल्लेख किया है।¹⁵ उसने उपाध्याया, उपाध्यायी, आचार्या आदि का भी उल्लेख किया है।¹⁶ यद्यपि मनु, याज्ञवल्क्य, यम आदि स्मृतिकारों ने स्त्री शिक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया तथा उनके लिए वैदिक मंत्रों का उच्चारण बन्द कर दिया।¹⁷ बाद में उनका उपनयन भी समाप्त कर दिया। साधारण परिवारों में तो शिक्षा का प्रसार अवरूद्ध हो चुका था किन्तु उच्च परिवारों तथा राजघरानों में शिक्षा प्रचार पूर्ववत् था। राजशेखर ने विदुषी और कवि स्त्रियों का उल्लेख किया है।¹⁸ इतना ही नहीं, वैदिक युग में सहशिक्षा के भी प्रमाण हैं।¹⁹ स्त्रियों ने पुरुषों के समान कई ऋचाओं की भी रचना की थी। उपनिषद् युग में वह विद्वद्गोष्ठियों में पुरुषों से शास्त्रार्थ भी करती थीं। आत्रेयी ने वाल्मीकि आश्रम में लव और कुश के साथ शिक्षण प्राप्त की थी। कालांतर में जब स्त्री शिक्षण पर आघात पहुँचा तो साथ ही साथ सहशिक्षा भी प्रभावित हुई। इस तरह स्मृतिकाल में कन्याओं के उपनयन बन्द होने के कारण स्त्री-शिक्षा को निश्चित रूप से धक्का लगा। साथ ही अल्पायु में 12 वर्ष से पूर्व विवाह के प्रचलन ने भी नारी शिक्षा को प्रभावित किया। याज्ञवल्क्य और नारद जैसी इस युग की स्मृतियाँ रजोदर्शन से पूर्व अपनी कन्याओं का विवाह न करने वाले पिता को नरकगामी बताती हैं। जब कन्यायें 12 या 13 वर्ष की छोटी आयु में ब्याही जाने लगी तो स्वभावतः विवाह के निश्चय में उनकी राय का प्रश्न ही नहीं उठता। जल्दी विवाह के कारण उनका उपनयन संस्कार भी असम्भव हो गया। याज्ञवल्क्य स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि स्त्रियों को उपनयन और वेदाध्ययन का अधिकार नहीं है।²⁰ फिर भी ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि सुसंस्कृत परिवारों में कन्याओं की

उच्च शिक्षा के लिए विशेष शिक्षक रखे जाते थे, जिनमें कुछ कवियित्री तथा लेखिका बनती थीं।²¹ ब्राह्मण धर्मशास्त्रों के अनुसार नारी धर्म का स्वेच्छया पालन न करनेवाली स्त्रियों को ही पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त थी। और वे या तो भिक्षुणी बन जाती थी, नाटकमंडली में सम्मिलित हो जाती थी अथवा विरांगना और वेश्या बन जाती थी।²²

गुप्तकाल आते-आते स्त्रियों को उपनयन संस्कार से तो वंचित ही कर दिया था, उनकी शिक्षा के विषय अब वैदिक साहित्य के स्थान पर लौकिक साहित्य हो गये थे। सती प्रथा, पर्दा प्रथा तथा बाल-विवाह के कारण नारी शिक्षा पर और भी कुप्रभाव पड़ा। वात्स्यायन के अनुसार सामान्यतः स्त्रियाँ इतनी शिक्षित तो अवश्य ही होती थी कि वे अपने घर का आर्थिक बजट बना सकें और उसके अनुसार खर्च कर सकें।²³ स्त्रियों को नृत्य, संगीत, चित्रकला, गृहसज्जा आदि की भी शिक्षा दी जाती थी। अमरकोष में उपाध्याया, उपाध्यायी और आचार्या शब्दों का उल्लेख है जो इस बात का द्योतक है कि उन दिनों स्त्रियाँ भी शिक्षिका का काम करती थीं।

जैन परम्परा में नारी का पूर्ण विकास हुआ, इसमें स्वावलम्बी नारी-जीवन की कल्पना प्रचुर मात्रा में मिलती है। जैन शिक्षा व्यवस्था में कन्याएँ आर्थिकाओं के सान्निध्य में विवाह वय प्राप्त होने से पूर्व तक निवास करती थीं।²⁴ जैन वाङ्मय से सिद्ध होता है कि पुरुषों के नारियों में शिक्षा का प्रचार था। आदिदेव भगवान् ऋषभदेव ने पुरुषों को 72 कलाएँ और स्त्रियों को 64 कलाएँ सिखलाईं।²⁵ ब्राह्मणी और सुन्दरी दोनों कन्याएँ आगम ज्ञान, समस्त विधाएँ और कलाएँ अपने पिता के अनुग्रह से प्राप्त की थी और अपनी

बुद्धि और श्रम के कारण से साक्षात् सरस्वती के समान प्रतीत होती थी। धर्माभूत के नवम आख्यान से स्पष्ट होता है कि विद्याधर कुमारियाँ विभिन्न प्रकार के विधाओं की साधना भी करती थी। हरिवंशपुराण में इन्द्रागिरि राजा की पुत्री गान्धारी का आख्यान आया है जिसमें कहा गया है कि गान्धारी गन्धर्व कला में अत्यन्त प्रवीण थीं।²⁶ नारी शिक्षा में चित्रकला, पुस्तकर्म, सिलाई, कढ़ाई की शिक्षा जिसे 'बुष्किम' कहा जाता था। औषधि विज्ञान, रस विज्ञान तथा विभिन्न धातुओं से आभूषण निर्माण की शिक्षा भी शामिल थी। राजशेखर सूरीवृत प्रबन्धकोष से जानकारी मिलती है कि महिलायें नाना देश की भाषाओं में निष्णात थीं। जैन साहित्य में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनसे प्रमाणित होता है कि अनेक विदुषी महिलाओं ने अनेक जैन विद्वान् साधुओं को शिक्षाएँ दीं और उनके भविष्य निर्माण में योगदान दिया।

बौद्धकाल में स्त्रियाँ बाकायदा शिक्षा ग्रहण करती थीं। इसका परिचय इस बात से मिलता है कि दिव्यावदान में स्त्री छात्राओं का भी उल्लेख मिलता है। बौद्ध स्रोतों से ज्ञात होता है कि बौद्ध शिक्षा व्यवस्था ने ब्राह्मण शिक्षण की पूर्ववर्ती व्यवस्था के विपरीत बौद्ध शिक्षण के द्वारा स्त्री के लिए शिक्षा को उन्मुक्त कर दिया। बौद्ध संघ व्यवस्था के तहत नारी शिक्षण के सम्बन्ध में हमें पर्याप्त जानकारी 'भिक्षुणी-प्रतिमोक्ख' से मिलती है। विनयपिटक में पराजिक, संथादिसेस, निस्साग्गय, पाचिल्लितय, सोखिय, पाटिदेसनिम, अधिकरण समध के अंतर्गत भिक्षुणियों के आचार संहिता का उल्लेख मिलता है।²⁷ ये भिक्षुणियाँ बौद्ध बिहारों में रहकर या तो लोगों की परिचर्या करती थी या आवश्यकतानुसार आस-पास के गांवों में जाकर भिक्षाटन

के क्रम में धर्मोपदेश करती थी। इस तरह महिलाओं ने बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया।

थेरीगाथा में नारी शिक्षा की स्थिति के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी मौजूद है। इसमें बहुत सी थेरियों का उल्लेख है जो कवयित्रियाँ थीं।²⁸ इन थेरियों में शुभा, सुमेधा और अनुपमा के नाम उल्लेखनीय हैं। ये सम्भ्रान्त कुलों में उत्पन्न हुई थीं। पर इन्होंने सांसारिक जीवन का परित्याग कर भिक्षुणी के रूप में जीवन व्यतीत करना स्वीकार किया था और अपने उच्च ज्ञान के कारण ये 'थेरी' का पद प्राप्त करने में समर्थ हुई थी। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं से आकृष्ट होकर बहुत सी स्त्रियों ने भिक्षुणी बनने की इच्छा प्रकट की। एक जातक कथा में चार महिलाओं का वृत्तांत दिया गया है जो परम विदुषी थीं और देश में पर्यटन करते हुए जहाँ-कहीं पहुँच जाती थीं, वहाँ विद्वानों को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया करती थीं।

बौद्ध युग में स्त्री शिक्षा का प्रचलन था और अनेक स्त्रियों ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर समाज में उच्च स्थिति प्राप्त की थी। संयुक्त निकाय में सुक्का नाम की एक महिला का उल्लेख है जो वाग्मिता में अत्यन्त प्रवीण थी। इसकी वक्तृत्व शक्ति अपने समय में अद्वितीय थी। एक बार जब इसने राजगृह में व्याख्यान देने गई तो एक यक्ष ने सम्पूर्ण नगर में इन शब्दों में उसके व्याख्यान की सूचना दी - सुक्का अमृतवर्षा कर रही है, जो लोग बुद्धिमान् हैं वे जाएँ और अमृतरस का पान करें। भिक्षुणी खेमा विनय में पारंगत थी, वह अत्यन्त विदुषी, बुद्धिमती, सुशिक्षिता और प्रतिभाशाली थी। उसकी कृति इतनी विस्तृत थी कि कोशल देश का राजा प्रसेनजित् उसकी सेवा में गया और

अनेक दार्शनिक विषयों पर उससे विचार-विमर्श किया।

संघमित्रा तीनों विधाओं में पारंगत थी। वह तंत्रविधा में प्रवीण मानी जाती थी। विनयपिटक का अध्ययन उसने इतनी गम्भीरता के साथ किया था कि वह अध्यापन भी बड़ी योग्यता के साथ कर सकती थी। संघमित्रा ने तो श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ-साथ शिक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता लाने का काम भी किया। इसी प्रकार अंजली भी विविध विधाओं में निष्णात विदुषी थी। वह भी दूसरों को शिक्षा देने में सक्षम थी। अन्य भी अनेक महिलायें बौद्ध धर्मग्रंथों की पारंगत पंडिताएँ थीं। उतरा, काली, सुपता, चन्ना, दुपाली और खेती आदि अनेक महिलाओं के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि ये अपने समय में उच्च शिक्षा प्राप्त विदुषियाँ थीं जो शिक्षा देने में पूर्णतः सक्षम थीं।²⁹

बौद्ध साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि बुद्ध के काल से लेकर अशोक के काल तक नारियों में शिक्षा के प्रति जितना आकर्षण और उत्साह था, वह बाद के काल में घटने लगा था। इसके मूल में स्मृतिकाल में ब्राह्मण शिक्षा व्यवस्था में स्त्री शिक्षा के प्रति अनुदारता तथा तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक परिस्थिति के परिणाम स्वरूप शिक्षा के प्रति आकर्षण में हास रहा हो। बौद्धधर्म में तंत्रयान, वज्रयान और हठयोग आदि ने नारी शिक्षण को प्रभावित किया।³⁰ इसमें संदेह नहीं है कि बौद्ध युग के बाद भी स्त्री शिक्षा की परम्परा भारत में कायम रही थी।

गुप्त काल से लेकर मध्यकाल में अनेक ऐसी स्त्रियाँ हुईं जो शासन कार्य में दक्ष थीं और आवश्यकता से विवश होकर उन्होंने राज्यशासन का संचालन स्वयं किया। प्रभावती गुप्ता ने अपने पुत्र

के नाबालिग होने के कारण शासन सूत्र को अपने हाथों में ले लिया था। इसी प्रकार सातवाहन वंश की नायिका, चालुक्य वंश के अक्का देवी और भैला देवी, काश्मीर की रानी दिद्दा का इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। ये रानियाँ सुशिक्षित तथा विविध कलाओं में निष्णात थी जिन्होंने अपने राज्य का शासन सुचारू रूप से संभाला था।

इस प्रकार हम पाते हैं कि प्रारम्भ से आलोच्यकाल तक नारी शिक्षण का महत्व बना हुआ था केवल वे वैदिक अध्ययन से वंचित कर दी गई थीं। नारियों को विविध विषयों से सम्बन्धित शिक्षा दी जाती थी और वह लड़कों के साथ बिना भेद-भाव के शिक्षा प्राप्त करती थी। वरीय छात्राओं द्वारा कनीय छात्राओं को शिक्षा देने की पद्धति भी समान रूप से सभी कालों में प्रभावी थी। बौद्ध शिक्षा व्यवस्था में इस पद्धति ने बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। बौद्ध काल में नारी शिक्षा की व्यवस्था के अंतर्गत स्त्रियों को भिक्षुणी बनकर शिक्षा ग्रहण करने की परम्परा का आरम्भ हुआ था ये भिक्षुणी शिक्षा प्राप्त कर अर्हत पद प्राप्त किया और नारियों के बीच शिक्षा को प्रचारित किया। स्त्रियों की शिक्षा

केवल ब्रह्मज्ञान तक सीमित थी ये नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा ग्रहण भी करती थी।

भारतीय प्राचीन काल में स्त्रियाँ पुरुषों समान ही शिक्षा प्राप्त करती थीं पर कालांतर में इस स्थिति में परिवर्तन हुआ और शुद्रों के समान स्त्रियों के लिए भी यह सिद्धांत प्रतिपादित किया जाने लगा। अल्पायु में कन्याओं के विवाह शुरू हो जाने के कारण यह सम्भव नहीं रहा कि वे ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कर शिक्षा प्राप्त कर सके। इसमें संदेह नहीं है कि मौर्य युग के बाद स्त्री शिक्षा की परम्परा क्षीण होने लगी थी। यह सही है कि सम्भ्रान्त व उच्च कुलों की कन्याएँ इसके बाद के काल में भी वेद-शास्त्रों तथा अन्य विधाओं की शिक्षा प्राप्त करती रहीं, पर वे अपवाद रूप में ही थीं।

संदर्भ सूची:

1. पाणिनि - अष्टाध्यायी 5.2.84
2. ऋग्वेद - 18.124.13
3. वही - 1.179
4. यजुर्वेद - 8.1
5. बृहदारण्यक उपनिषद् - 3.6.8
6. वही - 2.4.3, 4.5
7. आश्वलायन गृह्यसूत्र 3.8.11
8. गोभिलगृह्यसूत्र - 2.1 पृ. 19-20

9. रामायण - 2.2015, 4.16.12
10. महाभारत - 3.305-20
11. वही
12. वही, अनुशासन पर्व अध्याय-8 पृ. 38-39
13. महाभाष्य 4.1.78
14. वही 6.2.86
15. कामसूत्र - 1.3.12
16. वही - 4.1.32
17. मनुस्मृति - 2.56, 9.18
18. राजशेखर - काव्यमीमांसा अध्याय-10
19. भवभूति - मालतीमाधव अंक-1
20. डा. ए. एस. अल्केतर, वकाटक गुप्तयुग पृ. 370
21. डा. ए. एस. अल्केतर वही - पृ. 420-421
22. रोमिला थापर - भारत का इतिहास - पृ. 115
23. कामसूत्र - 1.3.32
24. निशानंद शर्मा, जैन वाङ्मय में शिक्षा के तत्व - पृ. 214
25. अगर चंद्र नाहटा - कतिपय श्वेतावर विदुषी कवयित्रियाँ, पृ. 570
26. हरिवंशपुराण - 44.45.46
27. विनयपिटक - राजानिक (1-8) पृ. 42-43
28. थैरीगाथा - आई. बी. हार्नर पृ. 169
29. आर.के. मुकर्जी - एडुकेशन इन ऐसिएंट इंडिया पृ. 464
30. सत्कारी मुकर्जी - दि कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, कलकत्ता-1970-पृ. 595



प्राचीन काल में ज्येष्ठ पुत्र का साम्पत्तिक अधिकार संबंधी विधान

मुरारी ठाकुर

प्राचीन काल से ही हिन्दू परिवार में ज्येष्ठ पुत्र का अत्यधिक महत्व रहा है क्योंकि उससे कुल और वंश का वर्द्धन और उत्कर्ष होता है। कुटुम्ब का उद्भव विवाह से होता है और विकास संतान से। संतान से कुटुम्ब की अभिवृद्धि होती है और उसकी पूर्णता का लक्ष्य भी पूरा होता है। निःसंतान व्यक्ति संतान के अभाव में अपूर्ण माना गया है¹ तथा उसका जीवन परिवार-हीन। अतः संतति से परिवार की संवृद्धि होती है और गृहस्थ जीवन उन्नत। वैदिक युग का पुरुष भी संतान की कामना से ही विवाह करता था।² संतान के अंतर्गत पुत्र की कामना करने वाले व्यक्तियों की कमी नहीं थी। वेदों में भी पुत्र प्राप्त करने की अभिलाषा व्यक्त की तथा पिता को दस पुत्र उत्पन्न करने का आशीर्वाद दिया गया है।³

पुत्र की अभिलाषा करने के कारणों में सबसे प्रधान कारण यह था उससे परिवार का पोषण, रक्षा और निरंतरता होती थी। पुत्र से ही परिवार की धार्मिक क्रियाएँ सम्पन्न होती हैं। वही पिता के बाद उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है।⁴ पुत्र ही अपने पिता की जीर्णावस्था में देखभाल करता है और उसकी मृत्यु के बाद परिवार का संचालन करता है। अतः पिता के लिए पुत्र-प्राप्ति की तीव्रतम अभिलाषा का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। इसलिए पुत्र को 'शोकापनुद' कहा जाता था, क्योंकि पुत्र उत्पन्न होने पर ही पिता का शोक दूर होता था और उसे पितृ ऋण से मुक्ति मिलती थी। पितृ ऋण से मुक्ति पाना समाज के सभी द्विजों का उद्देश्य था।

प्राचीनकालीन व्यवस्थाकारों ने बारह प्रकार के पुत्रों का उल्लेख किया है- 'औरस पुत्र', 'क्षेत्रज पुत्र', 'दत्तक पुत्र',

'कृत्रिम पुत्र', 'गूढज पुत्र', 'अपविद्ध पुत्र', 'कानीन पुत्र', 'सहोद पुत्र', 'क्रोतक पुत्र', 'पौनर्भव पुत्र', 'स्वयंदत्त पुत्र', 'पराशव पुत्र'।

परंतु प्राचीनकाल से ही भारत में 'ज्येष्ठ पुत्र' का महत्व अन्य पुत्रों से अधिक था। उसी को श्राद्ध आदि कर्म करने का अधिकार था। प्रथम पुत्र के उत्पत्ति होते ही पिता पितृ ऋण से उन्मूढ हो जाता था।⁵

ज्येष्ठेन जातमात्रेण पुत्रो भवति मानवः।

पितृणामनुणश्चैव स तस्मात् सर्वमर्हति॥

जबतक ज्येष्ठ भ्राता ज्येष्ठ वृत्ति रखता था तब तक परिवार समृद्ध रहता था। ऐसा कर्तव्यनिष्ठ एवं उत्तरदायी भ्राता अपने अनुज भ्राताओं के द्वारा पिता के तुल्य पूजित था।⁶

यो ज्येष्ठो ज्येष्ठवृत्तिः स्यान्मातेव स पितेव सः।

अज्येष्ठवृत्तिर्यस्तु स्यात्स संपूज्यस्तु बन्धुवत्॥

पिता की मृत्यु के बाद सभी भ्राता ज्येष्ठ भ्राता के अन्तर्गत रहने तथा जो श्रद्धा पिता के प्रति व्यक्त करते थे, वही ज्येष्ठ भ्राता के प्रति व्यक्त करने के लिए निर्देशित किये गये थे।⁷

प्रायः सभी धर्मशास्त्रकारों की अभिव्यक्ति है कि संपत्ति विभाजन में भाग का निर्णय करने से पूर्व पैतृक संपत्ति के कुल ऋणों का भुगतान, पिता द्वारा लिए गये नैतिक एवं वैधानिक ऋणों का भुगतान, पिता द्वारा दिये गये प्रीतिदान, दोषयुक्त सहभागियों एवं आश्रित नारियों का जीविका निर्वाह, कुमारी कन्याओं के विवाह में व्ययों आदि की व्यवस्था अवश्य कर लेनी चाहिए।⁸ नारद का मन्तव्य है कि पैतृक संपत्ति से छोटे भाईयों के संस्कारों के लिए भी धन मिलना चाहिए।⁹ इसका समर्थन याज्ञवल्क्य एवं वृहस्पति ने भी किया है।¹⁰

पैतृक संपत्ति के विभाजन में प्रायः सभी धर्मशास्त्रकारों ने यह व्यवस्था दी है कि ज्येष्ठ पुत्र को अधिक सुविधाएँ दी जानी चाहिए। इस संबंध में मनु की धारणा है कि एक ही जाति के पत्नियों से उत्पन्न पुत्रों में जो सबसे पहले उत्पन्न होता है (यहाँ तक कि छोटी रानी से भी) वही ज्येष्ठ माना जाता है। जुड़वा भाईयों में पहले उत्पन्न होने वाला ज्येष्ठ माना जाता है। किंतु कुछ जातियों के पत्नियों में समान जाति वाली

भार्या का पुत्र (भले ही बाद में उत्पन्न हुआ हो) ज्येष्ठ होता है।¹¹ संपत्ति विभाजन आदि में ज्येष्ठ पुत्र को वरीयता देते हुए नारद का मन्तव्य है कि ज्येष्ठ पुत्र को अधिक संपत्ति दी जानी चाहिए तथा सबसे छोटे पुत्र को थोड़ी कम। शेष अविवाहित बहनों के साथ ही सब लोगों में समान भाग दायंश में देना चाहिए। यह विधि वैधानिक ढंग से लागू होता था। वैधानिक रूप से विवाहित निम्न वर्ण की भार्या से उत्पन्न पुत्रों की भी वर्णश्रेष्ठता के फलस्वरूप अपेक्षाकृत अधिक संपत्ति प्राप्त करने का प्रावधान था।¹² एक अन्य स्थल पर नारद ज्येष्ठ पुत्र को संपूर्ण संपत्ति देने की भी घोषणा करते हैं, किंतु ऐसी दशा में पूरे कुटुम्ब की देखभाल ज्येष्ठ पुत्र को ही करनी पड़ती थी।¹³ मनु¹⁴, याज्ञवल्क्य¹⁵, वृहस्पति¹⁶ एवं विष्णु¹⁷, कात्यायन¹⁸ ने भी इसका समर्थन किया है। महाभारत के अनुसार यदि बड़ा भाई अपने कर्तव्यों का ठीक ढंग से निर्वाह न करते हुए अपने छोटे भाईयों को पीड़ित करता था तो, बड़े भाई को अपने भाग से हाथ धोना पड़ता था।¹⁹ पिता के जीवन-काल में ही अगर पुत्र संपत्ति का विभाजन करना चाहते तो, पिता अपनी संपत्ति का विभाजन सभी पुत्रों में समान भाग प्रदान करते हुए कर देता था।²⁰

सभी भाईयों में ज्येष्ठ भ्राता को धन का एक विशेष अंश मिलता है जिसे ज्येष्ठांश कहते हैं।²¹ यह भी सूचना मिलती है कि पैतृक संपत्ति में एक ही वर्ण की पत्नियों से उत्पन्न पुत्र को समभाग मिलना चाहिए।²² यदि अनुज पापकर्मि हो या दुश्चरित हो तो संपूर्ण धन अग्रज को मिलना चाहिए।²³ यदि ज्येष्ठ भ्राता परदेश में जाकर या अन्य

किसी उपाय से धन अर्जित करता है तो, वह उसकी निजी संपत्ति है। उसमें से अपने भाईयों का भाग देना उसके इच्छा पर निर्भर है।²⁴ यदि धन की वृद्धि सभी भाईयों ने की हो एवं पिता के जीवनकाल में ही यदि वे अलग-अलग हो जाना चाहे तो उसे उन सबों में धन का सम-विभाजन करना चाहिए।²⁵ सामान्य परिवारों में पुत्रों में पैतृक संपत्ति के विभाजन का यह नियम था, परंतु राजकुलों में यह नियम प्रचलित नहीं था। यदि ऐसा किया जाये तो राजकोष ही रिक्त हो जायेगा जिससे राज्य भी समाप्त हो जायेगा। राजपुत्रों में पिता की संपत्ति तथा उसके राज्य का एकमात्र अधिकारी ज्येष्ठ पुत्र ही माना गया है। पाण्डवों में ज्येष्ठ होने के कारण युधिष्ठिर को राजा बनाया गया किन्तु प्रत्येक परिस्थिति में यह नियम मान्य नहीं था। धृतराष्ट्र यद्यपि भाईयों में ज्येष्ठ थे परंतु अंधा होने के कारण राजा नहीं बनाये गये।²⁶ प्रश्न यह है कि संपूर्ण राज्य का स्वामी ज्येष्ठ भ्राता ही होता था तो अन्य भाईयों के भरण-पोषण की क्या व्यवस्था थी? राज्य के अन्यान्य उच्च पदों पर योग्य भाईयों को नियुक्त किया जाता था जैसा कि युधिष्ठिर ने किया था।²⁷ ऐतिहासिक साक्ष्यों से भी यह बात ज्ञात होती है कि राजा अपने भाईयों को उच्च पदों पर नियुक्त करते थे। वर्तमान समय में भी कहीं-कहीं पर अभी भी ज्येष्ठ पुत्र को विशेषांक देने का प्रावधान है। मनु के अनुसार यदि ज्येष्ठ भाई लोभ के कारण छोटे भाईयों को उनका दायंश नहीं देता है तो उसे उसका विशिष्ट भाग “उद्धार” नहीं मिलता है और राजा द्वारा दण्डनीय होता है।²⁸

यो ज्येष्ठो विनिकुर्वीत लोभाद्
भ्रातृन् यतीयसः।

सोऽज्येष्ठः स्यादभागश्च
नियन्तव्यश्चराजभिः॥

संदर्भ सूची:

1. शतपथ ब्राह्मण - 5.2.1.10
2. अथर्ववेद - 14.1.49
3. ऋग्वेद - 1.85.25
4. तैत्तरीय ब्राह्मण - 3.7.1
5. मनुस्मृति - 9.106.
6. मनुस्मृति - 6.110.
7. गौतमधर्मसूत्र - 28.1.3.
वौधायन धर्मसूत्र - 2.3.19.
आपस्तम्ब धर्मसूत्र - 2.54.6.
8. नारदस्मृति - 13.32.
9. नारदस्मृति - 13.33.
10. याज्ञवल्क्य स्मृति - 2.114
वृहस्पति स्मृति - 25.21
11. मनुस्मृति - 9.123-25
12. नारदस्मृति - 13.13-14
13. नारदस्मृति - 13.5
14. मनुस्मृति - 9.130
15. याज्ञवल्क्य स्मृति - 2.135
16. वृहस्पति स्मृति - 25.56
17. विष्णु - 17.4
18. कात्यायन स्मृति - 926
19. महाभारत - 105.4.7
20. महाभारत - 105.20
21. महाभारत अनु० - 47.58
22. महाभारत अनु० - 47.57
23. महाभारत अनु० - 108.10
24. महाभारत अनु० - 108.11
25. महाभारत अनु० - 108.11
26. महाभारत आदि. - 80.241, 89.19, 90.47
27. महाभारत शांति. - 31.41
28. मनुस्मृति - 9.2.3



भारतीय संस्कृति की पहचान: होली

(कुमाऊँ के सन्दर्भ में)

डॉ० सावित्री कैड़ा जन्तवाल

प्राचीन समाज में आदम जातियों के अनेक उत्सव प्रचलित थे। “बाल नक्खत्” जैसे मूर्ख सम्मेलन मनाये जाने के अनेक विवरण प्राचीन साहित्य में मिलते हैं। गाँव के कुछ लोग एक समूह में मुँह रंगाये हुये गोबर लपेटे, कीचड़ से सने घर-घर घूमते और अपनी इच्छित वस्तु की मांग करते। वसन्त के आगमन पर मनाया जाने वाला यह उत्सव जो ऋतु-उत्सव था। नाग-वाकाटक काल में “मदनोत्सव” के नाम से प्रचलित हुआ। कामसूत्र में “होलका” नामक उत्सव का उल्लेख मिलता है। जिसमें टेसू के फूल से बने रंगों को एक दूसरे पर डालने का चलन था।¹

पौराणिक काल में होली को लेकर नई परम्पराएं स्थापित हुईं। नारद पुराण के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों से लाई गई लकड़ियों का ढेर बनाकर उसमें आग लगाकर तीन बार परिक्रमा किये जाने की व्यवस्था की गई। फाल्गुन पूर्णिमा को होली की विधिवत् पूजा किये जाने का उल्लेख भी नारद पुराण में मिलता है। विन्ध्य क्षेत्र के रामगढ़ स्थान पर स्थित ईसा से 300 वर्ष पुराने एक अभिलेख में भी इसका उल्लेख किया गया है।² होलिका राक्षसी और प्रह्लाद का प्रसंग भी इसी अनुष्ठान से जुड़ा है।³ कालान्तर में अलग-अलग इलाकों और समाजों में अनेक कथा प्रसंग इससे जुड़ते चलते गये और इस तरह होली अपनी आंचलिकता के विविध कंधों के साथ समाजों में विकसित होती फलती-फूलती चली गई।

विदेशों में होली उत्सव

होली भारतीय संस्कृति का एक ऐतिहासिक सत्य, चिरपुरातन परम्पराओं की संवेदनशील अभिव्यंजना, संजीव अनुरक्ति तथा सौहार्दपूर्ण सामूहिक स्नेह अनुभूतियों की मधुर आत्माभिव्यक्ति की प्रतीक है। यह पर्व सम्पूर्ण भारत वर्ष में मनाया जाने के अतिरिक्त भारत से बाहर विदेशों में भी होली को किसी न

किसी रूप में मनाते हैं। जैसे इटली में होली को “रेहिका” के नाम से इन दिन वृद्ध जवान, महिलाएं व बच्चे आदि सभी हर्षोल्लास से एक चौराहे पर एकत्रित होकर नाचते गाते व लकड़ियों को जलाते हुए झूम उठते हैं। वर्मा में होली को “तेच्या” नाम दिया गया है। चैकोस्लोवाकिया में होली को “वोलियाकानो” तथा म्यांमार में होली को “प्युला” कहते हैं। इसके अलावा अफ्रीका, मिश्र, रूस, अमेरिका, चीन, पौलैण्ड, तिब्बत, यूरोप, अण्डमान, गोवा, श्रीलंका, बेल्जियम, फ्रांस, इंग्लैण्ड आदि स्थानों पर भी होली का उत्सव बड़े उमंग व उल्लास के साथ मनाते हैं। चाहे इन देशों में होली का प्रस्तुतिकरण भारत से काफी भिन्न है। इसका कारण प्रत्येक देश की अपनी-अपनी संस्कृति व परिवेश है। परन्तु इन सबका भाव एक ही है कि बदलती हुई। ऋतु के आगमन को उत्साहपूर्वक मनाया जाय।

मुस्लिम पर्यटक अलबरूनी ने भी अपने ऐतिहासिक यात्रा संस्मरण में होलिकोत्सव का वर्णन किया है। भारत के अनेक मुस्लिम कवियों ने अपनी रचनाओं में इस बात का उल्लेख किया है कि होलिकोत्सव केवल हिन्दू ही नहीं मुसलमान भी मनाते हैं। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण इतिहास की तस्वीरें बताती हैं अकबर का जोधाबाई के साथ तथा जहाँगीर का नूरजहाँ के साथ होली खेलने का वर्णन मिलता है। अलवर संग्रहालय के एक चित्र में जहाँगीर को होली खेलते हुए दिखाया गया है। शाहजहाँ के समय तक होली खेलने का मुगलिया अन्दाज ही बदल गया था। और इस समय होली को “ईद-ए-गुलाबी” या “अब-ए-पाशी” (रंगों की बौछार) कहा जाता था। डॉ० दीपक उप्रेती भी लिखते हैं कि एक चित्र अब्दुल हसन का बनाया हुआ है। जिसमें नूरजहाँ व जहाँगीर खड़े होकर होली का आनन्द ले रहे हैं, उनके सामने नर्तकियां नाच करती हैं और रंगों के घड़ों में से पिचकारी भरकर दो सुन्दरियाँ नरस्पर रंग डाल रही हैं। यह चित्र लन्दन के पुस्तकालय में है।⁴ औरंगजेब जो कि हिन्दुओं का कट्टर विरोधी था बाद में वह भी होली खेलने लगा। अन्तिम मुगल सम्राट बहादुर शाह होली का अनन्य रसिया था। उसने अपने “शौक रंग” उपनाम से होली सम्बन्धित ब्रज भाषा में गीत लिखे हैं। जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण-

एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, डी.एस.बी. परिसर, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

क्यों मोपे रंग की मारी पिचकारी,
देखों कुँवर जी दूँगी मैं गारी।

बहुत दिनन में हाथ लगे हो, कैसे जाने दूँ,
मैं फगवा तो, सो पीठ पकड़कर चलों।

मुख मोड़े और हाथ मरोड़े, करके
वह वह जोरी, क्यों मोपे.....

कुमाऊँ में होली का प्रवेशकाल चन्द शासन

पर्वतीय लोक जीवन में होली अपेक्षाकृत बाद में समाहित हुई लगती है। यदि इसका प्रवेशकाल तलाशने की कोशिश की जाये तो वह प्रारम्भ चंपावतस्थ चन्द्र शासन काल में हुआ क्योंकि जब चंपावत में चंद राजाओं ने राजधानी बनाई। उसी समय मैदानी क्षेत्र से सर्वाधिक भिन्न-भिन्न मानव समुदाय और संस्कृतियाँ इस अंचल में आईं, इनमें कुछ लोग झूंसी (इलाहाबाद), राजस्थान, कन्नौज व मथुरा आदि स्थानों से आये थे।⁵ और यह भी कहा जाता है कि उन्हीं के साथ सम्भवतः होली के इन स्वरूपों का भी आगमन हुआ। इस बात की पुष्टि कई समाज शास्त्रियों ने बैठ होलियों के संगीतिक स्वरूप के आधार पर भी की है। और यही बात कमोबेश होलियों के अन्य प्रचलित रूपों में भी देखने को मिलती है। प्रायः ऐसा सभी लोक-कलाओं, संस्कृतियों में होता है कि वह जब एक जगह से दूसरी जगह पलायन करती है तो धीरे-धीरे वहाँ की विशेषताओं को अपने में समेटते हुए वही की हो जाती है और एक अलग संस्कृति व अलग लोक कला शैली का विकास करती है।⁶ इन तमाम बातों से यह ज्ञात होता है पर्वतीय अंचल विशेषकर कुमाऊँ की होलियों का व्यक्तित्व भी इसी प्रकार विकसित हुआ होगा।

कहते हैं कि मध्यकाल में जब हुणों का आक्रमण हुआ तो उसका प्रभाव ब्रज पर भी पड़ा छठी शताब्दी के आरम्भ से ही हुणों के आक्रमण होते रहे पर गुप्त सम्राटों द्वारा दबा दिये गये किन्तु उक्त शती के उत्तरार्द्ध में जो भीषण आक्रमण हुआ उसे तत्कालीन गुप्त सम्राटों द्वारा नहीं दबाया जा सका था। उस समय हुणों ने टिड्डी दल की बहुत बड़ी संख्या में पश्चिमोत्तर भारत में प्रवेश किया। वे तक्षशिला के सांस्कृतिक नगर को बर्बाद कर पंचनद प्रदेश में लूटमार करते हुए मथुरा के वैभवशाली नगर में आ घुसे थे। तत्कालीन गुप्त सम्राट की ओर से मथुरा राज्य में जो प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त था। उसने हुणों का प्रतिरोध किया किन्तु उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई, हुणों ने मथुरा नगर में लूट मचा दी। यहाँ के धार्मिक स्थलों व विद्याभवनों में जो अमूल्य ग्रन्थ-राशि संग्रहित थी उसे जला दिया। हुणों के उस भीषण आक्रमण ने मथुरा के गुप्तकालीन सांस्कृतिक वैभव को एक बार समाप्त कर दिया था। साथ ही यह भी ज्ञात होता है कि हुणों से बचने के लिए मथुरावासियों ने उत्तराखण्ड प्रदेश में शरण ली व यहीं पर बस गए।

यह भी कहा जाता है कि रूहेला आक्रमण के बाद गोरखा शासन में भी होली त्यौहार के प्रमाण मिलते हैं जैसा की इस होली के गीत को पढ़कर लगता है।

केसर बाग लगाया मजा बादशाह
ने पाया या केसर,
आस-पास वाके सोने के खम्भे,
बीच में जाल बनाया,
आन पड़ि पूर्वजों की पलटन,
गोरे ने बिगुल बजाया।

जैसा कि पहले बता चुकी हूँ कि कुमाऊँ में होली चन्द वंशीय राजाओं के शासन के आस-पास देखने को मिलता है जिसका प्रमाण इस होली गीत में देखने को मिलता है-

सखियां ले आयी गुलाल लाल,
होरी खेल रहे है।
नन्द नन्दन ज्यू से,
सकल सभा रूद खेल रहे है।
कर धर उपर बाल री,
तुम राजा महाराजा प्रद्युम्न सा,
मेरी करो प्रतिपाल लाल होरी।¹¹

इस गीत से ज्ञात होता है कि होली राजा प्रद्युम्न शाह के शासन के आस-पास से कुमाऊँ में मनायी जाने लगी। प्रद्युम्न शाह के शासन काल के सम्बन्ध में विद्वानों में बड़ा मतभेद है अल्मोड़ा सूची 1785 से 1804¹² बताते हैं। बैकेट 1786 से 1804, हरिकृष्ण रतूड़ी 1797 से 1804,¹³ मुकन्दीलाल 1785 से 1804,¹⁴ राहुल 1797 से 1804,¹⁵ अधिकांश विद्वान राहुल के मत से सहमत हैं, उस समय के ताम्रपत्रों में यह तिथि 1781 से 1784 तक दी गई है उक्त तमाम प्रमाणों से यही अर्थ निकलता है कि प्रद्युम्न शाह का काल 1785 से 1804 तक माना गया है। इतिहास कार प्रद्युम्न शाह को कवि मानते हुए कहते हैं कि होली का प्रारम्भ प्रद्युम्न शाह के काल में ही हुआ।¹⁶

होली अनुष्ठान का प्रारम्भ: खड़ी होली

कुमाऊँ में होली के दो प्रचलित स्वरूप हैं। एक ग्रामीण अंचल की होली जिसे “खड़ी होली” होली कहते हैं। दूसरी “नगर होली” जिसे शहरी क्षेत्रों में “बैठ होली” कहते हैं। “बैठ होली”

में विशिष्ट लोगों की और “खड़ी होली” में आम लोगों की भागेदारी होती है।¹⁷ यहाँ पर “खड़ी होली” पर प्रकाश डाला जा रहा है यह अधिकतर ग्रामीण अंचल में गाई जाती है। शिव-रात्रि के बाद फाल्गुन शुल्क की एकादशी से खड़ी होली (ठाड़ी होली) उस दिन सुनिश्चित स्थान पर एक गड्ढा खोदकर पिट्ट्या-अक्षत, हल्दी की गाँठ, सुपारी और ताँबे का पैसा डालकर पूजन करके उसके ऊपर चीर का खम्भा गाड़ा जाता है जिस पर प्रत्येक घर से लाई हुई चीर (नये कपड़े के लम्बे-लम्बे पतले-पतले टुकड़े) फाल्गुन सुदी 11 को बाँधी जाती है और कही अष्टमी को भी चीर बाँधते हैं। चीर बाँधते समय पुरुषों द्वारा विशेष प्रकार की होली गाई जाती है-

**हूँ तो सूत धरी चल बी को,
दरशन को तेरे द्वारे अम्बाधन तेरो।**

**देवी का थान निशान गढ़ो है
फरहर-फरहर होय अम्बा धन तेरो।¹⁸**

इस चीर हरण से सम्बन्धी बात गिरीश तिवाड़ी “गिर्दा” से साक्षात्कार के दौरान पता चली कि चीर बंधन पहले सभी गाँवों में नहीं होता था, बल्कि उन्हीं गाँवों में चीर बाँधी जाती थी, जिन गाँवों को तत्कालीन सामन्तों द्वारा ध्याजा दी गई हो। कई गाँवों में तो होलियों का चलन न होकर चैत के पूरे महीने भर झोड़े-चाचरियाँ गाई नाची जाती थीं। कई स्थानों पर आज भी गाई-नाची जाती है। पर जिन गाँवों को सामन्ती युग ने ध्वजायें दे रखी थी वहीं चीर बंधन होलिकाष्टमी को होता था। आज वह बात करीब-करीब आश्चर्य चकित करने वाली हो सकती है। क्योंकि अब अपवाद छोड़कर सभी जगहों में आमलकी एकादशी को ही चीर बंधन होता है और रंग पड़ता है, चीर बंधन अपने आप में एक सामूहिक अनुष्ठान

है जो गाँव के मन्दिर में सम्पन्न किया जाता है। जिसमें गाँव के हर घर से अबीर-गुलाली, पूजा का सामान सजाया चीर के धड़ों (नये कपड़े की पतली-पतली व लम्बे-लम्बे टुकड़े) के साथ शामिल होते हैं। चीर पदम की लोचदार टहनी या कच्ची बाँस की टहनी से बनाई जाती है जिसमें गाँव घर से आये चीर के धड़ों को बाँधा जाता है। इसी अनुष्ठान के बाद अबीर-गुलाल का टीका लगाना शुरू होता है।

तत्पश्चात् एकादशी जिसे “रंगवाली एकादशी” भी कहा जाता है के दिन मंदिर में ही रंग डाला जाता है। यह भी एक सामूहिक अनुष्ठान होता है। और सफेद पोशाक पहनकर सारा गाँव इस अनुष्ठान में भागीदारी करता है। यहीं पर सफेद पोशाकों में रंग के छींटे डाले जाते हैं। इस दिन से गीला रंग शुरू हो जाता है। इसी दिन महिलाएं आँवले के वृक्ष की पूजा अर्चना कर वृक्ष में अबीर-गुलाल व रंग चढ़ाती हैं। इसी दिन महिलाओं पर भी रंग छिड़का जाता है-

**रंग डारि दियौ हो अलबेलिन में,
रंग डारि दियौ हो अलबेलिन में।**

इस रंग अनुष्ठान के पश्चात् होली गोल घेरे में विशेष पद संचालन के साथ नृत्य करते हुए पुरुषों का होली गायन होता है।²⁰ अपने इस नृत्यात्मक रूप के कारण ही होली का यह रूप खड़ी होली कहलाया होगा। सामूहिक गायन और नृत्य होने के कारण इन होलियों के लाल-स्वर भी बहुत सीधे सरल होते हैं। अठानवे प्रतिशत होलियों में तो अन्तरा होता ही नहीं और उठान भी बहुत धीमी लय से होती है। कथ्य की दृष्टि से भी ये कुछ होलियाँ कुछ सन्दर्भों में कई आयामों/अर्थों को खोलती

है कुछ होलियाँ तो देश के अन्य अंचलों से (मेल खाते हुए भी) पर्वतीय होली के अलग और विशिष्ट व्यक्तित्व का प्रमाण देती हैं-

**मेरी नथ गढ़ि दे छैला सुनारा,
मेरी नथ गढ़ि दे छैला बे।²¹**

खड़ी होली के सबसे मनमोहक क्षण वे होते हैं जब होलियार (होली गाने वाले) तथा अन्य लोग गाँव के प्रत्येक घर में जाकर सर्वप्रथम भगवान की होली गाकर स्तुति करते हैं-

**सिद्धि करत यो गणपति राज,
विघन हरत यो गणपति राज।**

**अरघ सिंहासन मूषक वाहन
लम्बोदर बाके चारों हाथ, विघन हरत यो
सिद्धि.....**

विघन.....²²

उसके पश्चात् होली के माध्यम हँसी-मजाक करते हैं-

**झुकि आयो शहर में ब्यौपारी,
आहा इस ब्यौपारी को भूख बहुत है
पुरिया पकै दे नथ वाली,
झुकि आयो.....,
आहा इस ब्यौपारी को प्यास बहुत है
पनिया पिला दे नथ वाली
झुकि आयो.....,
आहा इस ब्यौपारी को नींद बहुत है,
पलंग बिछा दे नथ वाली,
झुकि आयो.....²³**

जब होलियारों के होली गीत समाप्त होते हैं तो स्वागत के तौर पर गुड़ की भेली तोड़ी जाती है। सबका मुँह मीठा किया जाता है। यद्यपि आज गुड़ के स्थान पर चाय, मिठाई, सूजी, आलू, आदि खिलाया जाता है और सबसे अच्छी बात देखने को मिलती है कि छोटे-छोटे बच्चे बक्शों में खाने-पीने व अन्य चीजों

की दुकान डाले रखते हैं। जहाँ-जहाँ होली जाती है उनके पीछे अपने, बक्शों को भी कन्धों पर उठाकर ले जाते हैं। शाम तक उनका भी सारा सामान बिक जाता है। वे भी हंसी खुशी से घरों को लौट जाते हैं और दूसरे दिन का इंतजार करते हैं।

इन्हीं दिनों स्वांग भी खेले जाते हैं। इन स्वांगों (नाटक) के माध्यम से वर्ष भर के मन-मुटाव, आपसी तनाव हँसते-हँसते मिटा दिये जाते हैं। यह स्वस्थ मनोरंजन की परम्परा मात्र नहीं बल्कि अपनी व्यक्तिगत भड़ास भी बहुत सरलता से व्यक्त करने का सुन्दर माध्यम है।

पूर्णमासी की रात पून्यू और पड़यों (प्रतिपदा) के जोड़ में होलिका दहन होता है। उसके दूसरे दिन सुबह झलड़ी होती है। इस दिन गाँव से सारे पुरुष मन्दिर पहुँचते हैं जहाँ चीर दहन होता है उसी धूनी की राख का टीका लगाकर सारे गाँव घूमते हैं। पुरुष आपस में होली तो खेलते ही हैं, महिलाएँ भी उनके मुँह पर रंग, गोबर, कीचड़, तथा पानी डालने में पीछे नहीं रहती हैं। अंत में “रंग की गागर सिर में धरे, आज कन्हय्या रंग भरे” गाते हुए होली के इस रंगीले स्वरूप को विदाई दे दी जाती है। छलड़ी से पूर्व कई गाँव वाले आपस में चन्दा एकत्रित करते हैं²⁴ और छलड़ी के दिन ही कुछ पुरुष मन्दिर में सूजी बनाते हैं। जब छलड़ी समाप्त हो जाती है तो हंसी-खुशी मन्दिर में प्रसाद के लिए जाते हैं। उस सूजी को प्रसाद के रूप में अपने रिश्ते-नातेदारों तक पहुँचाते हैं। ऐसा करना शुभ समझा जाता है।²⁵

बैठ होली

कुमाऊँ की दूसरी “नागर होली” को शहरी क्षेत्रों में बैठ होली कहते हैं।

बैठ होली को बैठकर गाया जाता है और इसमें विशिष्ट लोगों की भागेदारी होती है। बैठ होली का कोई लिखित इतिहास व काल नहीं है। जन मान्यताओं के आधार पर इसे 200 से 300 वर्ष पूर्व के आस-पास कुमाऊँ में प्रचलित होना माना जाता है। जैसा कि पहले बता चुकी हूँ, रूहेल आक्रमणों के कारण समय-समय पर मैदानी भागों से लोग कुमाऊँ आते रहे। विशेष रूप से अल्मोड़ा में राजश्रय प्राप्त होने के कारण यहीं स्थापित हो गये।²⁶

बैठ होली पूर्णरूप से पौराणिक व गंधर्व विवाह से जुड़ी हुई है। इसमें विभिन्न रागों एवं फागों का समावेश होता है। जैसे काफ़ी, जंगला, भैखी, झझोरी, धमारू, विहाँग, देश, पीलू आदि। इसके गाने का भी एक अलग ढंग और परम्परा रही है।²⁷ उदाहरणार्थ पौष माह के इतवारों को बहुत ही पवित्र माना जाता है। अतः पौष माह के प्रथम इतवार से बैठ होली का प्रारम्भ देव स्थल अथवा घरों में प्रारम्भ हो जाता है। इसमें होली के नाम पर गायी जाने वाली होलियाँ आध्यात्मिक भाव भूमि में निर्मित होती हैं। इन्हें “निर्वाण” की होलियाँ कहा जाता है-

क्या जिन्दगी का ठिकाना।

फिरत मन काहे रे भुलाना।²⁸

इस बैठ होली के दूसरे गीत में भी भक्ति स्पष्ट दिखाई दे रही है-

शिव सुमिरन जिन जाना, सोई

तन ब्रह्मनम समाना,

अथवा

भव भंजन गुण गाँऊ, मै अपने

राम को रिझाऊँ।²⁹

होली चाहे बैठी हो या खड़ी सबकी परम्परा रही है कि प्रारम्भ में भक्तिमय

गायी जाती है उसके बाद धीरे-धीरे सरस एवं रसिक गीत गाए जाते हैं-

गोरी के नैनन में श्याम बसत है।

लोग कहे बांके नैना कजरारे है।³⁰

यह बैठी होली गाँव व शहर दोनों में गाई जाती है। कहा जाता है कि सर्वप्रथम कुमाऊँनी संस्कृति का केन्द्र कहा जाने वाला अल्मोड़ा में शिवदत्त, मुख्तियार, वेद प्रकाश, श्याम दत्त के घरों, रघुनाथ मन्दिर और कई अन्य स्थानों पर बैठ होली का आयोजन किया जाता था। लोग सांयकाल से रात्रि के 10 बजे तक राग श्याम व कल्याण आदि से शुरू करते थे और अंत राग जंगला, खमाज, शहाना, पर करते थे।³¹ कुमाऊँनी बैठ होली में तालों की अभिव्यक्ति के लिए तबला मुख्य वाद्य होता है। परन्तु इसके सहयोगी साजों के अन्तर्गत लोटा व मंजीरा मुख्य रूप से दो वाद्य अवश्य होते हैं जिनके द्वारा खटका लगाया जाता है। दो सिक्कों से उल्टा लोटा बजाया जाता है। यहाँ यह भी कहावत है कि होली खटके व लटके की होती है।³² यहाँ की होली में एक विशेषता यह देखने को मिलती है कि इसे अकेले न गाकर सामूहिक रूप से गाया जाता है और यह कब्बाली अथवा भजन कीर्तन शैली व लय पर स्थापित होते हुए भी सर्वथा भिन्न है। पर्वतीय बैठ होली में गायक स्थायी ही गाता है। अनेक रूपों में गाने के बाद दूसरा गायक उसे पकड़ लेता है, तथा सजाता-संवारता है। फिर गायक उसे पकड़ लेता है। यही क्रम चौथे या पाँचवे अथवा अधिक गायकों द्वारा क्रमानुसार जारी रखा जाता है। तत्पश्चात् पुनः मूल गायक उस स्थाई को पकड़ लेता है। इसी प्रकार अंतरा भी गाया जाता है। यही व्यवस्था द्रुतलयों में होता है।³³

हां जी सीता वन में अकेली कैसे रही,
कैसे रही दिन रात, सीता वन में
अकेली कैसे रही।

हां जी रंग महल छोड़ चली है,
वन में कुटिया बनाई सीता वन.....¹³⁴

कुमाऊँनी बैठकी होली में विशेषतः भक्ति परक गीतों शृंगार, संयोग-वियोग तथा अन्य छुटपुट विषयों पर केन्द्रित गीत गाये जाते हैं। भावों की तरंगों से सराबोर ये गीत सीधे मन में उतर जाते हैं।

देखा जाय तो आज तक पर्वतीय अंचल में बैठे होली जितनी भी व जिस रूप में गायी बजायी जाती है वह मात्र धुन प्रधान है और इन्हें धुनों के विशिष्ट प्रकार ही माना जा सकता है भले ही इन धुनों में विनों को विभिन्न राग-रागिनियों के स्वर छन्द दिखायी पड़ते हों।

महिला होली

कुमाऊँ में बैठ और खड़ी होली के अलावा होलियों का एक और रूप भी प्रचलित है। “महिला-होली” ये होलियाँ अपने आप में निराली होती हैं। अपने घर में होली कराने से एक दिन पूर्व वे अपने आस-पड़ोस तथा अन्य मित्र महिलाओं को निमन्त्रण देकर आती हैं, कि कल मेरे यहाँ होली है जरूर आना। निर्धारित समय पर सर्वप्रथम सफेद परिधान में पहुँच जाती हैं। सर्वप्रथम वे होली की शुरुआत बाकायदा मंगलाचरण-

सिद्धि की दाता, विघ्न-विनासन,
होरी खेलें गिरिराजपति नन्दन।

गौरी को नन्दन, मूसा को बाहन,
होरी खेलें गिरिजापति नन्दन।

ला हो भवानी अक्षत चन्दन, होरी
खेलें गिरिजापति नन्दन।¹³⁵

इसके बाद चीर बंधन की होली गाई जाती है- को ए उ बाँधे चीर, जै

रघुनन्दन की। और इसी क्रम में तीसरे नम्बर में बारी आती है रंग की- रंग डारि दियौ हो अलबेलिन में 1 चीर बंधन और रंग की इन होलियों में जिस घर में होली हो रही हो उसके सदस्यों का नाम लिया जाता है।¹³⁶ उसके पश्चात् मौज-मस्ती के होली गीत गाये जाते हैं-

जेठानी, तुमरो देवर ना बोलो,
ना बोलो झखमार जेठानी, तुमरो देवर।
जेठानी फागुन मास नयी ऋतु आई,
फूल रही बनराय जेठानी, तुमरो देवर।
जेठानी खोलि केवाड़ धसो घर भीतर,
गोपी दिल धड़काय जेठानी तुमरो देवर।
जेठानी, लिपट, झपट कर दाइयाँ मरोड़ी,
मारि मोहे पिचकारी जेठानी तुमरो देवर।
जेठानी खटिया मे ऊताण कियो है,
चरमर-चरमर होई जेठानी तुमरो देवर।

जेठानी एकै चदरा दो जनें ओड़ें,
खींचातानी होई जेठानी तुमरो देवर।
जेठानी घूँघट खोलि लुटो मोहि दिन में,
जुद्धा लेले मचायो जेठानी तुमरो देवर।
जेठानी चोली-चदरा भीजि गयो है,
सारी कसर निकालि जेठानी तुमरो देवर।¹³⁷

यद्यपि कई होलियाँ महिला-पुरुष दोनों गाते हैं लेकिन कुछ होलियाँ सिर्फ महिलाओं द्वारा ही गायी जाती हैं। महिलाएं ढोलक, मजीरा व घुंघरू का प्रयोग गीतों में करती हैं।

कुमाऊँनी होली के मुख्य गायक व कवि

कुमाऊँ में अल्मोड़ा शहर होली गाने में हमेशा आगे रहा है यहाँ पर होल्यारों (गाने वालों) की संख्या अत्यधिक है। 1907 के आस-पास होली के मुख्य गायक मथुरा सिंह नयाल, चन्द्र सिंह नयाल, श्याम लाल साह, बद्री सिंह गालिया व रामदत्त तिवारी आदि थे।¹³⁸ विनोद बंसल लिखते हैं कि 1921 से

1935 के बीच अल्मोड़ा में मुख्य गायक हरिदत्त तिवारी, गोविन्द बल्लभ तिवारी, पंचानन्द सनवाल, क्रान्ति बल्लभ सनवाल, श्याम लाल वर्मा, केशव लाल साह, गंगा सिंह बिष्ट, श्याम लाल साह, मोहन लाल साह, गुसाई लाल जगाती, मथुरा लाल साह, मधुसूदन गुररानी, रमजानी, सगीर, अहमद, पिरी साह, वेद प्रकाश बंसल, प्यारे लाल साह, नन्दन जोशी, जगत सिंह, रामसिंह। तत्पश्चात् 1951 तक उदयलाल साह, वेद प्रकाश बंसल, प्यारे लाल साह, नन्दन जोशी, खीम सिंह, बृन्देन्द्र लाल साह, मोहन लाल वर्मा, पूरन सिंह, गोविन्द सिंह, चन्दन दत्त तिवारी, कान्ती बल्लभ, देवीदत्त उप्रेती, गम्फार अजीजखान, हमीद, इलापची गुलाम।¹³⁹

पिथौरागढ़ में होली की परम्परा गंगोलीहाट से ही मानी जाती है। वहाँ के खष्टी बल्लभ जोशी तथा मथुरादत्त जोशी मुख्य व्यक्ति हैं। सनासतन पाण्डे, वैद्य तारादत्त पाण्डे और प्रमोद पाण्डे होली के अत्यधिक रसिक कहे जाते हैं। नैनीताल में भी होली बैठकों का आयोजन लगभग 5-6 दशक तो हो चुके हैं। परन्तु कुमाऊँ की अन्य भागों की तरह यहाँ पर होली के प्रति नवयुवकों का सम्मान कम हुआ है। ऐसा माना जाता है कि अल्मोड़ा से नैनीताल बसे परिवारों के द्वारा नैनीताल में भी होली का प्रचलन हुआ होगा। पूर्व में भवानी साह, बंशी लाल वर्मा, शिवदत्त मठपाल, रामदत्त, दामोदर, मोहन सिंह, जगदीश उप्रेती, नित्यानंद पंत, अमीन जी, प्यारे लाल साह, “काकू” उदयनाथ साह, पूरन चन्द्र लोहनी, नाथ लाल साह, रमेश जोशी, दास साह, श्याम लाल साह, जो कि आज हमारे बीच नहीं रहे, होली के अच्छे गायक व वादक थे। महिलाओं की होली में अल्मोड़ा की तुलसी देवी

व जीवन्ती देवी का नाम मुख्य है। नैनीताल में रेखा साह, नीरू साह आदि महिलाएं हैं।⁴⁰ वर्तमान में इस परम्परा को विश्वम्भर “सखा” गिरीश तिवाड़ी “गिर्दा”, नवीन लाल साह, गंगा प्रसाद साह, जहुर आलम, हेम चन्द्र पाण्डे⁴¹ से लेकर संस्थाओं के रूप में हुक्का क्लब अल्मोड़ा, शारदा संघ नैनीताल और गीत-नाटक प्रभाग नैनीताल आदि सहित ग्रामीण अंचलों के नाम लिये जा सकते हैं जिन्होंने पारम्परिक होली गायन को पुष्पित, पल्लवित किया। वहीं दूसरी धारा में गुमानी, गौर्दा, चारूचन्द्र पाण्डे, गिरीश चन्द्र तिवाड़ी गिर्दा से लेकर जन नाट्य मंच अल्मोड़ा, युगमंच नैनीताल, नैनीताल समाचार जैसे कुछ नाम लिये जा सकते हैं जिन्होंने उत्सवी चेतना के पारस्परिक स्वरूप को न केवल सामाजिक सन्दर्भों से जोड़ने की कोशिश की, बल्कि अपने-अपने माध्यमों से युगमंच द्वारा आरम्भ किया गया “होली महोत्सव” को इस सन्दर्भ में विशेष रूप से देखे जा सकते हैं।

इस शोधपत्र में थोड़ा सा रचना धर्मिता के सन्दर्भ में अपने विषय को थोड़ा विस्तार देती हूँ कि औपनिवेशिक शक्तियों के विरुद्ध राष्ट्रीय क्षितिज पर अपनी रचनाओं के माध्यम से संघर्षरत नजीर अकबराबादी जब होली को कुछ इस तरह अभिव्यक्ति दे रहे थे-

**जब फागुन रंग झमकते हों,
तब देख बहारें होली की।
और ढफ के शोर खड़कते हों
तब देख बहारें होली की।⁴²**

लगभग उसी दौर में गोरखा सामन्तशाही और उसके पश्चात् धीरे-धीरे औपनिवेशिक शक्तियों के अधीन जा रहे कुमाऊँ के जनमानस की वेदना और प्रतिरोध को कुमाऊँ की प्रथम पुरुष कहे जाने वाले कवि गुमान्ने ने अपनी

सशक्त रचनाओं के माध्यम से अभिव्यक्ति देकर अपनी संवेदनशीलता और सामाजिक जागरूकता का परिचय दिया-

**बादशाही दिल्ली में होता फूट न
होती राजन् में हिन्दुस्तान मुशक्कल
होता वश करना मुद्दतन में।⁴³**

ऐसी रचनाओं के साथ-साथ गुमानी ने होलियों की परम्परा को भी समृद्ध किया-

**मोहन मन लीनो बंशी नागिन सौं
मुरली नागिन सौं
केहि विधि फागू रचायो।**

**मीरा के प्रभुगिरधर नागर
कहत गुमानी अंत तेरो नही पायों
केहि विधि फागू रचायो।⁴⁴**

परम्पराओं को समाज के साथ जोड़कर देखने की इस विरासत को अगली पीढ़ी में सर्वाधिक आगे बढ़ाया। ‘गीर्दा’ ने वस्तुतः जिस सामाजिक चेतना का आरम्भ गुमानी से माना जाता है। उसके सशक्त हस्ताक्षर गीर्दा थे। ऐसे समय में जब सारे देश में वन्देमातरम् कहने की मनाही थी, राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने की नीति जारी थी तब गीर्दा ने साम्राज्यवादी अन्यायों को उजागर किया, उसके विरोध में होली गीत रचकर प्रतिरोध का माहौल विकसित किया-

**होलि खेलनूँ यसा के हालन में
छन भारत का लाल षिंहालन में
जिबड़ि में ताला खुटन में सडाला
कलम पड़ि रईगोलि लै मरी रई
है रै ल्योल कपालन में.....।⁴⁵**

गीर्दा इस विरासत को वर्तमान पीढ़ी तक पहुँचाने का कार्य चारूपंत ने किया। होली के माध्यम से उन्होंने भी स्थानीय द्वन्द्वों को बखूबी सामने लाने की कोशिश की चारूपंत के पश्चात् आज गिर्दा ने राजनैतिक चालबाजियों पर कटाक्ष कर,

उनके जनप्रतिनिधियों के असली चेहरों को बेनकाब करने में भी उन्होंने होलियों का प्रयोग किया है-

**यसि होली अलिबैर रचै गयो रें
ढुड बै ल्हबरे माटो जॉले बेचिगवें,
अबिर गुलाल हरै गयो रे
भोटे कि ओर में दिल्ली पुजिगें,
वां बटि जाँठा बरसै गयो रे।⁴⁶**

अंत में यही कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार से हमारे कवि गुमानी, गौर्दा, चारूपंत और गिरीश तिवारी “गिर्दा” ने अपनी होली रचनाओं से कुमाऊँ के इतिहास को गौरवान्वित किया है और होलियों ने भी हमारी परम्परा होली को गाकर जीवित रखा है, उसी प्रकार हमें अपने रीति-रिवाज, कलाओं और परम्पराओं को नहीं भूलना चाहिए। यदि लोक कलाकारों और उनकी कला को उचित सम्मान न दिया तो वह समय दूर नहीं, जब हमारी अमूल्य कलाएं विस्मृति के गर्भ में समा जायेंगी।

सन्दर्भ सूची:

1. तिवाड़ी, गिरीश गिर्दा: (सम्पादक): रंग डारि दियी हो अलबेलिन में: राजहंस प्रेस तल्लीताल नैनीताल: 1999: पृष्ठ - 81 - 82
2. w.w.w.Kipedia com [holi] 1/8/2002
3. पोखरिया, देवसिंह: लोक संस्कृति के विभिन्न आयाम (मध्य हिमालय के सन्दर्भ में): श्री अल्मोड़ा बुक डिपो, अल्मोड़ा: 1994 : 40-42
4. साह, सुषमा (सम्पादक): शरद नन्दा: नैनीताल: 2005: पृष्ठ - 55
5. उक्त: पृष्ठ - 56
6. उक्त: पृष्ठ - 55-56
7. त्रिपाठी, किरन: उत्तराखण्ड का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक भूगोल: अप्रकाशित शोध प्रबन्ध: कुमाऊँ विश्व विद्यालय नैनीताल: 1996: पृष्ठ - 21 - 22

8. तिवाड़ी, गिरीश "गिर्दा": पृष्ठ - 27
9. मितल, प्रभुदयाल: ब्रज की कलाओं का इतिहास: साहित्य संस्थान, मथुरा: 1975: पृष्ठ -230-31
10. तिवाड़ी, गिरीश "गिर्दा": साक्षात्कार: सियल काटेज तल्लीताल नैनीताल: 12-3-2010
11. पाण्डे, ख्यालीराम: होली बसन्त बहार: पीपल टाडों रानीखेत: 2000: पृष्ठ -10-11
12. एटकिन्सन, ईण्टी:
13. रतूड़ी, हरिकृष्ण: गढ़वाल का इतिहास:
14. मुकुन्दी लाल: गढ़वाल पेंटिंग्स: पृष्ठ- 16
15. साँकृत्यायन, राहुल: कुमाऊँ: पृष्ठ - 179
16. साह, सुषमा (सम्पादक): पृष्ठ - 57
17. साह, विश्वम्भर नाथ 'संख्या': साक्षात्कार: सियल काटेज (कैन्ट के पास) तल्लीताल नैनीताल: 13-3-2010
18. साह नवीन लाल: साक्षात्कार: विलायत काटेज मल्लीताल नैनीताल: 10-2-2010
19. तिवारी गिरीश "गिर्दा" पृष्ठ - 28
20. बलूनी, दिनेश चन्द्र: उत्तरांचल संस्कृति, लोक जीवन, इतिहास एवं पुरातत्व: प्रकाश बुक डिपो, बड़ा बाजार, बरेली: 2001: पृष्ठ - 79
21. उक्त: पृष्ठ - 28-29
22. जोशी प्रयाग: भयो बिरज झकझोर कूमूँ में (कुमाऊँ की चुनिन्दा होलियाँ: सरस्वती प्रेस: 6 फालतु लाइन देहरादून: 2005: पृष्ठ - 30
23. जन्तवाल नारायण सिंह साक्षात्कार बी-2, नैनी विहार मल्लीताल नैनीताल 28-2-2010
24. मदन सिंह अध्यापक: कुमाऊँनी खड़ी होली संग्रह: टा० आनन्द सिंह उम्मेद सिंह एवं सन्स बुक सेलर लाला बाजार: अल्मोड़ा 2001: पृष्ठ - 10
25. नेगी, खीम सिंह बिष्ट, राम सिंह बोरा, हरक सिंह बोरा, नर सिंह बौरा क्षेत्र, जिला अल्मोड़ा: साक्षात्कार: 12 से 15-10-2010
26. तिवाड़ी गिरीश गिर्दा (सम्पादक): लेख: साह, विश्वम्भर नाथ "संख्या": होली कैसे खेलेंगी में: पृष्ठ - 8
27. चंद, दिनेश: पौराणिक व गंधर्व विद्या से जुड़ी है होली: अमर उजाला ब्यूरो: 15 मार्च 2006: पृष्ठ - 5
28. साह, विश्वम्भर नाथ लेखा: पृष्ठ - 8
29. चंद, दिनेश: पृष्ठ-5
30. उक्त
31. वर्मा, बसन्त कुमार: पुखासी: राजा हाउस, थाना बाजार: अल्मोड़ा: 2006 पृष्ठ - 201
32. साह, विश्वम्भर नाथ "सखा": साक्षात्कार
33. उक्त पृष्ठ -9-10
34. होली संग्रह: श्री राम सेवक सभा: मल्लीताल, नैनीताल: कसल प्रेस : 2008: पृष्ठ
35. चौबे, परमानन्द: रचनाधर्मिता (हिन्दी-त्रैमासिक): वर्ष-11: अंक बसन्त: भारती प्रिंटिंग प्रेस, बैंक रोड, पिथौरागढ़: मार्च 1997: पृष्ठ- 5
36. साह, विश्वम्भर नाथ "सखा": साक्षात्कार
37. जोशी, प्रयाग: पृष्ठ - 94
38. साह, सुषमा (सम्पादक): लेख: कैड़ा, जन्तवाल सावित्री: होली का ऐतिहासिक परिचय (कुमाऊँ के परिप्रेक्ष्य में): पृष्ठ - 55
39. उक्त: पृष्ठ - 59
40. उक्त
41. साह, नवीन: साक्षात्कार
42. पाण्डे, गिरीजा: परम्परा की सार्थकता लकीर पीटने में नहीं: रंग डारि दिनौ हो अलबेलिन में: राजहंस प्रेस नैनीताल: 1999: पृष्ठ - 81
43. उक्त
44. जोशी, खीमानन्द: साक्षात्कार: कारखाना बाजार, अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड): 13-2-2010
45. पाण्डे, गिरीजा: पृष्ठ - 84
46. तिवाड़ी, गिरीश "गिर्दा": साक्षात्कार



आधुनिक युग में गाँधी और शांति का भविष्य

मदन पासवान

गाँधीजी आज हमारे बीच नहीं हैं वह एक विचार एवं आस्था बनकर हमारे बीच से 79 वर्ष की आयु में जुदा हो गए, जबकि वे 125 वर्ष तक जीवित रह कर दुनिया की सेवा करना चाहते थे¹ लेकिन वैसा संभव न हो पाया। भारत की स्वतंत्रता-प्राप्ति हेतु सतत् संघर्षशील रहने के साथ स्वराज्य के स्वप्न को सार्थक बनाने के लिए उन्होंने अहिंसा को सुदर्शन-चक्र मानकर सविनय आन्दोलन से भारत को स्वतंत्र किया और शस्त्र-विहीन क्रांति से विश्व में एक अनूठा आदर्श प्रस्तुत किया। अपने अनोखे युद्ध के अथक योद्धा होते हुए भी वह इतने अधिक प्रेम अध्यात्म के पुरुष थे कि बरबस उन्हें 'महात्मा' कहना पड़ा² स्वतंत्रता के बाद भारत ने उन्हें अपना 'राष्ट्रपिता' माना है। गाँधी न अवतार थे, न देवता वे हमारी तरह के प्राणी थे, जो गुजरात के एक उच्च मध्यवर्गीय परिवार में पैदा हुए थे तथा अपनी सूझ-बूझ त्याग तथा चरित्र व नैतिक बल से उन्होंने संपूर्ण विश्व को शांति और अहिंसा का एक नया मार्ग दिया³

गाँधी की सबसे बड़ी विशेषता थी कि उनकी कथनी एवं करनी में एकरूपता थी, इसलिए अतएव 'अधनंगा फकीर' के रूप में प्रतिष्ठित हो युग पुरुष हुए। उनके समकालीन महापुरुषों में मार्क्स, लिंकन, विवेकानंद, माओं आदि हुए, लेकिन गाँधी की अभिव्यक्ति इन सभी विचारकों से भिन्न थी। गाँधी के विचारों की भिन्नता उनकी प्राभाविकता इसी बात से समझी जा सकती है कि आधुनिक युग में गाँधी के विचारों से अधिक विवादास्पद और कोई विचारदर्शन नहीं है।⁴ विश्व की प्राचीनतम संस्कृति एवं सभ्यता या तो कमोबेश मिट गई या उसके स्वरूप में परिवर्तन आ गया। लेकिन, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति अनेक विदेशी आक्रमणों को झेलकर भी

प्रायः यथावत् रही। भौतिक साधनों की दृष्टि से उसके पास इतनी अनमोल निधि थी कि वैभवशाली राष्ट्रों ने भी उसके सामने सिर झुकाया। गाँधीजी ने आधुनिक युग में उस कीर्ति में चार चाँद लगाए। संपूर्ण विश्व ने अनुभव किया कि गाँधी जैसा चरित्र का धनी संसार में दूसरा व्यक्ति नहीं है।⁵

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद गाँधीजी देश के पुर्ननिर्माण में महत्त्वपूर्ण काम करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 29 जनवरी, 1948 में 'आखिरी वसीयतनामा' में स्पष्ट उल्लेख किया था - "हिन्दुस्तान आजाद हुआ है, लेकिन अभी भी सिर्फ राजनैतिक आजादी मिली है। शहरों और कस्बों से भिन्न उसके लाख गांवों की दृष्टि से सामाजिक आर्थिक और नैतिक आजादी हासिल करना अभी बाकी है।" वे कांग्रेस को विसर्जन कर और उसे लोक सेवक संघ का निर्माण करना चाहते थे - सत्ता की जगह सेवा करने के लिए। दुर्भाग्यवश दूसरे दिन ही गाँधीजी का बलिदान हो गया। उसके बाद आज तक के 48 वर्ष का इतिहास एक-एक करके गाँधी के सपने के बिखरने का इतिहास है। राजनैतिक क्षेत्र हो या नैतिक-हर क्षेत्र में भारतीय समाज गाँधी की कल्पना के बिल्कुल विपरीत दिशा में गया है।⁶ यही कारण है कि आज हम अनैतिक मूल्यों को भयानक दुष्चक्र में फंस गए हैं। हमारे चारों ओर व्याधियाँ-ही-व्याधियाँ हैं। सम्पूर्ण देश इस दुरावस्था से हैरान, चिंतित एवं असहाय महसूस कर रही है।

हम मानते हैं कि विगत 60 वर्षों में देश ने औद्योगिक तथा तकनीकी क्षेत्रों में आश्चर्य उन्नति की है। हमने अपनी परंपरागत सांस्कृतिक जीवनशैली पर बिना ध्यान दिए पाश्चात्य जगत से प्रगति की होड़ में अपने प्रौद्योगिकी का विकास तो कर लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि एक ओर तो हमने 'अग्नि' एवं 'पृथ्वी' का परीक्षण किया तथा अणु-विस्फोट में भी सफल रहे हैं।⁷ किन्तु हमारी निश्चित धारणा है कि भौतिक उपलब्धियाँ मनुष्य के लिए हैं। मनुष्य उनके लिए नहीं मनुष्य को रोटी चाहिए, किन्तु वह रोटी के लिए जीवित रहे तो जीवन को सार्थक नहीं बना सकता।⁸ भारतीय राजनीति किस ओर अग्रसर है, यह अब बताने की आवश्यकता नहीं है। दल मुख्य हो गए हैं, देशहित हो गया है। दलीय राजनीति की दलदल से बचना कठिन हो रहा है। दलीय राजनीति न 'गाँधी' रहे, न 'सुभाष'।

दलीय राजनीति को बुद्ध का तो स्मरण ही क्यों कर लेता, वह तो गाँधी को ही भूल गई। कटु सत्य शायद यह है कि

सत्ता की चरण-वन्दना में ध्यानमग्न होकर दलीय राजनीति गाँधी को ही खा गई बेसमझ नारों में उलछ गई और जनमानस को इस उलझन में फँसाने तथा रखने के तमाम उपाय करने लगे। यही कारण है कि **जे० पी० की सम्पूर्ण क्रान्ति** भी हवा में उड़ गई आज उसका वजूद कहाँ है? आज की दलीय पद्धति के मूल में तानाशाही छिपी हुई है जिसका सूत्र कुछ या अधिकतर एक दो व्यक्तियों के पास रहता है। जनता इससे संतुष्ट है।¹⁰ अतः आज जनता की राजनीति नहीं, बल्कि दल की राजनीति ही चलती है। लेकिन आवश्यक तो यह है कि सभी स्तरों पर सत्ता जनता के हाथों में आनी चाहिए, क्योंकि तभी जनता का अभिक्रम जगेगा और पुरुषार्थ प्रकट होगा। इसके लिए पक्षविहीन एक नयी राजनीति का विकास होना चाहिए।¹¹

गाँधीजी ने पाश्चात्य प्रजातंत्र को फासिस्टवाद और नाजीवाद से ही मिश्रित माना है। आज का लोकतंत्र दलतंत्र है,¹² एवं दलतंत्र मूलतः अधिनायकत्व की माता है।¹³ एक विदेशी ईस्ट इंडिया कम्पनी ने व्यापार के बहाने संपूर्ण देश पर वर्षों तक शासन किया और अब तो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की बहार आई हुई है। लगभग 200 वर्षों तक गुलाम रहने के बाद भी उस पीड़ा को भुलाकर केन्द्रीय सरकार वैश्विक उदारीकरण का अन्धानुकरण करते हुए देश को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की शरणस्थली बनती जा रही है इसके लिए राष्ट्रीय हित की उपेक्षा की जा रही है। आज भारत गाँधी को भूल चुका है। ग्रामोद्योग 'मिशन' से 'कमीशन' हो चुकी है। हम विदेशी ऋण ले रहे हैं और विदेशी कम्पनियों के उपभोक्ता बन रहे हैं। आज देश में सभी क्षेत्रों में तेजी से अपराधीकरण हो रहा है। हिंसा, डकैतियाँ, हत्या, महँगाई

आदि ने देश की चेतना को विकृत कर दिया है। देशभक्ति एवं देशप्रेम अब काल बाह्य हो गयी है। नयी पीढ़ी, जिस पर देश का भविष्य निर्भर करता है, अनेक प्रकार के दुर्व्यसनों का शिकार हो रही है।

भ्रष्टाचार ने तो अंगद के पांव की तरह अपने को जमा लिया है तथा अब तो भ्रष्टाचार शिष्टाचार हो गया है। नागरिक जीवन ऊपर से नीचे तक इसी दुष्चक्र में फँस गया है जिसके पास देने को है, उन्होंने उन लोगों के लिए भारी संकट पैदा कर दिया है, जिनके पास देने को नहीं है।¹⁴ इतना ही नहीं सरकार तो अब संकोचरहित होकर कहती है कि भ्रष्टाचार हमारे देश की नहीं, सारी दुनिया की समस्या है और महँगाई कहाँ नहीं है। **गाँधीजी ने डंके की चोट पर कहा था- " मेरा जीवन ही मेरा संदेश है।"** वर्तमान के नेताओं ने डंके की चोट पर लिखा दिया कि उनका जीवन भ्रष्टाचार का पर्याय है। केन्द्र तथा राज्यों में कुछ अपवादों को छोड़कर सभी नेता एवं अधिकारी कमोबेश भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आजादी के बाद भौतिक प्रगति अद्वितीय गति से हुई - भीमकाय कारखाने खुले हैं, लेकिन दुर्भाग्य से एक भी ऐसा कारखाना नहीं खुला, जिसमें देशवासियों के चरित्र का निर्माण हो।¹⁵ यही कारण है कि देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से नैतिक मूल्यों के अभाव में भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार, कदाचार, यौनाचार आदि निर्बिघ्न फल-फूल रहे हैं।

आज संचार एवं यातायात के द्रुतगामी वैज्ञानिक साधनों के फलस्वरूप विभिन्न देशों में समय, स्थान की दूरी बहुत कम हो गयी है और सभी राष्ट्र एक दूसरे के इतने करीब आ गये हैं कि महत्त्वपूर्ण घटनाओं एवं कार्यों का प्रभाव प्रत्यक्ष

या अप्रत्यक्ष एक देश का दूसरे देशों पर पड़ता है। अतः आज कोई भी राष्ट्र चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो - अन्य राष्ट्रों से पूर्णतः पृथक् तथा उसके प्रभाव से मुक्त नहीं रह सकता।¹⁶ विकसित एवं विकासशील देशों के मध्य दूरी अभी तक बनी हुई है। क्या छोटे-बड़े सभी राज्यों को अपनी इच्छानुसार स्वतंत्रतापूर्वक जीवन व्यतीत करने का समान अधिकार है? विश्व में रंग-भेद, जाति-भेद, अन्याय, शोषण अत्याचार समाधान पर मानव जाति का सर्वांगीण विकास एवं उत्थान ही नहीं, बल्कि उसका अस्तित्व भी निर्भर है।¹⁷ यही कारण है कि आज प्रत्येक विचारशील व्यक्ति किसी-न-किसी रूप में 21वीं सदी में वैश्विक संकटों का निराकरण कैसे किया जाएगा, यह सोचने को बाध्य हो रहा है। अब यह देखना है कि गाँधी द्वारा उपयुक्त महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों का समाधान कहाँ और कैसे हो सकता है।

संसार में संघर्ष उत्पन्न होने का दूसरा महत्त्वपूर्ण कारण कुछ व्यक्तियों एवं राष्ट्रों का अनुचित जातीय अभिमान है। आज लगभग सभी राष्ट्र सिद्धान्ततः यह स्वीकार करते हैं कि मानवजाति के अस्तित्व एवं उत्थान के लिए विश्वशान्ति अनिवार्य है, क्योंकि तृतीय विश्वयुद्ध के फलस्वरूप संपूर्ण माननीय सभ्यता तथा संस्कृति का आमूल विनाश हो सकता है।¹⁸ संसार के 53 नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने 24 जून, 1981 को जेनेवा, रोम, पेरिस, बर्न, ओटावा, ब्रूसेल्स तथा न्यूयार्क इन सात महानगरों से दुनिया की तेजी से बदलती हुई परिस्थितियों को देखकर एक सम्मिलित बयान जारी किया था। इसमें उन्होंने कहा था- "आज के इन्सान में जो बेचैनी फैली हुई है, उसके पीछे दुनिया की आज की हालत

है। अगर उसमें कोई परिवर्तन करना है तो मनुष्य जाति के सामने एक ही रास्ता है और वह रास्ता है-सविनय अवज्ञा... . गाँधी के अहिंसात्मक संघर्ष के हथियार का प्रयोग करें तो तो यह निश्चित है कि हम अपनी आंखों के सामने ही इस आफत से छुटकारा पा जायेंगे।”¹⁹

यदि मानवीय सभ्यता एवं संस्कृति की रक्षा मानवजाति की अस्तित्व अभीष्ट है तो वर्तमान युग में सभी राष्ट्रों को हिंसा और युद्ध के घातक मार्ग का परित्याग करके अहिंसा एवं शान्ति का पावन मार्ग ग्रहण करना होगा,²⁰ अर्थात् परमाणु बम और अहिंसा के बीच हमें चुनाव करना होगा।²¹ साथ ही मानवोचित गुणों के विकास के लिए विज्ञान-प्रदत्त अपार शक्ति का विध्वंसात्मक उद्देश्यों में न लगाकर शांतिपूर्ण कार्यों के लिए सदुपयोग किया जाये तो दरिद्रता, रोग, बेकारी और अज्ञान से मुक्त होकर अधिक सुखी तथा समृद्ध हो सकता है। लेकिन, यह तभी संभव है, जब विश्व के सभी राष्ट्र अहिंसा और शान्ति के उस पुनीत मार्ग पर चलने का दृढ़ संकल्प कर लें जिसका प्राचीन काल में गौतम बुद्ध तथा ईसा ने और आधुनिक युग में गाँधी ने उपदेश दिया है।²²

अतः इसमें थोड़ा भी संदेह नहीं कि मानव जाति को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अन्ततः यही शान्तिमय मार्ग ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अतिरिक्त अपना अस्तित्व बनाए रखने का उसके समझ अन्य कोई उपाय नहीं है।²³ देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद का कहना है कि “यदि इस संसार को जीवित रहना है और आपस की लड़ाई से टुकड़े-टुकड़े नहीं होना है तो उसे गाँधीजी की विचारधारा के अनुसार ही चलना होगा, जो भारत के लिए ही नहीं, सारी दुनिया के लिए हैं।”²⁴

संदर्भ सूची:

1. एस० एन० सुब्बाराव, जीवन साहित्य (गाँधी विशेषांक), सस्ता साहित्य मंडल, दिल्ली, जनवरी-फरवरी, 1995, पृ० 24.
2. बटरोही (संपादक), कुमार जैनेन्द्र, इक्कीसवीं सदी में गाँधी, श्याम प्रकाशन, अल्मोड़ा, 1995, पृ० 64.
3. ओंकार लाल बोहरा, जीवन साहित्य (गाँधी विशेषांक), पूर्व उल्लिखित, पृ० 43.
4. बटरोही (संपादक), भूमिका, इक्कीसवीं सदी में गाँधी।
5. उपरिवत् पृ० 328.
6. सिद्धराज ढड्डा, जीवन साहित्य (गाँधी विशेषांक), 1995, पृ० 16.

7. रामजी सिंह, गाँधी विचार, 1995, पृ० 112, मानक पब्लिकेशन्स प्रा० लि०, दिल्ली।
8. यशपाल जैन, जीवन साहित्य, जनवरी-फरवरी, पृ० 86.
9. उपरिवत्.
10. जयप्रकाश नारायण, भौलेन्द्री सोशलज्म ऑफ परसुएशन, पृ० 148.
11. रामजी सिंह, पूर्वोक्त।
12. रामजी सिंह, गाँधी विचार, पूर्वोक्त, पृ० 68.
13. उपरिवत्, पृ० 68.
14. यशपाल जैन, जीवन साहित्य, अगस्त, 1995, पृ० 325.
15. उपरिवत्, जुलाई, पृ० 289.
16. वेद प्रकाश वर्मा, महात्मा गाँधी का नैतिक दर्शन, पृ० 135 इन्दु प्रकाशन, दिल्ली।
17. वेद प्रकाश वर्मा, पूर्वोक्त, पृ० 195.
18. वेद प्रकाश वर्मा, पूर्वोक्त, पृ० 197.
19. धर्मेन्द्र त्रिपाठी, जीवन साहित्य, जनवरी-फरवरी, 1995, पृ० 80.
20. वेद प्रकाश वर्मा, पूर्वोक्त, पृ० 199.
21. रामजी सिंह, गाँधी विचार, पूर्वोक्त, पृ० 115-116.
22. वेद प्रकाश वर्मा, पूर्वोक्त, पृ० 199.
23. उपरिवत्, पृ० 199.
24. राजेन्द्र प्रसाद, महात्मा गाँधी की देन, पृ० 7.



पं० जवाहरलाल नेहरू का समाजवाद

विजय कुमार

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास और आधुनिक भारत के निर्माण में पंडित जवाहर लाल नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अपने राजनैतिक दर्शन में वह गाँधीजी के सच्चे शिष्य थे और अहिंसा के अनुयायी थे। सभी सुख-सुविधाओं को त्यागकर उन्होंने अपना जीवन राष्ट्रसेवा को अर्पित कर दिया। उनका दृष्टिकोण व्यापक था। वे अंधविश्वास, रूढ़िवादिता तथा साम्प्रदायिकता के विरोधी थे। नेहरू के चिंतन पर उनके पिता मोतीलाल नेहरू, महात्मा गाँधी, ऐनी बेसेन्ट, कार्ल मार्क्स, रसेल और आइन्सटीन का प्रभाव पड़ा था।

कांग्रेस के मंच से समाजवाद का प्रचार करने और उसे सारे देश में जनप्रिय बनाने का सबसे ज्यादा श्रेय कांग्रेस नेताओं में जवाहर लाल नेहरू का है। फरवरी 1927 में उत्पीड़ित जातियों की कांग्रेस अथवा साम्राज्यवाद विरोधी लीग का सम्मेलन ब्रुसेल्स में हुआ था, उसमें नेहरू ने 'इंडियन नेशनल कांग्रेस' के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। उन्होंने भारत के सम्बंध में खुद एक प्रस्ताव तैयार किया और इस सम्मेलन में पेश किया था। उस प्रस्ताव की निम्नलिखित अंश मार्क का है:-

इस कांग्रेस का विश्वास है कि भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन भारत के किसानों और मजदूरों की पूर्ण शक्ति को अपने कार्यक्रम का आधार बनायेगा जिसके बिना वास्तविक स्वतंत्रता नहीं हो सकती।¹ नवम्बर 1927 में नेहरू सोवियत संघ की यात्रा की और 1917 की रूसी समाजवादी क्रांति के बाद उस देश की महान उपलब्धियों को उन्होंने अपने आँखों से देखा। भारत वापस आकर नेहरू ने कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं में और बुद्धिजीवियों में समाजवाद का प्रचार किया। इस सम्बंध में उन्होंने खुद लिखा है: मैं खासकर कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं और बुद्धिजीवियों में समाजवाद की विचारधारा का प्रचार करना चाहता था क्योंकि ये लोग, जो राष्ट्रीय आन्दोलन की रीढ़ थे ज्यादातर संकीर्णतम राष्ट्रवाद के रूप में सोचा करते थे।²

उन्होंने अपनी पुस्तक भारत एक खोज में लिखा है: सोवियत क्रांति के साथ मानव समाज ने एक जबर्दस्त छलांग लगाई और एक ऐसी मशाल जलाई है जिसे बुझाया नहीं जा सकता। उसने एक ऐसी सभ्यता की नींव डाली, जिसकी ओर समस्त संसार बढ़ सकता है "नेहरू का सम्पूर्ण आर्थिक दर्शन समाजवादी विचारधारा पर आधारित है उनका समाजवाद आर्थिक संगठन का न केवल सिर्फ साधन मात्र न होकर एक जीवन दर्शन है।"

इसी उद्देश्य से उन्होंने 3 अप्रैल 1928 को इलाहाबाद में अपने भाषण में भारतीय समाज की विसंगतियों की ओर संकेत करते हुए समाज व्यवस्था को बदलने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने भाषण में कहा कि "आज हम एक ऐसा समाज देखते हैं जिसमें आदमी, आदमी के बीच फर्क है। एक तरफ विशाल धन राशि है जो सारी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करने वालों का है तो दूसरी तरफ गरीबी है जिसके कारण गरीब आदमी को कभी-कभी भूखा ही सोना पड़ता है। कुछ लोग कोई काम किए बिना ऐशो-आराम से रहते हैं जबकि दूसरे बिना आराम या अवकाश के सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं और फिर भी उनकी जिन्दगी की कम से कम जरूरतें भी पूरी नहीं होती। यह हमारे उन धनी व्यक्तियों का अपराध नहीं है। यह दोष व्यवस्था का है और इस व्यवस्था को, जो मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण की इजाजत देती है और इतने दुख-कष्ट पैदा करती है, बदलना हमारे उपर निर्भर करता है।"³

22 सितम्बर 1928 को कलकत्ते में हुए 'अखिल बंगाल विद्यार्थी सम्मेलन' में जवाहर लाल नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीयता, समाजवाद और साम्यवाद के सिद्धांतों की व्याख्या की और देश के नौजवानों से अंतर्राष्ट्रीयता और समाजवाद का रास्ता अपनाने की अपील की।⁴ उन दिनों देश के विभिन्न भागों में हुए विद्यार्थी और नौजवानों के सम्मेलन में वे इसी तरह के भाषण देते थे।

जवाहर लाल नेहरू 1929 में एक तरफ 'ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस' के और दूसरी तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। जवाहर लाल नेहरू के द्वारा 'एटक' के नागपुर अधिवेशन में और 'इंडियन नेशनल कांग्रेस' के लाहौर

यू०जी०सी० नेट (इतिहास), मालीघाट, चुन्नाभट्टी रोड, मुजफ्फरपुर

अधिवेशन के अध्यक्ष पद से दिए भाषणों का सूक्ष्म दृष्टिकोण से अध्ययन करने के उपरांत यह कहा जा सकता है कि पंडित जवाहर लाल नेहरू इंडियन कांग्रेस को समाजवाद की ओर तथा मजदूर आन्दोलन को राष्ट्रीय आन्दोलन की तरफ लाने का प्रयत्न कर रहे थे। इस सम्बंध में उन्होंने स्वयं लिखा है कि एक ही व्यक्ति के लिए यह बहुत असाधारण बात थी कि वह नेशनल कांग्रेस और ट्रेड यूनियन-दोनों के एक-दूसरे से कुछ सप्ताह के भीतर होने वाले सम्मेलनों की अध्यक्षता करें। मैंने आशा की थी कि मैं सम्भवतः दोनों के बीच सम्पर्क सूत्र बन सकूंगा और उनको एक-दूसरे से ज्यादा नजदीक ला सकूंगा। नेशनल कांग्रेस को ज्यादा समाजवादी, ज्यादा सर्वहारावादी बना सकूंगा और संगठित मजदूरों को राष्ट्रीय संग्राम में शामिल कर सकूंगा।⁵

नेहरू के अनुसार समाजवाद न केवल भारत में गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता और सामाजिक-आर्थिक असमानता मिटाने के लिए आवश्यक है बल्कि मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए भी इसकी आवश्यकता है। अपने समाजवादी विचारों के कारण ही अपने पिता के द्वारा तैयार किए गए 1928 के 'नेहरू रिपोर्ट' का विरोध किया था। जिसमें देशी नरेशों की सम्पत्ति और विशेषाधिकारों की रक्षा के साथ-साथ उन्हें कई प्रकार की सुविधाओं को मुहैया कराने की बात की गई थी। लाहौर कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण में नेहरू ने साफ कहा था कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, राजा-रजवाड़े और उद्योगपतियों के खिलाफ हूँ। उन्होंने कहा कि मैं साफ-साफ स्वीकार करूंगा कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। मैं राजाओं-महाराजाओं में या उस व्यवस्था

में विश्वास करने वाला नहीं हूँ जो आधुनिक समाज को विघटित करने वाले आधुनिक उद्योगपतियों को पैदा करती है, जिसके हाथ में मनुष्य के जीवन और धन को नियंत्रित करने की क्षमता पुराने जमाने के राजाओं से ज्यादा होती है और जिनके तरीके उतने ही लुटमार वाले हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि यह मुमकिन है कि इस 'राष्ट्रीय कांग्रेस' जैसी संस्था के लिए और इस देश की मौजूदा हालात में पूर्ण समाजवादी कार्यक्रम को अपनाया जाना सम्भव न हो। किन्तु हमें समझना होगा कि समाजवाद का दर्शन दुनिया भर में समाज के सारे ढाँचे में धीरे-धीरे घूस गया है। भारत अगर अपनी गरीबी और असमानता को समाप्त करना चाहता है तो उसे भी इसी रास्ते पर चलना होगा, यद्यपि वह अपने निजी तरीकों का विकास खुद कर सकता है और अपनी नस्ल की प्रतिभा के अनुरूप आदर्श अपना सकता है।⁶

नेहरू ने अपने समाजवादी व्यवस्था में मौजूदा पूंजीवादी व्यवस्था से मूलतः भिन्न एक राजनीतिक एवं सामाजिक ढाँचे की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जमीन और उद्योग धंधों पर शिकंजा जमाये बैठे निहित स्वार्थों को और साथ ही सामंती तथा निरंकुशतावादी भारतीय रजवाड़ों की व्यवस्था को खत्म करना होगा। निजी सम्पत्ति को समाप्त कर मुनाफे खड़े करने की मौजूदा व्यवस्था की जगह सहकारी सेवा के उच्चतर आदर्श को स्थापित करना होगा। समाजवाद के प्रति नेहरू का आकर्षण बौद्धिक था। मार्क्स के द्वारा की गई इतिहास की आर्थिक विवेचना में नेहरू को विश्वास था। समाजवाद को ग्रहण कर लेने पर भी उन्होंने लोकतंत्र को कभी नहीं छोड़ा। समाजवाद में विश्वास करते हुए पंडित

नेहरू ने जनतांत्रिक पद्धति का ही समर्थन करते थे। उनका विचार था कि नागरिकों को राजनैतिक स्वतंत्रता के साथ-साथ अवसर की समानता भी मिलनी चाहिए। उनके अनुसार सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं के रहते हुए कभी भी एक सम्पन्न लोकतांत्रिक राज्य का निर्माण नहीं हो सकता है। यही कारण है कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने लोकतंत्र के विकास के लिए सैद्धांतिक समाजवाद को अपनाने के लिए आग्रह किया।⁷

गाँधीवादियों के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि ट्रस्टीशिप का नया सिद्धांत, जिसकी पैरवी कुछ लोग करते हैं, समान रूप से बेकार है इसलिए कि ट्रस्टीशिप के माने हैं कि भला या बुरा करने की शक्ति स्व-नियुक्त-ट्रस्टी के हाथ में रहती है और इसका उपयोग वह अपनी मर्जी के अनुसार कर सकता है। एक मात्र ट्रस्टीशिप, जो न्यायपूर्ण हो सकती है, वह राष्ट्र की ट्रस्टीशिप है किसी व्यक्ति या गुट की नहीं।⁸ नेहरू ने आगे कहा कि हमें तय करना होगा कि किसके लाभ के लिए कल-कारखाने चलाये जायेंगे और जमीन अनाज पैदा करेगी। आज जमीन जो कुछ पैदा करती है, उसका अधिकांश किसान या जमीन में काम करने वाले मजदूर के लिए नहीं होता; और उद्योग का मुख्य कार्य लखपति-करोड़पति पैदा करना माना जाता है। फसल चाहे जितनी अच्छी हो और लाभांश चाहे जितना भी हो हमारे देशवासियों की मिट्टी की झोपड़ियों और घरों, उनकी वस्त्रहीनता ब्रिटिश साम्राज्य के और हमारी वर्तमान समाज व्यवस्था की गौरव गाये जा रहे हैं। अतः हमारे आर्थिक कार्यक्रम का आधार मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए और धन के लिए मनुष्य का बलिदान न किया जाना चाहिए।

जवाहरलाल नेहरू और उनके समाजवाद के बारे में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू की स्थिति दिलचस्प है उनके विचार और दृष्टिकोण मौलिक हैं वे अपने को पक्का समाजवादी कहते हैं लेकिन व्यवहार में वे महात्मा गाँधी के वफादार अनुयायी हैं शायद यह कहना सही होगा जबकि उनका दिमाग वामपंथियों के साथ है और दिल महात्मा गाँधी के साथ है।⁹ नेहरू की दृष्टि में समाजवाद का अर्थ पूर्ण राष्ट्रीयकरण नहीं था। अपनी योजना में वे ग्रामीण उद्योग धंधों तथा खादी को भी स्थान देते हैं। गाँधी के चिंतन का स्पष्ट छाप नेहरू के समाजवादी विचारों पर था।

नेहरू ने आर्थिक क्षेत्र में पश्चिमी ढंग की समाजवादी आर्थिक व्यवस्था एवं गाँधीजी की अर्थव्यवस्था में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। 1945 में राष्ट्रीय नियोजन समिति के समक्ष अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कुटीर उद्योग के साथ-साथ रोजगार की समस्या पर बल दिया तथा इसे निजात पाने के लिए सुझाव भी दिए। आजादी के बाद नेहरू ने समाजवादी आधार पर

भारत के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया समाजवाद के विचारों को क्रियान्वित करने के लिए उन्होंने नियोजन का सहारा लिया। उनके अनुसार नियोजन का उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। अपने समाजवादी अवधारणा पर चलते हुए जवाहरलाल नेहरू ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को प्रश्रय दिया जिसमें निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र समानान्तर रूप से कार्य करेंगे।¹⁰ उनका उद्देश्य समाजवाद को एक ऐसे ढाँचे का निर्माण करना था जो बिना एकाधिकार तथा पूंजी के केन्द्रीयकरण को अधिकतम उत्पादन कर सके और शहरी तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक समुचित संतुलन कायम कर सके। नेहरू उस उग्र समाजवाद के विरोधी थे जिसमें राज्य सर्वशक्तिमान होता है। अपने समाजवाद की स्थापना में नेहरू बल प्रयोग एवं हिंसात्मक साधनों के विरुद्ध थे। नेहरू के विचारों से प्रभावित होकर ही उनके मरणोपरांत उनके विचारों के अनुरूप संविधान के 42वाँ संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। अतः हम कह सकते हैं कि नेहरू के समाजवाद सहअस्तित्व की अवधारणा आज भी

प्रासंगिक है भारत की आनेवाली पीढ़ीयां भी जवाहरलाल नेहरू से प्रेरणा लेती रहेंगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. माइकल ब्रेचर; नेहरू: ए पोलिटिकल बायोग्राफी, पृ० 111-12 ।
2. जवाहरलाल नेहरू; टूर्वाडस फ्रीडम - पृ० 138 ।
3. डोरीकी नार्मन; नेहरू : दि फर्स्ट सिक्स्टी इयर्स भाग-1, पृ० - 153-4
4. वही - पृ०-180
5. जवाहरलाल नेहरू; टूर्वाडस फ्रीडम : डोरीकी नार्मन - वही।
6. डोरीकी नार्मन: नेहरू दि फर्स्ट सिक्स्टी इयर्स, पृ०-125
7. जवाहरलाल नेहरू; ऑटोबायोग्राफी, पृ० 163 ।
8. डोरीकी नार्मन; पूर्वाक्त, पृ०-205 ।
9. सुभाष चन्द्र बोस; द इंडियन स्ट्रगल, पृ०-45-46 ।
10. बी.एल. ग्रोवर: आधुनिक भारत का इतिहास : पृ० 476-77 ।
11. जवाहरलाल नेहरू: डिसकवरी ऑफ इंडिया।
12. नेहरू जवाहरलाल - सोवियत रसिया, चेतना प्रकाशन, बम्बई-1929 ।



“बिहार में चम्पारण सत्याग्रह और गाँधी”

अजय यशराज

उत्तर बिहार का तिरहुत प्रमंडल का चम्पारण जिला हिमालय के चरणों में नेपाल के समीप बसा हुआ एक ऐतिहासिक महत्व का स्थल रहा है। यही कभी विस्तृत अतीत में दार्शनिक राजा जनक रहते थे। चम्पारण कभी लिच्छवियों के प्रशयात गणराज्य के अन्तर्गत था। चम्पारण के जंगलों में नगर के कोलाहल एवं संघर्षों से दूर भारत के आत्मत्यागी ऋषि मानव कल्याण के हेतु तपस्या करते थे। कई स्थलों जैसे लौरिया, नन्दनगढ़ और अरेराज में अशोक के स्तंभ आज भी उनके धर्म एवं नीति के संदेश वाहक, सहिष्णुता एवं मानवीयता के प्रतीक के रूप में खड़े हैं। भारत वर्ष के अन्य भागों की तरह यह क्षेत्र भी अनेक शताब्दियों में राजनीतिक पटाक्षेप एवं उत्थान पतन के कितने चरणों से गुजरा है। अंग्रेजी राज्य की छत्रछाया में आने के बाद से अन्य परिवर्तना के साथ-साथ यूरोपीय व्यापारियों एवं निलेह साहब के प्राणान्तक शोषण की दौर से इसे गुजरना पड़ा।

सन् 1765 ई० में बंगाल बिहार के साथ चम्पारण को भी शाहआलम द्वितीय ने अंग्रेजों को दे दिया, उस समय चम्पारण बेतिया राज्य में पड़ता था जिसमें 36 अंग्रेज ठेकेदार थे, और 23 नील का व्यवसाय करते थे। नील की खेती दो प्रकार से होती थी - जीरात और असामीवार। जीरात कोठी वालों की दखल की जमीन होती थी, उसमें मजदूर किसान अपने हल बैल की सहायता से नील बोते थे। इससे बदले में कोठी वालों को कुछ अवश्य देना पड़ता था किन्तु मजदूरी इतनी कम मिलती थी कि उससे पेट पालन भी मुश्किल था। यही आगे चलकर चम्पारण विद्रोह का कारण बना। दूसरी ओर असामीवार प्रथा के अनुसार कोठी वाले रैयतों के द्वारा नील पैदा कराने की व्यवस्था करते थे। सन् 1860 ई० तक किसानों को बीघा पीछे पाँच कट्टा नील बोना पड़ता था परन्तु आगे चलकर सन् 1867 ई० में यह कम होकर बीघा में तीन कट्टा हो गया। फलतः तभी से इस प्रथा का नाम तीन-कठिया पड़ा। 1867

ई० से पहले किसानों को एक एकड़ नील के लिए साढ़े छः रुपये मिलते थे। उसी साल किसानों के विद्रोह के फलस्वरूप सरकार के दबाव से रकम को बढ़ाकर सन् 1909 ई० में मिस्ट गोरले के रिपोर्ट पर 13.50 रुपये कर दी गयी? इसके अलावे जिन खेतों पर नील की खेती होती उसकी मालगुजारी नहीं ली जाती, परन्तु इस नियम को अधिकांश कोठियों ने कार्यरूप में परिणत नहीं किया, वस्तुतः नील की खेती जितनी चम्पारण में होती थी, उतनी बिहार के किसी भी जिले में नहीं होती थी। तीन-कठिया प्रथा ही मुख्य रूप से किसानों के दुःखों का प्रमुख कारण था। ऐसी बात नहीं थी कि चम्पारण में ही किसान नील की खेती करके दुःखी थे बल्कि 1860 में बंगाल में भी नील की खेती को लेकर भारी हलचल मची हुई थी। परन्तु वहाँ हरिचन्द मुखर्जी ने किसानों के दुःखों को कमिशन के सामने रखकर न्याय दिलाया था। उसी समय बिहार के नीलवरों की भी बात छिड़ी थी, पर वहाँ कोई मुखर्जी जैसा व्यक्ति नहीं था, जो बिहार के रैयतों के कस्ट को कमिशन के सामने रख सके।

नील की खेती से संबंधित कई फौजदारिया होती रही। अंत में 14 अगस्त 1907 ई० को कोठी किसानों ने एक दरखास्त चम्पारण के कलक्टर के पास भेजा, किन्तु इस दरखास्त से किसानों को कुछ भी लाभ नहीं हुआ। जब तक किसान कोठी के लिए नील बोते रहे, तब तक उनका नील की खेती सिंचने के लिए पानी मुफ्त में मिलता रहा, परन्तु जब 1908 में कोठी ने नील बोना बंद कर दिया, तब रैयतों से पानी के लिए प्रति बीघा तीन रुपये वसूल करना प्रारंभ कर दिया जिसका नाम “पैन खर्च” पड़ा। किसानों पर अत्याचार और अधिक बढ़ने लगा नतीजा यह हुआ कि किसान धीरे-धीरे कसमसाने लगे और अपना विरोध प्रकट करने लगे। इस प्रकार अंग्रेज अधिकारी और जमींदार ध्यान नहीं देते परन्तु जब अधिकांश किसान विद्रोह और आंदोलन पर उतर आये तो अंग्रेज सरकार तथा जमींदारों की नींद हराम होने लगी। इसके पहले भी सन् 1866-88 ई० में बिहार के दरभंगा और चम्पारण के नील उत्पादन किसानों ने बड़े पैमाने पर विद्रोह किया था। इस विद्रोह को देखकर ही 1889-90 ई० में बंगाल के किसानों ने विद्रोह कर दिया था। उस समय कई प्रकार के अबवाब (कर) प्रचलित थे जिसको जानकर भी किसानों के दुःख का पता लगाया जा सकता था। कोठी ने यहाँ अनेक प्रकार के अबवाब किसानों पर लगाये वहाँ उसे कड़ाई से वसूला भी। उस समय मालगुजारी कर लिया जाता था।⁴ वे थे

शोध छात्र, बी.आर.ए. बी.यू., इतिहास विभाग, मुजफ्फरपुर

- (1) पैन खर्च - पैन नहर को कहा जाता है, फलतः जो खर्च नहर का पानी देने के लिए लिया जाता था उसे पैन खर्च कहते थे। पर बीघा तीन रुपये पैन खर्च देना पड़ता था।
- (2) सलामी-जो अबवाब (मालगुजारी कर) तीन रुपये बीघा पीछे वसूला जाता था उसे सलासमी कर कहा जाता था।
- (3) बांध बेहरी - यह भी एक प्रकार का पैन खर्च था।
- (4) बेटमाफी - किसानों को कोठी में हल देने में काफी कष्ट मालूम होता था, फलतः हल के बदले उन्हें हल पीछे तीन रुपये सलाना देना पड़ता था, इसी को बेटमाफी कहते हैं।
- (5) बपटी-पुतही - जब कोई किसान मर जाता था तब उसके परिजनों से यह कर लिया जाता था। जब तक यह कर नहीं दिया जाता था तब तक वह अपनी जायदाद का मालिक नहीं समझा जाता था।
- (6) मडवन - लड़की के शादी के समय एक रुपये कोठी वाले को देना पड़ता था।
- (7) सागौड़ा - किसी विधवा की सगाई पर पाँच रुपये वसूल किया जाता था।
- (8) कोल्हुआवन - तेल अथवा ईख पेराई के कर।
- (9) चुल्हियावन - हल्दी उबालकर के बेचने पर चुल्हा पीछे एक रुपये कर लिया जाता था।
- (10) बाटछपी - दुध और तेल बेचने पर कर।
- (11) बेचाई - गल्ला बेचने वालों को एक रुपये सलाना कर देना पड़ता था।
- (12) हथियाही - हाथी खरीदने के लिए कोठी वाले किसानों पर कर।
- (13) हवाही - कोठी वालों के बीमार पड़ने पर जो खर्च होता था वह भी किसानों को देना पड़ता था।
- (14) सरीदावन - मालगुजारी में रसीद पीछे एक रुपये वसूला जाता था।
- (15) आमदी सलामी - साहब के यहाँ जब कोई मुलाजिम आता था तो रैयतों को आकर सलाम करना पड़ता था और प्रत्येक आमदी पीछे एक रुपये देना पड़ता था।

इन अबवाबों के अलावा और भी कई प्रकार के अबवाब वसूला जाता था जैसे फगुआरी, दशहरी, चैतनौमी, दवात पूजा, अमदी, कटहली, दस्तुरी, सिवान, तहररी, तेवान, दस्तुरी, तीसरी, पन्द्रहवीं, दसही महापात्री इत्यादि इसके अलावा किसानों से जुर्माना वसूला जाता था। उस समय एक विचित्र सजा थी कि अगर कोई स्त्री भ्रष्ट हो जाती और उसका पता लोगों को लगता तथा जो पुरुष उस स्त्री के साथ रहता था, उसको सजा होती थी इसको 'सिगारहाट' कहते थे।⁵ इस प्रकार किसी न किसी प्रकार से किसानों से कुछ-न-कुछ वसूल कर लेना कोठी वाले खूब जानते थे। फलतः वहाँ के लोगों की स्थिति दिन-प्रतिदिन दयनीय होती चली गई।

कांग्रेस का 21वाँ अधिवेशन 1916 ई० में लखनऊ में हुआ जिसमें बिहार प्रान्त संबंधी दो प्रस्ताव उपस्थित करने का विचार हुआ एक पटना विश्वविद्यालय बिल के संबंध में और दूसरा चम्पारण के नीलवरों और उनके रैयतों के संबंध में जाँच के विषय में। प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद लोग महात्मा गाँधी से चम्पारण आने का निवेदन किया। परन्तु समयाभाव के कारण गाँधी जी नहीं आ सके लेकिन उन्होंने चम्पारण आने का

आश्वासन दिया। लखनऊ से लौटने के बाद चम्पारण के किसानों ने राजकुमार शुक्ल के द्वारा पुनः महात्मा गाँधी को पत्र भेजा और स्वयं राजकुमार शुक्ल ने उपस्थित होकर गाँधी से निवेदन किया। 11 अप्रैल को महात्मा गाँधी ने बिहार प्लैन्टर्स एसोसिएशन के मंत्री जे-एम-विल्सन ने मुजफ्फरपुर जाकर भेंट की तथा उनसे अपने आने का कारण बताया। परन्तु विल्सन ने सहायता करने से इन्कार कर दिया।⁶ तब उन्होंने तिरहुत डिविजन के कमिश्नर मि. एल.एफ. मॉर्शेड ने अगले दिन 9 बजे सुबह मिलने का समय गाँधीजी को दिया। उसी दिन विलक्षण ने गाँधी जी के पास एक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा था किसी प्रकार के जाँच की जरूरत नहीं है। उन्होंने गाँधी जी को चम्पारण जाने से मना किया और दूसरे तरफ चम्पारण के जिला मजिस्ट्रेट को पत्र लिखकर यह सूचित किया कि यदि गाँधी चम्पारण जाये, तो धारा 144 के तहत कारवाई कर उन्हें वहाँ से फौरन वापस चले जाने का हुक्म दे दें।⁷

14 अप्रैल 1917 को महात्मा गाँधी ने यह निश्चय किया कि वे चम्पारण जायेंगे। अगले दिन 15 अप्रैल 1917 को रामनवमी प्रसाद के साथ चम्पारण तथा जसवली पट्टी गये। महात्मा गाँधी को एक नोटिस जिसका आशय यह था "आपकी उपस्थिति से इस जिले में शांतिभंग और प्राणहानि होने का डर है, इसलिए आपको हुक्म दिया जाता है कि आप पहली गाड़ी से चम्पारण छोड़ दीजिए।"⁸ गाँधी जी समझ गये आज्ञा उल्लंघन का अर्थ है जेल जाना। अतः काम में किसी प्रकार की कमी नहीं की गई और न रैयतों से इस बात पर कुछ जिक्र ही किया गया फिर भी ये बात दूर-दूर देहातों तक फैल गई कि गाँधी जी को कचहरी में उपस्थित होने के

लिए कहा गया हैं फलतः गाँधी जी के दर्शन के लिए कचहरी में सैकड़ों की भीड़ उमर पड़ी। सरकारी वकील के समक्ष गाँधीजी ने कहा कि वो धारा 144 का उल्लंघन नहीं किया है, क्योंकि अवज्ञा के पूर्व मैंने कारणों से अवगत करा दिया था। मजिस्ट्रेट ने अपने फैसले को सुरक्षित रखा तथा अगले दिन पुनः 3 बजे गाँधी जी को उपस्थित होने को कहा अगले दिन मजिस्ट्रेट ने 100 रुपये की जमानत देने को कहा। परन्तु गाँधी जी ने उत्तर दिया मेरे पास कोई जमानतदार नहीं है और न मैं जमानत ही दे सकता हूँ। अन्ततः मजिस्ट्रेट ने ही स्वयं उनका मुचलका भरा तथा उन्हें जाने की आज्ञा दी।

इस बात की खबड़ पूरे जिले में फैल गई थी कि महात्मा गाँधी पर से मुकदमा उठा लिया गया है तथा गाँधी बेतिया जा रहे हैं। फलतः रास्ते पर उनके दर्शन के लिए सड़क के दोनों तरफ लोग जमा हो गये तथा फूल और माला से गाँधीजी का स्वागत किया। दूसरे दिन गाँधी जी बेतिया के लोगों से मिले, जिन्होंने अपनी दुःख भरी गाथा सुनाई। बाबू ब्रज किशोर प्रसाद सिंह जिरह करके रैयतों का इजहार लिख लेते थे। दूसरी ओर इस कार्य में बेतिया के मजिस्ट्रेट मि० डब्लू० एच० लिविस और बेतिया रेजिमेन्ट के मैनेजर मि० जे० टी० विटी भी मदद कर रहे थे क्योंकि इन अफसरों के पास कलक्टर की चिट्ठी पहले ही आ गई थी। दिन प्रतिदिन लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी, लोग रोज अपना फरियाद लेकर गाँधीजी के पास आ रहे थे। उधर बिहार प्लैन्टर्स एसोसियेशन के डायरेक्टरों ने एक मिटिंग बुलाई, जिसमें गाँधी जी के जाँच पर घोर विरोध प्रकट किया गया

और एक प्रस्ताव पास कर कमिश्नर को भेजा गया। वे जाँच को किसी प्रकार रोकना चाहते थे। गाँधीजी अपने कार्य का अंजाम देने के लिए कृतसंकल्प थे, फलतः सरकार ने एक जाँच कमिटी नियुक्त करने की बात मान ली, जिसमें महात्मा गाँधी भी एक सदस्य थे।

बेतिया और चम्पारण के अधिकांश किसान अपने दुःखों से कमिटी को अवगत कराया 4 अक्टूबर 1917 को जाँच कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। कमिटी द्वारा दी गई रिपोर्ट के अध्ययन कर 18 अक्टूबर 1917 को रिपोर्ट सुनाया गया जो इस प्रकार है-

- तीन कठिया प्रथा चाहे नील बोन के लिए हो या किसी प्रकार के गल्ले के पैदा करने के लिए ही पूर्ण रूप से हटा लिया जाए।
- अबबाब लेना पूर्णतः कानून के विरुद्ध है और अब भविष्य में किसी किसान से खतयान में दर्ज मालगुजारी से अधिक वसूली नहीं की जा सकती।
- दाखिल खारिज के लिए वारिस से फिस लेना नाजायज है।
- मजदूरी की पूरी-पूरी स्वतंत्रता होगी।
- किसान वृक्ष को मालिक से आधा हिस्सा में खरीद सकते हैं।
- गाड़ी का सट्टा पाँच वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए।
- मिट्टी का तेल बेचने के लिए लाईसेंस जारी करना कानून के विरुद्ध है यह प्रथा खत्म होनी चाहिए।

- मवेशियों को चराने के लिए जमीन परती रखने के लिए जमींदार, ठेकेदार के पास खड़ भेजी गयी।
- नील बोन वाले रैयतों से एकरारनामा लिखाया जाए।
 - (क) जिस खेत में नील बोन हो उस खेत के रैयत को चुने
 - (ख) जिस मूल्य या दर पर नील बेचना हो, उसे रैयत इच्छानुसार ठीक करे।
 - (ग) नील के पौधा को तौलकर दाम लिया जाए।¹⁰

इस प्रकार महात्मा गाँधी के चम्पारण में आने से न सिर्फ चम्पारण के रैयतों में बल्कि संपूर्ण बिहार के किसानों में नव जागरण हुआ और यही सत्याग्रह का अभिनव प्रयोग कर मोहनदास करमचन्द्र गाँधी “महात्मा गाँधी” बन गये।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. डा० राजेन्द्र प्रसाद, सत्याग्रह इन चम्पारण द्वितीय संस्करण सितम्बर 1949, भूमिका पृष्ठ 10
2. मिस्टर गोरले के रिपोर्ट 1909
3. साहित्य साधन चरित्रमाला खण्ड-2 सम्पादक बी. एन. बनर्जी
4. राजेन्द्र प्रसाद सत्याग्रह इन चम्पारण।
5. राजेन्द्र प्रसाद सत्याग्रह इन चम्पारण 69-74
6. विल्सन गाँधीवर्ता अप्रैल 1917
7. विल्सन द्वारा चम्पारण के जिला मजिस्ट्रेट को दिया गया पत्र, 1917
8. गाँधी को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लिखा गया पत्र अप्रैल 1917
9. वही ।
10. एंगोरियन कमिटी का रिपोर्ट अक्टूबर 1917 ।



“बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन एक समीक्षा”

रंजन कुमार

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बिहार का स्थान गौरवमयी माना जाता है। इसमें सन्देह नहीं है कि प्लासी युद्ध का निर्णय अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में था किन्तु कुछ ही वर्षों में उनके बढ़ते हुए अधिपत्य को पहले अकेले मीरकासीम और फिर अपने तीन सहयोगियों मीरकामीम, अवध के नवाब सुजाऊद्दौला एवं दिल्ली के सम्राट साह आलम द्वितीय ने 1764 ई० के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों को चुनौती दी लेकिन समय ने उनका साथ नहीं दिया और उन्हें हार का सामना करना पड़ा अन्यथा आज भारत का इतिहास कुछ और होता।

1757 और 1764 के पराजय के बाद अंग्रेज ने संपूर्ण भारत पर धीरे-धीरे अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया। वे व्यापार के लिए आये थे किन्तु शासक बन बैठे। लेकिन बिहार सहित भारत के लोगों को अंग्रेज का अधिपत्य एवं उनकी दासता पसन्द नहीं थी। ब्रिटिश शासक के आने के साथ ही उनके साथ संघर्ष प्रारंभ हो गया। 1762 से 1857 तक ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 68 विद्रोह हुए। इसमें अधिकांश विद्रोह तो बिहार में ही हुए जैसे वहावी विद्रोह (1830-69), कोल विद्रोह (1831-32) भूमिज विद्रोह (1832-33) और संधान विद्रोह (1855-56) इत्यादि प्रमुख हैं। पहले विद्रोहों को छोड़कर अन्य तीनों विद्रोह एक जनजातीय समुदाय द्वारा अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया विद्रोह था। इसके अतिरिक्त आदिवासियों के द्वारा अंग्रेज सरकार के विरुद्ध अनेक छोटे-छोटे विद्रोह हुआ उसको अंग्रेज सैनिकों ने आसानी से दबा दिया गया।

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन बिहार के प्रथम विद्रोही शहीद तिलकामांझी थे। जो दक्षिण भारत के आदिवासी थे। 18वीं

शताब्दी के उत्तरार्द्ध में वे ब्रिटिश शासक के विरुद्ध संघर्षरत थे। इनका संघर्ष 1750-1784 ई० तक माना जाता है।

संथाल शहीदों में सिद्धू, कान्हू, चाँद और भैरव का नाम उल्लेखनीय हैं। अहमदुल्ला वहावी आंदोलन के प्रमुख विद्रोही थे। उन्हें राजद्रोह के अपराध में काला पानी की सजा दी गयी थी। वे लोग पाँच वर्षों तक आण्डमानद्वीप समूह में रहे (1885-1889) और वही शहीद हो गए। उनके भाई याहया अली को भी कालापानी की सजा भुगतनी पड़ी थी। सन् 1857 ई० में ब्रिटिश हुकुमत के विरुद्ध एक व्यापक विद्रोह हुआ। इस विद्रोह को अंग्रेजों ने सिपाही विद्रोह की संज्ञा दी है। लेकिन देश विदेश के कई विद्वानों ने इसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम माना है। यह महाविद्रोह था। यह विद्रोह अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध जनता और सिपाहियों की एक लंबी परंपरा की विकसित कड़ी है। 1857 के पूर्व के लिए जितने भी विद्रोह थे वे सभी स्थानीय स्तर पर थी जिसको अंग्रेजों द्वारा आसानी से दबा दिया गया था लेकिन 1857 के विद्रोह को आसानी से नहीं दबाया जा सका और दबाये जाने के बाद भी इसकी भावना जीवित रही। 1857 ई० के विद्रोह की चिनगारियाँ देश के खासकर उत्तरी भारत के विभिन्न भागों में फुट पड़ी। बिहार में आरा के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी बाबू कुँअर सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों से कई बार संघर्ष हुआ। उन्होंने अंग्रेजों को आजमगढ़ में परास्त किया। 23 अप्रैल 1858 ई० को भी उन्होंने ब्रिटिश सेना को पराजित किया। कहा जाता है कि इसी समय अंग्रेजों से लड़ते समय उनके भुजाओं में गोली लगी तो उन्होंने उस भुजा को काट दिया था। बाबू कुँअर सिंह के मरने के बाद उनका छोटा भाई अमर सिंह ने संघर्ष को जारी रखा था, किन्तु अंग्रेजों ने क्रूरतापूर्वक इस विद्रोह को दबा दिया। सन् 1857 ई० के विद्रोहियों और शहीदों में पीरअली और हरेकृष्ण सिंह का नाम प्रमुखता से लिया जाता है।²

1857 के क्रांति के कुछ समय बाद कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत के शासन व्यवस्था को ब्रिटिश सरकार सीधे अपने हाथों में ले लिया। 1858-1885 ई० के बीच भारत में राष्ट्रीयता का विकास हुआ और 1885 ई० में

शोध छात्र, बी.आर.ए. बी. यू., इतिहास विभाग, मुजफ्फरपुर

अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई।

इसी बीच बिहार में एक शशक्त विद्रोह बिरसा के नेतृत्व में सन् 1895 और 1901 ई० के बीच हुआ। वह मुण्डा विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बिरसा 1895 से 1897 ई० के बीच दो वर्षों तक जेल में रहे। 1897 ई० में जेल से छुटने के बाद ब्रिटिश विरोधी कार्य करने लगे और 3 फरवरी 1900 ई० को अपने कई साथियों के साथ फिर गिरफ्तार कर लिये गये। 9 जून 1900 ई० में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई।³

सन् 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। इससे स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रेरणा मिली। 1908 में मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड नामक जिला जज को मारने का प्रयास किया। एक वाहन पर बम फेका गया, जिसमें दो महिला मारी गई उस वाहन में किंग्सफोर्ड सवार नहीं थे। प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्म हत्या कर लिया जबकि खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी की सजा सुनाई गयी।

1912 ई० में बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया और उसके तुरंत बाद 1936 में उड़ीसा से बिहार भी अलग हो गया। सन् 1912 ई. में कांग्रेस का 27वाँ अधिवेशन पटना के बांकेपुर में हुआ। 1915 में मजहरूलहक कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में शरिक हुए। सन् 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का 31वाँ अधिवेशन हुआ, जिसमें बिहार के प्रतिनिधि के रूप में राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे, जिन्हें गाँधीजी के चम्पारण लाने का श्रेय प्राप्त है। चम्पारण में नील की खेती होती थी

और इस संबद्ध में अंग्रेजों द्वारा किसानों का काफी शोषण किया जाता था। इस समस्या से अवगत होने के लिए गाँधीजी ने राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर 19 अप्रैल 1917 ई० को चम्पारण पहुँचे। चम्पारण के किसानों के समस्याओं को देखकर गाँधी काफी दुःखी हुए और यही से उन्होंने अपना पहला अहिंसात्मक आंदोलन प्रारम्भ किया। गाँधीजी के साथ, राजेन्द्र प्रसाद, मजहरूल हक, ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, शंभु शरण आदि गाँधी जी के साथ चम्पारण गये थे।⁴

गाँधी जी की असहयोग आन्दोलन में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ब्रिटिश शासक से यथासंभव असहयोग किया गया। छात्रों एवं शिक्षकों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दी। कई अधिकारियों ने अपनी नौकरी छोड़ दी। कई लोगों ने अपनी सरकारी उपाधि और डिग्रियों का परित्याग कर दिया। वकील ने कचहरी छोड़ दी। विदेशी मालों का बहिष्कार हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा के लिए विद्यापीठ की स्थापना हुई। 6 फरवरी 1921 को बिहार में विद्यापीठ खोला गया जिसका उद्घाटन महात्मा गाँधी के द्वारा किया गया ब्रजकिशोर को इसका कुलपति और मौलाना मजहरूल हक को कुलाधिपति बनाया गया। मजहरूल हक ने दीघा के निकट एक आश्रम स्थापित किया जो सदाकत आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख आकर्षक केन्द्र था। यही पर कांग्रेस के नेताओं की गोष्ठियाँ होती थी। इसी आश्रम से मजहरूल हक ने 'मदरलैण्ड' के नाम से एक समाचार पत्र का प्रकाशन 1921 ई. में किया था। इसी समय इंग्लैण्ड के युवराज का पटना में आगमन हुआ था।⁵

सन् 1922 ई. में कांग्रेस का सैतिसवा अधिवेशन देशबंधु चितरंजन दास की अध्यक्षता में गया में हुआ। विधायिका में प्रवेश नहीं करने का निर्णय लिया गया। किन्तु पं० मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास आदि कुछ नेता विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे। उन्होंने स्वराजपार्टी की स्थापना की। बिहार में भी स्वराजपार्टी हुई, किन्तु यहाँ इसे सफलता नहीं मिली। मई 1923 में नागपुर में सत्याग्रह हुआ। राजेन्द्र प्रसाद कुछ स्वयंसेवकों को लेकर सत्याग्रह में भाग लेने के लिए वहाँ पहुँचे। वहाँ सत्याग्रहियों पर लाठी चलायी गयी जिसमें घायल बिहार के हरदेव सिंह की मृत्यु हो गई।

सन् 1930-32 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ जिसे नमक सत्याग्रह कहते हैं। नमक कानून के विरोध में बिहार के कई जिलों में नमक निर्माण का कार्य होता रहा। नमक बनाते समय ही कार्यकर्ताओं पर लाठी का प्रहार किया गया। शराब बंदी और विदेशी चीजों की बिक्री पर रोक के लिए पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई। बिहपुर के सत्याग्रह में राजेन्द्र प्रसाद पर भी लाठी का प्रहार हुआ था। स्वतंत्रता के सिपाहियों को जेल में घोर यातनाएँ दी जाने लगी। कोड़े लगाने से लेकर बर्फ के सिल्ली पर सुलाने तक का दण्ड दिया जाने लगा। भोजन के बाद जल के बदले अंग्रेजों द्वारा शराब दी जाती थी। 10 अगस्त 1929 को समस्त बिहार में राजेन्द्र प्रसाद के नेतृत्व में गुलजारबाग में एक सभा बुलाकर राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया गया। छपरा जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्र का व्यवहार करने से इन्कार किया था। वे स्वदेशी वस्त्र की मांग करने लगे थे। बिहार में चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन हुआ। सविनय

अवज्ञ आंदोलन के समय बिहार के योगेन्द्र शुक्ला चन्द्रशेखर आजाद के संपर्क में थे। चन्द्रशेखर आजाद ने पटना के चर्च में अंग्रेजों को मारने का षडयंत्र रचा परन्तु वे सफल नहीं हुए। बिहार के जनजातियों के बीच भी एक जोरदार आंदोलन शुरू हुआ था जिसे तानाभगत आंदोलन कहा जाता था। यह दीर्घ काल तक जारी रहा। इस पर कांग्रेस और गाँधी जी का विशेष प्रभाव रहा। उराँव जाति के लोगों ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। जतरा उराँव ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया था।⁷

गरमदल में बिहार के शुक्ल ओर चन्द्रमा सिंह भी प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। 12 मई 1934 को गया सेन्ट्रल जेल में शुक्ल को फाँसी दे दी गई और चन्द्रमा सिंह से जेल में कठोर श्रम कराया गया।

सन् 1937 ई. में देश भर में प्रांतीय विधायिका के लिए चुनाव हुआ। कुछ अन्य प्रांतों के साथ बिहार में भी कांग्रेस को बहुमत मिला। दैनिक कार्यों में गवर्नर के हस्तक्षेप नहीं करने के प्रश्न पर करीब चार माह तक कांग्रेस की सरकार नहीं बन सकी। जब वायसराय ने यह आश्वासन दिया कि मंत्रियों के दैनिक कार्य में गवर्नर हस्तक्षेप नहीं करेगा तब 1937 ई० में श्रीकृष्णसिंह के नेतृत्व में बिहार में कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन 1939 ई. में द्वितीय विश्वयुद्ध में ब्रिटिश सरकार जब भारत को मनमाने ढंग से शामिल कर लिया तो बिहार सहित

अन्य प्रांत में भी कांग्रेस सरकार ने त्यागपत्र दे दिया।⁸

सन् 1940 में कांग्रेस का 53वाँ अधिवेशन मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में रामगढ़ में हुआ। रामगढ़ में ही कांग्रेस के नरम और समझौतावादी नीति के विरोध में सुभाष चन्द्र बोस और स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 1940 में ही व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा हुई। बिहार के भी कुछ प्रमुख नेताओं ने इसमें भाग लिया था। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले सत्याग्रही थे। भारत छोड़ो आन्दोलन का भी बिहार में काफी प्रभाव पड़ा। 11 अगस्त को पटना में छात्र का एक विशाल जुलूस निकला वह जुलूस सचिवालय के पास पहुँची। यहाँ पहुँचकर सचिवालय भवन पर झंडा फहराने का उद्देश्य था। काफी भीड़ थी। भीड़ में पटना के गोरे जिलाधीश ने गोली चलवा दी। कई लोग घायल हुए सात सपूत तो वही स्वर्गवासी हो गये, उनके स्मृति में शहीद स्मारक का निर्माण हुआ। इस घटना के बाद जनता में काफी विरोध फैल गया। इसके विरोध में तार और टेलिफोन की लाईने काटी गयी। रेलवे पटरियाँ उखाड़ी गयी, रेलवे स्टेशनों, सरकारी भवनों और कार्यालयों में आग लगायी गयी। अधिकारी और गोरो पर आक्रमण किया गया। सारण जिले के मढ़ौर में छः गोरे मार दिये गये। वहाँ रामस्वरूप देवी ने अद्भुत साहस का परिचय दिया था। उन्होंने

आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। वे बिहार के 'लक्ष्मीबाई' कही जाती हैं। मढ़ौरा के आंदोलन में सुकदेव नाराण मेहता भी काफी सक्रिय थे। सरकार ने भी कठोरता पूर्वक आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। कई जगह लाठी चली, गोली चली बहुत से लोग जेल गये, घायल हुए, शहीद हुए, निर्धन हुए, विकलांग हुए और अनाथ हो गये। कई महिलायें विधवा हो गईं और कई महिलाओं की गोद सूनी हो गयी।⁹

अन्ततः हम यह कह सकते हैं कि लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली इसमें बिहार का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार के ही महान सपूत डॉ० राजेन्द्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और उन्होंने 12 वर्षों तक इस पद पर रहकर देश की सेवा की।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. हैड-अरली इंगलिश ऐडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिहार, पृ० 8-10
2. मैलेशन, रीक्रियेशन ऑफ ऐन इंडिया ऑफिसियल पृ० 313
3. बिहार डिस्ट्रिक्ट गजेटियर सिंहभूम, राँची, 70, 99
4. राजेन्द्र प्रसाद सत्याग्रह इन चम्पारण पृष्ठ 69-74
5. ननकी ऑपरेश एण्ड खिलाफ मुवमेंट इन बिहार पृष्ठ 14-20 ।
6. वही, पृष्ठ-20 ।
7. वही, पृष्ठ-85 ।
8. अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी की वार्षिक रिपोर्ट 1926
9. गोविन्द सहाय पृष्ठ 135 ।



1942 के आन्दोलन का परिप्रेक्ष्य और वैचारिक टकरावों का मूल्यांकन

विशाखा कुमारी

इतिहास इस बात का साक्षी है कि विश्व के किसी भी आन्दोलन के मूल में वैचारिक टकराव होता है। सन् 1942 में भारत में जो आन्दोलन हुआ था, वह अंग्रेजों और परतंत्र भारत की जनता के बीच का वैचारिक टकराव था। क्रिप्स योजना के असफल हो जाने तथा क्रिप्स के द्वारा कांग्रेस को असफलता के लिए उत्तरदायी ठहराये जाने के परिणामस्वरूप भारतीयों को अत्यन्त निराशा हुई। इस योजना से यह स्पष्ट हो गया कि साम्प्रदायिक को आड़ बनाकर इंग्लैंड की सरकार भारत को स्वतंत्रता प्रदान नहीं करेगी। अतः भारतीय जनता में असंतोष की भावना तीव्र होने लगी।¹ अंग्रेजी सरकार और स्वतंत्रता-आन्दोलन के लिए संघर्ष करनेवाले भारतीय नेताओं के विचारों में टकराव होना स्वाभाविक ही था। स्वतंत्रता आन्दोलन के सूत्रधार महात्मा गाँधी को ऐसा प्रतीत हुआ कि सत्याग्रह की अहिंसात्मक नीति से भारत स्वतंत्र न हो सकेगा क्योंकि इसका तनिक भी प्रभाव अंग्रेजों पर पड़नेवाला नहीं है। ऐसी स्थिति में महात्मा गाँधी अपने विचारों और अपनी नीतियों में परिवर्तन के लिए विवश हुए। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने गाँधीजी से सहायता मांगी जिससे भारतीय सैनिक उसके पक्ष में युद्ध करे। अंग्रेजी सरकार ने गाँधीजी को आश्वासन दिया कि युद्ध के बाद वह भारत को स्वतंत्र कर देगी। मगर युद्ध समाप्ति के पश्चात् अंग्रेजी सरकार अपने द्वारा दिये गये आश्वासन से मुकर गयी और उसने भारतीय जनता को बहुत बड़ा धोख दिया। इस वैचारिक टकराव के चलते ही 1942 का अगस्त आन्दोलन हुआ। इस आन्दोलन को “भारत छोड़ो आन्दोलन” (Quit India Movement) भी कहते हैं,

क्योंकि अंग्रेजों की धोखेबाजी और चालबाजी को देखते हुए गाँधी जी ने उससे भारत छोड़ने की अपील की। महात्मा गाँधी ने अपने ‘हरिजन पत्र’ में लिखा था – “अंग्रेजों, भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, अपितु भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप में छोड़ जाओ।”² उन्होंने पुनः अपना वक्तव्य दिया – “भारत को भगवान के भरोसे छोड़ दो, यदि यह असम्बद्ध है तो उसे अराजकता के भंवर में छोड़ दो।”³ मगर अंग्रेजी सरकार ने गाँधी जी की एक न सुनी क्योंकि गाँधीजी के विचार उसे अच्छे न लगे। इस वैचारिक टकराव के कारण अंग्रेजी सरकार और अधिक सख्त हो गयी। उसने हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच विभेद उत्पन्न कर इस आन्दोलन को असफल बनाने में कोई कोर-कसर न उठा रखी। विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गयी। यद्यपि स्कूल और कॉलेज के छात्रों, कृषकों तथा निम्नवर्गीय और मध्यवर्गीय लोगों ने इस आन्दोलन में जमकर भाग लिया तथापि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इस आन्दोलन से अपने को अलग रखा। भारतीय श्रमिकों का इस आन्दोलन में नाम मात्र का सहयोग था। भारतीय साम्यवादी दल एवं मुस्लिम लीग आन्दोलन का विरोध कर रहे थे और ब्रिटिश सरकार से मिलकर आन्दोलन को दबाने में सहयोग दे रहे थे।⁴ इस आन्दोलन ने बिहार, संयुक्त प्रांत और बंगाल में बड़ा ही उग्र और हिंसात्मक रूप धारण कर लिया था, मगर दक्षिण भारत, पंजाब, सिन्ध, राजस्थान, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में इसका प्रभाव कम देखा गया। अंग्रेजी सरकार ने इस आन्दोलन को बड़ी ही क्रूरता और निर्दयता से कुचलने का प्रयास किया। कम्युनिस्ट, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के वैचारिक टकराव के चलते ही यह आन्दोलन पूर्णरूपेण तो सफल नहीं हो सका, मगर आंशिक रूप से अवश्य सफल रहा क्योंकि इससे सम्पूर्ण देश की जनता में एकता की भावना का उद्रेकीकरण हुआ और जागृति आई। लोग देश को स्वतंत्र करने के लिए कटिबद्ध हो गये। भारतीयों के प्रति अंग्रेजों के दुर्व्यवहार को देखते हुए पंडित जवाहर लाल नेहरू ने लिखा – “सभी परम्पराएँ और छल-कपट जो साधारणतया शासन के कार्यों को ढँके रहते हैं, दूर कर दिये गये हैं और केवल नग्न शक्ति सत्ता का प्रतीक बन गयी।⁵ कतिपय वैचारिक टकराव के बावजूद भारत छोड़ो का आन्दोलन प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 ई. को वर्धा में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने पारित कर दिया। इस प्रस्ताव में यह घोषणा की गयी थी कि “भारत में ब्रिटिश-शासन का तुरन्त अन्त होना चाहिए। यह भारत तथा मित्र देशों की सफलता के लिए आवश्यक है।

एम. ए. (इतिहास), शोध-छात्रा, बी. एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा

इस शासन के जारी रहने से भारत का निरंतर पतन हो रहा है और देश अपनी रक्षा के लिए कमजोर होता जा रहा है। फासीवाद के विरुद्ध सफलता पुराने उद्देश्यों, नीतियों एवं उपायों से चिपके रहने से नहीं हो सकती। भारत की स्वतंत्रता से ही ब्रिटेन और मित्र राष्ट्रों को आंका जा सकता है। स्वतंत्र भारत इस सफलता को अवश्य प्राप्त कर सकेगा, क्योंकि यह अपने सभी साधनों को स्वतंत्रता के लिए तथा फासीवाद, नाजीवाद और साम्राज्यवाद के आक्रमणों के विरुद्ध लगा देगा। पराधीन भारत ब्रिटिश साम्राज्य का चिह्न बना हुआ है, अतः अखिल भारतीय कांग्रेस समिति अत्यधिक जोरदार शब्दों में अंग्रेजों को भारत से हट जाने की मांग दोहराती है तथा इसे मानने के लिए ब्रिटेन व मित्र राष्ट्रों से पुनः अपील करती है।⁶

आन्दोलन आरम्भ करने के पूर्व गाँधी जी ने पत्र के माध्यम से इसकी सूचना वायसराय को दी और उनसे मिलने का भी प्रयास किया। मगर 9 अगस्त 1942 को ही महात्मा गाँधी समेत पंडित जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभि सीतारमैया, आचार्य जे. बी. कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, आसफअली, अबुल कलाम आजाद, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद आदि, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे देश की जनता भड़क उठी, गाँधीजी ने देश की जनता को 'करो या मरो' (क वत क्पम) का मंत्र दिया था। फिर तो अनेक स्थानों पर हिंसा की आग भड़क उठी। प्रो. अम्बा प्रसाद ने अपनी पुस्तक "दि इंडियन रिवोल्ट ऑफ 1942" में लिखा है कि

इस आन्दोलन में पुलिस ने 538 बार गोलियाँ चलायी तथा कम-से-कम 7000 व्यक्ति मारे गये तथा 60,229 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। गैर-सरकारी सूत्रों के अनुसार मरनेवालों की संख्या 10,000 से 40,000 के मध्य थी।⁷ इस आन्दोलन को लेकर कांग्रेस से मुस्लिम लीग का वैचारिक टकराव था। कम्युनिस्ट दल ने भी इस आन्दोलन का समर्थन न किया। इतना ही नहीं, ईसाइयों और अकालियों ने तो इसका विरोध किया ही, सबसे अधिक विरोध भीमराव अम्बेदकर ने किया।

इस प्रकार विभिन्न दलों और नेताओं की वैचारिक टकराव के चलते यह आन्दोलन पूर्णतः सफल न हो सका। जयप्रकाश नारायण ने इस आन्दोलन की तुलना फ्रांस तथा रूस में हुई क्रांति से की।

वैचारिक टकराव और आन्दोलन के असफल होते हुए भी इस आन्दोलन का महत्व कम न था क्योंकि इसने स्वतंत्रता संग्राम की एक दृढ़ पृष्ठभूमि तैयार कर दी। इसके महत्व की ओर इंगित करते हुए डॉ. ईश्वरी प्रसाद का कथन है कि

"The August Revolution was a revolt of the people against tyranny and oppression and can be compared with the fall of bastille in the history of france or the October Revolution of Russia. It is as Symbolic of a new confidence and a new stabure that the people had attained."⁸

अर्थात् यह अगस्त क्रांति निरंकुशता तथा अत्याचार के विरुद्ध जनता का

विद्रोह था। इसकी तुलना फ्रांस में बास्तील के पतन तथा रूस में अक्टूबर क्रांति से की जा सकती है। यह जनता में उत्पन्न एक नवीन विश्वास का द्योतक थी।

जो भी हो, इतना तो मानना ही होगा कि प्रत्यक्ष रूप से असफल होने के बावजूद भी यह आन्दोलन इस अर्थ में महत्वपूर्ण था कि इसने सम्पूर्ण भारत की जनता को एकता के सूत्र में बाँध दिया और जन-जन के मन में स्वतंत्रता की अलग जगाई।

इस प्रकार उपरिलिखित तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि सन् 1942 के आन्दोलन का परिप्रेक्ष्य विविध विलक्षण विषमताओं से युक्त तो था ही, वैचारिक टकरावों का शिकार भी रहा, इसका मूल्यांकन जब हम करते हैं तो इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उन दिनों राष्ट्र-हित की दृष्टि से इसका बढ़ा ही अधिक महत्व रहा।

संदर्भानुक्रमः

1. डॉ. ए. के. मित्रल - भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, प्र. सं., साहित्य भवन, हॉस्पिटल रोड, आगरा, पृ. सं. 648-49.
2. सं. महात्मा गाँधी - हरिजन, साप्ताहिक पत्र अगस्त 1942.
3. उपरिवत् जुलाई 1942.
4. डॉ. अखिलेश्वर कुमार
डॉ. रामनन्दन कुमार - भारत का इतिहास, च. सं., साइंटिफिक बुक कंपनी, अशोक राजपथ, पटना, पृ. सं. 286-87.
5. Jawaharlal Nehru - The Discovery of India, Page No. - 502.
6. Prof. Amba Prasad - The Indian Revolt of 1942, Page No. - 502.
7. Dr. Ishwari Prasad - History of Modern India, Page No. - 502.
8. उपरिवत्, पृ. सं. 458.



ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास

डॉ. कंचन माला

जैसा कि भारत में ब्रिटिश शासन के अधिकांश विद्वानों ने ध्यान दिया, भारत में ब्रिटिश की भौतिक उपस्थिति महत्वपूर्ण नहीं थी। लगभग दो शताब्दियों तक ब्रिटिशों ने उपमहाद्वीप के दो तिहाई भाग पर प्रत्यक्ष शासन किया और शेष एक तिहाई राजाशाही प्रदेशों पर वे पूरा प्रभाव रखते थे। बांटो और जीतो की नीति का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया। भारत में ब्रिटिश शासन का एक महत्वपूर्ण पक्ष था कि भारत के समाज में एक वर्ग विशेष को मनोवैज्ञानिक शिक्षा देना एवं उसे आदर्श ब्रिटिश प्रजा होशियारी से बनाना। भारतीय समाज के इस अंग्रेजी पढ़े वर्ग को अपने आपके और अपनी जन्मभूमि के मूल्यों और सिद्धांतों को अवशोषित करने के लिए चतुराई से उत्साहित करना जो भारत में ब्रिटिश कब्जे के लिए प्रेरक हो और भारत की वास्तविक संपदा की लूट और उसके मेहनतकशों के शोषण करने में सहायक हो।

1835 में, थामस मैकाले ने बहुत बढ़िया ढंग से ब्रिटिश उपनिवेशिक साम्राज्यवाद के उद्देश्यों को स्पष्ट किया: “हमें एक ऐसे वर्ग को बनाने की भरसक कोशिश करना चाहिए जो हमारे और जिन पर हम शासन करते हैं, उन लाखों लोगों के बीच दुभाषिया हो सके, एक वर्ग जो खून और रंग में भारतीय हो परंतु स्वाद में, राय में, भाषा और बुद्धिमानी में, अंग्रेज हो।” भारत में उपनिवेशिक ब्रिटेन की शिक्षा नीति के रचयिता थामस मैकाले को वातावरण बनाना था कि शिक्षित भारतीय अपने खुद के, अपनी संस्कृति के, ब्रिटेन तथा चारों ओर की दुनिया के संबंध में क्या दृष्टिकोण रखेंगे। घोर जातिवादी थामस मैकाले के पास भारतीय इतिहास और संस्कृति के लिए निंदात्मक घृणा को छोड़ कुछ भी न था। 1835 के अपने एक बदनाम विवरण में लिखा कि: “उनमें एक भी (प्राच्यविदों के

बारे में बोलते हुए एक विरोधी राजनैतिक कथा) ” नहीं मिला जो इस बात को झुठला सके कि एक अच्छे यूरोपियन पुस्तकालय का एक सेल्फ भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर मूल्यवान था। “यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि संस्कृत में लिखीं पुस्तकों में से इक्ठौ की गई ऐतिहासिक सूचनायें कम मूल्यवान हैं अपेक्षाकृत इंग्लैंड की प्राइमरी स्कूल में उपयोग लाये जाने वाले तुक्ष्य संदर्भों को।”

भारतीय सभ्यता के लिए निर्लज्ज घृणा के विपरीत उपनिवेश पूर्व की यूरोपियन रचनाओं में हमें भारत के उज्ज्वल संदर्भ, स्वामी विवेकानंद द्वारा उद्धृत, मिलते हैं: “समस्त इतिहास भारत को कला और विज्ञान की मां कहता है” विलियम मैकिन्टोश ने लिखा: “यह देश प्रचीनकाल से अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए इतना अधिक जाना जाता था कि ग्रीस के दार्शनिक अपनी उन्नति के लिए यहां की यात्रा की उपेक्षा नहीं करते थे।” फ्रांसीसी प्रकृतिवादी पीयर सॉनेअत् ने राय प्रकट की: “हम भारतीयों के बीच भूतकाल के सबसे प्राचीन अवशेष पाते हैं ... हम जानते हैं कि यहां सभी लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं ... भारत ने अपने वैभव में दूसरे सभी लोगों को नियम और धर्म दिए ... नीति कथाओं और बुद्धिमत्ता, दोनों के लिए, ईजिप्ट और ग्रीस उसके ऋणी हैं।”

परंतु उपनिवेशी शोषण ने अपने मालिकों के लिए नयी विधियां पैदा कीं। अब यह ईमानदारी से नहीं माना जा सकता था कि भारत की अपनी समृद्ध संस्कृति थी, उसके दार्शनिक और वैज्ञानिक योगदान ने यूरोपियन विद्वानों को प्रभावित किया था या यूरोपियन पुनर्जागरण की शकल बनने में सहायक हुआ था। ब्रिटिश को अपने तरह के विनीत और आज्ञाकारी बुद्धिमानवर्ग की आवश्यकता थी जो अपने सहनागरिकों के प्रति घृणा से आपूरित हों। इसलिए यह महत्वपूर्ण था कि भारतीय परंपराओं के नकारात्मक पहलुओं को उभारा तथा सकारात्मक पहलुओं को नष्ट और धुंधला किया जाये। भारतीयों को शिक्षित किया जाना था कि वे गूढ़ और अनुवांशिकरूप से रूढ़िवादी और भाग्यवादी लोग थे, अविवेकी अंधविश्वासों से आवृत थे और उनके पास राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय भावना या इतिहास नहीं था। यदि उनके पास कोई संस्कृति थी तो वह आक्रमणकारियों द्वारा लाई गई थी। उनमें स्वतः प्राप्त करने की शक्ति का अभाव था। दूसरी ओर, ब्रिटिश ने आधुनिकता का सार प्रस्तुत

सहायक शिक्षिका, राजकीय मध्य विद्यालय, भरथौली, औरंगाबाद

क्रिया: दुनिया में जो कुछ बौद्धिक और वैज्ञानिक था उसके वे ही अग्रदूत थे। उनकी अद्वितीय संगठनात्मक क्षमता और दृढ़ इच्छाशक्ति भारत को जातिवाद और धार्मिक कट्टरता के दलदल से उपर खींच लेगी। ये और ऐसे दूसरे विचार, ब्रिटिश स्कूलों में शिक्षा पाने वाले युवा भारतीयों के दिमाग में भरे जाते थे।

सभी चेतन और अर्धचेतन तरीकों से ब्रिटिश दलालों ने भारतीय मानस पर बलात्कार और विजय की यात्रा शुरू कर दी। उन वर्षों के दौरान जे. एन. फरकुआ, मैकाले का समकालीन, ने लिखा था: “भारत में सरकार की नई शिक्षा नीति ने इन वर्षों में एक आधुनिक शिक्षितवर्ग बना डाला। ये वे आदमी हैं जो आदतन अंग्रेजी में सोचते और बोलते हैं, जो ब्रिटिश साम्राज्य के नागरिक होने में गर्व करते हैं, जो अंग्रेजी साहित्य को समर्पित हैं और उनकी बौद्धिक जिंदगी पश्चिम के विचारों के द्वारा पूरी तौर पर निर्मित की गई है। वे बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी में प्रवेश करते हैं और बच गए लोग शिक्षा, चिकित्सा, और विधिशास्त्र या पत्रकारिता का पेशा अपना लेते हैं।”

मैकाले की चालबाजी को इससे अधिक और क्या लाभ हो सकता था कि चार्ल्स ई. ट्रेविलान जो मैकाले का रिस्तेदार था, ने कहा: “हमारे साहित्य के द्वारा हमसे अंतरंग भारतीय युवाओं ने हमें विदेशी समझना लगभग समाप्त कर दिया है। हमारे समान वे उत्साह से “महान” आदमियों के बारे में बोलते हैं। उसी ढंग से शिक्षित, उन्हीं चीजों में रूचि लेते हैं। हमारे साथ उन्हीं अनुशरणों में संलग्न हो गए हैं और वे हिंदू की अपेक्षा अंग्रेज ज्यादा हो गये हैं। बस

वैसे ही, जैसे कि देहाती रोमन, गाल्स या इटालियन की अपेक्षा, अधिक रोमन।”

वह सौम्य प्रक्रिया नहीं थी परंतु ब्रिटिश उपनिवेशिक हितों के साथ करीब से संबंधित थी। चार्ल्स ई. ट्रेविलान ने सिलेक्ट कमेटी ऑफ हाउस ऑफ लार्ड्स आन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडियन टेरीटरी के सामने पूरी तरह खुलकर 23 जून, 1853 में जिक्र किया: “... यूरोपियन शिक्षा में प्रशिक्षित होने का असर देशी दिमाग को पूरी तरह से नया मोड़ देने में है। इस तरह से शिक्षित युवा लोग देशज आदर्श के लिए स्वतंत्रता की कोशिश करना बंद कर देते हैं और संवैधानिक स्वशासन की स्थापना के अंतिम प्रतिफल के साथ देश के निकायों को इंग्लिश आदर्शों के अनुरूप उन्नत करने का ध्येय मानने लगते हैं। वे हमें दुश्मनों और अनाधिकारियों की तरह मानना बंद कर देते हैं। हमें दोस्त एवं संरक्षक और बलवान परोपकारी लोगों की तरह देखने लगते हैं, जिनके संरक्षण में उनके देश का पुनर्जन्म धीरे-धीरे किया जा सकता है ...।”

वास्तव में, भारत के मानस का अधिकांश शिक्षण, कक्षाओं के बाहर ब्रिटिश साहित्य के विक्रय से हुआ और अंग्रेजी शिक्षित भारतीयों ने ब्रिटिश उपन्यासों और लोकप्रिय विषयों की रचनाओं के लिए अतशुभ भूख पैदा कर ली थी। 1846 में, एडनबर्ग फिलॉसोफिकल सोसायटी के सामने भाषण में थामस बेबिंगटन, 1800-1859, जो बाद में मैकाले के नाम से जाने गए, ने शुभकामनाओं के जाम पर प्रस्ताव रखा: “ब्रिटेन के साहित्य के लिए ... जिसने, व्यापार में विस्तार का असर

और अस्त्रशास्त्र की शक्ति की तुलना में, अधिक शक्तिशाली प्रभाव डाला .. . जिसकी रोशनी के पहले नास्तिक और क्रूर अंधविश्वास गंगा के तटों पर तेजी से उड़ानें भरते थे!”

इतने पर भी, अंग्रेजी में लिखीं किताबों के माध्यम से भारतीय सोच को प्रभावित करने से ब्रिटिश संतुष्ट नहीं थे। इस भय को समझते हुए कि भारतवासी संस्कृत के माध्यम से अपनी सही धरोहरें खोज लेंगे, विलियम करे जैसे क्रिश्चियन मिशनरियों ने ब्रिटिश अध्यापकों को संस्कृत सीखने तथा उपनिवेशिक हितों के अनुकूल ग्रंथों की व्याख्या और प्रतिलिपि बनाने की जरूरत का अनुमान कर लिया था। रिचर्ड फॉक्स यंग द्वारा उद्धरण में करे के पूरी तरह से धोखेबाज उद्देश्यों को उभार दिया: “जो इस विधि छले गए उनका ध्यान पाने के लिए यह आवश्यक था कि वे विश्वास करें कि वक्ता ही विषय का महान ज्ञानी है। इस दशा में संस्कृत का ज्ञान मूल्यवान है। इस प्रकार एक भ्रमित व्यक्ति, संभवतया एक ब्राम्हण, इसे ज्ञान का सबसे महत्वकारी हिस्सा मानता है। यदि सच की वकालत करने वाला अधूरा हो तो वह पहाड़ के विरुद्ध लड़ता है: धारणा पूरी तरह उसके विरुद्ध है।”

भारत की संस्कृति और इतिहास की जानकारी उपनिवेशिक सिद्धांतकारों के हाथों छली गई। भारत के घरेलू और विदेशी नजरिये का निरूपण उन लेखकों के द्वारा किया गया जिनका भारत की सभी वस्तुओं के बारे में अर्धचेतन पक्षपात या खुला जातिवाद था। उदाहरण के लिए विलियम करे (जो दुखी इस बात से था कि उसके सर्वोत्तम प्रयास के बाद भी कैसे इतने कम भारतवासी क्रिश्चियन

बने) भारतीय परंपराओं के लिए बहुत कम आदर या संवेदना रखता था। अपने खतों में से एक में उसने भारतीय संगीत को “वीभत्स” बतलाया यह कहते हुए कि “ईश्वर के लिए अनादरयुक्त कर्म है”। चार्ल्स ग्रांट जो उपनिवेशिक धर्मगुरुओं के दायरे में भारी प्रभाव रखता था, 1797 में, अपनी “आबजर्वेंशंस” 1797, जिसमें उसने भारतीय समाज के लगभग सभी पहलुओं पर आक्रमण किया, ने प्रकट किया कि नैतिक तौर पर भारतीय भ्रष्ट हैं-“अच्छे विश्वास, ईमानदारी और सत्य से रहित” (पृष्ठ 103)। ब्रिटिश गवर्नर जनरल कार्नवालिस ने मूल्यांकन किया: “मैं वस्तुतः विश्वास करता हूँ, हिंदुस्तान का प्रत्येक देशज भ्रष्ट है।”

विक्टोरियन लेखक और अपने समय का महत्वपूर्ण कला आलोचक, जॉन रस्किन ने भारतीय कला को घृणा से अस्वीकार किया: “... भारतीय राक्षसी चीजों को छोड़, प्रकृति का चित्र नहीं बनाता, प्रकृति के रूप और सत्य का हठधर्मी और दृढ़ता से वह विरोध करता है। वह आदमी का नहीं वरन् एक आठ हाथों वाले राक्षस का चित्र बनाता है; वह फूल का नहीं वरन् एक आड़ेटेड़े कुंडली का चित्र बनाता है।” एक दूसरे, जार्ज वर्डबुश, जिसने भारतीय साजसज्जा की कला में थोड़ी रूचि ली थी, ने राय प्रकट की: “... भारत में चित्रकारी और मूर्तिकला ललित कला के सदृश्य नहीं होती”।

बहुत से यूरोपियन और ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत को अनेक शताब्दियों तक एक प्रगतिहीन सांस्कृतिक समाज की तरह से पेश किया। विलियम जॉंस ने मूल्यांकन किया कि हिंदू समाज

इतने समय तक स्थिर रहा कि “आज के हिंदू को देखने से लगता है-हम भूतकालीन हिंदुओं को देख रहे हैं।” जेम्स मिल, “हिस्ट्री ऑफ इंडिया” 1818 के तीन खंडों के लेखक, हेनरी मैन के समान, विलीयम जॉंस से सहमत थे। इस दृष्टिकोण से, भारत एक परिवर्तनविहीन समाज था जहां बौद्धिक बहस या तकनीकी नवीनतायें नहीं थीं, जहां अपरिवर्तनीय गूढ़ जाति प्रथा थी, जहां वर्ग संघर्ष या सामाजिक हलनचल सुनायी नहीं देती थी, खासकर, उपनिवेशिक काल के यूरोपियन शोधकर्त्ताओं और विद्वानों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया था।

हीगल जैसे प्रभावशाली दार्शनिकों ने मानवजाति केंद्रित और स्वयंसेवा के उपनिवेशन के औचित्य को स्वीकारने का मौका दिया। तर्क किया कि यूरोप ‘दुनिया के इतिहास का निश्चितरूप से अंत’ था, उसने एशिया को ऐतिहासिक शुरूआत की तरह से देखा जहां इतिहास जल्दी ही ठहर गया। “भारतीय विद्वता की प्राचीनता में हम पहले की तरह विश्वासकर संतोष पाते थे और उसका आदर करते थे। भारत के महान ज्योतिष संबंधी कामों से रूबरू होने पर हमने अब सुनिश्चित कर लिया है उसके उद्धृत आंकड़ों की अशुद्धता का। इससे अधिक भ्रामक कुछ भी न होगा, कोई भी अधिक अपूर्ण न होगा अपेक्षाकृत भारतीयों की तिथिकी के। गणित, खगोलविज्ञान आदि में संवर्धन प्राप्त लोग, इतिहास के लिए इतने अयोग्य हैं, जिनमें उनकी सामंजस्यता और दृढ़ता नहीं है”। भारत के बारे में विकृत नजरियों से तर्क करने का यह एक छोटा कदम था कि “ब्रिटिश या बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी

भारत के स्वामी हैं क्योंकि एशियन साम्राज्यों का विनाशक भाग्य योरोपियनों के आधीन होने का है।”

अफ्रीकनों के विवरणों में हीगेल का जातिवादी मत साफ-साफ उजागर होता है: “यह युगों के लिए चारित्रिक है कि उनकी चेतना वस्तुपरकता के सहजज्ञान तक नहीं आ पाई है; उदाहरण के लिए, ईश्वर या कानून जिसमें मानवता दुनिया से संबंध बनाती और सारत्व से सहजज्ञान पाती है। ... वह काला आदमी अनगढ़ता में मनुष्य प्राणी है।”

इन्हीं विचारों ने जर्मन लेखकों जैसे मैक्सवेबर के दृष्टिकोणों को ढाला। वह अपनी “दी प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड दी स्प्रिट ऑफ कैपिटलिज्म” 1930 के लिए प्रसिद्ध था। भारतीय धर्म और दर्शन के अपने ब्यौरों में “भौतिक त्याग” और “दुनिया के नकारक लक्षण प्रमुखता” पर विशेष ध्यान दिया। उसने वैज्ञानिक परिमंडल और विवेकपूर्ण विश्लेषण जिनसे भारतीय विचार सराबोर हैं, की संपन्न धरोहरों की उपेक्षा की। वेबर ने पूर्व में बौद्धिक सिद्धांतों के होने पर ध्यान ही नहीं दिया इस बात पर बल देते हुए कि भारत के: “वैज्ञानिक, कलात्मक, शासनात्मक, आर्थिक विकास ने पश्चिम में तर्कवाद की पद्धतियों को नेतृत्व नहीं दिया।” यह अज्ञान था या तंगनजरी जिसने उसके ये विचार गढ़े। ये विचार असरहीन नहीं थे और उदहारण थे यूरोप केंद्रीभूत अंतरधारा के जो उस समय के ब्रिटिश और यूरोपियन विद्वानों में व्याप्त थे।

स्वाभाविक तौर से ब्रिटिश शिक्षित भारतीयों ने अपने और भूतकाल के इन चरित्रचित्रणों को स्वीकारा और इनका स्वदेशीकरण किया। इस प्रकार के हास

से सबसे अधिक प्रभावितों में युवा गांधी थे। वे दक्षिण अफ्रीका में थे, जब उन्होंने जनरल स्मट्स से मिलना चाहा और वोवर युद्ध में दक्षिण अफ्रीका के भारतवासियों की सहभागिता का प्रस्ताव रखा। जनरल के साथ वार्तालाप में जैसा कि ब्रिटिश शिक्षा की नीति के परिणाम की आशा थी, गांधी उपनिवेशिक चाटुकार दिखे। “जनरल स्मट्स, सर, युद्ध में हम भारतीय सरकार के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं। पर हमारे प्रयासों को ठुकरा दिया गया है। क्या आप हमारे दोषों के बारे में बता सकेंगे जिससे हम सुधरें और इस भूमि के बेहतर नागरिक बन सकें !” जिसका जनरल स्मट्स ने उत्तर दिया: “मि. गांधी, हम आपके दोषों से नहीं डरते, हम आपके गुणों से डरते हैं।” अंततः गांधी धीमे और क्रमिक राष्ट्रीय परिवर्तन से गुजरे। प्रथम विश्वयुद्ध 1914 में, ब्रिटिश के युद्ध कार्यों के लिए उन्होंने प्रचार किया था और वे ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता के नारे के सबसे पीछे के राष्ट्रीय नेताओं में से एक थे। ब्रिटिश शिक्षित भारतीय पैथागोरस, आर्कीमिडीज, गेलेलिओ, और न्यूटन को जानते हुए परंतु पाणिनी, आर्यभट्ट, भाष्कर या भाष्कराचार्य को बिना जाने, बड़े हुए थे। तर्कशास्त्र और न्यायसूत्र, बौद्धों की बौद्धिकता या जैनों के जिज्ञासावादी दार्शनिक सिद्धांत, सामान्य तौर पर, उन्हें ज्ञात न थे। उन्हें भारतीय शास्त्रों में पाये जाने वाली प्रकृति की गतिशीलताओं के असंख्य उद्घुणों की जानकारी नहीं थी। उन्होंने होमर या डिकिंस को पढ़ लिया था परंतु पंचतंत्र, जातक कथायें या भारतीय आगम में से कुछ को भी नहीं पढ़ा था। पश्चिम के सौंदर्यशास्त्र और साहित्यिक मतों को

स्कूल में पढ़कर वे साहित्य एवं कलाओं में भारत के योगदान को स्वीकार करने में हिचकिचाते थे। जो पश्चिमी सभ्यता के लिए महत्वपूर्ण था वही विश्वैशिक माना जाता था। हर भारतीय चीज को पिछड़ी हुई और पुरावशेष की तरह नकारा जाता था या प्रकृति प्रदत्त अद्भुतता की मानिंद माना जाता था। पश्चिम शिक्षित भारतीय बहुत कम जानते थे कि “पश्चिमी विज्ञान और सभ्यता”, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधानों और खोजपूर्ण ग्रंथों की कितनी ऋणी थी। दिलीप के. चक्रवर्ती (कोलोनियल आईडिओलॉजी) स्थिति का सारांश करके बतलाते हैं: “भारत के भूतकाल के प्रतिरूप... पश्चिमी भारतविदों द्वारा भाषा, साहित्य और दर्शनशास्त्र की किताबों में, भारतीयों पर यह मत थोपा गया कि वे अपने सर्वोत्तम में सत्तावादी और सबसे बुरे में जातिवादी थे ...।”

प्रिया जोशी ने (कलचर एंड कंजप्शन, फिक्सन, दी रीडिंग पब्लिक एंड दी ब्रिटिश नॉवेल इन कोलोनियल इंडिया) सांस्कृतिक उपनिवेशन की घटना को विस्तार देते हुए लिखा: “बहुधा नयी शिक्षा पद्धति जो उपनिवेशित हो चुके हैं को अपने ही भूतकाल से अज्ञानी और परिचयहीन करती है। स्वदेशी इतिहास और रीतिरिवाज जो कभी मनाये या काम में लाये जाते थे, धीरे से दूर छिटक जाते हैं। उपनिवेशित दो विभिन्न संस्कृतियों के संकरण बन जाते हैं। उपनिवेशिक शिक्षा एक धुंधलका पैदा करती है जो थोपे गए उपनिवेशिकों के विचारों और स्वीकृत देशज रिवाजों के बीच अंतर करना कठिन कर देता है।”

निगुजी वा थोउंग ने (कीनिया

डीकॉलोनाइजिंग दी माईंड) उपनिवेशिक शिक्षा द्वारा अलगाववादी भावना पैदा करने पर गुस्सा जाहिर करते हुए मूल्यांकन किया कि वह प्रविधि: “... लोगों के अपने नामों में, उनके पर्यावरण में, संघर्ष की अपनी धरोहरों में, अपनी एकता में, अपनी क्षमताओं में और आखिरी तौर पर स्वयं में विश्वास को समाप्त कर देती है। वह उनके अपने भूतकाल को गैरउपलब्धियों वाली बंजर भूमि की तरह पेश करती और उससे दूरी बनाने के लिए कहती है। वह उन्हें उससे समरूप होने के लिए कहती है जो उनसे बहुत दूर हटा दिया गया है।

पश्चिम चले गए युवा भारतीयों को ऐसी सोच से संक्रमित करने के प्रयत्न जारी है। ब्रिटिश शिक्षित भारतीयों जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था की चेतना पर मानसिक असुरक्षा और अपहरण के तत्वों ने भी दबाव बनाया था। समकालीन शैक्षणिक समुदायों में विभिन्न झूठे सिद्धांतों का टपकना जारी है। जबकि कुछ लिखते हैं कि वैदिक युग के समय से भारतीय सभ्यता ने मूलगामी प्रगति नहीं की। कुछ दूसरों के लिए तो अशोक और गुप्ताओं की घड़ी “पुरातन युग” के साथ रूक गई। कुछ इस्लामी विद्वानों ने भारत में इस्लामिक राज्य के अधिक सकारात्मक नजरिये की स्थापना करते हैं। वे उपनिवेशिक विद्वानों से एक राय हैं कि इस्लामी शासन से पहले भारत सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर मृतप्रायः और तकनीकी तौर पर पिछड़ा था। भारतीय इतिहास के नजरियों के अध्ययन को अपना आधार बनाने वाले विद्वान भारत के नकारात्मक पहलुओं पर खास ध्यान केंद्रित करते हैं पर इन नकारात्मक पक्षों को ऐतिहासिक संदर्भ

में बैठा नहीं पाते। कुछ ने भारत की सामाजिक प्रथाओं और सांस्कृतिक गुणों की अन्य देशों की प्रथाओं और गुणों से गंभीर और वस्तुगत तुलना की कोशिश की। बहुधा भारतीय ऐतिहासिक विवरण की प्रतिकूलतापूर्वक तुलना उन यूरोपियन उपलब्धियों से कर दी जाती है जो, वास्तव में, अनेक शताब्दियों के बाद पैदा हुई थीं। स्वतंत्रता बाद के, भारतीय संस्कृति एवं इतिहास के बहुत से विद्वान, उपनिवेशिक प्रतिमानों से उभर नहीं सके। वे उपनिवेशिकता से प्रेरित सिद्धांतों में

ही जूझे रहे और ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत ही चलते रहे। कुछ विद्वान ब्रिटिश के मिथ्या वर्णन से सचेत और भारतीय विद्वानों के छिद्रन्वेशी मूल्यांकन से निराश होकर भारत के ऐतिहासिक तथ्यों के तार्किक विश्लेषण के बिना ही अतिवाद के दूसरे छोर पर चले गए। कुछ ने भारतीय इतिहास के कृत्रिम अतिवादी नजरियों से यहां तक कोशिश की कि भ्रांतियों और तथ्यों के बीच वे अंतर नहीं कर सके। गूढ़ जातिवादी पूर्वाग्रह प्रचलित होते रहे और पश्चिमद्वेष ने

पश्चिम की उपयोगी और सही संरचनाओं की संभावनाओं का परित्याग तक कर डाला। पश्चिम थोपित आर्थिक पद्धति और शोषणकारी ढांचा, भारतीय आर्थिक परिदृश्य को दबोचे रहा और प्रायः बिना किसी प्रश्न के, दोनों, स्वीकर किये जाते रहे।

संदर्भ सूची

- आधुनिक भारत का इतिहास, बी.एल. ग्रोवर
- भारतीय इतिहास, रमेश थापर



अंग्रेजों के काल में राजभक्ति पर दबाव

अमरेश कुमार भारती

19वीं शताब्दी के अंत के भारतीय विद्वानों को प्रभावित करने वाली राजनैतिक धाराओं पर राजभक्तों ने गहरी छाया डाली; तब भी, तेजी से खराब हो रही आर्थिक परिस्थितियों ने नए भारतीय बौद्धिक वर्ग ने उग्रसुधारवाद को प्रेरित किया था। अजितसिंह पंजाब में, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में, चिदम्बरम पिल्ले तामिलनाडू में, और विपिनचंद्र पाल बंगाल में ने नए राष्ट्रवादी आंदोलन के केंद्र स्थापित किए। और उन्होंने भारतीय नेशनल कांग्रेस के पुराने नेतृत्व को उग्रसुधारवादी दिशा में मोड़ने के साहसिक परंतु अधिकतर असफल प्रयास किए। नए नेताओं में सबसे अधिक चहेते बाल गंगाधर तिलक थे, जन्म 1856-मृत्यु 1920।

मुस्लिम लीग द्वारा मुस्लिम विरोधी की तरह चित्रित, भारत में औपनिवेशिक शासकों एवं ब्रिटिश राजभक्तों द्वारा “उग्रवादी” की तरह कलंकित और कुछ इतिहासकारों द्वारा हिंदू पुनरुत्थानी जातिवादी कहे जाने वाले तिलक, वास्तव में, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अगुवाई करने वाले ज्योति पुंजों में से एक थे। “स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है” के अपने नारे के लिए प्रसिद्ध वे ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता के आहावकों में से भी एक थे। उन्होंने “नरमपंथी” ताकतें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पर पिछली शताब्दी की शुरुआत से छाया रहीं थीं, के खिलाफ लम्बा और कभी-कभी अकेले ही राजनैतिक संघर्ष किया।

1858 की पराजय के पश्चात् वासुदेव बलवंत फडके के 1879 के विद्रोह के रूप में भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्ति के लिए सबसे बड़ी चुनौती प्रकट हुई और पूना में उनके समर्थक तथा शिक्षार्थी में, युवा तिलक थे। चिपलूकर, आगरकर और नामजोशी के साथ तिलक ने प्रारंभिक रूप से एक राष्ट्रीय साप्ताहिक-केशरी (1881) को शुरू किया। किताबखाना प्रकाशक और भारतीय शिक्षण संस्था जैसे कि “दक्खिन एजुकेशन सोसायटी” (1884) को स्थापित करने

पर ध्यान केंद्रित किया। राष्ट्रीय पुनरुत्थान के लिए सही प्रकार की शिक्षा को एक अतिआवश्यक तत्व की तरह तिलक और उनके साथियों ने देखा। इसी संलग्नता में दोनों, ज्योतिराव फुले (1827-1890) और गोपालराव देशमुख में (1823-1892) जो अपने “लोक हितवादी” के उपनाम से अधिक जाने गए थे, उक्त परंपरा आगे बढ़ी थी।

महाराष्ट्र के 19वीं शताब्दी के समाजवादी क्रांतिकारियों के अग्रणी पंक्ति में फुले और उनकी पत्नि सावित्री बाई ने हिंदू समाज में जाति, लिंग और धर्म की समानता के आधार पर मूलभूत पुनर्गठन की वकालत की थी। फुले माली जाति के थे। वे ब्राह्मणवादी समाज की जो शूद्र जाति को हेय दृष्टि से देखते थे, अछूत जाति को स्कूल जाने से रोकते थे और जवान विधवाओं (खासकर ब्राह्मण विधवाओं) से जाति बहिष्कृतों जैसा व्यवहार करते थे, आलोचना में तीखे थे। लड़कियों के लिए स्कूल शुरू करने वालों में से एक थे फुले (1848)। फुले ने अछूतों के लिए पहली स्कूल की स्थापना 1851 में की थी, 1863 में जवान विधवाओं के लिए घर और अछूत महिलाओं के लिए कौटुम्बिक कुआं 1868 में शुरू करने में भी वे पहले थे। महाराष्ट्र में उच्च जातियों से समाज सुधारक आये जैसे कि गोपालराव देशमुख जो यद्यपि चितपावन ब्राह्मण थे पर ब्राह्मण समाज के घोर आलोचक थे। वे शुरुआत में मध्यमवर्ग के सुधारवादी संगठनों एवं उनके कार्यकलापों के माध्यम से काम करते रहे जैसे प्रस्थान समाज एवं आर्य समाज के जातिवादी असमानता विरोधी संघर्ष में।

लेकिन तिलक के कुछ सहयोगी फुले और देशमुख (लोक हितवादी) की तरफ अच्छा दृष्टिकोण नहीं रखते थे। फुले की आलोचना में खासकर चिपलूकर तीखे थे। दूसरी ओर, तिलक सामाजिक परिवर्तनों की आवश्यकता के लिए असहमत नहीं थे और वे बाल विवाह, जातिवाद और छुआछूत जैसी बुराईयों के विरोधी थे। बहुत वर्षों बाद (1918 में बंबई के एक सम्मेलन में) उन्होंने घोषणा की “यदि भगवान छुआछूत को स्वीकार करता होता तो मैं उसे भगवान स्वीकार नहीं करता।” तब भी, वे सामाजिक सुधारों को राजनैतिक संघर्ष के उपर रखने के विरोधी थे। वे यह विश्वास करते थे कि सामाजिक सुधार शनैः शनैः जनगण की चेतन विचारों के

विकास के द्वारा आते रहना चाहिए बजाय विदेशी सरकार के वैधानिक अधिकार के। वे इस बात में दृढ़ विश्वास रखते थे कि देश जब तक राजनैतिक तौर पर स्वतंत्र नहीं है, उसमें गुणात्मक सुधार संभव नहीं। वह नरमपंथी “सुधारकों” या राजभक्तों के खास आलोचक थे जो अपनी ही बातों पर अमल नहीं करते थे परंतु बारबार समाज सुधारों का विरोधी कहकर उनको पीड़ा पहुंचाते थे।

चिपलूकर के संकीर्ण धार्मिक पुनरूत्थानवादी ढांचे में और आगरकर जैसे मूलगामी सामाजिक सुधारों में वे अपने को संलग्न नहीं कर सके। अंततः 1888 में तिलक ने सहयोगियों सहित अपना रास्ता अलग कर लिया। केशरी के माध्यम से काम करते हुए (और बाद में “मराठा” भी) उन्होंने धीरे-धीरे राष्ट्रीय शिक्षा के स्तंभों पर आधारित ज्यादा प्रखर राष्ट्रीय दृष्टिकोण पैदा किया: “स्वराज” और “स्वदेशी” की। भारतीय जनगण में राष्ट्रीय संदेश ले जाने वालों में से एक, उन्होंने 1897 के दुर्भिक्ष के दौरान पश्चिमी महाराष्ट्र के किसान और दस्तकार समुदायों के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका “सार्वजनिक सभा” के अंतर्गत अदा की। 1905 तक, महाराष्ट्र एवं बंगाल में आम प्रतिरोधक आंदोलन इस आहावन के साथ उठ खड़े हुए थे कि ब्रिटिश सामानों का उपयोग न किया जाये और भूमिकर एवं अन्य करों का भुगतान भी न किया जाये। 1905 और 1908 के बीच राष्ट्रीय आंदोलन गहन हुआ। कामगारों ने काम रोको और हड़तालों में हिस्सेदारी की, महिलाओं और विद्यार्थियों बहिष्कार आंदोलन से जुड़े और आयातित माल बेचने वाली दुकानों पर धरने दिए। आम आदमियों ने भारी मात्रा में सभाओं और जुलूसों से जुड़ना प्रारंभ कर दिया।

देश पर ब्रिटिश शासन द्वारा लाये गये आर्थिक विनाश को जानते हुए भारत की विशाल जनता राष्ट्रीय आहवानों में उत्सुकतापूर्वक सहयोग कर रही थी। परंतु राष्ट्रीय आंदोलन दो मूलभूत विभिन्न धाराओं एवं प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हुए तेजी से विभक्त हो रहा था। जबकि एक हिस्सा विदेशी शासन के अनेक नकारात्मक पहलुओं को जानते हुए, नाभी नाड़ी की तरह जुड़ा हुआ था और राजनैतिक परिवर्तनों के संघर्ष को रोकने का प्रयत्न करता था और दूसरा पक्ष ने सही रूप से ब्रिटिश शासन को भारतीयों के विनाश की तरह देखा और औपनिवेशिक शासन से पूरी तरह से स्वतंत्र होने का नारा दिया।

नए और लगातार बढ़ते हुए लड़ाकू राष्ट्रीय आंदोलन की भावनाओं के सार को तिलक सारगर्भित ढंग से प्रस्तुत करते रहे। वे कहते रहे कि ब्रिटिश शासन ने व्यापार को नष्ट किया, उद्योगों को ध्वस्त किया और जनता की योग्यताओं एवं साहस को नष्ट कर दिया। तिलक ने मूल्यांकन किया कि ब्रिटिश शासन ने न जनता की राय का आदर किया, न उन्हें शिक्षा दी गई, न ही अधिकार। समृद्धि और संतोष के बिना भारतीय जनता तीन “द” सहती रही—*दरिद्रता, दुर्भिक्ष और दोहना*। उन्होंने भारतीय जनता के लिए अपने हाथ में राजनैतिक सत्ता को लेने का एक मात्र उपाय देखा जिसके बिना भारतीय उद्योग पनप नहीं सकते थे, देश के नवजवान शिक्षित नहीं हो सकते थे और जिसके बिना देश अपनी जनता के लिए न तो समाज सुधार और न ही भौतिक सुख प्राप्त कर सकता था। तिलक ने औपनिवेशिक शासन को भारत की उन्नति में भारी रोड़ा पाया एवं भारतीय जनता और ब्रिटिश आतातायियों के बीच के विरोधों को गैर समन्वयात्मक पाया।

1905 में कांग्रेस के अध्यक्ष गोखले जैसे “नरमपंथी,” भारत में ब्रिटिश उपनिवेशन कैसे “दुखद” था और ब्रिटेन को भारत का आर्थिक बहाव कैसे “भारतीय खून का रिसाव” था को जानते हुए भी ब्रिटिश शिक्षा पद्धति की प्रशंसा कर रहे थे। ब्रिटिश के उदारपंथी “सामाजिक सुधार”, शासकीय “शांति और कानून” और आधुनिक सुविधायें जैसे रेलवे, डाक एवं तार और नए औद्योगिक उपकरण का वे बखान करते। इन सबने एक छोटे से भारतीय उच्च वर्ग को ही लाभ पहुंचाया। साम्राज्य इन प्रशंसकों की कतई परवाह नहीं करते दिखलाई पड़ते थे। उन्हें यह ध्यान ही नहीं आया कि स्वराज के अंतर्गत इस सब से कई गुना अधिक हम बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते थे।

भारतीय सत्यता को तिलक और गोखले स्पष्ट तौर पर अलग-अलग दो नजरियों से देख रहे थे। सामान्य जनसमूह के नजरिये से ब्रिटिश शासन ने देश को कंगाल बना दिया, उसके लिए असहनीय दरिद्रता थी और भविष्य की कोई आशा शेष नहीं रह गई थी। तिलक के मूल्यांकन में कठोर सत्य झलकता था जैसा कि न केवल उत्पीड़ित और पददलित भारतीय जनगण ने अनुभव किया था बल्कि भारतीयों के अधिकांश ने भी अनुभव किया था। परंतु गोखले के उभयमुखी एवं चिंतनीय सरोकारों ने साम्राज्य की लूटों के हिस्सेदारों की स्थिति की झलक बतलाई। चिंताओं से उनकी स्थिति झलकती है परंतु कुछ घबराहट के साथ देखा था कि कैसे देश की बढ़ती हुई दरिद्रता ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ देगी। गोखले जैसे जनता के हितों के अनिच्छुक “नरमपंथी” ने अपनी शक्ति भर बढ़ते हुए राष्ट्रीय आंदोलन को रोका, यहां तक कि तिलक और उनके सहयोगियों

को “अतिवादी” शब्द से कलंकित किया।

ब्रिटिश ने पूरे तौर से इस फूट का फायदा उठाया और नए राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने में अपने पूरे प्रशासनिक दबाव और सैन्यशक्ति को लगाना शुरू किया। मूलभूत परिवर्तनवादी झुकावों को खत्म करने की लड़ाई में मुस्लिम लीग जैसी सामप्रदायिक ताकतों को भी लगा दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा निर्धारण के लिए 1905-1908 के वर्ष अत्यंत कठिन थे। भारतीय जनगण तिलक और उनके समर्थक की ओर दिशा निर्देशन के लिए ताक रहे थे। परंतु देश के चहुं ओर विद्यार्थी, कामगार और भारतीय किसान वर्ग के सीधे विरोध में उच्च वर्ग अपनी ब्रिटिश राजभक्ति को दुहराता रहा था।

पंजाब में ध्रुवीकरण खासकर तेज था। किसान वर्ग में बहिष्कार आंदोलन गहरे तक पैठ चुका था और ब्रिटिश सैन्य टुकड़ियों को कुलियों और गरीब किसानों से संभार तंत्रीय मदद मिलना कठिन हो गया। ब्रिटिश भूमिकर नीति के विरोध में उठ खड़े सिख और जाट किसान मजदूरों का मजबूती से राजनीतिकरण होने लगा। पंजाब में तिलक के करीबी सहयोगी अजितसिंह ने पंजाब की जनता से धर्मनिरपेक्ष अपील ब्रिटिश के विरुद्ध उठ खड़े होने के लिए की थी: “हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिपाही भाई-हम सब एक हैं। सरकार तो हमारे सामने धूल भी नहीं है ... तुम्हारे पास डरने के लिए क्या है? ... हमारी संख्या विशाल है। सच है उनके पास बंदूकें हैं परंतु हमारे पास मुट्ठियां हैं ... प्लेग से और अन्य बीमारियों से मर रहे हो तब ज्यादा अच्छा होगा मातृभूमि के लिए तुम अपने आप को बलिदान कर दो। हमारी ताकत एकता में है ...”।

रावलपिंडी अप्रैल 21, 1907 के एक भाषण से उद्धृत।

मई 1, 1907 को रावलपिंडी में ब्रिटिश शासन को एक जन असंतोष की स्वस्फूर्त लहर ने हिला दिया जब खौलते हुए हड़ताली मजदूरों से लैस भीड़ सड़कों पर निकल आई, गुजरते हुए ब्रिटिशों पर कीचड़ और पत्थर फेंकते हुए, सरकारी दफतरों, क्रिस्चियन मिशनीयरियों के घरों, ब्रिटिश उद्यमों और व्यापारिक संस्थानों पर आक्रमण करते हुए। यद्यपि ब्रिटिश सेनाओं के बड़े समूह ने इस विद्रोह को प्रभावी ढंग से कुचल दिया था, पर उसने औपनिवेशिक प्रशासन को इतना हिला दिया कि पंजाब से औपनिवेशिक और सैनिक अधिकारियों के परिवार को शीघ्रता से हटाने और लार्ड किचनर, ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए वह पर्याप्त कारण था। अमृतसर और लाहौर में ऐसे ही विद्रोहों को निर्दयता से औपनिवेशिक पुलिस और सैन्य टुकड़ियों ने कुचल दिया। अजितसिंह और लाला लाजपत राय को सरसरे तौर पर बिना किसी संज्ञान या अपील के बर्मा भेज दिया गया। दूसरे देशभक्तों की गिरफ्तारी हुई और उत्पीड़न हुआ और पंजाब में आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी गई थी।

1908 में इसी पैमाने के विद्रोह दक्षिण में त्रिवेंद्रम, युनेलवेली और तुनिकोरिन में उठ खड़े हुए। त्रिवेंद्रम में पुलिस चौकियों पर आक्रमण हुए, जेल से कैदी निकाल दिए गए और दमनकारी औपनिवेशिक राज्य के दफतरों में आग लगा दी गई। तिलक के महत्वपूर्ण साथी चिदम्बरम पिल्ले पर मुकदमा चला। उन्होंने राष्ट्रीय उद्देश्यों को त्यागने से मना कर दिया और उन्हें आजीवन कैद की सजा दी गई।

रूसी वाणिज्यिक अधिकारी चिरकिन ने मई 28, 1907 की अपनी रिपोर्ट में भविष्यवक्ता सदृश्य लिखा: “बंगाल की अशांति की अपेक्षा पंजाब का विद्रोह अपने चरित्र में ज्यादा खतरनाक है ... इस विद्रोह ने समूचे भारत को उकसा दिया है।” परंतु अन्य शक्तिशाली ताकतें इस मूलभूत ब्यार जो औपनिवेशिक शासन को उलटने की संभावनाओं से पूर्ण थी को पीछे ठेलने और रोकने का काम कर रहीं थीं। बंगाल के जमीनदार जिन्होंने बंगाल भंग के विरुद्ध आंदोलन किया था ने सरकार के प्रति अपनी राजभक्ति की घोषणा की। महाराजाओं ने ब्रिटिश की मदद के लिए अपने सशस्त्र कर्मचारी अर्पित किए और कुछ ने, जैसे जम्मू और कश्मीर के महाराजा, अपनी ओर से कथित “उग्रवादियों” के विरुद्ध दमनकारी कदम उठाने शुरू कर दिये।

दादा भाई नेरोजी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 1906 में तिलक समूह के द्वारा स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा के लिए रखी गई मांगों को स्वीकार किया परंतु अपनी पहले की स्थिति में लौट आयी और सूरत के 1907 के अधिवेशन में संघर्ष को “संवैधानिक ढंग” में सीमित करने का निर्णय लिया। “स्वराज” और “स्वशासन” की पुनर्व्याख्या उपनिवेशन के अर्थ में की गई और औपनिवेशिक शक्ति से लड़ने की अपेक्षा प्रभावशाली “सुधारों” में सहयोग का कांग्रेस ने निर्णय लिया। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे अधिक विख्यात नेता तिलक के चुनाव का प्रस्ताव लाला लाजपत राय के चुनाव के रूप में एक समझौतापूर्ण प्रस्ताव के रूप में गिर गया। “नरमपंथी” धड़े की जीत पूर्ण रूपेण हुई। गोखले का “नरमपंथी राष्ट्रवाद” जो राजभक्ति का दूसरा चेहरा था, तिलक से जुड़ी सभी जन शक्तियों के निकाले जाने के

लिए सफल हुआ और कांग्रेस को राजभक्ति के रास्ते पर वापिस ला दिया।

तिलक और उनके समर्थक इस तरह से कांग्रेस के जकड़न भरे पिंजड़े से बाहर एकत्रित होने के लिए फिर से मजबूर किये गए और उन्होंने ब्रिटिश के विरुद्ध जोरदार संघर्ष करना जारी रखा। परंतु 1908 जुलाई के राष्ट्रीय परिदृश्य से तिलक के गंभीर साथियों के अधिकांश को हराने के बाद, तिलक को खुदबखुद सजा के लिए लाया गया। सजा सुनाने के लिए अंग्रेज बहुमत ने भारतीय जूरियों को ऑउट वोट किया और तिलक को छै वर्ष के लिए देश निष्कासन की सजा सुनाई गई। इससे आम जनता का प्रतिशोध भड़क गया जो भारतीय शहरों को घेरे में लेते हुए 1,00,000 कामगारों की विशाल हड़ताल और बंबई में आम हड़ताल में परिणित हुआ। तिलक की सजा को साधारण कैद की सजा में बदलना पड़ा। परंतु भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए यह गहरा धक्का साबित हुआ था।

1914 तक कांग्रेस इतनी विकृत हो गई कि उसके सदस्यों का बहुमत युवा मोहनदास करमचंद गांधी को चेतावनी देने में विफल रहा जब प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध संबंधी क्रियाकलापों के लिए स्वयंसेवक की खोज का वे कार्यक्रम चला रहे थे। जो भारतीय जनगणों को “अपर्याप्त रूप से अहिंसक” होने के लिए बारबार ताड़ना देता रहा था, 1914 में, उसे कोई खेद

न था एक ऐसे युद्ध में बलिदानी मेमनों को लगा देने में जिसमें भारत का हित औपनिवेशिक स्वामियों की हार ही में होना चाहिए था।

परंतु राजकोट काठियावार राज्य के प्रधानमंत्री के पुत्र गांधी भारतीय महाराजाओं के नेतृत्व का अनुसरण कर रहे थे जैसे कि बीकानेर के महाराजा अपनी सेना को युद्ध में भेजने के लिए तत्पर थे। ऐसे कदमों से एक ओर शक्तिशाली यूरोपियन साम्राज्यवादी ताकतों को मदद मिलती थी और दूसरी ओर उनके विरुद्ध संघर्षशील ताकतें कमजोर होतीं थीं।

वास्तव में ये गोखले थे जिनसे युवा गांधी प्रेरणा पाते थे, न कि तिलक से। परंतु अन्य दूसरों ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के नेतृत्व एवं निदेशन देने की उनकी योग्यता को देख लिया था। नेहरू ने कहा था: “बाल गंगाधर तिलक नए युग के सही प्रतीक थे।” और माना कि “भारत में राजनैतिक जागरूक लोगों का विशाल बहुमत तिलक और उनके समर्थकों का अनुसरण करता था।”

इसको सर वालेन्टाइन चिरोल, दी टाइम्स के विदेशी संपादक का भी वैसा ही मत था। उन्होंने रेखांकित किया कि तिलक की सजा ने भारत को सबसे योग्य एवं दृढ़ नेता से महरूम किया। अपने विरोधाभासी और भिन्न धाराओं के बावजूद संभवतया तिलक ही केवल समर्थ थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को

संगठन, एकता और नेतृत्व देने में। एन. सी.केलकर, जीवनी लेखक एवं तिलक के अनुयायी ने ऐसी भावनाओं को गुंजायमान किया।

संदर्भ

1. Tracing an India Diaspora by Parvati Raghuram.
2. Archaeology after Excavation by D. Mandal, Shereen Ratnagar.
3. The Spirit of India by Ramin Jahanbegloo.
4. The Men Who Killed Gandhi— Illustrated with Unpublished Documents and Photographs by Manohar Malgonkar.
5. Vishnu's Crowded Temple by Maria Misra.
6. The Blindness of Insight by Dilip M Menon.
7. In Spite of the Gods—The Strange Rise of India by Edward Luce.
8. India Through the Ages by Bharat Bhushan Gupta.
9. Strategic Consequences of India's Economic Performance by Sanjaya Baru.
10. Communal Identity in India—Its Construction and Articulation in the Twentieth Century by Bidyut Chakrabarty.
11. Modern Indian History—From 1707 to the Present Day by V. D. Mahajan.
12. History of South India: Ancient, Medieval & Modern by P. N. Chopra, T. K. Ravindran, N. Subrahmanian.
13. The People versus Emergency : A Saga of Struggle by P. G. sahasrabudde, Manik Chandra Vajpayee.



उपनिषद में तत्व मीमांसा

रंजीत कुमार केशरी

कुछ वैदिक ग्रंथों के समान उपनिषद ग्रंथ, मूलरूप से “आत्मा,” “जीव” या “ईश्वर” के ज्ञान को पाने से संबंधित हैं। वैदिक और उपनिषद साहित्य के पक्ष प्रकृति और प्राकृतिक प्रक्रियाओं के सहजज्ञान की ओर उन्मुख हैं। साथ ही, बजाय सत्य की अलंघ्य और सुनिश्चित परिभाषाओं के, अनेक विचार दार्शनिक और विश्लेषणात्मक रूप में प्रस्तुत किए गए।

उपनिषद ग्रंथ के विद्वानों को आत्मा को समझने के लिए ध्यान केंद्रीभूत करने की प्रेरणा मिलती थी परंतु दूसरे विद्वानों द्वारा दुनिया की बौद्धिक व्याख्या पूरी तरह से नकारा नहीं गई और अंततः उपनिषदकाल ने विवेकपूर्ण विचार, वैज्ञानिक अवलोकन, तर्क, गणित तथा भौतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए एक भूमि तैयार की।

यह एक ऐसे युग के बाद हुआ जब अनुष्ठान और अंधविश्वास बड़े पैमाने पर फूलना शुरू हो चुके थे तब एक प्रकार से, उपनिषादिक ग्रंथों ने विवेकवाद के लिए भूमि तैयार करने में सहायता दी। ब्राह्मण रूढ़िवादिता और अनुष्ठान की शुचिता अब, आत्मिक परिदृश्य के द्वारा हटाई जाने लगी। इसी परिदृश्य ने साम्प्रदायिकता से परहेज किया जिसका सर्वाभौम तौर से उपयोग कर व्यक्ति को सामाजिक हैसियत से मुक्ति दिलाई। धर्मगुरुओं द्वारा स्थापित कसौटी के विपरीत “आध्यात्मिक सत्य” की खोज जाने पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा था। यद्यपि उपनिषद प्रवचनों में विषय संबंधी एक रूपता थी परंतु भिन्न-भिन्न व्याख्याकारों ने विभिन्न परिदृश्य और अंतरदृष्टियां सूक्ष्मता से उजागर कीं। उपनिषादिक और पूर्ववर्ती वैदिक विवेचना में ईश्वर की सामान्य धारणा कि वह विश्व का सृजक और मनुष्य को प्रतिफल एवं दण्ड देने वाला है से एकदम अलग थी। उपनिषद का ईश्वर दार्शनिक एवं अमूर्त ज्यादा था। विभिन्न ग्रंथों ने विश्वात्मा के सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो सभी प्राणियों में व्याप्त था (जिसने सभी प्राणियों को गले से लगाया हुआ था। सभी प्रकार का जीवन इसी विश्वात्मा में से उत्पन्न होता और मृत्यु पश्चात

उसी विश्वात्मा में पुनः विलीन हो जाता। प्राकृतिक परिघटनाओं की सदृश्यताओं से विश्वात्मा की यह धारणा पैदा हुई थी।)

“जैसे मधुमक्खी पौधों के रस से शहद बनाती और उन रसों को एक अन्य रूप में परिवर्तित करतीं और ये रस भेदभाव नहीं रखते कि मैं इस या उस पौधे का रस हूँ, उसी तरह से जब सभी प्राणी सत्य में विलीन हो जाते तब वे नहीं जान पाते कि वे सत्य में विलीन हो गए हैं.....।”

“पूर्वी नदियां पूर्व की ओर बहतीं, गंगा के समान और पश्चिमी, पश्चिम की ओर सिंधु की तरह। वे एक समुद्र से दूसरे समुद्र में जातीं और बादल समुद्र से पानी आकाश में उठाकर वर्षा के माध्यम से वापिस समुद्र में भेज देते; वे सचमुच समुद्र बन जातीं और जब वे समुद्र में होती तो नहीं जान पाती कि मैं यह नदी हूँ या वह नदी हूँ। उसी प्रकार से सब प्राणी सत्य से प्रारंभ होकर नहीं जान पाते कि वे सत्य से प्रारंभ हुए थे।”

एक दूसरी कथा में “बुद्धिमान” पिता ईश्वर की उपनिषादिक धारणा को समझाने के लिए अपने पुत्र से पानी में नमक घोलने के लिए कहता है और उसे उपर, मध्य और तलहटी से पानी को चखने के लिए कहता है। पुत्र ने पानी का स्वाद खारा पाया। इस पर पिता ने उत्तर दिया कि “विश्व्वात्मा” हम सब में नमक के समान अदृश्य रहता है क्योंकि वह पानी में नमक की तरह पूरी तौर से घुल चुका है।” चंदोग्य 17।

इस सिद्धांत से एक शिक्षा उभरी कि व्यक्ति की आत्मा को विश्वात्मा से संदर्भित किया जा सकता था अर्थात् विभिन्न ढंग, विभिन्न नाम और विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं से सभी प्राणी एक दूसरे से संबंधित होकर भी विश्वात्मा से संबंधित थे और विश्वात्मा में विलीन होने की पात्रता रखते थे। इस दृष्टिकोण ने समतावादी और गैर भेदभाववादी दार्शनिकताओं जैसे कि जैन, बौद्ध के साथ गैर-वर्णवादी हिंदू धारणाओं के लिए आधारशिला रखी जिसने उपनिषदकाल का अनुसरण किया। स्पष्ट है, यह प्रक्रिया निरपेक्ष समाज की विरोधी नहीं थी और विभिन्न मतों एवं उपमतों को शांति और समता से सह-अस्तित्व का अवसर देती थीं।

अपने दर्शन को परिभाषित करने के दौरान उपनिषदकाल के विद्वानों ने अनेक प्रश्नों को उठाया और मिकेनिकल थेड्ज्म

शोध छात्र, इतिहास विभाग, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा

को चुनौति दी। यदि ईश्वर संसार का सर्वोपरि सृजक है तो उस सर्वोपरि सृजक को किसने बनाया ? इस प्रकार के प्रश्न करने की तार्किक परिणति सृजक संबंधी प्रश्नों की अनंत श्रृंखला में होगी या उसे नकार देने या प्रश्नों की वृत्ति को ही त्याग देने में होगी। दर्शनशास्त्र के इस चक्रव्यूह का साधारण समाधान था सहज ढंग से तर्क और प्रश्न करने के विश्वास को ही त्याग देना। सृजक मत के विश्वास करने वाले कुछ विद्वान इस विरोधाभाष को अपने लाभ के लिए उपयोग में लाते थे। ईश्वर का अस्तित्व है क्योंकि वह नश्वरों के द्वारा न समझा जाने वाला है। परंतु कमोवेश इस विरोधाभाष को यह कहकर हल करने का प्रयास किया कि ईश्वर जो सभी रूप से समस्त आयामों में, आकाश और समय समेत व्याप्त है। यह दार्शनिक बद्ध थी जिसने सबसे बड़ी चुनौती का मुकाबला किया, ईश्वर को मनुष्य समाज का सृजक माना और जिसे तर्क से पूरी तरह नकारने की आवश्यकता नहीं रह जाती थी।

उपनिषदकाल की दूसरी उपलब्धि यह थी कि धर्म को किताबी तोतारटंत के परिमंडल से बदलकर बौद्धिक और खंडनात्मक विमर्श के परिक्षेत्रों में प्रवेश करा दिया। उपनिषादिक दार्शनिकों ने कोई कठोर या अपरिवर्तनशील नियम नहीं बनाये वरन् सांसारिक अंतरदृष्टि और व्याख्या के महत्वपूर्ण और मोहक दृष्टांत बनाये। प्रकृति की बजाय, व्याख्याओं एवं विश्लेषणों से अपने अनुयायियों को अभिभूत करके और बौद्धिकता एवं विमर्श की रीतियों के द्वारा वे एक ऐसा घेरा बनाते जहां द्वन्दात्मक तथा विवेकपूर्ण विचार के आदान-प्रदान प्रस्फुटित हो सकें।

प्रश्नों के दौरान ईश्वर संबंधी विमर्श के द्वार उन्होंने बुद्धिवादियों और यहां

तक कि नास्तिकों के लिए खोले जो सृजक रूपी ईश्वर की भूमिका एवं गुण संबंधी सभाव्य प्रश्नावलियों को ऐसे परिणामों तक ले जाते कि वे ईश्वरवादी को ही पूरी तरह से नकारने लगते थे। परंतु किसी भी तरीके से अनेक बुद्धिवादी और या प्रकृतिवादी दर्शन की चिंतनधारायें इस मूलभूत आधारशिला से उभरें उनमें से कुछ नाममात्र की ईश्वरवादी थीं और कुछ दूसरी थीं निरीश्वरवादी। शुरूआती जैन, और शुरूआती बौद्ध एवं लोकायत भी निरीश्वरवादी थे। इस प्रकार से उपनिषदों में बहुत कुछ दुरूह बौद्धिक शब्दजाल और निरर्थक दार्शनिक पूजा की तरह है जिसे त्याग देना चाहिए। उपनिषद दार्शनिकों ने भारत भूमि पर बुद्धिवाद के बीजों के लिए जमीन तैयार की थी।

वैशेषिक मत

वैशेषिकमत, वैशेषिक सूत्र के रचयेता कणद द्वारा स्थापित माना जाता है। यह प्रारंभ का एक यथार्थवादी मत था जिसकी मुख्य उपलब्धि प्रकृति को दो टुकड़ों-समान और असमान-में बांटे जाने के प्रयास में थी। उसने बताया था कि पदार्थ छोटे और अनश्वर अणुओं से बना जो विभिन्न ढंग के नए सम्मिश्रणों में मिला और उसने पृथ्वी पर विद्यमान समस्त पदार्थों को रूप दिया। उनका दर्शन इन धारणाओं के माध्यम से व्याख्यात था-द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव।

अणुओं के एक अन्य ढंग के संयोजन से द्रव्य को समझाया गया था। द्रव्य गुण एवं क्रिया के भंडार थे। गुण द्रव्य में रहता और गुण अपने आप में गुण नहीं रखता। गुण को 24 संख्याओं में जाना गया था-रंग, आकार, गंध, स्पर्श, संख्या, विस्तार, विशिष्टता, संयोग, वियोग, सामीप्य, दूरी, भारीपन, तरलता,

और गाढ़ापन। समय के साथ ये विशिष्ट थे। मनोवैज्ञानिक लक्षण इस प्रकार थे: आनंद, कष्ट, इच्छा, विस्तृणा, प्रयास, प्रवृत्ति, बोध और प्रभाव। साथ ही, नीतिशास्त्रीय लक्षण थे: गुण और अवगुण। अर्थात् विशेषताएं जो जड़ वस्तुओं, जिन्हें अलग से नहीं लिया गया, के लिए प्रयोज्य नहीं थीं।

कर्म भौतिक गति द्वारा प्रकट होता था। गुण जो निष्क्रिय होता था के विपरीत कर्म गतिवान होता और कर्म संयोग एवं वियोग का निर्धारक था। पांच प्रकार के कर्म बतलाये गए: उपर फेकना नीचे फेकना, सिकुड़ना, फैलना और संचलन।

सत्ता या भौतिक अस्तित्व को तत्वों, गुणों और कर्मों के सामान्य लक्षण सदृश्य माना गया अर्थात् अस्तित्वमान, कल्पना के विपरीत, सत्ता में तत्वों, गुणों और कर्मों की क्षमता होती थी।

सामान्यता को मानसिक धारणा माना गया, तत्वों, गुणों और कर्मों के सामान्य वर्ग बनाने के लिए, जबकि विशेषता का उपयोग वैयक्तिक इकाइयों को अपने सामान्य वर्गों से अलग करने एवं पहचानने में किया जाता था। समवाय ऐसा संबंध था जो वस्तुओं में विद्यमान रहता था जिसे वस्तु विशेष को नष्ट किए बिना अलग नहीं किया जा सकता था। अभाव की चार श्रेणियां सूचिबद्ध की गई थीं: प्राग अभाव का संदर्भ ऐसी वस्तु से था जिसका पैदा होने से पूर्व अभाव रहा हो, दवम अभाव या उत्तरवर्ती खंडन यथा वस्तु के नष्ट करने के बाद उसकी अनुपस्थिति, अन्योन अभाव या पारस्परिक अभाव अर्थात् ऐसी वस्तु जो एक दूसरे से अलग और भिन्न हो, अत्यंत अभाव या अंतिम या संपूर्ण अभाव अर्थात् भूत, वर्तमान और भविष्य में अनस्तित्व यथा वायु में स्थाईरूप से गंध नहीं थी (जोकि संभवतया उस समय सच रहा होगा जब

प्रदूषण नहीं होता रहा होगा!) कारण और कार्य के वृत्त में समय-संबंध के अध्ययन का महत्वपूर्ण योगदान वैशेषिक मतावलंबियों का था। प्रारंभिक रूप से इस और इसी तरह के कुछ अन्य मतों ने समय-संगणना के सिद्धांत की स्थापना की जिसे ब्रह्मांड-संगणना तक विस्तार दिया जा सका।

वैशेषिक मत ने इस प्रकार से विज्ञान के अध्ययन के लिए धारणाओं को संख्याबद्ध करके भौतिकविज्ञान और रसायनविज्ञान के अध्ययन की ओर बढ़ाया। साथ ही, व्यवस्थित अवलोकन एवं वर्गीकरण के प्रयत्नों से औषधविज्ञान और पशुविज्ञान के अध्ययन ने बड़ी प्रेरणा पायी थी।

न्याय और संबंधित मत

न्यायमतों ने मनन् किया और वैशेषिकमत पर सटीक बोध और सही निष्कर्ष के द्वारा वैज्ञानिक ज्ञान को इक्ठा किया। इस सिद्धांत ने ज्ञान प्राप्त करने के चार साधन बतलाये: *प्रत्यक्षः* इंद्रियों में से किसी एक के द्वारा बोध; *अनुमानः* ज्ञात वस्तु से तुलना या *शब्दः* मौखिक साक्ष्य द्वारा।

बोध की दशाओं, फैलाव और सीमाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। बोध के चार विभिन्न प्रकार बतलाये गये थे: *तरसरेनुः* कम से कम दिखलाई देना; *अनुभूतरूपः* इंद्रियातीत बोध; *अभिभूतः* धुंधलाया बोध और *अनुभूत वृत्तिः* संभाव्य बोध।

तत्व निर्धारण की सामान्य विधि बताई गई जिसमें उद्देश्य का वर्णन, बोध के द्वारा प्राप्त आवश्यक प्रमाण,

लक्षण या उपलक्षण और परीक्षण एवं निर्णय हों। इस रीति में दृष्टांत, अवयव, तर्क और वादः निर्णय तक पहुंचने के लिए दो विपरीत पक्षों के मध्य विवेकपूर्ण विमर्श होंगे। इस रीति का सफल परिणाम सिद्धांत की स्थापना या गणित के संबंध में प्रमेय की प्रमाणों के द्वारा स्पष्ट करते हुए स्थापना में होगा। विकल्प के तौर पर, यह रीति मूल समस्या के खंडन की ओर उन्मुख होती थी।

न्यायमत ने विभिन्न प्रकार के तर्कों की पहचान की है जो वैज्ञानिक खोज के रास्ते में रोड़े या बाधक थे। वे इस बात की ओर इशारा करते थे कि वैज्ञानिक सटीकता और सत्य की खोज के रास्ते में अनेक व्यवहारिक अवरोध रह सकते हैं। उन्होंने कई शब्दों को सूचिबद्ध किया-*झड़पः* अर्थात् सत्य तक पहुंचने के बजाय जीत हासिल करने के लिए तर्क। यह शब्द इसलिए गढ़ा गया था कि अतिशयोक्ति और शब्दाडम्बरी तर्क का मूल तर्क से विभेद किया जा सके।

वितंडः गैर भरोसे का तर्क या छिछोरा या विमर्श के सार से विमुख/हटाने के लिए जिसका उद्देश्य विरोधी को नीचा दिखलाना या उसकी साख को कम करना और *चालः* तर्क को शब्दछल या धोखे से उलझाना। आगे बढ़कर चाल के तीन प्रकार को सूचिबद्ध किया गया है: *वाक् चालः* मौखिक शब्द छल जिसमें विरोधी के शब्दों को जानबूझ कर मन्तव्य के विपरीत बताना। *सामान्य चालः* झूठ का सामान्यीकरण करना या जानबूझकर गलत रूप से सामान्यीकरण करके सिद्ध करना कि मौलिक तर्क ही हास्यापद या विकृत था। *उपर चालः* किसी शब्द की

गलत व्याख्या करना जिसे सांख्यकी की तरह से उपयोग में लाया गया हो और साहित्यिक की तरह लिया गया हो। साथ ही बताया जाति को। *जातिः* एक प्रकार का झूठा तर्क जिसमें गैर उपयोगी सदृश्यता बतलाई जाती जिससे मूल तर्क को त्यागा जा सके या मूल तर्क के खंडन के लिए विपरीत तौर पर असंबंधित सदृश्यता प्रकट की जा सके।

न्याय सिद्धांत ने यह भी ज्ञात किया कि विवेकपूर्ण एवं अर्थपूर्ण विमर्श तब तक संभव नहीं होता जब तक कि कुछ मूलभूत सिद्धांतों और आधारभूत परिभाषाओं एवं धारणाओं को परस्पर में स्वीकार न कर लिया जाये। *निग्रह स्थान* असहमतियों के लिए बतलाया है, पहले के परस्पर स्वीकारे जाने वाले सिद्धांतों के अभाव पर आधारित। एक उदाहरण हो सकता है: ईश्वर भक्त तर्क को त्यागे और एक निरीश्वरवादी आस्था को त्यागे।

संदर्भ

1. वैदिक/उपनिषादिक ग्रंथों से उद्धरण: अथर्ववेद अध्याय 19, ऋचा 59; ऋग्वेद अध्याय 9, ऋचा 112; अध्याय 10, ऋचा 127; द्वेना उपनिषद, साम्यवेद का परिशिष्ट, चंदोग्य
2. उपनिषद, भागवत पुराण की कवितायें इत्यादि,
3. इंडियन थॉट ए क्रिटिकल सर्वे-के. दामोदरन,
4. लोकायतः ए स्टडी इन ऐंशियेंट इंडियन मटेरियलिज्म-देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय,
5. इन डिफेंस ऑफ मटेरियलिज्म इन ऐंशियेंट इंडिया-देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय,
6. वॉट इज लिविंग एण्ड वॉट इज डेड इन इंडियन फिलॉसॉफी-देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय,

भारत में तकनीकी विकास

रणजीत कुमार

भारतीय उपमहाद्वीप में, तकनीकी प्रगति का सबसे पहला प्रमाण हरप्पा सभ्यता, 4000 से 3000 ई.पू., के पुरावशेषों में पाया जाता है। पुरावशेषीय खंडहर योजनाबद्ध शहरी केंद्रों के होने के संकेत देते हैं जहां विधिवत् तौर की सड़कें और जलमल-निकास की प्रशंसनीय व्यवस्था के साथ निजी एवं सार्वजनिक इमारतें बनी हुई थीं। उस समय के लिए निकास व्यवस्था खासकर उल्लेखनीय है क्योंकि उन्हें जमीन के नीचे बनाया गया और उनका निर्माण इस ढंग का था कि उनकी नियमित सफाई हो सके। निजी घरों के छोटे निकासों को सार्वजनिक बड़े निकासों से जोड़ा गया था।

बड़े बहुमंजिले निजी मकान और सभी इमारतें मानकीकृत पकी हुई ईंटों से बनाई गई थीं और उनमें रसोई और शौचालय के लिए अलग अलग स्थान थे। अनाज और व्यापारिक वस्तुओं के रखने के लिए भंडारण सुविधायें, सार्वजनिक स्नानगृह और नागरिकों के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए पृथक इमारतें बनाई गई थीं। शहरी केंद्र प्रायः नदियों की घाटी या बंदरगाहों के पास होते थे। परिशुद्ध बांट एवं पैमाने उपयोग में लाये जाते थे। लोथल जैसे बंदरगाह ढलवां कांसे और तांबे की वस्तुओं के निर्यात केंद्र के रूप में विकसित किए गए थे। तांबा गलाने के भट्ठे और ढलाई के उपकरण, धातु के औजार, आधी और पूरी गोल आरियां, छिदी हुई सुइयां और सबसे महत्वपूर्ण घुमावटी नालीदार कांसे के बरमा भी अस्तित्व में थे। उस काल में, बरमा ने अतुलनीय बारीकी के साथ वस्तुओं का उत्पादन करना संभव किया और उसे आज के यांत्रिक औजारों का प्राचीन अग्रदूत माना जा सकता है। वहां योजनाबद्ध सिंचाई व्यवस्था के प्रमाण मिले हैं और ऐसा लगता है कि खेतों तथा गांवों को आग एवं बाढ़ से बचाने के तरीके भी मौजूद थे। कारीगर चाक का उपयोग करते थे और मिट्टी के बर्तन की सजावट विभिन्न रंगों एवं आकृतियों से

की जाती थी। कपास उगाया और वस्त्र उद्योग के काम में लाया जाता था। हरप्पा क्षेत्र के शहरी केंद्र आपस में और साथ ही बेबीलोन, फारस की खाड़ी, मिस्र और संभवतया भूमध्यसागर के शहरी केंद्र से भी व्यापार करते थे। हरप्पन सभ्यता का फैलाव काफी बड़ा था और आज के सिंध, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को समाहित करता था। परंतु उसके विलुप्त होने के पूर्व उसके काफी सामाजिक क्षय और विघटन के भी प्रमाण मिलते हैं। हरप्पन सभ्यता के परवर्ती काल की खुदाइयों से पता लगता है कि जनसंख्या के दबाव ने इमारतों के निर्माण में अस्त-व्यस्तता पैदा की। शहरी घर छोटे होते गए और बसाहटें अधिक उटपटांग होती गईं जो सामाजिक संरचना और परंपरा में आई गिरावट के द्योतक थे। फलतः शहरी नियमावली को बढ़ावा मिला तथा निर्माण संबंधी कायदों को लागू किया गया।

सामाजिक दशाएं और तकनीकी प्रगति

यह बिलकुल संभव है कि शहरी समाज की गिरावट कृषि योजना और सिंचाई व्यवस्था के रखरखाव जैसे दूसरे क्षेत्रों में भी फैली जिसने सूखा, बाढ़, आग और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं को बुलावा दिया। इस प्रकार, वह गिरावट इस उन्नत सभ्यता के आकस्मिक अंत का कारण बनी। इससे स्पष्ट होता है कि तकनीकी प्रगति को उन सामाजिक अवस्थाओं से अलग नहीं किया जा सकता जो या तो तकनीकी प्रगति को उत्साहित करती हैं या फिर भरपूर उन्नत सभ्यताओं के पतन का कारण बनती हैं। उदाहरण के लिए, हरप्पा से 3000 वर्षों बाद हमें मौर्य काल में बनायीं गईं प्रभावशाली शहरी बस्तियों के अस्तित्व संबंधी प्रमाण मिलते हैं। ग्रीस के यात्रियों ने मौर्य राजधानी पाटलीपुत्र के प्रशंसनीय विवरण छोड़े हैं। परंतु सामाजिक झगड़े उस महान प्रतापी सभ्यता का अंत ले आये। समाज के परजीवी, शोषणकारी और दमनकारी वर्ग ने घोर सामाजिक उथल पुथल को जन्म दिया। गृह युद्धों के दौरान आग और लूटमार ने, लगभग लकड़ी के समस्त घरों, सार्वजनिक इमारतों और विशाल राजमहलों सहित मौर्य राजधानी को नष्ट कर दिया।

इस तरह लकड़ी पर आधारित शहरी निर्माण की संपूर्ण परंपरा, जिसे विकसित होने में कई शताब्दियां लगीं होंगी, समाप्त हो गई। और, स्थाई निर्माण सामग्री के उपयोग पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा। जिन सामाजिक परिस्थितियों ने एक ओर, एक तकनीकी प्रगति को नष्ट किया, उन्हीं ने दूसरी

ओर, एक नई तकनीक को जन्म दिया। मौर्यकाल के मूर्तिशिल्प के अवशेष बताते हैं कि मौर्य शिल्पियों ने पत्थर के काम करने में उच्च दर्जे की दक्षता प्राप्त कर ली थी। उनके पास ऐसे औजार और उपकरण अवश्य रहे होंगे जो पशु एवं मानव प्रतिमा को चमकदार और चिकना बनाने में सक्षमता प्रदान करते थे। भारत में बाद की सभ्यताओं ने इन क्षमताओं का उपयोग न केवल मूर्तिकला में किया वरन् विभिन्न मजबूत इमारतों को बनाने में भी किया। उदाहरण के लिए, सीमेंट बनाने के लिए विभिन्न विधियाँ विकसित की गईं जो आज तक कायम हैं और 7वीं शताब्दी तक उच्च स्तर की टिकाऊ सीमेंट महत्वपूर्ण स्मारकों के निर्माण में उपयोग की जाने लगी थी।

धातु विज्ञान के लिए प्रेरणा

स्मारकीय वास्तुशिल्प के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन, उठाने और चढ़ाने, निर्माण के ठीके और ढाँचे बनाने तथा संबंधित औजार एवं उपकरण निर्माण संबंधी तकनीकी प्रगति की बहुत आवश्यकता थी। प्राचीन ईजिप्ट या बेबीलोन की तरह भारत में उपयुक्त तकनीकों को पैदा करना और उपयोग में लाया जाना था। खासकर पत्थर आधारित निर्माण में उसे काटने और आकार देने के लिए कठोर धातु के औजारों और उपकरणों की जरूरत थी। भारत में, अति विशाल वास्तुशिल्प की उन्नति के लिए लोहे की खोज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और धातुविज्ञान कला को विकास की ओर प्रेरित किया। 4थी शताब्दी ई.पू. में रचित कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी अयस्क से धातु प्राप्त करने और मिश्र धातु बनाने की विधि पर एक अध्याय था। संस्कृत ग्रंथों में धातु शुद्धता आंकलन संबंधी चर्चा है और धातु को परिशुद्ध करने की तकनीकों

का विवरण है। मिश्र धातु बनाने की कई तकनीकें प्रचलित थीं और उनमें से कुछ की शुरुआत संभवतः हरप्पा या वैदिक काल में हुई होगी। उदाहरण के लिए वैदिक साहित्य के ऐसे संदर्भ हैं जो बताते हैं कि दूध न फटे इसके लिए ताँबे के बर्तनों को राँगे से लेपा जाता था। व्यावहारिक तकनीकों के बड़े पैमाने पर प्रचार और शोधार्थियों की खोज ने मिलकर धातुविज्ञान संबंधी उन्नति को आगे बढ़ाया। दिल्ली का 5वीं शताब्दी का लौह स्तंभ इस कौशल का उल्लेखनीय उदाहरण है। यह लोहे के एक ही टुकड़े से बना लगभग 23 फुट उंचा बिना जंग के निशान के 1500 बरसातों को सहता हुआ खड़ा है। पिटवा लोहे के इस स्तंभ में लौह धातु 99.72 प्रतिशत है। लगता है जंग से बचाने के लिए इस पर मैग्नीज डायोआक्साइड का पतला लेप लगाया गया था।

12वीं शताब्दी तक, निर्माण इंजीनियर लोहे के गर्डर और बीम का बड़े पैमाने पर उपयोग कर रहे थे जो दुनिया के किसी अन्य हिस्से में ज्ञात न था। पुरी और कोणार्क के मंदिरों में लोहे की बीम का सबसे ज्यादा उपयोग किया गया। पुरी मंदिर में 239 लोहे की बीमें हैं और कोणार्क की बीमों में से एक बीम 35 फुट लम्बी है। सभी 99.64 प्रतिशत लोहे की हैं और दिल्ली के लोहे स्तंभ के समान ही बनाई गई थीं। मध्यकाल में, भारत ने उंचे दर्जे की स्टील बनाने के लिए ख्याति प्राप्त की और 14 वीं शताब्दी तक जिंक को अयस्क से निकाल लेने की क्षमता प्राप्त कर ली थी। बिदारी रांगा, सीसा और ताँबे की एक मिश्रधातु बिदारी का बहुतायत से उपयोग होता था। आश्चर्य नहीं कि धातु कर्म के विकास ने तोपखाने के उत्पादन पर भी अपना असर डाला। ए. रहमान के अनुसार, “साइंस इन

मेडिवल इंडिया”, 16वीं शताब्दी तक, दुनिया की सबसे भारी तोपें भारत में ढालीं गईं और इस उपमहाद्वीप में विभिन्न शस्त्रों का निर्माण होने लगा। जयगढ़ का तोप कारखाना भारत के सर्वोत्तमों में से एक था। 1857 की लड़ाई के पहले जयपुर के राजपूत एशिया की सबसे बड़ी तोप होने का दावा करते रहे। पर राजपूत तोपों में से किसी एक का भी उपयोग अंगरेजों का मुकाबला करने में नहीं हुआ। देश की सबसे सज्जित सेनाओं के विरुद्ध बिना लड़े ही ब्रिटिश ने इस उपमहाद्वीप को जीत लिया और इस प्रकार से यह सिद्ध हुआ कि तकनीकी उन्नति अपने आप में कोई मंजिल नहीं होती।

सामाजिक आवश्यकतायें और तकनीकी उपयोग

अधिकांशतः सामाजिक आवश्यकतायें भौगोलिक, जलवायु और जीवन की परिस्थितियों से पैदा होकर, तकनीकी उन्नति का मूलभूत प्रेरक होती हैं। भारत के बहुत से प्रदेशों के लम्बे सूखे महीनों ने जल प्रबंधन तकनीक में अनेक नवीनताएं पैदा कीं। सिंचाई की नहरें, विभिन्न प्रकार के कुएं, जल संग्रहण के तालाब और पानी संरक्षण तकनीकें संपूर्ण उपमहाद्वीप में स्थापित हुईं। जल प्रबंधन समाधानों के निर्माण में हरप्पन अकेले न थे। समय-समय पर बड़े पैमाने पर सिंचाई के लिए कार्य किए गए। काठियावाड़ में गिरनार के पास, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित बांधों की चौड़ाई आधार में 100 फुट थी। भोपाल के पास भोजपुर में राजा भोज के द्वारा 11वीं शताब्दी में 250 वर्ग मील को घेरते हुए एक कृत्रिम झील बनवाई गई थी। उसी शताब्दी में, दक्षिण में, कावेरी नदी द्वारा आपूरित एक कृत्रिम झील पत्थर के जल द्वार, सिंचाई की नहरें

तथा 16 मील लंबे बांध के साथ बनाई गयी थी। राजस्थान के आर पार, राजपूत राजाओं ने कृत्रिम झीलें बनवाईं। मगर कृषि की उन्नति के लिए कश्मीर, बंगाल और दक्षिण की नदियों के मुहानों के क्षेत्रों में भी सिंचाई योजनायें आवश्यक थीं। वर्षाऋतु की सही भविष्यवाणी की आवश्यकता ने खगोलविज्ञान में विकास को बढ़ावा दिया जबकि ग्रीष्मऋतु की गर्मी ने भवन निर्माणशास्त्र में नवीनताओं का मार्ग प्रशस्त किया। राजस्थान और गुजरात में, जमीन की गहराई में कहीं-कहीं तो सौ फुट गहरे सीढ़ीनुमा कुएं बनाये गए। उज्जैन, मथुरा और बनारस में बड़े पैमाने पर वेधशालायें खगोलशास्त्र में प्रगति के लिए बनाई गईं। बंगाल, उच्च कोटि की मलमल जो राज्य की गर्म और सीलन भरी जलवायु के लिए उपयुक्त थी और पहनने में हलकी और हवादार थी, के लिए प्रसिद्ध हुआ। आचार बनाने, फल, सब्जियों, मछली और मांस के संरक्षण करने एवं सड़न को रोकने के लिए तकनीकों पूरे देश में विकसित हुईं। हाथ से चलाये जाने वाले शीतलन के उपकरण खोजे गए। अर्थशास्त्र में वारियंत्र का वर्णन है। जो शायद, हवा को ठंडा करने के लिए गोलाई में घूमने वाला उपकरण था। इस प्रकार भौतिक आवश्यकताओं को प्रत्युत्तर में, पूरा करने के लिए तकनीकी का आविर्भाव हुआ।

वैज्ञानिक बुद्धिवाद और तकनीकी क्षमता

अनुकूल सामाजिक वातावरण तकनीकी विकास के लिए एक

आवश्यकता है। वैज्ञानिक ज्ञान, तर्कशील सोच और व्यवहारिक प्रयोग, तकनीकी खोजों की प्रक्रिया के लिए आवश्यक बुनियाद हैं। पहले से ज्ञात तकनीक के उपयोग अधिक आसान होते हैं; जैसा कि “डेवलपमेंट ऑफ फिलोसिफिकल थॉट एंड साइंटिफिक मैथडस् इन एनसियेंट इंडिया” नामक लेख में बताया गया है, प्राकृतिक विज्ञान और गणितशास्त्र में उन्नति और तर्कवादी दर्शनशास्त्र की प्रगति के साथ अनेक तकनीकी खोजें साथ-साथ हुईं। यह नहीं कहा जा रहा है कि भारतीय समाज संपूर्ण तौर से बुद्धिवादी था। सभी प्राचीन समाजों में, और यहां तक कि आधुनिकों में भी, अंधविश्वास, धार्मिक मान्यताएं, फलित ज्योतिष, अंकशास्त्र या “ऋषि” की सलाह, हस्तरेखा और भविष्यवक्ताओं पर निर्भरता ने वैज्ञानिक प्रगति को अवरुद्ध किया और फलतः तकनीकी प्रगति को बाधा पहुंचाई। भारत, बेबीलोन और ईजिप्ट की प्राचीन सभ्यताओं से ज्ञात होता है कि बहुत से वैज्ञानिक कथन और व्यवहारिक सत्य धार्मिक भ्रातियों एवं सामान्य अंधविश्वासों के साथ मिले हुए थे। औषधिविज्ञान के बारे में यह बात विशेष तौर पर सत्य थी। बिना भेदभाव के अवैज्ञानिक व्यवहारों के साथ असली निदान सूचीबद्ध थे। परंतु भारत में बुद्धिवादीकाल में वैज्ञानिक तरीकों के जोर ने विभिन्न दवाओं और चिकित्सा विधियों की क्षमता के प्रति विश्वसनीयता को बढ़ाया। भारतीय चिकित्सक वास्तविकता को जितना सही देख सका, शारीरिक क्रियाओं को समझ सका और प्रचलित डाक्टरी तकनीकों की क्षमताओं

का परीक्षण कर सका, उपचार उतने अधिक सफल हुए। शवविच्छेदन और विभिन्न व्याधियों का उपचार औषधिविज्ञान के अध्ययन एवं उपयोग के महत्वपूर्ण अंग थे। उपचार की अधिकाधिक सफलता के साथ आत्मविश्वास बढ़ता गया और डाक्टर आपरेशन में शल्य औजारों के उपयोग करने प्रोत्साहित हुए, हालांकि आज की तुलना में उनके उपकरण अविकसित थे।

बेहोश करने और शल्य क्रिया के लिए शरीर के अंगों को चेतनशून्य करने की आवश्यकता थी और उनकी अनेक विधियां विकसित हुईं। उच्छेदन, छेदन, चीरा, परीक्षण, अंग या अंगों को निकालने के लिए, तरल निकास, रक्त मोक्षण, टांका, और प्रदाहन के लिए सुयोग्य औजार बनाये गए। विभिन्न प्रकार की पट्टियों और मलहमों का उपयोग संक्रमण को रोकने के लिए प्रयुक्त हुआ और सफाई सुनिश्चित करने के लिए आधारभूत विधियां का उपयोग आवश्यकता अनुसार होने लगा।

संदर्भ

1. History of South India: Ancient, Medieval & Modern by P N Chopra, T. K. Ravindran, N. Subrahmanian.
2. Vishnu's Crowded Temple by Maria Misra.
3. Region, Nation, Heartland- Uttar Pradesh in India's Body Politic by Gyanesh Kudaisya.
4. Cultural History of Modern India by Dilip M. Menon.



जैन धर्म तथा बौद्ध धर्मों के सामाजिक आयाम की ऐतिहासिकता

डॉ. शेखर सिंह

परिचय

छठी शताब्दी ई. पू. में भारत वर्ष की धार्मिक एवं वैचारिक मान्यताओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। वैदिककालीन जटिल, कर्मकाण्डों एवं ब्रह्मणों की धार्मिक एवं सामाजिक सर्वोच्चता एवं जटिलता के खिलाफ कई धर्मों एवं पंथों का उदय हुआ, जिनकी मान्यताएँ तत्कालीन, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों के अनुकूल थी। वैदिकोत्तर काल में समाज स्पष्टतः चार वर्णों में विभाजित था—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हर वर्ण के कर्तव्य अलग-अलग निर्धारित थे और ऊपर के दो वर्णों को कुछ विशेषाधिकार दिये गए थे।

ये समाज में अपना स्थान सबसे ऊँचा होने का दावा करते थे। वर्णक्रम में क्षत्रियों का स्थान दूसरा था। वैश्य का स्थान तीसरा जो पशुपालन और व्यापार करते थे। शूद्रों का स्थान वर्णक्रम में सबसे नीचा था जो उन तीनों वर्णों की सेवा करते थे। यह स्वभाविक ही था कि इस तरह के वर्ण-विभाजन वाले समाज में तनाव पैदा हो। इन्हीं वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध एक प्रकार धार्मिक आंदोलन प्रारम्भ हुआ। इन धार्मिक आंदोलन में जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म को अधिक लोकप्रियता मिली।

उद्देश्य

प्रस्तुत शोध-पत्र का प्रमुख उद्देश्य नये धार्मिक विचारों के उद्भव की पृष्ठभूमि, जैनधर्म तथा बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की चर्चा करना, इन धर्मों का तात्कालीन सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़े तथा इन दोनों धर्मों के सामाजिक जीवन का तुलनात्मक अध्ययन करना है।

विश्लेषण

छठी शताब्दी ई. पू. में मध्य गंगा घाटी के लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक जीवन की नयी विशेषताएँ वैदिक कर्मकाण्ड तथा यज्ञ से मेल नहीं खाती थीं। यज्ञ और कर्मकाण्ड पशुधन के अंधाधुंध विनाश के कारण वन गये थे, जबकि पशुधन ही हलों से की जानेवाली नयी खेती का मुख्य आधार था।

वैदिक धार्मिक विचार उदीयमान सामाजिक समूहों की प्रगति में बाधक बन रहे थे। अतः छठी शताब्दी ई. पू. में ऐसे धार्मिक एवं दार्शनिक विचारों की आवश्यकता महसूस हुई जो लोगों के भौतिक जीवन में आये बुनियादी परिवर्तनों से मेल खाते हों। इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु कई धार्मिक शिक्षक आगे आये। छठी शताब्दी ई. पू. में बौद्ध श्रोतों में 62 धार्मिक सम्प्रदायों का और जैन पाठों में तो 363 सम्प्रदायों का उल्लेख हुआ है। इनमें से अनेक क्षेत्रीय रीति-रिवाजों तथा कर्मकाण्डों पर आधारित थे, लेकिन उनमें से कुछ ने दार्शनिक विचारों को जन्म दिया।

पूरण काश्यप नामक आचार्य घोर अक्रियावादी था। उसका मत था कि चोरी, डकैती, हत्या, झूठ आदि पाप नहीं है और दान, जप, तप, सत्य से किसी प्रकार का पुण्य प्राप्त नहीं होता है अर्थात् कर्मों का कोई फल नहीं होता है। मक्खलि गोशाल नामक आचार्य ने आजीवक सम्प्रदाय की स्थापना की थी। गोशाल की शिक्षा का मुख्य आधार नियतिवाद था। उसके अनुसार सभी प्राणी भाग्य अथवा नियति के अधीन है। उसमें न बल है और न पराक्रम। उनका मत है कि पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायु से शरीर निर्मित है। मृत्यु के बाद कुछ शेष नहीं बचता है। पाप-पुण्य तथा सत्य-असत्य की कल्पना झूठी है। पकुध कात्यायन नामक आचार्य पुर्नजन्म एवं कर्म की महत्ता को नहीं मानता था। उसके अनुसार जिस प्रकार मिट्टी, जल, वायु और प्रकाश शाश्वत है उसी प्रकार दुःख, सुख और जीवन भी शाश्वत है तथा इनका विनाश नहीं हो सकता है। इनका सिद्धांत नितांत भौतिवादी है।

संजय वेलट्टिपुत्र अनिश्चयवादी था। उनके अनुसार न यही कहा जा सकता है कि परलोक है और न यह कि परलोक नहीं है। जीवन संबंधी किसी भी प्रश्न का कोई

निश्चित उत्तर संभव नहीं है। छठी शताब्दी की इस अनीश्वरवादी धार्मिक उथल-पुथल ने समाज पर अपनी विशिष्ट छाप छोड़ी किन्तु तत्कालीन, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक जीवन को सबसे अधिक वर्द्धमान महावीर एवं गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने प्रभावित किया। इनके द्वारा प्रवर्तित जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म ही भारत में स्वतंत्र धर्म के रूप में अपना अस्तित्व बनाये रख सका।

जैन धर्म

जैन परम्परा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। इनमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे किन्तु 23 वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को छोड़कर पूर्ववर्ती तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। वर्द्धमान महावीर का जन्म 540 ई. पू. में वैशाली के निकट कुंडग्राम में ज्ञातृक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ इस गणराज्य के प्रमुख थे तथा इनकी माता लिच्छवि राजकुमारी त्रिशला थी जो लिच्छवि गणराज्य प्रमुख चेटक की बहन थीं। वर्द्धमान के जन्म पर देवताओं की भविष्यवाणी हुई कि ये भविष्य में या तो चक्रवर्ती राजा होंगे या परम ज्ञानी भिक्षु।

स्वाभाविक रूप से वर्द्धमान का प्रारंभिक जीवन सुख-सुविधापूर्ण था। बड़े होने पर उनका विवाह यशोदा नामक एक राजकुमारी से हुआ और उससे उन्हें प्रियदर्शना नामक एक पुत्री पैदा हुई। जब वर्द्धमान तीस वर्ष के हुए, तब उनके पिता सिद्धार्थ की मृत्यु हो गई और वर्द्धमान के बड़े भाई नंदिवर्धन राजा हुए। वर्द्धमान प्रारंभ से ही चिन्तनशील स्वभाव के थे। अब उनमें त्याग की भावना पूर्णतः जागृत हो चुकी थी। अन्ततः अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर घर त्याग दिया और निर्ग्रन्थ भिक्षु

का जीवन धारण कर तपस्या में लीन हुए। ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की। एक वर्ष एक महीने के बाद उन्होंने वस्त्र त्याग दिया और नग्न अवस्था में ही तपस्या करने लगे। 12 वर्ष तक शरीर की चिंता नहीं करके वे हर प्रकार के कष्ट सहते रहे। बारह वर्ष की घोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की उम्र में उन्हें जुम्भिय ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई।

जैन धर्म के सिद्धांत

जैन धर्म में संसार दुःखमूलक माना गया है। मनुष्य जरा तथा मृत्यु से ग्रस्त है। व्यक्ति को सांसारिक जीवन की तृष्णाएँ घेरे रहती हैं। सम्पत्ति संचय के साथ ही मनुष्य की कामना रूपी पिपासा बढ़ती जाती है, जिसका कोई अंत नहीं है। काम-भोग, विष के समान है जो अंततः दुःख को ही उत्पन्न करते हैं। संसार त्याग तथा सन्यास ही मनुष्य को सच्चे सुख की ओर ले जा सकते हैं। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि के रचयिता ईश्वर नहीं है, किन्तु संसार को एक वास्तविक तथ्य माना गया है, जो अनादि काल से विद्यमान है।

संसार के सभी प्राणी अपने अपने संचित कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेते हैं तथा कर्मफल भोगते हैं। कर्मफल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। जैनधर्म में सांसारिक तृष्णा बंधन से मुक्ति को 'निर्वाण' कहा गया है। कर्मफल से छुटकारा पाकर ही व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर हो सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि पूर्व जन्म के संचित कर्म को समाप्त किया जाय और वर्तमान जीवन में कर्मफल के संग्रह से व्यक्ति विमुक्त हो। कर्मफल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन

आवश्यक है।

- जैनधर्म के त्रिरत्न-सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान तथा सम्यक् आचरण।
- जैनधर्म के पाँच महाव्रत—
 - क) अहिंसा,
 - ख) सत्य,
 - ग) अस्तेय,
 - घ) अपरिग्रह,
 - ण) ब्रह्मचर्य।
- कायाक्लेश-जैनधर्म में तप पर अधिक बल दिया गया है।

जैन धर्म में ही सबसे पहले वर्णव्यवस्था तथा वैदिक कर्मकाण्ड की बुराईयों को रोकने के लिए गंभीर प्रयास किया। अपने सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए जैनियों ने ब्राह्मणों की भाषा संस्कृत का नहीं बल्कि सामान्य जन की भाषा प्राकृत का सहारा लिया। उन्होंने अर्द्धमागधी में भी अपने धार्मिक ग्रंथ लिखे। इसी से आगे चलकर आधुनिक भारतीय भाषाओं में उदय में सहायता मिली।

बौद्ध धर्म

बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। उनके पिता का नाम शुद्धोदन था जो कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे। उनकी माता का नाम महामाया था। 563 ई. पू. में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में आम्र कुंज में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा से हुआ। इनको राहुल नामक एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ, किन्तु बचपन से ही सिद्धार्थ चिन्तनशील रहा करते थे।

सांसारिक सुख उन्हें आकर्षित नहीं कर पाता था। संसार के दुःख को देखकर वे इससे मुक्ति का उपाय ढूँढा करते थे।

चार दृश्य देखने के बाद इनके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई। ये दृश्य थे—वृद्ध, रोगी, मृत व्यक्ति तथा आनंदित सन्यासी। सच्चे ज्ञान की खोज के लिए सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। सात वर्षों तक वे ज्ञान की खोज में विभिन्न आचार्यों के पास भटकते रहे। अन्त में उन्हें 35 वर्ष की उम्र में गया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। वे आजीवन अपने धर्म का प्रचार करते रहे।

बौद्ध धर्म के सिद्धांत

बौद्ध धर्म का मूल आधार चार आर्य सत्य है। ये चार आर्य सत्य हैं— दुःख, दुःख समुदाय, दुःख निरोध तथा दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा अर्थात् अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध के अनुसार मनुष्य का सारा जीवन दुःख से भरा हुआ है। जन्म दुःख है, व्याधि दुःख है, मरण दुःख है, अप्रिय मिलन दुःख है तथा प्रिय वियोग भी दुःख है। इस दुःख का मूल कारण तृष्णा है। दुःख के उन्मूलन हेतु तृष्णा को खत्म करना आवश्यक है। अष्टांगिक मार्ग ही दुःख को समाप्त करने का मार्ग है। ये आठ मार्ग हैं।

- (i) सम्यक् दृष्टि।
- (ii) सम्यक् संकल्प।
- (iii) सम्यक् वाणी।
- (iv) सम्यक् कर्म।
- (v) सम्यक् आजीव।

- (vi) सम्यक् व्यायाम।
- (vii) सम्यक् स्मृति।
- (viii) सम्यक् समाधि।

इस आष्टांगिक मार्ग के अनुशीलन से व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। बुद्ध ने आष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत अधिक सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करना या अत्यधिक काया क्लेश में संलग्न होनी-दोनों को वर्जित किया है। उन्होंने इस सम्बन्ध में मध्यम प्रतिपदा का उपदेश दिया है।

छठी शताब्दी ई. पू. में पूर्वोत्तर भारत के लोगों के समक्ष जो समस्याएँ खड़ी थीं, बौद्ध धर्म ने उनको सुलझाने का प्रयास किया। लोहे के फालवाले हल से चली खेती तथा व्यापार और सिक्कों के प्रचलन से कुछ लोगों को धन संचित करने का मौका मिला। इस कारणों के चलते समाज में बड़े पैमाने पर सामाजिक एवं धार्मिक असमानता पैदा हुई। इस तनाव को दूर करने के लिए बौद्ध धर्म ने घोषणा की कि धनसंचय नहीं करना चाहिए।

इस धर्म के अनुसार दरिद्रता से घृणा, क्रूरता और हिंसा की उत्पत्ति होती है। इन बुराईयों को दूर करने के लिए बुद्ध ने उपदेश दिया कि किसानों को बीज और अन्य सुविधाएँ मिलनी चाहिए, व्यापारियों को धन मिलना चाहिए तथा श्रमिकों को मजदूरी मिलनी चाहिए। बौद्ध धर्म यह भी उपदेश देता है कि जो भी दरिद्र व्यक्ति भिक्षुओं को भीख देगा

वह अगले जन्म में धनवान होगा। बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया। बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेने पर स्त्रियों तथा शूद्रों को इस सामाजिक अधिकार हीनता से मुक्ति मिल जाती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- (i) The culture and civilization of Ancient India An Historical outline - D.D. Kosambi.
- (ii) Material culture and social formations in Ancient India - R.S. Sharma.
- (iii) Indian Buddhism - A.K. Warder.
- (iv) A History of India, Volume one penguin books Great Britain, 1981 - Romila Thapar.
- (v) Ancient India an Introductory outline, peoples publishing house, New Delhi, 1990 - D.N. Jha.
- (vi) The History and Culture of the Indian People - R.C. Majumdar.
- (vii) प्राचीन भारत (कक्षा-11) - एन. सी. ई. आर. टी.।
- (viii) प्राचीन भारत का इतिहास - द्विजेन्द्र नारायण झा एवं कृष्ण मोहन श्रीमाली।
- (ix) उद्भूत भारत - ए. एल. बाशम।
- (x) प्राचीन भारत का इतिहास - डॉ. सत्यनारायण।
- (xi) प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति - के. सी. श्रीवास्तव।
- (xii) प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास - डॉ. जयशंकर मिश्रा।
- (xiii) प्राचीन भारतीय समाज एवं अर्थव्यवस्था - डॉ. ओम प्रकाश प्रसाद।



ब्रिटिश भारत में धन की निकासी

सुनील कुमार पाण्डेय

ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे घातक प्रभाव जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा रहा था वह था भारतीय पूँजी और अन्य वस्तुओं का भारत से बाहर इंग्लैंड में जाना और उसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होना। 1757 तक यूरोपीय व्यापारियों को अपने देश में कड़े विरोधों के बावजूद भारत में धात्विक मुद्रा लानी पड़ती थी क्योंकि पश्चिमी देशों में तो भारत के सूती एवं रेशमी कपड़ों का फैलता व्यापार था लेकिन भारत में पश्चिमी उत्पादों की माँग आमतौर पर नगण्य होती थी। इस समस्या को प्लासी के युद्ध ने बड़े नाटकीय ढंग से सुलझा दिया।

अब बंगाल से लूटा हुआ धन, देश के भीतर किए जाने वाले कर मुक्त व्यापार का लाभ और बंगाल का दीवानी राजस्व-इन सबको ही कम्पनी अपना 'पूँजी-निवेश' कहने लगी। वास्तविकता यह थी कि यह सब खुलेआम भारतीय धन की निकासी की प्रक्रिया थी क्योंकि बंगाल में सैन्य-विजय से प्राप्त लाभांश का उपयोग बंगाल से ही माल खरीदकर निर्यात करने के लिए किया जा रहा था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के पश्चात् जब मैनचेस्टर की प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीय रेशमी और सूती कपड़ों के निर्यात में गिरावट आ गयी तो कम्पनी को उसके कर्मचारियों और निजी व्यापारियों के लिए समान रूप से धन इंग्लैंड भेजने की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। आरम्भ में इस समस्या का सामना करने के लिए नील की खेती का विकास किया गया। साथ ही चीन को चाय के बदले अफीम का निर्यात किया गया। तत्पश्चात् 1850 से भारत से नए प्रकार की वस्तुओं का निर्यात करके इस समस्या का अधिक सफलतापूर्वक सामना किया गया।

निर्यात किये जाने वाली ये नई वस्तुएँ थी-पश्चिमी भारत की कपास, पंजाब का गेहूँ, बंगाल का पटसन, असम की

चाय, दक्षिण भारत के तिलहन, चमड़ा और खालें इत्यादि। ब्रिटेन को धनराशि का एकतरफा हस्तांतरण स्थायी तथ्य था और वस्तुतः समय के साथ इसमें बढ़ोतरी ही हुई। 1858 के बाद ईस्ट इंडिया कम्पनी के लंदन प्रतिष्ठान एवं हिस्सेदारों के लाभांश का स्थान भारत-सचिव के इंडिया आफिस के व्यय ने ले लिया। कम्पनी के सैन्य अभियानों के कारण एवं गदर को दबाने में हुए व्यय के कारण इंग्लैंड में भारतीय ऋण पहले ही बहुत बढ़ गया था।

1858 में इसमें अत्यधिक वृद्धि हुयी क्योंकि कम्पनी के हिस्सेदारों को दिये गये मुआवजे का भार भी इसी खाते में डाल दिया गया। ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों एवं सैन्य अधिकारियों की पेंशनें, इंग्लैंड में खरीदी जाने वाली सैन्य एवं अन्य सामग्रियाँ, सैन्य प्रशिक्षण, परिवहन एवं भारत के बाहर होने वाले अभियानों का व्यय, जो भारत के ही वित्त से किया जाता था, और रेलमार्गों का प्रत्याभूत ब्याज-ये सभी व्यय घरेलू मदों में सम्मिलित थे। 1901-02 में घरेलू मदों की कुल राशि 173 लाख पाउंड थी। इस सरकारी हिसाब में वह धन भी जोड़ा जाना चाहिए जो भारत में रहने वाले अंग्रेज अधिकारी इंग्लैंड भेजते थे। इसके अतिरिक्त भारत में निजी ब्रिटिश पूँजी-निवेश के लाभांश का स्थानांतरण भी इस काल में धन की निकासी का एक मुख्य स्रोत हो गया।

1870 में पाउंड स्टर्लिंग की तुलना में चाँदी के रूप का अवमूल्यन हो जाने के कारण घरेलू मदों एवं भेजे जाने वाले निजी धन का वास्तविक भार बहुत बढ़ गया। भारत में सम्पत्ति की निकासी की इस प्रक्रिया की ओर नौरोजी और उनके बाद के राष्ट्रवादी बराबर ध्यान आकृष्ट करते रहे।

दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, जी.वी. जोशी, डी.सी. वाचा, सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी आदि राष्ट्रवादियों द्वारा विकसित निकासी सिद्धांत इस विश्वास पर आधारित था कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति अथवा कुल वार्षिक उत्पादन का एक बड़ा भाग इंग्लैंड को निर्यात किया जा रहा है, जिसके बदले में भारत को कोई समुचित भौतिक या आर्थिक लाभ नहीं मिलता। दूसरे शब्दों में, भारत को परोक्ष रूप से ब्रिटिश राज को खिराज देने के लिए बाध्य किया जा रहा है। धीरे-धीरे कुछ वर्षों के उपरांत देश में जनता के दिलों में निकासी-सिद्धांत ने इतनी अधिक व्यापक लोकप्रियता और प्रभाव जमा लिया कि कितने ही ब्रिटिश प्रवक्ताओं और लेखकों को यह सिद्ध

करने के लिए प्रबल प्रयास करने को बाध्य होना पड़ा कि यह सारी की सारी कल्पना आर्थिक दृष्टि से निराधार और भ्रांतिमूलक है।

निकासी के आर्थिक प्रभाव

धन की निकासी के साथ जुड़ा उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण दुष्परिणाम देश की घोर दरिद्रता थी, यद्यपि प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं का इस संबंध में दृष्टिकोण थोड़ा-बहुत भिन्न रूप अवश्य लिए हुए था। दादाभाई नौरोजी ने निकासी को देश के सभी रोगों, दुःखों और दरिद्रता का वास्तविक, प्रधान और यहाँ तक कि एकमात्र मूल कारण घोषित किया, तथा अन्यान्य कारणों को केवल भ्रामक बताया। इस संबंध में दादाभाई के दृष्टिकोण को अपनाने वाले केवल थोड़े से ही अन्य राष्ट्रवादी नेता थे। ज्यादातर राष्ट्रवादी मानते थे कि धन की निकासी भारत की दरिद्रता का एक मुख्य कारण है।

राष्ट्रवादी नेताओं ने व्यापक रूप में निकासी के रूप और अर्थ को जिस प्रकार समझा तथा स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से जिस प्रकार उसका प्रचार-प्रसार किया, वह यह था कि इस निकासी का देश की अर्थव्यवस्था पर भले ही अन्य कोई दुष्प्रभाव न पड़ता हो फिर भी इससे राष्ट्रीय उत्पादन में होने वाली कटौती ही अपने आप में इतना विशाल दोष है कि इसे एक भारी रोग कहा जा सकता है। कुछेक भारतीय नेता इस तथ्य को भी समझने में सफल हो गये कि विदेशों में राष्ट्रीय संपत्ति के स्थानांतरण से देश की आय पर और देश के भीतर रोजगार पर घातक प्रभाव पड़ा।

उन्होंने इस तथ्य की ओर निर्देश किया कि निकासी के कारण राष्ट्रीय

आय को देश के भीतर ही खर्च किए जाने और उससे आय और रोजगार में अतिरिक्त वृद्धि होने की संभावना भी कम हुई। इस प्रकार धन की निकासी भारत के पुराने स्वेच्छाचारी धारकों और ब्रिटिश शासकों के बीच अन्तर का आधार थी। अतीत में शासकों ने अपनी प्रजा को भले ही लूटा हो परन्तु देश की संपत्ति देश के भीतर ही बनी रही और देश के भीतर ही खर्च की गयी। इससे निजी तौर पर कुछ नागरिकों को कष्ट अवश्य पहुँचा होगा, परन्तु कुल मिलाकर देश को कोई हानि नहीं हुई।

दूसरी ओर ब्रिटिश शासक देश की संपत्ति को देश से बाहर ले गये और उसे देश के बाहर ही उन्होंने खर्च किया। इस प्रकार पुराने शासकों के अन्तर्गत कराधान का भार कितना भी भारी क्यों न रहा हो परन्तु उसके आर्थिक प्रभाव देश की जनता के लिए इतने अधिक हानिप्रद नहीं थे जितने कि ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत, अपेक्षाकृत निम्न कराधान के आर्थिक प्रभाव हानिकारक हुए।

यहाँ तक कि जब नादिरशाह जैसे विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश पर आक्रमण किया और इसे लूटा, तब भी देश को होने वाली आर्थिक हानि अस्थायी थी। ये झटके अनियमित थे और कभी-कभी ही लगते थे। ब्रिटिश शासन काल में धन की निकासी सरकार की चालू व्यवस्था का ही एक अंग थी। अतः वह अबाध और निरन्तर चलने वाली थी और वर्ष-प्रतिवर्ष बढ़ने वाली थी। राष्ट्रवादियों ने निकासी से होने वाली संपत्ति की हानि की अपेक्षा पूँजी की हानि को अधिक घातक माना। उन्होंने यह स्पष्ट रूप से समझ लिया था कि संक्षेप में निकासी इस रूप में हानिप्रद थी क्योंकि यह देश को उत्पादक

पूँजी से वंचित करती थी। दादाभाई नौरोजी निकासी संबंधी अपनी समीक्षा के विश्लेषण में प्रारम्भ से ही इस पक्ष को सर्वोच्च स्थान देने वाले महानुभाव थे। राष्ट्रवादियों का मतव्य था कि निकासी के कारण देश में पूँजी संचय में बाधा उपस्थित हुयी और वर्तमान संचित पूँजी के विशाल भाग को विदेशी भूमि पर ले जाने से देश की प्रगति विलंबित हुई। राष्ट्रवादियों का मत था कि निकासी से उत्पन्न होने वाली पूँजी की न्यूनता के परिणामस्वरूप भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास, जो देश की आर्थिक मुक्ति के लिए अत्यावश्यक था, प्रतिबंधित हो गया। राष्ट्रवादियों द्वारा निकासी के विरुद्ध लगाया गया एक अन्य आरोप यह था कि इससे विदेशी पूँजी को देश में घुसने और देश का शोषण करने की सुविधा उपलब्ध होती थी।

उनके अनुसार सुविधा जुटाने का यह कार्य दो रूपों में होता था। प्रथम, निकासी भारत के अंदर पूँजी के संग्रह में बाधा पहुँचाकर और इस प्रकार से आंतरिक पूँजी को पंगु बनाकर, किसी प्रकार की स्वदेशी प्रतियोगिता की संभावना को समाप्त करके विदेशी पूँजीपतियों को भारत में आकर एकाधिकार जमाने तथा भारत के सभी संसाधनों का स्वेच्छापूर्वक दोहन करने की सुविधा जुटाती थी। द्वितीय, निकासी देश में निवेशित विदेशी पूँजी के संग्रह का एक प्रधान स्रोत थी क्योंकि निकासी का एक बहुत बड़ा भाग विदेशी पूँजी के रूप में फिर भारत में लाया जाता था।

राष्ट्रवादी नेता यह देखने में भी सफल हो गये कि संपत्ति के एक पक्षीय स्थानांतरण के परिणामस्वरूप होने वाली प्रत्यक्ष हानि के अतिरिक्त निकासी विदेशों

के साथ भारत के व्यापार-संबंधों को बिगाड़ने के रूप में एक दूसरा आघात भी कर रही थी क्योंकि निकासी के साथ विनिमय अधिशेष अनिवार्य रूप से जुड़ा तत्त्व था और यह भारत के निर्यात की एक अनिवार्य विशेषता बन गयी थी। फलतः भारत को विदेशी क्रेताओं को अपना माल खरीदने को प्रलोभित करने के लिए अपने माल की कीमत घटानी पड़ती थी। दूसरे शब्दों में निकासी के फलस्वरूप जिन शर्तों पर भारत आयात के बदले निर्यात करता था, वह इसके सर्वथा अनुकूल नहीं थी।

निकासी सिद्धांत की आलोचना

निकासी के इस सिद्धांत की आरम्भ से ही कटु आलोचना हुई। निस्संदेह इस संबंध में राष्ट्रवादियों के कुछेक विचार आज अतिरंजित प्रतीत होते हैं। कहा गया है कि दोहन की बात को राष्ट्रवादियों ने बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत किया है। विदेश व्यापार एवं निर्यात भारत की राष्ट्रीय आय का एक छोटा सा हिस्सा ही थे।

किन्तु नौरोजी के इस तर्क में भी बल है कि जिस धन का दोहन किया जा रहा था वह संभाव्य पूँजी का

प्रतिनिधित्व करता था जिसका यदि देश के भीतर ही समुचित निवेश किया जाता तो भारतीय आय को पर्याप्त बढ़ाया जा सकता था। निकासी सिद्धांत का मानक साम्राज्यवादी उत्तर स्ट्रेची के इस कथन में मिलता है कि 'इंग्लैंड को भारत से कुछ नहीं मिलता, सिवाय उसके जो अंग्रेजों की सेवाओं एवं खर्च की गयी उनकी पूँजी के बदले में मिलता है।'

इस तर्क के पहले भाग में स्पष्ट रूप से अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित तथाकथित सुशासन, कानून एवं व्यवस्था, इत्यादि से मिलने वाले लाभों का संकेत है। निकासी के 'आर्थिक' पक्षों की हिमायत इस आधार पर की गयी है कि भंडार-सामग्री की खरीद इंग्लैंड में की जा रही थी और लंदन के मुद्रा-बाजार में जितनी कम ब्याज दर पर ऋण जुटाया जा रहा था वैसा 19वीं सदी के भारत में संभव नहीं था। फिर भी कहा जा सकता है, जैसा कि राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों ने कहा भी है कि, यदि ऋण व्यवस्था एवं खरीद भारत में ही की जाती तो ऊँची दरों पर किया गया भुगतान भी देश के भीतर ही रहता। इसी प्रकार रेलों, बागानों, खानों एवं मिलों में निवेशित ब्रिटिश पूँजी से मिलने वाले लाभांशों

का इंग्लैंड भेजना इस आधार पर उचित ठहराया गया कि अंततः यह सब भारत को 'विकसित करने' एवं 'आधुनिक बनाने' के लिए ही किया जा रहा था।

साम्राज्यवादी पक्ष का मत था कि भारतीय राष्ट्रवादी आवश्यक कटौतियों का हिसाब न करके प्रायः निकासी को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं; वे इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं देते कि निर्यात अधिशेष का एक भाग तो अदृश्य आयातों, जैसे कि जहाजरानी सेवाएँ, आयातों और निर्यातों पर लगने वाला बीमा शुल्क तथा भारतीय छात्रों और पर्यटकों द्वारा विदेशों में किए गये खर्च आदि के खाते में चला जाता है।

संदर्भ

- Economic History of Modern India (1757 to 1947)/S.N. Pandey
- Economic History of Early Medieval Northern India/Gian Chand Chauhan
- Perspective in Social and Economic History of Early India
- Essays on Indian Economy/edited by Raj Kumar
- Socio-Economic History of Medieval India/K.N. Chitnis
- Economic and Social History of India/edited by Rajender Kumar



दलित साहित्य और नारी

डॉ. ब्रजबिहारी पाण्डेय

आज साहित्य में संक्रांति का काल आया हुआ है और संक्रांति काल जब उपस्थित होता है तो चिंतन की अनेक दिशाएं खुलती रहती हैं— यह ऐतिहासिक और साहित्यिक सत्य है। आज सावधानी की अपेक्षा है। आज उभय पक्ष (पीड़ित- पीड़कों) से संयम अपेक्षित है क्योंकि अविवेकपूर्ण छटपटाहट में धैर्य परित्याग से न तो निदान हाथ लगेगा न श्रेष्ठ दलित साहित्य परिनिर्माण में सहायता मिलेगी। पीड़ितों को एक सीमा से अधिक तल्लख होने की सलाह हितकारी जहाँ नहीं है वहीं जिस सवर्ण समाज ने पीड़न-प्रक्रिया अब तक जारी रखा उन्हें नत शिर अपने पश्चातापपरक आंतरिक शुचिभावना सहित गलतियाँ स्वीकारनी होंगी। अन्यथा अब इसमें विलंब विध्वंसकारी परिस्थितियों को आमंत्रित करेंगी। 'कीचड़ को कीचड़ से नहीं धोया जा सकता', इस हकीकत पर जितनी जल्दी अमल प्रारंभ होगा वही समाज के लिए अधिक मंगलकारी होगा। इस संक्रांतिकाल में हिन्दी साहित्य जगत् को जिम्मेवार भूमिका निभानी ही होगी और उसके पास इसके लिए पहले से भाग्येन सिद्धों, नाथों, बौद्ध धर्मानुरागियों, कबीर, रैदास, रविदास, दादूदयाल, पलटू दास, सहजोबाई, मीराबाई, राहुल सांकृत्यायन, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर प्रभृति युगप्रवर्तक भविष्यद्रष्टाओं का विपुल विचार का भंडार उपलब्ध है, मात्र उपयोग की प्रतीक्षा है। यह विपुल विचार भंडार समाधान सुझाने को हाथ फेलाए आमंत्रण दे रहा है।

महाभारतकार ने कहा है— “नहि मानुषात् श्रेष्ठतरं हि किञ्चित्”। उसे ही बांग्ला में रूपांतरित करते हुए चण्डीदास कहते हैं— ‘सावार ऊपर मानुष सत्य ताहार ऊपर किछू नाई’ और उसे ही काशी के पंडितों द्वारा अछूत घोषित पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने “मानव सत्य के अतिरिक्त शेष सत्यों को बौना” माना है।

अस्तु, इस आलेख में विवेचित विद्वज्जनों के विचार-विश्लेषण का अभिप्राय यह है कि दलित साहित्य मानवतावादी

सत्य है। मनुष्यता की स्थापना दलित साहित्य का लक्ष्य है। उसकी उपलब्धियों और सीमाओं की विवेचना मात्र विश्वविद्यालयों और साहित्य अकादमियों के सेमिनारों से पूर्णतः नहीं आंकी जा सकती है क्योंकि यह साहित्यशास्त्र के अतिरिक्त समाजशास्त्र का भी विषय है। अतः इसकी उपलब्धियों का पैमाना होगा कि उसने सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन में कितनी भूमिका का निर्वाह किया है एवं मुक्ति-संघर्ष के लिए दलितों को किस सीमा तक प्रेरित किया है।

आज का साहित्य प्रश्नों और विमर्शों का साहित्य है। कहना गलत नहीं होगा कि आज के तमाम नये प्रश्न दलित साहित्य ने ही उठाये हैं। स्त्री पर भी नया सवाल दलित साहित्य की ओर से ही खड़ा किया गया है। दलित साहित्य में स्त्री एक विवादास्पद विषय है। इसकी खासियत यह है कि तमाम बोल्लडनेस के बावजूद मुख्यधारा के साहित्य में नारी का वैसा कोई विरोध नहीं किया गया, जिससे पुरुषों को स्त्री-विरोधी कहा जा सके। इस्मत चुगताई, मृदुला गर्ग, मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान आदि के लेखन को लेकर कुछ विवाद अवश्य उठे; पर जल्द ही सतह पर आ गये। बाद में तो पुरुषों ने ही आगे बढ़कर नारीवादी साहित्य लिखे। लेकिन दलित साहित्य में नारी पर सवालों की झड़ी लग गयी। जाहिरन इसके दो खेमे बने—एक स्त्रियों के, दूसरे पुरुषों के। फिर स्त्रियों में भी दो-दो दल दिखायी देने लगे—एक नारीवादी, दूसरे उदारवादी। उसी प्रकार पुरुषों में भी दो परस्पर विरोधी खेमे हुए। ऐसे तमाम विवाद और विमर्श डॉ. धर्मवीर के ‘जारसत्ता’ सम्बन्धी विमर्शों को लेकर पैदा हुए और नारीवादी लेखिकाओं द्वारा डॉ. धर्मवीर और उनके समर्थकों को स्त्री-विरोधी करार दिया गया।

बात शुरू होती है डॉ. धर्मवीर की ‘मातृसत्ता, पितृसत्ता और जारसत्ता’ शृंखला में रचित ‘प्रेमचन्द : सामन्त का मुंशी’ पुस्तक के लोकार्पण से। स्त्रियों के व्यापक विरोध के कारण नामवर जी उक्त पुस्तक का लोकार्पण नहीं कर पाते हैं, फिर धर्मवीर की ‘कामसूत्र की संतानें’ और ‘तीन हिन्दू स्त्रीलिंगों का चिन्तन’ जैसी पुस्तकों पर विवाद छिड़ता है और प्रतिक्रिया में ‘मेरी पत्नी और भेड़िया’ और ‘प्रेमचन्द की नीली आँखें’ जैसी किताबें आती हैं। इस प्रकार दलित साहित्य में स्त्री पर एक नया सवाल उठता है।

हिन्दी विभाग, ओरियण्टल कॉलेज, पटना सिटी

प्रस्तुत शीर्षक के अन्तर्गत साहित्य के सामान्य धरातल से लेकर अध्यात्म के शिखर स्तर तक की यात्रा गहन गवेषणात्मक विमर्श के प्राक्कथन की अपरिहार्य अपेक्षा रखती है। अस्तु हिन्दी साहित्य और आधी दुनिया यानी नारी केन्द्रित हिन्दी भाषा साहित्य के रचना संसार पर आलोचनात्मक दृष्टि डालने का यह प्रयोजन अत्यन्त साम्प्रतिक महत्व का विषय है। नारी और दलित विमर्श के हिन्दी संस्करण के जनक हंस के सम्पादक राजेन्द्र यादव ने तो रजत रानी 'मीनू' की शोध पुस्तक नवें दशक की हिन्दी दलित कविता' की भूमिका लिखते हुए स्पष्ट घोषणा की है कि "साहित्य का सारा भविष्य अब स्त्री और दलित चेतना से निर्धारित होने जा रहा है।"

नारी विमर्श और दलित साहित्य पर सहस्राधिक आज चर्चाएँ हो रही हैं। अतः प्रथमतः यह जानें कि दलित साहित्य है क्या? इसे जानने के लिए संक्षिप्त-रूप में यह चुभता सत्य स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए कि भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही दुर्भाग्यवश 'दलित' नामधारी समाज को योजनाबद्ध तरीके से वहिष्कृत समूह में डाल दिया गया है। शायद तब से जब मानव सभ्यता विकसित हुई और तथाकथित सभ्यों ने अपनी निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए देश के एक बड़े वर्ग के नैसर्गिक हक को छल बल से छीन लिया है। ऐसी सकारात्मक सोच बद्धमूल किये बगैर दलित साहित्य की वैचारिकी पर विमर्श, बीमार मानसिकता का द्योतक होगा। डॉ. चमनलाल ने 'दलित साहित्य' को परिभाषित करते हुए कहा- 'दलित साहित्य वह साहित्य है, जो दलितों के जीवन, उनके सुख-दुख, उनकी सामाजिक-राजनीतिक स्थितियों, उनकी संस्कृति, उनकी आस्थाओं-अनास्थाओं, उनके शोषण-

उत्पीड़न तथा इस उत्पीड़न-शोषण का दलितों द्वारा प्रतिरोध की परिस्थितियों को व्यापकता तथा गहराई के साथ, कलात्मकता से प्रस्तुत करता है।"

यह कैसी विडम्बना है कि संस्कृत और हिन्दी उभय साहित्यों के आदि कवि वाल्मीकि दलित जगत् से आते हैं किन्तु सम्पूर्ण संस्कृत वाङ्मय में दलित दयनीय-दशा का निदर्शन कराने वाली किसी ख्यात कवि की कोई कृति दूढ़े नहीं मिलती। हाँ, पाली साहित्य अवश्य दलितों के साथ न्याय करता दिखता है, क्योंकि बौद्ध प्रभाव होने के कारण वहाँ करूणा विद्यमान है। अब यहाँ जब 'करूणा' शब्द का प्रयोग किया गया है तो इसी संदर्भ में जान लें कि दलित कौन हैं? आचार्य किशोर कुणाल के दससूत्र वाक्य यहाँ उद्धृत करना समाचीन होगा।¹

1. शोक जिसका आहार, अश्रु जिसका उद्गार और अभिशाप जिसका उपहार रहा है, वह दलित है।
2. बहिष्कार जिसका सत्कार, बेगार जिसका नित्य त्यौहार और दुत्कार, फटकार एवं तिरस्कार जिसका पुरस्कार रहा है, वह दलित है।
3. दुर्भाग्य जिसका पर्याय, दास्य जिसका व्यवसाय और दारिद्र्य जिसका अमिट अध्याय रहा है, वह दलित है।
4. अभाव जिसका भाग्य, अन्याय जिसका साक्ष्य और विलाप जिसका काव्य रहा है, वह दलित है।
5. अपमान जिसका प्रतिमान, पुरुषार्थ जिसका धनुष-बाण और अंगूठा जिसका अनूठा दान रहा है, वह दलित है।

6. बंधन जिसका कंगन, उत्पीड़न जिसका ईधन और अधिकार-अपहरण जिसका आलिंगन रहा है, वह दलित है।
7. विपत्ति जिसकी नियति, सम्पत्ति जिसकी स्वप्निल स्मृति और क्रांति जिसकी प्रसुप्त प्रवृत्ति रही है, वह दलित है।
8. दीनता जिसकी गृहिणी, दासता जिसकी भगिनी और अस्पृश्यता जिसकी संगिनी रही है, वह दलित है।
9. मौन जिसकी वाणी, क्रन्दन जिसकी कहानी और वेदना जिसकी रानी रही है, वह दलित है।
10. श्रम को साध्य और कर्म को आराध्य मानकर भी दैन्य-दंश झेलने के लिए जो सदैव बाध्य रहा है, वह दलित है।

इन दस सूत्र वाक्यों में से दो अन्त के वाक्यों पर हम ध्यान केन्द्रित करें तो दलित साहित्य और दलित चेतना का मर्म स्पष्ट हो जाएगा। पहले हम यह स्वीकार कर लें कि सवर्णों की निपट अंधी स्वार्थपरता का परिणाम दलित चेतना का अभ्युदय है। स्वार्थ साधन के लिए शास्त्रीय विधानों शम्बूक आदि अग्राह्य कथाओं का कवच पहना गया, उनके शोषण को सर्वथा उचित ठहराये जाने के लिए स्मृतियों के स्थान-स्थान पर तर्कानुमोदित निर्देश प्रस्तुत किए गए। इस वर्ग को उपहास्य सहजता से सहने की मानसिकता बनाने के सफल षड्यंत्र किये गये। मौन जिनकी वाणी, क्रन्दन जिनकी कहानी, वेदना जिनकी रानी रही वह समाज बाबा साहब भीमराव अंबेदेकर के क्रांतिकारी उद्बोधनों से जाग गया है, अपनी सजग घ्राण शक्ति से इस समाज ने षड्यंत्रों की दुर्गंध

अन्तरस्थ कर ली है और इसके जहरीले प्राणघातक दीर्घकालिक कुप्रभावों की पहचान कर ली है। आज का उसका मंत्र है कि 'श्रम हमारा साधन है, कर्म हमारा आराध्य और स्वाभिमान तथा सामाजिक समानता हमारा साध्य है' अतः वह हुंकार रहा—

दुकान हमारी भी है/और तुम्हारी भी/यह बात और है कि

हमारी दुकान पर बिकता है जूता/
और तुम्हारी दुकान पर रामनामी

हमारे लिये जूते का महत्त्व वही है/
जो तुम्हारे लिये रामनामी का

आओ समानता का तार पकड़ें/एक तार का सूत्र गढ़ें।⁴

ओ प्रवंचक सवर्ण समाज! हम अब दैन्य दंश और झेलने को तैयार नहीं। युगायुगीन उपेक्षाएँ स्वीकारने को हम बाध्य नहीं, बाध्यता तुम्हारी है कि हमारी गरिमा स्वीकार करो, मान्यता दो, हमारी बराबरी और सामाजिक साझेदारी को। यही आज सहज श्लाघ्य है क्योंकि परिस्थितियाँ परिवर्तित हो गयी हैं तो संदर्भ और अर्थ भी बदलेंगे ही—

तुमको पीड़ा में ढूँढा,
तुममें ढूँढूंगी पीड़ा।⁵

तुम मारते भी थे और बहला पुचकार भी लिया करते थे किन्तु शोषण तुम्हारा निरंतर जारी रहता था और हम भांप न लें इसके लिए तुम सचेत रहते थे— सामाजिक व्यवस्था, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, शास्त्रीय न्याय का आड़ लेकर सुख भोगते रहे हो, फुसलाने वाली चाल को हम सरल और ईमानदार लोग समझ नहीं पाते थे— पीड़ित तुम करते थे और तुम्हीं से हम पीड़ा के उपचार की उम्मीद करते थे। अब स्थिति उलट गयी है। हम अपनी सामाजिक पीड़ा तुममें ढूँढना चाहते हैं। पांवों में विवाई फटे तो कैसे

आदमी तड़पता है इसका एहसास तुम्हारे निजी एडियों की दरारों से चल कर आँखों में उतरता देखना चाहते हैं — मेरी दृष्टि में 'दलित चेतना' यही है। समान हाड़मांस का प्राणी जब साम्यभावेन उपलब्ध क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर के परिवेश में उत्पन्न होकर आदिकाल से असमान परिस्थिति में पलता, बढ़ता, बढ़ा होता और वैसे ही असमानता में आजीवन अविरोधी भाव से जीवित रहने को विवश कर दिया जाएगा तो उसे एक न एक दिन तो चेत आनी ही थी। सो अब वह चेत गया है। उसकी आत्मा जाग्रत हो गयी है। प्रतिकारी विरोध और विद्रोह हो रहे हैं। साहित्य के माध्यम से उसकी संचित कड़वाहट बाहर आ रही है क्योंकि साहित्य अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम सुदीर्घ परिणामदायी सशक्त माध्यम है। वस्तुतः दलित चेतना के नव बीज सामाजिक विसंगतियों में अदम्य जिजीविषा के साथ यहीं से संजीवनी रस प्राप्त कर रहे हैं। आज अस्वीकृति के कालिया नाग को अन्तस् में बसाये किन्तु बाहर से सहज निर्विकार रहने का स्वांग कोई भले ही कर ले पर सामाजिक अनिवार्यता यही है कि आधुनिक समाज मान ले की अन्याय हुआ है। जातिगत, वर्णगत दमन के इस गहरे दंश की विस्फोटक परिणति को तत्त्वदर्शी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत पहले पहचान लिया था। तभी सवर्णों को सचेत करते हुए कहते हैं "चुटकी बजाकर हजारों वर्ष की संस्कृति को उड़ाया नहीं जा सकता है।" हम यह नहीं कह सकते कि हममें दोष नहीं है। दोष एक-दो हैं? पाप हमने कम किये हैं। करोड़ों को हमने अनजान में नीच बना रखा है, करोड़ों को जान बूझकर पैरों तले दबा रखा है, और करोड़ों को हमने उपेक्षा से महान् संदेश के अयोग्य समझ रखा है।

नतीजा यह होता है कि जब हम आगे बढ़ने लगते हैं तब कुछ लोग नीचे की ओर खींचते हैं—जिन्हें पैरों दबाया है उन्हें कैसे आगे बढ़ने देंगे? और कुछ लोग पीछे की ओर खींचते हैं।⁶

दलित साहित्य से आलोचना-प्रत्यालोचना-समालोचना करने वालों के सामने जो स्वस्थ साहित्यिक परिदृश्य आज खड़ा है उसमें स्पष्ट स्वानुभूत और सहानुभूत की दो तस्वीरें प्रत्यक्ष उभरी हैं। स्वानुभूत साहित्य की तल्लु भाषा शैली पर प्रो. चितरंजन मिश्र से लिया गया साक्षात्कार—उद्गार यहाँ उद्धृत करना चाहूंगा भाषा कड़वी नहीं हो जाएगी हमने "चमार" शब्द को गाली के रूप में व्यवहृत करना शुरू कर दिया, किसी के भरे-पूरे अस्तित्व को अपनी गंदी गाली का पर्याय बना दिया है यानी आपकी दृष्टि में वह हिकारत का पात्र है तो क्या प्रतिक्रिया प्रशस्ति — लोकों वाली होगी? क्या सामाजिक जातिगत संरचना पर सिद्धों का तेवर हमलावर आपको नहीं दृष्टिगत होता? इसी 'बड़-छोट' का तो असर है कि कबीर ने विप्रों से प्रश्न पूछा कि शिर के अलावे किसी और बाट से तुम्हारा जन्म क्यों नहीं हुआ—जो तुम बाभन बाभनी के जाए, आन बाट ते क्यों नहीं आए।⁷ सिद्धों, नाथों और कबीर जैसे स्पष्ट वक्ताओं के गुजरे लम्बा समय बीता आप दलित दलन की सामंती प्रवृत्ति से नहीं उबरे तो यह स्वाभाविक है।⁸

दलित साहित्य के साथ विमर्श क्रम में जब नारियों की चर्चा होती है तो प्रो. चमन लाल के निम्नलिखित विचार सार्थक लगते हैं— "सच्चे दलित व सच्चे नारीवादी लेखन का उद्देश्य एक ऐसे जनतांत्रिक समाज के निर्माण की प्रेरणा प्रदान करना है, जिस समाज में लिंग, जाति, रंग, वर्ग या आयु के आधार पर

मनुष्यों के बीच भेद-भाव या ऊँच-नीच का विचार न हो।”

यद्यपि सभी नारियाँ दलित कोटि की ही मानी जाती हैं तथापि साहित्य जगत् की दलितेतर कतिपय साहित्य लेखिका नारियों की परिगणनीय तालिका अति संक्षिप्त रूप से यहाँ प्रस्तुत है— महाश्वेता देवी, मन्नु भंडारी, ममता कालिया, मृदुला गर्ग, मृणाल पाण्डे, राजी सेठ, नासिरा शर्मा, चित्र मुद्गल, मैत्रेयी पुष्पा। यहाँ सवर्ण लेखिकाओं की नाम सूची उपस्थापन पश्चात् अपनी ओर बिना किसी बहस-टिप्पणी के राजेन्द्र यादव का कथन उद्धृत है—“जितनी भी महिला साहित्यकार स्त्री विमर्श पर लिख रही हैं उनमें अधिकतर या कहें सभी लेखिकाएँ हिन्दू सवर्ण समाज से संबंधित हैं। उनकी पारिवारिक परिस्थितियाँ शिक्षित समाज की रही हैं। प्रत्येक दृष्टि से वह सम्पन्न हैं। जब अपने लेखन में वह थोड़ी-सी अश्लीलता का प्रवेश करा देती हैं तो पाठकों को रीतिकाल याद आने लगता है।¹⁰ यही कारण है कि मैंने मात्र सवर्ण नारी लेखिकाओं के नाम उल्लेख की औपचारिकता प्रतिपूर्ति को ही पर्याप्त समझा।

दलित महिला साहित्यकारों की सूची के उपस्थापन के पूर्व यहाँ प्रखर बेवाक तथा सुदृढ़ स्थापना प्रस्तुत करने वाली दलित लेखिका डॉ. रजत रानी ‘मीनू’ को उद्धृत करना चाहूँगा— ”.... ‘मंगली’, अंगारा, अंतिम बयान, क्षितिज, आज की अहिल्या, अंगुरी एक ही प्रवृत्ति की कहानियों में कहानीकार क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या स्त्रियाँ अपने शोषक पर हथियार उठाकर अपराध की ओर उन्मुख हों? क्या कानून हाथ में लेना, यह स्त्री और समाज के हित में होगा और क्या यह अम्बेदकरी समाधान है?”¹¹

ऐसा कहते समय ऐसा नहीं है कि रजत रानी ‘मीनू दलित’ जीवन की गंभीर समस्याओं से विमुख है। कदाचित् औरों से अधिक दलित नारी जीवन के तिहरे भीषण शोषण से पूर्ण अनभिज्ञ हैं। तभी वे आगे कहती मिलती हैं— “समस्या गंभीर है इसको नकारा नहीं जा सकता किन्तु समाधान एक जैसे देने से प्रश्न अवश्य खड़े होते हैं.. समान स्वभाव वाली कहानियों में मात्र समस्या का प्रगटन ही हुआ है। उनके समाधान न तो व्यावहारिक है न वैधानिक। वे एक-दूसरे से इतनी ज्यादा मिलती हैं कि उनकी पठनीयता भी प्रभावित हुई है।”¹²

इस संदर्भ में प्रो. चमनलाल का कथन अधिक प्रासंगिक है जहाँ उन्होंने दलित/दलितेतर नारी साहित्यकारों की भीड़ में से कुमुद पांवड़े, बेबी कांबले, मल्लिका ऊमर शेख, शांताबाई कांबले, ज्योति लोजेबानी, मीना गजभिए का नाम उल्लेख करते हुए हिन्दी जगत् में कौशल्या, सुशीला टाकभौरें, विमल खांडेकर, रजत रानी ‘मीनू’, रजनीतिलक को उल्लेख्य मानते हैं। “भारतीय भाषाओं में दलित महिला लेखन” नामक प्रो. चमनलाल का आलेख हिन्दी साहित्य जगत् के लिए महान् लेखकीय अवदान है क्योंकि यह आलेख दलित साहित्य अध्येताओं की आँखें खोलने वाला है। इस आलेख में प्रवाहपूर्ण प्रभावशाली शैली में प्रो. चमनलाल ने दलित नारियों के आत्मकथात्मक कृतियों का वर्णन करते-करते 1882 में हिन्दी में लिखित ‘एक अज्ञात नारी की आत्मकथा’, ‘सीमन्तनी उपदेश’ की ऐसी चर्चा उठायी है कि इस आत्मकथा को पढ़ने की भूख दलित साहित्य प्रेमियों में स्वतः जागृत हो उठती है।

दोहरा अभिशाप (कौसल्या बैसंत्री), सन् 1999 में प्रकाशित यह आत्मकथा

दो मोर्चों पर प्रथम होने का गौरव रखती है। शीर्षक ‘दोहरा अभिशाप’ स्पष्टतः दलित के इसी सवर्ण समाज और दलित पुरुष समाज से मिली यंत्रणाओं को लक्ष्य कर रखा गया है, जबकि कारुणिक सच यह भी है कि एक दलित स्त्री को दोहरे ही नहीं कितने ही स्तरों पर अपने जीवन में रह-रह कर अभिशाप भोगने पड़ते हैं। यानी स्त्रियों को अभिशाप-दर-अभिशाप भोगने पड़ते हैं। किसी मराठी भाषी द्वारा हिन्दी में लिखी यह पहली आत्मकथात्मक कृति है। लेखिका ने अपनी इस आत्मकथा में न केवल दलित होने की पीड़ा को जीवन्तता दी है बल्कि महिला होने की वेदना का अहसास भी संवेदनशील पाठकों को करा दिया है। आत्मकथा से यह बात छनकर आती है कि महिलाओं के मामले में सवर्ण पुरुष की सोच एवं दलित पुरुष की सोच एक जैसी ही सामंती हो जाती है। कौसल्या बैसंत्री का जीवन इस बात का प्रमाण है कि उनके व्यक्तित्व-निर्माण में सर्वाधिक बाधाएं पति समेत उनके स्वजाति-समुदाय के पुरुषों ने ही खड़ी की। यह हिन्दी दलित आत्मकथा में पहली बार हुआ है कि लेखिका ने एक दूसरे पक्ष को भी सामने रखा है कि सिर्फ सवर्ण ही दलितों का शोषण नहीं करते, बल्कि दलित भी दलित का शोषण करने से नहीं चूकते जबकि दलित पुरुषों की आत्मकथाओं में दलित-दलन के लिए प्रायः सवर्ण ही कठघरे में रखे जाते हैं। अलबत्ता, सूरजपाल ने जरूर दलितों में भी ऊँच-नीच की ब्राह्मणवादी संस्कार पलने की घटना को प्रमुखता से उभारा है।

महिला सशक्तीकरण एवं स्त्री विमर्श आंदोलन की एक मांग यह भी है कि सत्ता में साझेदारी के बगैर महिला

सशक्तीकरण कोरा सपना होगा, संसद और विधायिका में 33 प्रतिशत आरक्षण चाहिए? सवाल है 33% क्यों? 50% क्यों नहीं, जब हम आधे-आधे हैं(48%) हैं और ईश्वर ने हमें बनाने में कोई गैरबराबरी नहीं की है, तो मानव निर्मित विधान को बनाने में हमें बराबरी का हक क्यों नहीं? साथ ही एक सवाल यह भी है कि संसद में अगर महिला बिल पारित हो भी गया तो क्या उसका लाभ भारतीय आत्मा जो गांवों में बसती है, जिसकी आबादी 78% है, उस गांव की गंवारनों को क्या इसका लाभ ये 22% शहरों-महानगरों में रहने वाली मेमें उनके साथ न्याय कर पायेंगी? अगर महिला सशक्तीकरण के नाम पर चले इस आंदोलन से अगर आम अवाम लाभान्वित नहीं हो पाये तो आंदोलन भी बेकार है और गलत खाते में विनिवेश का फल भी गलत ही होगा, बोयेंगे पेड़ बबूल के तो आम कैसे चाभ पायेंगे?

आम का आनंद पाना है तो इस लाभ को अंतिम औरत तक पहुंचाने का आश्वासन हमारी संभ्रांत बहनों को देना ही होगा!

अतएव सवर्णों को पश्चातापमूलक मुद्रा में स्वीकार्यता का भाव लिए शीघ्रतिशीघ्र आगे आना होगा और दलित समाज को भी बीते कल का अविस्मरणीय दंश भुलाने की धैर्यपूर्ण अल्पकालिक सफल अभ्यास करना होगा। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है— “नान्या पंथाः अन्याय।”

संदर्भ सूची:-

1. दलित चेतना और स्त्री विमर्श, सम्पादक विजय कुमार संदेश व अन्य, क्लासिकल पब्लिकेशन कम्पनी, प्रथम संस्करण 2009. भूमिका भाग 1, पृ. सं. नहीं/
2. प्रो. चमनलाल दलित साहित्य एक मूल्यांकन, राजपाल एंड संस दिल्ली, प्रथम संस्करण, पृ. सं. 15./
3. दलित देवो भवः प्रथम भाग आचार्य किशोर कुणाल, प्रकाशन विभाग, सूचना

एवं प्रसारण मंत्रालय, संस्करण 2005. पृ. सं. 20. /

4. दलित चेतना और स्त्री विमर्श, सम्पादक विजय कुमार संदेश व अन्य, क्लासिकल पब्लिकेशन कम्पनी, प्रथम संस्करण 2009. पृ. सं. 62./
5. महादेवी वर्मा/
6. हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग्रंथावली, पृ. सं. 159. राजकमल/
7. कबीर ग्रंथावली, श्यामसुंदर दास /
8. प्रो. चितरंजन मिश्र, हिन्दी आधुनिक भारतीय भाषा तथा पत्रकारिता दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर।
9. प्रो. चमनलाल, दलित साहित्य एक मूल्यांकन राजपाल एंड संस दिल्ली, प्रथम संस्करण पृ. सं. 78.
10. दलित-मुक्ति- संघर्ष और कथा साहित्य- डॉ. इकरार अहमद, नवराज प्रकाशन दिल्ली, प्रथम संस्करण, पृ. सं. 167.
11. दलित चेतना और स्त्री विमर्श, सम्पादक विजय कुमार संदेश व अन्य, क्लासिकल पब्लिकेशन कम्पनी, प्रथम संस्करण 2009. पृ. सं. 301/
12. वही पृ. सं. 301. रजत रानी मीनू



हिन्दी लोक साहित्य की वाचिक परंपरा

कुमार चंदन

संस्कृति एक समूहवाचक शब्द है जो जातीय संस्कारों से निर्मित होता है। जलवायु के अनुकूल रहन-सहन की विधियाँ और विचार-परंपराएँ जाति के लोगों में दृढ़मूल्य हो जाने से जाति के संस्कार बन जाते हैं। इनको प्रत्येक व्यक्ति अपनी निजी प्रकृति के अनुकूल न्यूनाधिक मात्रा में पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त करता है। ये संस्कार व्यक्ति के घरेलू जीवन तथा सामाजिक जीवन में परिलक्षित होते हैं। मनुष्य अकेला रहकर भी इनसे छुटकारा नहीं पा सकता। संस्कृति एक देश-विदेश की उपज होती है, उसका संबंध देश के भौतिक वातावरण और उसमें पालित-पोषित एवं परिवर्द्धित विचारों से होता है।¹ यह सांस्कृतिक विरासत हमें वाचिक परंपरा की मर्यादित अभिव्यक्ति से प्राप्त होती है।

वैसे तो वाचिक परंपरा की शुरूआत मानव की उत्पत्ति के साथ ही हुई होगी जो संस्कारित होती हुई आज तक प्रवहमान है और भविष्य में भी गतिशील बनी रहेगी। इसके उत्पत्ति के संकेत हमें भारतीय वाङ्मय के अक्षय भंडार से मिलते हैं। प्राचीन काल में वेद, उपनिषद्, महाकाव्य, पुराण आदि ग्रंथ रचे गये। वाचिक परंपरा के ही कारण संस्कृति की निरंतरता भी बनी रहती है। वर्तमान काल की कई रीतियों, सामाजिक व्यवस्थाओं तथा धार्मिक आस्थाएँ आदि का स्रोत आज भी इसी परंपरा को स्वीकार किया जाता है।

आज वाचिक परंपरा का रस हमें लोक-साहित्य, लोक-कला, लोक-नृत्य, लोक-संगीत और लोक-वार्ता आदि में उपलब्ध होता है। वाचिक परंपरा शरीर और मन, आत्मा और बुद्धि, मन और प्राण, प्राण और वाणी इन सबके सामंजस्य पर बल देती है। वैदिक ऋषियों ने कहा ऐसी वाणी सांख्य की, सखा भाव की, सखी भाव की पहचान करती है। अपने भीतर सोयी हुई पराये होने की पहचान कराती है, इच्छा की पहचान कराती है।

हम हैं ही इसीलिए कि दूसरों के हैं, यह परंपरा जीवन के रस की तलाश है।²

वाचिक परंपरा लोकभाषा में पूर्ण अभिव्यक्ति को प्राप्त होती है। लोक-भाषा में लोक-साहित्य का सृजन होता है। पूरी दुनियाँ में लोक-जीवन की कथाओं का विशाल भंडार है। इन कथाओं का विकास मानवता के विकास के साथ-साथ हुआ। लोक-जीवन में प्रचलित इन कथाओं के गर्भ में आदिम काल से आधुनिक काल तक की वाचिक परंपरा का ही पोषण हुआ है।

सामान्य और निरक्षर मानव समुदाय के सुख-दुख, हर्ष-विषाद और आचार-विचार को इसी वाचिक परंपरा के अंतर्गत वाणी मिलती है जिसे लोग नैसर्गिक राग-बोध द्वारा गीतों आदि के रूप में व्यक्त करते हैं, कालयापन और मनोरंजन आदि के लिए कथा-कहानियों की रचना करते हैं। बच्चों का जी बहलाने, उन्हें शिक्षा अथवा उपदेश देने और सामान्य लोगों के विवेक को जागृत करने के लिए पहेलियों और कहावतों आदि का सृजन करते हैं।

हिन्दी लोक साहित्य में यह वाचिक परंपरा परिनिष्ठित हिन्दी साहित्य की परंपराओं की अपेक्षा अधिक प्राचीन है। एक ओर यदि संपूर्ण हिन्दू क्षेत्र के जन-जीवन, आचार-विचार और रीति-रिवाज में इसके स्रोत खोजे जा सकते हैं तो दूसरी ओर प्राचीन भारतीय वाङ्मय में इसकी विभिन्न शैलियों के मूल स्रोत ढूँढे जा सकते हैं। विश्व में धर्म, दर्शन, ज्योतिष, गणित, साहित्य, संगीत और कला की दृष्टियों से भारत एक समृद्ध राष्ट्र की भूमिका अदा करते आया है। नाट्य, नृत्य, गीत, पर्व और उत्सव की अनेक परिपाटियाँ यहाँ एक सनातन परंपरा द्वारा प्रवर्तित होती आयी हैं। यहाँ के लोग देवी-देवता, भूत-प्रेत, राक्षस और अप्सरा आदि अतिमानवीय, अमानवीय प्राणियों के प्रति सदैव आस्थाशील रहे हैं। लोग जीवन के समानांतर शिष्ट जीवन में भी तंत्र-मंत्र, जादू-टोना, झाड़ू-फूँक, दुआ-ताबीज जैसी अवैज्ञानिक क्रिया-प्रक्रिया में यहाँ के लोगों का विश्वास रहा है। यह समस्त वातावरण वाचिक परंपरा की ही अभिव्यंजना है।

हिन्दी भाषा और उसकी बोलियों की उत्पत्ति से पूर्व संस्कृत और परवर्ती भारतीय भाषाओं में कथा-आख्यायिका का साहित्य बहुत समृद्ध रहा है। यह कथा-आख्यायिका इन प्रदेशों के जन-जीवन और रहन-सहन की ही समर्थ अभिव्यक्ति

है। जातक कथा में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों के वृत्तांत गाथाओं के रूप में दिये गये हैं। इसमें लोक-जीवन की सामान्य मौखिक कथा-कहानियों की अनेक शैलियाँ तथा प्रवृत्तियाँ एक-साथ देखने को मिल जाती हैं। हिन्दी लोकाख्यानों को ब्राह्मण साहित्य ने अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित किया है। इन ग्रंथों में रामायण, महाभारत, कथा सरित सागर, पंचतंत्र और हितोपदेश महत्वपूर्ण हैं। महाभारत और रामायण के संबंध में भी यह निश्चित किया जा चुका है कि हमारे देश और जाति के प्रतिनिधि ये दोनों ही ग्रंथ वस्तुतः लोक गाथाओं एवं वीरगाथाओं के आधार पर लिखे गये हैं।³ शतपथ तथा ऐतरेय ब्राह्मण में अनेक लोक-गाथाएं संग्रहीत हैं। बौद्ध सिद्धों एवं नाथों के चर्यापद एवं ब्रजगीत भी हिन्दी लोक गाथाओं या गीतों की पूर्व पीठिका स्वीकार की जा सकती है। भजन और निर्गुण की परम्परा को भी इस श्रेणी में रखा जा सकता है। जयदेव और विद्यापति के गीत भी इसी वाचिक परम्परा के उदाहरण कहे जा सकते हैं।

हमारे यहाँ की वाचिक परम्परा का ही परिणाम भारतीय नाट्य विद्या है। संस्कृत साहित्य का एक बहुत बड़ा भाग नाटक साहित्य है। मध्यकाल में मुसलमानों के द्वारा नाट्यकला को भले ही हतोत्साहित किया गया लेकिन ये कलाएँ आज तक जीवित रह सकीं। लोक जीवन के सांस्कृतिक तथा सामाजिक उत्सवों में इसकी अनिवार्यता बनी रही। रामलीला तथा रासलीला इसी परम्परा की अभिव्यक्ति है। स्वांग, नकल, भंडैती तथा नौटंकी आदि इसी वाचिक परम्परा की परिणति है। इस परम्परा को विकसित होने में कई जनपदीय बोलियों और भाषाओं का योगदान है। ये बोलियाँ या भाषाएँ हैं— मैथिली, मगही, अंगिका,

भोजपुरी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, राजस्थानी, मालवी, कौरवी, पंजाबी, डोगरी, कांगड़ी, गढ़वाली, कुमाऊँनी, नेपाली, कुलुई, चंबियाली आदि। इन भाषाओं में यह परम्परा आज भी लोक-कहानियों, लोक-गीतों, लोक-संस्कारों तथा प्रवचनों आदि में जीवित है।

हिन्दी प्रदेशों में वाचिक परम्परा को पुष्ट करती हुई लोक साहित्य की कई विधाएँ प्रचलित हैं जिनमें कहानियों-कथाओं का स्थान सर्वोपरि है। इन्हीं लोक कहानियों की अभिव्यक्ति दादी-नानी की कथाओं में मिलती रही है। कुछ कहानी इतिहास विषयक हैं। इन कहानियों में राजा भोज की कहानी, राजा विक्रम, राजा भरथरी, राजा गोपीचंद्र, राजा रिसालू, रानी पद्मिनी, पन्ना धाई, गोरा-बादल, आल्हा-ऊदल आदि की कहानियाँ प्रमुख हैं। पौराणिक कहानियों में शिवि की कहानी, दधीचि की कहानी, हरिश्चन्द्र, भगीरथ, भक्त-ध्रुव, सुदामा-चरित, श्रवण कुमार, गौरा-पार्वती, सावित्री-सत्यवान, नल-दमयन्ती तथा विष्णु के विभिन्न अवतारों की कहानियाँ आदि प्रमुख हैं। ठीक इसी तरह कुछ कहानियाँ पशु-पक्षियों आदि से भी संबंधित हैं तो भूत-प्रेत भी कुछ कहानियों के पात्र हैं। इस परम्परा के पोषक लोकगीतों की कई शैलियाँ प्रचलित हैं। इनमें वसंत ऋतु के गीत, जैसे-फगुआ, होरी, रसिया, कबीर, चैती, वर्षा ऋतु के गीत, जैसे- सावन, हिंडोला, कजरी, चौमासा, बारहमासा, मल्हार, प्रबन्ध, व्रत और पूजा के गीत, जैसे- लंगुरिया, छठी माता के गीत, देवी गीत, भजन, श्रमगीत, जैसे- सोहनी, रोपनी के गीत, कोल्हू के गीत, चरखा गीत, जँतसार, चाँचर, जाति-गीत, जैसे- बिरहा (अहीरों के गीत), कहरवा (कहारों के गीत),

पचरा (दुसाधों के गीत), तेलियो के गीत, धोबियों के गीत, चमारों के गीत, बच्चों के गीत, जैसे- लोरी, ओक्का-बोक्का, चंदामामा, चुटकुले, अन्य गीत, जैसे- दादरा, पुरबी, नचारी, झूमर आदि गीतों की शैलियाँ इसी वाचिक परम्परा की अविरल प्रवाहित धारा है। भारतीय समाज में संस्कारों का बड़ा महत्व माना गया है। गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक संस्कारों का क्रम चलता रहता है। इस समय व्यक्ति को इन समस्त संस्कारों के शास्त्रीय तथा लौकिक अनुष्ठानों के बीच से गुजरना पड़ता है। प्रत्येक संस्कार के अपने गीत हैं जो उन उत्सवों पर गाये जाते हैं। जन्म संस्कार के गीत, जैसे-साध, सरिया, रोचना, सोहर, खेलावना, मंगल, बधाई, नेग-निछावर, जच्चा-बच्चा की देखभाल से संबंधित गीत, छठी गीत, नामकरण के गीत (तगा), मुंडन तथा जनेऊ के गीत, जैसे- बरूआ, विवाह के गीत, जैसे- शगुन, लगन, कोहबर, बन्ना, बन्नी, नहछू, घोड़ी, सेहरा, सोहाग, जोग, नकटा, गाली, बिदाई, भात, भांवर, मृत्यु संस्कार के गीत आदि के माध्यम से लोक-जीवन ही अभिव्यक्त होता है।

आज वाचिक परंपरा की श्रेणी में प्रवचन आदि को भी रखा जा सकता है। आज के प्रवचनकर्ता अपने आध्यात्मिक और शास्त्रीय ज्ञान से उसी लोक पक्ष को अभिव्यक्त कर रहे हैं जिसे विकसित मानव कला ने वाणी से लिपि तक पहुँचा दिया। वाचिक परम्परा के तत्व (लोककथाओं) के प्रचार-प्रसार में आज टी.वी. जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की भूमिका को हम नकार नहीं सकते हैं। रामायण और महाभारत की कथाओं और घटनाओं का आज जो प्रसार संपूर्ण भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में हुआ है उसमें इस माध्यम का बड़ा योगदान

है। आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, योग आदि क्षेत्रों को वाचिक परम्परा प्रश्रय दे रही है।

दुःखद बात तो यह है कि विज्ञान और तकनीकी के इस भौतिक दौड़ में वाचिक परम्परा का काफी ह्रास भी हुआ है। परिवार में नाना-नानी और दादा-दादी अपने नातियों-नतनियों और पोते-पोतियों को कहानी सुनाकर तथा उनके पक्ष प्रश्नों का उत्तर देकर जिस परम्परा का पालन और जीवन में रस अनुभव करते थे, वह परम्परा ही खोखली हो गयी है। आधुनिकता की आँधी ने उन्हें इस प्रकार के सरोकारों से दूर कर दिया है। फलतः वृद्धों में असंतोष बढ़ा है तथा युवाओं में उच्छृंखलता बढ़ी है। बाल-सुलभ मानवीय उत्सुकता के साथ जुड़कर अधिक उम्र का अनुभव एक वृद्ध के जीवन में चाव पैदा करता था, बच्चे के भीतर आत्मविश्वास का संचार करता था, आज यही नहीं है। वाचिक परम्परा केवल बोली जाने वाली भाषा ही नहीं है, वह जीवन दर्शन भी है।⁴ लेकिन बदलते परिवेश ने इस

जीवन-दर्शन का सर्वाधिक अवमूल्यन किया है।

आज व्यक्ति की स्वार्थपरकता तथा एकल परिवार पद्धति ने इस वाचिक परंपरा का काफी नुकसान किया है। उपभोक्तावादी संस्कृति और हर वस्तु के खरीदे जाने की मानसिकता ने हमारे संस्कार गीत, श्रम-गीत, जाति गीत, ऋतु-गीत, पूजा-गीत आदि परम्पराओं पर कुठाराघात किया है। ये गीत अब महिलाओं या फिर पुरुषों के कंठ से निःसृत नहीं होते बल्कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में बजाये जाते हैं। 'पैसा' और 'खोखली सामाजिक प्रतिष्ठा' का ऐसा दबाव हमारे समाज के सभी वर्गों पर पड़ा हुआ है जिसके तले हमारी संस्कृति दब रही है। आने वाले समय का संकेत है कि हमारी वाचिक परंपरा व्यक्तियों की जुबान से नहीं फिसलेगी बल्कि उसका प्रसारण सिर्फ यांत्रिकी माध्यमों से ही संभव हो सकेगा। हम बिन पेंदे के लोटे बनने को तत्पर तैयार खड़े हैं।

वाचिक परम्परा के सूख रहे सोते पर आज चिंता जाहिर करना स्वाभाविक

है। इसकी सूख रही जड़ों की चिंता साहित्यकारों को है, शास्त्रकारों को है, कलाकारों को है क्योंकि सबको अपनी जड़ों का रस चाहिए। वह रस कभी लोक-साहित्य में मिलता है, लोकाचार में मिलता है, लोक-कला, लोक-संगीत में मिलता है, लोक नृत्य में मिलता है और कभी केवल ऐसे आदमी के साथ बैठकर मिलता है जो स्मृतियों में जीता नहीं, स्मृतियों को जीता है। स्मृतियों को व्यतीत नहीं मानना अपने जीवन और जातीय जीवन से अविलग देखता है।⁵

संदर्भ ग्रन्थ सूची:

1. निबंध-निलय, संपादक- डॉ. सत्येन्द्र, भारतीय संस्कृति-गुलाब, पृ.-183.
2. देश, धर्म और साहित्य, विद्यानिवास मिश्र-हमारे देश की वाचिक परंपरा, पृ.-57.
3. लोक-साहित्य की भूमिका, डॉ. रवीन्द्र भ्रमर, पेज-26.
4. देश-धर्म और साहित्य (वही) पेज-55.
5. वही, पेज-57.
6. सहायक ग्रंथ- लोक-साहित्य की भूमिका, डॉ. रवीन्द्र भ्रमर



महादेवी की विरह-वेदना

डॉ० प्रतिभा कुमारी

छायावाद-व्योम की अरून्धती, एवं साहित्य की समस्त विधाओं की स्रष्टा महादेवी वर्मा ने अपनी प्रतिभा के प्रसाद से हिन्दी भारती के प्रासाद की भव्यता और सौन्दर्य-श्री की अभिवृद्धि के लिए स्तुत्य प्रयास किया है।

महादेवी की कविता में वेदना और करुणा की स्पष्ट झलक मिलती है। छायावादी की कल्पना प्रवणता, भावातिशयता, वेदनात्मक रहस्यवादिता आदि विविध विशेषताएँ इस कवयित्री में संगमित हो सकती हैं। अपनी करुण गाथा सुनाने के लिए महादेवी ऐसी पृष्ठभूमि तैयार कर लेती है कि वह जीवन में एकांत संगीत से लेकर वियोग तक की अनुभूतियों की व्यंजना स्पष्ट रूप से कर देती हैं। उन्होंने करुणा को ही सहचरी सदृश देखा और विरह में ही मिलन माना है। उनके जीवन में तो विषाद इस तरह भर गया है कि विषादहीन जीवन की कल्पना भी नहीं करती, तभी तो वह लिखती हैं—

“मैं नीर भरी दुःख की बदली
विस्तृत नभ का कोई कोना
मेरा न कभी अपना होना
परिचय इतना, इतिहास यही
उमड़ी कल थी मिट आज चली
मैं नीर भरी दुःख की बदली।”

महादेवी ने अपने जीवन के विषाद को भगवान शंकर की भाँति ही पान कर लिया। उनका कंठ नीला अवश्य पड़ गया, लेकिन होठों की सहजगिनी मुस्कान कभी लुप्त नहीं हुई।

सजल गीतों की गायिका एवं अज्ञात प्रियतम की आराधि का महादेवी वर्मा आधुनिक युग की ‘मीरा’ भी कही जाती हैं। आलोचकों ने इन्हें ‘पीड़ावाद की कवयित्री’ भी कहा है। महादेवी ने स्वयं लिखा है—

“दुःख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बाँधे रखने की क्षमता रखता है। हमारे असंख्य

सुख हमें मनुष्यता की सीढ़ी तक न पहुँचा सकें, किन्तु हमारा एक बूँद भी जीवन को अधिक उर्वर बनाये बिना नहीं गिर सकता। विश्व जीवन में अपने जीवन को, विश्व वेदना में अपनी वेदना को इस प्रकार मिला देना जिस प्रकार एक-एक जल बिन्दु समुद्र में मिल जाता है, कवि का मोक्ष है।”

इसी प्रसंग में वह आगे चलकर कहती हैं—“मुझे दुःख के दोनों ही रूप प्रिय हैं, एक वह जो मनुष्य के संवेदनशील हृदय को सारे संसार से एक अविच्छिन्न बंधन में बाँध देता है और दूसरा वह जो काल और सीमा के बंधन में पड़े असीम चेतना का क्रंदन है।”²

वे पीड़ा में प्रियतम और प्रियतम में पीड़ा को खोजती हैं। वे सदा मिटाने के अधिकार को अपने पास संभालकर रखने के लिए तत्पर रहती हैं। तभी तो वह कहती हैं—“पीड़ा मेरे मानस से भीगे पट-सी लिपटी है।”

महादेवी वर्मा की यह पीड़ा वैयक्तिक न होकर सामन्ती पाशों से बद्ध एवं सामाजिक रूढ़ियों से ग्रस्त भारतीय नारी जीवन की उन्मुक्त पीड़ा है। छायावादी काल में भारतीय नारी जीवन की सिसकती पीड़ा को जोड़ देना महादेवी के काव्य का भौतिक योगदान है। “महादेवी जी की यह विशेषता है कि छायावाद ने व्यक्ति और समाज की जिस व्यापक असंतोष भावना को अभिव्यक्ति दी, उसमें उन्होंने भारतीय नारी के असंतोष, निराशा और आकांक्षा का स्वर भी जोड़ दिया।”³

कवयित्री को मिलन अभीष्ट नहीं, क्योंकि उसमें जड़ता है और क्रियाशीलता का अभाव है। वे शुरू से अंत तक विरह-गीत से जुड़ी रहीं। उनका कहना है—

“पर न अन्तिम छन्द का मैं अभी तक गा सकी हूँ।”

महादेवी ने दाम्पत्य भाव से उस असीम प्रियतम के प्रति अपने प्रेम की आकुलता हृदय से प्रकट की है। उनका यह भाव ही रहस्यवाद का रूप है। परमात्मा से अपनी अभिन्न राग जताते हुए कहती हैं—

“बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ
पात्र भी, मधु भी, मधुप भी, मधुर विस्मृति भी,
अधर भी हूँ और स्मित की चाँदनी भी हूँ।”⁴

जयशंकर प्रसाद ने सचमुच अनुभव किया था— ‘मानव जीवन वेदी पर परिणय है— विरह-मिलन का।’

एम० ए० हिन्दी, पीएच० डी०, ग्राम-साँची पट्टी, विराट नगर, हाजीपुर, वार्ड न०-06, वैशाली

डॉ० इन्द्रनाथ मदान ने लिखा है—
“छायावादी काव्य में प्रसाद ने यदि प्रकृति तत्त्व को मिलाया, निराला ने मुक्तक छन्द दिया, पन्त ने शब्दों की खराद पर चढ़ाकर सुडौल और सरस बनाया तो महादेवी जी ने उसमें प्राण डाले।”⁵

“महादेवी के विरह-गीत अपनी अनुपम अनुभूतियों और चित्रमयी व्यंजना के कारण हिन्दी-साहित्य की अमूल्य निधि है।

आधुनिक युग की कवयित्री महादेवी वर्मा की कविताओं में विरह का ऐसा अविरल प्रवाह है, जो आज भी हम सबके लिए अस्पष्ट, जटिल एवं दुर्बोध ता का विषय बना हुआ है। कवयित्री ने स्वयं अपने इस वेदना भाव को ‘पीड़ा’, ‘वेदना’ आदि शब्दों में चित्रित किया है—

“मेरी मधुमय पीड़ा को कोई
पर ढूँढ़ न पाये।”

पा लिया मैंने किसे इस वेदना
के मधुर क्रय में,

बिछाती भी सपनों के जाल,
तुम्हारी वह करुणा की कोर

गई वह अधरों की मुस्कान,
मुझे मधुमय में पीड़ा में बोर।”⁶

उपरोक्त पंक्तियों में वेदना या पीड़ा के साथ ‘मधुर’ विशेषण का उल्लेख दृष्टिगोचर होता है। जैसे— ‘मधुमय पीड़ा’ वेदना के मधुर क्रय’, ‘मधुमय पीड़ा’।

वास्तव में पीड़ा या वेदना सुखकारी नहीं होती, फिर इसे मधुमय कहना अनुचित प्रतीत होता है। जो मधुमय होता है, वह तो सुखकारी, आनंद-प्रदायिनी और प्रसन्नता का द्योतक होता है। महादेवी की बातों से ऐसा लगता है कि एक ओर उनके हृदय में अपने प्रियतम के लिए अमित आह्लाद है तो दूसरी ओर उनसे न मिलने की अत्यधिक पीड़ा भी है। वह अपनी अधरों की मुस्कान में भी

पीड़ा को ढूँढ़ने का प्रयास करती है। ‘प्रेम’ या ‘प्रणय’ में ही ऐसी नॉक-झोंक और ‘मीठी या तीखी’ बातों की अनुभूति होती है। सच्ची प्रेमिका को ही मधुमय और पीड़ा दोनों की अनुभूति एक साथ हो सकती है। महादेवी की इस ‘मधुमय पीड़ा’ को ‘प्रेम’ का पर्यायवाची कहा जा सकता है।

महादेवी का यह वेदना-भाव अन्य प्रणय भाव के ही समतुल्य है। उनकी वेदना का प्रादुर्भाव कहीं किसी की ‘चितवन’ तो कहीं किसी के ‘अधरों की मुस्कान’ को बताया जाता है।

निम्नांकित पंक्तियाँ इसी भाव को चित्रित करती हैं—

“पर शेष नहीं होगी यह मेरे
प्राणों की क्रीड़ा।

तुमको पीड़ा में ढूँढ़ा,
तुम में ढूँढ़ूँगी पीड़ा।”

आलोचकों ने इस ‘पीड़ा’ शब्द का जो अर्थ लगाया है, वह सही नहीं लगता महादेवी वर्मा के प्रसिद्ध व्याख्याता श्री विश्वम्भर मानव लिखते हैं—“अंतिम पीड़ा शब्द का अर्थ है—‘पीड़ामय हृदय’। जिसके लिये इतनी पीड़ा सही है, उस निष्ठुर से मिलाया है, उसकी प्राप्ति पर वे अपने साथ उपकार करने वाली को भूल जाएँ, इतनी अकृतज्ञ महादेवी नहीं हैं। पर, लक्ष्य ‘तुम’ ही है, पीड़ा नहीं।”

वास्तव में यहाँ पीड़ा शब्द का अर्थ ‘प्रणय’ ही है। प्रेम की अनुभूति से ही कवयित्री को उस असीम प्रियतम की प्राप्ति होती है और वह उस प्रियतम में भी पीड़ा को खोजना चाहती है। हर प्रेमिका यह जानना चाहती है कि उसका प्रियतम भी उससे प्रेम करता है या नहीं? महादेवी जी के इस ‘पीड़ा’ शब्द के अर्थ प्रेम नहीं मानते हुए जैनेन्द्र जी इस पर आक्षेप करते हुए लिखते हैं “घायल घाव नहीं चाहता है। मालूम

होता है, उनकी गति घायल की है ही नहीं।”

श्री सतपाल बुध भी लिख डालते हैं—“अवश्य ही वेदना उनको प्रिय भी है और इसका उनके जीवन-दर्शन से अनिवार्य रूप से संबंध भी है। तो क्या जो बात किसी को प्रिय हो, वही उसका जीवन-दर्शन भी होगी? ऐसा आवश्यक है, किन्तु महादेवी जैसी परिपक्व बुद्धिशीला महिला के लिए आवश्यकता तो नहीं क्योंकि हम उनसे किसी सस्ती भावुकता की आशा नहीं कर सकते, और फिर कितनी ही कविताओं में वेदना साध्य बन गई है।”⁸

महादेवी अद्वैतवाद में विश्वास कर परमात्मा से एकाकार के बाद मोक्ष पाना नहीं चाहती, बल्कि वह तो द्वैतवाद युक्त प्रणय के मिथ्या अनुभव से ही संतुष्ट होना चाहती हैं। वह अपनी भावनाओं को निम्न पंक्तियों में दर्शाती है—

“प्रिय! मैं लेती बाँध मुक्ति

सौ-सौ लघुतम बन्धन अपने में,

तुम्हें बाँध पाती सपने में।”

इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि कवयित्री ने ‘वेदना’ या ‘पीड़ा’ शब्द का उल्लेख ‘प्रणय’ यानि ‘प्रेम’ के अर्थ में ही किया है। अतः महादेवी के प्रेम में वेदना की अधिकता है।

महादेवी अज्ञात प्रियतम के चितवन से होकर वह हमेशा के लिए प्रेम के बंधन में बँध जाती है।

“इन ललचाई पलकों पर,
पहरा था जब वीड़ा का।

साम्राज्य मुझे दे डाला,
उस चितवन ने पीड़ा का।”

महादेवी अपने अलौकिक प्रेम में भी प्रकृति के विभिन्न अवयवों में, उसके क्रियाकलापों में अपने सपनों को साकार करना चाहती हैं—

“जिस दिन निखरे तारों से,
बोलीं किरणों की अलकें,
सो जाओ अलसाई हैं,
सुकुमार तुम्हारी पलकों।”

प्रियतम के आने की आहट उन्हें उमंग, उल्लास और माधुर्य से सराबोर कर देती है। बादलों का हँसना-मुस्कराना और बिजली का चमकना उनके प्रेम को द्विगुणित कर देते हैं।

पुलक-पुलक उर, सिहर-सिहर तन,
आज नयन आते क्यों भर-भर?
तुम विद्युत बन, आओ पाहुन!
मेरी पलकों में पग धर-धर।”

मिलनाकांक्षा से अभीष्ट मधुर स्वप्नों में गोते लगाती हुई कवयित्री लिखती हैं—

“अब असीम से हो जायेगा,
मेरी लघु सीमा का मेल।

देखोगे तुम देव, अमरता खेलेगी,
मिटने का खेला।”

अपने गीतिकाव्य के माध्यम से भी कवयित्री प्रियतम को रिझाने की कोशिश करती हैं—

“हे नभ की दीपावलियों,
तुम पल भर को बुझ जाना।

मेरे प्रियतम को भाता है,
तम के पर्दे में आना।।”

जब कवयित्री को यह आभास हो जाता है कि शरीर के रहते इस जीवन में प्रियतम का साक्षात्कार नहीं हो सकता तो वह बहुत व्यथित हो जाती हैं और कहती हैं—

“मिलन का नाम मत ले,
विरह में मैं चिर हूँ।”

प्रेम की विभिन्न दशाओं का वर्णन वे बड़ी ही भावुकता से अपने काव्य में करती हैं। कभी गर्व भाव से तो कभी निर्वेद तो कभी दैन्य भाव से अपनी वेदना प्रकट करती हैं—

वह गर्व से कहती हैं—

“उनसे कैसे छोटा है,
मेरा यह भिक्षुक जीवन?”
उनमें अनन्त करुणा है,
इसमें असीम सूनापन।”

फिर निर्वेद भाव से कहती हैं—

“चिन्ता क्या है हे निर्मम बुझ
जाये दीपक मेरा।

हो जायेगा तेरा ही पीड़ा का
राज्य अँधेरा।।”

अपने दैन्यभाव में कवयित्री प्रियतम के असीम रूप में अपने को समाहित कर देना चाहती हैं—

“सिन्धु को क्या परिचय दें देव!
बिगड़ते बनते बीच विलास।

क्षुद्र हैं मेरे बुद्बुद् प्राण तुम्हीं में
सृष्टि तुम्हीं में नाश।।”

कवयित्री के हृदय का रूदन ही संभवतः ‘मर्मर का रूदन’ है। कवयित्री को अपने प्रियतम से जितना ही अनुराग है, उतना ही विरह-भाव से स्नेह भी है। वह विरह-वेदना से स्वयं तड़पती हैं, साथ ही संसार के दीन-दुखियों के प्रति भी अपनी संवेदना प्रकट करती हैं। उनके मन में व्यक्तिगत सम्पदा के प्रति निर्वेद का करुण भाव भी दृष्टिगोचर होता है।

कवयित्री अपने निर्गुण, निराकार, अलौकिक प्रियतम के साथ भी आँख मिचौली का खेल खेलती हैं तो कभी उनकी अस्पष्ट छवि प्रकृति के सौन्दर्य में पाती हैं—

“मैं फूलों में रोती वे बालारूप में मुसकाते,
मैं पथ में बिछ जाती वे सौरभ में उड़ जाते।”

प्रियतम से प्रथम मिलन की बात वह स्पष्ट शब्दों में कहती हैं—

“झटक जाता था पागल बात,
धूलि में तुहिन-कणों का हार।

सिखाने जीवन का संगीत, तभी तुम
आये थे इस पास।।”

इस प्रकार महादेवी वर्मा विरह-वेदना की कवयित्री है। जो प्रकृति अपने प्रियतम (पुरुष) से मिलने के लिए अनन्तकाल से व्यग्र दीखती है, महादेवी मानो उस की साक्षात् प्रतिमा थी।¹⁰

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. महादेवी वर्मा-सन्धिनी, संस्करण-2004, लोकभारती प्रकाशन, 15 ए, महात्मा गाँधी मार्ग, इलाहाबाद-1 द्वारा प्रकाशित पृष्ठ सं०-108-109
2. डॉ० शिवकुमार शर्मा-हिन्दी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ, चौदहवाँ संस्करण-1994 अशोक प्रकाशन, नई सड़क, दिल्ली-06, पृष्ठ सं०-502
3. डॉ० शिवकुमार शर्मा-हिन्दी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ, चौदहवाँ संस्करण-1994 अशोक प्रकाशन, नई सड़क, दिल्ली-06, पृष्ठ सं०-503
4. महादेवी वर्मा-सन्धिनी, संस्करण-2004, लोकभारती प्रकाशन, 15 ए, महात्मा गाँधी मार्ग इलाहाबाद-01 द्वारा प्रकाशित, पृष्ठ सं०-81-82
5. डॉ० शिवकुमार शर्मा-हिन्दी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ, चौदहवाँ संस्करण-1994 अशोक प्रकाशन, नई सड़क दिल्ली-06, पृष्ठ सं० 503
6. डॉ० गणपति चन्द्र गुप्त-साहित्यिक निबंध, लोक भारती प्रकाशन, महात्मा गाँधी मार्ग इलाहाबाद-01, संशोधित नवम् संस्करण-1987, पृष्ठ सं०-768
7. महादेवी वर्मा-सन्धिनी, संस्करण-2004, लोकभारती प्रकाशन, 15 ए, महात्मा गाँधी रोड इलाहाबाद-01 द्वारा प्रकाशित, पृष्ठ सं०-41
8. डॉ० सत्यरंजन-साहित्य-संसार, त्रैमासिक, वर्ष-2, अंक-1, अप्रैल-जून, 1966, पृष्ठ सं० 23
9. डॉ० उपेन्द्र सेवक-आतंक-साप्ताहिक पत्रिका, दिसंबर 1997, पृष्ठ सं०-5
10. महादेवी वर्मा-सन्धिनी संस्करण-2004, लोकभारती प्रकाशन, 15 ए, महात्मा गाँधी मार्ग इलाहाबाद-1 द्वारा प्रकाशित, पृष्ठ सं०-43



‘आधे-अधूरे’ नाटक में सावित्री का पारिवारिक एवं आर्थिक संघर्ष

डॉ० महेश प्रसाद सिंह

‘आधे-अधूरे’ नाटक की नायिका और प्रमुख नारी पात्र सावित्री है। उसकी उम्र चालीस के आस-पास है और चेहरे पर यौवन की चमक के साथ-साथ चाह भी शेष है। सावित्री महेन्द्रनाथ जैसे आर्थिक और पारिवारिक रूप से टूटे हुए आदमी की पत्नी है। वह दो लड़कियों और एक लड़के की माँ है। बेकार महेन्द्र सावित्री की महत्वाकांक्षाओं और अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाता। घर घुसरा निठल्ला और बेकार पति के प्रति सावित्री के भीतर एक झल्लाहट का भाव उत्पन्न होता है जो क्रमशः घनीभूत हो जाता है।

यदि ध्यान से देखा जाये तो आधे-अधूरे जितनी सावित्री के तनाव और विघटन की कहानी है, उतनी महेन्द्रनाथ के तनाव और विघटन की कहानी नहीं है। वैसे तो इस नाटक के सारे पात्र तनावग्रस्त और विघटन के शिकार हैं फिर भी इन सारे तनाव और विघटन के केन्द्र में सावित्री का चरित्र है, उसकी अदम्य लालसाएँ हैं और खतरनाक महत्वकांक्षाएँ हैं। इसीलिए डॉ० जयदेव तनेजा ने उसे नाटक का केन्द्रीय पात्र मानते हुए लिखा है- “नाटककार की भरपूर कोशिश और इच्छा के विरुद्ध सावित्री नाटक का केन्द्रीय पात्र बन जाती है। शेष सब पात्र कठपुतलियों की भाँति अपने सूत्रधार से जुड़े हैं। यह बात अलग है कि यहाँ कठपुतलियों के लिए स्वयं सूत्रधार को नाचना पड़ता है।” (आज के हिन्दी रंगनाटक, पृष्ठ-68)

सावित्री बेकार महेन्द्रनाथ की नौकरी पेशा पत्नी है।

इसलिए वह गृहस्वामिनी है। उसके व्यक्तित्व में गृहस्वामिनी का गर्व है और वह अपने मनोनुकूल अपने घर को चलाना चाहती है एक प्रकार से चलाती भी है। इसीलिए घेरलू अव्यवस्था के लिए वह महेन्द्रनाथ को कोसती है। चाय की जूठी प्यालियों को देखकर झल्लाती है। उसकी झुंझलाहट में गृहस्वामिनी होने का दर्द भी छुपा हुआ है। इस प्रकार नाटक के आरम्भ में ही उसकी झल्लाहट से, उसकी मानसिकता का पूर्वाभास मिल जाता है।

सावित्री वह सावित्री नहीं जो अपने मृत पति सत्यवान के पुनर्जीवन के लिए यमराज को भी बाध्य करती है। वह आज की सावित्री है। उस युग की सावित्री है, जिस युग में हमारे मूल्य बदल रहे हैं, मान्यताएँ बदल रही हैं और जीवन-बोध बदल रहा है। उसे तो अपने पति महेन्द्रनाथ से विरक्ति है। उसके लिजलिजापन से घृणा है। वह उसे अधूरा मानती है। इतना ही नहीं उससे मुक्ति भी चाहती है। पूरेपन की तलाश में वह भटकती है और उसका भटकाव मन के स्तर से आरंभ होकर तन के स्तर तक पहुँचता है। पूरेपन की तलाश के क्रम में ही जूनेजा, जगमोहन, शिवजीत और सिंघानिया से उसका सम्पर्क होता है किन्तु कहीं भी उसे पूरापन प्राप्त नहीं होता। वह सदैव अतृप्त रहती है, अशांत रहती है। उसका असन्तोष उसके ही कथन में देखा जा सकता है-“सब के सब-सब के सब-एक से। बिल्कुल एक-से हैं आपलोग। अलग-अलग मुखौटे पर चेहरा? सबका एक ही।” उसकी इस प्रवृत्ति को डॉ० गोविन्द चातक के शब्दों में इस प्रकार विश्लेषित किया जा सकता है-“सावित्री उस मध्यवर्तीय मानसिकता की शिकार है जो धन को जीवन में अतिरिक्त महत्व देती है। यही वृत्ति उसे विभिन्न पुरुषों से जोड़ती है और इसी के वशीभूत होकर वह अपनी देह को अस्त्र की तरह प्रयोग करती है। कुछ वैयक्तिक लक्ष्यों के लिए वह अपने को व्यक्ति से वस्तु बना डालती है। इसी से वह अपने को छलती है जिस पूरेपन की तलाश उसे अपने अन्दर करनी चाहिए थी उसकी तलाश वह अपने से बाहर औरों में करती है। इस तलाश में उसे वे सब पुरुष अधूरे दिखायी देते हैं जिनके सम्पर्क में वह आती हैं।” (आधुनिक हिन्दी-नाटकों का मसीहा मोहन राकेश, पृष्ठ-81)

सावित्री चाहती है कि उसका घर बना रहे किन्तु अनिश्चित की स्थिति भी साथ-साथ बनी रहती है। अपने बाँस सिंघानिया को वह अपने लड़के की नौकरी का प्रबन्ध करने के लिए घर

बुलाती है। किन्तु उसके लड़के अशोक को इस प्रकार बाहरी लोगों का घर आना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसकी मान्यता है—“जिनके आने से हम जितने छोटे हैं, उससे और छोटे हो जाते हैं अपनी नजर में।” वस्तुतः सावित्री व्यक्ति को नहीं बुलाती है, उसके नाम को बुलाती है, और यह नाम उसे बार-बार बदनाम करता है। अशोक का कथन है—“जब भी बुलाया है आदमी को नहीं—उसकी तनखाह को, नाम को, रूतवे को बुलाया है।” सावित्री सोचती है कि कुछ बड़े लोगों से सम्बन्ध बनाकर वह अपने घर को अच्छा और सम्पन्न बना दे। सम्पन्नता की इस चाह में उसकी खुशियाँ लूट जाती हैं, संतोष लूट जाता है और यहाँ तक कि वह स्वयं लूट जाती है।

वह महत्वाकांक्षी नारी है। उसका परिवार विशेषकर पति महेन्द्रनाथ और पुत्र अशोक, उसकी महत्वाकांक्षा को अपना समर्थन नहीं देता। इसीलिए परिवार से टूटकर वह अपने तथाकथित प्रेमियों से जुड़ना चाहती है। अपने भीतर से टूटकर वह बाहर से अपने आपको भरना चाहती है। अपने परिवार और खण्ड-खण्ड में बँटी हुई जिन्दगी के बोझ से ऊबकर वह कहती है—“मेरे पास अब बहुत साल नहीं हैं जीने को। पर जितने हैं, उन्हें मैं इसी तरह और निभाते हुए नहीं काटूँगी। मेरे करने से जो कुछ हो सकता था इस घर का हो चुका आजतक। मेरी तरफ से अब यह अन्त है उसका.....। निश्चित अन्त।” अपने पुराने प्रेमी जगमोहन के साथ जिन्दगी बिताने का निश्चय करके वह घर से निकल पड़ती है। किन्तु जगमोहन के पास वह जिस आशा से जाती है, वह पूरी नहीं होती। फलतः निराश होकर

सावित्री को पुनः अपने उसी घर में आना होता है, जिसे उपेक्षा की लात जमाकर वह चली गयी थी। प्रत्यावर्तन की विवशता उसे इस प्रकार खिन्न बना देती है कि घर आते ही वह अपनी छोटी बेटा किन्नी को बुरी तरह पीट देती है।

सावित्री जब घर लौटती है तब उसे अपने पति के बचपन के मित्र जुनेजा से मुलाकात होती है। वह जुनेजा जो उसे विघटन-शील परिवार की सुरक्षा के लिए उसे समझाने आया है, उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर मौन रहना ही उचित समझता है। जुनेजा को प्रतीत होता है कि सावित्री ने अपने शिकंजे में महेन्द्रनाथ को बुरी तरह जकड़ रखा है और अब वह अपने दो पैरों पर चल सकने योग्य नहीं रह गया है। दूसरी ओर सावित्री की यह सोच है कि पुरुष होने के लिए अपना एक माद्दा, अपनी एक शिखियत आवश्यक है और महेन्द्रनाथ में इसी का अभाव है। इसी अभाव के कारण वह महेन्द्रनाथ को एक पूरा आदमी मानने को तैयार ही नहीं है।

सावित्री महेन्द्रनाथ नामक आधे-अधूरे पुरुष को कभी तो पूर्ण बनाना चाहती है, कभी तड़पकर स्वयं को उससे अलग कर लेना चाहती है। इस तरह कभी घर और कभी बाहर की प्रवृत्ति ने सावित्री के मन में एक डर पैदा कर लिया है जिसके कारण वह कभी घर का दामन थामती है और कभी बाहर का। सावित्री के अन्दर का यह डर जब दहशत में बदल जाता है तब उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। जगमोहन उसे निराश करता है और वह घर लौटने के लिए विवश हो जाती है। तब उसका वर्णन करते हुए पुरुष चार (जुनेजा) कहता

है— “पर मैं बिना पूछे ही बता सकता हूँ कि क्या बात हुई होगी। तुमने कहा—तुम बहुत-बहुत दुखी हो आज। उसने कहा, उसे बहुत-बहुत हमदर्दी है तुमसे। तुमने कहा—तुम जैसे भी अब इस घर से छुटकारा पा लेना चाहती हो। उसने कहा—कितना अच्छा होता अगर इस नतीजे पर तुम कुछ साल पहले पहुँच चुकी होती।” आज इसमें बहुत सी उलझने सामने हैं—बच्चों की जिन्दगी को लेकर उसको—उसको लेकर। जगमोहन के उत्तर से वह इतना निराश हो जाती है कि इसे महेन्द्रनाथ की ही तरह सारे पुरुष आधे-आधे प्रतीत होने लगते हैं।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि सावित्री में पाश्चात्य विचारों से प्रभावित आधुनिक भारतीय मध्यवर्गीय नारी की विसंगतियाँ बड़ी सफलता से अभिव्यक्ति पाती है। यौन अतृप्ति और अर्थाभाव के कारण सावित्री की जुबान कैंची की तरह चलती है। सम्भवतः नौकरी के कारण और परिवार में एक मात्र कमाने वाली होने के कारण प्रायः सब पर रोब जमाती है। उसका पति तो उसे प्रसन्न रखना चाहता है पर दफ्तर से लौटने पर प्रायः वह उसे भी खरी-खोटी सुनाती है। आवेश और क्रोध में अपने विवेक पर उसका नियंत्रण नहीं रह पाता। यह अनियंत्रण उसे स्वयं अशान्त बनाता ही है, उसके परिवार की विघटन प्रक्रिया को और भी तीव्र कर देता है।

आमतौर पर भारतीय नारी दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने के बाद ही एक सफल गृहिणी की भूमिका निभाती हुई अपना जीवन बिता देती है, किन्तु सावित्री एक असफल गृहिणी बनकर रह जाती है। भोग और वासना में डूबी हुई सावित्री हिन्दी नाटक के क्षेत्र में नायिका रूप में एक नया आरम्भ है। उसमें गृहिणी के

त्याग और सेवा-भाव का सर्वथा अभाव है। घर में कोई भी काम उसे पसंद नहीं। दफ्तर से घर पहुँचकर वह अपने आपको एक मशीन ही समझती है। जिस प्रकार मशीन बिना किसी रुचि के काम करती है उसी प्रकार सावित्री भी अनिच्छापूर्वक घर का काम करती है। ऐसा लगता है कि सावित्री घर का काम करने के लिए बनी ही नहीं है।

सावित्री आधे-अधूरे नाटक की नायिका है। अतः परिस्थिति की विडम्बना, अस्तित्व संकट और आत्म-स्थापन की दृष्टि से उल्लेखनीय महिला-चरित्र बन जाती है। वह नाटककार राकेश की एक ऐसी रचना है जिसका सम्बन्ध

अर्थाभाव के कारण टूटते बिखरते निम्न मध्यवर्गीय परिवार के जर्जर दाम्पत्य जीवन से है। पूँजीवादी समाज व्यवस्था में पढ़ी-लिखी नारी की विडम्बना को भी रेखांकित करने में वह पूर्ण समर्थ हैं।

डॉ० बच्चन सिंह के शब्दों में— सावित्री की असफलता का मुख्य कारण सब कुछ को एक साथ ओढ़कर जीने में निहित है। उसके लिए जीने का मतलब है कितना कुछ एक साथ ओढ़कर जीना। वह उतना कभी उसे किसी एक जगह नहीं मिल पाता, अतः जिस किसी के साथ भी जिन्दगी शुरू करती, उतनी ही खाली, उतनी ही बेचैन बनी रहती।

तात्पर्य यह कि सावित्री एक संश्लिष्ट आधुनिक नारी की कुण्ठा, अतृप्ति और असंतोष का प्रतीक बन गयी है। संरचना की दृष्टि से उसका चरित्र बहुत स्वाभाविक है। नाटककार ने उसके व्यक्तित्व को किसी विचारधारा की कठपुतली नहीं बनने दिया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. आधे-अधूरे (1969 ई०) मोहन राकेश, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली संस्करण-1993
2. एकत्र-सं० जयदेव तनेजा, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली संस्करण-1998
3. मोहन राकेश के सम्पूर्ण नाटक, संस्करण नेमिचन्द्र जैन, राजपाल एण्ड संस, दिल्ली संस्करण-1993



प्रस्थान बिंदु की तलाश में

सुदेश्वर

‘स्त्री-चेतना के प्रस्थान बिन्दु’ डॉ० सुनीता गुप्ता की दूसरी प्रकाशित पुस्तक है। उनकी पहली पुस्तक ‘रेणु का कथेतर साहित्य’ रेणु के रचनात्मक मूल्यों की पड़ताल में मील का स्तम्भ है, तो दूसरी पुस्तक स्त्री चेतना के प्रस्थान खोजने के क्रम में शब्द को कर्म में रूपायित करती अपनी पहचान बनाती है। यह पुस्तक तीन खण्डों या उपविभागों में विन्यस्त होकर अपना आकार ग्रहण करती है। लेखकीय स्वरूप अलग-अलग स्त्री चरित्र के निर्माण में अपना आन्तरिक तेवर उजागर करते हैं। यद्यपि स्रष्टा, दृष्टा और भोक्ता अपने-आप में अलग-अलग रचनात्मक आयाम नहीं है क्योंकि हर रचना के पीछे रचनाकार व्यक्तित्व की पीड़ा छिपी होती है, फिर भी लेखिका ने तीन उपखंडों में बाँटकर अपनी लेखकीय टिप्पणियों से विषय को और भी स्पष्ट तो किया ही है, साथ ही साथ विषय की वस्तुनिष्ठता को भी कायम रखने का भरसक प्रयास किया है। जैसे स्त्री-विमर्श यदि किसी स्त्री द्वारा हो तो वह किसी स्त्री को बिलकुल निरपेक्ष और वस्तुमूलक रहने देगा- ऐसा बिलकुल असंभव है। किंतु डॉ० सुनीता ने विषय विवेचन में जिस वस्तुमूलक आलोचकीय क्षमता का परिचय दिया है वह सराहनीय है। कुछ सीमाएँ हो सकती हैं और होनी भी चाहिए क्योंकि लोहे का स्वाद सिर्फ घोड़ा ही जानता है- ‘जाहि पै लागै सोई जानै। या फिर जाके पैर न फटे बिबायी सो का जानै पीर परायी।’ और आश्चर्य की बात तो यह कि फटी बिबायी होती भी है किसे है और फिर उसी बिबायी भरी पीर को लेकर खेतों में, खलिहानों में मिट्टी कोरते हुए मजदूरों, ईंट ढोती रेंजनों से कोई पूछे कि इस पीर का स्वाद कैसा होता है तो इसका उत्तर अव्यक्त व अनभिव्यक्त रह जाता है। चाहे वह दलित-विमर्श हो या स्त्री-विमर्श, लेखकों और रचनाकारों ने इसी अव्यक्त व अनभिव्यक्त को वाणी देने का प्रयास किया है। डॉ० सुनीता का प्रयास इस रूप में सराहनीय है कि मध्यकाल की मीरा से लेकर उत्तर आधुनिक युग की लेखिकाओं के लेखन में कितना वजन है- सुनीता ने

सबको अलग-अलग तौला है और इस तौल में कितना कुछ झंझट रह गया है, पाठ-प्रक्रिया से गुजरते हुए इसका पता पाया जा सकता है। मैं इस बात से मुतासिर हूँ कि कभी-कभी बड़ा-सा पनसेरा भी उतना स्पेस नहीं खोलता अर्थात् मूल्यों को नहीं टोह पाता, जितना छोटा सा छँटाक- ‘मन लेहू पै देहू छटांक नहीं’- क्या बात है, बैठा है भारी बनकर! जैसे डॉ० सुनीता ने ‘स्त्री चेतना के प्रस्थान-बिंदु’ नाम से अपनी पुस्तक को अभिहित किया है किन्तु इसका निश्चित बिंदु क्या है-इसका पता नहीं चल पाता। इस खोज में डॉ० सुनीता न कहीं मितकथन का उपयोग करती हैं और न ही कहीं अलग से किसी विस्तार की आवश्यकता समझती हैं। ऐसा लगता है जैसे स्वयं वे अपने विषय विवेचन से समझ की दिशा खुली छोड़ती हैं पाठकों के लिए- ‘बात बोलेगी हम नहीं/ भेद खोलेगी बात ही।’

हर युग की कुछ सीमाएँ और परिस्थितियाँ होती हैं- मध्ययुग अपनी सीमाओं में आबद्ध होकर भी शालीनता का परिचय देता है, आज मुक्त बाजार में सब नंगे हो गये हैं। बावजूद इसके हिन्दी में तो नहीं किन्तु दूसरी भाषाओं में और इसी क्षेत्र में काम करने वाली कुछ धारदार महिलाएँ हैं, जिनमें एक साथ तेवर भी है और शालीनता भी। जिसे हम सौंदर्य कहते हैं, वह एक गत्वर ऊर्जा है, ऐसी ऊर्जा का निर्माण ऐसी ही सशक्त स्त्रियाँ करती हैं। क्या बात है कि जब माधुरी लक्स में नहाती है, तो कुछ खास बात हो जाती है या जूही जब विज्ञापन के पर्दे पर कुरकुरे का स्वाद लेती है तो उसका भाव आसमान से बातें करने लगता है- यह है राज, जहाँ लड़कियाँ ग्लोबल बन जाती हैं।

हिन्दी का मध्यकालीन काव्य पहली बार सदियों से चली आती रूढ़ मान्यताओं और मर्यादाओं से लोहा लेता है जिसे हम निर्गुण काव्य कहते हैं, उसने भारतीय मिथों को एकबारगी झटका देकर तोड़ा ही नहीं, अपितु एक नया लोक भी सृजित किया और उसके लिए एक नया मानदंड भी स्थापित किया। यह एक अजब सूझ है कि मीरा राज-परिवार की होकर और सवर्ण समाज में पल-बढ़कर भी रैदास की शिष्या बन जाती है। यह अकारण नहीं था। सगुण भक्ति-काव्य चाहे जो भी हो, वह व्यक्ति के लिए उतनी खुली सांस नहीं छोड़ता जितनी निर्गुण भक्ति-काव्य। ऐसा माना जाता है कि मीरा ने सामाजिक

हिन्दी विभाग, देवचंद कॉलेज, हाजीपुर, बी. आर. ए. बी. विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर

आचार-संहिताओं से ऊबकर गोस्वामी जी के पास पत्र लिखा था। यह कितना सच है, नहीं कहा जा सकता। कारण मीरा और गोस्वामी जी का समकालीन होना ऐतिहासिक प्रमाण से सिद्ध नहीं होता। वैसे मान भी लिया जाय कि 'जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिये ताकि कोटि वैरी सम, जदपि परम सनेही'-मीरा अपने परम सनेही कृष्ण की खोज में राज-परिवार का परित्याग करती हैं, किन्तु तुलसी में मार्मिक स्थल पर जाकर तो मीरा का मार्ग ही बदल जाता है। वहाँ तो स्त्री की स्वतंत्रता और मुक्ति का मार्ग ही जैसे बंद हो जाता है। मानस में ऐसे अनेक स्थल मिल जाते हैं, जहाँ ऋषिगण और उनकी पत्नियाँ आचार-संहिता का पाठ पढ़ाया करती हैं। मीरा का द्वंद्व और दुःख और इन दोनों से घुला असह्य पीर घुँघरू के बोल की मुद्राएँ बन जाते हैं। यह ठीक है कि ये बोल और मुद्राएँ भक्तों के लिए मोहक हैं किन्तु सामंती चौखटों पर दी गयी यह दस्तक सामान्य नहीं है। सामंती चौखटों और उसके अभेद्य किलों पर मीरा की यह क्रांतिकारी दस्तक है। जो लोग मीरा के घुँघरू में और उस नाद से निष्पन्न मुद्रा में मीरा की करुण मूर्ति के दर्शन करते हैं, वे भूल जाते हैं कि इस मूर्ति में जकड़बंद सामंती समाज व्यवस्था को तोड़ने की कितनी बड़ी ताकत है। लेखिका ने चाहे-अनचाहे या जाने-अनजाने में जिस परम्परा-भंजक मूर्ति मीरा को अपनी पुस्तक में पहला स्थान दिया है, न केवल वह काल-क्रम से अपितु चेतना बिंदु का भी प्रस्थान ही है। ऐसा नहीं कि अतीत ही सब कुछ है वर्तमान और आगत भविष्य के लिए। मानना होगा कि मीरा ने बार-बार जिस जहर शब्द का प्रयोग अपने पदों में किया है, वह कुछ वैसा ही नहीं। कितनी व्यथा और पीड़ा है इस पद में किन्तु

इस जहर को पीकर भी मीरा हँसती हैं-विद्रूप!! यही हँसी मीरा के जीवन में घनीभूत पीड़ा बनकर पीछे अतीत और बहुत दूर-दूर तक आगत भविष्य के लिए एक बड़ा-सा मैदान छोड़ जाती है। डॉ० सुनीता सब कुछ कहकर बहुत कुछ कहने से चूक जाती हैं। मैं समझता हूँ- सुनीता के लेखन में अभी भी खाली जगह बची हुई है परिशिष्ट के लिए। क्योंकि कोई भी लेखन अंतिम नहीं होता और सच्ची बात तो यह कि कोई भी अच्छी कृति अंतिम ही होती है। मीरा के दुःख में कठोर सामंती व्यवस्था से टकराने के कारण उसमें सामाजिक गतिशीलता आयी है और आगे चलकर उसने विचारधारा का रूप ले लिया है। जो लोग अंग्रेजों के आगमन के बाद से ही भारत में आधुनिकता के विकास की बात करते हैं, उन्हें इन संतों-मीरा-में देसज और क्षेत्रीय आधुनिकता की भी खोज करनी चाहिए। कदाचित् चूक आधुनिकता का निष्कर्ष तलाशने में ही हो गयी है। तो सुनीता का लेखन जितना धारदार है, उस धार की चमक (मीरा) दूर से ही दिखायी दे जाती।

मध्यकाल से शुरुआत करते हुए डॉ० सुनीता नवजागरण युग को स्पर्श करती हुई बीसवीं शताब्दी के बिलकुल अंतिम छोर तक पहुंचती हैं। इस क्रम में वे उन बिंदुओं की तलाश करती हैं जिनसे स्त्री चेतना की वर्तमान यात्रा तक का मानचित्र विनिर्मित किया जा सकता है। इस प्रयास में बहुत कुछ छूटता भी है। पर महत्त्वपूर्ण यह है कि इस प्रयास में कितना कुछ पकड़ में आ पाया है। मीरा और अज्ञात कुलशील नारी, सीमन्तनी उपदेश की स्त्री, के बीच एक लम्बी ऐतिहासिक दूरी है। इस ऐतिहासिक दूरी पर डॉ० सुनीता पुल बनाती हैं। 19वीं शताब्दी के आरम्भ में पुरुषों के द्वारा स्त्रियों की दशा में

सुधार के प्रयास किये गये और सदी के अंत तक आते-आते उन्होंने अपनी बागडोर अपने हाथ में ले ली। पंडित रमाबाई, स्वर्ण कुमारी देवी आदि जैसी स्त्रियाँ अपना परिचय आप देने लगीं। इस परिचय में चेतना की आग थी। इसी का प्रथम प्रतिफल सीमन्तनी उपदेश है। लेखिका इस अज्ञात हिन्दु नारी के व्यक्तित्व की प्रखरता उसके तेज और जाग्रत चेतना को रेखांकित करते हुए लिखती हैं, "सीमन्तनी उपदेश की लेखिका के विचार गम्भीर व व्यापक अध्याय का परिणाम महसूस होते हैं। यह ज्ञान की उनमें आत्मविश्वास का यह तेजस्वी स्वर भरता है, जिसके बूते पर उनकी वाणी में कबीर की-सी वाग्विदग्धता तथा विद्रोह का तलख स्वर आ जुड़ता है।" इस प्रकार 'सीमन्तनी उपदेश स्त्री-विमर्श का पहला ही नहीं अपितु एक परिपक्व एवं वैज्ञानिक सोच की दिशा भी निर्मित करता है।

पुनः एक लम्बे अंतराल के बाद महादेवी उपस्थित होती हैं जिनका स्त्री विमर्श मील का पत्थर प्रमाणित होता है। बकौल दूधनाथ सिंह महादेवी इस देश की पहली मुक्त स्त्री हैं जिनके सिर पर आँचल है। क्या हैं महादेवी? उन्हें जानना जितना कठिन है, उतना ही आसान। डॉ० सुनीता ने महादेवी को कविता से अलग उनके गद्य के माध्यम से नये से देखने का प्रयास किया है। महादेवी की कविताओं में आया हुआ स्त्री का चेहरा उनके गद्य में आये चेहरे से बिल्कुल भिन्न है। वे महादेवी के कवि-व्यक्तित्व और उनके गद्य-निर्माता व्यक्तित्व की कठोर विभाजक रेखाओं को बड़े की स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करती हैं। एक में रंग-विरंगे चित्र हैं, उनकी भी कई वीथियाँ हैं- यथार्थ और कल्पना की लम्बी उड़ान भरने वाला यूटोपिया। किन्तु महादेवी जब सच से

टकराती हैं तब उनका गद्य ही बोलता है। उनकी स्मृति की रेखाओं के बीच जो भूले-बिसरे चित्र हैं और उन चित्रों में जो शृंखला की कड़ियाँ बिलकुल कहीं दूर अतीत में बिखरी पड़ी हैं, महादेवी उन्हें बटोरकर कैसे लाती हैं—एकदम तार्किक भाषा में, सुनीता ने उन्हें अपनी पुस्तक में सुलझाकर रखा है।

मृणाल पाण्डेय वह पहली स्त्री हैं, जो स्थापित पत्रकार हैं। इनकी सम्पादकीय टिप्पणियों, आलेखों और अखबार में प्रकाशित रपटों में जान होती है। अखबारी बयान अक्सर सूचना बनकर रह जाते हैं, जबकि मृणाल पाण्डेय का लेखन सामाजिक, राजनीतिक सरोकार की संश्लिष्ट भाषा बन जाती है। यह वह भाषा है, जो रचनात्मकता को नया तेवर देती है। इस पुस्तक के प्रकाशन से पहले सन् 1994 में 'हंस' का स्त्री-विशेषांक स्त्री : उत्तरकथा का प्रकाशन होता है। यह स्त्री-विमर्श का आरंभिक दौर था। उस समय तक स्त्री-विमर्श को कोई मुकम्मल स्त्री आलोचक नहीं मिल पायी थी। ऐसे में मृणाल पाण्डेय की परिधि पर स्त्री ऐतिहासिक महत्व की सिद्ध होती है। जिन तथ्यों को महादेवी अपनी साहित्यिक दृष्टि से देखती हैं, उन्हें क्षमा शर्मा अपने सामाजिक नजरिये से व सुधा अरोड़ा अपने व्यावहारिक नजरिये से तथा मृणाल पाण्डेय पत्रकारिता की दृष्टि से। क्षमा शर्मा की स्त्रीवादी विमर्श: समाज व साहित्य: (सन् 2002 ई०) और स्त्री का समय (1998) इन दो पुस्तकों को लेकर स्त्री चेतना में आये परिवर्तनों की पड़ताल की गयी है। लेखिका मानती हैं कि इन दोनों पुस्तकों के प्रकाशन में महज चार वर्षों का अन्तराल है, एक सदी के अन्त की रचना है और दूसरी सदी के प्रारम्भ

की। पर वैचारिक और चेतना के धरातल पर दोनों में अनन्त का फासला है। इस सदी ने स्त्रियों में एक नयी चेतना का संचार किया अब पुरुष वर्चस्ववादी रूढ़ियाँ टूटने लगीं।

अनामिका के लेखन को डॉ० सुनीता ऐतिहासिक चेतना के विकास के क्रम में देखती हैं। सीमन्तनी उपदेश का प्रकाशन सन् 1882 ई० में होता है और इसी वर्ष ताराबाई शिंदे द्वारा लिखित 'स्त्री-पुरुष-तुलना' नामक पुस्तक का प्रकाशन होता है और फिर एक लम्बे अन्तराल के बाद शृंखला की कड़ियाँ (1942 ई०) का प्रकाशन होता है। उसके बाद फिर एक पुरुष लेखक की सम्पादकीय योजना के तहत स्त्री: उत्तरकथा (हंस) का प्रकाशन होता है। लेखिका इन लम्बे वर्षों के अन्तराल में उन कारणों का तलाश करती हैं और बताती हैं कि इन पुस्तकों में सैद्धान्तिकता का धरातल अभावग्रस्त है। और इसी अभाव की पूर्ति है स्त्रीत्व का मानचित्र। स्त्रीत्व का मानचित्र अध्ययन अवलोकन और अनुभव का एक बृहद् कोश है। उक्त पुस्तक के लेखन में जिन भारतीय और यूरोपीय पुस्तकों का विनियोग हुआ है, उस की चर्चा करते हुए डॉ० सुनीता लिखती हैं, स्त्री विमर्श की वर्तमान रूप-रेखा तक पहुँचने से पहले वे उसकी जड़ों को टटोलती हैं और इस क्रम में पश्चिम दार्शनिकों, वैदिक ग्रंथों से लेकर लोक-साहित्य को खँगालती हैं।'' अनामिका की लेखकीय कुशलता इस बात में भी है कि इनकी आलोचना रचनाधर्मी बनकर उपस्थित हुई है। रचनाधर्मी आलोचना की सफलता इस बात में होती है कि विषय की पठनीयता बनी रहे। अनामिका इसका सहज निर्वाह करती हैं और यही कारण है कि वह

दिल्ली में हैं पर उनमें कही पछाँहीपन नहीं है। बल्कि उनकी लेखनी पूर्वीपन की गवाह देती है। उनकी लेखनी में एक बार फिर रेणु का-सा रंग उभर कर सामने आ जाता है। डॉ० गुप्ता ने अनामिका के ज्ञान और उसकी समझदारी की विशदता को बड़े व्यापक धरातल पर रख कर देखती हैं। यह वह लेखन है जो स्त्रियों में साहस और सम्बल का पर्याय बन कर उभरता है। किन्तु इस प्रदेश के स्त्री लेखन में वो बात नहीं है, जो बात महाश्वेता देवी, अरूंधती राय जैसी हिन्दीतर लेखिकाओं में पायी जाती है। हिन्दी में हमें उस चीज की तलाश करनी है तो कुछ पीछे जाना पड़ेगा, महादेवी वर्मा के वृहत्तर व्यक्तित्व के पास दूसरी बात है कि महादेवी ने कोई प्रत्यक्ष लड़ाई नहीं लड़ी। प्रखर आलोचक डॉ० शम्भुनाथ हिन्दी-स्त्री-विमर्श को निम्न दर्जे का मानते हैं, तो बिलकुल अनुचित भी नहीं है। हिन्दी में विमर्श नहीं, स्त्री चरित्र चलता है। डॉ० सुनीता अपनी सफाई में सन् 2002 के परिदृश्य को हमारे सामने रखती हैं और उसके बाद के प्रकाशनों का जो हवाला देती है, उससे स्त्री-चेतना को कोई नया क्षितिज मिल गया हो, मुझे ऐसा नहीं लगता। डॉ० गुप्ता यह तो मानती हैं कि जो पुस्तकें विमर्श में आयी हैं उनमें व्यक्तिगत का आग्रह है लेकिन भूल जाती हैं कि डॉ० शम्भुनाथ जी का आग्रह सामाजिक और राजनीतिक लड़ाई का भी है। हिन्दी का स्त्री-विमर्श आत्मकेन्द्रित बनकर रह गया है। आत्मकेन्द्रित व्यक्तित्व से बाहर आने का जो थोड़े से प्रयास हैं, उसमें कुछ अंगुलियों पर गिनी जाने वाली स्त्री रचनाकारों के नाम लिए जा सकते हैं। भारतीय लेखिकाओं में महाश्वेता देवी

और अरूंधती राय जैसी लेखिकायें आत्मग्रस्त होकर नहीं सोचतीं। उनकी सोच सिर्फ स्त्री-समाज की ही बेहतरी से तालुकता नहीं रखती, उसमें अपने समय और समाज की चतुर्दिक सोच है।

प्रभा खेतान की स्त्री विमर्श की पुस्तकों— 'उपनिवेश में स्त्री' तथा बाजार के बीच: बाजार के खिलाफ को हिन्दी की स्त्री विमर्श की अनिवार्य पुस्तक में परिगणित करती हुई लेखिका विस्तार से प्रभा खेतान द्वारा उल्लिखित उन विभिन्न पहलुओं की चर्चा करती हैं जो स्त्री की गुलामी का साजिश रचती हैं। सुधा अरोड़ा का लेखन इस दिशा में एक नया अध्याय खोलता है। डॉ० सुनीता उनके लेखन को स्त्री-विमर्श का प्रामाणिक दस्तावेज मानती हैं। आम औरत जिन्दा सवाल' में सुधा अरोड़ा ने अपने जीवन के अनुभवों का निचोड़ प्रस्तुत किया है।

श्रृष्टा उपविभाग के अन्तर्गत स्त्री-रचनाकारों द्वारा स्त्री-विमर्श या उसकी जाग्रत चेतना को आधार बनाकर रची गयी औपन्यासिक कृतियां डॉ० सुनीता के विमर्श का केन्द्र बनी हैं, जैसे-कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग, चित्रा मुद्गल, प्रभा खेतान, मैत्रेयी पुष्पा, अनामिका आदि, वैसे किसी स्त्री रचनाकार की रचनात्मकता का मूल्यांकन यदि स्त्री आलोचक द्वारा किया जाये तो बहुत संभव है कि मूल्यांकनों में वस्तुनिष्ठता का अभाव आ जाय, क्योंकि अपनी अनुभवगत अवधारणाओं से ऊपर उठ पाना बहुधा संभव नहीं हो पाता। कहने की आवश्यकता नहीं कि डॉ० सुनीता ने वस्तु मूलकता के निर्वाह में संतुलन का परिचय दिया है। डॉ० सुनीता का आलोचक एक स्थान पर द्रष्टा भी है और साथ-साथ स्रष्टा भी। भाव की सान्द्रता तक पहुँचने के लिए भावक का भोक्ता होना भी आवश्यक है। डार से

बिछुड़ी ये लड़की मित्रों मरजानी आदि रचनाओं का क्रमिक विश्लेषण और कृष्णा सोबती का जीवन और उनकी जीवन-दृष्टि का बड़ा ही सुन्दर विश्लेषण डॉ० सुनीता ने किया है। जहाँ अन्य स्त्री रचनाकारों में पुरुष के प्रति अन्यथा आक्रोश का भाव है, वहाँ कृष्णा सोबती इन बातों से सर्वथा मुक्त एवं पुर्वाग्रहरहित है। बल्कि वे इंगित करती हैं कि पिता जलाशय है, पीढ़ी-दर-पीढ़ी-परिवार सींचता चला जाता है। इस तरह की स्थापनाएँ उन्हें अपने समकालीन महिला लेखन के बीच अलग से स्थापित करती हैं। महिला-लेखन में स्त्रियाँ अपनी सीमित परिधि से अलग स्पेस नहीं बना पा रही हैं, वहाँ कृष्णा सोबती अपना समय और सच के साथ सामाजिक आस्था और विश्वास खो नहीं पायी हैं। व्यक्ति बुरा होता है तो वह अच्छा भी हो सकता है—लिंग भेद से कोई अच्छा या बुरा नहीं होता। लेखिका का विश्वास है, तभी तो उसने उसके अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ मजबूती के साथ दिखाई देती हैं। डॉ० सुनीता कृष्णा सोबती की रचनाशीलता में अजस्र जिजीविषा के उस श्रोत को तलाश लेती हैं जिसके चलते औपन्यासिक स्थितियाँ जीवंत बन पायी हैं।

मृदुला गर्ग का पदार्पण हिन्दी में धमाकेदार तेवर के साथ होता है। डॉ० सुनीता उनके उपन्यासों जैसे—'उसके हिस्से की धूप', 'चितकोबरा' और 'कठगुलाब' के द्वारा अभिव्यक्ति के नये मानदंड के साथ साहस से अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं और स्त्री लेखन का नया क्षितिज खोलती हैं। डॉ० सुनीता लिखती हैं कि 'चितकोबरा' काफी चर्चित रहा, पर स्त्री विमर्श के कारण नहीं, अपने उन्मुक्त वर्णन के कारण— यह एक स्त्री लेखिका का किसी स्त्री लेखिका

पर साहसपूर्ण टिप्पणी है। लेखिका ने कई ऐसे उद्धरणों की बानगी प्रस्तुत की है जिसके स्त्री विमर्श के संबंध में गहरे निहितार्थ हैं। पर ऐसा लगता है, मृदुला गर्ग का तैयार किया विचार जैसे फैंक्ट्री की तैयार वस्तु है जिसे किसी बड़े मॉल-सेन्टर पर सजा दिया गया हो। सामाजिक विषयों को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ही देखा जा सकता है, मूल्य कोई फैंक्ट्री निर्मित वस्तु नहीं जिसे हम अपने वर्क शॉप में तैयार कर ले। मृदुला गर्ग कुछ ऐसे ही निर्माण का तेवर रखती है जो एक आभिजात्य दृष्टि है।

इधर की हिन्दी लेखिकाओं में चित्रा मुद्गल एक ऐसा नाम हैं जिनकी सामाजिक चेतना और सरोकार भाषा का संबल बनकर उपस्थित हुआ है। उनके लेखन से हिन्दी और स्त्री लेखन दोनों ही क्षेत्रों की अपार संभावनाएँ बढ़ी हैं। हिन्दी-पट्टी की लेखिकाएँ आत्मकेन्द्रित भावुकता के लिए काफी कुछ अनपेक्षित रही हैं। ऐसे में चित्रा मुद्गल शब्दों को कर्म की ठोस भूमि पर लाकर खड़ा कर देती हैं। लेखन की यह प्रतिबद्धता हिन्दी में स्त्री-लेखन की विपरीत दिशा है। हर स्त्री का सम्मान, अस्तित्व का स्वीकार और इस्तेमाल से विद्रोह है। 'आवा' में लेखिका की चिन्ता का विषय उपभोक्तावाद के प्रभाव से बाजार में परिणत हो रहे मान-मूल्यां के हास की है। इतना ही नहीं स्त्री समाज के सच और उसके ग्रहित मनोविज्ञान को भी लेखिका ने ठसक अंदाज में रखा है, "सौ में से प्रत्येक पांच लड़की स्वतंत्र यौन सम्बन्धों में अपना वजूद तलाश रही है, अधिकार तलाश रही है। तलाश लिया? "चित्रा मुद्गल न केवल नवीन सम्भावनाओं के द्वार खोलती हैं अपितु व्यापक जीवन संघर्ष और मानवीय मूल्यां के भी। जो भी व्यक्ति को समाज

सापेक्ष मानता है उन सबों को लेखिका का रचनाकार व्यक्तित्व प्रभावित करता है। ठीक इसका उल्टा प्रभा खेतान जो अपनी सोच में आत्मकेन्द्रस्थ हैं। अस्त होती सदी की सारी पहचान प्रभा खेतान अपने उपन्यासों में समा लेती हैं। प्रभा खेतान के नारी पात्र अपने लिए जिस तरह का व्यक्ति और उस व्यक्तित्व की स्वतंत्रता चाहते हैं वह क्या है! स्वतंत्रता—किससे? समाज से—तो समाज निरपेक्षता में भी किसी से तो सापेक्षता होगी ही। कोई व्यक्ति या जेन्डर यदि तीर छोड़ेगा तो हवा में तो नहीं। रही बात आत्मनिर्भरता की तो कम्पनी में काम करने वाले करोड़ों रुपये का पगार (पैकेज) पाने वाला इंजीनियर कम्पनी के मालिक को इंकार नहीं कर सकता। आत्मनिर्भरता सिर्फ इकॉनामी की प्राप्ति ही नहीं है। जिसे हम मुक्ति कहते हैं, वह स्त्री की मुक्ति हो या पुरुष की उसका अर्थ जब आर्थिक स्वतंत्रता यानि उन्मुक्त आर्थिक व्यापार से जुड़ जाता है तो उसकी जद में हर किसी को कैद होना पड़ता है। ऐसे में कुछ ऐसी लेखिकाएँ हैं, जो हमें ठहरने के लिए थोड़ी सी जमीन देती हैं—कृष्णा सोबती, चित्रा मुद्गल और महाश्वेता देवी के बारे में थोड़ा लिखना बहुत समझना है। चाहे स्त्री का पक्ष हो या पुरुष का—यदि ये दोनों एक दूसरे को स्वीकार करें, तो दोनों को अधिकार प्राप्त होगा, समाज को संतुलन मिलेगा।

मैत्रेय पुष्पा अपनी रचनाओं में लोक जीवन से हमारा साक्षात्कार कराती हैं। लोक जीवन की यथार्थताओं को, उसके अंतरंग और सघन क्षणों को मैत्रेयी पुष्पा ने अपनी रचनाओं में जिस संजीदगी के साथ पिरोया है, वह अपने आप में साहस है। उन्होंने अपनी औपन्यासिक कृतियों में सामान्य और मामूली स्त्रियों

को मात्र सजा ही नहीं है बल्कि लोक जीवन से सीधे उठाकर अपने उपन्यासों में जगह दी है। लेखिका जानती हैं लोगबाग की साइकी और उसे बेबाकी से रखने में उन्हें कोई गुरेज नहीं। डॉ० सुनीता मैत्रेयी पुष्पा को मुखर होती स्त्री की प्रखर प्रवक्ता मानती हैं। इसके लिए वह कुछ राजनीतिक कारणों की ओर भी संकेत करती हैं। उत्तर प्रदेश भारत का वह प्रदेश है, जहां दलित स्त्री चेतना एक साथ नया छोर छूने को उद्धृत होने लगता है और इसी की परिणति है मैत्रेयी पुष्पा की कथात्मक रचनाएँ।

रचना और आलोचना दोनों में समान रूप से चर्चित सुप्रसिद्ध साहित्यकार अनामिका की रचना को डॉ० सुनीता ने अपने विमर्श में बड़ी आत्मीयता के साथ स्थान दिया है। कविताओं और संस्मरणों में जीवन के खंड-चित्र होते हैं, किन्तु उपन्यास विमर्श के लिए एक बड़ा-सा मैदान मुहैया कराता है। अनामिका की औपन्यासिक कृतियाँ स्त्री विमर्श की प्रौढ़ रचनाएँ हैं और फलक भी बड़ा है। जैसे कैनवास पर अनामिका ने पात्रों और उसकी परिस्थितियों की रेखाएँ तैयार की हैं, उसकी ज्यामिति कुछ बिखराव पैदा करती है। असंगत सी लगने वाली स्थितियों की संगति मिलाती डॉ० सुनीता लिखती हैं, किन्तु ऊपर से असंगत प्रतीत होते घटना क्रम व पात्र वस्तुतः एक विराट युगीन चेतना की कड़ी हैं। इतना ही नहीं लेखिका उपन्यास की शिल्प-संरचना पर ही अपना ध्यान केन्द्र करती हैं। बंदिशों की दीवारें बहुत छोटी होती हैं और उपन्यासकार को किसी भी जगह ठहरने का अच्छा मौका मिल जाता है। अनामिका भी एक बड़े कैनवास पर अपने उपन्यास के लिए बड़ा-सा वृत्त तैयार करती है। आज हिन्दी उपन्यास अपनी शिल्प संरचना में काफी आगे

बढ़ गये हैं। उसे किसी बंधी-बंधायी चौहद्दी में बांध पाना असंभव है। इस प्रकार की रचना अध्येताओं के लिए पाठ-प्रक्रिया का नया अध्याय जोड़ती हैं और अभिव्यंजना के नये द्वार खोलती हैं जहाँ अर्थ शब्दों में नहीं शब्दों के पर जाकर झांकता है। डॉ० सुनीता अनामिका पर टिप्पणी करते हुए कहीं-कहीं अति कथन का भी सहारा ले लेती हैं जिसे ब्याजोक्ति संज्ञा दी जाती है। वैसे भाषा की भंगिमा भावुकता से परे है पर उसमें प्रशस्ति की गंध आ गयी है। आज दलित-विमर्श हो या स्त्री-विमर्श, इनका स्पेस इतना छोटा होता जा रहा है कि वह अपनी छोटी परिधि में सिमटकर लिथड़ा नजर आने लगा है। अनामिका ने स्त्री-मन की घटती परिधि को एक नया क्षितिज विस्तार दिया है और साथ-साथ भूमण्डलीकरण के दौर में अपनी जमीन, उससे जुड़े हुए शब्द और शब्दों से जुड़ी जो प्रपत्तियाँ हैं उन्हें अपनी रचनाओं में सहेजने का प्रयास किया है। अपनी स्थानीयता के प्रति गहरी आस्था और प्रतिबद्धता किसी भी लेखक को महान बनाती है। अनामिका में यह प्रतिबद्धता है व्यक्ति-मन का केन्द्र परिधि के विस्तार पर जाकर दम लेता है कि मुक्ति कभी अकेली नहीं आती- यदि यह पंक्ति मुक्तिबोध के समशील बन जाए तो क्या कहने।

और अन्त में डॉ० सुनीता ने चार स्त्री-लेखिकाओं की आत्मकथाओं को केन्द्र में रखकर स्त्री-विमर्श संबंधी अपने विचार व्यक्त किये हैं। स्वयं को विषय बनाकर प्रस्तुत करना व्यक्तित्व के भीतर से उभरने वाले विश्वास का द्योतक है और यही वह विश्वास है जहाँ से आत्मकथाएँ अपना आकार ग्रहण करती हैं। जब तक व्यक्ति में विश्वास का उद्रेक नहीं होता, तब तक वह अपने

बारे में न कुछ बोल सकता है और न लिख सकता है। किन्तु विश्वास का उद्रेक आक्रोशी और प्रतिक्रियावादी भी बन जाता है। चाहे दलित साहित्य हो या स्त्री विमर्श, आत्मकथाओं का यह हस्त है कि एक सीमा के बाद जाकर वे जम सी गयी हैं, जहाँ उनके रचनात्मक आवेग में न गति रह गयी है और न ही आग, रह गयी है तो सीमित अर्थ में मात्र मन की भड़सा। ये रचनाएँ लिंग-बोध को ज्यादा उकरोती हैं, उनका स्वस्थ सामाजिक सरोकार बहुत कम है। कुसुम अंसल कदाचित् पहली स्त्री हैं जो हिन्दी में आत्मकथा के साथ उपस्थित होती हैं। एक बड़े और समर्थ घर की बेटा का जीवन स्नेह और प्यार पाकर रचनात्मक ऊर्जा को प्राप्त करता है, पर टिकाऊ नहीं रह पाता। लेखिका को सब कुछ प्राप्त है किन्तु कुछ और की प्राप्ति जैसे जीवन में रहस्य पैदा करती है। और इसी अनकहे सच के साथ तमाम अस्तित्व विहीन स्त्रियों का सच समाहित हो जाता है- ऐसा डॉ० सुनीता मानती हैं, पर समर्थ भी कितनी स्त्रियाँ होती हैं।

प्रभा खेतान का लेखन किसी बृहत्तर मूल्य को स्थापित नहीं कर पाता। डॉ० सुनीता की टिप्पणी प्रभा खेतान की मानसिक बुनावट को उधरने के लिए काफी है, “प्रभा खेतान की आत्मकथा जल्दीबाजी व विकट मानसिक दबावों के बीच लिखी प्रतीत होती है। बौद्धिक चेतना सम्पन्न लेखिका का असहायता बोध व भोलापन बनावटी प्रतीत होता है।” मन्नु भंडारी ने एक प्रसिद्ध और

जाने-माने कथाकार की संगिनी का जीवन भोगा और साथ-साथ कई कहानी-संग्रह की चर्चित कहानीकार भी रही हैं। डॉ० गुप्ता ने मन्नु जी के जीवन में आये लेखकीय अवरोधों और असंगतियों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। पति-पत्नी दोनों के संतुलन से ही परिवार की गाड़ी सरपट चलती हैं। किन्तु जहाँ संतुलन का अभाव हुआ वहाँ पत्नी को ही शेष भार ढोने को मजबूर होना पड़ता है, ऐसा ही प्रतीत होता है। लेखिका मन्नु भंडारी के साथ-साथ बाद की भी स्त्री-रचनाकारों में उस कारण की पड़ताल करती हैं कि क्यों कोई पुरुष सैद्धांतिक और आलोचना जैसे विषयों में प्रवेश पाता है और स्त्री लेखन में वह प्रवेश आज भी कम ही है। कारण स्पष्ट है, आलोचना और सैद्धांतिक विमर्श में लेखन के लिए अलग और अध्ययन के लिए अलग वक्त की दोहरी माँग अपेक्षित है जिसकी पूर्ति का स्पेस विगत पीढ़ी की स्त्रियों के लिए लगभग असंभव ही रहा है।

मैत्रेयी पुष्पा एक ऐसी कथा-लेखिका हैं जिन्होंने अपने कथा-वृत्त में ठेठ लोक-जीवन को स्थान दिया है। विवाहोपरान्त अलीगढ़ से कटकर उन्होंने दिल्ली जैसी महानगरी के एम्स के बड़े डॉक्टरों के बीच रहने का मौका मिला। छोटा शहर आम लोग, बड़ा शहर बड़े लोग, उसमें भी एम्स के डाक्टर, और इन सब को बेहतर ढंग से पढ़ने का उन्हें अच्छा मौका मिला। और यह जानने का मौका भी मिला कि एक पढ़ा-लिखा वर्ग भी अपने जड़ संस्कारों का कितना

गुलाम होता है। किन्तु ज्ञान अपने आप में एक खतरनाक आँधी होती है, वह न तो जिसके पास है उसे ही स्थिर रहने देता है न अपने परिपार्श्व को। मैत्रेयी पुष्पा ने अपनी माँ से यही तो पाया संस्कार के रूप में ‘गुड़िया बीच गुड़िया’ में घर की चहारदीवारी में घटती हुई स्त्री का दर्द है। विवाह स्त्री-चेतना और प्रखर आवेग पर कैसे पानी फेर देता है, इस दर्द को लेखिका ने बड़े-संतुलन के साथ समाहित किया है, स्त्री-मुक्ति को घर के घेरे से तोड़कर नहीं पाया जा सकता, बल्कि घर के लिए इसकी आवश्यकता अधिक है।

इस प्रकार स्त्री-चेतना के प्रस्थान बिंदु की तलाश में डॉ० सुनीता ने जिस चेतना को आयाम दिया है, वह भारतीय समाज में तब भी मान्य था और आज भी मान्य है किन्तु मध्यकाल से लेकर आज तक मान्यताएँ शिकंजों में इस प्रकार कसी हैं कि उनसे निस्तार पाकर ही किसी स्त्री-व्यक्तित्व का निर्माण संभव है। लेखिका ने अतिवादिता का आदि से अंत तक विरोध किया है और सार्वजनिक मान्यताओं की वकालत की है। जिन लेखिकाओं का छोर अतिवादी और घोर व्यक्तिवादी रहा है उन पर खरी टिप्पणी करने में भी डॉ० सुनीता को कोई गुरेज नहीं। इस प्रकार यह पुस्तक न किसी के लिए विरुद्ध गायन है और न ही ध्वंसात्मक आपत्ति, बल्कि मुक्ति में भी जहाँ व्यापकत्व भाव है, सुनीता ने उन्मुक्त भाव से उसकी सराहना की है।



मिथिलेश्वर के उपन्यास 'माटी कहे कुम्हार से' में नारी संघर्ष

सुनीता राजपूत

व्यक्ति स्वयं अपने विचारों, मान्यताओं, आदर्शों और रीतियों द्वारा समाज व्यवस्था का नियमन करता है, लेकिन परिवर्तन की प्रक्रिया में एक समय में बने नियम आने वाले समय में रूढ़ सिद्ध हो जाते हैं और परिस्थिति के अनुरूप व्यक्ति स्वयं निर्मित नियमों को तोड़कर नये आदर्शों, विचारों, मान्यताओं, रीतियों-नीतियों को अपनाता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में पुरुष प्रधान समाज होने के नाते परिवार में जितने नियम नारी के लिए बने हैं उतने पुरुष के लिए नहीं। नारी भी मूक भाव से इन नियमों का पालन करना अपना धर्म समझती है। कोल्हू के बैल की तरह पिस जाती है पर ऊ तक नहीं करती। वर्तमान हिन्दी आलोचना और साहित्य में समाज की उन जड़-परम्पराओं का विरोध किया है जिनसे नारियों का विकास अवरुद्ध होता है।

'माटी कहे कुम्हार से' उपन्यास में भी लेखक (मिथिलेश्वर) ने 'मुनिला' के माध्यम से यह सत्य उजागर किया है कि पुरुष द्वारा शोषण को मूक भाव से सहने का अर्थ इसे बढ़ावा देना है। उपन्यास का आरम्भ मुनिला की माँ 'कलावती' से होता है। वह एक ऐसी नारी है जो देखने में बहुत सुन्दर है परन्तु वह गूँगी है वह स्वयं जाति से ब्राह्मण थी लेकिन वह यदुवंशी बिसुनदेव से प्यार करती है। उसके पिता उसकी शादी के लिए परेशान थे। वह अच्छा दहेज देकर उसकी शादी किसी अच्छे घर में करना चाहते हैं पर अनेक प्रयत्नों के बाद भी यह सम्भव नहीं हो पा रहा था। कलावती बिसुनदेव से प्यार करती थी चूँकि कलावती गूँगी थी इसलिए कुछ कह नहीं पाती। उनका प्यार इस सीमा तक पहुँच चुका था कि उन दोनों में

शारीरिक सम्बन्ध स्थापित हो जाता है जिसका परिणाम यह होता है कि कलावती गर्भवती हो जाती है। इस बात का पता जब कलावती के घरवालों को चलता है तो वह बिसुनदेव को दोषी मानते हैं। इसी बीच बिसुनदेव कलावती को घर से भगाकर नरही की झोंपड़ी में ले जाता है। उसी झोंपड़पट्टी में बैशाख की एक रात कलावती ने एक बच्ची को जन्म दिया उस बच्ची का नाम था 'मुनिला'।

बच्ची के जन्म के बाद कलावती भी बिसुनदेव के साथ खेतों में काम करने जाती थी परन्तु एक दिन सड़क पर जाते दो गुण्डे जागा और तेगा कलावती को गोली मार उसकी मृत्यु कर देते हैं। छोटी बच्ची मुनिला अब अपनी बूढ़ी दादी और पिता के पास रह गई थी। कुछ समय बाद पिता भी उसे छोड़ मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं अब बच्ची (मुनिला) का इस दुनिया में एक मात्र सहारा दादी रह गई थी। परन्तु जाड़े की एक रात बुढ़िया दादी को तेज बुखार आया और वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। मुन्नी (मुनिला) इस दुनिया में अकेली रह गयी थी। जब उसकी माँ की मृत्यु हुई तब वह बहुत छोटी थी। पिता का मरना भी उसने सिर्फ सुना ही था। लेकिन बुढ़िया दादी को मरते हुए अपनी आँखों से देखा था। अब मुनिला इस दुनिया में अकेली रह गई थी। उसके जीवन के संघर्ष की शुरुआत हो गई थी। वह अकेली इस बस्ती में रहती थी। सुबह जल्दी उठकर काम पर चली जाती।

शाम को घर आकर खाना बनाती और खाकर सो जाती। एक दिन उसकी मुलाकात मुनीलाल से होती है। मुनीलाल से उसकी मुलाकात उसकी बस्ती में होती है। वह देखती है कि रात के समय बाहर से भागता एक व्यक्ति उसके दरवाजे आ खड़ा होता है वह मुनिला से याचना करता है "मेरे दुश्मन पीछा कर रहे हैं क्षणभर के लिए छिप जाने दो। तुम्हारा बड़ा उपकार मानूँगा।"

इसके बाद वह दोनों एक दूसरे से मिलते रहते हैं अतः दोनों शादी के पवित्र बन्धन में बंध जाते हैं। मुनिला अकेली ही रहती थी। मुनीलाल अपने काम के सिलसिले में बाहर ही रहता था। कुछ दिनों बाद वह गाँव छोड़कर 'झाबुआ' गाँव आ गये। यहाँ पहुँच अपने फरारी जीवन को उन्होंने विराम दे दिया

शोध छात्रा, हिन्दी विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू

मुनिला ने भी अपनी सहमति जतायी “इहाँ हमें कोई नहीं देखेगा इहाँ हम खप जाएँगे। ई गाँव तो अपनी बस्ती जइसी है।”² इस गाँव में पहुँच मुनिला एक स्कूल में खाना बनाने का काम करने लगती है। यह गाँव उन्हें सारी खुशियाँ देने लगता है। मुनीलाल को भी रिजावन सेठ के घर काम मिल जाता है। मुनिला की जिन्दगी सही मार्ग पर चलने लगती है।

मुनिला अपने जीवन के दुखों को भूलकर अपनी जिन्दगी को नयी दिशा से शुरू करना चाहती है परन्तु भाग्य का खेल कुछ और ही था। जिस गाँव में मुनिला और मुनीलाल रहते थे उसी गाँव में फूलकेसरी भी रहती थी। वह हमारे सामने एक ऐसी स्त्री के रूप में आती है जो दहेज के लिए परिवार (ससुराल) से शोषित की जाती है। उसके ससुराल वाले उसके मायके वालों से दहेज की माँग करते हैं। वह फूलकेसरी को घर से निकाल देते हैं परन्तु मुनिला परिस्थिति को समझ फूलकेसरी का सही मार्गदर्शन करती है। इस घटना से पता चलता है कि मुनिला परिस्थिति को समझ उसका सामना करने के लिए तैयार रहती है।

मुनिला का जीवन आरम्भ से ही मुश्किलों से घिरा रहा था परन्तु यह घटना उसके जीवन की सबसे दुखद घटना थी। मुनीलाल रिजावन सेठ के घर काम करता था सेठ के बेटे का अपहरण कुछ गुण्डे करते हैं। बेटे को बचाने की कोशिश में मुनीलाल की जान चली जाती है। इस घटना से मुनिला पूरी तरह टूट जाती है। वह अपने सपनों को टूटा हुआ देखती है। उसी गाँव के अध्यापक रमन उसकी स्थिति को समझ

उसे अपने दादा की देखभाल के लिए नौकरानी के काम पर रख लेते हैं। उनका सारा परिवार शहर में रहता था। मुनिला पूरे लगन से अपना काम करती है परन्तु रमन के दादा मुनिला के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। दोनों में शारीरिक सम्बन्ध स्थापित हो जाता है जिससे मुनिला गर्भवती हो जाती है। समाज में इज्जत के भय से उन्हें सीने में दर्द होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है।

मुनिला का जीवन संघर्ष एक बार फिर हमारे सामने आता है। मुनिला अपना गर्भपात कर देती है। उसका यह कदम उसकी आत्मशक्ति का संकेत करता है। वह अपने निर्णय पर अटल रहती है। वह अपनी जिन्दगी नये सिरे से शुरू करने का फैसला लेती है। वह शहर में “डॉ० रजिया रेहान” के घर काम करना शुरू कर देती है। इस घर में उसे एक नया दृष्टिकोण देखने को मिलता है कि किस प्रकार लोगों में इन्सानियत का अन्त हो रहा है। लोग पैसे के लिए अपनी आत्मा को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं परन्तु मुनिला एक ऐसी नारी के रूप में हमारे सामने आती है जो अपनी आत्मा को मार नहीं सकती है। वह न्याय के लिए लड़ने के लिए तैयार रहती है। वह अपने अधिकारों को भी प्राप्त करने का पूरा प्रयास करती है। डॉ० रजिया रेहान के घर उसे वेतन से अधिक काम लिया जाता था इसलिए वह इस घर में भी काम छोड़ देती है।

इस घटना के बाद मुनिया ‘रामप्रसाद’ के घर काम करने लगती है। इस घर में भी बेटे-बेटी में भेदभाव को देखकर मुनिला का हृदय काफी दुखी होता। वह इस घर में देखती है कि बेटे को खाना पहनना आदि अधिक दिया जाता है

जबकि लड़की को यह कहा जाता है कि वह लड़की है उसे खाकर दूसरे घर ही जाना है। अतः मुनिला अपनी आत्मा की आवाज को दबा नहीं सकती है। वह चाहकर भी लड़की के लिए कुछ नहीं कर पाती है इसलिए वह इस घर में भी काम छोड़ देती है।

मुनिला एक ऐसी नारी है जो अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक है। वह चाहती है जिस प्रकार पुरुष अपने अधिकारों को प्राप्त करने का प्रयास करता है उसी प्रकार नारी भी अपने अधिकारों को प्राप्त करने का प्रयत्न करे क्योंकि जब नारी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगी तभी वह पुरुष के सामान अधिकार प्राप्त कर पायेगी।

अपनी अन्तरात्मा की आवाज सुन अब वह ‘मिसिराइन’ के घर काम करने लगती है। परन्तु इस घर में भी वह देखती है कि किस प्रकार नारी ही नारी का शोषण करती है। मिसिराइन चाहती है कि हमारे घर बेटा हो जो उनके परिवार का नाम आगे बढ़ाए परन्तु बेटे के जन्म पर सारा घर खामोश हो जाता है। घर में मातम सा छा जाता है। इस स्थिति को देख लगता है कि आज जब हमारे समाज में स्त्री-पुरुष समानता की बात की जाती है परन्तु यह स्थिति भी हमारे समाज में विद्यमान है। मुनिला इस स्थिति को देख बहुत दुखी होती है। वह अपनी आत्मा की आवाज को मार नहीं सकती। इस नारी अत्याचार के कारण मुनिला यह निर्णय लेती है कि वह ऐसे घर में काम नहीं करेगी। इसलिए वह इस घर में भी काम छोड़ देती है। अब मुनिला एक ऐसे घर में काम करने लगती है जो संयुक्त परिवार था ‘मुकुलनिवास’।

इस घर के मुखिया मुकुलबाबू थे जब तक वह जीवित थे उनका परिवार संयुक्त रहा परन्तु उनकी मृत्यु होते ही परिवार का विघटन हो जाता है। मुनिला इस घर को अपना घर मानती थी। वह इस घर के लिए परिवार का ही सदस्य समझी जाती थी परन्तु घर का टूटना हुआ देखकर मुनिला इस घर में भी काम छोड़ देती है।

अब मुनिला 'अमीरचंद सेठ' के यहाँ काम करने लगी थी। उसे सेठ के यहाँ काम उसकी खोली की एक दाई ने दिलाया था। सेठ का घर बहुत अच्छा था। वह एक आलीशान कोठी थी। काम मिलने के बाद मुनिला इस घर में बहुत खुश थी। परन्तु इस घर में भी मुनिला के साथ एक घटना घटित होती है। सेठ के बेटे का अपहरण 'जयनाथ' नाम का गुण्डा कर लेता है। वह अपहरण मुनिला का सहारा लेकर करता है। मुनिला न चाहते हुए भी उनका निशाना बन जाती है। परन्तु सेठ और सेठानी को मुनिला पर पूरा विश्वास था। वह जैसे ही पुलिस की सहायता लेते हैं गुण्डा उनके बेटे की हत्या कर देता है। इस घटना के बाद सेठानी अपना मानसिक संतुलन खो बैठती है। मुनिला इस घटना का दोषी स्वयं को मानती है। इसलिए यह निर्णय लेती है कि वह इस घर में काम नहीं करेगी। मुनिला अपने मन आत्मा की आवाज को सबसे ऊपर मानती है क्योंकि उसका मानना है कि अन्याय करने वाले से सहने वाला अधिक दोषी होता है।

मुनिला अपने जीवन के उतार चढ़ाव से बहुत थक चुकी थी। इसलिए वह कुछ दिन आराम करना चाहती थी। सेठ के घर काम छोड़ने के बाद उन्होंने कुछ

दिन किसी भी घर में काम नहीं किया। लगभग तीन सप्ताह बाद मुनिला ने अपने मन के निर्णय पर एक इंजीनियर साहब के यहाँ उसने काम पकड़ा। अब मुनिला को अपनी जान की कोई परवाह नहीं रही थी। इस घटना ने मुनिला के व्यक्तित्व को और विद्रोही बना दिया था। इस स्थिति में वह किसी भी घर अधिक समय के लिए नहीं टिक पाती किसी घर में छह महीने तो किसी घर में आठ माह तो किसी के घर एक साल, इस घटना के बाद वह अनेक घरों में काम कर चुकी थी।

इन सभी घरों में काम करने के बाद मुनिला 'एस.के. सिंह' के घर काम करने लगती है। यह घर बहुत अच्छा था। इस घर में काम उसकी खोली की एक काकी ने दिलाया था। मुनिला मन में यह संकल्प लेती है कि वह पूरी ईमानदारी से इस घर में काम करेगी। वह इस घर में देखती है कि धन का कोई अभाव नहीं था। लेकिन काम करने वाले केवल एस.के. सिंह ही थे। घर का खर्च देख मुनिला यह सोचने के लिए विवश हो जाती है कि आखिर इतना पैसा आया कहाँ से, परन्तु जल्दी ही उसे पता चलता है साहब जो सरकारी नौकर हैं वह सरकारी धन का दोनों हाथों से लूट रहे हैं।

मुनिला इस बात की पक्की जानकारी घर के नौकर शामू से प्राप्त करती है। वह मुनिला को बताता है कि घर का पूजारूम में भी सरकारी धन छिपाया हुआ है जो गमले है उनके नीचे भी सोना है। मुनिला यह सब देखकर हैरान हो जाती है। वह इतने बड़े अन्याय को कैसे सहन कर पाती इसलिए वह इस रहस्य से पर्दा उठाने का प्रयास करने

लगती है इसी बीच घर के मालिक को नौकर शामू पर सन्देह होने लगता है वह उसे रास्ते से हटाने के लिए उसे गायब कर उसकी मृत्यु करवा देते हैं परन्तु मुनिला उनकी चाल पूरी तरह समझ जाती है। वह मन में यह निर्णय लेती है कि वह नौकर शामू की हत्या का बदला जरूर लेगी अतः मुनिला इस घर में भी काम छोड़ने का निर्णय ले लेती है "मुनिला नहीं मालकिन अब हम इहाँ काम नहीं कर सकती।"³ इस पर मालकिन कहती है कि "तो अइसे ही बीच में काम छोड़ देगी तू तो जानती है हम जल्दी किसी को नहीं रखते। मैना के कहन पर तुझे रखा था। तू अब हमारे घर की जानकार हो गयी है...। यहाँ का सब कुछ तेरा देखा-सुना है। हम बीच में दाई नहीं बदलते। इस तरह तुझे बीच में नहीं जाने देंगे।"⁴ इस पर मुनिला भी तैश में आ जाती है कहती है जब तक मन किया तो इस घर में काम करती रही परन्तु अब मेरा मन नहीं है इसलिए अब मैं इस घर में काम नहीं करूंगी। परन्तु बहुत सोचने के बाद वह इस घर में रुक जाती है लेकिन इस घर के प्रति उसकी दिनचर्या और रवैये में अब काफी बदलाव आ गया था। अब वह इस घर में आती तो जल्दी-जल्दी काम निपटाकर भागने के फिराक में रहती जैसे वह घर उसे काटने दौड़ रहा हो। वहाँ से लौटते हुए अब खाना भी नहीं ले जाती कह देती "अधिक तेल-मसाले का खाना हमको नहीं पचता।"⁵ इस पर मालकिन कहती मुनिला आजकल तू बहुत जल्दी में रहती है क्या बात है। इस पर मुनिला कहती है कि इस घर का सारा काम निपटाकर ही जाती हूँ। खाली बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता है बाकी अपनी खोली में भी काफी काम रहता है।

मुनिला को इस घर से पिंड छुड़ाने का अवसर भी मिल ही गया। मुनिला को देर तक इस अर्न्तद्वन्द्व में नहीं रहना पड़ा। एस.के. सिंह के विरोधियों को इनकी लूट की भनक लग गयी थी। एस.के. सिंह अगर अपनी लूट को अपनी अफसरशाही के दायरे में ही सीमित रखते तो किसी का भी ध्यान उनकी ओर नहीं जाता लेकिन सरकारी मन्त्रियों के सहयोग और संकेत पर यह सब कर वे फँस गये थे। उनकी विपक्षी पार्टी थी 'जनहित सेवादल।'

इस पार्टी के हाथ एस.के. सिंह के खिलाफ सुराग हाथ लग गया था। सुराग पाते ही अपने प्रभाव एवं सम्पर्कों से उनके घर छापेमारी करा दी जाती है जिसमें एस.के. सिंह के पूजा घर के खजाने और गमलों के सोने तक का रहस्य सामने आ जाता है। इस घटना के बाद मुनिला इस घर से भी काम छोड़ देती है। मुनिला जिन घरों में काम छोड़ती थी फिर लौटकर वहां नहीं जाती थी। उन घरों से छूटते ही सीधे अपनी खोली भागती थी फिर पाँच-सात दिनों तक कहीं कोई काम भी नहीं पकड़ती। जब उसका मन शान्त सहज हो जाता तभी कोई नया काम हाथ में लेती। लेकिन एस.के. सिंह का यह पहला घर था जहाँ से छूटकर वह अपनी खोली नहीं पहुँची। सीधे 'जनहित सेवादल' चली गई। वह आवेश और आवेग में थी। उसने पहुँचते ही वहाँ उपस्थित लोगों से पूछा "गगन बिहारी जी कहँवा है बहुत जरूरी काम है।"⁶ मुनिला गगनबिहारी से मिलकर एस.के. सिंह की सारी सच्चाई बता देना चाहती थी और हुआ भी वैसा ही। मुनिला ने सारी सच्चाई पार्टी सुप्रीमो गगन बिहारी को दे दी। एस.के. सिंह

और धीरज को गिरफ्तार कर लिया गया। अब मुनिला अपनी खोली लौट जाना चाहती थी परन्तु पार्टी के लोगों ने उनसे कहा अध्यक्षजी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम आपको उनके पास लेने आए हैं।

दूसरे दिन सुबह मुनिला पहले वाली मुनिला नहीं रह गई थी। मीडिया ने मुनिला को रातों-रात स्टार बना दिया था। इस घटना के बाद गगन बिहारी ने मुनिला को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। नौकरानी मुनिला ने अपनी बहादुरी से लोकतंत्र में लूट मचाने वाले व्यक्तियों को बेनकाब किया। इन खबरों से अवगत पार्टी सदस्य और जिज्ञासा नागरिक मुनिला को देखने और उससे मिलने पार्टी के आवासीय परिसर पर जुटने लगे। लोगों के सामने मुनिला बहादुरी की मिसाल थी। मुनिला न चाहते हुए भी पार्टी में शामिल हो गई। पार्टी में उसे शारदा दीदी का साथ मिला। वह उसे हर कदम पर सही गलत की पहचान कराती। मुनिला अब पार्टी की सदस्य बन चुकी थी। उसे इस ऐशो-आराम में अपने पिछले जीवन की सारी बातें याद आने लगती हैं। उसके बाद जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आता है मुनिला की गतिविधियां बढ़ती जा रही थी। मुनिला ने पार्टी में जान फूक दी थी। मुनिला का सपना एक बेहतर समाज की स्थापना थी। मुनिला राजनीति में आना नहीं चाहती थी।

परिस्थितियों से विवश होकर उसे राजनीति में आना पड़ता है। परेशानी में मुनिला को शिवबचन काका की यह बात याद आने लगती है "तुम चाहकर तो राजनीति में आयी नहीं हो। अन्याय का विरोध के लिए तुझे यहाँ आना पड़ा

है। लेकिन जब यहाँ आ गयी हो तो यहाँ रहते हुए लगातार अन्याय के खिलाफ लड़ते जाने में ही तुम्हारी सार्थकता है। तुम यहाँ से भाग जाओगी तो उन लोगों के मन को धक्का लगेगा जिनका विश्वास तुझ पर कायम हो गया है।"⁷

मुनिला पार्टी प्रचार के लिए अनेक सभाओं में भाग लेती है। उसके अनेक भाषण भी होते हैं। मुनिला राजनीति की डोर पकड़ लेती है। राजनीति की पहली बात जाति और धर्म को मानती है। रविवार के दिन 3.00 बजे शहीद चौक की सभा में वह मंच पर आई ही थी। मुनिला ने एक वाक्य भी पूरा नहीं किया था कि भीड़ के बीच से सनसनाती आयी दो गोलियों ने धायँ-धायँ की आवाज़ के साथ पलक झपकते ही उसे मंच पर ढेर कर दिया। मुनिला खून से लथपथ थी। मुनिला अब गुजर चुकी थी। मुनिला की हत्या के बाद केवल वही लोग उसके पास रह गए थे जिन्हें सही शब्दों में मुनिला से हमदर्दी थी। उसमें प्रमुख थे वे लोग जो मुनिला को अपने नियमों के अनुसार ठीक लगे। अब विपक्षी पार्टियों ने भी अलग-अलग प्रैस वक्तव्य जारी कर इस बात का खुलासा किया था कि स्वयं गगनबिहारी ने ही मुनिला की हत्या करायी है। वह मुनिला को अपने लिए खतरा महसूस कर रहा था इसलिए उन्होंने मुनिला को अपने रास्ते से हटा दिया। विपक्षी पार्टियों ने इस घटना की जाँच सी.बी.आई. से करने की माँग करते हैं। शिवबचन काका कहते हैं समाज ने करवट ले ली है इससे पहले भी ऐसी हत्याएँ होती थीं परन्तु उन हत्याओं के विरोध में इतनी भीड़ नहीं उभरती थी। यह अचानक

और ऐसे ही नहीं हुआ था। बदलाव का यह साफ संकेत था समाज के लिए जो मर जाते हैं। मुनिला ने तो इसे अब चरम पर पहुँचा दिया था। मुनिला की यह घटना सामान्य घटना नहीं थी। यह घटना समाज को बदलने की शुरुआत थी। अब मुनिला अनेक रूपों में सामने आने लगी थी। मुनिला का मतलब 'विद्रोह', मुनिला का मतलब 'निर्भीक्ता', मुनिला का मतलब 'साहसपुंज', मुनिला का मतलब 'बदलाव की नयी हवा',

मुनिला का मतलब 'दलित और पिछड़े वर्ग का जागरण', मुनिला का मतलब 'धर्म-निरपेक्षता की ताकत'।

जमीनी संघर्षों की उपज मुनिला का जीवन अब समाप्त हो गया था। जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी वह कभी हार नहीं मानती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. मिथिलेश्वर, माटी कहे कुम्हार से, पृ० - 26

2. मिथिलेश्वर, माटी कहे कुम्हार से, पृ० - 81
3. मिथिलेश्वर, माटी कहे कुम्हार से, पृ० - 404
4. मिथिलेश्वर, माटी कहे कुम्हार से, पृ० - 404
5. मिथिलेश्वर, माटी कहे कुम्हार से, पृ० - 405
6. मिथिलेश्वर, माटी कहे कुम्हार से, पृ० - 412
7. मिथिलेश्वर, माटी कहे कुम्हार से, पृ० - 496



राष्ट्रकवि दिनकर की प्रासंगिकता

डॉ० अशोक कुमार सिन्हा

‘सुनूँ सिन्धु क्या गर्जन तुम्हारा स्वयं युगधर्म का हुंकार हूँ मैं’, का उद्घोष करने वाले राष्ट्रकवि दिनकर आज हमारे लिए अत्यन्त प्रासंगिक हैं। प्रासंगिकता का सम्बन्ध कवि की उस चेतना से होती है, जो मानवीय मूल्यों पर आधारित होती है, और विकास का मार्ग प्रशस्त करते हुए वर्तमान संदर्भों से युक्त होती है।

हिन्दी-साहित्य में ‘दिनकर’ राष्ट्रीय चेतना के अग्रणी कवि माने जाते हैं। इनके काव्य में राष्ट्रीयता के विविध प्रसंग अपने ज्वलन्त एवं विचारणीय रूप में उभरे हैं। उनमें से कुछ समस्याएँ आज ज्यों के त्यों बनी हुई हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दिनकर देखते हैं कि आजादी के पूर्व राष्ट्र के लिए जो उत्सर्ग, त्याग और बलिदान की भावना थी, वे सब अब स्वप्न बनकर रह गये हैं। सर्वत्र स्वार्थपरता, दाव-पेंच, प्रपंच और झूठ-फरेब का साम्राज्य छा गया है। अंग्रेजों द्वारा स्थापित शोषण-नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। अन्तर केवल इतना आया है कि पहले शोषक अंग्रेज थे अब भारतीय हैं। देश में सत्य-अहिंसा मूल्यहीन हो गये हैं। पूरे देश में कालाबाजारी, छल, राजनीतिक तिकड़म दिखलायी देता है। मंत्री का पदा विचित्र हो गया है। जब तक वे पद पर रहते हैं, उन्हें देश में व्याप्त भ्रष्टाचार और सरकार की अकर्मण्यता नहीं दिखलाई देती है-

मंत्री के आसन की यह महिमा विचित्र है,
जब तक इस पर रहो नहीं दिखलाई देगी,
शासन की हीनता, न भ्रष्टाचार किसी का।

मंत्री के गुणों की चर्चा करते हुए दिनकर कहते हैं कि ये न नाचते हैं, न गाते हैं और न बजाते हैं। केवल अखबार की

सुर्खियों में रहना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि समाचार पत्र उनका गुणगान करता रहे। उनकी मनोवृत्ति विकास में कम और खबरों में अधिक रहने की होती है-

मंत्रियों के गुण अनोखे जानते हो?
वे न तो गाते, बजाते, नाचते हैं,
और खबरों के सिवा कुछ भी नहीं पढ़ते।

इस प्रसंग में विजेन्द्र नारायण सिंह कहते हैं- “दिनकर महसूस करते हैं कि वास्तव में सिंहासन पर जनता नहीं बैठी, वरन् बैठे उनके नाम पर ऐसे प्रतिनिधि, जिन्हें जनता के सुख-दुःख से लेना-देना नहीं था। गांवों की वही बदहाली और गरीबी बरकरार थी जो अंग्रेजी राज में थी, पर जनता के प्रतिनिधि अपने लिए सुख और विलास का उपकरण सजाने में लगे थे। इस वेदना से व्यथित होकर उन्होंने 1954 ई. में ‘भारत का रेशमी नगर’ नामक कविता लिखी।”³ इस कविता में दिनकर कहते हैं कि सारा देश अंधेरे में भटक रहा है, पर दिल्ली में खूब ज्योति है। दिल्ली में जनता के प्रतिनिधियों को आराम ही आराम है। ग्राम-कुंजों में शरीर को झुलसा देने वाली पछिया वयार है और दिल्ली में नेताओं के लिए ठंडी शीतल पुरवाई लहर विद्यमान है। जन-प्रतिनिधियों को जनता की कोई चिन्ता नहीं है। चुनाव के समय वे क्षेत्र-भ्रमण करते रहते हैं, पर चुनाव जीतने के बाद उन्हें अपना क्षेत्र नहीं, दिल्ली की विलासिता रास आने लगती है। सच पूछा जाए तो हमारे देश की आज भी स्थिति ऐसी ही है और इसी अर्थ में दिनकर हमारे लिए प्रासंगिक नजर आते हैं। दिनकर देश की अराजक स्थिति का चित्रण ‘एनार्की’ में इस प्रकार करते हैं-

अजब हमारा यह तंत्र है,
नकली दवाइयों का व्यापारी स्वतंत्र है।
अखबार मुक्त है चुपाने को,
विज्ञापनदाताओं का मरम छुपाने को।

भारत की विदेश नीति पर भी दिनकर विचार करते हैं। वे कहते हैं कि पाकिस्तान और चीन दोनों से भारत को खतरा है। ये दोनों पड़ोसी हैं और शत्रुता की भावना रखते हैं-

सोच-सोच आनन मलीन है,
एक ओर पाकिस्तान, एक ओर चीन है,
समझ नहीं पड़ता चरित्र है,

रूस-अमेरिका में कौन बड़ा मित्र है^१

विदेश मामले में भारत की स्थिति आज भी यही दिखलायी देती है। आज 'युद्ध एवं शान्ति' की समस्या पर विचार-मंथन होते रहते हैं। कोई भी देश इससे मुक्त नहीं है।

दिनकर कुरुक्षेत्र में युद्ध एवं शान्ति की समस्या पर विस्तार से विचार करते हैं। इस संदर्भ में डॉ० रंजन सूरिदेव कहते हैं- "वे चूँकि इतिहास के विद्यार्थी रहे, इसलिए उनके काव्यों में इतिहास की प्राचीन घटनाओं को प्रासंगिकता प्रदान करने का आग्रह सहज ही परिलक्षित होती है। वे सचमुच महान् थे। भेदभाव से दग्ध राष्ट्र को उनकी प्रभा प्रखर और ऊर्जामुखर वाग्वैखरी की आवश्यकता थी।"^६ दिनकर कुरुक्षेत्र में युधिष्ठिर एवं भीष्म पितामह के वार्तालाप के माध्यम से युद्ध एवं शान्ति की समस्या को रखते हैं। ग्रन्थ की भूमिका में ही वे कहते हैं- "युद्ध निन्दित और क्रूर कर्म है, किन्तु उसका दायित्व किस पर होना चाहिए? उस पर जो अनीतियों का जाल बिछाकर प्रतिकार को आमंत्रण देता है? या उस पर, जो जाल को छिन्न-भिन्न कर देने के लिए आतुर है?"^७ कुरुक्षेत्र के तीसरे सर्ग में ये कहते हैं-

युद्ध को बुलाता है अनीति-ध्वजधारी या कि
वह जो अनीति-भाल पै दे पाँव
चलाता?^८

दिनकर की दृष्टि में युद्ध का दायित्व उस पर है जो अनीतियों का जाल बिछाकर, भूखों का ग्रास छीन कर,

निर्बलों से धन लूटकर समृद्धि का विपुल कोष संचित करता है-

सुख समृद्धि का विपुल-कोष
संचित कर कल, बल, छल से,
किसी क्षुधित का ग्रास छीन, धन
लूट किसी निर्बल से।

हिलो-डुलो मत, हृदय-रक्त,
अपना मुझको पीने दो,
अचल रहे साम्राज्य शांति का,
जियो और जीने दो^९

दिनकर स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि जो न्याय की राह पर नहीं होता, वही युद्ध को बुलाता है-

चुराता न्याय जो, रण को बुलाता
भी वही है,

युधिष्ठिर! स्वत्व की अन्वेषणा
पातक नहीं है।

नरक उनके लिए, जो पाप को
स्वीकारते हैं,

न उनके हेतु जो रण में उसे
ललकारते हैं!^{१०}

कवि का यह भी मानना है कि जब तक प्रत्येक मानव को न्यायोचित सुख सुलभ नहीं नहीं होगा, जब तक मनुज-मनुज का सुख-भाग सम नहीं होगा, तब तक युद्ध को रोका नहीं जा सकता-

शान्ति नहीं तब तक, जब तक
सुख-भाग न नर का सम हो,
नहीं किसी को बहुत अधिक हो,
नहीं किसी को कम हो!^{११}

दिनकर की दृष्टि में मानव-जीवन में 'मित्रता' का बहुत अधिक महत्व है। मित्रता के प्रस्ताव को कभी ठुकराना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति मित्रता के मूल्य

को नहीं समझता है, और दूसरे के साथ शत्रुता का भाव रखता है, उसकी बर्बादी निश्चित है। महाभारत युद्ध के पूर्व भगवान् श्रीकृष्ण मित्रता का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास जाते हैं। लेकिन हठी दुर्योधन इस पर ध्यान नहीं देता है और उल्टे भगवान् श्रीकृष्ण को बाँधने के लिए जंजीर ले आता है। इस पर भगवान् श्रीकृष्ण अपना विराट रूप धारण कर लेते हैं और कहते हैं-

हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री
का मूल्य न पहचाना,
तो ले, मैं भी अब जाता हूँ,
अंतिम संकल्प सुनाता हूँ।

याचना नहीं अब रण होगा जीवन
जय या कि मरण होगा!^{१२}

दिनकर 'मित्रता' को अनमोल रत्न के रूप में स्वीकार करते हैं। विपत्ति के समय मित्र ही काम आता है- 'आपद्गतं च न जहाति ददाति काले'। विपत्ति के समय सच्चा मित्र साथ नहीं छोड़ता है अपितु सहायता के रूप में कुछ दे ही देता है। सच्चा मित्र अपने मित्र के लिए प्राण की बाजी लगा देता है। 'रश्मिरथी' का कर्ण भी कहता है-

जीते जी उसे बचाऊँगा,
या आप स्वयं कट जाऊँगा।

मित्रता बड़ा अनमोल रत्न, कब
इसे तौल सकता है धन?

धरती की तो है क्या विसात? आ
जाय अगर बैकुण्ठ हाथ!^{१३}

"राष्ट्रकवि दिनकर की प्रासंगिकता इस संदर्भ में भी है कि वे जातिगत संकीर्णता का विरोध करते हैं। जाति, गोत्र और कुल की संकीर्ण मनोवृत्ति ऐसे रोग हैं जो पारस्परिक प्रेम और

सद्भाव को नष्ट कर देते हैं। मनुष्य किसी तरह उपलब्धि हासिल करने के लिए उसका सहारा लेता है। दिनकर अपनी काव्यकृति 'रश्मिस्थी' में कर्ण के माध्यम से इस पर विस्तार से विचार करते हैं। शस्त्र-विद्याभ्यास के समय कर्ण के सामने अर्जुन के रण-कौशल की मानरक्षा का प्रश्न उपस्थित हो जाता है। कृपाचार्य को द्विविधा के इस क्षण में एक युक्ति सूझी। वे कर्ण को निस्तेज करने के लिए कर्ण से उसका कुल, गोत्र तथा माता-पिता का परिचय पूछने लगे। यह परम्परावादी प्रश्न कर्ण को निष्प्रभ करने के उद्देश्य से पूछा गया था। महाभारत की मूल कथा में यह उद्देश्य पूर्ण होता हुआ अंकित किया गया है, अर्थात् कर्ण हतप्रभ होकर मौन धारण कर लेता है, किन्तु रश्मिस्थी के कवि ने कर्ण को न तो हतप्रभ चित्रित किया है और न ही मौन धारण करवाया है। इस दकियानूसी प्रश्न का उत्तर कर्ण ने बड़े आवेग के साथ दिया है।¹⁴

इस प्रसंग में डॉ० रवीन्द्र कुमार 'रवि' वर्ण-व्यवस्था से आक्रान्त समाज की ललकार मानते हैं। उन्हीं के शब्दों में "दिनकर की चेतना यहाँ उन तमाम लड़ाई-झगड़ों, बहस-मुबाहिसों का पटाक्षेप कर देती है, जो भारतीय समाज में उच्च रक्त, वंश, नीच, अधम, दलित आदि के नाम पर होते रहते हैं। इसी प्रकार भीष्म, द्रोण एवं कृपाचार्य जैसे महारथी आचार्यों के निर्देशन एवं संरक्षण में धनुर्विद्या के प्रदर्शन में को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने के पूर्व ऐन वक्त पर सूतपुत्र कर्ण उसे ललकार उठता है। कर्ण की यह चुनौती सामन्तवादी सवर्ण

मानसिकता एवं षड्यंत्र के खिलाफ एक दलित पात्र की चुनौती है जो महाभारतकालीन वर्णव्यवस्था के समक्ष एक मुखर प्रश्नचिह्न है।कर्ण की चुनौती का कोई सटीक जवाब वर्णवादी व्यवस्था के ठेकेदारों को नहीं सूझता। उसके तेज के सामने सभी महारथी हतप्रभ एवं निस्तेज हो जाते हैं। वस्तुतः दिनकर इस ओजस्वी पात्र के माध्यम से जातिवादी, वर्णवादी एवं मनुवादी व्यवस्था पर करारी चोट करते नजर आते हैं।"¹⁵

'रश्मिस्थी' का कर्ण कहता है-
जाति-जाति रटते, जिनकी पूंजी
केवल पाषंड,
मैं क्या जानूँ जाति? जाति है ये
मेरे भुजदण्ड।

ऊपर सिर पर कनक-छत्र, भीतर
काले के काले,
शर्माते हैं नहीं जगत् में जाति
पूछने वाले।¹⁶

दिनकर का मानना है कि केवल कायर और क्रूर ही जाति-जाति का शोर मचाते हैं। वीर तो कर्म एवं पुरुषार्थ में विश्वास करता है-

पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल
पर शूर,
'जाति-जाति' का शोर मचाते
केवल कायर क्रूर।¹⁷

'रश्मिस्थी' के इसी सर्ग में दिनकर आगे लिखते हैं-

बड़े वंश से क्या होता है, खोटे
हो यदि काम?

नर का गुण उज्वल चरित्र है,
नहीं वंश-धन-धाम।¹⁸

किसी विशेष कुल या जाति में जन्म लेना मनुष्य के वश की बात नहीं है। यह विधि का विधान है, ये आकस्मिक बातें हैं। छोटी जाति होने से गुण छोटे और बड़ी जाति होने से गुण बड़े नहीं होते हैं-

मगर मनुज क्या करे? जन्म लेना
तो उसके हाथ नहीं,
चुनना जाति और कुल, अपने बस
की तो बात नहीं।¹⁹

दिनकर का क्रांतिकारी रूप इस प्रसंग में भी प्रदीप्त हो उठता है-

धंस जाये वह देश अतल में, गुण
की जहाँ नहीं पहचान?
जाति-गोत्र के बल से ही आदर
पाते हैं जहाँ सुजान?²⁰

बाढ़ की समस्या आज बिहार की एक विचारणीय समस्या बनी हुई है। बिहार में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और जान-माल की भीषण क्षति होती रहती है। बाढ़ रोकने के लिए कई उपाय किये गये हैं पर इसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है। दिनकर बाढ़ के दृश्य का रूपांकन करते हुए लिखते हैं-

जिधर उठाओं नजर, उधर है
केवल पानी-पानी,
बाढ़ कहो तुम मगर यही है
चढ़ती हुई जवानी।²¹

बाढ़ क्या कहने को प्रतिवर्ष आती है, यह कवि समझ नहीं पाता है-

घर मेरा जल में डूबी हुई घरनाई है,
पता नहीं, बाढ़ क्या कहने को
आई है।²²

वस्तुतः दिनकर का काव्य आज अत्यन्त प्रासंगिक है। उन्होंने सामाजिक

जीवन की विविध समस्याओं को अत्यन्त जीवन्त रूप में चित्रित किया है। ये समस्याएँ उस समय से लेकर आज तक हमारे देश में बनी हुई हैं। इस पर चिन्तन एवं विमर्श की आवश्यकता है।

संदर्भ-सूची:

1. नये सुभाषित, दिनकर, पृ० 19
2. नये सुभाषित, दिनकर, पृ. 18
3. रामधारी सिंह दिनकर, विजेन्द्र नारायण सिंह, पृ० 21

4. नैवेद्य, भाग-2, (एनार्की), सम्पादक, डॉ० विनोद कुमार सिंह, पृ० 27
5. परशुराम की प्रतीक्षा, दिनकर, पृ० 64
6. दृष्टि (दिनकर विशेषांक), सम्पादक डॉ० दिवाकर, पृ० 72
7. कुरुक्षेत्र, दिनकर, पृ० 5
8. कुरुक्षेत्र, दिनकर, तृतीय सर्ग, पृ. 35
9. कुरुक्षेत्र, पृ० 26
10. कुरुक्षेत्र, पृ० 41
11. कुरुक्षेत्र, पृ० 29
12. रश्मि रथी
13. रश्मि रथी, दिनकर, तृतीय सर्ग, पृ० 45

14. दिनकर, सं० सावित्री सिन्हा, पृ० 168
15. विमर्श-2, दिनकर विशेषांक, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपना की शोध पत्रिका, पृ० 138
16. रश्मि रथी, पृ० 15
17. रश्मि रथी, पृ० 16
18. रश्मि रथी, पृ० 18
19. रश्मि रथी, पृ० 26
20. रश्मि रथी, पृ० 26
21. धूप-छाँव (पानी की चाल), दिनकर, पृ० 23
22. हारे को हरिनाम (बाढ़), दिनकर, पृ० 80



आचार्य शिवपूजन सहाय, निराला एवं 'मतवाला' की पत्रकारिता

डॉ. कृष्णा कुमारी 'कनुश्री'

साहित्य और पत्रकारिता में गहरा सम्बन्ध है। हिन्दी के अनेक साहित्यकार अपने समय के लोकप्रिय पत्रकार थे। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने अपनी विलक्षण प्रतिभा की रश्मियों से न केवल हिन्दी-साहित्य को देदीप्यमानित किया, बल्कि 'कवि-वचन-सुधा', 'हरिश्चन्द्र मैगजीन', 'बाला-बोधिनी' आदि के माध्यम से हिन्दी पत्रकारिता को एक नई दिशा दी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 'सरस्वती' पत्रिका के माध्यम से साहित्य और पत्रकारिता दोनों को समृद्ध किया। इसके बाद प्रेमचंद, प्रसाद, पंत, निराला, शिवपूजन सहाय, माखनलाल चतुर्वेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी, धर्मवीर भारती आदि ने हिन्दी साहित्य और पत्रकारिता की सेवा की। आज प्रेमचंद के 'हंस' की परम्परा को लोकप्रिय साहित्यकार राजेन्द्र यादव आगे बढ़ा रहे हैं। डॉ० नामवर सिंह ने तो साहित्यकार, पत्रकार और प्राध्यापक सभी दायित्वों का निर्वाह कुशलता से किया है। डॉ० मृणाल पाण्डे उपन्यास, कहानी, नाटक और स्त्री-विमर्श की संवेदना से सबको झकझोरती हुई 'हिन्दुस्तान' जैसे प्रमुख हिन्दी दैनिक का सम्पादन कर रही हैं। वस्तुतः साहित्यकार एवं पत्रकार परम्पराश्रित है। दोनों कलम के धनी होते हैं। इनकी कलम में अद्भुत शक्ति होती है। इनकी कलम जहाँ सामाजिक परिवर्तन की सशक्त आधारभूमि तैयार कर सकने में सक्षम है, वहीं शक्तिशाली सत्ताओं को बदल सकने में समर्थ है। दोनों अपने विकास और समृद्धि के लिए भी एक-दूसरे पर निर्भर हैं। पत्रकारिता, साहित्य को जन-जन तक पहुंचाती है तो साहित्य पत्रकारिता को संवेदनशील बनाकर प्रभावी बनाता है।"

आचार्य शिवपूजन सहाय और सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' दोनों हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठित साहित्यकार हैं। यह अनुपम एवं विलक्षण संयोग है कि हिन्दी के ये महान् साहित्यकार एक साथ 'मतवाला' के सम्पादक मण्डल में एकत्रित हुए। 'मतवाला' साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन सन् 1923 में कलकत्ता में हुआ। इस पर 'निराला' की निम्न कविता प्रकाशित होती थी जो इसके उद्देश्य का परिचायक भी था-

अमिय गरल शशि शीकर रविकर, राग
विराग भरा प्याला।

पीते हैं जो साधक उनका, प्यारा है यह
'मतवाला'।

'मतवाला' पर मूल्य के रूप में प्रति प्याला दो पैसा नकद तथा वार्षिक बोटल दो रुपया पेशगी अंकित रहता था। वह हास्य-रस-सर्जक पत्र था और स्पष्ट निर्देश था कि मुहर्रमी महाशय 'मतवाला' के लिए लेख भेजने का दुस्साहस न करें। सम्पादकीय स्तम्भ के अन्तर्गत 'अकबर इलाहाबादी' की निम्न पंक्तियाँ छपती थीं-

खींचो न कमान को, न तलवार निकालो,
जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।

'मतवाला' कैसे निकला इस संदर्भ में आचार्य शिवपूजन सहाय 'मेरा जीवन' में लिखते हैं- 'एक दिन मुंशीजी बाजार से बंगाल साप्ताहिक 'अखबार' खरीद लाए। वह हास्य रस का पत्र था। शायद एक ही पैसा दाम था और शायद पहला ही अंक भी था, किन्तु उस पर छपा था- Guaranteed Circulation 000000001। मसाला भी बड़ा मजेदार था। खूब पढ़ा गया। सोचावट होने लगी, इसी ढंग का एक पत्र हिन्दी में निकाला जाय। रोज हर घड़ी चर्चा छिड़ी ही रहती थी। कितने ही हवाई किले बने और कितने ही उड़ गये। बहुत मन्थन के बाद विचारों में स्तम्भन आया। उसी दम बात तय हो गयी। बीजारोपण हो गया। 20 अगस्त 1923, रविवार को सिर्फ बात पक्की हुई। 21, सोमवार, को मुंशीजी ने ही पत्र का नामकरण किया- 'मतवाला'। नाम सबने पसन्द किया। अब विचार होने लगा- कौन क्या लिखेगा, पत्र में क्या रहेगा, इत्यादि। आरंभ में निर्णय हुआ कि मुखपृष्ठ के लिए निरालाजी प्रति सप्ताह अपनी कविता देंगे। मैं अग्रलेख (सम्पादकीय) और 'चलती' नामक स्तम्भ के लिए विनोदपूर्ण टिप्पणियाँ लिखा करेंगे, समालोचना भी निरालाजी ही लिखेंगे, अन्य सारी सामग्री का सम्पादन और पूरे पत्र का प्रूफ-शोधन मुझे करना

पड़ेगा, सम्पादक के रूप में सेठजी का नाम छपेगा। मुंशीजी और सेठजी तैयारी में लग गये। स्तम्भों के शीर्षक चुने गए। डिजाइन ब्लॉक, कागज, धड़ाधड़ प्रेस में आने लगे। चारू बाबू चित्रकार ने मुखपृष्ठ के लिए 'नटराज' का चित्र बनाया।¹²

'मतवाला' महादेव प्रसाद सेठ का पत्र था। इसके सम्पादक-मण्डल में सेठ जी, मुंशी नवजादिक लाल श्रीवास्तव, सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' और शिवपूजन सहाय थे। महादेव प्रसाद सेठ के परिवार में मिर्जापुरी पत्थरों का कारोबार था। साहित्य में पैसा लगाना उनके घर वाले व्यर्थ समझते थे। महादेव प्रसाद चतुर आदमी थे। तरह-तरह के बहाने करके रुपया ले ही आते थे। कलकत्ता में उन्होंने अपना प्रेस जमा लिया था। मय के बदले वह भाँग के प्रेमी थे। संध्या समय भाँग छनना महोरात्र का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। कसेरू, बेल, फासले, अंगूर, सन्तरे, आम आदि नित नये फलों के रस के साथ वह भाँग का सेवन करते थे। मतवाला- मण्डल के सभी सदस्य बड़ी आत्मीयता का अनुभव करते हुए इस सुखद कृत्य में उनका साथ देते थे।¹³

'निराला' मतवाला-मण्डल की शोभा थी। वह कविता लिखते, कविता के बारे में बातें करते, कविता के ध्यान में डूबे रहते थे। अपनी धुन में मस्त कभी वह तम्बाकु मलते हुए नंगे पैर ही मछुआ बाजार से कार्नवालिस स्ट्रीट पहुंच जाते। मतवाला-मण्डल में निराला की सबसे ज्यादा पटरी बैठती थी शिवपूजन सहाय के साथ। वाक्य-रचना और शब्दों के प्रयोग के बारे में शिष्यवत् निराला का आचार्यत्व वही स्वीकार करते थे। कचहरी में नकलनवीसी से शुरुआत करने के बाद बड़े भाग्य से 'मतवाला' जैसा पत्र

मिला था। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक तन में प्राण है, तब तक मतवाला की सेवा करते रहेंगे।¹⁴

मतवाला-मण्डल में शिवपूजन सहाय की सभी प्रशंसा करते थे। महादेव प्रसाद सेठ इनकी सम्पादकीय टिप्पणियों एवं प्रूफ पढ़ने की योग्यता की प्रशंसा करते थे। लोग इनकी सरलता एवं सज्जनता की चर्चा किया करते थे। ये कवि नहीं थे पर कविता के पारखी अवश्य थे। हिन्दी, उर्दू, संस्कृत की ढेर सारी कविताएँ इन्हें कण्ठस्थ थीं। 'रामचरितमानस' का पाठ ये भक्तिभाव से किया करते थे। इनका अक्षर अत्यन्त सुन्दर होता था। स्वच्छ, सुडौल अक्षर इनकी विशेषता थी। 'मतवाला' में शिवपूजन सहाय 'चलती चक्की' की टिप्पणियाँ लिखा करते थे। 'सहयोगियों का स्वागत' भी यही लिखते थे। यह कभी-कभी 'सादर स्वागत' अथवा 'प्राप्ति स्वीकार' शीर्षक से छपता था। इसमें इनका छद्म नाम 'वावन तोला पाव रत्ती' अथवा 'घी का लड्डू डेढ़ा भला' रहता था। 'मतवाला' में निराला भी छद्म नाम से लिखते थे। ये हास्य-व्यंग्य प्रसंग 'चाबुक' श्रीमान् गरज सिंह वर्मा 'साहित्य-शार्दूल' नाम से लिखते थे। इस स्तम्भ में एक चित्र भी रहता था जिसमें एक व्यक्ति हाथ में चाबुक लिये रहता था और दो व्यक्ति उसके डर से भागते नजर आते थे। इसी स्तम्भ में निराला ने 'सरसवती' पत्रिका में छपी रचनाओं की आलोचना की। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इससे इतने नाराज हुए कि 'मतवाला' के उन अंकों को अच्छी तरह संशोधित कर डाक से भेज दिया। 'मतवाला' पत्र की कविताओं को 'निराला' ही देखते थे। एक बार मुंशीजी को 'मतवाला' में भूतनाथ तेल का विज्ञापन देना था। मुंशीजी इसे गद्य के बदले पद्य में देना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने निराला से आग्रह किया।

निराला ने कविता के रूप में सुन्दर विज्ञापन तैयार कर दिया-

बजा दमामा जिस दम इसका तेल
हजारों मात हुए।

हुआ बराबर फतहयाब जब-जब युद्धों
में घात हुए।।

एकछत्र हो बादशाह जैसा करता है
राज यही।

नहीं सामने रही किसी भी तेलों की
अब कोई सही।।¹⁵

शिवपूजन सहाय ने अंग्रेजों की शोषण नीति का विरोध किया और देशवासियों को जगाने का प्रयास किया। इन्होंने देशद्रोही लोगों की करतूतों की ओर जनता का ध्यान आकृष्ट कराया। वर्ष 2 अंक 6 के सम्पादकीय में इन्होंने 'गोरे की काली जोंक' शीर्षक से एक लेख लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि 'सभी खद्दर का प्रचार चाहते हैं, देश की भलाई के लिए देशी व्यवसाय की उन्नति चाहते हैं, परन्तु अर्थलोलुप विदेशी वस्तु व्यवसायी, 'छाड़ि न सकहिं टेक जो टेकी'। देश रसातल की राह ले, जाति का सत्यानाश हो जाये, मनुष्यत्व की नानी मर जाय, पर ये अभागो देशद्रोही अपने स्वार्थ से तिल-भर भी नहीं डिगेंगे, खुदा जाने विदेशियों से इनका कौन-सा गहरा रिश्ता कायम हो गया है।¹⁶

'मतवाला' प्रखर राष्ट्रीय चेतना से मंडित हास्य-व्यंग्य साप्ताहिक पत्र था, और पहले अंक के संपादकीय अग्रलेख में ही शिवजी की कलम ने उसकी संपादकीय नीति को भलीभांति परिभाषित कर दिया था- 'राष्ट्र, जाति, सम्प्रदाय, भाषा, धर्म, समाज, शासन प्रणाली, साहित्य और व्यापार आदि समस्त विषयों का निरीक्षण और संरक्षण ही मेरी योजना का अभिसंधान है। मैं उसे पूरा करने के लिए संकोच, भय, ग्लानि, चिंता और पक्षपात का उसी प्रकार त्याग कर दूँगा,

जिस प्रकार यहाँ के नेता निजी सुख का त्याग कर देते हैं।' उसका यह अडिग संकल्प बराबर बना रहा और जब तक शिवजी उसके संपादकीय अग्रलेख लिखते रहे, उनकी कलम भी कभी लची नहीं। 'मतवाला' की उग्र राष्ट्रीयता की सीधी और शक्तिशाली अभिव्यक्ति शिवजी के सम्पादकीय अग्रलेखों में होती रही। अंग्रेज सरकार की कूटिल एवं विभाजनवादी नीति पर उनमें करारी चोट की जाती थी।⁷

'मतवाला' अपने समय का प्रतिष्ठित, लोकप्रिय और सामाजिक-राजनैतिक विषमताओं पर तीक्ष्ण प्रहार करने वाला पत्र था। सामाजिक रूढ़ि, अंधविश्वास, बाह्य आडम्बर पर इसने समय-समय पर अपनी तीखी प्रतिक्रियाएँ व्यक्त की। आचार्य मंगलमूर्ति 'भारतीय साहित्य के निर्माता शिवपूजन सहाय' में लिखते हैं कि 'संकीर्ण साम्प्रदायिकता एवं सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों का वह (मतवाला) कट्टर विरोधी था।' शिवजी ने अपने सम्पादकीय में लिखा है- "मुक्ति बाहरी साधनों से नहीं मिलती, भीतरी साधनों के सदुपयोग से ही मुक्ति मिलती है। अंतरात्मा पापी है तो पत्थर की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने से मुक्ति नहीं मिल सकती।" मतवाला में सम्पादकीय लेखन कार्य शिवपूजन सहाय करते थे, पर नाम महादेव प्रसाद सेठ का छपता था। महादेव प्रसाद सेठ का कहना था कि कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, जरा भी लगे तो रगड़ डालो। किसी से डर कर चुप रहने की जरूरत नहीं है। अगर जेल जाने की जरूरत

पड़ेगी तो उसमें भी पीछे नहीं रहा जाएगा। आखिर उन्हें जेल जाना ही पड़ा, पर देशभक्ति की लौ धीमी नहीं पड़ी। 'मतवाला' की कलकत्ते में उस समय ऐसी धाक थी कि वह जिस विषय पर लिखना शुरू करता था उस विषय के क्षेत्र में हड़कम्प मच जाता था। हिन्दू महासभा के विरोधी सनातनी सज्जनों का भंडाफोड़ करने में उसने इतनी निर्भीकता से काम लिया कि उसे सभा करके 'धर्म-रक्षक' साप्ताहिक निकालना पड़ा।

पारसी थियेटर कम्पनी उस समय कलकत्ते में सस्ते मनोरंजन से सामाजिक वातावरण को दूषित कर रही थी। पारसी रंगमंच की अभिनेत्रियाँ प्रायः दर्शकवृन्द पर अपनी सुन्दरता और अंग-भंगी की मोहिनी डालने में ही तत्पर दीखती थीं। उस समय सुना जाता था कि धनी घरानों के बहुतेरे लाडले नौजवान उनके शिकार हो चुके हैं। वास्तव में नाटक का उद्देश्य तो मनोरंजन के साथ समाज का सुधार और जनता के भावों तथा विचारों को उन्नत करना है। यह सर्वनाशी तमाशा खुली आँखों हमारी अपनी सरकारी भी देखती और हमारे देश की नेता मण्डली भी।⁸ फलतः शिवपूजन सहाय ने 'मतवाला' में इनके कारनामों को उजागर करते हुए चार लेख लिखे-

1. नाटकों का पितरपख
2. भैंसासुर की नानी
3. चूड़ी साड़ी की जय बोलो, और
4. आख थू।

शिवपूजन सहाय के इन लेखों से पारसी नाटक कम्पनी भयभीत हो गयी।

'मतवाला' में स्वयं आकर ये लोग खुशामद करने लगे और फ्री पास भेजने लगे। पर इन फ्री पास का उपयोग किसी ने भी नहीं किया। 'मतवाला' की भाषा व्यंग्य प्रधान, सरल, सहज एवं पाठकों के अनुकूल होती थी। इसकी प्रशंसा करते हुए 'क्षत्रियामित्र' ने अपने नवम्बर 1923 के अंक में लिखा- "मतवाला के मतवालेपन से बावलापन या उतावलापन नहीं है। इसमें निरुत्साह नहीं; उत्साह है, निष्कर्मण्यता नहीं; कर्मप्रियता है, क्षुद्रता नहीं; उदाहरण है, छिलोरापन नहीं; गंभीरता है।" आचार्य शिवपूजन सहाय 'मतवाला' में मार्च 1924 तक रहे। इनके जाने के कुछ समय बाद निराला भी इससे अलग हो गये। इन साहित्यकारों की प्रतिभा, कर्मठता एवं जन-संवेदनाओं के प्रति जागरुकता ने 'मतवाला' पत्र को लोकप्रियता के उत्तुंग शिखर पर प्रतिष्ठित कर दिया।

संदर्भ-सूची:

1. पत्रकारिता के विविध परिदृश्य, डॉ० संजीव भानावत, पृ० 30
2. मेरा जीवन, आचार्य शिवपूजन सहाय, पृ० 102
3. निराला की साहित्य साधना, भाग-1, रामविलास शर्मा, पृ० 77
4. निराला की साहित्य साधना, भाग-1, रामविलास शर्मा, पृ० 82
5. निराला की साहित्य साधना, भाग-1, रामविलास शर्मा, पृ० 82
6. शिवपूजन सहाय, मंगलमूर्ति, पृ० 91
7. शिवपूजन सहाय, मंगलमूर्ति, पृ० 90
8. शिवपूजन सहाय, मंगलमूर्ति, पृ० 89
9. मेरा जीवन, आचार्य शिवपूजन सहाय, पृ० 106



संस्कृत नाट्य परम्परा में ऐतिहासिक और राजनीतिक नाटक

नमिता कुमारी

संस्कृत नाट्य साहित्य अत्यन्त विकसित एवं प्रौढ़ है। इसकी अविच्छिन्न परम्परा भास से लेकर आधुनिक युग तक चलती रही है। भरत के अनुसार ऐसा कोई ज्ञान, शिल्प विद्या, योग एवं कर्म नहीं हैं जो नाटक में दिखाई न पड़े।

“नानाभावोपसम्पन्नं नानावस्थान्तरात्मकम्।

लोकवृत्तानुकरणं नाट्यमेतन्मया कृतम्”।¹

न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला।

न स योगो न तत्कर्म नाट्येऽस्मिन् यन्न दृश्यते।²

नाटक भिन्न रूचि के व्यक्तियों के लिए समान रूप से मनोरंजन का साधन होता है। नाट्यं भिन्नरूचेर्जनस्य बहुधात्येकं समाराधनम्।³

संस्कृत साहित्य में नाटकों का प्रणयन बहुत प्राचीन काल से होता रहा है और इसके सूत्र वेदों में भी प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद के अनेक संवाद सूक्तों में नाटक के तत्व मिलते हैं। पुरुरवा-उर्वशी-संवाद⁴, यम-यमी⁵, इन्द्र-इन्द्राणि, वृषा-कपि⁶, सरमा-पणि⁷ आदि संवादों में नाट्यकला का यथेष्ट रूप देखा जा सकता है। रामायण एवं महाभारत में भी नाटक के कई उपकरणों का उल्लेख है। इस प्रकार वैदिक काल से लेकर ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी तक नाटकों के प्रचलन एवं नाटकों की शिक्षा के लिए रचे गए ग्रन्थों के उल्लेख प्राप्त होते हैं, जिससे भारतीय नाट्य साहित्य की प्राचीनता ज्ञात होता है। ई० पू० प्रथम शताब्दी में कालिदास ने नाटकों की रचना की थी।⁸

संस्कृत नाटकों की अखण्ड परम्परा विक्रम की प्रथम शताब्दी से प्राप्त होती है। कालिदास ने मालविकाग्निमित्र की प्रस्तावना में कविपुत्र, भास एवं सौमिल्ल नामक नाटककारों का उल्लेख किया है⁹ किन्तु इनमें केवल भास की ही रचनाएँ उपलब्ध होती हैं। भास का समय ई० पू० चतुर्थ शताब्दी के

आस-पास है। इनकी तेरह नाट्य कृतियाँ उपलब्ध हैं, जिसका श्रेय म०म० गणपति शास्त्री को है।¹⁰

भास के पश्चात् संस्कृत नाटककार के रूप में कालिदास को ख्याति प्राप्त है। इन्होंने संस्कृत नाटक की समृद्ध हो रही परम्परा को अपनी प्रतिभा के संस्पर्श से आलोकित कर उसे प्रौढ़ता प्रदान की है। उनके तीन प्रसिद्ध नाटक हैं-

1. मालविकाग्निमित्रम्
2. विक्रमोर्वशीयम्
3. अभिज्ञानशाकुन्तलम्।

संस्कृत के तृतीय प्रसिद्ध नाटककार हैं 'शूद्रक', जिन्होंने 'मृच्छकटिक' नामक यथार्थवादी नाटक की रचना की है। इन्होंने भासकृत 'चारुदत्त' के आधार पर अपने 'प्रकरण' का निर्माण किया है। मृच्छकटिक में दस अंक हैं और ब्राह्मण चारुदत्त तथा वेश्या वसन्तसेना की प्रेम कहानी वर्णित है। इसका प्रतिनायक राजा का साला शकार है। इस प्रकरण में साथ-साथ दो प्रधान घटनाएँ चलती हैं जिनमें एक का सम्बन्ध वसन्तसेना तथा 'चारुदत्त' से है तथा दूसरी आर्यक की राज्य प्राप्ति से सम्बद्ध है। नाटककार प्रेम की कथा को राजनैतिक घटनाओं के साथ सम्बद्ध कर अनूठी चातुरी का परिचय दिया है और दो घटनाओं को इस प्रकार अनुस्यूत किया है कि वे पृथक् नहीं होती।

महाकवि अश्वघोष कृत तीन नाटक उपलब्ध हुए हैं जिन्हें डॉ० लूडर्स ने 1910 ई० में मध्य एशिया के तुफान नामक स्थान में प्राप्त किया था।

संस्कृत के प्रमुख नाटककारों में हर्षवर्धन का नाम आता है। महाराज हर्षवर्द्धन की तीन रचनाएँ प्राप्त होती हैं, जिनमें दो नाटिकाएँ प्रियदर्शिका एवं रत्नावली है तथा एक रूपक है-नागानन्द।

भट्टनारायण के नाटक

भट्टनारायण कृत 'वेणीसंहार' संस्कृत का वीररस प्रधान नाटक है। इसकी रचना छः अंकों में हुई है और नाटक के शास्त्रीय नियमों का कठोरतापूर्वक नियोजन किया गया है। इसीलिए इसे नाट्यशास्त्रीय एवं काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों में बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। इसकी कथा पौराणिक है और महाभारत की एक प्रसिद्ध घटना को कथा का आधार बनाया गया है,

शोध प्रज्ञा, संस्कृत विभाग, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा

और वह है दुर्योधन के रक्त से रंजित हाथों से भीमसेन का द्रौपदी के केशों को बाँधना। इसकी शैली ओजगुण से युक्त है तथा कई ओजपूर्ण संवादों का नियोजन किया गया है।

विशाखदत्तकृत मुद्राराक्षस

विशाखदत्त ने मुद्राराक्षस नामक महान् नाट्यकृति की रचना की है जिसमें राजनैतिक दौंव-पेंच एवं कूटनीति की प्रधानता है। इसमें चाणक्य और राक्षस की कूटनीतिक चालों का रसात्मक वर्णन है, जिसे आचार्यों ने नाटकीय प्रविधि की सफलता के कारण शाकुन्तल के समकक्ष माना है। इसमें शृंगार रस एवं स्त्री पात्रों सहित तथा हास्य का अभाव है जो कवि की अनूठी कल्पना के रूप में प्रतिष्ठित है। कवि ने विषय के अनुरूप शैली का गठन किया है।¹¹

संस्कृत नाटककारों में कालिदास के बाद महाकवि भवभूति का स्थान सर्वथा गौरवास्पद है। इनके तीन नाटक हैं - (1) मालतीमाधव (2) महावीरचरितम् एवं (3) उत्तररामचरितम्।

संस्कृत के अन्य नाटककारों में अनेक व्यक्ति आते हैं। परवर्ती नाटककारों की प्रवृत्ति अनावश्यक वर्णनों एवं काव्यशैली के चाकचिक्य की ओर गयी, फलतः संस्कृत में नाटकों की बाढ़ सी आ गई है। ऐसे नाटकों को ऐतिहासिकों ने हासोन्मुखी काव्यशैली का नाटक कहा है। ऐसे नाटककारों में मुरारि आते हैं जिन्होंने 'अनर्घराघव' नामक नाटक की रचना की है। इसमें रामचरित को नाटकीय विषय बनाया गया है तथा कवि का ध्यान विविध शास्त्रों के पाण्डित्य-प्रदर्शन तथा पदलालित्य की ओर अधिक है। इसमें नाटकीय वर्णनों एवं ललित पदों के भार से बोझिल हो उठा है। इसी शताब्दी के अन्य नाटककारों में

'हनुमन्नाटक' के रचयिता दामोदर मिश्र एवं राजशेखर हुए। राजशेखर ने तीन नाटक एवं एक सट्टक-'कर्पूरमंजरी' लिखा है। तीन नाटक हैं - 'विद्धशालभञ्जिका', 'बालरामायण' एवं 'बालमहाभारत'। विद्धशालभञ्जिका चार अंकों की नाटिका है तथा 'बालरामायण' दस अंकों का 'महानाटक' है, जिसमें रामायण की कथा वर्णित है। 'बालमहाभारत' के दो ही अंक उपलब्ध हुए हैं। राजशेखर ने अपने नाटकों में लम्बे-लम्बे वर्णनों का समावेश किया है जो नाट्यकला की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। 'हनुमन्नाटक' 14 अंकों का महानाटक है, जिसमें प्रकृति प्राकृत का प्रयोग नहीं है और गद्य से अधिक पद्यों की संख्या है। बौद्ध आचार्य दिङ्नाग (1000 ई०) ने 'कुन्दमाला' नामक नाटक में 'उत्तररामचरित' की कथा का वर्णन किया है जो 6 अंकों में समाप्त हुआ है। इन पर भवभूति की शैली का अधिक प्रभाव देखा जा सकता है।

संस्कृत के ऐतिहासिक नाटक

ऐतिहासिक इतिवृत्त को आधार बनाकर लिखित नाटक ऐतिहासिक नाटक की श्रेणी में आते हैं। संस्कृत साहित्य में पुराणों, रामायण और महाभारत से कथानक लेकर अनेक नाटक प्रणीत हुए हैं। पुराणों में भी इतिहास का स्वरूप मुखरित है। अतः रामायण और महाभारत को उपजीव्य बनाकर जिन नाटकों की रचना हुई है, वे सभी संस्कृत के ऐतिहासिक नाटक मान्य हैं। संस्कृत में रामायण को उपजीव्य बनाकर रचित नाटक निम्नलिखित हैं -

- (1) प्रतिमानाटक - भास - लगभग 400 ई०पू०
- (2) अभिषेक - भास - लगभग 400 ई०पू०

- (3) यज्ञफल - भास - लगभग 400 ई०पू०
- (4) महावीरचरित - भवभूति - 700 ई० के लगभग
- (5) उत्तररामचरित - भवभूति - 700 ई० के लगभग
- (6) अनर्घराघव - मुरारि - 800 ई० के आप-पास
- (7) आश्चर्यचूडामणि - शक्तिभद्र - 800 ई०
- (8) हनुमन्नाटक - दामोदर मिश्र - 850 ई० के पूर्व
- (9) बालरामायण - राजशेखर - 900 ई० के लगभग
- (10) कुन्दमाला - 1000 ई० के लगभग -
- (11) प्रसन्नराघव - जयदेव - 11वीं शताब्दी
- (12) उन्मत्त राघव - 'भास्कर' - 1350 ई०
- (13) उन्मत्त राघव - विरूपाक्ष - 1350 ई०
- (14) आनन्दराघव - 1620 ई०
- (15) अद्भूत दर्पण - महादेव - 1650 ई०
- (16) जानकी परिणय - रामचन्द्र - 1700 ई०

उपर्युक्त विवेचन से संस्कृत के ऐतिहासिक नाटकों की अपेक्षित जानकारी प्राप्त होती है।

संस्कृत के राजनीतिक नाटक

नाट्यशास्त्रीय ग्रन्थों में नाटक के कथानक के सम्बन्ध में उल्लेख है कि उसे ख्यात अर्थात् इतिहास प्रसिद्ध होना चाहिए। उसका नायक राजा प्रतापी और गुणवान होना चाहिए। इस दृष्टि से विचार करने पर ऐतिहासिक नाटकों में राजनीतिक तत्त्व का समावेश होने पर

वह राजनीतिक नाटक का रूप धारण कर लेता है। आचार्य विश्वनाथ ने नाटक के लक्षण का उल्लेख करते हुए साहित्यदर्पण में लिखा है -

नाटकं ख्यातवृत्तं
स्यात्पत्रसंधिसमन्वितम्।
विलासहृदयादिगुणवर्द्धकं
नानाविभूतिभिः सुखदुःखसमुद्भूति
नानारसनिरन्तरम्।

पञ्चादिकादशपरास्तत्ताडकाः
परिकीर्तिताः॥ प्रख्यातवंशो राजर्षिः
धीरोदात्तः प्रतापवान्। दिव्योऽथ
दिव्यादिव्यो वा गुणवान्नायको
मतः।¹²

राजनीति प्रधान काव्यों या नाटकों में छः गुणों, चार उपायों और त्रिवर्ग वाली राजनीति का निरूपण और उनका उपयोग होता है। राजनीति के छः गुण निम्नलिखित हैं- (1) सन्धि (2) विग्रह (3) यान (4) आसन (5) संश्रय (6) द्वैधीभाव।

राजनीति में वर्णित चार उपाय-साम, दाम, दण्ड और भेद।

राजनीति में निरूपित त्रिवर्गवाली राजनीति निम्नलिखित है- धर्म, अर्थ और काम। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और शुक्रनीति आदि में इनका स्पष्ट उल्लेख है-

“सन्धिविग्रहासयानसंश्रयद्वैधीभावाः
वाडगुणयामित्याचार्यः सन्धिं च
विग्रहं यानव्यासं न च समाश्रयम्।
द्वैधीभावं च
संविधान्मन्त्रस्यैतांस्तु षड्गुणान्॥¹⁴

‘रामायण’ और ‘महाभारत’ में राजनीति का सम्यक् निरूपण हुआ है। अतः उपर्युक्त दोनों ऐतिहासिक काव्यों को उपजीव्य बनाकर रचित नाटक ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टि से विचार करने पर भास प्रणीत प्रतिज्ञायौगन्धरायण, दूतवाक्य एवं भवभूति प्रणीत महावीरचरित, भट्टनारायण कृत ‘वेणीसंहार’ और विशाखदत्त प्रणीत ‘मुद्राराक्षस’ विशेष उल्लेखनीय है। राजनीतिक सिद्धान्तों का तो यह नाटक आकर है।

उपर्युक्त विवेचन से संस्कृत नाट्य-परम्परा में ऐतिहासिक और राजनीतिक नाटकों की कथावस्तु, घटनाओं एवं विशेषताओं, रसाभिव्यक्ति आदि का पता चलता है।

संदर्भ संकेतः

- (1) भरत - नाट्यशास्त्र - 1/109
- (2) भरत - नाट्यशास्त्र - 1/114
- (3) कालिदास - मालविकाग्निमित्रम्
- (4) ऋग्वेद - 10/95
- (5) ऋग्वेद - 10/10
- (6) ऋग्वेद - 10/86
- (7) ऋग्वेद - 10/108
- (8) डॉ० राजवंश सहाय ‘हीरा’
- (9) कालिदास - मालविकाग्निमित्रम् (प्रस्तावना)
- (10) डॉ० कपिलदेव द्विवेदी - संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास पृ० 275-76
- (11) डॉ० राजवंश सहाय ‘हीरा’ - संस्कृत साहित्य कोश पृ० 621
- (12) विश्वनाथ - साहित्यदर्पण - 6/7, 8, 9
- (13) चाणक्य - कौटिल्य अर्थशास्त्र - 7:1 पृ० 460
- (14) शुक्राचार्य - शुक्रनीति - 4-7-23



अथर्ववेद और अग्निपुराण में गौसंरक्षण एवं गौचिकित्साविज्ञान

डॉ० नरेन्द्र एम० राठोड़

वैदिक समय से अद्यपर्यंत गौमहिमा अक्षुण्ण रहा है। ऋग्वेद में गायों को अंगिरस ऋषि की तपस्या का सुखद परिणाम दर्शाया है।¹ अथर्ववेद में उल्लेख है कि गाय पृथ्वी, आप तेज वायु और आकाश से प्रादुर्भूत हुई है।² गाय का दूध, घी, गौमूत्र, गोबर समष्टि के लिए अति लाभदायी हैं। गाय का दूध संपूर्ण विश्व की बड़ी शक्ति है, प्राण है और प्रत्यक्ष अमृत है और निस्तेज शरीरवाला व्यक्ति अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बनता है।³ आयुर्वेदीय ग्रंथ 'अष्टाङ्गहृदय' में कथन है कि गाय का दूध जीवनीय रसायन, कास और क्षतक्षीणयुक्त रोगियों के लिए हितकारी, मेधावर्धक, बलवर्द्धक है।⁴ थकान, भ्रम, भेद, निस्तेजता, दम, खाँसी, अति क्षुधा, अति तृषा, अजीर्ण, ज्वर, मूत्र, कृच्छ्र और रक्तपित्त को मिटाने वाला है।⁵ वेद में मनुष्य के दीर्घायुष्य के लिए हवन करने का विधान है। वेद में मनुष्य के दीर्घायुष्य के लिए हवन करने का विधान है।⁶ इस हवन में घी की आहुति देनी चाहिए।⁷ अग्नि में घी की आहुति देने से मनुष्य शुद्ध होकर उत्तम स्थान को प्राप्त करता है।⁸ मनुष्य द्वारा प्रदीप्त अग्नि की ज्वाला आकाश तक जाती है और पापों और अप्रशस्त मार्ग से सभी का रक्षण करती है।⁹ यहां यज्ञ द्वारा दोषों से रक्षण का विधान पर्यावरण शुद्धि का द्योतक है। हवन से गौ-घृत की आहुति से पर्यावरण शुद्ध होता है, (ऐसा विज्ञान ने सिद्ध किया है- Cow is the only animal purifies the air. if one spoon of pure ghee is poured on burning cow dung (in homa) they can produce one-ton of pure air.¹¹

गौमूत्र भी मनुष्य के विविध रोगों में लाभदायी है। चरकसंहिता अनुसार पाण्डुरोगियों को गाय के दूध में गौमूत्र मिलाकर अथवा गौमूत्र में त्रिफला कवाथ में मिलाकर सात दिन तक देना चाहिए।¹⁰ गौमूत्र एवं गोबर खेती के लिए उत्तम दवा और खाद है जिससे धान्य, फल पुष्प आदि उत्तम उत्पन्न होते हैं।¹¹

मानव समुदाय के महान सौभाग्य को बढ़ाने वाली गाय को वेद में अवध्य कहा गया है।¹² कौटिल्य के मतानुसार गाय को हनन करने वाला, व्यक्ति वध्य है।¹³ यहां गौमांस खाने का निषेध सूचित होता है। गौमांस तैयार होने में धान्य एवं पानी की मात्रा का अधिक व्यय होता है।

सांप्रत समय में गौवध करने वाला और गौमांस बेचने वाले के लिए कानून है लेकिन यह कानून और भी सख्त बनाने की जरूरत है।

गौसंरक्षण

समय सृष्टि के लिए अति कल्याणकारी गायों का संरक्षण एवं चिकित्सा संबंधी कतिपय उपायें अथर्ववेदों और अग्निपुराण में वर्णित है।

- **गौशाला:** अथर्ववेद के अनुसार गायें सुरक्षित रह सके इसलिए उत्तम, प्रशस्त और स्वच्छ गौशाला का निर्माण करना चाहिए।¹⁴ -अर्थात् गायों को खुली जगह में नहीं रखना, और गौशाला को प्रतिदिन जल से स्वच्छ करना चाहिए। गौशाला में गायों के लिए शुद्ध उत्तम घास एवं धान्य का प्रबन्ध होना चाहिए। गौशाला में गायों को किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। गौपालक गायों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करें। गायों को किसी भी प्रकार का रोग न हो इसलिए गोपालक को विशेष ध्यान रखना चाहिए।¹⁵ अग्निपुराण के अनुसार गौशाला में विष, ग्रह रोग आदि को नाश करने के लिए देवदारू, वच, जटामांसी, गुग्गुल, हींग और सर्षप की धूनी है।¹⁶ इस धूप से माखी - मच्छरादि जीव-जंतु से सुरक्षित रह सके। अग्निपुराण में गाय की ग्रीवा में घण्ट बांधने का विधान है,¹⁷ जिसकी आवाज से गौशाला में सांप आदि भाग जाते हैं और गायें सुरक्षित रह सके।
- **खुराक:** ऋग्वेद और अथर्ववेद में यह विधान है कि-

सूयवसाखगावती हि भुया अधा
वयं भगवन्तः स्याम।

अद्धि तुणमध्ये विश्वदानीं पिबं
शुद्धमुदकमाचरन्ती।¹⁸

गायों को उत्तम जमीन में उत्पन्न घास, जवादि अन्न उत्तम जलस्थान का पवित्र एवं शुद्ध जल देना चाहिए। खाद्य पदार्थों का सत्त्व दूध में आता है। इसलिए घास एवं जल की शुद्धता अनिवार्य है। गायों को उत्तम घास एवं शुद्ध जल पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए ताकि गायें पुष्ट बन सकें।¹⁹

- **गौरक्षकः** गायें अधिक होने पर गौरक्षक अनेक होना चाहिए। अथर्ववेद में पाँच प्रकार के गोपालक का सूचना प्राप्त होता है। (1) गायों का पालन करने के लिए एक ऐसा अधिकारी हो जो पशुओं के सभी लक्षणों को जानता हो। (2) एक ऐसा रक्षक हो कि जो सभी गायें अपने-अपने नियत स्थान पर आ गई कि नहीं और उन सबको घास एवं पानी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हुआ कि नहीं- इस बात का ध्यान रखता हो। (3) एक ऐसा पालक होना चाहिए जो पशुओं का आरोग्यशास्त्र सम्यग् रूप से जानता हो जिससे गायों की चिकित्सा हो सके। (4) जब गायें गौचरभूमि से वापस गौशाला में आ जायें जब उनको घास आदि देने वाली स्त्री हो। (5) गायों का अनुकूल कार्य करने वाली एक स्त्री हो जो सभी गायों को अपने उचित स्थान पर रखे।²⁰ यहां शेष दो कार्य के लिए स्त्रियों को नियुक्त करने को कहा गया है। इसके

पीछे यह उद्देश्य हो सकता है कि स्त्रियां पशुओं के योग्य प्रबंध पुरुषों से अधिक स्नेहपूर्वक करती हैं जिसका असर गौदूध की मात्रा पर होती है।

गौरक्षक गायों को गौशाला में किस तरह रखे इसके लिए कौटिल्य ने लिखा है- वृद्ध गाय, दूध देने वाली, गर्भिणी, पष्ठोही (पहलीबार प्रसूता हो) दूध न देने वाली- इस तरह पांच प्रकार की गायों का बीस-बीस का झूंड बनाकर एक गोपालक सौ गायों का पालन करें।²⁰ बीमार, पंगु, एक ही व्यक्ति द्वारा दुही जाने वाली गाय, कठिनाई से दुही जा सकने वाली गाय, अपने बच्चे को मारने वाली गायों का बीस-बीस का झूंड बनाकर एक गोपालक सौ गायों का पालन करें।²¹ कौटिल्य द्वारा निर्देशित व्यवस्था गायों और गौरक्षक के लिए अति उपयोगी है।

- **गायों को चराने ले जाना:** गायों को गौशाला में पूरे दिन बाँधना उचित नहीं है। उन्हें चराने के लिए गौचरभूमि में ले जाना चाहिए। क्योंकि उनके आरोग्य के लिए शुद्ध हवा के साथ पर्याप्त मात्रा में सूर्यप्रकाश भी आवश्यक है।²² ऐतरेय ब्राह्मण में कथन है कि मध्याह्न के समय में गर्मी अधिक हो तो गायों को छाया के नीचे रखना चाहिए।²³ अथर्ववेद में विधान है गौचरभूमि में गायें क्रमपूर्वक जानी चाहिए और एक साथ क्रमशः आनी भी चाहिए। जिससे गायें खो जाने का भय नहीं रहता। कौटिल्य के मंतव्य अनुसार गायों को रंग (वर्ण) के अनुसार दस-दस का झूंड बनाकर रक्षण करना चाहिए। गायों का निवास

स्थान (गौचर) की दिशा, गौप्रचार (गायों की गति) अथवा गौसंख्या और गायों का रक्षण सामर्थ्य अनुसार निश्चित करना चाहिए।²⁴ वैदिक समय में गायें अधिक हो तो उसको पहचानने के लिए गाय के कानों पर नाना प्रकार के चिह्न बनाये जाते थे।²⁵

- **गौचरभूमि:** अथर्ववेद में कथन है कि गौचरभूमि स्वच्छ होनी चाहिए, जहां उत्तम घास हो। अर्थात् गौचरभूमि जीव-जंतु रहित होनी चाहिए ताकि गायें सुरक्षित रह सकें। गौचरभूमि हिंसक पशु और शिफारीयों के भय से मुक्त होनी चाहिए। कौटिल्य कहते हैं कि सांप और हिंसक पशुओं को डराने के लिए तथा गौचरभूमि का अनुमान करने के लिए गाय की ग्रीवा में घण्टी बांधना चाहिए।²⁶ अथर्ववेद में विधान है कि गौचरभूमि में गाय को कौआ आदि पक्षी उनकी पीठ पर बैठकर तकलीफ न दे इसलिए गौरक्षक को ध्यान रखना चाहिए। कविवर कालिदास विरचित रघुवंश काव्य में गौसेवा करते दिलीप राजा उनमें मच्छरादि जीव-जंतु से गाय का रक्षण करता है ऐसा उल्लेख है।²⁷ अथर्ववेद अनुसार गौचरभूमि में गायों को पानी पीने के लिए उत्तम जलस्थान होना चाहिए। यहां शुद्ध और पर्याप्त मात्रा में जल हो। अर्थात् जल अशुद्ध, मलिन, दुर्गन्धयुक्त न हो। कौटिल्य का मंतव्य है कि जलस्थान समतल और विस्तृत घाटवाला, कीचड़रहित, मगररहित होना चाहिए।

- **गौदोहन:** ऋग्वेद और अथर्ववेद में विधान है कि गौदोहक कुशल और सुहस्त वाला व्यक्ति हो जिससे गायों को तकलीफ न पहुँचे। यह व्यक्ति गायों के प्रति स्नेहभाव रखनेवाला होना चाहिए। गौदोहन के समय गाय के बछड़े को गाय के पास ले जाना, गाये आंखे बंद करके अपने बछड़े के मस्तक को स्नेहपूर्वक चाटती है जिससे दूध की मात्रा बढ़ती है।¹⁸ ऋग्वेद अनुसार एक माता की दो गायें भी एक समान दूध नहीं देती। इसलिए सभी गायें एक समान दूध दे और दूध बढ़े, ऐसा आग्रह और प्रयत्न करना नहीं चाहिए। अर्थशास्त्र में जमीन, घास एवं जल के वैशिष्ट्य अनुसार गाय के दूध की मात्रा होती है, ऐसा विधान है।²⁹

वैदिककाल में गायें दिन में तीन बार दुही जाती थी। प्रातः कालः (प्रातर्दोह), दोपहर से कुल पहले (सङ्गव) तथा सायंकाल (सायंदोह) में। कौटिल्य के मतानुसार गायों को वर्षा, शरद तथा हेमंत ऋतुओं में दोनों समय तथा शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ऋतु में तीन समय दुहे।³⁰

गौचिकित्सा

गायों का आरोग्य उत्तम रहना चाहिए क्योंकि एक गाय रोगीष्ट होने पर अन्य गायें भी रोगीष्ट बन सकती है जिससे रोगयुक्त दूध पीने वाला मनुष्य भी रोगी होता है। अथर्ववेद में पशुओं में रोग उत्पन्न होने के तीन कारण दर्शाये गये हैं- (1) गायों का खाने-पीने का प्रबंध ऋतु और उचित समय पर होना चाहिए। उसमें परिवर्तन करने से पशु रोगी होता

है। (2) गाय को जुड़वा बच्चे होने से गाय के योनि आदि स्थानों पर ब्रण होता है। वहां प्रसूतिस्थान का विष लगने से गाय रोगीष्ट बनती है।³¹ (3) मांसभक्षक गाय विशेषतः रोगीष्ट हो जाती है। गाय जब प्रसूता होती है तब गर्भस्थान का कतिपय हिस्सा बाहर गिरता है। गाय उस भाग को खाती है अतः रोगीष्ट बनती है।

गाय रोगीष्ट होने पर उत्तम वैद्य के पास जाना चाहिए। जिस वैद्य के पास अधिक मात्रा में औषधि हो, जो रोगी कृमिओं को नष्ट करता है।³² वैद्य पवित्र हृदय वाला और शुभकर्मी होना चाहिए। वैद्य के निवासस्थान पर नित्य हवन होना चाहिए।³³ हवन से हवा शुद्ध होती है और गाय रोगमुक्त हो जाती है।

- **सींग संबंधी रोग:** गाय को सींग में अथवा सींग के मूल में कोई ब्रण हुआ हो तब तेल में से धानमक मिश्रित करके उनका पान कराना चाहिए। अदरख, बरिअरा, जटामांसी का कल्क बनाकर उसमें मधु मिश्रित करके पिलाना चाहिए।³⁴
- **कर्णशूल:** गाय को कर्ण संबंधी कोई रोग हो जाय तब मजीठ, हींग तथा सेंधा नमक मिलाकर तेल सिद्ध करना। अथवा लहसून को तेल में डालकर सिद्ध करना। उस तेल को गाय के कान में डालने से कर्णशूल ठीक हो जाता है।
- **मुखरोग, दंतशूल, जिह्वारोग:** बिल्वमूल, अपामार्ग, धव का पुष्प पाठा और इन्द्रजौ को पीसकर गाय को दांत के भाग पर लेप करने से दंतशूल मिटता है। यह द्रव्यों का कवाथ और कल्क द्वारा सिद्ध किया गया

घी का संपूर्ण मुखरोग और दन्तरोग में मालिश करना उत्तम है। जिह्वा रोग हुआ तो यह द्रव्यों में सेंधा नमक मिश्रित करके मालिश करना चाहिए।

- **गलग्रह, हृदयशूल, बस्तिशूल, वातरोग, क्षयरोग:** इस रोगों में गायों को अदरख, हल्दी, दारूहरदी, त्रिफला का काढा, घी और त्रिफला पिलाना चाहिए। 34 चरकसंहिता अनुसार गायों को बस्ती देनी चाहिए। मृदगपर्णी, माषपर्णी, धव, पाटल, महुआ का सार, दंतीमूल, चित्रक, पलाश, भूमिक, अजमोद, देवदारू और कडु के कवाथ से निर्मित बस्ति विशेषतः गायों के लिए हितकर है।³⁶
- **अतिसा:** हल्दी, दारूहल्दी तथा पाठा का काढा बनाकर गायों को देना चाहिए।³⁶
- **कोष्ठरोग:** संपूर्ण कोष्ठ के रोगों में श्वास, काम और शाखा के रोग में अदरख और भारंगी का काढा देना उचित है।
- **वात-पित्त-कफ का अतिरेक:** गायों को वायु का अतिरेक होने पर तेल का पान कराना चाहिए। जेठी मधु से सिद्ध किया गया तेल पित्त को हरने वाला है। कफज रोग में सोंठ, मिर्च, पिपरि का काढा बनाकर उसमें मधु मिश्रित करके हड्डी टूट जाय तो उसको जोड़ने के लिए प्रियंगु के साथ सेंधा नमक मिश्रित करके देना चाहिए।

गौसंरक्षण एवं गौचिकित्सा संबंधी उपायें यहां वर्णित हैं, वह सांप्रत समय में भी उपयोगी बन सकते हैं।

संदर्भ ग्रन्थः

1. या अंगिरसस्तसेह चकुः। ऋग्वेदः सायणभाष्य वैदिक संशोधन मण्डल, पूना-1146 10-169.2
2. दिस्पृथिव्या अन्तरिक्षात्समुद्राग्नेर्वातान्मधुकशा हि जज्ञे अथर्ववेदः। सं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, पारड. इ. स. 1141 9.1.1
3. महत्पयो विश्वरूपमस्याः समुद्रस्य त्वोतरेत आहुः। यत एति मधुकशा राणा तत्प्राणस्तदमृतं निविष्टम्॥ अथर्ववेदः:9.1.2
4. यूयं गावो मेदयथा कृशं चिदश्रीरं चित्कृणुथा सुप्रतीकम्। ऋग्वेदः 6.28.6, अथर्ववेदः 4.21.6
5. अष्टाङ्गहृदयम् - सं. प्रा. दिलीप एम. पण्डया-सरस्वती पुस्तक भण्डार, अहमदाबाद, अद्यतन आवृत्ति-1999 सूत्र स्थान 4.21.22
6. अथर्ववेदः 3.11
7. घृतं ते अग्ने दिव्ये सप्सस्थे घृतेन त्वां मनुरद्या समिन्धे।
8. यस्मिन्देवा अमृजत यष्मिन्मनुष्या उत।
9. देवो अग्निः संकसुको दिवस्पृष्टान्यारूहत्।
10. मुच्यमानो निरेणसोडमोजस्मां अशस्तया। एजन 12.2.12
11. क्षीरमूत्रं पिबेत गव्यं महिषमेव वा। पाण्डुरोगो मूत्रयुक्तं वा सप्ताहं त्रिफलारसन॥ चरकसंहिता-व्याख्याकार-वैद्य दयाल परमार -सरस्वती पुस्तक भण्डार-अमदावा प्रथम आवृत्ति-2001-02, चिकित्सा स्थान-16.64
12. अथर्ववेदः 3.14.3, 12.4.9. एवं पृ. 201.
13. ऋग्वेदः 1.164.7
यजुर्वेदः-दयानन्द भाष्य- वैदिक मन्त्रालय, अजमेर 1921 13.85 अथर्ववेदः 7.73.8
14. अर्थशास्त्रम्-कोटिल्यः सं.- रघुनाथ सिंघ, चोखम्बा संस्कृत सीरज आफिस-वाराणसी प्रथम संस्करण वि. स. 2045, 2.29.16
15. सं वो गोष्ठेन सुषदा सं रय्या सं सुभूत्या। अथर्ववेदः 3.14.1
16. एजन 3.18
17. बलप्रद विषाणां स्याद्गृहे नाशाय धूपकैः। देवदारू वचा मांसी गुग्गुलुर्हिङ्गुसर्षपाः। गहादिगदनाशाय एष धूपो गवां हितः॥ अग्निपुराणम् सं. डॉ. घनश्याम त्रिपाठी, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग. सन्-1998, 292.33, 34
18. ऐजन - 292.34
19. ऋग्वेदः 1.164.40, अथर्ववेदः 7.73.11
20. अथर्ववेदः 3.14, 7.15
21. त्वष्टा येषां रूपधेयानि वेदस्मिन्तागोष्ठे सविता नि यच्छतु।
इमं गोष्ठं पशवः सं स्त्रवन्तु बृहस्पतिरा नयतु प्रजानन्।
सिनीवाली नयत्वाग्रमेषामाजग्मुषो अनुमते नि यच्छ।
अथर्ववेदः 2.26.1, 2
22. जरद्गुधेनुगार्भिणीपष्ठौहीवत्सतरीणां समविभागं रूपशतमेकः पालयेत्॥ अर्थशास्त्रम् 2.29.4
23. ऐतरेय ब्रह्मण-सायणभाष्य, ए. हांग -मुंबई 1863, सायणभाष्यसहित, आनन्दाश्रम) पूना 3.18.14
24. वर्णारोधेन दशतीरक्षा । उपनिवेशादिग्विभागो गौप्रचाराद् बलान्वयतो वा वा रक्षासामर्थ्याच्च। अर्थशास्त्रम् 12.26.39.
25. वैदिक साहित्य और संस्कृति - ले. आचार्य बलदेव उपाध्याय, शारदा संस्थान, वाराणसी 1989. पृ. 456
26. अर्थशास्त्रम् 2.29.48
27. सर्पव्यालत्रासनार्थ गोचरनुपातज्ञानार्थ च त्रसूनां घण्टातूयं च बध्नीयुः। अर्थशास्त्रम् 2.29.22
28. रघुवंशम्-कालिदासः व्याख्याकार श्री हरगोविन्द मिश्र, चौखम्बा संस्कृत, संस्थान वाराणसी, षष्ठ संस्करण वि.स. 2049, 2.5
29. ऋग्वेदः 1.164.27, 28.29
30. भूमतृणादकविशेषाद्धि क्षीरघृतबुद्धिर्भवति। अर्थशास्त्रम् 2.26.37
31. अर्थशास्त्रम् 2.29.31
32. अथर्ववेदः 3.28.1
33. यत्रौषधीः समग्मत राजानः समिताविव। विप्र स उच्यते भिषग् रक्षोहामीवचातन्। ऋग्वेदः 10.17.6
35. शृङ्गमयेषु धेनुनां तैलं दधघात्ससैन्धवम्। अग्नि पुराणम् 293.23.
36. अग्निपुराणम् 263.27.28
37. चरकसंहिता- सिद्धिस्थान-11.24.24
38. अतीसारे हरिद्रे द्वे पाठां चैव प्रदापयेत्। अग्निपुराणम् 293.28.



वैदिक साहित्य में नारी

डॉ. जस्मिन आर. दुल्लात्रा

वेदों के मुख्य विषय हैं- कर्म, उपासना और ज्ञान, जो समस्त मानव-जाति के धर्म हैं। इनमें केवल स्त्री अथवा केवल पुरुष को लक्ष्य करके अधिक बातें नहीं कही गयी हैं। जो कुछ है, सबके लिये है। वेद इतिहास भी नहीं हैं, जिससे स्त्री और पुरुष-वर्ग के विषय में कुछ विशेष चर्चा का प्रसंग आवे, तथापि उनमें इतिहास के बीज और साधन-सामग्री अवश्य हैं। वेद ज्ञान के भण्डार हैं, उस भण्डारों में खोज करने पर नारी के महत्त्व को प्रकाशित करने वाले विषय भी अवश्य दृष्टिगोचर होते हैं। वेद चार हैं- ऋक्, यजुः, साम और अथर्व। इसमें से ऋग्वेद में ही कुछ ऐसी बातें पायी जाती हैं जो प्राचीन काल से चली आने वाली आर्यनारी की सभ्यता और संस्कृति पर प्रकाश डालती हैं। कुछ विदुषी नारियाँ अपने सदगुणों के कारण तथा मन्त्रों का साक्षात्कार करने वाली ऋषिकाओं के रूप में प्रतिष्ठित हुई हैं। यजुर्वेद में नारी के विषय में बहुत कम चर्चा है। सामवेद में तो है ही नहीं। अथर्ववेद में चर्चा अवश्य है, पर ऋग्वेद से अधिक नहीं। अतः इस लेख में जो कुछ कहा जायेगा, उसमें ऋग्वेद में आयी हुई बातों का ही प्रायः दिग्दर्शन होगा। अन्य वेदों तथा ब्राह्मण आदि ग्रन्थों की मुख्य-मुख्य बातों का इसी में समावेश समझना चाहिये।

पहले उन महिमामयी नारियों के सम्बन्धों में निवेदन किया जाता है, जो मन्त्र-द्रष्ट्री ऋषिकाओं अथवा देवियों के रूप में प्रसिद्ध हैं। जैसे धनकी देवी लक्ष्मी, शक्ति की दुर्गा और विद्या-की सरस्वती हैं, वैसे ही अदिति, उषा, इन्द्राणी, इला, भारती, होला, सिनीवाली, श्रद्धा, पृथ्वी आदि वैदिक देवियों अनेक तत्त्वों की अधिष्ठात्री हैं। इन्हें कहीं देवमाता और कहीं देव-कन्या बताया गया है। इन सबमें अदिति देवी का उल्लेख सबकी अपेक्षा अधिक है। ये सर्वशक्तिमती, विश्वहितैषिणी,

सर्वग्राहिणी और स्वाधीन मानी गयी हैं। अदिति ही आकाश, अन्तरिक्ष, माता, पिता, पुत्र और समस्त देवता हैं। पञ्चजन (गन्धर्व, पितर, देव, असुर और राक्षस) भी वही हैं। अदिति ही जन्म और उसका कारण हैं। कहीं-कहीं अदिति-के साथ दिति का भी उल्लेख है-‘अदिति दिति च।’ इन्हीं दिति को पुराणों में दैत्यों की माता कहा गया है।

ऋग्वेद में कई स्थलों पर सीता की स्तुति देवी कहकर की गयी है- ‘सौभाग्यवती सीता! हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम हमें धन दो। पूषा सीता को नियमित करें’ (4/57/6-7)। उषा का अर्थ प्रभात है, किन्तु ऋग्वेद में लगभग तीन सौ बार उषा का ‘देवी’ रूप में स्तवन किया गया है। सूक्त-के-सूक्त उषा देवी की स्तुति से भरे पड़े हैं। वहाँ इनके लिये सत्यभाषिणी और दीप्तिमती आदि गुणबोधक विशेषण दिये गये हैं। वह नित्य यौवन-सम्पन्ना, शुभ्रवसना और धना-धीश्वरी बतायी गयी हैं। सूर्य की पुत्री का नाम सूक्त है। इन्हें ऋग्वेद में देवी और ऋषिका भी कहा गया है। उसमें बहुत सी ज्ञातव्य बातें हैं। सूर्या के विवाह का जो वर्णन उपलब्ध होता है, उससे कई तत्कालीन प्रथाओं का परिचय मिलता है, जो आज भी न्यूनाधिक रूप में पायी जाती हैं। इन्द्राणी इन्द्रदेव की पत्नी हैं। इनका एक नाम शची भी है। ऋग्वेद के दशम मण्डल, सूक्त 145 की ऋषिका भी ये ही हैं। 159 वें सूक्त की ऋषिका प्रलोमपुत्री शाची कही गयी हैं। ‘वाक’ भी एक देवी का नाम है। इन्हें अन्न-जल की दात्री एवं हर्षप्रदायिनी माना गया है। ये अम्भृण ऋषि की पुत्री हैं। दशम मण्डल के 125 वें सूक्त का प्रथम दर्शन इन्होंने ही किया है। वैदिक देवी-सूक्त की ऋषिका ये ही हैं। ये वाग्देवी ही मित्र और वरुण को धारण करने वाली, धनदात्री, ज्ञानवती, प्राणिव्यापिनी, उपदेशिका तथा आकाशजननी आदि कही गयी है। इला भी एक देवी हैं, इन्हें धृतहस्ता, अन्नरूपिणी, हविलक्षणा, गोसन्धकी निर्मात्री तथा मनु के यज्ञ में हवि का सेवन करने वाली बताया गया है।

सरस्वती देवी पतितपावनी, धनदायिनी, सत्य की ओर प्रेरित करने वाली, शिक्षिका और ज्ञानदात्री मानी गयी हैं (1/3/10-12)। इनके द्वारा अनेक मन्त्रों का अविष्कार भी हुआ है। इसी प्रकार भारती, होला, सरण्यू, सिनीवाली, राका, गुड्ड, असु तथा श्रद्धा आदि देवियों की महिमा का भी यथास्थान वर्णन है। पृथ्वी, अरण्यानी, वरुणानी तथा अग्नायी प्रभृति देवियों का भी स्तवन किया गया है।

बी.एड., एम.एड, एम.फिल., पीएच.डी., एस.पी.के.एम. महिला कॉलेज, जेतपुर

दैवी संस्कृति के अनन्तर मानव-जगत् पर दृष्टिपात करने से विदित होता है कि आर्य लोग नारियों का बड़ा सम्मान करते थे। वे घर को नहीं, नारी को ही घर मानते थे और गृहस्थ धर्म के पालन में नारी की ही प्रधानता समझते थे। उनके विवाह का प्रयोजन था नारी के साथ रहकर धर्मानुष्ठान और यज्ञ-सम्पादन। नारी के बिना गृह का अस्तित्व ही कहाँ है और गृहके बिना गृहस्थ-धर्म का सम्पादन ही कैसे हो सकता है। इस धारणा के अनुसार गृहस्थ धर्म की प्रतिष्ठा एकमात्र गृहिणी पर ही निर्भर थी। सन्तान पुत्र हो या पुत्री-दोनों उन्हें समान रूप से प्रिय थे। वे पूषा देवता से कमनीय कन्या के लिये प्रार्थना करते थे। कन्याओं का उनके यहाँ बड़ा आदर होता था। कन्या का विवाह हो जाने पर उससे जो पुत्र होता, उसको अर्थात् अपने दौहित्र को वे अपने धन का उत्तराधिकारी भी बनाते थे। पुत्र अथवा पौत्र के अभाव में ही दौहित्र को यह अधिकार मिलता था। कन्या का एक नाम दूहिता भी है। यह शब्द 'दुह्' धातु से बना है, इसका अर्थ है दुहना। इसके आधार पर कई विद्वानों का यह कहना है कि 'कन्याएँ पहले समय में दूध दुहने का काम करती थीं। घर में गोरक्षा का प्रधान कार्य इन्हीं के हाथ में था। दूध, दही, घी आदि की व्यवस्था ये ही करती थीं।' कन्याएँ तथा स्त्रियाँ रूई धूनी, सूत कातती, वस्त्र बुनतीं और कसीदा भी काढ़ती थीं। इन बातों के समर्थक अनेक मन्त्र उपलब्ध होते हैं। (2/3/6 तथा 2/38/4 आदि) कन्याएँ कलश में जल भरकर भी लाती थीं। वे माता-पिता को पानी नहीं भरने देती थीं। खेत खलिहाने का कार्य भी वे ही करती थीं। कन्या की रक्षा पिता करते थे, पिता न हों तो बड़े भाई पर उसकी रक्षा और विवाह आदि

का भार रहता था। आमरण अविवाहित रहने वाली कन्या पिता के धन में हिस्सा पाती थी। वृद्धावस्था तक नारी अपने घर में प्रभुता रखती थी (10/85/30)। पशु-रक्षिणी और वीरप्रसविनी नारी का उस समय विशेष आदर था। ऐसी नारी की प्राप्ति के लिये देवताओं से प्रार्थना की जाती थी (10/85/44)। नारी स्त्री-धन से भी ब्राह्मणों को दान देती थी (10/85/21)। स्त्री को अपने लिये धन का कुछ नियत भाग प्राप्त होता था, जिस पर केवल उसी का अधिकार होता था।

इस प्रकार आर्य-जाति काल से ही नारी का सदा समादर होता आया है। अन्य जातियों के प्राचीन इतिहास में यह बात नहीं पायी जाती। कई जातियाँ तो ऐसी हैं, जो स्त्रियों को पैर-की जूती समझती थीं। उनके यहाँ स्त्रियों के खरीदने-बेचने की भी जघन्य प्रथा थी। एथेंस और स्पार्टा में स्त्रियों की जैसी नारकीय दशा थी, वह इतिहास के विद्यार्थियों से छिपी नहीं है।

ऋग्वेद के अनुशीलन से जान पड़ता है कि आर्यों में स्त्री-शिक्षा का यथेष्ट प्रचार था। स्त्रियाँ वेदाध्ययन करतीं और कविताएँ भी बनाती थीं। वे अपनी त्याग-तपस्या से ऋषिभाव को भी प्राप्त होती और मन्त्रों का साक्षात्कार करती थीं। ऋग्वेद के अनेक सूक्तों का आविष्कार स्त्रियों द्वारा ही हुआ है, यह बात ऊपर बताया जा चुकी है। ब्रह्मवादिनी घोषा के द्वारा साक्षात्कृत (दशम मण्डल के) 39 वें और 40 वें सूक्तों में कुछ ऐसे मन्त्र हैं, जिनसे ये बातें स्पष्ट सूचित होती हैं। आर्यलोग विवाह के समय वर और कन्याओं को विविध वस्त्राभूषणों से विभूषित करके बहुत सम्मान करते थे। लोग स्त्री की प्राण-रक्षा और मर्यादा-रक्षा के लिये भारी-से-भारी कष्ट

सहने के तैयार रहते थे। समाज में उनको बहुत ही प्यार और दुलार से रखा जाता था। सूर्य के द्वारा आविष्कृत मन्त्रों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि स्त्री अपने पति के अधीन रहती थी, परन्तु घर के अन्य सब पदार्थों पर उसी का प्रभुत्व रहता था। नौकर-चाकर पर भी वही शासन करती थी। वर और वधू जब विवाह में एक साथ बैठते थे, उस समय गुरुजनों और देवताओं से वधू के सौभाग्य के लिये प्रार्थना की जाती थी। यह प्रथा आर्यों में अब तक प्रचलित है। आज भी निम्नांकित मन्त्र पढ़कर सिन्दूर एवं सौभाग्यवर्धक आशीर्वाद अर्पण किया जाता है। वह मन्त्र यह है—

**सुमङ्गलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत।
सौभाग्यमस्यै दत्त्वा यायास्तं वि परेतन।।**

‘यह परम कल्याणमयी वधू यहाँ बैठी है, गुरुजनों तथा देवताओं! आप सब लोग यहाँ आवें, इसे कृपादृष्टि से देखें तथा इसके सौभाग्यसूचक आशीर्वाद देकर अपने-अपने स्थान को पधारें।’

कुछ मन्त्रों से यह भी सूचित होता है कि उस समय स्त्रियाँ संगीत आदि में भी निपुण होती थीं। पति के साथ स्त्रियाँ भी युद्ध में जाती थी। विश्वला अपने पति के साथ युद्ध में गयी थी और वहाँ उसकी जाँघ टूट गयी थी, जिसे अश्विनी कुमारों ने ठीक किया था। नमुचि के पास भी स्त्रियों की सेना जो इन्द्र के द्वारा मारी गयी। वैदिक साहित्य के अनुशीलन से यह भी सिद्ध होता है कि पहले की स्त्रियाँ वेद पढ़तीं और यज्ञोपवीत भी धारण करती थीं। सुलमा, मैत्रेयी और गार्गी आदि की विद्वत्ता प्रसिद्ध है। वाल्मीकि रामायण (5/15/48) के अनुसार सीताजी वैदिक प्रार्थना करती थीं।

कौसल्या के विषय में भी ऐसा आया है कि वे मन्त्रपाठपूर्वक अग्निहोत्र करती थीं। वीरमित्रोदय के संस्कार-प्रकाश में स्त्रियों के दो भेद किये गये हैं- एक ब्रह्मवादिनी और दूसरी सद्योद्वाहा- 'ब्रह्मवादिनीनामग्रीन्धनं वेदाध्ययन स्वगृहे च भैक्षचर्या'। इनमें ब्रह्मवादिनी स्त्रियों को यह अधिकार है कि वे अग्निहोत्र वेदाध्ययन तथा अपने घर में भिक्षा ग्रहण करें। इससे सिद्ध है कि सर्वसाधारण स्त्रियों के लिये यह अधिकार नहीं है। पहले सभी स्त्रियों को यह अधिकार था, पर कलि में उनके वेदाध्ययन आदि का निषेध कर दिया गया। यमस्मृति में कहा गया है- 'पूर्वकाल में कुमारियों का उपनयन, वेदारम्भ तथा गायत्री-उपदेश होता था, परन्तु उनके गुरु या अध्यापक केवल पिता, चाचा अथवा बड़े भाई ही होते थे। दूसरे किसी को यह अधिकार नहीं था कि उन्हें पढ़ावे-

**पुरा कल्पे कुमारीणां
मौंजीबन्धनमिष्यते।**

अध्यापनं च वेदानां सावित्रीवचनं तथा।

**पिता पितृव्यो भ्राता व
नैनामाध्यापयेत् परः॥**

वेद-मन्त्रों से यह भी ज्ञात होता है कि स्त्रियां सुन्दर वस्त्र पहनती थीं, सूती वस्त्र केवल पहनती ही नहीं, बुनती भी थीं। ऊनी वस्त्र पहनने का भी रिवाज था। कपड़ा बुनने वाले तन्तुवाय भी उस समय होते थे। हाथों में कड़ा पहनने की प्रथा थी। आभूषण, आयुध, माला, हार, वलय आदि सुवर्ण के बनते थे। लोहे और सोने घर बनने की भी चर्चा आती है। (6/3/7 और 7/15/4)। हजार दरवाजों वाले विशाल भवन बनाये जाते थे (7/28/5)। द्वार पर द्वारपाल रखा जाता था (2/15/9)। एक हजार खंभो वाले दुर्गजिले मकान बनते थे (5/62/6)।

कुछ मन्त्रों से स्वयंवर-प्रथा भी सूचित होती है। एक मन्त्र में कहा गया है- 'पति स्त्री के वस्त्र को न ओढ़े, अन्यथा श्री नष्ट हो जाती है (10/85/30)। वर कन्या को वधूरूप में ग्रहण करते समय उसका हाथ पकड़कर कहता था-

**गृभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया
पत्या जरदष्टिर्यथासः।**

**भगो अर्यमा सविता पुरन्ध्रिर्महं
त्वादुगार्हपत्याय देवाः।**

(10/85/36)

'कल्याणी! मैं तुम्हारे और अपने सौभाग्य के लिये तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ। तुम मुझे पति के साथ वृद्धावस्था तक बनी रहो। भग, अर्यमा, सविता पुरन्ध्रि आदि देवताओं ने गृहस्थ धर्म की रक्षा के लिये मुझे तुमको दिया है।'

आर्य-विवाह-पद्धति में इस विधि का आज भी पालन कराया जाता है। पत्नी भी लाजा-हवन के समय पति और कुटुम्बी जनों की मङ्गल-धर्म में पति-पत्नी एक-दूसरे के सखा और सहधर्मि हैं। दोनों का समान स्थान है। कोई किसी से छोटा या बड़ा नहीं है। सप्तपदी के विधान द्वारा नव-दम्पति के इसी सख्यभाव को सुदृढ़ किया जाता है। 10/85/42 में कहा गया है- 'तुम दोनों दम्पति कभी एक-दूसरे से अलग न होना।' 43 वें मन्त्र में पति का कथन है- 'प्रजापति हमें सन्तति दें, अर्यमा बुढ़ापे तक हमें साथ रखें। वधू! तुम मङ्गलमयी होकर पति-गृह में रहो। घर के मनुष्यों और पशुओं के लिए कल्याणकारी बनो।' फिर परमात्मा से प्रार्थना की जाती है-

**इमां त्वमिन्द्र मीद्वः सुपुत्रां सुभागां कुरु
दशास्यां पुत्रानाधेहि पतिमेकादशं कृधि।**

'परमात्मन्! इस वधू को सुयोग्य पुत्र वाली तथा सौभाग्यवती बनाओ। इसके गर्भ में दस पुत्रों को स्थापित करो। इसके दस पुत्र और ग्यारहवें पति-सब माजूद रहें।'

तत्पश्चात् वधूको आशीर्वाद मिलता है-

**सम्राज्ञीश्वशुरे भव सम्राज्ञीश्वश्रवां भव।
ननान्दरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधि देवेषु॥**

'वधू! तुम घर में सास, ससुर, ननद और देवर- सबके हृदय की महारानी बनो। सबको अपने प्रेम, सेवा और सद्व्यवहार से जीत लो।'

इन दिव्य आदर्शों का पालन वधू करती थी, आज भी विवाह के समय ये शिक्षाएँ दी जाती हैं, परन्तु आज के युग में नूतन शिक्षा के विषाक्त प्रभाव से लोगों का ध्यान इन विधियों की ओर से हटकर व्यर्थ के दिखावे में जा लगा है। प्रत्येक हिंदू-धर्मावलम्बी को चाहिये कि वे वर और वधू को इन मन्त्रों के दिव्य आदर्श हृदयङ्गम करा दें। लज्जा स्त्री का सद्गुण है। वेद कहता है-

**अधः पश्यस्व मोपरि सन्तरां
पादकौ हर।**

**मा ते कशप्लकौ छशन्स्त्री हि
ब्रह्मा बभूविथ।।**

(8/43/19)

'साध्वी नारी! तुम नीचे देखा करो (तुम्हारी दृष्टि विनय से झुकी रहे)। ऊपर न देखो। पैरों को परस्पर मिलाये रखो (टाँगों को फैलाओ मत)। वस्त्र इस प्रकार पहनो, जिससे तुम्हारे ओष्ठ तथा कटि के नीचे के भाग पर किसी की दृष्टि न पड़े।' इससे सिद्ध है कि स्त्री सलज्ज हो और मुख पर घूँघट डाले रहे।

यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता (6/5/8/2) में बताया गया है कि पिता के धन पर कन्या का कोई अधिकार नहीं है। (उसका अधिकारी पुत्र ही है)। वाजसनेयि संहिता में लिखा है कि ब्रह्मचारिणी और शिक्षित कन्या का विवाह होना चाहिये (12/3/17-18)। अथर्ववेद में बताया गया है कि कन्या ब्रह्मचर्या पूर्वक रहकर तरुण पति को प्राप्त करती है- 'ब्रह्मचर्येण कन्या युवां न विन्दते पतिम्' (11/5/18)। माता-पिता के निरीक्षण में कन्या पतिका चुनाव करती थी (6/61/1)। कन्या की विदाई के समय उसके पिता पलंग, गद्दा और कोच आदि देते थे (14/2/31,41)। कन्या को खजाने की संदूक आदि भी दी जाती थी (14/2/30, 4/20/3)। गाय और कम्बल आदि भी कन्या को दहेज में प्राप्त होते थे। स्त्री का अपने पति पर इस लोक और परलोक में भी अधिकार माना जाता था- 'त्वं सम्राज्येधि पत्युरस्तं परेत्य चा' (14/1/43)

वेद में जहाँ तक देखा गया है, सहमरण की प्रथा नहीं मालूम होती। इसी प्रकार विवाह की अवस्था भी बड़ी ही प्रशस्त मानी गयी है।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र में लिखा है-
जायापत्योर्न विभागो ह्ययते।

**पाणिग्रहणाद्धि सहत्वं कर्मसु तथा
पुण्यफलेषु द्रव्यपरिग्रहेषु च॥**

'स्त्री और पति में कोई विभाग या बँटवारा नहीं देखा जाता। दोनों एक हैं, दोनों के सब कुछ एक हैं। पति जब पाणिग्रहण कर लेता है, तब से प्रत्येक कर्म से दोनों का सहयोग अपेक्षित रहता है। इसी प्रकार पुण्यफल में तथा द्रव्य-संग्रह में भी दोनों का सहयोग तथा समानाधिकार है।' कोई-कोई यह भी अर्थ करते हैं कि स्त्री-पुरुष सदा से एक हैं, इनमें विभाग नहीं है।

शतपथ ब्राह्मण का कथन है कि 'पत्नी के बिना पुरुष स्वर्ग नहीं जा सकता।' इसलिए स्वर्ग आदि की कामना से किये जाने वाले यज्ञ में पत्नी की

उपस्थिति अत्यन्त आवश्यक समझी जाती थी-

**स रोक्ष्यजायामामन्त्रयते, जाये एहि
स्वो रोहावेति। रोहावेत्याह जाया।
तस्माज्जायामामन्त्रयते। अर्धो ह वैष
आत्मनी यज्जाया।**

(5/2/1/10)

'वह पुरुष स्वर्ग लोक पर आरूढ़ होते समय पत्नी को सम्बोधित करता है- 'जाये! चलो, स्वर्गलोक में चलें। पत्नी कहती है- 'स्वर्ग लोक में चलें। इसीलिए 'जाया' को आमन्त्रित करता है, क्योंकि जाया (पत्नी) इस शरीर का अर्द्धाङ्ग है।'

ऐतरेय ब्राह्मण में नारी को सखा माना है- 'सखा ह जाया' (8/3/13)

इस प्रकार सम्पूर्ण वैदिक साहित्य के अनुशीलन से यह पता लगता है कि वेदों में नारी के प्रति बड़े ही सम्मान और उदारता का भाव है। नारी घर की रानी है- यही वैदिक सभ्यता का आदर्श है।



सवितृ ऋक् में व्याहृति और महाव्याहृति

पूर्णमा कुमारी

सवितृ ऋक् सम्पूर्ण विश्व का प्राचीनतम मन्त्र है, जो गायत्री मन्त्र के नाम से विश्व विख्यात है। सवितृ ऋक् आदि मन्त्र है और इसके रहस्य की व्याख्या वेदों में प्राप्य है। वेदों में इसकी उपस्थिति इसके वैशिष्ट्य और महत्त्व को दर्शाने के लिए पर्याप्त है।¹ ऋग्वेद शाकल संहिता में सवितृ ऋक् का वर्णन इस प्रकार है -

तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि।
धियो यो नः प्रचोदयात्।²

शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनीय संहिता में सवितृ ऋक् का वर्णन कुछ इस प्रकार है -

भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि।
धियो यो नः प्रचायेदयात्।³

सामवेद कौथुम संहिता उत्तरार्चिक में सवितृ ऋक् का वर्णन इस प्रकार है -

तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि।
धियो यो नः प्रचोदयात्'।⁴

हम साधारणतः जिसे गायत्री मन्त्र कहते हैं, ऋग्वेद के उस ऋक् (03.10.62) का स्वीकृत एवं यथार्थ नाम 'सवितृ ऋक्' है- गायत्री मन्त्र नहीं। संश्लिष्ट ऋक् में परमपुरुष को 'सविता'- ('सृ' धातु + तृण/तृच् प्रत्यय लगा कर यह शब्द निष्पन्न होता है) - नाम से सम्बोधन किया गया है। इसलिए ऋक् का नाम है - 'सवितृ ऋक्'। 'सविता' ('सवितृ' शब्द का प्रथमा एकवचन) एक पुलिङ्गवाचक शब्द है, जिसका अर्थ है स्रष्टा, जनक या पिता। सूर्य पृथ्वी का जनक है। इसीलिए सूर्य को सविता कहा जाता है। प्रथमोक्त सवितृ ऋक्

गायत्री छन्द में रचित हुआ है। गायत्री छन्द की विशेषता, विशेष वैशिष्ट्य यह है कि गायत्री छन्द में कविता रचने के लिए 24 मात्र (सिलैब्लिस) की आवश्यकता पड़ती है। तीन पंक्तियाँ होनी चाहिए। प्रत्येक पंक्ति में आठ मात्रा अर्थात् तीन पंक्तियाँ और 3 × 8 = 24 मात्राएँ। मन्त्र का मूल रूप था-

तत् सवितुर्वरेण्यम्
भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्।

उपर्युक्त ऋक् को विश्लेषण करने पर देख पाते हैं कि द्वितीय पंक्ति में 8 मात्राएँ (Syllable)- 1- भर, 2- गो, 3- दे, 4- व, 5- स्य, 6- धी, 7- म, 8- हि।

तृतीय पंक्ति में है- 1- धि, 2- यो, 3- यो, 4- नः, 5- प्र, 6- चो, 7- द, 8- यात्।

मगर पहिली पंक्ति में देखती हूँ कि 7 मात्राएँ हैं- 1- तत्, 2- स, 3- वि, 4- तुर्, 5- व, 6- रे, 7- ण्यं अर्थात् एक मात्रा कम पड़ती है।

इसलिए इस क्षेत्र में उच्चारण करने के समय तत्कालीन प्रचलित अलिखित व्याकरण-विधि का उल्लंघन करके भी उच्चारण करना पड़ता था और आज भी करना पड़ता है- 1- तत्, 2- स, 3- वि, 4- तुर्, 5- व, 6- रे, 7- णि, 8- ऊँ। मन्त्र के पूर्व में ऊँ भू भुवः स्वः ऊँ तथा सबसे अन्त में और एक ऊँ जुड़ जाता है, ये सभी मूलतः ऋग्वेदीय नहीं हैं- अथर्ववेदीय हैं। परमब्रह्म के सप्तलोकात्मक विकास भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम् हैं तथा मन्त्र में इनके सामूहिक नाम उच्चारित हैं। भू, भुवः, स्वः इन्हीं तीन लोकों के नाम जब लिए जाते हैं, तब उसके लिए 'महाव्याहृति' होता था। ये सभी ऋग्वेदीय मौलिक सवितृ ऋक् के अंश या अंग नहीं हैं। सवितृ ऋक् को व्यावहारिक क्षेत्र में उच्चारण करने के समय कहा जाता है -

“ऊँ भू भुवः स्वः ओम् तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् ऊँ”

इस महाव्याहृति की संयुक्ति से सवितृ ऋक् का अर्थबोध दृढ़तर होता है। उसी से स्पष्ट हो जाता है। यह भू भुवः स्वः अर्थात् स्थूल-सूक्ष्म कारणात्मक जगत् में सविता अर्थात् पिता की वरेण्य ज्योति का हम ध्यान करते हैं, जिससे वे हम लोगों की धी को (बुद्धि-मेधा को) सत्य पर परिचालित करें। इस

मन्त्र की सहायता से परमपुरुष से अध्यात्म जगत् का दिशा-निर्देश प्राप्ति की एषणा जग जाने को ही वैदिकी दीक्षा कहा जाता है। यह वैदिकी दीक्षा ऋग्वेदीय सवितृ ऋक् के ऊपर मोटे तौर पर निर्भरशील थी।⁵

सप्तलोक का अर्थ है- भू-भुवः-स्वः-महः-जनः-तपः-सत्यलोक। इन सप्तलोकों को मिलित रूप में कहते हैं व्याहृति। जहाँ इन सप्तलोकों के प्रतिनिधि स्वरूप तीनों लोकों के अर्थात् भू-भुवः-स्वः - इन तीनों का नाम लिया जाता है, वहाँ इन प्रतिनिधिमूलक तीनों लोकों का नाम है महाव्याहृति। यह व्याहृति या महाव्याहृति मुख्यतः अथर्ववेद का उपजीव्य (मूल भाव) है। गायत्री मन्त्र (असल में सवितृ ऋक्) ऋग्वेद के तृतीय मण्डल के दशम सूक्त का बासठवाँ ऋक् है। किन्तु इस सवितृ ऋक् का पूर्व उच्चारित भू-भुवः-स्वः मुख्यतः अथर्ववेदीय महाव्याहृति है- यह अंश भी ऋग्वैदिक गायत्री छन्द की परिधि में नहीं आता। इसलिए उसका अलग ढंग से उच्चारण करना चाहिए जैसा कि उपर्युक्त ऋक् में दर्शाया गया है।⁶

‘ॐ भूभुवः स्वः’ मन्त्र का आरम्भ होता है ‘ॐ’ ध्वनि से। ‘अ’ प्रतिरूप करता है सृष्टि का; ‘उ’ पालन का; तथा ‘म’ प्रनाश का - जेनेरेशन (Generation), आपरेशन (Operation) एण्ड डिस्ट्रक्शन (Destruction)। ‘जेनेरेशन’ शब्द का प्रथम अक्षर ‘जी’, ‘आपरेशन’ शब्द का ‘ओ’ तथा ‘डिस्ट्रक्शन’ का ‘डी’- जी + ओ + डी = GOD।⁷

“भूभुवः स्वरिति वा एतास्तिस्त्रो व्याहृतयः। तासाम् ह स्मैतां चतुर्थी माहाचमस्यः प्रवेदयते। मह इति। तद् ब्रह्मा स आत्मा। अङ्गान्यन्या देवताः।

भूरिति वा अयं लोकः। भुव इत्यन्तरिक्षम्। स्वरित्यसौ लोकः। मह इत्यादित्यः। आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते।”⁸

उपर्युक्त श्लोक में सवितृ ऋक् के भू, भुवः, स्वः के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि भूः, भुवः, स्वः इस प्रकार ये प्रसिद्ध तीन व्याहृतियाँ हैं। उन तीनों की अपेक्षा से जो चौथी व्याहृति ‘मह’ इस नाम से प्रसिद्ध है, इसको महाचमस के पुत्र ने सबसे पहले जाना था। वह चौथी व्याहृति ही ब्रह्म है। वह आत्मा है। अन्य सब देवता (उसके) अङ्ग हैं। ‘भूः’ यह व्याहृति ही यह पृथ्वीलोक है। ‘भुवः’ यह अन्तरिक्ष-लोक है। ‘स्वः’ यह प्रसिद्ध स्वर्गलोक है। ‘महः’ यह आदित्य-सूर्य है (क्योंकि) आदित्य से ही समस्त लोक महिमान्वित होते हैं।

“भूरिति वा अग्निः। भुव इति वायुः। स्वरित्यादित्यः। मह इति चन्द्रमाः। चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिषि महीयन्ते। भूरिति वा ऋचः। भुव इति सामानि। स्वरिति यजूषि। मह इति ब्रह्मा। ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते”।⁹

उपर्युक्त श्लोक में सवितृ ऋक् के भू, भुवः, स्वः के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि ‘भूः’ यह व्याहृति ही अग्नि है। ‘भुवः’ यह वायु है। ‘स्वः’ यह आदित्य है। ‘महः’ यह चन्द्रमा है (क्योंकि) चन्द्रमा से ही समस्त ज्योतियाँ महिमावाली होती है। ‘भूः’ यह व्याहृति ही ऋग्वेद है। ‘भुवः’ यह सामवेद है। ‘स्वः’ यह यजुर्वेद है। ‘महः’ यह ब्रह्म है (क्योंकि) ब्रह्म से ही समस्त वेद महिमावान् होते हैं।

“भूरिति वै प्राणः। भुव इत्यपानः। स्वरिति व्यानः। मह इत्यन्नम्। अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते। ता वा एताश्चतस्रश्चतुर्धा। चतस्रश्चतस्रो व्याहृतयः। ता यो वेदा स वेद ब्रह्मा सर्वेऽस्मै देवा बलिमावहन्ति”।¹⁰

उपर्युक्त श्लोक में सवितृ ऋक् के भू, भुवः, स्वः के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि ‘भूः’ यह व्याहृति ही प्राण है। ‘भुवः’ यह अपान है। ‘स्वः’ यह व्यान है। ‘महः’ यह अन्न है (क्योंकि) अन्न से ही समस्त प्राण महिमायुक्त होते हैं। वे ही ये चारों व्याहृतियाँ चार प्रकार की हैं (अतएव) एक-एक के चार-चार भेद होने से कुल सोलह व्याहृतियाँ हैं। उनको जो तत्त्व से जानता है, वह ब्रह्म को जानता है। इस ब्रह्मवेत्ता के लिए समस्त देवता भेंट समर्पण करते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर यह स्वतः प्रमाणित है कि सवितृ ऋक् में व्याहृति और महाव्याहृति का अद्भुत सम्मिश्रण हुआ है जो निःसन्देह रूप से सप्तलोकात्मक जगत् का वाचक है।

सन्दर्भ-संकेत अनुक्रमणिका:

1. सावित्री, कुण्डलिनी एवं तंत्र, पं. श्रीराम शर्मा आचार्य वाङ्मय, ब्रह्मवर्चस, अखण्ड ज्योति संस्थान, मथुरा-3, द्वितीय संस्करण-1998, पृष्ठ संख्या- 243
2. ऋग्वेद, भाषा-भाष्य, प्रथम-भाग, महर्षि दयानन्द सरस्वती, दयानन्द-संस्थान, नई दिल्ली- 5, 3/62/10, पृष्ठ संख्या-366
3. यजुर्वेद-सामवेद, भाषा भाष्य सम्पूर्ण, महर्षि दयानन्द सरस्वती, दयानन्द-संस्थान, नई दिल्ली-5, 36/3, पृष्ठ संख्या- 278
4. वही, उत्तरार्चिक, 13/4/3, पृष्ठ संख्या- 139
5. पथकथा, भाग-1, श्री प्रभातरंजन सरकार, प्रथम संस्करण- 2010, पृष्ठ संख्या- 64-66
6. वर्णविचित्र, प्रथम खण्ड, श्री प्रभातरंजन सरकार, श्री काली आर्ट प्रेस, कलिकाता-6, प्रथम हिन्दी संस्करण-2000, पृष्ठ संख्या- 174-175
7. आनन्द वचनमृतम्, षड्विंश खण्ड, श्री श्री आनन्दमूर्ति, आनन्द प्रिण्टर्स, कलिकाता-39, प्रथम मुद्रांकन: अक्टूबर, 1995, पृष्ठ संख्या-69
8. ईशादि नौ उपनिषद्, हरिकृष्ण दास गोयन्दका, गीताप्रेस, गोरखपुर-05, सं.

2060, चौबीसवाँ संस्करण, तैत्तिरीयोपनिषद्, 1/5/1, पृष्ठ संख्या- 320-321

9. वही, 1/5/2, पृष्ठ संख्या- 322-323
10. वही, 1/5/3, पृष्ठ संख्या- 323-324

अन्य प्रकाशित आलेखः

1. "Water Resource Management of DRR-A Case study of Bero Block, Jharkhand State, India." International Conference, EKDRM, 10-11 May, 2011, Vigyan Bhavan, New Delhi, India.
National Institute of Disaster Management, 5-B, IIPA Campus, I.P. Estate, M.G. Road, New Delhi-110002.
2. "Prashnopnishad Mein Brahnavigyan," Aunusandhanika, Volume-VIII, number-II, July, 2010, ISSN 0974-200X, Research Journal of Social Sciences & Humanities, Balihar Road, Morabadi, Ranchi-834008, Jharkhand (India), Website-www.anusandhanika.co.in, E-mail- anusandhanika@aol.in, Ph: +919835536035
3. "पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निदान सह अध्यात्म", उड़ान, अंक- 22, मार्च 2006-मई 2006, पृष्ठ संख्या- 24-36, झारखण्ड विधान सभा की त्रैमासिक पत्रिका, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, सेक्टर-2, पोस्ट-धुर्वा, राँची-834004, झारखण्ड, वेबसाइट-www.jharkhandvidhansabha.nic.in, ई-मेल-jvsranchi2000@rediffmail.com] मोबाईल नं.- +919431356798
4. "आतंकवाद एक वैश्विक समस्या : कारण एवं निदान सह अध्यात्म", उड़ान

अंक-23, जून 2006-अगस्त 2006, पृष्ठ संख्या- 83-86, झारखण्ड विधान सभा की त्रैमासिक पत्रिका

5. "संस्कृत शिक्षा में गुणात्मक सुधार", उड़ान, अंक-24, सितम्बर 2006-नवम्बर 2006, पृष्ठ संख्या- 122-129, झारखण्ड विधान सभा की त्रैमासिक पत्रिका
6. "योग एक परिचय" उड़ान, अंक-25, दिसम्बर 2006- फरवरी 2007, पृष्ठ संख्या- 57-67, झारखण्ड विधान सभा की त्रैमासिक पत्रिका
7. "साहित्य बनाम लिटरेचर का यथार्थ", उड़ान, अंक- 26, मार्च 2007-मई 2007, पृष्ठ संख्या- 119-122, झारखण्ड विधान सभा की त्रैमासिक पत्रिका
8. "वैदिक साहित्य : एक सिंहावलोकन", उड़ान, अंक- 27, जून 2007-अगस्त 2007, पृष्ठ संख्या- 93-106, झारखण्ड विधान सभा की त्रैमासिक पत्रिका
9. "प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का अध्ययन", उड़ान, अंक-29, दिसम्बर 2007-फरवरी 2008, पृष्ठ संख्या- 92-105, झारखण्ड विधान सभा की त्रैमासिक पत्रिका
10. "अवतारवाद एक समीक्षात्मक अध्ययन", उड़ान, अंक-31, जून 2008-अगस्त 2008, पृष्ठ संख्या- 69-93, झारखण्ड विधान सभा की त्रैमासिक पत्रिका
11. "संगीत का सा, रे, गा, मा, पा....." उड़ान, अंक-32, सितम्बर 2008-नवम्बर 2008, पृष्ठ संख्या- 107-110, झारखण्ड विधान सभा की त्रैमासिक पत्रिका
12. "संस्कारों का समीकरण", उड़ान, अंक-34, मार्च 2009-मई 2009, पृष्ठ

संख्या- 64-77, झारखण्ड विधान सभा की त्रैमासिक पत्रिका

13. "धर्म का मर्म", उड़ान, अंक-36, सितम्बर 2009-नवम्बर 2009, पृष्ठ संख्या- 82-96, झारखण्ड विधान सभा की त्रैमासिक पत्रिका
14. "प्रजातंत्र की सफलता बनाम जनता की सहभागिता", उड़ान, अंक-41, दिसम्बर 2010-फरवरी 2011, पृष्ठ संख्या- 90-99, झारखण्ड विधान सभा की त्रैमासिक पत्रिका
15. "लोकपाल : जन चौकीदार या एक और नया सत्ता केन्द्र", उड़ान, अंक-43, जून 2011-अगस्त 2011, पृष्ठ संख्या- 28-35, झारखण्ड विधान सभा की त्रैमासिक पत्रिका

अन्य संभावित प्रकाश्य आलेखः

1. "धर्म-तत्त्व : महाभारत के सन्दर्भ में", दृष्टिपात, झारखण्ड का सर्वाधिक प्रसारित हिन्दी मासिक वर्ष- 8, अंक- 85, सितम्बर-2012, ISSN 2231-3079, अरूण कुमार झा, जे.एफ. 8/9, हरमू आवासीय कॉलोनी, राँची-834002, झारखण्ड, वेबसाइट-www.drishtipatrika.blogspot.com, drishtipat.com, ई-मेल-wgmrak@gmail.com, मोबाईल नं- +919031975537, +919471760495
2. "आज का गॉड पार्टिकल : कल का कण-कण में भगवान", दृष्टिपात, झारखण्ड का सर्वाधिक प्रसारित हिन्दी मासिक, वर्ष-8, अंक- 86, अक्टूबर-2012, ISSN 2231-3079



संस्कृत साहित्य में तन्त्र साधना

कमलेश कमल

संस्कृत साहित्य में तन्त्रागम- साहित्य की महत्ता सर्वोपरी मान्य है। इस साहित्य की सृष्टि को अपौरुद्धोय माना गया है। राष्ट्र के समुज्ज्वल भविष्य की भावना के साथ ही परस्पर प्रेम, सहज उदारता, सात्विक विचार एवं विशुद्ध आचार की आज अत्यन्त आवश्यकता है, जिसे प्राप्त करने में तन्त्रागम पुरी तरह से समर्थ है। भौतिक विपदाओं से मुक्त रह कर ही कुछ उत्तम कार्य किये जा सकते हैं। मानसिक शांति, वैचारिक स्थिरता और लौकिक अपेक्षाओं में संतोष रहने पर किये जाने वाले सत्प्रयास मुख्य लक्ष्य तक पहुंचाने में वस्तुतः सहायक होते हैं। तंत्र के मार्ग निर्देशन में ऐसे तथ्य निर्दिष्ट हैं जिनके अनुपालन से शांति स्थिरता एवं संतोष की प्राप्ति हो जाती है। भारतीय विधाओं का लक्ष्य सत्य, शिव और सुन्दर ही रहा है। शिव की प्रतिष्ठा और अशिव-अकल्याण की निवृत्ति मानव जीवन का परम लक्ष्य है। इसकी पूर्ति तन्त्र साहित्य से संभव है-

“यद्य गृहे निवसेत् तन्त्रम तत्र लक्ष्मीः स्थिरायते” तन्त्र आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करते हैं, आधिदैविक ज्ञान से सम्पन्न बनाते हैं तथा आधिभौतिक संकटों से छूटने का सरलतम मार्ग बतलाते हैं। तन्त्रों के अनुसार की जाने वाली साधना, सिद्धि के बहुत निकट रहती है। ‘तन्त्र’ शब्द व्याकरण के विस्तारार्थक ‘तन्’ धातु से बना है। तन् धातु से सर्वधातुम्यः ट्रन् इस अनादि सूत्र से ट्रन् प्रत्यय होने से तन्त्र शब्द बन जाता है। व्युत्पत्ती की दृष्टि से ‘तन्वते विस्तीर्यते ज्ञानं अनेन इति तन्त्रम’ अर्थात् जिस क्रिया से ज्ञान का विस्तार किया जाता है वह तन्त्र है। परम कारुणिक परमात्मा ने जगत के कल्याण के लिए ‘तन्त्र शास्त्र’ का प्रवर्तन किया-यह सर्वशास्त्र सिद्ध है। गौतमीय तन्त्र में तन्त्रावतार का प्रयोजन बतलाते हुए कहा गया है कि-ब्रम्हा जी ने शिव से प्रार्थना पूर्वक कहा कि-हे प्रभो! आपने भोग और मोक्ष प्रदान करने हेतु तंत्र शास्त्रों का कथन किया है, जिसे जानकर देव, दानव और नर सिद्ध बन जाएंगे तो वे प्रभु का स्मरण कैसे करेंगे? तब शिवजी ने मंदर पर्वत

पर अनेक ऋषि मुनियों को बुलाकर उनके साथ दैत्यों को मोदित करने के लिए विविध शास्त्रों का कथन किया। सर्वप्रथम ‘शैव तन्त्र’ एवं ‘पाशुपत तन्त्र’ आदि का कथन किया और उसकी साधना से वे मुनी गण ज्ञान विज्ञान संपन्न होकर तन्त्र शास्त्रों के विभिन्न संप्रदायों का प्रवर्तन करने में सशक्त हुए। उन्हीं में चारवार्क जैमिनी आदि ने निरीश्वरवाद का भी प्रचार किया तब-

तत्रैयवाहम् महामंत्रान् संदुष्य दोषविस्तरैः।

कृतवान् तन्त्रविस्तारम् ससंदेह पदान्वितम्॥

अर्थात् ‘ईश्वर को नहीं मानने वाले वाद का जब प्रचार होने लगा तो ब्रम्हा जी के वचनों का स्मरण करके भगवान शिव ने तंत्र शास्त्रों को उलट पुलट करके दोषों का विस्तार कर दिया और तन्त्रों का भी इतना विस्तार कर दिया जिससे लोगों में संदेह उत्पन्न हो जाए।’ यही कारण है कि तन्त्र शास्त्रों के मर्म का ज्ञान गुरुकृपा के बिना सुलभ नहीं होता। तन्त्रों में प्रत्येक विषय इतनी विविधता से बतलाया गया है कि उसे देखते ही सामान्य व्यक्ति उसे करने के लिए उतावला हो जाता है। किन्तु इसके बीच में कुछ ऐसी क्रियाओं के निर्देश गुप्त रहते हैं कि जिन पर गंभीरता से विचार करने पर कुछ भी समझ में नहीं आता।

तन्त्रों के रचना काल में ईश्वर, धर्म-दर्शन, उपासना, आर्युवेद, ज्योतिषयोग आदि विषयों का प्रवाह पर्याप्त प्रगति पर था, इसीलिए इन विषयों को ही प्रधानता देकर सर्व साधारण के कल्याण का पथ इनमें प्रशस्त किया गया है। तन्त्र साधना में ‘आभयन्तर’ और ‘वाह्य’ दोनो ही प्रकारों से पात्रता प्राप्त की जाती है। पहले बाहरी सोपानों को पार करने के लिए श्रद्धा, विश्वास एवं ज्ञान की अपेक्षा रहती है। जिस साधना को हम करना चाहते हैं उस पर हमारी पूर्ण ‘श्रद्धा’ होनी आवश्यक है। ‘तन्त्र साधना के बारे में संस्कृत साहित्य में उल्लेख मिलता है कि यह मार्ग उत्तम है, शास्त्र विहित है, यह विधिवत है, इस पर प्रयास करना व्यक्ति के हित में है।’ इस प्रकार के विचारों से मन, चल-विचल नहीं होगा और किसी के बहकावे में नहीं आएगा तथा कठिनाई का सामना करने से हिचकेंगा नहीं। ‘विश्वास’ ही नल देता है। ‘विश्वासः फलदायकः’ यह उक्ति प्रसिद्ध ही है। “यह जो मैं करना चाहता हूँ, यह सच्चा मार्ग है, मेरे द्वारा किया गया प्रयास अवश्य ही सफल

शोध छात्र, संस्कृत विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना

होगा, पूर्व महर्षियों ने इस विद्या के बिना किसी छल अथवा स्वार्थ के इसका मार्ग प्रकाशित किया है, यह प्रभु इष्ट देव की आराधना से परिपूर्ण है तथा कल्याण का मार्ग है। इस प्रकार के दृढ़ विश्वास हो जाने पर निर्भिकता आती है, विघ्न बाधाओं से मन विचलित नहीं होता और कर्म करने में शिथिलता भी नहीं आती। तीसरी बात है 'ज्ञान' की। जिस क्रिया को करना है उसके पूर्व विषयों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। अज्ञानावस्था में किये जाने वाले प्रयास 'अंधेरे में हाथ फैलाने जैसा' है।

प्रारम्भ में तन्त्र विद्या को गुप्त रखने का ही निर्देश था। गुरुजन शिष्य की अनेक प्रकार से परीक्षाएं लेकर क्रमशः अपने पास रखकर ही इस विद्या का ज्ञान देते थे। शिष्य में धैर्य, साहस, शक्ति, परम्परा का ज्ञान आदि को परख कर आत्म कल्याण और लोककल्याण के लिए तन्त्र साधना के रहस्य बतलाये जाते थे। परिस्थिति और उसकी आवश्यकता को देखकर, बहुत आवश्यक होने पर ही शिष्य गुरु की आज्ञानुसार प्रयोग करते थे। असमय में छोटी-सी बात पर उग्र हो जाने अथवा प्रतिपक्षी के सामर्थ्य का ज्ञान किये बिना उतावले में प्रयोग करना शास्त्रों में पूर्णतः निषिद्ध है। इसलिए बहुत सोच समझ कर तन्त्र के प्रयोग करने चाहिए। 'यद्यंकडे मधु विन्देत तत् कथं पर्वतं ब्रजेत्'-यदि अपने पास में ही मधु- शहद मिल जाए तो फिर पर्वत पर चढ़कर मधुमक्खियों के छते को छेड़ना कोई आवश्यक नहीं होता। इस न्याय-वाक्य को ध्यान में रखकर ही जहां तक बने ऐसे हानिकारक और पुण्य को क्षय करने वाले प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे बाहरी पात्रता के और भी प्रकार हो सकते हैं, जिन्हें हमें अपने विवेक से पहचानना और उस पर विचार करना चाहिए।

आभ्यंतर प्रकारों से पात्रता प्राप्त करने के लिए साधना करने में प्रवृत्त होने से पहले हमें उस धारा में करने योग्य कर्म करते रहना चाहिए। तन्त्र शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि - नित्य नैमित्तिकयोः पूर्तो काम्य कर्म विधीयते। अर्थात् नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्मों की पूर्णता होने पर ही काम्य कर्म करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि-जो नित्य कर्म नियमित करता है, उसे नैमित्तिक कर्म करने का अधिकार मिलता है तथा जो नित्य एवं नैमित्तिक कर्म नियमित करता है उसे काम्य कर्म सम्पादन का अधिकार होता है। यह अधिकार निश्चित ही सबको सरलता से नहीं मिल जाता। इसके पीछे बहुत से और भी कारण रहते हैं जिनमें कुछ तो मुख्य हैं और कुछ गौण हैं। मुख्यतः तन्त्र-साधना करने वाले साधक को नित्य कर्म की दृष्टि से आचार और विचारों से पवित्र रहते हुए अपनी परंपरा के अनुसार पवित्रता से स्नान, संध्या, देवपूजन, स्तुतीपाठ आदि करते रहना आवश्यक है। अपनी मर्यादा में रहते हुए शास्त्रों की आज्ञा का पालन करना धर्म मार्ग की पहली सीढ़ी है। इसमें प्रातः शैय्या से उठते ही गुरु-स्मरण, इष्ट देव- स्मरण, भूमी-वंदन, करतल-दर्शन करके भूमि पर दाहिना पैर रखना चाहिए। तत्पश्चात् दैनिक क्रिया करना चाहिए। शौचादि के समय शुद्धता हेतु हाथों को शुद्ध करने दंत मंजन आदि करना चाहिए और इष्ट मंत्र से अभिमंत्रित जल से स्नान करना चाहिए। शुद्ध धुले हुए किन्तु बिना सिले हुए, यथा संभव रेशमी वस्त्र धारण करके पूजा गृह में जाना चाहिए। प्रवेश से पूर्व द्वार के दोनों ओर तथा ऊपर स्थित देवताओं की पूजा करके प्रवेश करना, आसन की भूमि को पवित्र करके वहां जल से त्रिकोण बनाकर प्रणाम करना और आसन विछाकर संध्या करना तथा गायत्री जप द्धनिश्चित संख्या

में, तत्पश्चात् तांत्रिक संध्या और इष्टमंत्र का जप करना चाहिए। हजारों वर्षों से चली आयी इन क्रियाओं में बहुत संकोच एवं विस्तार होते रहे हैं। सम्प्रदाय-विशेष के आधार पर बहुत से परिवर्तन भी होते रहे हैं। अब तो ऐसी स्थिति आ पहुंची है कि वास्तविक करणीय कर्म उपेक्षित हो गये हैं और गौण कर्मों की प्रधानता हो गयी है। इनसे बचने का एक मात्र उपाय रह गया है, और वह है 'गुरु की आज्ञा'। यह भी विचारणीय है कि परिवारों के विखराव तथा नास्तिकता के व्यापक प्रभाव से आजकल की मर्यादाएं, परंपराएं भी लुप्त होती जा रही है। जाति, गोत्र आदि भूल रहे हैं और कर्म-साधना का प्रमुख आधार यज्ञोपवीत एवं शिखा धारण भी छोड़ रहे हैं। साधना करने वाले के लिए धोती पहनना, शिखा रखना, यज्ञोपवीत धारण करना, भस्म-तिलकादि से अंग-विभूषित रखना आदि आवश्यक है।

समस्त तन्त्र की साधनाओं के मूल्य में गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा, भक्ति और कृतज्ञता भाव के बिना कितना ही प्रयास करें, फलता दूर ही रह जाती है। गुरु का महत्व सर्वोपरी है जब भी साधना, पूजा, तप आदि आरंभ कर रहे हों, तब गुरु वंदन इस पद्य से करना चाहिए।

*आनंदमानन्दकरं प्रसन्नं, ज्ञान-स्वकं
निज-बोधकम्।*

*योगिन्द्रमीउचं भवरोगवैद्यं, श्रीमद् गुरुं
नित्यमहं स्मरामि॥*

प्रत्येक मंत्र जप से पूर्व 108 बार 'ओम् गुं गुरुभ्यो नमः' इस मंत्र का जप करना चाहिए। इससे गुरु, परम गुरु और परमेष्ठी गुरु प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं जिससे साधना का मार्ग प्रशस्त हो पाता है।

साधना में विघ्न भी बहुत आते हैं। कहा भी गया है कि-'श्रेयस्सु बहु

विध्वानी' अर्थात् कल्याणमय कार्यों में बहुत विधन आते हैं। अतः विधन-विनाशक भगवान् गणपति का स्मरण भी 108 बार अवश्य करना चाहिए। इसके 'ओम गण गणपतये नमः' यह वह मंत्र है-जिस साधक को गुरु द्वारा मंत्र की दीक्षा नहीं मिली हो, उसके लिए यह सरलतम सोपान है। गुरु और गणपति के स्मरण से मूल मंत्र में चेतना आ जाती है तथा कोई साधना में त्रुटि रह जाती है तो उसका परिमार्जन भी इनकी कृपा से हो जाता है। जिस कार्य की साधना करनी हो, उसके मंत्र का ग्रहण वस्तुतः गुरु द्वारा ही किया जाना उचित माना गया है। यदि उचित समय पर गुरु की प्राप्ति नहीं हो, तो भगवान् शिव की पूजा करके उनके समक्ष वह मंत्र एक पान पर शहद अथवा केसर चंदन से लिखकर अर्पित करना चाहिए। तब भगवान् से प्रार्थना करना चाहिए-"हे प्रभु! आप समस्त आगम-निगमों के प्रकाशक परम गुरु हैं। मैं अपने कार्य की सिद्धि के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहता हूँ। मुझे अपना शिष्य बनाकर यह मंत्र प्रदान कीजिए।" और-

*कार्पण्यदोषोपह त स्वभावों, याचे*हं
त्वाम् धर्मसम्मूढचेताः।*

*यच्छ्रेयः स्मान्निश्चितं ब्रूही तन्मै
शिष्यस्ते*हं शाधि मां त्वां प्रपन्नं॥*

यह बोलकर भगवान् भोलेनाथ मंत्र दे रहे हैं इस भावना के साथ वह मंत्र लिखा हुआ पान लेकर और प्रणाम करके उसे खा जाना चाहिए। यह 'शाम्भव-

दीक्षा' का लघुक्रम है। तत्पश्चात् आचमन और प्राणायाम करके एक माला उस मंत्र का जप करना चाहिए। इससे जप का अधिकार प्राप्त हो जाता है, ऐसी शास्त्राज्ञा है।

तंत्रों में विधि की प्रधानता पर बहुत बल दिया गया है। विधि की अपूर्णता, सम-विसमता, न्यूनाधिकता अथवा क्रम-विपर्यता आदि से दोष हो जाता है। कार्य फल नहीं होते तथा शरीर और मन में विकार आने लगते हैं। अतः पूरी विधि समझकर कर्म करना चाहिए। उस काल में जिन-जिन कर्मों का निषेध किया गया है उनका भी पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए।

यह कदापी नहीं भूलना चाहिए कि-जिस विधि ग्रन्थ के आदेशानुसार फल प्राप्ति के लिए जपादि कर्म किया जा रहा है वह हमें मिल जाए किन्तु उनकी उपेक्षा अथवा परित्याग से निषिद्ध कर्म करने पर हमें उनका फल न भोगना पड़े। क्योंकि जो शास्त्र हमें अच्छे ढंग के प्रति उत्सुक करते हैं वे ही उनके साथ नहीं करने योग्य बातों को भी बताते हैं। तब लाभ वाला भाग मेरा और नुकसान वाला मेरा नहीं यह कभी नहीं होगा। अतः आज्ञाओं का पूरा पालन करना चाहिए।

तन्त्र विद्या अत्यन्त प्राचीन और प्रामाणिक विद्या है। चारों वेदों में कर्म साधक मंत्रों का विस्तार है। उनमें भी 'अथर्ववेद', ऐहीक और पारलौकिक पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए अनेक विद्या तांत्रिक कर्मों का निर्देश करता है,

किन्तु इन कर्मों के निर्देश का कारण किसी का उपकार करना नहीं था अपितु 'यज्ञ-यागदी कर्मों में भूत-पिशाचादि के द्वारा होने वाले उपद्रवों से रक्षा के लिए ये कर्म होते थे। अथर्ववेद के, 1-कौशिक, 2-वैतानस, 3-नक्षत्र, 4-आंगीरस-कल्प और 5- शातिकल्प गोपथ ब्राम्हण के अनुसार तंत्र के भी मार्ग दर्शक हैं।

भारतीय तंत्र विद्या का स्वतंत्र चिन्तन सिद्धिर्षियों ने बड़ी सूक्ष्मता से किया है। उदाहरणार्थ, अगस्त्य महर्षि का 1. शक्तितंत्र, जिसमें 32 प्रकार की प्रकृति से प्राप्त होने वाली शक्तियों का निरूपण था। 2. अंशुबोधिनी-महर्षि भारद्वाज रचित, इसमें ग्रह तथा सूर्य किरणों के द्वारा विभिन्न शक्तियों के उत्पादन का निर्देश था। 3. सौदामिनी कला-मातंग महर्षि का यह ग्रंथ नादलहरी तथा प्रकाश लहरी, अदृश्य दर्शन आदि का वर्णन करता है। 4. वैश्वानर तंत्र नारद कृत। 5. वायु तंत्र-शाकटायन कृत। 6. दिव्यसृष्टि-दलादन ऋषि कृत। 7. धूम्र प्रकरण (नारद)। 8. लोहतंत्र (शाकतयन)। 9. यंत्र सर्वस्व (भारद्वाज)। 10. धातुवाद (बौधायन)। 11. मेघोत्पत्ति (आंगिरस)। 12. परकास प्रवेश (बालखिल्य) आदि अनेक ग्रंथ लिखे गये थे जो आज अनुपलब्ध हैं।

संदर्भ

1. दत्तात्रेय तन्त्र-योगीराग यशपाल जी
2. दत्तात्रेय तन्त्रम्-आचार्य पंडित शिवदत्त मिश्र शास्त्री
3. दत्तात्रेय तापिनी उपनिषद्
4. श्री गुरु चरित्र-सरस्वती गंगाधर



संस्कृत साहित्य में पर्यावरण का महत्व

डॉ. कुमारी संगीता

संस्कृत न केवलं भारतस्य अपितु निखिल संसारस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। अस्मिन् विषये नाऽस्ति कश्चित् विरोधः। वेदाः पृथिव्याः सर्व प्राचीनतया ग्रन्थाः। वेदास्तु संस्कृत भाषायामेव विलिखिताः। अतः अत्र विचारणीयमस्ति यत् वेदेषु पर्यावरणस्य चर्चा अस्ति नास्ति वा। यदि वेदेषु पर्यावरणस्य चर्चा अस्ति तदा निर्भ्रान्ततया इदं वियाप्यायते यत् पर्यावरण विषये अस्माकं पूर्वजाः अतीव सचेष्टाः आसन्। पर्यावरणस्य महत्त्वं ते पूर्वरूपेण अनुभवन्ति स्म।

‘पर्यावरणम्’ शब्दः ‘परि’ उपसर्गकः ‘आ’ उपपदात् ‘वृञ्’ वरणे’ धातौ ‘ल्युट्’ प्रत्ययात् (परि + आ + वृञ् + ल्युट्) निष्पन्नः अस्ति। अनेन अस्य निर्वचनम् ‘परितः आवृजते जीवो येन तत् पर्यावरणम्। वयं सर्वे यैः तत्त्वैः यैर्कारकैर्वा आवृताः सन्ति तानि सर्वाणि पर्यावरणमेव। पशु-पक्षी-कीट-पतङ्गाः, वृक्ष-लता-जल-वायवः, सर्वे स्थावर-जङ्गमाश्च पर्यावरण संघटकाश्च।

परञ्च साम्प्रतं वैज्ञानिक दृष्टिकोणे मुख्य रूपेण प्रकृतिरेव पर्यावरणं नामोच्यते। प्राचीनकाले प्रकृतिः अत्यन्त-पवित्रतमा आसीत्। ‘प्रकर्षा कृतिः प्रकृतिरिति’ अस्य निर्वचनम्। प्रकृति-पुरुषः परस्परः साम्यः। का प्रकृतिः कः पुरुषः अन्योन्याश्रयः। पुरुषः ईश्वरः ब्रह्मइति। अतः प्रकृतिः तत्सारूप्यम्-ब्रह्मैव। वस्तुतः पञ्च तत्त्वानि (क्षितिः, जलं, पावकं, गगनं, समीरम्) एव ब्रह्म। अतः एषां रक्षा अनिवार्या।

वायुः पर्यावरणस्य प्रथमं कारकम्। को वायुः अस्य किञ्च महत्त्वं वयं सर्वे पूर्ण रूपेण जानीमः। वायुरेव प्राणाः। प्राणवायुः इत्यभिधानम्। वस्तुतः वायुः न केवलं माननां, कीट पतङ्गानां जीवनं अपितु सर्वाणां जङ्ग-चेतनानां जीवनम्। ब्रह्मणः उत्पत्ति कारणं एव वायुः।

ऋग्वेदस्य एकादऽनुवाके त्रयोविंशति संख्यकानि सूक्तानि। अस्य परमेष्ठी नाम प्रजापतिः ऋषिः। वियदादि भावानां सृष्टि-स्थिति प्रलयादीनामत्र प्रतिपादत्वात् तेषां कर्ता परमात्मा देवता। अत्र कथितं नासदीये -

नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं
नासीद्रजो नो व्योभा परोयत्।
किमावरीवः कुह कस्य शर्म
नभः किमांसीद्गहनं गभीरम्॥
न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि
न रात्र्या अहं आसीत्प्रकेतः।
आनीदवातं स्वधया तदेकं
तस्माद्भान्यन्न परः किं च नास।।
तम आसीत्तमसा गूक्हमग्रे
ऽप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम्।
इयं विसृष्टिर्यत आबभूव
यदि वा दधे यदि वा ना।
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योम
न्त्सो अङ्गवेद यदि वा न वेद॥

ऋग्वेदः सर्वेषु वेदेषु प्राचीनतमः। अत्राऽपि पर्यावरणस्य महत्त्वं प्रतिपादितम्। “आसीदवातं स्वधया तदेकं ” मन्त्रेण ध्वन्यते यत् पञ्च तत्त्वानि एव अस्माकं सृष्टेः कारणानि सन्ति। अद्य न केवलं अस्माकं सर्वकारः अपितु सम्पूर्णं विश्वं पर्यावरण रक्षणाय, प्रदूषण दूरीकरणाय च चिन्तितोऽस्ति। सम्प्रति विश्वस्य सर्वे विद्वान्सः बुद्धिमन्तः वृक्षाणामावश्यकता अनुभवन्ति। परञ्च इयमवधारणा न केवला वर्तमाना अपितु अस्माकं ऋषय वेदमन्त्रेषु वृक्षेभ्यः मुहुर्महुः नमस्कुर्वन्ति।

यथा- नमोवृक्षेभ्यः (यजुर्वेद 16-17)

ओषधीनां पतये नमः (यजुर्वेद 16-16)

अरण्याणां पतये नमः (यजुर्वेद 16-20)

नमो वन्याय च (यजुर्वेद 16-34)

संसारस्य समस्त पदार्थेषु चेतना साक्षात्कार कर्तारः भारतीय मनीषिणः प्रकृतिं प्रति अतीव उदारः आसन्। तेषां हि अति सूक्ष्मतमायां दृष्टौ प्रकृतिः सजीवतायाः साक्षात् प्रतिमूर्तिरस्ति। संस्कृत साहित्ये प्रकृत्या सह अस्माकं सम्बन्धः न केवलं

वाह्य अपितु आभ्यन्तरिकः। यथा अस्माकं हृदि माता-पिता-पुत्री-भगिनी-सखा-बन्धूनां स्थानं तदैव प्रकृत्यारपि स्थानम् -

आञ्जनागन्धिं सुरभिं बहून्नाम कृषीवलाम्।

प्राह मृगाणां मातरं अरण्यामनिम शंस्तिम्॥

(यजुर्वेद 10-146-05)

अस्मिन् समये सर्वकारः पर्यावरणस्य महत्त्वं प्रतिपादयन् 'विश्व पर्यावरणः दिवसः' उत्सव रूपेण प्रकाशयति। वृक्षारोपणं प्रत्येके विद्यालये, महाविद्यालये, ग्रामे, नगरे, संस्थाने वा क्रियते। अस्य प्रचार-प्रसाराय च कोटि-कोटि रूप्यकाणि सर्वकारेण इतस्ततः विभज्यते। परञ्च सर्वकारः यदि अस्माकं ऋषीणां वचनानि पूर्वं एव अनुभवति तदा अभद्रा एतादृशी दशा न आयाति।

यथा-

मधुमान्नो वनस्पतिः (ऋग्वेद 01-90-08)

माध्वीर्नः सन्त्वोषधी (यजुर्वेद 13-27)

सुमित्रायाः न आपः ओषधयः सन्तु (यजुर्वेद 36-27)

ओषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति (यजुर्वेद 36-17)

भारतीय संस्कृतौ वृक्षारोपणं कार्यं अतीव पुण्यकरं मन्यते। एकस्मिन् मंत्रे तु स्पष्ट निर्दिष्टमस्ति यत् वृक्षारोपणं अवश्यमेव करणीयम्। कदापि वृक्षाणां हिंसा न कार्या। यथा -

वनस्पतिं वन आस्थापयध्वम्। (ऋग्वेद 10-101-11)

पुनश्च - याऽपौयौषधी हिंसी। (यजुर्वेद 6/12)

अत्र का हिंसा वृक्षाणाम् ? इतिजिज्ञासायां वृक्षाणां कृन्तनं एव वृक्षाणां हिंसा। वैदिक काले सर्वत्र यज्ञस्य महत्त्वं दृश्यते। यज्ञे होमः क्रियते। होमः प्रायः सर्वासु वैदिक क्रियासु अनिवार्यः। होमस्य किं महत्त्वम्? होमे विविधानि काष्ठानि घृतं च प्रयुज्यन्ते। अथर्ववेदानुसारे पर्यावरण रक्षणाय होमः अत्यावश्यकः। होमात् निसृतः धूमः पर्यावरणं शुद्धं करोति। पर्यावरणे जीव जन्तुभिः मलमूत्रादि विसर्जनेन अनेक प्रकारकाणि प्रदूषणानि भवन्ति। जल प्रदूषणं, वायु प्रदूषणं तु निश्चितमेव भवति। भूमिपतितैः वृक्ष-लता-गुल्म पत्रादिभिश्च अतिभयंकरं प्रदूषणं भवति। अनेके कृमयः पर्यावरणे वायुमण्डले च जायन्ते शीर्षपत्रैः। अस्मत्कृते इमे कृमयः अतीव हानिकारकाः। तेषां दंशनैः स्पशैर्वा असाध्य रोगोपजायन्ते। अतः अति सूक्ष्म कृमिभिः शरीर रक्षणाय होमात् परं उत्सर्जिताः धूम्राः लाभकराः रोगनिवारकाः च भवन्ति।

यथा-

यज्ञ धूमस्य संपर्कात् दिशो भान्ति गतज्वराः। (शतपथ ब्राह्मणे)

पुनश्च - घृताहिवनः दीदिवः प्रतिष्भ।

रिसता दह्यग्ने त्वं रक्षस्वनः॥ (ऋग्वेद)

अपि च - पञ्चराज्यानि वीरुथाम सोम श्रेष्ठ निब्रुमः।

दर्भा भंगो यवः सहस्ते नो मुञ्चत्वं हसः॥

(अथर्व 11-06-15)

पुराणकालेऽपि वृक्षाः पूजनीयाः सन्ति। पूजायाः कारणं न केवलं भगवतभक्तिः अपितु पूजा व्याजेन पर्यावरण शुद्धि रोगनाशः एव मूल कारणं प्रतिभाति। यथा-

आदौ सर्ववृक्षमयं पूर्वं विश्वमजायत।

एते वृक्षाः महाश्रेष्ठाः सर्वे देवांश संभवः॥

(स्कन्द पुराण)

एकोहरिः सकलवृक्षगतो विभाति,

नाना रसैस्तु परिभावित मूर्तिरिव।

वृक्षाधिवासमगमत कमला च देवि

दुःखादि नाशकरी सततं स्मृताऽपि॥

(स्कन्द पुराण 6/247/21-22/224/9)

पद्मपुराणे यथा-

यः पुमान रोपयेत् वृक्षान् छाया पुष्प फलोपमान्।

सर्व सत्वोपयोगाय स याति परमां गतिम्॥

भारतवर्षे प्रायः सर्वेषु सनातन धर्मावलम्बीनां गृहेषु नार्यः वृक्षाणां पूजा करोति। स्कन्द पुराणस्य षष्ठे अध्याये वृक्षारोपण प्रसंगे निम्नोक्त वृक्षाणां पूजा अनिवार्या। अहं स्पष्टमेव कथयामि यत् ये न वृक्षपूजकाः ते भारतीयाः न। द्रष्टव्यमस्ति अधः - अश्वत्थः-

अश्वत्थं रोपयेद यस्तु पृथिव्यां प्रयतो नरः।

तस्य पाप सहस्राणि विलयं यान्ति तत्क्षणात्॥

स्कन्द(ना0) 6/247/38

पलाशः - पलाशः सर्वदेवानां आधारो धर्म साधनम्।

यत्र लोकस्तु तस्य स्यात्तत्र पूज्यो महातरुः॥

स्कन्द 6/248/7

तुलसी- तुलसी रोपिता येन गृहस्थेन महाफला।

गृहे तस्य दारिद्र्यं जायते नात्र संशयः॥

स्कन्द 6/249/1

बिल्व वृक्ष -

अयं बिल्वतरुः श्रेष्ठः पवित्रा पाप नाशनः।

तस्य मूले स्थिता देवी गिरिजा नात्र संशयः॥

स्कन्द 6/251/14

धात्री - सर्वदेवमयी धात्री वासुदेवमनः प्रिया।
आरोपनीया सेव्या च पूजनीया सदा नरैः॥
स्कन्द(वै०) 12/13

वटवृक्ष - अमरस्त्वं कदाकल्पो हरेश्चायतनं वटः।
न्यग्रोध हर मे पापं कल्पवृक्ष नमोऽस्तुते॥
ब्रह्मपुराण 58/14

महाकवेः कालिदासस्य अति प्रशस्ता कृतिः 'रघुवंशम्' अस्ति। अस्य काव्यस्य द्वितीय सर्गं राज्ञः दिलीपस्य गोचारण-वर्णनं अस्ति। भारते गौः विशेष पूज्या अस्ति। गौः न केवला दुग्धदायिका। अस्याः मल-मूत्रे कृमेः नाशस्य अतुला, अवर्णनीया शक्तिः वर्तते। अनेनैव कारणेन राज्ञा दिलीपेन गोचारणं स्वीकृतम्। गोः दुग्धं संतानोत्पादिका शक्तिः धारयति। अतएव स्वप्राणान् दत्त्वाऽपि गो रक्षा, गो सेवा च राज्ञे दिलीपाय अतीव हितकरा प्रतिभाति। अत्रैव वृक्षाणामपि महत्त्वं दरिदृश्यते। वने एकः देवदारुः नामकः वृक्षः अस्ति। माता पार्वती इमं देवदारुं पुत्रवत् पालयति स्म। गतायां पार्वत्यां तस्य रक्षणाय एकं सिंहं निरूपितवान्। भगवता शिवेन। यदा नन्दिन्या विघूर्णीकृता देवदारोः त्वक् तदा सिंहः क्रोधितोभूया हन्तुं मिच्छति नन्दिनीम्। एतदवसरे सिंहः दिलीपं कथयति -

अयुं पुरः पश्यसि देवदारुं
पुत्रीकृतोऽसौ वृषभध्वजेन।
यो हेमकुम्भस्तन निस्तृतानां स्कन्दमातुः पयसां
रक्षः। (रघुवंश 2/36)
महाभारतेऽपि पर्यावरण रक्षणाय वृक्षाणां
महत्त्वं दृश्यते।

यथा हि - एकोवृक्षो हि यो ग्रामे भवेत् पर्ण फलान्वितः।
चैत्योभवति निर्जाती रूपनीयः सुपूजितः॥
(महाभारत आदिपर्व 138/25)

पर्यावरण रक्षणाय नदीनामहत्त्वम् - भारते प्रायः सर्वत्र हिन्दूनांकृते पर्यावरण रक्षणाय नदीनां महत्त्वं दृश्यते। पूजा प्रत्येकेषां भारतीयानां प्रायः दैनन्दिनी कार्यं विधते। पूजाऽऽरम्भ काले सर्वप्रथमं नदीनां स्मरणं क्रियते। स्नानकाले तु नदीनां स्मरणं प्रायः प्रत्येक भारतीयः कुर्वन्ति। द्रष्टव्योऽस्ति अयं श्लोकः -

गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती।
नर्मदे सिन्धुकावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु॥

पर्यावरण कारकेषु नदीनां जलधारणां, पर्वतानाञ्च च महत्त्वं सर्वविदितम्। वैदिककालात् प्रभृतिः आधुनिककालं यावत् एतेषां

कारकानां महत्त्वं निस्संदिग्धम्। वेदेषु च स्पष्टं निगदितं यत् नदी संगम तटेषु ज्ञानिनां बुद्धिरूप जायते। उक्तं च ऋग्वेदे -
उपगह्वरे गिरीणां संगमे च नदीनां।

(ऋग्वेद 8/6/24)

धियो विप्रोऽजायत्॥ (यजुर्वेद 26/15)

महाभारतस्य शान्ति पर्वणि भगवता व्यासेन स्पष्टं उक्तं यत् पर्यावरण संरक्षणं दृष्ट्या तडागानां निर्माणं, वृक्षाणां रोपणं, नदीनां सेवनं, जलाशयानां पवित्रीकरणं पुण्यकरं कार्यं विद्यते। यथा हि -

तस्यात्रडागं कुर्वीत आरामाश्चैव रोपयेत्।

(शान्ति पर्व 58, 32)

विवाहकाले प्रायः सर्वत्र वर वहवोः आशीर्वाद काले सुमंगली पाठः क्रियते पुरोहितैः विद्वद्भिश्च। गिरि-वृक्ष-नदीनां स्मरणं दम्पत्याः चिरजीवनाय क्रियते-

सा चन्द्रभागा वरुणात्वसी नदी,

कुर्वन्तु वः पूर्णं मनोरथं सदा॥

पर्यावरण संरक्षकाः पर्वताः - पर्वतारपि पर्यावरण रक्षार्थमेव निर्मिता विधात्रा। पर्वताः प्रकृतेः बहुमूल्या निधिः। पर्वत स्कन्धे, अधित्यकायां उपत्यकायां वा विशालानि-विशालानि वनानि भवन्ति। पर्यावरण-संशुद्ध्यर्थं सर्वोत्तं साधनानि सन्ति। संस्कृतस्य सर्वे प्राचीन कवयः नाटककाराः वा स्वस्मिन् काव्ये पर्वतानां वर्णनम् अत्र विस्तार पूर्वकं कृतवन्तः सन्ति। अस्मिन् सन्दर्भे दर्शनीयोऽस्ति महाकवेः महानाटककारस्य वा कुमारसंभवस्य वस्तु निर्देशात्मकं मङ्गलाचरणम्-

अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम
नगाधिराजः।

पूर्वाऽपरौ तोयनिधौवगाह्य स्थितः

पृथिव्यामिवमान दण्डः॥

(कुमारसंभवम् 1-1)

देवो दानात् दीपनात् द्योतनात् वा। देवसम्बन्धिनो निरुक्तकारस्य इदं निर्वचनं प्रशस्तम्। हिमालये देवानां वासः अस्ति। स्वयं देवाधि-देवस्य शिवस्य वासः हिमालयः एव। हिमालयः न केवलः हिमवान् रूपेण ख्यातः अपितु अस्य उपत्यकायां वनानि सन्ति। उपत्यकायां च दिव्य औषधीयाः वनस्पतयः। कथ्यते हिमालय विषये यत् अयं पृथिव्यां स्वर्ग तुल्यः अस्ति। रोगिणो अत्रागत्य रोग विमुक्ताः भवन्ति। मानसिक विक्षिप्ताः नरोऽपि स्वास्थ्यं लभन्ते। कुष्ठरोगग्रस्तो अचिरं स्वस्थं भवति। अतएवोक्तम्-

यं सर्वशैलोऽपि परिकल्प्य वत्सं मेरौस्थिते
दोग्धरि दोहदक्षे।

भास्वन्ति रत्नानि महौषधीश्च पृथूपदिष्टां
दुदुहुः धरित्रीम्॥ (कुमारसंभवम् 1-2)

हिमालयस्य स्थानं भारते विष्णुरूपात्मकं मन्यते। यथा विष्णुः
कल्याण कारकः शान्तिदायकः तथैव हिमालयोऽपि। मुख्यतया
भारत भू भागस्य समग्रं पर्यावरणं हिमालय पर्वतमालाभिः
प्रभावितं भवति। भारतीय जलवायूनां नियमने हिमालयस्य महती
भूमिका अस्ति। एकतः यत्र शीतकाले एशियातः आगन्तारं
शीतवायुं रुणद्धि, येन शीतर्तौ अपि तापमानं न्यूनाधिक्यं न
प्राप्नोति। शीतवायुः सर्वेभ्यः प्राणिभ्यः प्राणघातकः भवति।
परञ्च ग्रीष्मर्तौ तु अयमेव हिमालयः वर्षोपकारकः भवति।
अतएव निगद्यते कविना कालिदासेन -

तिर्यगूर्ध्वमधस्ताच्च व्यापको महिमा हरेः।

त्रिविक्रमोधतस्यासत्सि तु स्वाभाविकस्तव॥

(कुमारसंभव 6-71)

हिमालयः पर्यावरणं रक्षकः, संशोधकः, औषधीय वनस्पतीनां
निधिः देवानां अधिवासः कथ्यते। एषां मूलः अत्रत्यः
स्वच्छवायुरेव। अत्र भ्रमणमात्रेणैव रोगाः पलायन्ते। अतएव
हलायुधकोषे कथितम् -

फल पाकावसानास्तु बुधैरोषधयः स्मृताः (इलायुधकोष)

पुनश्च - पृक्तस्तुषारै गिरि निर्झराणां

अनोकहा कम्पित पुष्पगन्धिः।

गङ्गा प्रपातान्तं विरूदशष्णं

गौरी गुरोर्गह्वर माविवेशः॥ (रघुवंश 2-6)

एवं विधः सम्पूर्णं संस्कृतं वाऽमये वयं पश्यामः यत्
पर्यावरण परिशुद्धयर्थं अस्माकं ऋषयः, मुनयः कवयः सुचिन्तका
सर्वे प्राचीनकालात् एव अतीव सचेष्टा आसन्। नद्यः, गिरयः न
केवलं आनन्दवर्द्धकाः अपितु मुख्यरूपेण पर्यावरण रक्षाकारेव।

सन्दर्भ

1. ऋग्वेद संहिता-दयानंद संस्थान
2. यजुर्वेद संहिता-दयानंद संस्थान
3. अथर्ववेद संहिता-दयानंद संस्थान
4. वाल्मीकि रामायण-गीता प्रेस, गोरखपुर
5. संस्कृत साहित्य का इतिहास-ए. वी. कीथ
6. संस्कृत साहित्य का इतिहास-वाचस्पति गैरोला
7. कालिदास ग्रन्थावली-अनु. श्री रामप्रताप त्रिपाठी
8. उत्तररामचरितम्-अनुवादक आचार्य प्रभु दत्त स्वामी
9. ऋक् सूक्त समुच्चय-डॉ. रामकृष्ण आचार्य
10. अभिज्ञानशाकुन्तलम्-अनुवादक डॉ. बाबू राम त्रिपाठी
11. पर्यावरण और संस्कृति का सकंट, प्रथम संस्करण, 1992
12. संस्कृति का दार्शनिक विवेचन, देवराज, हिन्दी समिति लखनऊ 1957
13. पर्यावरण प्रदूषण और हम, सुजाता विष्ट, तक्षशिला प्रकाशन नई दिल्ली 1990



आश्रम-व्यवस्था की उपादेयता

डॉ. इंदु कुमारी

“आश्रम्यन्ति अस्मिन् इति आश्रमः” अर्थात् एक ऐसा जीवन-स्तर, जिसमें व्यक्ति खूब श्रम करता है, वह भी एक व्यवस्थित ढंग से। समाज को सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित करने के लिए वर्णव्यवस्था एवं व्यक्ति के जीवन को संयमित, नियमित एवं गतिशील बनाने के लिए आश्रमव्यवस्था की योजना हमारी भारतीय संस्कृति की रीढ़ रही है। जीवन के चरम लक्ष्य ‘चतुर्वर्गफलप्राप्तिः’ अथवा अभ्युदय और निःश्रेयस् की प्राप्ति के लिए आश्रमव्यवस्था एक प्रकार की योजना कही जा सकती है। समयबद्ध, सहृदय होकर धर्मानुकूल आचरण करते हुए अपना लक्ष्य सिद्ध करना ही व्यक्ति का परम कर्तव्य है। आश्रम-व्यवस्था के अन्तर्गत प्राचीन ऋषियों द्वारा मानव जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर उसकी प्राप्ति के लिए जीवन के विभिन्न सोपानों का निर्धारण किया गया। उसी में पुरुषार्थचतुष्टय का भान कराया गया, जिसके आधार पर मनुष्य अवस्थाविशेषों में अपने जीवन का कार्यक्रम निश्चित कर लेता है। जिस प्रकार दैनन्दिनी चर्या में मनुष्य प्रातःकाल से ही एक कार्य से दूसरे कार्य को ग्रहण कर लेता है उसी प्रकार एक-एक कालावधि में धर्म का प्रतिष्ठान करते हुए मनुष्य अगले भाग का आधार बनता है और उसके पश्चात् भौतिक सुखों का आस्वादन करता है। फिर सभी भौतिक सुखों को त्याग कर अपने अन्तिम लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है और अक्षय शान्ति हेतु अनुष्ठान में संलग्न होता है।

सामाजिक-व्यवस्था व व्यक्तिगत-जीवन हिन्दू का पूर्णतया आध्यात्मिक है। जीवन के प्रारंभ से ही इस आध्यात्मिक जीवन की तैयारी चलती है। आश्रम-व्यवस्था के आधार पर जीवन के प्रत्येक भाग को नियमित किया गया है। अतः प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक अवस्था के और प्रत्येक अवसर के कर्तव्य इसमें निर्धारित हैं जिससे वह स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता। यद्यपि ‘स्वस्य च प्रियमात्मनः’ को भी महत्व दिया गया है। एक पीढ़ी का दूसरी पीढ़ी से विभाजन होता है। प्रथम पीढ़ी के व्यक्ति अपने कार्य संपन्न कर आने वाली दूसरी

पीढ़ी के लिए स्थान रिक्त करते हैं। इस प्रकार सभी सामाजिक प्राणी ‘जीवेम शरदः शतम्’ के समयानुसार एक निश्चित जीवन व्यतीत करते हैं। पूर्वकाल में इस विभाजन-व्यवस्था से न तो कभी वर्ग-असन्तोष उत्पन्न हुआ और न ही कभी वर्ग-संघर्ष। चूँकि वर्तमान में अब वर्णव्यवस्था और आश्रमव्यवस्था नहीं रही, व्यक्ति के अपने प्रति और समाज के प्रति कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं रहे, अतः वर्ग-संघर्ष उत्पन्न हो रहा है और समाज में भी अनेकों बुराईयाँ उत्पन्न हो गई हैं।

यद्यपि आश्रम-व्यवस्था को आज के सन्दर्भ में पूर्णतः प्रासंगिक सिद्ध कर पाना संभव नहीं है, तथापि स्मृतियों की आश्रम-व्यवस्था व्यक्ति के आध्यात्मिक लक्ष्य को लक्षित करने वाली है। यह व्यवस्था मनुष्य-जीवन के अन्तिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए दिशा-निर्देश करती है। इस व्यवस्था में कुछ ऐसे विवेचन अवश्य हैं जिनका यथोचित निर्वाह कर पाना आज सम्भव नहीं दिखता है। फिर भी यदि चारों आश्रमों के ऊपर गंभीरता से विचार किया जाए तो सम्भवतः वानप्रस्थ को छोड़कर अन्य सभी आश्रमों की प्रासंगिकता आज भी सिद्ध की जा सकती है। कुछ प्राचीन शास्त्रीय ग्रन्थ भी वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार नहीं करते, जिनमें याज्ञवल्क्यस्मृति भी शामिल है। अस्तु, मनु के अनुसार ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वाणप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम-व्यवस्था के यही चार मान्यक्रम हैं। इनमें से प्रत्येक में व्यक्ति दूसरे आश्रम में प्रवेश करने के लिए अपनी नैतिक, शारीरिक तथा मानसिक क्षमताओं का विकास करता है जिससे नये उत्तरदायित्व की पूर्ति में कोई कठिनाई न हो। यद्यपि जाबाल उपनिषद् में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि ब्राह्मण प्रथम आश्रम के उपरान्त सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकता है।¹

स्मृतिकारों के अनुसार मनुष्य जीवन में प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य का होता है जिसमें व्यक्ति गुरुकुल में रह कर विद्याध्ययन करता है।² स्मृति-ग्रन्थों में वेदों के अध्ययन पर विशेष बल दिया गया है, किन्तु आज के युग में वेदों के अतिरिक्त भी ज्ञान के अनेक शास्त्र विद्यमान हैं। फिर भी स्मृतिकारों ने ब्रह्मचर्य के लिए अध्ययन को जो सर्वप्रमुख माना है वह आज भी शत-प्रतिशत प्रासंगिक है। जीवन के प्रारम्भिक दिनों में उचित रीति से अध्ययन के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना सबके लिए नितान्त आवश्यक है।³ आज भी शिक्षा संस्थानों से हम बच्चों के अच्छे चरित्र-निर्माण की अभिलाषा करते हैं। अध्ययन की प्राप्ति के लिए गुरु के प्रति श्रद्धा-भाव का होना परम आवश्यक है।⁴ आज हम जिस रूप में छात्र-वर्ग में उच्छृंखलता देखते हैं उस का निराकरण तभी हो सकता है

जब छात्रों में गुरुओं के प्रति श्रद्धा-भावना जागृत हो। हाँ, यह भी सही है कि स्मृति-ग्रन्थों के अनुसार नैशिक ब्रह्मचारियों का होना आज सम्भव नहीं है जो जीवनपर्यन्त गुरुसेवा में लगे रहे। किन्तु, ब्रह्मचारियों के लिए जिन अन्यान्य कर्तव्यों का उल्लेख स्मृतिग्रन्थों में हम पाते हैं वे आज भी प्रासंगिक हैं। उन्हें इन्द्रियग्रही तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ, यदि उनके मन में देव, ऋषि और पितरों के प्रति श्रद्धा होगी तो निश्चित रूप से विलासिता के पदार्थों से दूर रहना चाहिए और सभी चीजों का त्यागपूर्वक उपभोग करना चाहिए। बच्चों के शीलनिर्माण हेतु ये कर्तव्य और आचरण उतना ही प्रासंगिक है जितना प्राचीन काल में था।

स्मृतिकारों ने गृहस्थ आश्रम के लिए जिन मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की है वे भी आज प्रासंगिक हैं। मनुष्य को धर्म, अर्थ और काम तीनों का समुचित रीति से उपभोग करना चाहिए। कहा गया है कि जो देवता, अतिथि, सेवक, पितर और आत्मा इन पांचों को अन्न नहीं देता है वह जीते हुए भी मरे हुए के समान है⁵, यह भी आज के लिए सत्य है। क्योंकि ऋषि, पितर, देवता, भूत और अतिथि ये सभी कुटुम्बियों से ही आशा करते हैं। इसलिए बुद्धिमान् गृहस्थी को यह करना चाहिए⁶ हाँ, जिस पञ्चयज्ञ का उल्लेख स्मृति-ग्रन्थों में मिलता है उसकी प्रासंगिकता आज सन्देह के घेरे में है। किन्तु माता, पिता तथा गुरु की भक्ति करने वाला गृहस्थ निश्चित रूप से उच्च आदर्शों वाला होगा। आज भी इनके आशीर्वाद से ही बच्चे फल को प्राप्त करते हैं। गृहस्थ के लिए धर्मपूर्वक धनोपार्जन करने, सत्यवादिता तथा आत्मतत्त्व के ध्यान में लीन रहने की जो बातें कही गई हैं वह

आज भी उचित है, क्योंकि संतोष सुख की जड़ है और असंतोष दुःख का मूल।⁷ मनु ने गृहस्थों के लिए अतिथि-सेवा तथा दान को बहुत महत्वपूर्ण माना है। आज के सन्दर्भ में भी ये दोनों बातें प्रासंगिकता का निर्वाह करने वाली हैं। मनु ने कहा है कि तीनों ही आश्रमी अर्थात् ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और भिक्षुक ये गृहस्थों द्वारा नित्य विद्या और अन्न आदि से प्रतिपालित होते हैं। इसलिए गृहस्थाश्रम ही सबसे बड़ा आश्रम है।⁸ महाभारत में भी कहा गया है कि गृहस्थ का जीवन अत्यन्त उच्च तथा पवित्र है और इसी के द्वारा जीवन की सफलता संभव है - “सिद्धं क्षेत्रं इदं पुण्यं अयं एवाश्रमो महान्।”

वानप्रस्थ आश्रम यद्यपि आज के सन्दर्भ में प्रासंगिक प्रतीत नहीं होता है, फिर भी वानप्रस्थियों के लिए जो यह बात कही गई है कि वे अपने जीवन के तीसरे चरण में सांसारिकता से अपने को विमुख कर लें, वह प्रासंगिकता का निर्वाहक ही है। मनुष्य जब हर प्रकार की सांसारिक वस्तुओं का उपभोग कर लेता है तो बाद में उन्हें अपने को उन पदार्थों से मुक्त कर लेना चाहिए। हाँ, इस तरह की स्थिति में उसे वन में निवास करना आवश्यक नहीं है। प्राणियों का कल्याण, दान देना और मितभोजी होना आदि बातें तो उनके लिए उचितकथन ही हैं। चान्द्रायण आदि व्रत की जो बात कही गई है वह आज के सन्दर्भ में शायद सम्भव नहीं है। इसीप्रकार, संन्यास आश्रम के सम्बन्ध में जो बातें स्मृतियों में कही गई हैं उनमें भिक्षा-पात्र आदि को लेकर याचकवृत्ति अपनाने के सम्बन्ध में जो बातें कही गई हैं, वे उचित प्रतीत नहीं होती हैं। परन्तु सभी पदार्थों के प्रति

मोह का त्याग, सभी प्राणियों पर दया, क्रोध, असत्य आदि से दूर रहना आदि जो निर्देश संन्यासियों के लिए दिये गये हैं, उनका पालन आज भी मनुष्य को अपने अन्तिम वय में अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से रहता हुआ व्यक्ति सुखपूर्वक अपनी इस देह का त्याग कर सकेगा।

इस तरह मनुस्मृति व अन्य स्मृतिकारों ने आश्रम-व्यवस्था को जिस रूप में प्रतिपादित किया है, उनमें से अधिकांश आज के संदर्भ में भी कुछ परिवर्तनों के साथ प्रासंगिक बने हुए हैं। शास्त्रों की मौलिक आश्रम व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनुचितता को स्थान प्राप्त नहीं था। मनुष्य व्यक्तिगत जीवन को विकासोन्मुख करता था और अपने अन्तिम लक्ष्य की प्राप्ति करता था। इसलिए महाभारत में वेदव्यास ने कहा है कि जीवन के चार आश्रम चार विकास की सीढ़ियाँ हैं जिनसे जीवन यात्रा में मानव ऊपर चढ़ता हुआ ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। यही प्रत्येक भारतीय के जीवन की चरम कामना होती है।⁹ वस्तुतः मानव जीवन को सफलता की ओर ले जाने तथा परमपद तक पहुँचाने वाले ये आश्रम विश्राम स्थल के रूप में कार्य करते हैं। इनका सर्वोपरि महत्व यह है कि मानव अपने विकासक्रम में पुरुषार्थ की उपयुक्त साधना एवं ऋणों से मुक्त होने की सम्पूर्ण क्रिया करता है तथा यज्ञ करते हुए मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने को उपयुक्त बनाता है। इनकी व्यवस्था एक मनोवैज्ञानिक क्रम में की गई है जिससे मानव-जीवन की आवश्यकताओं में संतुलन एवं संगति स्थापित हो जाए। मानव का क्रमागत विकास इस क्रम से हो कि वह पुरुषार्थ की उपयुक्त साधना करते हुए, ऋणों

का समुचित लाभ उठाते हुए तथा जीवन के यज्ञों को करते हुए, मोक्ष की प्राप्ति कर सके।

वास्तव में मनुष्य तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेता, जब तक उसकी चित्तवृत्तियां शान्त नहीं होतीं। यह शान्ति उसे तभी मिल सकती है जब कोई इच्छा न रह गई हो। वर्तमान संदर्भ में मनुष्य की इच्छाएँ इतनी अनन्त हो गई हैं कि वह आमरण उसका साथ नहीं छोड़ती। धर्म और मोक्ष पर अर्थ और काम ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है। अतएव पुरुषार्थ अब दो ही रह गये हैं - अर्थ और काम। और, जब धर्म और मोक्ष की अभिलाषा व उपयोगिता ही मानव-हृदय से अतिदूर चला गया हो तो उसको पाने हेतु चेष्टा करने का क्या प्रयोजन? अतएव आवश्यकता है

मानसिक संतुष्टि की, वैचारिक शुद्धता की और जीवन में धर्म व मोक्ष की अपरिमित उपादेयता को समझने की। इसके बिना हमारी वर्तमान जीवन-यात्रा अपने चरम लक्ष्य 'मोक्ष' तक नहीं पहुँच सकती और न ही हम सच्ची मानवीयता का कोई उदाहरण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। और, यह सब कुछ आश्रम-व्यवस्था द्वारा निर्धारित आचरणों के अनुपालन से आज भी संभव है।

सन्दर्भ

1. जाबालोपनिषद्, 6.38
2. मनुस्मृति, 2.175
सेवतेमांस्तु नियमान्ब्रह्मचारी गरौ वसन्।
सन्नियम्येन्द्रियग्रामं तपोवृद्ध्यर्थमात्मनः॥
3. मनुस्मृति, 1.104

इदं शास्त्रमधीयानो ब्राह्मणः शंसितव्रतः।
मनोवाग्देहजैर्नित्यं कर्मदोषैर्न लिप्यते॥

4. मनुस्मृति, 2.226
आचार्यो ब्रह्मणो मूर्तिः पिता मूर्तिः प्रजापतेः।
माता पृथिव्या मूर्तिस्तु भ्राता स्वो
मूर्तिरात्मनः॥
5. मनुस्मृति, 3.72
देवतातिथिभृत्यानां पितृणामात्मनश्च यः।
न निर्वपति पञ्चानामुच्छ्वसन् स जीवति॥
6. मनुस्मृति, 3.80
ऋषयः पितरो देवा भूतान्यतिथयस्तथा।
आशासते कुटुम्बिभ्यस्तेभ्यः कार्यं
विजानता॥
7. मनुस्मृति, 4.12
संतोष परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत्।
संतोषमूलं हि सुखं दुःखमूलं विपर्ययः॥
8. मनुस्मृति, 3.78
यस्मात्त्रयोऽप्याश्रमिणो ज्ञानेनानेन चान्वहम्।
गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृही॥
9. हिन्दू सामाजिक संस्थाएं, पृ. 73



संस्कृत साहित्य में कृषि विज्ञान

डॉ. अरुण पाठक

पृथ्वी को विस्फोरित कर उत्पन्न होने वाली सृष्टि को हम उद्भिज्ज के रूप में स्वीकार करते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद में इसके चार भेदों का उल्लेख मिलता है - फलिनी, अफला, अपुष्पा तथा पुष्पिणी।¹ महर्षि मनु ने इसके आठ भेदों को स्पष्ट किया है -

औषधि, वनस्पतयः, वृक्षाः, गुच्छः, गुल्मम्,
तृणजातयः, प्रतानाः, वल्लयः।²

औषधि शब्द का बहुत व्यापक अर्थ में प्रयोग हुआ इसमें सभी प्रकार के वृक्ष, वनस्पति आ जाते हैं। परन्तु प्रासंगिक विषय के अनुसार यदि हम मनु को लें तो औषधि वह है जिसका फल पक जाने पर पौधा नष्ट हो जाता है³ और जिनमें बहुत फल-फूल लगते हैं जैसे गेहूँ, जौ, चना आदि।

यह अन्न दो प्रकार का बताया गया है (1) कृष्टपच्य जो कृषि से उत्पन्न होता है जैसे गेहूँ, जौ आदि। (2) अकृष्टपच्य जो बिना कृषि के उत्पन्न होता है जैसे जंगली धन्य आदि।⁴ कृष्टपच्य अन्न खेत जोत कर प्राप्त किया जाता है। इस कर्म को कृषि कर्म की संज्ञा दी गई है। कृषि का दूसरा पर्यायवाची नाम अनृतम् भी है। इस कृषि कर्म में हिंसा (जोतने में जीव हिंसा) होने से यह नाम पड़ा है।

हिंसादोषप्रधनत्वादनृतं कृषिरुच्यते।

(इत्यमरे रामाश्रमीटीकायाम् 2/9/2)

प्राचीन संस्कृत वाङ्मय में कृषि विज्ञान से सम्बद्ध अनेक तात्त्विक तथ्य मिलते हैं जिनके आधार पर आज भी कृषि के क्षेत्र में नये आयामों को जोड़ा जा सकता है। कृषि शब्द कृष विलेखन धातु से बना है जिसका अर्थ है खेत जोतना। वेदों के अनुसार कृषि करना भी एक विद्या के रूप में जाना गया है।

एम.ए., पीएच. डी., जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा

कृषि विद्या जानने वाले को ऋग्वेद में क्षेत्र विद् अथवा क्षेत्रवित्तर⁵ तथा अथर्ववेद में अन्नविद्⁶ कहा गया है। सर्वप्रथम इन्होंने ही कृषि नियम बनाये थे। आचार्य कौटिल्य ने कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीताध्यक्ष कहा है वह स्वयं कृषि शास्त्र के साथ-साथ शुल्बशास्त्र (नापने की कला) और वृक्ष-विज्ञान का ज्ञाता होता था -

सीताध्यक्षः कृषितन्त्रशुल्बवृक्षायुर्वेदज्ञः तज्ज्ञसखो वा सर्वधन्यपुष्पफशाककन्द-मूलवाल्लिक्य क्षौमकार्पासबीजानि यथाकालं गृहणीयात्। (कौटीलीय अर्थशास्त्र 1/40/24)

वर्तमान युग में खेती से सम्बन्धित को कृषि-विज्ञान (Agriculture Science) तथा वृक्षायुर्वेद से सम्बन्धित को वनस्पति-विज्ञान (Botany) के साथ जोड़ते हुए इसके दो विभाग कर दिये गये हैं।

तैत्तिरीय संहिता में अन्नो के कटने के अनुसार फसलों के चार भेद दिये हैं - (1) ग्रीष्म में कटने वाली फसल जौ, गेहूँ आदि (2) वर्षा में कटने वाली (3) शरद् में कटने वाली (4) हेमन्त और शिशिर में कटने वाली माष (उड़द) तिल (तिलहन) आदि।

शतपथ ब्राह्मण के आधार पर पूरे कृषि कर्म को चार भागों में बाँटा जा सकता है, ये हैं -

1. कर्षण (खेत की जुताई करना)
2. वपन (बीज बोना)
3. लवन (पके सस्य अर्थात् धन की कटाई करना)
4. मर्दन (मड़ाई करके स्वच्छ अन्न प्राप्त करना)।

कृषन्तः, वपन्तः, लुनन्तः, मृणन्तः। (शतपथ ब्राह्मण 1/61/3)

कर्षण की पृष्ठभूमि

(क) भूमि चयनः कृषि के लिए उत्तम भूमि के साथ ही उत्तम बीज, हल और बैल किसान की आवश्यकता होती है। भूमि मिट्टी के वर्ण एवं मधुरादि रसों के आधार पर छः

प्रकार की मानी गई है। इन सभी प्रकारों में शुक आदि पक्षी के पंखों से कोमल, शंख कुन्द के फूल आदि के समान स्वच्छ तथा तपे हुए सोने अथवा विकसित चम्पा के फूल के वर्ण वाली भूमि सर्वश्रेष्ठ मानी गई है।⁸ इस प्रकार की भूमि का चयन बोये जाने वाले खेत को उर्वर या क्षेत्र कहा गया है। ऋग्वेद के अनुसार उपजाऊ भूमि अप्णस्वती, उर्वरा तथा पड़ती जमीन को आर्तना कहा गया है।⁹ अथर्ववेद में इसे ऊषर तथा इरिण कहा है।¹⁰

(ख) भूमि परिष्कार: सर्वप्रथम उत्तम अर्थात् उपजाऊ भूमि का चयन कर उससे पत्थर, कंकर आदि निकाल कर समतल किया जाना अत्यावश्यक है।¹¹ तत्पश्चात् हल से भूमि को जोतना। जोती गई उपजाऊ भूमि में बोया गया बीज ठीक ढंग से उगता है।

यथा बीजमुर्वरायां कृष्ट फालेन रोहति।
(अथर्व. 10/6/33)

कृते योनौ वपेतेह बीजम्।

(यजुर्वेद 12.68)

(ग) भूमि आर्द्रता: वर्षा-जल मापने के लिए एक हाथ मुँह वाले कुण्ड में सोलह द्रोण की मात्रा में पानी भर जाए तो जांगल अर्थात् रेतीली भूमि में फसल बोन के लिए उपयुक्त समय माना गया है। प्रायः जल बरसने वाले प्रदेशों में चौबीस द्रोण, दक्षिण प्रान्तों में तेरह द्रोण, मालव प्रदेश के लिए तेईस द्रोण, पश्चिमी प्रदेशों में अधिक-से-अधिक और नहरी प्रदेशों के लिए समय-समय का पानी फसल को बोन के लिए उपयुक्त समय होता है।¹²

(घ) पोषण: खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए काम में लिए जाने वाले पदार्थों को क्षेत्रसाधस् कहा जाता है अर्थात् खेत की उत्पादन शक्ति को बढ़ाने वाला।¹³

क्षेत्रसाधस् के रूप में अत्युत्तम खेती के लिए घी, दूध, शहद और औषधियों के मिश्रण से बनी खाद डालने से उत्तम कृषि होती है। इसके अनेक उदाहरण अथर्ववेद के भाष्यकार श्रीपाद दामोदर समतवलेकर ने अपने भाष्य में प्रस्तुत किये हैं। (अथर्ववेद काण्ड 3, पृ. 128)

घृतेन सीता मधुना समज्यताम्।

पयसा पिन्वमाना।।

(यजु. 12.70)

कर्षण (खेत की जुताई करना)

जौ आदि धन्य के लिए भूमि जोती जाती है।¹⁴ पोषण प्राप्त उपजाऊ भूमि को हल तैयार कर जोतने का काम करें।¹⁵ इसके लिए किसान बैलों के पीछे चले¹⁶ भूमि जोतने के लिए सामान्यतः एक हल में दो बैल काम में लिये जाते हैं परन्तु अथर्ववेद (6.9.1.1) एवं काठक संहिता (15/2) के अनुसार प्राचीन काल में बारह युग अर्थात् जुए तक का हल भी काम में लिया जाता था। 24 बैल एक साथ काम में लिये जाते थे, जो आज आश्चर्यजनक प्रतीत होता है। बीज बोने से पहले दो या तीन बार भूमि जोती जाती थी इस आधार पर खेत को द्विहल्यम्, द्विसीत्यम् तथा त्रिहल्यम्, त्रिसीत्यम् कहा जाता है।¹⁷

इसीलिए आचार्य कौटिल्य ने स्पष्ट लिखा है -

बहुहलपरिकृष्टायां स्वभूमौ वापयेत्
(कौटिलीय अर्थशास्त्र 40/24/2)

हल को सीर तथा लांगल आदि नामों से जाना जाता है। जुए को मजबूती के लिए रस्सी से बांधा जाता है।¹⁸ कृषक बैलों से आसानी से खेत जोतें -

शुनं कीनाशा अभियन्तु वाहैः।

(ऋग्. 4/57/8)

भाषा विज्ञान की दृष्टि से वेदों में प्रयुक्त की नाश शब्द कालान्तर में वर्ण विपर्यय के सिद्धान्तानुसार किसान के रूप में परिवर्तित हो गया प्रतीत होता है। आज खेती करने वाले के लिए यह शब्द अत्यन्त प्रसिद्ध है।

वपन (बीज बोना)

जोती हुई भूमि सीता कहलाती है। इसका अभिवन्दन कर उत्तम फल की कामना की गई है -

सीते वन्दामहे त्वावाची सुभगे भव।

यथा नः सुमना असो यथा नः

सुफला भुवः।

(अथर्व. 3/17/8; ऋ. 4/57/6)

भूमि जोतने के बाद ही बीज बोया जाता है।¹⁹ किसान अन्न प्राप्ति के लिए बीज बोते हैं।²⁰

जल एवं वायु की अनुकूलता होने पर ही बीज बोया जाना सार्थक है। आचार्य कौटिल्य के अनुसार बोने से पहले धन्य बीजों का उपचार करना चाहिए जिससे उत्तम फसल प्राप्त हो सके। बीजों को सात दिनों तक रात को ओस में तथा दिन में धूप में रखा जाना चाहिए तथा कोशीधन्य अर्थात् मूंग उड़द आदि के बीजों को तीन या पांच रात

तथा दिन ओस एवं धूप में रखना चाहिए। सभी प्रकार के बीजों को बोने से पहले सुवर्ण से स्पष्ट जल में भिगोना चाहिए।²¹ इस प्रकार अनुकूल ऋतु, खेत, जल एवं बीजों के सायुज्य से धन्य में अंकुरोत्पत्ति होती है।

ऋतुक्षेत्राम्बुबीजानां सामग्र्याद् अंकुरो जायते।

(सुश्रुतसंहिता, शारीर 2.33)

विष्णु पुराण (7.37-39) में धन के पौधे के अंगों का उल्लेख मिलता है -

अंकुर, मूल, नाल, पत्र, पुष्प क्षीर, तुष, कोश, बीजकोश, तण्डुल, कणी।

पोषण

उत्तम उपज के लिए खाद अत्यावश्यक पदार्थ है। अथर्ववेद में खाद को फलवती कहा गया है, करीषिणीं फलवतीं स्वधम् (अथर्व 19.31.3)। खाद के लिए करीष शकन् और शकृत् शब्दों का प्रयोग मिलता है। प्रायः फसल के लिए घी, दूध, शहद एवं औषधियों के मिश्रण से खाद तैयार कर दी जाती थी।

आचार्य कौटिल्य ने इस सन्दर्भ में स्पष्ट किया है कि बीज बोने के बाद जब अंकुर निकल जाये तब छोटी मछलियों की खाद और स्नुही के दूध से सींचने को प्रयोग में लाने की बात कही है-

आशुष्ककटुमत्स्यान् च स्नुहिक्षीरेण पाययेत्।

(कौटिलीय अर्थशास्त्र 40/24)

कन्दफल, कपास, कटहल आदि के बीजों को गोबर, घी तथा हड्डी के चूर्ण के साथ मिलाकर बोना उपयोगी बताया है।

रक्षण

उत्तम भूमि, बीज एवं फसल उत्पन्न होने पर भी यदि उसका रक्षण न हो तो फल-प्राप्ति दुष्कर होती है। कृषि को हानि पहुँचाने वाले तत्त्वों को 'इति' कहा जाता है। इनको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं - (1) प्रकृति रूप - जिसमें अतिवृष्टि, अनावृष्टि तथा पाला पड़ना है। (2) जीव-जन्तु रूप - इसमें आखु (चुहा), तर्द (कफोडवा), मटची अथवा पतंग (टिड्डी), जम्भ (घुन), उपक्वस (बीज खाने वाला विषैला कीड़ा), तर्दापति, वघापति, सांप एवं जलचर आदि। इन सभी से सावधान रहते हुए फसल की रक्षा करना परम आवश्यक है।

सन्दर्भ सूची

1. क. याः, फलिनीर्या अफला 10. 97.15/ यजु. 12.89। ख. पुष्पवतीः प्रसूमतीः फलिनीरफलाः। अर्थ 8. 7.27
2. मनुस्मृति 1.46-48
3. औषधिः फलपाकान्ता। ओषः प्लोषो दीप्तिर्वा धीयतेऽत्र इति ओषधिः इत्यमरः 2/4/6
4. कृटपच्याश्च में अकृष्टपच्याश्च में यजु0 18.14

5. क्षेत्रवित्तरो मनुष्यो वि वो मदे। ऋग0 10/25/8
6. यद्यामं चक्रुः अन्नविदः। अथर्व. 6/116/1
7. यवं ग्रीष्माय, व्रीहीन् शरदे। तैति. 7/2/10/2
8. शार्ङ्गधर पद्धति वृक्षायुर्वेद (उपवन विनोद) 34,35,37
9. ऋग्वेद 1/127/6
10. अथर्ववेद 4/15/12
11. समता वसुधयाश्च स सम्यगुदपादयत्। महाभारत, यान्ति. 59/113-115
12. कौटिलीय अर्थशास्त्र प्रकरण 40/अ0 24/5
13. ते नो व्यन्तु वार्य देवत्रा क्षेत्रसाधसः। ऋग. 3/8/7
14. गोभिर्यवं नं चकश्षत्। ऋग. 1.23. 15
15. युनक्त सीरा वि युगा तनुधवम्। ऋग. 10!101/3
16. शुनं सुफला वि तदन्तु भूमिम्, शुनं कीनाशा अनुयन्तु वाहान्। अथर्व. 3/17/5
17. त्रिहल्यं त्रिसीत्यमपि तस्मिन्। अमरकोष 2/9/9
18. युग वरत्रया, नह्यन्ति धरुणाय कम्। ऋग. 10/60/8
19. कृते योनौ वपेतेह बीजम्। यजु. 12.68
20. वपन्तो बीजमिव धन्याकृतः। 10/94/13
21. कौटिलीय अर्थशास्त्र, प्र. 40/24



स्वामी विवेकानंद का ईश्वर विचारः एक अध्ययन

डॉ. रश्मि कुमारी सिंह

स्वामी विवेकानंद अद्वैत वेदांती थे, पर उनके अद्वैतवाद का एकाएक विकास नहीं हुआ। सर्वप्रथम वे पान स्टुअर्ट मिल की पुस्तक, 'यस्सेज ऑन रेलीजन' द्वारा प्रभावित हुए। उसके बाद स्पेंसर के सिद्धांतों की ओर आकर्षित हुए। स्पेंसर के साथ पत्र व्यवहार का भी उन्होंने असफल प्रयास किया। प्रथम जीव, जगत व ईश्वर के प्रति उनकी संशयवादी विचारधारा थी, जिसका उल्लेख उन्होंने तत्कालीन विद्वान् दार्शनिक ब्रजेन्द्रनाथ सील से भी किया था। सील ने उन्हें शैली की रचनाओं को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया।

स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन पर जो दूसरा सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा, वह शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत का था। स्वामी विवेकानंद के वेदांत की इन शिक्षाओं में अटूट आस्था थी। उनकी व्याख्या में भले ही कहीं अंतर प्रकट होता है, पर वे सच्चे अर्थों में एक विशुद्ध अद्वैतवादी थे।

विवेकानंद के दर्शन पर तीसरा सबसे बड़ा प्रभाव उनके गुरु श्री कृष्ण परमहंसदेवजी का था। उनका जीवन ही श्रीराम कृष्णदेव की शिक्षाओं को व्यवहार में चरितार्थ करने के लिए समर्पित था। श्री रामकृष्ण के अनुसार ईश्वर साक्षात्कार ही मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है, जिसे आध्यात्मिक जीवन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। विषय वासना, कंचन-कामिनी का परित्याग आध्यात्मिक जीवन के ये निषेधात्मक पहलू हैं।

ईश्वर साक्षात्कार के लिए सांसारिक जीवन को त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने स्वयं एक के बाद एक सभी धर्मों की दीक्षा ग्रहण की थी और देखा कि सबका परिणाम ईश्वर प्राप्ति में होता है। 29 जनवरी 1900 ई. को कैलिफोर्निया में भाषण करते हुए उन्होंने कहा था, "जो विचार मैं आपके

समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ वे मेरे गुरु के विचार हैं। उन विचारों को छोड़कर मेरे पास अन्य कोई मौलिक विचार नहीं है" इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री राम कृष्ण देव के जीवन और उनकी शिक्षाओं का स्वामी विवेकानंद के और दर्शन पर विशेष प्रभाव पड़ा है।

विवेकानंद की ईश्वर में गहरी आस्था है। तथा उनकी इस आस्था की अभिव्यक्ति उनके इस विश्वास में होती है कि वस्तुतः ईश्वर में बिना आस्था रखे जीना असंभव है। ईश्वर भाव की अनिवार्यता पर बल देने की उपयुक्तता उनके लिए प्रायः स्पष्ट है। ईश्वर भाव की अनिवार्यता उन्हें स्पष्ट इस सरल कारण के चलते प्रतीत होती है, कि उन्हें लगता है कि ईश्वर-भाव का निषेध असंभव है। यह संभव नहीं है कि इस जगत तथा आत्म की सत्ता को तो स्वीकार लें तथा ईश्वर की सत्ता को नकार दें। जगत् तथा आत्मा को सामान्यतः स्वीकार कर ही हमारा विचार अग्रसर होता है, किन्तु इस दोनों की यथार्थता के लिए उनके आधार रूप ईश्वर को स्वीकारना पड़ता है।

किन्तु इस स्थल पर बड़ा ही उपयुक्त प्रश्न उठ जाता है। यहाँ तो एक प्रकार से ईश्वर की सत्ता की अनिवार्यता को स्वीकार लिया गया है। यदि 'ईश्वर' में इस प्रकार की अनिवार्यता है तो ऐसा क्यों है कि सभी धर्मों तथा धार्मिक सम्प्रदायों द्वारा ईश्वर अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए युक्तियाँ दी जाती हैं। यदि ईश्वर अस्तित्व अनिवार्य है तो उसकी स्थापना के बौद्धिक निर्देश की आवश्यकता क्यों है?

विवेकानंद को ईश्वर-अस्तित्व की स्थापना के लिए बौद्धिक निर्देश प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि उन्हें यह विश्वास है कि 'ईश्वर' की साक्षात् अनुभूति सम्भव है। स्वामी रामकृष्ण को ईश्वर से साक्षात्कार की स्पष्ट अनुभूति थी। अतः वे ईश्वर अस्तित्व की स्थापना के लिए तर्क, युक्तियाँ, बौद्धिक निर्देश आदि की वस्तुतः आवश्यकता नहीं है क्योंकि ईश्वर की साक्षात् अनुभूति संभव है।

विवेकानंद के अनुसार 'ईश्वर' के सम्बन्ध में यह बात और अधिक प्रासंगिक है। ईश्वरीय अनुभूति की सम्भावना के रहते हुए भी ईश्वर अस्तित्व के पक्ष में प्रमाणों एवं युक्तियों की उपयोगिता कम-से-कम दो कारणों से तो है ही, ऐसा तो नहीं है कि जो चाहे जिस दिन चाहे, ईश्वर की अनुभूति प्राप्त कर ले।

उसके लिए तो वर्षों की कठिन साधना तथा आत्मानुशासन एवं चिन्तन की आवश्यकता होती है।

विवेकानंद कहते हैं कि ईश्वर अस्तित्व समर्थक साक्ष्य तो जगत में भरे पड़े हैं उनका कहना है कि 'जगत्' की व्याख्या बिना एक सर्वशक्तिमान 'कारण' को मानना संभव नहीं है। अतः हम एक प्रकार से उनके लिए एक ईश्वरीय निर्माता को मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। संसार में जो कुछ घटित होता है वह किसी कारण से घटित होता है, तथा जो घटित होता है उसका भी कुछ कार्यफल होता है। विवेकानंद कहते हैं कि यही कारण नियम है। यदि इस कार्य तथा कारण की शृंखलन पर विचार करें तो अन्ततः, हमें एक अंतिम एवं परम कारण ऐसा पर रूकना ही पड़ता है। वह परम कारण होगा जो अन्य सब कुछ का कारण तो है, किन्तु उसका कोई कारण नहीं है। विवेकानंद के अनुसार वही ईश्वर है। जो अपने अस्तित्व के लिए आत्मनिर्भर है उसका कोई कारण नहीं है। विवेकानंद ईश्वर अस्तित्व को स्थापित करने का एक आधार सभी वस्तुओं में निहित एकत्व को भी बना देते हैं।

विवेकानंद के अनुसार प्रेम का स्वरूप क्या है? हम किससे प्रेम करते हैं? सच पूछा जाय तो किसी 'अन्य से प्रेम नहीं करता बल्कि वह स्वयं' से प्रेम करता है। विवेकानंद कहते हैं।

प्रिय कोई अपने पति से पति के रूप में प्रेम नहीं करती, बल्कि अपने उस आत्म के लिए प्रेम करती है जिसे वह अपने पति में देखती है, कोई प्रिय अपनी पत्नी के पत्नी होने के कारण

प्रेम नहीं करता बल्कि वह उससे इसी कारण प्रेम करता है क्योंकि वह अपने आपको अपनी पत्नी में देखता है। उनका कहना है कि प्रेम की ये व्यापक सम्भावना यह तो सिद्ध करती है प्रेम का चरम रूप शुद्ध एकत्व की अनुभूति है।

विवेकानंद ईश्वर अस्तित्व की कल्पना में एक कलाकार एक कवि, एक चिन्तशिल्पी आदि की उपमाओं का भी सहारा लेते हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार कविता के सौन्दर्य की समझ में उसके रचयिता 'कवि' की समझ निहित है, उसी प्रकार विश्व के सौन्दर्य की अनुभूति में उसके रचयिता ईश्वर की अनुभूति निहित है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मानव के अन्तर में स्थित 'ईश्वर' की विद्यमानता ही उसे सदा 'ईश्वर' को खोजने तथा ईश्वर को पाने के लिए प्रेरित करती रहती है। मनुष्य उसकी खोज में भटकता रहता है पुनः उसी विन्दु पर वापस आ जाता है। जहाँ से प्रारम्भ करता है अर्थात् हर ओर ईश्वर को ढूँढ़ने पुनः हम अपनी 'आत्मा' पर अपने अन्तर् में ही वापस आते हैं। इसका अर्थ है ईश्वर 'आत्मा' के निकट है, यह आत्मा जीवन प्राण में निहित सत्ता है। अतः विवेकानंद कहते हैं कि ईश्वर भाव अनिवार्य है क्योंकि 'होने' में ही 'अस्तित्व' में ही 'ईश्वर भाव' निहित है। उनकी मान्यता है कि ऐसे द्रष्टा हुए हैं जिन्हें ईश्वर की साक्षात् अनुभूति प्राप्त थी। व्यक्ति यदि प्रयत्न करे तथा कठोर साधना एवं ध्यान के मार्ग पर चले तो उसे भी ईश्वर की साक्षात्तानुभूति प्राप्त हो सकती है। उनके अनुसार 'ईश्वर' सभी तत्वों में निहित एकत्व है। अतः पूर्ण व्यापकता उसकी

एक विशिष्टता है। ईश्वर को एक शाश्वत तत्व भी कहा गया है। ईश्वर 'काल' में 'कलिका' हो जाता है, जो हर काल में एक जैसा रहता है।

ईश्वर को परम शुभ कहा गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि ईश्वर नैतिकता का चरम रूप है। क्योंकि ईश्वर के लिए नैतिकता का प्रश्न ही अप्रासंगिक है। ईश्वर में 'शुभ' 'अशुभ' का अन्तर देखना या भेद करना उपयुक्त नहीं क्योंकि ईश्वर इन सभी भेदों से परे है, ईश्वर को परम शुभ कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर 'आनन्द रूप' है दुख रूप नहीं।

विवेकानंद का कहना है कि ईश्वर इसी कारण है कि उसी से सब कुछ प्रकट है। अतः ईश्वर एवं सृष्टि के बीच एक मौलिक बंधन है, एक एकत्व है जो हर क्षण अपने को व्यक्त करने को आतुर है।

विवेकानंद कहते हैं कि "आप किसी भाषा में उसका विवरण नहीं दे सकते। सभी भाषायी प्रयत्न, जिनमें उसे पिता भाई या प्रिय, मित्र आदि कहा जाता है, वे सभी ईश्वर को विषयनिष्ठ बनाने के प्रयत्न हो जाते हैं और ऐसा किया नहीं जा सकता है। वह हर तत्व का शाश्वत विषय है।" ईश्वर और जगत् में वही संबंध है जो हमारी आत्मा और शरीर में संबंध है।

अतः ईश्वर सर्वव्यापी, सर्वशुभ, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हैं। इस युक्ति के अनुसार सबका समष्टि रूप ईश्वर सर्वशुभ अवश्य होगा। समष्टि रूप होने के कारण ईश्वर में सर्वविभुता, सर्वशक्तिमत्ता तथा सर्वज्ञता अवश्य पाई जायेगी।



श्रीमद्भगवद्गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय

सोनम कुमारी

महाभारत के भीष्मपर्व के अठारह अध्यायों का एक अंश 'श्रीमद्भगवद्गीता' के नाम से प्रसिद्ध है। 'श्रीमद्भगवद्गीता' भारतीय वाङ्मय की अमूल्य निधि है। यद्यपि ये गीता विशालतम महाभारत का अंग है तथापि इसे स्वतंत्र ग्रंथ का महत्व मिला है। प्राचीन काल से ही इस पर अनेक व्याख्यायें लिखी गई हैं। आज भी विश्व में सर्वाधिक प्रचलित संस्कृत ग्रंथ गीता को ही माना जाता है। पाश्चात्य विद्वान् हम्बोल्ट ने गीता से प्रभावित होकर कहा है कि- 'किसी ज्ञात भाषा में उपलब्ध गीतों में सम्भवतः सबसे अधिक सुन्दर और दार्शनिक गीता है। गीता शास्त्र विश्व जगत् की परम निधि है। महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन को कर्ममूलक उपदेश दिए जिसका संकलन गीता के 700 श्लोकों में हुआ है। कर्म, ज्ञान और भक्ति का समन्वय गीता में 18 अध्याय में है। इन अध्यायों में प्रत्येक 'योग' के नाम से विख्यात है। गीता के प्रणेता महर्षि वेदव्यास हैं किन्तु उपदेशों के प्रवक्ता के रूप में भगवान् श्री कृष्ण का नाम अमर है। गीता के महत्व के विषय में कहा गया है कि समस्त उपनिषद् रूपी गायों से दुहा गया यह अमृतमय दुग्ध है जिसे गोपालनन्दन श्री कृष्ण ने अर्जुन को बछड़ा मानकर दुहा तथा परवर्ती विद्वान् इसका पान करते हैं।

“सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः।

पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्॥”

भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने गीता की प्रशंसा करते हुए इसे मानव धर्म की संहिता बताया है इसकी तुलना कामधेनु और कल्पवृक्ष से की गई है। दार्शनिक विचारों को सरलतम भाषा में अभिव्यक्त करने वाले गीता का प्रचार भारतीय जनमानस में अत्यधिक है।

गीता के लोकप्रसिद्धि इसलिए हुई है क्योंकि पूर्ववर्ती एकांगी मार्गों का समन्वय किया गया है। उपनिषदों के केवल ज्ञान मार्ग पर, ब्राह्मण कर्मकाण्डों में केवल भक्ति मार्ग पर तथा विभिन्न देवताओं के वैदिक उपासकों में केवल भक्ति मार्ग पर बल दिया जाता था। गीता में इन सभी विचारों का समन्वय किया गया है तथा इसे योग कहा गया है। योग का अर्थ है तीनों का समन्वय। गीता में योग के विषय में दो परिभाषाएँ मिलती हैं-

- क) 'योगः कर्मसु कौशलम्'¹ अर्थात् विभिन्न कर्मों को कुशलतापूर्वक करना योग है।
ख) 'समत्वं योग उच्यते'² अर्थात् कर्म के समय समत्व दर्शन करना यानि सुख-दुख लाभ हानि आदि की चिन्ता न करना योग है।

गीता मोक्ष-प्राप्ति के लिए कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों को ही प्रधान साधन के रूप में स्वीकार करती है। ज्ञान योग पर आचार्य शंकर ने, भक्ति योग पर आचार्य रामानुज ने तथा कर्मयोग पर मीमांसकों ने गम्भीर विवेचन किया है।

लोकमान्य तिलक ने गीता को कर्मयोग प्रधान ग्रंथ माना है। दैवीय सेवा अर्थात् कर्म के द्वारा हम सर्वोच्च सत्ता तक पहुँच सकते हैं, जिससे अमूर्त भी मूर्त रूप धारण करता है, वह भी कर्म है। कर्म अनादि है और सृष्टि का कार्य किस प्रकार होता है, कहना कठिन है। सृष्टि के अन्त में समस्त जगत् एक सूक्ष्म कार्य रूपी बीज की अवस्था में विद्यमान रहता है और अगली सृष्टि में अंकुर रूप में प्रस्फुटित रहने के लिए उद्यत रहता है।³

वेदों तथा उपनिषदों में वैदिक कर्मयोग का प्रतिपादन किया गया है। कर्मयोग के अनुसार यज्ञ सम्पादन को मनुष्य का परम कर्तव्य बताया गया है। इसे स्वर्गप्राप्ति का साधन भी कहा गया है- 'अश्वमेधेन यजेत स्वर्गकामी'⁴। कठोपनिषद् में नचिकेता ने यम से उस अग्नि यज्ञ के विषय में जिज्ञासा प्रकट की जिससे स्वर्गादि लोक की प्राप्ति होती है।⁴ ईशावस्योपनिषद् में वेदविहित निष्काम कर्म करने का उपदेश दिया गया है। जिससे मनुष्य कर्म से लिप्त नहीं होता है-

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः।

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्मिन् न कर्म लिप्यते।⁵

गीता के अनुसार कोई मनुष्य किसी क्षण कर्म से रहित नहीं होता है- न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्। इसकी कुंजी है -

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।⁶

कर्म में फल की आसक्ति न रखना कर्मयोग है। किन्तु फल की इच्छा न रखने से कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म योग में प्रवृत्ति एवं निवृत्ति दोनों का समन्वय है। गीता कर्म का निषेध नहीं करती अपितु कर्म में फलाशक्ति का निषेध करती है। अज्ञान के कारण कर्म को छोड़ना तमोगुण युक्त त्याग है। परिणामों के भय से कर्मों को छोड़ना रजोगुण युक्त त्याग है। कर्म का सबसे उत्तम रूप है- अनासक्ति की भावना से और परिणाम के भय से सर्वथा रहित होकर कर्म का सम्पादन, क्योंकि इसमें सात्त्विक गुण का प्राचुर्य है।

कर्म का त्याग अनुचित है। बिना किसी पुरस्कार की आशा से जो कर्म किया जाता है वही सच्चा त्याग है। गीता के अनुसार जब हमें कोई कर्म करना ही है तो हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए जिससे धर्म का हित हो तथा जिसका परिणाम आध्यात्मिक शान्ति और सन्तोष की प्राप्ति हो। कर्म मार्ग आचरण का वह मार्ग है जिसके द्वारा मनुष्य अपने लक्ष्य तक पहुँचता है।

गीता के अनुसार कर्म के द्वारा ही संसार के साथ सम्बन्ध स्थिर होता है। मनुष्य का महत्वाकांक्षी आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति है जिसे भौतिक तत्त्वों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करने तथा आत्मा की पूर्णता प्राप्त करने में सत्कर्म सहायक

होता है। सत्कर्म के साथ-साथ मनुष्य को उन्हीं कर्मों का सम्पादन करना चाहिए, जिससे अधिकाधिक लोगों का लाभ हो। वेदों में सिर्फ स्वहित से सम्बन्धित कर्मों का निषेध किया गया है। गीता में इस सत्य को इन शब्दों में व्यक्त किया गया है-

‘भुजते ते त्वधं पापा या पचन्त्यात्मकारणात्’⁷

अर्थात् जो अपने लिए पकाते हैं वे पाप का भक्षण करते हैं। अतः मनुष्य जाति से यह अपेक्षित है कि वे ‘सर्व जन हिताय या सर्व जन सुखाय’ कर्म का सम्पादन करें। मनुष्य को संकुचित नहीं अपितु व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए- यही गीता का सन्देश है।

गीता के अनुसार निष्क्रिय रहकर मोक्ष की प्राप्ति सम्भव नहीं है और न ही शरीरधारी जीव नितान्त रूप से कर्म का त्याग कर सकते हैं। अतः कर्म का त्याग कर सन्यास ग्रहण करने का इच्छुक मनुष्य को गीता सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। कर्म ही संसार-चक्र की गति को जारी रखता है और प्रत्येक व्यक्ति को इस चक्र की गति को सक्रिय रखने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जब तक मोक्ष प्राप्त न हो तबतक कर्म का सम्पादन अनिवार्य है।

गीता के अनुसार हमें इस प्रकार का कर्म करना चाहिए जिससे वह हमें बन्धन में न डाल सके। ईश्वर भी मनुष्य जाति के लिए कर्म करता है। अतः अर्जुन को आदेश दिया गया है कि युद्ध करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। मनुष्य मात्र की सेवा ईश्वर की उपासना है। निष्काम भाव से तथा विदेहवृत्ति से संसार एवं ईश्वर के निमित्त किया गया। कर्म बन्धन का कारण नहीं होता है।

कर्म योग ज्ञानी के लिए होता है, साधारण जनों के लिए नहीं। इसलिए

यह निष्काम कर्म ज्ञान की अपेक्षा रखता है जो भगवद् प्राप्ति का एक अन्य मार्ग है। ज्ञान शारीरिक एवं मानसिक स्थितियों को सुरक्षित रखता है। जब इन्द्रियों को विषयोपभोग से पृथक किया जाता है तो भी मन में भोग की लालसा बनी रहती है। यह भोग की लालसा आत्मज्ञान से निवृत्त होती है। ज्ञान से ही परम शान्ति मिलती है। ज्ञान को गीता का पवित्रतम पदार्थ कहा गया है-

‘नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते।’⁸

मोक्ष प्राप्ति हेतु ब्रह्मज्ञान या आत्मज्ञान अनिवार्य है -

‘ऋते ज्ञानात् न मुक्तिः।’

कठोपनिषद् तथा बृहदारण्यकोपनिषद् में प्रतिपादित है कि जब मनुष्य के हृदय में स्थित समस्त कामनाओं का उन्मूलन हो जाता है तो मर्त्य का ज्ञान प्राप्त होता है जिसके द्वारा वह मोक्ष या ब्रह्म को प्राप्त करता है -

‘यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाः येऽस्या हृदि स्थिताः।’⁹

गीता में इस स्थिति को ब्राह्मी स्थिति कहा गया है जो व्यवसायात्मिका बुद्धि के द्वारा समस्त कामनाओं के नाश से सम्भव है। इस अवस्था में प्राण त्यागकर मनुष्य मोक्ष पाता है-

‘प्रजहति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्।’

आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते’¹⁰

गीता दो प्रकार के ज्ञान का प्रतिपादन करती है- एक वह जो बुद्धि के द्वारा बाह्य जगत् के अस्तित्व को समझने का प्रयत्न करता है और दूसरा वह जो अर्न्तदृष्टि के बल से इन भासमान घटनाओं की शृंखला की पृष्ठभूमि में जो परमत्व है उसे ग्रहण करता है।

समस्त ज्ञान ईश्वर का ज्ञान है। विज्ञान और दर्शन दोनों ही अनादि अनन्त आत्मा के अन्दर वस्तुओं के एकत्व रूपी सत्य को पहचानने का प्रयत्न करते हैं। विज्ञान विषयक ज्ञान रजोगुण प्रधान है एवं आध्यात्मिक ज्ञान सत्वगुण प्रधान है।

गीता में ज्ञान तथा कर्म के साथ भक्ति को भी मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया गया है। उपनिषदों में उपासना का प्रतिपादन किया गया है। मन, सूर्य, चन्द्र आदि में विद्यमान पुरुष जिसे ब्रह्म माना गया है, उपासना के विषय है। उपासना उपास्य का विस्तार करती है ताकि उसके प्रति अनुराग एवं प्रशंसा का भाव समृद्ध हो। ऋग्वेद के 'द्यौ' मेरे पिता है 'अदिति' मेरी माता है आदि कथनों में भक्ति भावना तथा श्रद्धा का दर्शन होता है। भक्ति शब्द का सर्वविदित अर्थ में प्रयोग श्वेताश्वतर उपनिषद् में हुआ है- 'यस्य देवे परा भक्तिः'। कठोपनिषद् में आस्था या श्रद्धा ब्रह्म प्राप्ति के लिए प्रथम आवश्यक तत्व कहा गया है।¹¹ गीता में भी कहा गया है-

'श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्।'

भक्ति ज्ञान एवं कर्म दोनों से भिन्न भावनामयी आसक्ति का नाम है। भक्ति मार्ग किसी व्यक्ति विशेष के लिए न होकर सभी प्राणियों के लिए है। यह अत्यधिक सुगम मार्ग है। सर्वोपरि ब्रह्म के प्रति भक्ति एक शरीरधारी ईश्वर को मानने से ही सजीव है जो मूर्तिमान व्यक्ति है और आनन्द एवं सौन्दर्य से पूर्ण है। जो अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देता है उसे ईश्वर का द्वार खुला मिलता है। जो उसके चरणों में अपने को झुका देता है उसे भगवान् कहते हैं- यह मेरा प्रतिवचन है कि वह जो मुझे से प्रेम करता है नष्ट नहीं होता है।

'कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति।'¹²

कर्म फल का निवारण भी भगवद्-भक्ति से सम्भव है। यह कर्म विधान का अतिक्रमण नहीं है अपितु उक्त विधानानुसार भक्तिरूप कर्म का भी पुरस्कार मिलना चाहिए। कृष्ण कहते हैं यदि पापी मनुष्य भी अनन्यभाव और प्रेम के साथ मेरी भक्ति करता है तो वह भी धर्मात्मा है। भगवान् किसी के पुण्य या पाप को नहीं देखता है। वह मनुष्य का हमेशा ध्यान रखता है। इसलिए कहा गया है- मुझे न कोई प्रिय है और न अप्रिय, मेरे भक्त मुझे प्रिय हैं-

'समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः।

ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्।'¹³

ईश्वर के प्रति प्रेम या भक्ति अवर्णनीय है। ईश्वर का निवास प्रत्येक मनुष्य में है। ईश्वर विनम्र अथवा दीन मनुष्य से प्रेम करता है। भक्त अपने को सर्वथा ईश्वर की दया पर छोड़ देता है। नितान्त निर्भरता ही कल्याण का मार्ग है-

'मान्मया भव मदभक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु।

मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे।'¹⁴

सच्ची भक्ति गीता के अनुसार ईश्वर में विश्वास उससे प्रेम, उसके प्रति श्रद्धा एवं उसी के अन्दर प्रवेश का नाम है। वह स्वयं ही अपना पुरस्कार है। विचारों एवं पूजा की विधि में मनुष्य को स्वतंत्रता दी गई है। मनुष्य के जैसे विचार होते हैं वह वैसा ही हो जाता है। जिस किसी पदार्थ में उसका श्रद्धा या भक्ति होगी वही उसे प्राप्त हो जाएगा। पूजा करने वाला जिस किसी स्वरूप की पूजा श्रद्धा भक्ति के साथ करता है मैं उसी स्वरूप

के प्रति उसकी भक्ति को स्थिर करता हूँ।

'यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति। तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्।'¹⁵

उसी श्रद्धा को धारण करके वह उक्त देवता की पूजा करने का प्रयत्न करता है। उसी से उसे सब उपयोगी वस्तुओं की प्राप्ति होती है जो वस्तुतः मेरे द्वारा दी गई है। भक्ति के विविध प्रकार हैं। ईश्वर की शक्ति, ज्ञान तथा साधुता का चिन्तन भक्तिपूर्ण हृदय से निरन्तर उसका स्तरण अन्यान्य व्यक्तियों के साथ उसके गुणों के विषय में सम्भाषण अपने साथियों के साथ उसके स्तुतिपरक गीतों का गायन और समस्या कर्मों को ईश्वर की सेवा के भाव से करना। यों तो भगवान् को सभी भक्त प्रिय है लेकिन ज्ञानी सबसे अधिक प्रिय है-

'तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते।

प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं च मम प्रियः।'¹⁶

आतुर, जिज्ञासु और स्वार्थवश भक्ति करने वालों के उद्देश्य तुच्छ होते हैं और जब उनकी इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो ईश्वर के प्रति प्रेम रखना छोड़ देते हैं, किन्तु ज्ञानी पुरुष उसकी उपासना सदा ही आत्मा के पवित्र भाव से करते हैं।

"यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्।

यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्।'¹⁷

ज्ञान और भक्ति परस्पर एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। सच्ची भक्ति निःस्वार्थ आचरण के द्वारा प्रकट होती

है। गीता का आदर्श वह भक्त है जिसमें प्रेम के साथ-साथ ज्ञान का प्रकाश है और जो मनुष्य जाति के लिए कष्ट उठाने को लालायित रहता है। भक्ति गीता का हृदय है। गीता का आरम्भ भी प्राप्ति या शरणागति से होता है।

अर्जुन कहते हैं -

‘शिष्यऽस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्।’

गीता का अंत भी इसी से होता है-

‘मामेकं शरणं ब्रज।’

यह भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग से अनुप्राणित है। पराभक्ति, परमज्ञान तथा निष्काम कर्म ये तीनों वस्तुतः एक ही हैं। तीनों का अर्थ है- निर्विकल्प, अपरोक्ष आत्मानुभूति। कर्म करके चित्त शुद्धि प्राप्त करके, ज्ञान निष्ठा को प्राप्त करके भी पुरुष तब तक ज्ञान को प्राप्त नहीं करता है जब तक उसमें भक्ति का उदय न हो-

**‘भक्तया मामभिजानाति
यावान्यशचास्मि तत्त्वतः।
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते
तदनन्तरम्॥’¹⁸**

गीता कर्म, भक्ति और ज्ञान को पृथक-पृथक मार्ग न मानकर एक दूसरे से पूरक के रूप में स्वीकार करती है। भक्ति ज्ञान और कर्म को मोह केवल लौकिक व्यवहार में होता है। अपनी अन्तिम अवस्था में ये सब के सब उपरोक्ष अनुभूति में ‘परिणत हो जाते हैं। इन तीनों का समन्वय व्यावहारिक जीवन के लिए भी कल्याणकारी है। सच्चा कर्मयोगी भक्तिभाव से युक्त होकर सफलता-पूर्वक जीवन जीता है। वह अपने सभी कर्मों का कृष्णार्पण भाव से सम्पन्न करते हुए सभी प्राणियों में एक ही आत्मतत्त्व का दर्शन करता है।

पाद-टिप्पणी:

1. श्री मद्भगवद्गीता, 2/50.
2. वही, 2/48
3. गीता सौरभम्, विनोदकुमार शर्मा पृ०-24.
4. कठोपनिषद्, 1/18.
5. ईशावास्योपनिषद्, 1/2
6. श्री मद्भगवद्गीता, 2/17
7. वही, 3.13
8. वही, 18.16
9. कठोपनिषद्, 6.14
10. वृहा, 4.4.7
11. गीता, 2.55
12. कठोपनिषद्, 6.13
13. गीता, 9.31
14. वही, 9.29
15. वही, 18.65
16. वही, 7.21
17. वही, 7.17
18. वही, 18.55



कविगुरु रवीन्द्रनाथ टैगोर के मानव-स्वास्थ्य संबंधी विचार: एक शैक्षणिक अध्ययन

डॉ० सिद्धार्थ कुमार

“टैगोर के विचारों एवं विश्वासों का अध्ययन वस्तुतः उनके जीवन की कहानी का विवरण है। टैगोर ने भारत के दार्शनिक चिन्तन अथवा दर्शन के मूलार्थ को पहचाना। यही कारण है कि उनके संपूर्ण विचार क्रम में वैयक्तिक अनुभूति तथा अन्तर्सूझ पर बड़ा बल दिया गया है। उन्होंने अपनी एक प्रमुख रचना *रिलिजन ऑफ़ मैन* में कहा है कि वे जो कुछ भी कह रहे हैं वे अपनी अनुभूति के बल पर जहां उन्हें असीम आनन्द का अनुभव हुआ है तथा ऐसा प्रतीत हुआ है कि उनकी अनुभूतियाँ असीम को छूकर जगी है।”

टैगोर का मानव-विचार विलक्षण है क्योंकि वे ईश्वर के परम रूप को पूर्णतया स्वीकारते हुए भी मानव को एक विशिष्टता एवं गरिमा प्रदान करते हैं तथा उसे जगत में एक विशिष्ट स्थान देकर प्रतिष्ठित करते हैं। कुछ विद्वानों ने टैगोर को बहुधा मानवता का दार्शनिक कहा है। शायद उसका कारण भी यही है कि उनके दर्शन में मानव को एक केन्द्रीय स्थान प्राप्त है।

टैगोर ने जीव- विकास के इतिहास का चित्र उभारा है तथा वहाँ से यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि इस विकास-क्रम में मानव के उद्भव के साथ विकास के स्वरूप में भी परिवर्तन हो जाता है। उनका कहना है कि मानव

वातावरण या प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव से अछूता नहीं रहता। वे स्वीकारते हैं कि मानवीय अवयवों का जैसा आँख, कान आदि का विकास-प्रक्रिया की माँगों के अनुरूप ही हुआ है। अन्तर यही है कि मानव के अवयव उस प्रकार काम नहीं कर पाते, जिस प्रकार वे मानव के पहले करते रहे थे।

टैगोर का कहना है कि मानव के उद्भव में दो ऐसे तथ्य प्रकाश में आते हैं जो मानव के स्वरूप के संबंध में महत्वपूर्ण हैं। प्रथमतः यह तो स्पष्ट है कि मानव के स्वरूप का एक अंश उसका भौतिक एवं जैविक अंश है जो उसे विकास प्रक्रिया से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट होता है कि मानव के स्वरूप में एक ऐसा भी अंश है जो उसका अभौतिक एवं आध्यात्मिक अंश है तथा जो उसे विशिष्टता प्रदान करता है और जिसके कारण उसमें *स्वतंत्रता* का भी अंश विद्यमान है। टैगोर का कहना है कि मानव ससीम-असीम है।

टैगोर के अनुसार मानव के स्वरूप के दो पक्ष हैं एक श्रेष्ठतर पक्ष है तथा दूसरा उसका भौतिक-जैविक पक्ष है, जो पहले की तुलना में निम्नतर है। उन्होंने कहा है कि मानव धरती का बालक तो अवश्य है किन्तु स्वर्ग का उत्तराधिकारी टैगोर के अनुसार मानव के स्वरूप का एक प्रमुख लक्ष्य उसका अहं-भाव है। यह अभिमान का रूप ले सकता है, अहंकार या घमंड का रूप ले सकता है, हर बात पर अपने को हावी करने का रूप ले सकता है आदि, किन्तु उन सभी कार्यों में मूल प्रवृत्ति अपने अहं को संतुष्ट करना ही रहता है। ऐसा संभव है कि अहं संतुष्टि की चाह में व्यक्ति अविवेकी भी हो यदि उसके अहं को चोट लगती है तो वह कुछ हो जा सकता है या बदला या प्रतिघात के लिए उन्मत्त हो जा सकता है। टैगोर स्वीकारते हैं कि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि शरीर मनुष्य के अधिकतर काम इसी स्व को संतुष्ट करने के लिए ही किये जाते हैं। यही कारण है कि अपने इस जीवन में अपनी विशिष्टता को, अपनी वैयक्तिकता को बचाने रखने का हर प्रयत्न करता है। इस विचार में व्यक्ति को एक विचित्र अहं-तृप्ति मिलती है कि वह दूसरों से श्रेष्ठ है या अनुठा है। यह आम बात है कि हर व्यक्ति अपने को सबसे अधिक बुद्धिमान समझता है तथा अन्य के सभी कार्यों पर अपने निर्णय को ही यथार्थ समझता है। चाहे वह कार्य वैज्ञानिक खोज का कार्य हो या राजनीतिक सूझ का या कोई भी कार्य हो व्यक्ति अपने को उसका अन्तिम निर्णायक ही समझता है।

वस्तुतः इस प्रकार के विचार से उसका अहं संतुष्ट होता है। अपने इस अनूठेपन को बचाये रखने में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है कष्ट भी झेल सकता है।

टैगोर के विचारानुसार मनुष्य वस्तुतः इस जीवन में अपनी इच्छाओं का दास बना रहता है। टैगोर ने इस स्तर की प्रमुख इच्छाओं का क्रमानुसार विवरण दिया है। वे कहते हैं कि इस स्तर की सबसे स्पष्ट एवं सबसे सामान्य इच्छा तो शारीरिक आवश्यकताओं को पूरी करने की इच्छाएँ हैं। भोजन, आवास, काम, सुख, आराम आदि की इच्छाएँ इसी के अन्तर्गत आती हैं। इसके बाद शरीर की संपूर्णता से संबंधित इच्छा है। टैगोर द्वारा व्यवहार में लाए गए शब्द मानव की सीमितता का अर्थ है *सीमित आराम* अथवा साधारण शरीरधारी मनुष्य।

वे इस बात पर देखे हैं कि इसी *सीमित आत्मा* में असीम आत्मा की जड़ें विद्यमान हैं। यही सीमित आत्म विकसित होकर श्रेष्ठतर होता हुआ असीम आत्म की उपलब्धि कर पाता है।

टैगोर का कहना है कि जब भी हमें कुछ सम या श्रेष्ठ करने की आंतरिक प्रेरणा होती है या जब हम दूसरों के

लिए कष्ट झेलने या आत्म बलिदान के लिए तात्पर होते हैं तो इन कार्यों में आत्म-स्थित ईश्वरत्व की झांकी उपलब्ध है। मानव के स्वरूप की यह विशिष्टता है कि वह व्यक्ति को सदा और ऊपर उठने के लिए प्रेरित करता रहता है। टैगोर के अनुसार मानव स्वरूप का लक्षण है कि मनुष्य प्रकृति की ओर आकर्षित होता है। मनुष्य अपने भौतिक स्तर में प्रकृति की ओर वह अभिन्नता का भाव नहीं उत्पन्न कर पाता जैसा वह आध्यात्मिकता के स्तर पर कर पाता है। टैगोर के मतानुसार मानव स्वरूप से जुड़ी सभी क्रियाएँ एक प्रकार से आनंद रूप हैं, आनंद ही अभिव्यक्ति है। यहाँ आनन्द से टैगोर का तात्पर्य सुख नहीं है। सुख तो भौतिक स्तरीय लक्ष्य है, इन्द्रिय तृप्ति है शारीरिक संतुष्टि है।

आनंद आध्यात्मिक स्वर अभिव्यक्ति है। उदाहरणतः सत्य, शुभ एवं सुन्दर की ओर प्रेरित होना मूलतः आनन्द की अभिव्यक्ति है।

इस *आनंद* की वास्तविकता का एक स्पष्ट प्रमाण तो यही है कि जब भी मनुष्य अपने भौतिक जीवन से ऊपर उठता है तो वह उन क्षणों में कुछ देर

के लिए अपनी सारी चिन्ता, अपने सभी कष्ट भूल जाता है।

संदर्भ सूची:

1. रवीन्द्रनाथ टैगोर: *रिजिलीन ऑफ़ मैन*, पृ०-107
2. रवीन्द्रनाथ टैगोर: *साधना* पृ०-69
3. रवीन्द्रनाथ टैगोर: *पर्सनालिटी* पृ०-38
4. रवीन्द्रनाथ टैगोर: *क्रियेटिव यूनिटी* मैकमिलन एण्ड कम्पनी लिमिटेड, इंडियन एडिशन- 1950
5. रवीन्द्रनाथ टैगोर: *क्राइसिस इन सिभिलाइजेशन* (शान्ति निकेतन, 1941)
6. रवीन्द्रनाथ टैगोर: *लेक्चर्स एण्ड एड्रेसज* - सम्पादक एन्थोनी सोस, मैकमिलन एण्ड कम्पनी, लंदन, 1928
7. रवीन्द्रनाथ टैगोर: *पर्सनालिटी* - मैकमिलन एण्ड कम्पनी (इंडियन एडिशन, 1948)
8. रवीन्द्रनाथ टैगोर: *टू रिजिलेन्स ऑफ़ मैन* तीसरा संस्करण, जार्ज एवन अनविन, लंदन, 1949.
9. रवीन्द्रनाथ टैगोर: *साधना* मैकमिलन एण्ड कम्पनी, लंदन, 1947.
10. रवीन्द्रनाथ टैगोर: *अवर्ड्स यूनिवर्सल मैन*, एशिया पब्लिकेशन हाउस, बम्बई, 1961.
11. सोमेन्द्रनाथ टैगोर: *रविन्द्रनाथ टैगोर एण्ड यूनिवर्सल ह्यूमेनिज्म* - से मैक्यूम कम्पनी, बम्बई 1961.
12. बसंत कुमार लाल: *समकालीन भारतीय दर्शन*, मोतीलाल बनारसीदत्त, दिल्ली, 1999.



मानवाधिकार और दलितः भारतीय संदर्भ में

दीपक कुमार दिनकर

सुधांशु शेखर

भूमिका

मैं एक ऐसे भारत के लिए कार्य करूँगा, जिसमें सबसे अंतिम व्यक्ति भी यह महसूस करे कि यह देश उनका अपना है और इसके निर्माण में उनकी प्रभावकारी भूमिका है। ...ऐसे भारत में छुआछूत एवं ऊँच-नीच की भावना नहीं होगी और सभी लोग सामंजस्य एवं प्रेम के साथ रहेंगे। इसमें शोषण एवं अन्याय के लिए कोई स्थान नहीं होगा...।” -महात्मा गाँधी

आजादी के 65 वर्ष बीत गए, मगर गाँधी का सपना आज तक साकार नहीं हो पाया। हम आज तक अस्पृश्यता निवारण का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए हैं और दलितों के मानवाधिकारों के हनन की घटनाएँ भी जारी हैं। ऐसे में भारतीय संदर्भ में ‘मानवाधिकार और दलित’ पर विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है। इसी उद्देश्य से हमने यह शोध-आलेख तैयार किया है।

मानवाधिकार और दलित

संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा जारी ‘मानवाधिकारों के सार्वभौम घोषणा-पत्र’ में कहा गया है - “किसी भी व्यक्ति के साथ प्रताड़ना, क्रूरता, अमानवीयता एवं घृणित व्यवहार नहीं किया जाएगा।” भारतीय संविधान में भी सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के 6 मुख्य अधिकार दिए गए हैं। उन अधिकारों

में मोटे तौर पर निम्न बातें शामिल हैं-¹ (i) समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18), (ii) स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 एवं 21), (iii) शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 एवं 24), (iv) अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप में मानने, आचरण, प्रचार करने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 23 एवं 24), (v) अल्पसंख्यकों का अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि को बनाए रखने तथा अपनी रूचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार (अनुच्छेद 29 एवं 30) और (vi) इन सभी मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)।

भारतीय संविधान की कई अन्य धाराएँ भी दलित सहित देश के सभी नागरिकों के मानवाधिकारों का संरक्षण करती हैं। मसलन, धारा 14 में सभी नागरिकों को समता का अधिकार दिया गया है, जिसमें कहा गया है- “राज्य भारत के अंदर हर किसी को विधि के समक्ष समानता एवं कानूनों की समान सुरक्षा से इंकार नहीं करेगा।” इसी तरह धारा 15 (1) में कहा गया है- (राज्य किसी नागरिक के साथ मात्र धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।” साथ ही धारा 15(2) में प्रावधान है- “दुकान, होटल, सार्वजनिक, मनोरंजन-स्थल, कुआँ, तालाब, स्नान घाट, सड़क, जनता के ठहरने के स्थान, जो अंशतः या पूर्णतः सरकारी निधि से संचारित हो, या आम जनता के उपयोग के लिए घोषित हों, के बावत किसी नागरिक को मात्र धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई रोक या शर्त नहीं होगी।” फिर धारा 16 (1) में कहा गया है, “राज्य के अधीन किसी रोजगार या नियुक्ति हेतु सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी।” आगे 16 (2) में इसे और स्पष्ट किया गया है- “राज्य के अधीन किसी रोजगार या कार्यालय हेतु कोई नागरिक, धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर अयोग्य नहीं होगा अथवा उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे धारा 17 में अस्पृश्यता निवारण की बात है और धारा 18 में शिक्षा एवं सेना को छोड़कर शोष सभी उपाधियों का अंत किया गया है। इसके अतिरिक्त धारा 19-22 तक विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएँ दी गई हैं, जैसे-

नेट (यूजीसी), जेआरएफ (आरजीएनएफ), विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग,
तिलकामाँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

नेट (यूजीसी), जेआरएफ (आईसीपीआर), स्नातकोत्तर दर्शनशास्त्र विभाग,
तिलकामाँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

अभिव्यक्ति एवं भाषण की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी आने-जाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी कोई व्यवसाय या नौकरी आदि करने की स्वतंत्रता, ससम्मान जीने के अधिकार आदि।

उक्त संवैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त संविधान की धारा 23 (1) भी मानवाधिकारों की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें दलितों के लिए समता एवं स्वतंत्रता के अधिकारों का प्रावधान है और बेकारी या बंधुआ मजदूरी एवं शोषण आदि के निषेध की बात कही गई है। इसके अतिरिक्त 'नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम', 1955 को लागू करके भी भारत सरकार ने अस्पृश्यता आदि कुप्रथाओं से निजात दिलाने के उपाय किए हैं। इस कानून की धारा 3 में धार्मिक अधिकार, धारा 4 में सामाजिक अधिकार, धारा 5 में अस्पताल आदि में भेदभाव न किए जाने का अधिकार, धारा 6 में वस्तुएँ बेचने एवं सेवाएँ देने का अधिकार दिया गया है और धारा 7 में अस्पृश्यता पर आधारित अपराधों के लिए दंड आदि की समुचित व्यवस्था की गई है। इसकी धारा 7 (1) (a) में स्पष्टतः कहा गया है- "जो कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद-17 के अधीन अस्पृश्यता उन्मूलन के कारण किसी व्यक्ति को प्राप्त किसी अधिकार के प्रयोग किए जाने पर विरोध स्वरूप या प्रतिशोध लेने की भावना से उसके जानमाल के विरुद्ध अपराध करता है, तो वह दो वर्ष की अवधि के कारावास से दंडनीय है, वह कम-से-कम दो वर्ष की अवधि के कारावास एवं जुर्माना से भी दंडनीय होगा।"

जाहिर है कि स्वतंत्र भारत में दलितों के मानवाधिकारों की रक्षा हेतु कई

संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। मगर, हम इन प्रावधानों को व्यावहारिक धरातल पर उतारने में आज भी सफल नहीं हो पाए हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में दलितों को आज भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

इनमें से कुछ समस्याओं की बानगी निम्न है :

(i) संविधान में अस्पृश्यता निवारण संबंधी कानूनी प्रावधान के बावजूद कहीं-कहीं अभी भी वर्ण-जाति आधारित अस्पृश्यता (छुआछूत) जारी है। उदाहरण के लिए वर्ष 2007 में बिहार राज्य अंतर्गत जहानाबाद जिले के घोसी ब्लाक में परावन पंचायत की नव-निर्वाचित मुखिया जयंती देवी (दलित वर्ग) को पंचायत सेवक (सचिव) रामवचन शर्मा ने कुर्सी पर नहीं बैठने दिया और उसे अपमानजनक जातिसूचक शब्दों से संबोधित कर जलील किया। इसके बाद मुखिया जयंती देवी ने थाने में अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत (मई 2007 में) मामला दर्ज कराया। इधर, उत्तर प्रदेश के कुछ विद्यालयों में दलित वर्ग के लोगों द्वारा मध्याह्न भोजन बनाने के विरोध के कई मामले प्रकाश में आए। इन मामलों में विरोध करने वालों में उच्च जातियाँ ही नहीं, मध्यम जातियाँ भी शामिल थीं। छुआछूत की ऐसी भावना हिंदुओं के अलावा सिक्ख धर्म (मजहबी सिक्ख को जार सिक्ख अछूत समझते हैं और अमृतसर गुरुद्वारा में

उनके लिए दरवाजा है), इस्लाम (अशरफ, अजलाफ एवं अजलान) तथा ईसाई धर्म में भी अछूत हैं।²

(ii) सैकड़ों वर्षों से भारत तथा कई अन्य देशों में दलितों के एक समुदाय 'मेहतर' द्वारा सिर पर मैला ढोने की प्रथा रही है। वे अपने हाथों से मल-मूत्र जमा करते हैं और उन्हें किसी बर्तन में डालकर सिर पर ढोते हुए बाहर गंदे नाले आदि में फेंकते हैं। भारत सरकार ने इस अमानवीय प्रथा पर कानूनन रोक लगा दी है। मगर, व्यवस्था में कई जगहों पर यह प्रथा जारी है। भागलपुर (बिहार) जैसे छोटे शहरों में तो कई लोग दलित बच्चों से शौचालय एवं उसकी टंकी आदि साफ कराने का काम करवाते हैं। आर्थिक मजबूरी एवं जागरूकता का अभाव ऐसी घटनाओं की मुख्य वजह है, इसलिए इस दृष्टि से भी प्रयास करने की जरूरत है। साथ ही, सरकार का 2012 तक भारत को खुले में मल त्याग से भी मुक्ति दिलाने का जो लक्ष्य है, उस दिशा में भी अभी और अधिक जन-जागरूकता की जरूरत है।

(iii) दलित उत्पीड़न की घटनाएँ आए दिन जहाँ-तहाँ प्रकाश में आते रहती हैं। ऐसी ही कुछ घटनाएँ 2005-06 में हरियाणा के दुलीना/गोहाना जैसे गाँवों में घटी, जहाँ दलितों को दबंग जाटों ने मारा-पीटा और जिंदा जला दिया। वर्ष 2010 में बिहार में एक ऊँची जाति की बराती

में कुर्सी पर बैठने के कारण एक दलित युवक को गोली मार दी गई। ऐसी कई घटनाएँ अक्सर अखबारों में आती रहती हैं। एक अनुमान के मुताबिक देश में हर एक घंटे में दो दलितों को हिंसक हमले का शिकार होना पड़ता है, प्रत्येक दिन दो दलितों की हत्या कर दी जाती है और दो दलितों के घरों में आग लगा दी जाती है।³

(iv) दलितों की एक अन्य समस्या जाति के आधार पर चिढ़ाना और मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न देना है। हमारे समाज में प्रचलित 'मार-मार कर भंगी बनाने' की कहावत भी दलित उत्पीड़न से जुड़ी है। इसके अलावा प्रायः जाने-अनजाने चोरी-चमारी, चमार-चूहाड़ आदि शब्दों का प्रयोग कर दलितों को बदनाम एवं अपमानित किया जाता है। इसे रोकने के लिए हरिजन एक्ट बना है। लेकिन, कई बार जानकारी के अभाव में दलित इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। कुछ मामलों में स्वार्थी तत्त्व दलितों के कंधे पर बंदूक रखकर इस एक्ट का बेवजह दुरुपयोग कर लेते हैं, इससे भी सामाजिक न्याय की भावना आहत होती है।

(v) दलितों की एक प्रमुख समस्या गरीबी है। लगभग 65-70 प्रतिशत दलित आज भी गरीबी-रेखा के नीचे गुजर-बसर कर रहे हैं। देश की कुल आबादी में 16 प्रतिशत दलित हैं, लेकिन उनके पास कुल खेती योग्य जमीन का केवल एक प्रतिशत हिस्सा ही

है।⁴ करीब तीन-चौथाई दलित भूमिहीन हैं। दलितों में बेरोजगारी की समस्या भी काफी विकराल है। यद्यपि, बंधुआ मजदूरी से उन्हें बहुत हद तक निजात मिल गई है, लेकिन वे अभी भी न्यूनतम मजदूरी, अनियमित काम और ज्यादातर कठिन शारीरिक काम आदि की समस्याओं से जूझ रहे हैं। मनरेगा की रोशनी भी गाँधी के अंतिम व्यक्ति (दलित/महादलित) तक कम ही पहुँच पाती है।

(vi) दलित महिलाओं को तो दोहरी मार झेलनी पड़ती है। एक तो दलित होने का दंश ही अपने आप में भयावह है और ऊपर से महिला होने की मजबूरी भी उसे परेशान करती है। इतिहास साक्षी है कि दिन के उजाले में छूआछूत बरतने वाले उच्च एवं मध्यम जातियों के लोग रात के अंधेरे में दलित महिलाओं का यौन-शोषण करते थे। आज भी दलित महिलाओं के बलात्कार प्रायः उच्च तथा मध्यम जातियों के पुरुषों द्वारा होता है।⁵ दुर्भाग्य यह है कि कई बार हमारी अदालतें भी ब्राह्मणवादी मानसिकता से ग्रसित होकर सवर्णों को दलित महिला से बलात्कार के जुर्म में बरी कर देती है कि सवर्ण दलितों को नहीं छू सकते!

(vii) हम जानते हैं कि भारतीय समाज की वर्ण-व्यवस्था के तहत दलितों को शिक्षा के अधिकारों से वंचित किया गया था। बाद में महात्मा बुद्ध, ज्योतिबा फूले, सावित्री बाई फूले, महात्मा गाँधी, डॉ. भीमराव अम्बेडकर

आदि के प्रयासों से दलितों को इस क्षेत्र में प्रवेश मिला। स्वतंत्र भारत में दलितों सहित सभी नागरिकों को शिक्षा के अवसर दिलाने के काफी प्रयास हुए हैं। इसके बावजूद दलितों की शिक्षा में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। तभी तो 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर मात्र 37.4 प्रतिशत है और कई राज्यों की स्थिति इस राष्ट्रीय औसत से भी बदतर है। मसलन, दलितों की साक्षरता बिहार में मात्र 19.5 प्रतिशत, राजस्थान में 26.3 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 26.8 प्रतिशत, अरूणाचल प्रदेश में 31.6 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 35.1 प्रतिशत और उड़ीसा में 36.7 प्रतिशत है। बिहार में दलित महिलाओं की साक्षरता मात्र 7 प्रतिशत, राजस्थान में 8.3 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 10.7 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 18.1 प्रतिशत, उड़ीसा में 20.7 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश एवं अरूणाचल प्रदेश में 20.9 प्रतिशत, हरियाणा में 24.2 प्रतिशत, कर्नाटक में 25.95 प्रतिशत और बंगाल में 28.87 प्रतिशत है। लेकिन, केरल में दलित पुरुषों की साक्षरता 85.2 प्रतिशत एवं दलित महिलाओं की साक्षरता 74.3 प्रतिशत और मिजोरम में दलित पुरुषों की साक्षरता 77.5 प्रतिशत एवं महिलाओं की साक्षरता 81.2 प्रतिशत इसका अपवाद ही है। यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि शिक्षा में प्रसार का लाभ पासवान (दुसाध), रविदास

(चमार) एवं रजक (धोबी) आदि कुछ खास जातियों को ही ज्यादा मिला है। बहुत सी दलित जातियों, यथा-मुसहर, भंगी, मेहतर, नट, पासी आदि में साक्षरता एवं शिक्षा का स्तर आज भी काफी नीचे है। उदाहरण के लिए बिहार में मुसहर जाति में साक्षरता मात्र 2 प्रतिशत है और उनकी महिलाओं में यह मात्र 0.5 प्रतिशत है। आरक्षण का लाभ भी कुछ खास दलित को ही ज्यादा मिलता रहा है। यही सब देखते हुए बिहार की नीतिश सरकार ने निम्नवर्गीय दलितों को महादलित की श्रेणी में रखकर उनके लिए विशेष प्रावधान किए हैं, जिसका सकारात्मक फल मिल रहा है। लेकिन, अभी यह इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

(viii) शिक्षण संस्थानों में दलित छात्र-छात्राओं के साथ भेदभाव अभी भी जारी है। इनमें कई नामी-गिरामी संस्थानों के नाम भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए 2006-07 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एम्स), नई दिल्ली में दलितों के साथ भेदभाव का मुद्दा प्रकाश में आया। इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष प्रो. सुखदेव थोरात की अध्यक्षता में एक जाँच समिति गठित की। इस समिति ने अपने जाँच में पाँच चीजें पाई-⁶

(a) प्रशासन ने मंडल दो के विरुद्ध चले आंदोलन को हवा दी और समर्थन नहीं

करने वाले विद्यार्थियों/स्टाफ को परेशान किया।

(b) शिक्षक अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के प्रति उदासीनता बरतते हैं।

(c) परीक्षा के मूल्यांकन में अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के साथ भेदभाव किया जाता है।

(d) प्रशासन रजिस्ट्रेंट चिकित्सकों एवं अध्यापकों की नियुक्ति में आरक्षण नियमों का उल्लंघन करता है।

(e) अनुसूचित जाति-जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रावास में कमरा देने, भोजन सुविधा, खेलकूद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के मामले में अलग-थलग रखा जाता है।

(ix) दलित उत्पीड़न का मामला धर्मांतरण से भी जुड़ा हुआ है। मालूम हो कि 1956 ई. में डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने नागपुर की दीक्षा भूमि में पाँच लाख दलितों के साथ हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। इसी तरह कुछ वर्षों पूर्व भारतीय राजस्व सेवा की नौकरी को छोड़कर राजनीति में आए 'इंडियन जस्टिस पार्टी' के अध्यक्ष उदित राज ने नई दिल्ली के रामलीला मैदान में दस लाख दलितों का हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में धर्मांतरण करने की घोषणा की थी, लेकिन, सरकार ने उन्हें उक्त मैदान आवंटित नहीं किया और उदित राज सहित कुछ सौ लोग ही बौद्ध धर्म स्वीकार कर सके। ऐसे

लोगों का मानना है कि हिंदू धर्म में रहते हुए दलितों के मानवाधिकार सुरक्षित नहीं हैं, इसलिए इस धर्म का त्याग करना जरूरी है। वैसे, जगजीवन राम, कांशी राम आदि अन्य दलित नेताओं ने हिंदू धर्म में ही दलितों के लिए सुरक्षित 'स्पेस' बनाने की बात कही है। इस विचारधारा पर भी कई लोग काम कर रहे हैं। दलित लेखक डॉ. धर्मवीर इस संबंध में अपने स्वतंत्र विचारों के लिए चर्चित हैं। उनका मानना है कि दलितों का हिंदू एवं बौद्ध दोनों धर्मों से अलग अपना स्वतंत्र धर्म है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान एवं गुजरात आदि राज्यों में ईसाई मिशनरियों के द्वारा आदिवासियों के साथ-साथ दलितों का भी धर्मांतरण कराने की घटनाएँ प्रकाश में आती रही हैं। इसके कारण कई बार ईसाई एवं हिंदू समुदाय के बीच सांप्रदायिक झगड़े की नौबत भी आ जाती है। कुछ वर्ष पूर्व उड़ीसा में ग्राह्य एस. स्टेंस और उनके दो पुत्रों को जलाकर मार डालने की घटना के पीछे भी धर्मांतरण का विवाद ही थी। इसी तरह वर्ष-2009 में धर्मांतरण विवाद को लेकर कंधमाल (उड़ीसा) में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए। इसलिए, यह जरूरी है कि लोभ-लालच या भय के सहारे किए गए धर्मांतरण पर रोक लगे, लेकिन स्वैच्छिक धर्मांतरण में कोई बाधा नहीं डाली जानी चाहिए।

निष्कर्ष

भारत में दलितों के मानवाधिकार का मामला सामाजिक न्याय के संघर्ष

से जुड़ा है। जाति-व्यवस्था एवं वर्ण-व्यवस्था का उन्मूलन इसकी प्राथमिक शर्त है। इसके लिए गौतम बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले, सावित्री बाई फूले, महात्मा गाँधी, डॉ. भीमराव अम्बेडकर, जयप्रकाश नारायण और डॉ. राममनोहर लोहिया आदि महापुरुषों ने अपने-अपने स्तर से प्रयास किया है। परिणामतः आज दलितों की स्थिति में बहुत कुछ बदलाव आया है। लेकिन, मंजिल अभी भी दूर है। अतः, हम सबों को मिलजूलकर इस दिशा में प्रयास करने की जरूरत है। जैसा कि कवि

राम गोपाल बेवस लिखते हैं -

“उम्र खपा दी मसीहों ने/बेहतरी के लिए/फिर भी बदला नहीं जमाने का मिजाज/बदलना मुश्किल है, इस जमात को/किसी एक के लिए/ जरूरत है कि आज/ हर कोई भीम बने/मनु के अक्स को धरती से मिटाने के लिए।” तो आइए हम भी अपना कुछ समय समाज की बेहतरी के लिए दें...!

संदर्भ सूची:

1. कश्यप, सुभाष; **हमारा संविधान**, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, पृ. 76-77.

2. शर्मा, सुभाष; 'दलितों और अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार', **भारत में मानवाधिकार**, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, पृ.175.
3. **ह्युमनस्कोप**, सितंबर 2001, मुंबई आवरण।
4. दुबे, अभय कुमार; 'अछूत की शिकायत', **आधुनिकता के आईने में दलित**, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2004, पृ. 24.
5. शर्मा, सुभाष; 'दलितों एवं अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार', **भारत में मानवाधिकार**, पूर्वोक्त, पृ. 175.
6. वही, पृ. 180.
7. बेवस, राम गोपाल; **जिंदगीनामा**, भारतीय प्रकाशन, भोपाल, 1999, पृ. 4-5.



भारत में समाजवाद

विजय कुमार

भारत में साम्यवादी आन्दोलन का जन्म नवम्बर 1917 की बोलशेविक क्रान्ति के बाद के युग में हुआ। इस आन्दोलन से सारे प्राच्य जगत में भयंकर विस्फोटक परिणाम हुए थे। दलित तथा शोषित वर्ग मास्को को एक नया स्वर्ग समझने लगे और लेनिन की एक नए पितामह और मसीहा के रूप में पूजा करने लगे। सुनयात-सेन, मानवेन्द्रनाथ राय, होची मिन्ह, माओत्से तुंग, चाऊ-एन-लाई, जे०एल० नेहरू आदि प्राच्य के महत्वशाली राजनीतिक नेताओं को रूस से प्रेरणा मिली और पूर्वी जगत के परम्परानिष्ठ तथा पाण्डित्यवादी देशों में मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारधारा प्रवेश करने लगी। मानवेन्द्रनाथ राय भारतीय साम्यवाद के संस्थापकों में से थे।

भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना दिसम्बर 1925 में कानपुर में हुई थी। इससे पूर्व 1921 और 1924 के दौरान भारतीय क्रान्तिकारियों के प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत में और अन्य देशों में साम्यवादी गुटों का उदय हुआ। ये भारतीय क्रान्तिकारी सोवियत संघ की अक्टूबर की समाजवादी क्रान्ति से प्रेरणा ग्रहण कर राष्ट्रीय स्वाधीनता की प्राप्ति हेतु नए मार्ग प्रशस्त कर रहे थे। ये सभी गुट दिसम्बर 1925 में आयोजित कानपुर सम्मेलन में एक दूसरे के सम्पर्क में आए और उन्होंने भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना की।

समाजवादी आन्दोलन का उदय और विकास: भारतीय समाजवादी दल के बदलते आयाम

भारत में साम्यवादी चिन्तन के बीज तो अति प्राचीन काल से ही पाए जाते हैं और ऋग्वेद तथा धर्म ग्रन्थों में, विशेषकर 'धम्मपद' में मानव एकता, भ्रातृत्व और आध्यात्मिक समानता के सिद्धान्तों के दर्शन होते हैं, तथापि आधुनिक अर्थ में भारतीय समाजवादी चिन्तन बीसवीं शताब्दी की उपज है "आर्थिक तथा सामाजिक पुनर्निर्माण के दर्शन के रूप में समाजवाद भारत में पश्चिम के प्रभाव से ही विकसित तथा लोकप्रिय हुआ है। पश्चिम के आधुनिक समाजवादी विचारों को भारतीय समाजवादी नेताओं ने भारतीय परिस्थितियों,

वातावरण और चिन्तन के अनुरूप ढालने की कोशिश की" भारत में आधुनिक समाजवाद के उदय चिह्न को लें तो कहना होगा कि समाजवादी तत्वों का प्रथम दर्शन हमें अरविन्द के उन सात लेखों में मिलता है जिन्हें 1893 में उन्होंने इन्द्रप्रकाश नामक पत्र में 'पुराने के बदले नवीन दीप' (New Lamp for the Old) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित कराया था। इन लेखों में अरविन्द ने कांग्रेस की मध्यवर्गीय मनोवृत्ति की आलोचना करते हुए सर्वहारा की दशा को सुधारने का आग्रह किया था।

लाला लाजपतराय सम्भवतः वे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने समाजवाद और 'बोलशेविकवाद' के विषय में कुछ लिखा था। उन्होंने अपनी पुस्तकों में कांग्रेस पर पूँजी आधिपत्य की कटु आलोचना की थी। 1920 में 'इण्डियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस' के अधिवेशन का सभापतित्व भी लाला लाजपत राय ने किया था। एम०एन० राय, जिन पर मार्क्सवाद का प्रभाव था, ने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बुर्जुआ वर्ग द्वारा संचालन की आलोचना की थी। चितरंजन दास 1917 की रूसी क्रान्ति से प्रभावित हुए तथापि क्रान्ति के प्रति उनमें कोई सहानुभूतिपूर्ण आकर्षण नहीं था। दास यद्यपि समाजवादी नहीं थे। किन्तु उन्होंने भारत में ट्रेड यूनियन आन्दोलन के सम्बन्ध में बड़ी सहायता की थी। भारत में समाजवादी चिन्तन को प्रोत्साहन देने में पण्डित मोतीलाल और जवाहरलाल नेहरू ने 'सोवियत रशिया' नामक अपनी एक लघु पुस्तिका में रूस की तत्कालीन उपलब्धियों का प्रशंसात्मक वर्णन किया और विश्व इतिहास की झलक तथा आत्मकथा में कार्ल मार्क्स की वैज्ञानिक एवं आर्थिक पद्धति की भारी प्रशंसा की थी। इन पुस्तकों में हमें आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की मार्क्सवादी व्याख्या पर जवाहरलाल नेहरू के विचारों का सुनहरा परिचय मिलता है।

भारत में समाजवादी चिन्तन का प्रारम्भ तो काफी पहले ही हो गया, लेकिन समाजवादी आन्दोलन का वास्तविक श्रीगणेश मई, 1934 में हुआ जब कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई। यह भारत में समाजवाद के संगठनात्मक विकास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। 1932-33 में नासिक के केन्द्रीय कारावास में और 1933-34 में उत्तर प्रदेश तथा मुम्बई प्रान्तों में समाजवादी गुट स्थापित हो चुके थे और इन्हीं गुटों ने वास्तव में कांग्रेस समाजवादी दल के बीच कार्य किया।

शोध छात्र, बी.आर.ए., बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर

समाजवादियों का प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन 17 मई, 1924 को पटना में आचार्य नरेन्द्र देव की अध्यक्षता में हुआ था।

कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख प्रतिपादकों में जयप्रकाश नारायण, डॉ० लोहिया, अशोक मेहता, आचार्य नरेन्द्र देव आदि थे। ये समाजवादी नेता, जोकि समाजवादी आन्दोलन के प्राण समझे जाते थे, अत्यन्त ही योग्य, नवयुवक, उत्तर भारत के कांग्रेसी और मुख्यतः शहरी मध्यम वर्ग के व्यक्ति थे, जिनमें से कई ने अपनी राजनीतिक विचारधारा के कारण परिवार या विवाह तक का त्याग कर दिया था। सैद्धांतिक रूप से ये नेता तीन मिश्रित प्रवृत्तियों में विभाजित थे—

1. मार्क्सवादी,
2. अंग्रेजी मजदूर दल सरीखे सामाजिक लोकतन्त्रवादी,
3. लोकतन्त्रात्मक समाजवादी जिन पर कि गांधीजी के विकेन्द्रीकरण सिद्धान्त तथा सविनय अवज्ञा के राष्ट्रवादी आन्दोलन का एवं वर्ग संघर्ष का प्रभाव था।

प्रथम प्रवृत्ति के प्रवर्तकों में जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेन्द्र देव प्रमुख थे, जबकि द्वितीय गुट में एम०आर० मसानी और अशोक मेहता तथा तृतीय में अच्युत पटवर्धन और डॉ० राममनोहर लोहिया थे। उनकी परस्पर कोई स्पष्ट परिभाषित विचारधारा नहीं थी, किन्तु एक शान्त समझौता मार्क्सवादी एवं अमार्क्सवादियों में था, जिसके परिणामस्वरूप दल की विचारधारा, कार्यक्रम एवं विनिश्चयों में मार्क्सवादी शब्दावली का प्रयोग करने की अनुमति थी तथा दल को मार्क्सवादी कहा जाता था एवं अन्य मूल पार्टियों में से मार्क्सवादी-लेनिनवादी कहलाने की

अनुमति नहीं थी और न ही उसे दूसरे या तीसरे अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन से सम्बद्ध होने क अनुमति थी।

समाजवादियों ने देश के स्वाधीनता संघर्ष में कांग्रेस के साथ सहयोग किया। देश के राजनीतिक चिन्तन को उनकी मुख्य देन यह रही कि उन्होंने मार्क्सवाद के उद्देश्य तथा तकनीकों का राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य संघर्ष के साथ तालमेल बैठाने का प्रयत्न किया। इस क्षेत्र में समाजवादी लोग साम्यवादी लोगों से अधिक सफल हो सके। साम्यवादी 'तीसरे अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में' स्टालिनवाद को भारतीय राष्ट्रीयता से गुरुतर मान रहे थे। समाजवादियों को भी यह मानने पर बाध्य किया कि राष्ट्रवाद और समाजवाद के मूल रूप में ऐसी कोई विभिन्नता नहीं है जो दूर न की जा सकती हो और यह वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि थी।

कांग्रेस समाजवादी दल ने पहले यह तय किया था कि संविधान सभा में काम किया जाए, लेकिन उसने 1946 में अपने इस निर्णय को उलट दिया। समाजवादियों का 1937-39 में तथा फिर 1946-47 में कांग्रेस मंत्रिमण्डलों में काम करने से मना कर दिया गया। किन्तु जब फिर वे स्वयं की झूठी मान्यताओं के प्रतिफलित परिणामों से घबराए, जिनमें राजनीतिक घटनाक्रम उनके प्रतिकूल रहा तो कभी तो वे कोई निर्णय कर ही नहीं पाए और कभी स्वयं के पूर्व-निर्णयों विरोधाभास का निर्माण करते रहे।

1947 में कांग्रेस समाजवादी दल ने अपने कानपुर अधिवेशन में यह निर्णय किया कि दल के नाम से 'कांग्रेस' शब्द हटा दिया जाए और 1948 में समाजवादियों ने कांग्रेस को छोड़ देने का निर्णय ले लिया। इस प्रकार लगभग 14 वर्ष में कांग्रेस में रहने के उपरान्त

समाजवादियों ने उसका परित्याग करके 'भारतीय समाजवादी दल' नामक एक पृथक् दल की स्थापना की। आगे चलकर 1952 में कृषक मजदूर दल और भारतीय समाजवादी दल संयुक्त हो गए। इस संयुक्त दल का नाम 'प्रजासमाजवादी' दल रखा गया। कृषक मजदूर दल का विश्वास था कि हमारी अर्थव्यवस्था के विकसित क्षेत्र में समाजीकरण की अत्यधिक आवश्यकता है और समाजवादी दल का विश्वास था कि इस सामाजिक परिवर्तन के लिए शान्तिपूर्ण और लोकतान्त्रिक तरीके अपनाए जाएं। इस आधार पर यह आशा व्यक्त की गई कि इस विलय से सम्मेलन की वह प्रक्रिया शुरू होगी जो शीघ्र ही एक दृढ़ और विशाल क्रांतिकारी तथा समाजवादी दल का निर्माण करने में सहायक होगी।

भारत में समाजवादी चिन्तन के विकास की रूपरेखा स्पष्ट है कि भारतीय चिन्तन का विकास यूरोपीय समाजवाद के सन्दर्भ से दो तरीकों से भिन्न रहा—प्रथम, भारत में समाजवाद का विकास सामाजिक तथा आर्थिक पुनर्निर्माण की योजना के रूप में ही नहीं हुआ, बल्कि यह क्रूर विदेशी साम्राज्यवाद के बन्धनों से राजनीतिक मुक्ति की एक विचारधारा के रूप में विकसित हुआ। 1900 से 1947 के काल में भारत की मूल समस्या देश की राजनीतिक स्वतंत्रता थी और कोई भी लोकप्रिय दल उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ, भारतीय समाजवादी चिन्तन के लिए यह भी आवश्यक था कि वह खेतिहर मजदूरों के उद्धार की भी कोई सिद्धान्त और योजना प्रस्तुत करें। पश्चिमी यूरोप से सामन्तवाद का 18वीं शताब्दी तक प्रायः उन्मूलन हो चुका था, किन्तु भारत में साम्यवाद 20वीं शताब्दी के मध्य तक

फलता-फूलता रहा। अतः सामन्ती अभिजात्य वर्गीय विशेषाधिकारों पर प्रहार करने का कार्य पश्चिम में पूँजीवाद उदारवाद के प्रवर्तकों ने किया।

साम्यवादी आन्दोलन का विकास और राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ इसका सम्बन्ध

भारत में साम्यवादी आन्दोलन का वास्तविक कारण दिसम्बर 1925 में कानपुर में आयोजित पहले साम्यवादी सम्मेलन से माना जाना चाहिए। इस सम्मेलन में भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना की गई। इससे पूर्व 1921 तथा 1924 के दौरान भारतीय क्रान्तिकारियों के प्रयासों के फलस्वरूप भारत तथा अन्य देशों में छोटे-मोटे साम्यवादी गुटों का उदय हुआ। ये भारतीय क्रान्तिकारी सोवियत संघ की अक्टूबर की समाजवादी क्रान्ति से प्रेरित होकर राष्ट्रीय स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त कर रहे थे। उस समय भारत के स्वाधीनता अथवा राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व बुर्जुआ बुद्धिजीवियों के हाथों में था। ये नेता संवैधानिक उपायों में विश्वास रखते थे। उनके आधार पर उनकी गतिविधियों के कारण राष्ट्रीय आन्दोलन को जो मन्थरगति प्राप्त हुई थी, उससे क्रान्तिकारी युवकों में विश्कोभ और निराशा का आविर्भाव हुआ था। युवकों के इस वर्ग ने कांग्रेस के उदारवाद के विपरीत राष्ट्रीय

स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए नई विचारधारा और नए साधनों तथा तौर-तरीकों की खोज आरम्भ की। इस अवसर पर उन्होंने सोवियत संघ की अक्टूबर क्रान्ति तथा मार्क्स एवं लेनिन के विचारों के बारे में सुना, उन्हें मार्क्स और लेनिन ने प्रभावित किया और उन्होंने मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारधारा को भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन की परिस्थितियों में प्रेरित किया।

भारतीय साम्यवादी दल का प्रथम कार्यक्रम 1930 में तैयार किया गया और इसे 'कार्य प्रारूप मंच' की संज्ञा दी गई।

सन् 1926-27 के पश्चात् दल ने उग्र श्रमिक संघ आन्दोलन और किसान आन्दोलन संगठित करने का बीड़ा उठाया। साम्यवादी, राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर भी सक्रिय रूप से कार्यरत रहे और वे इसके भीतर रहते हुए इसके क्रान्तिकारी वर्गों को हमेशा अपना समर्थन प्रदान करते रहे। 1926-29 की अवधि में दल की प्रगति की दृष्टि से संगठनात्मक और राजनीतिक धरातल पर किया गया कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। इसी अवधि में दल में मजदूर संवर्गों को प्रशिक्षित और भर्ती किया गया था और तरुण कार्यकर्ता संघों की स्थापना भी की गई थी।

सन् 1935 में दल के सदस्यों की

संख्या मुश्किल से एक हजार थी। जब 1934 में दल के प्रथम सम्मेलन का आयोजन किया गया था, इसकी संख्या 16,000 हो गई थी। 1947 के अन्त तक, दूसरे सम्मेलन के समय तक दल के सदस्यों की संख्या 10,000 थी।

1937 में नए संविधान के अधीन सामान्य निर्वाचन हुए। सामान्य निर्वाचनों में भाग लेने की तैयारी के लिए और कांग्रेस का चुनाव घोषणा-पत्र स्वीकार करने के बाद में दिसम्बर 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन बुलाया गया था। साम्यवादी दल ने एक संशोधन के जरिए संविधान सभा की स्थापना के लिए सार्वजनिक संघर्ष की तैयारी की माँग की और साथ ही यह प्रस्ताव पास किया कि यदि कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाता है तो इसे सत्ता स्वीकार नहीं करनी चाहिए। इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया।

संदर्भ-सूची

1. ओ०पी० गाबा: राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा
2. रजनी कोठारी: पॉलिटिक्स इन इंडिया
3. जे०सी० जौहरी: समकालीन राजनीतिक सिद्धान्त
4. ज्ञान सिंह संधु: राजनीतिक सिद्धान्त
5. डॉ० पुखराज जैन: राजनीतिक सिद्धान्त
6. कुरुक्षेत्र ।
7. दैनिक हिन्दुस्तान ।



राजनीति में महात्मा गाँधी द्वारा सत्याग्रह की अवधारणा: एक विश्लेषण

पूर्णानन्द सिंह

सत्याग्रह की विधि, राजनीति को गाँधी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। गाँधी को इसकी प्रेरणा रूपी लेखक-विचारक तॉल्स्टॉय की रचनाओं से मिली। अमरीकी विचारक थ्यूरो ने भी सविनय अवज्ञा के विचार का प्रतिपादन किया था, और व्यक्तिगत तौर पर इसका प्रयोग भी किया था। गाँधी ने इसे और भी विकसित किया, और पहली बार इसे बड़े पैमाने पर राजनीति में इसका इस्तेमाल किया।

सत्याग्रह की विधि पर प्रयोग गाँधी ने पहले-पहल दक्षिण अफ्रीका में उन कानूनों के विरुद्ध किया जिनके द्वारा भारतीय लोगों के साथ भेदभाव बरता जाता था। उस समय इस विधि को 'निष्क्रिय प्रतिरोध' (Passive resistance) के नाम से जाना जाता था। बाद में गाँधीवाद में गाँधी ने इसे 'सत्याग्रह' का नाम दे दिया, क्योंकि उनके अनुसार यह निष्क्रिय नहीं, बल्कि एक सक्रिय विधि है।

भारत की स्वतंत्रता के आन्दोलन में गाँधी ने पहली बार सत्याग्रह की विधि का इस्तेमाल चम्पारण (बिहार); में किया। इसके बाद से सारे भारत में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। स्वतंत्रता मिलने के बाद भी भारत की राजनीति में विभिन्न राजनीतिक दलों और गैर-दलीय समूहों एवं आन्दोलनों द्वारा इस विधि का प्रयोग किया गया है। सत्याग्रह की विधि का इस्तेमाल सिर्फ सरकार के विरुद्ध ही नहीं, बल्कि छूआछूत जैसी सामाजिक कुप्रथाओं के विरुद्ध भी किया गया है। गाँधी के अनुसार सत्याग्रह की विधि का इस्तेमाल परिवार में भी किया जा सकता है।

“सत्याग्रह” शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है “सत्य” और “आग्रह”। “सत्याग्रह” का अर्थ है “सत्य के लिए आग्रह”। सत्याग्रही दृढ़ निश्चय के साथ, हर कष्ट को सहता हुआ और हर त्याग करता हुआ, सत्य पर टिका रहता है। गाँधी के अनुसार सत्य को अहिंसा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। “अहिंसा” की व्याख्या गाँधी भावात्मक रूप से करते थे। उनके अनुसार “अहिंसा” का अर्थ मात्र हिंसा का अभाव नहीं, बल्कि प्रेम है। सत्याग्रह में प्रेम और संयम के साथ सामने वाले व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया जाता है। इस तरह, सत्याग्रह की विधि सत्य और अहिंसा के नैतिक मूल्यों पर आधारित है।

सत्याग्रह की विधि सत्य और अहिंसा के नैतिक मूल्यों पर तो आधारित है ही। इसके अलावा, सत्याग्रह के मूल में यह विश्वास भी निहित रहता है कि **प्रत्येक मानव मूलतः स्वभाव से अच्छा होता है**। इसलिए, सत्याग्रह का उद्देश्य सामने वाले व्यक्ति को पराजित या अपराजित करना नहीं होता है; बल्कि उसकी अन्तर्निहित मानवीय भावनाओं को जगाकर, उसके विचारों में परिवर्तन लाना होता है। सत्याग्रही का उद्देश्य प्रेम द्वारा गलत काम करने वाले व्यक्ति की न्याय की भवना को जगा कर उसे सुधारना होता है।

गाँधी साध्य और साधन की एकता में विश्वास रखते थे। उसकी यह मान्यता थी कि साधन को साध्य के अनुरूप होना चाहिए उनके अनुसार आदर्श समाज के सत्य और अहिंसा पर आधारित होना चाहिए, और इस लक्ष्य को सत्य और अहिंसा पर आधारित विधि या सत्याग्रह की विधि द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है।

गाँधी के अनुसार सत्याग्रह का इस्तेमाल **अंतिम औजार के रूप में में किया जाना चाहिए**। सत्याग्रही व्यक्ति को पहले निष्पक्ष भाव से इस बात की जाँच कर लेनी चाहिए कि उसकी अपनी माँगे सही या न्यायोचित है या नहीं। उसे अपने दिमाग से समाने वाले व्यक्ति के प्रति हिंसा और नफरत की भावना को पूरी तरह निकाल देना चाहिए। पहले सामने वाले व्यक्ति को समझा-बुझा कर उसके विचारों में परिवर्तन लाने का प्रयत्न करना चाहिए। हर कदम पर सामने वाले व्यक्ति को सुधारने का पूरा मौका देना चाहिए। अगर इसमें सफलता न

मिले, तभी अन्तिम विकल्प के रूप में सत्याग्रह का रास्ता अपनाना चाहिए। वैसे, व्यापक अर्थ में सामने वाले व्यक्ति को समझाने का प्रयत्न भी सत्याग्रह का अंग है।

गाँधी के अनुसार सत्याग्रह की विधि को अपनाने के लिए नैतिक तैयारी जरूरी है। सत्याग्रही को निस्वार्थ, निर्भय, ईमानदार और अनुशासित होना चाहिए। इसके अलावा, सत्याग्रही को कष्ट सहने और त्याग करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। सत्याग्रही को मन, वचन और कर्म से सत्य और अहिंसा का पालन करना चाहिए। सत्याग्रही को मन, वचन और कर्म से सत्य और अहिंसा का पालन करना चाहिए।

सत्याग्रही की कथनी और करनी में एकता भी बहुत जरूरी है। सत्याग्रही व्यक्ति को सबसे पहले अपने-आप को उन बुराइयों से मुक्त कर लेना चाहिए, जिनके विरुद्ध वह संघर्ष कर रहा हो। इन सब बातों के अलावा यह भी जरूरी है कि सत्याग्रही मानव की अन्तर्निहित अच्छाई में विश्वास रखता हो। अगर नैतिक तैयारी के बिना सत्याग्रह की विधि का उपयोग किया जाए, तो वह प्रभावी नहीं रह जाता है, और सफलता की संभावना भी कम हो जाती है।

गाँधी के अनुसार सत्याग्रह कमजोर लोगों का हथियार नहीं है। सत्याग्रह के लिए हर तरह का कष्ट-लाठी, गोली और यहाँ तक कि मृत्यु-का सामना करने का साहस चाहिए। अगर सत्याग्रही व्यक्तियों में अपनी माँगों के न्यायोचित होने पर पूरा विश्वास न हो, और दमन का सामना करने का नैतिक बल न हो,

तो फिर ऐसे में सत्याग्रह पर आधारित आन्दोलन अधिक समय तक चल नहीं सकता है।

सत्याग्रह के कई रूप हैं—

- (i) **सविनय अवज्ञा**— इसके अन्तर्गत किसी अनुचित समझे जाने वाले कानून को तोड़ने, और टैक्स नहीं देने का अभियान शामिल है। लेकिन कानून तोड़ने के बाद सत्याग्रही स्वेच्छा से उसकी सजा भुगतने के लिए भी तैयार रहता है। उदाहरण के तौर पर, स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान गाँधी द्वारा “नमक सत्याग्रह” के जरिए नमक कानून को तोड़ा गया था।
- (ii) **असहयोग**— अन्याय करने वाले व्यक्ति या सरकार से असहयोग करना।
- (iii) **बन्द या हड़ताल**— विरोध व्यक्त करने के लिए काम-काज बन्द कर देना।
- (iv) **अनशन**— विरोध व्यक्त करने के लिए, किसी माँग के समर्थन में या अच्छी भावनाओं को जगाने के लिए उपवास करना। गाँधी ने हिन्दू-मुस्लिम दंगों को शान्त करने के लिए और कई अन्य अवसरों पर आमरण अनशन का सहारा लिया था।

कभी-कभी यह प्रश्न भी उठता है कि सत्याग्रह की विधि संवैधानिक है या असंवैधानिक। भारत जैसे संसदीय लोकतंत्र में सत्याग्रह की विधि को अपनाने का क्या औचित्य है? सत्याग्रह के अन्तर्गत कई बार नागरिकों द्वारा उन

कानूनों को जान-बूझकर तोड़ा जाता है, जिन्हें वे अन्यायपूर्ण समझते हैं इसलिए, अगर हम संवैधानिक विधि की व्याख्या कानून द्वारा मान्यता प्राप्त विधि के रूप में करते हैं, तो सत्याग्रह की विधि असंवैधानिक मालूम देती है। लेकिन सत्याग्रह के अन्य रूप भी हैं, जैसे, बन्द या हड़ताल।

अगर किसी मुद्दे पर अपनी असहमति या विरोध व्यक्त करने के लिए नागरिक स्वेच्छा से काम-काज बन्द कर देते हैं, तो इसमें असंवैधानिक कुछ भी नहीं है। सविनय अवज्ञा के अन्तर्गत सत्याग्रही द्वारा कानून को जरूर तोड़ा जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी सत्याग्रही उस कानून को तोड़ने की कानून द्वारा निर्धारित सजा भुगतने के लिए भी तैयार रहता है। इस तरह सत्याग्रही कानून को तोड़ते हुए भी सरकार के कानून बनाने और उसे लागू करने के अधिकार को चुनौती नहीं देता है, बल्कि वह स्वयं कष्ट सह कर किसी कानून-विशेष के अन्यायपूर्ण चरित्र की ओर अपनी सरकार और आम जनता का ध्यान आकर्षित करता है। इसलिए, सत्याग्रह की विधि को हिंसा और आतंकवाद की तरह पूरी तरह असंवैधानिक भी नहीं कहा जा सकता है। यह सही है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में संवैधानिक विधि का दायरा काफी व्यापक है, और राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आम तौर से कानूनी तरीकों को ही अपनाना चाहिए लेकिन सत्याग्रह तो एक अन्तिम औजार है। गाँधी और जयप्रकाश जैसे सत्याग्रह के समर्थक भी अन्तिम विकल्प के रूप में ही सत्याग्रह की विधि का समर्थन करते थे।

सत्याग्रह, विशेष कर सविनय अवज्ञा के औचित्य के बारे में गाँधी के विचार बिल्कुल स्पष्ट हैं। गाँधी के अनुसार आम नागरिकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि उनके सहयोग के बिना सरकार काम नहीं कर सकती है। इसलिए, उन्हें सरकार के कल्याणकारी कार्यों में, अच्छे कानूनों का पालन करने में, और राज्य की रक्षा करने में सरकार के साथ पूरा सहयोग करना चाहिए।

लेकिन दूसरी ओर, अगर राज्य जनता का शोषण करे, उनके विकास में बाधा उत्पन्न करे, तो नागरिकों का यह दायित्व हो जाता है कि वे अपना सहयोग वापस ले लें; और नैतिक दबाव एवं अहिंसक असहयोग द्वारा सरकार को सुधरने के लिए बाध्य करे। संक्षेप में, **सरकार द्वारा अनैतिक और अन्यायपूर्ण आचरण ही सत्याग्रह का औचित्य है।** सरकार द्वारा बनाए गए अनैतिक कानूनों का पालन करना नागरिकों का नैतिक दायित्व नहीं है।

सत्याग्रह की विधि सामाजिक-राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक उत्तम विधि है। यह सत्य और अहिंसा के मूल्यों पर आधारित

एक उच्च आदर्श है। **लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक विधि और अन्तिम विकल्प के रूप में सविनय अवज्ञा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।** लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसा और आतंकवाद के इस्तेमाल का कोई नैतिक औचित्य नहीं है। जहाँ पर परिस्थितियाँ अलोकतांत्रिक हो, वहाँ पर भी जहाँ तक सम्भव हो, इस विधि का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जैसा कि भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में किया गया था।

सत्याग्रह के मूल में सामने वाले व्यक्ति की अच्छाई में विश्वास निहित है। इसलिए, सत्याग्रह की सफलता बहुत कुछ सामने वाले की अच्छाई पर निर्भर है। हिटलर और स्टालिन जैसे निर्मम और क्रूर तानाशाहों के सामने सत्याग्रह की विधि कितनी कारगर होगी, इसमें संदेह है।

चीन की राजधानी बेइजिंग के प्रमुख चौराहे पर जब लोकतंत्र-समर्थक छात्र-युवा चीनी सेना के टैंकों के आगे लेट गए, तो उन्हें निर्ममता पूर्वक टैंकों

द्वारा कुचल दिया गया। इसी तरह, इसमें भी संदेह है कि विदेशी आक्रमणकारी सेना के सामने सत्याग्रही क्रूर तानाशाहों या आक्रमणकारी सेनाओं की “अन्तर्निहित मानवीय भावनाओं” को जगाने के प्रयत्न में अपने जान की बलि चढ़ा दे। सेना का मुकाबला सेना के जरिए ही किया जाना चाहिए। लेकिन एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सत्याग्रह की विधि कारगर हो सकती है।

संदर्भ सूची:

1. Economics of Alternatives : Khadi and Village Industries : Shyam Mohan, Janki Prakashan, 2001
2. महात्माँ गाँधी का समाज दर्शन: महादेव प्रसाद, हरियाणा साहित्य अकादमी, 1973
3. समाज और राजनीति दर्शन: डॉ॰ रमेन्द्र, मोतीलाल बनारसी दास, 2003
4. गाँधीजी की देन: डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2008
5. महात्मा गाँधी का सामाजिक एवं आर्थिक दर्शन: डॉ॰ अनुराधा कुमारी, प्राच्य प्रकाशन, पटना, 2009
6. मेरी विचार यात्रा: जयप्रकाश नारायण, सर्वसेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी, 2004
7. नील-संघर्ष और गाँधी: ब्रजकिशोर सिंह, प्राच्य प्रकाशन, पटना, 2009



जल संकट: एक अर्थशास्त्रीय विश्लेषण

डॉ० अनिल ठाकुर

बारहमासी बन चुकी पानी की समस्या गर्मियों में चरम पर होती है। विडंबना यह है कि इस विकराल समस्या को बहुत ही हल्के से देखा जाता है। सरकारों को छोड़ दे तो लोगों में भी इसके संरक्षण के प्रति संजीदगी नहीं दिखती है। शायद उनको लगता है कि केवल जल संरक्षण से समस्या थोड़े ही सुलझने वाली है। प्रकृति के अत्यधिक दोहन से धरती का गर्भसूखता जा रहा है। पहले चंद फीट नीचे का पानी अब पाताल में पहुँच चुका है। धरती के ऊपर के जल श्रोत ताल-तलैयाँ, झील, नदी सब या तो सूख रहे हैं या हम उन्हें सूखने पर मजबूर कर रहे हैं। शुद्ध जल के श्रोत और पर्यावरण की रक्षा के साथ-साथ जल प्रबंधन और भू-रिसर्च करने के जो साधन हमारे बुजुर्गों ने हमें दी थी, हमने उसे नाश किया है। नदी जो हमारी माँ है उन्हें बाँधने का काम हमने खुद किया। माँ को अगर बेड़ी में जकड़ दें तो निश्चित तौर पर विनाश हमारा ही होगा। कुआँ जो हमारे बुजुर्गों ने शुद्ध जल श्रोत के रूप में दिया था, हमने उसे कूड़ादान बनाया और इतना ही नहीं पखाने का टंकी बनाने का काम किया। पोखर, तालाब, आहर पाईन आदि की व्यवस्था जो हमारे समाज में बुजुर्गों के द्वारा स्थापित किए गए थे, आज हम उसके बन्द कर मकान और उस पर बाजार बसाने में लगे हैं।

जल हमारे देश की प्राकृतिक संपदा है, इसका सदुपयोग एवं प्रबंधन हम मानवों का उत्तरदायित्व है। जल जीवन का आधार है। जीवन जल के बिना सुरक्षित नहीं है इसलिए जल को सुरक्षित करना उतना ही जरूरी है जितना जीवन को। महान् वैज्ञानिक गेटे ने जल के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि प्रत्येक वस्तु जल से ही उत्पन्न होती है वह जल के द्वारा ही प्रतिपादित होती है। इसलिए तो कहा भी गया है- 'क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा'। पर्यावरण विशेषज्ञ गार स्मिथ ने भी जल के महत्त्व

को प्रतिपादित करते हुए लिखा है कि जल दुनिया का सबसे मुल्यवान संसाधन है। विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 70 प्रतिशत भाग जल से परिपूर्ण है। लगभग 97.3 प्रतिशत जल समुद्री खारे जल के रूप में है। यह जल पीने योग्य नहीं होता है। शेष 3 प्रतिशत जल में 2.01 प्रतिशत जल बर्फ और हिमखंडों के रूप में जमा है, मुश्किल से एक प्रतिशत जल ही पीने के रूप में उपलब्ध है जिसका एक बड़ा भाग भूजल के रूप में भूमि के नीचे है, इससे स्वच्छ जल की मात्रा का अनुमान लगा सकते हैं। मनुष्य के लिए शुद्ध एवं सुरक्षित जल ही पेय योग्य है। स्वच्छ पेय जल प्रबंधन 21वीं सदी की एक गंभीर व सामाजिक चुनौती है। यदि समय रहते इसके प्रबंधन पर ध्यान नहीं दिया गया तो एक समय ऐसा आएगा कि पेट्रोल कि बजाय पानी के लिए लड़ाई होगी।

उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के इस दौर में जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा यानी निजीकरण करने का प्रयास चल रहा है। भारत सरकार भी धीरे-धीरे जल आपूर्ति सेवाओं के निजीकरण की पक्षधर बनती जा रही है। दसवीं योजना में कहा गया है, अब समय आ गया है जब पानी के क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाएँ। अब तक भारत सरकार आम आदमी की पानी की आवश्यकताओं को उसका मूल अधिकार मानकर उसकी सहज, सरल आपूर्ति बनाए रखने को अपना दायित्व मानती आ रही थी। लगता है कि अब भारत सरकार ने वैश्विक दवाब के कारण पानी को आम आदमी के मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल कर स्वयं व्यक्ति का दायित्व मानना शुरू कर दिया है। पानी का व्यापार वैश्विक स्तर पर लगभग 800 अरब डालर से अधिक का है। आगामी दशक में यह कारोबार 2000 अरब डालर के आसपास होने का अनुमान है। भारत में इस समय बोटल बंद पानी के लगभग 200 से अधिक ब्रांड मौजूद हैं। इस तरह पानी का एक ओर यह बढ़ता कारोबार है, तो दूसरी ओर भीषण जल संकट।

बिहार में जहाँ कुल जल श्रोतों की संख्या (आहर, तालाब) 20,938 और राज्य का रकबा-94,163 वर्ग किमी

व्याख्याता, अर्थशास्त्र एवं संपादक, बिहार रिसर्च जर्नल व बिहार का आर्थिक परिदृश्य, खगड़िया

तथा कार्यरत जल श्रोतों की संख्या-17683 है वहीं पश्चिम बंगाल में कुल जल श्रोतों की संख्या-(आहर, पइन व तालाब) 5.45 लाख और राज्य का रकबा 88752 वर्ग किमी तथा कार्यरत जल श्रोतों की संख्या-2.93 लाख है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में जल वितरण में काफी भिन्नता है। बिहार के खगड़िया, जिसकी ख्याति सारी दुनिया में एक डुब्बे यानी बाढ़ प्रभावित जिले के रूप में है, का अधिकांश भाग पूरी बरसात डूबा रहता है। वहाँ 1966-86 के 20 वर्षों में 7 बार जबर्दस्त सूखा पड़ा है और सरकारी भाषा के अनुसार यह जिला सुखाग्रस्त जिला कहलाने का हकदार है (बिहार राज्य द्वितीय सिंचाई आयोग की रिपोर्ट)। खगड़िया जैसी बुरी हालत तो धनबाद और सिंहभूम की भी नहीं है।

अगर स्थिति यह है तो कौन-सा क्षेत्र अधिक पानी का है और कौन-सा कम पानी का, यह विचाराधीन है। जैसे-जैसे पानी दुर्लभ होता जाएगा, वैसे-वैसे व्यापारी इस क्षेत्र में मुनाफे के लिए कदम बढ़ाएँगे। तब नदियाँ, तालाब, कुएँ, हैंडपम्प और ट्यूबवेल सब बिकेंगे। जिसके पास पैसा होगा वह और पानी खरीदेगा, जो अक्षम होगा वह दूर से तमाशा देखेगा।

वर्तमान समय जल संचयन एवं प्रबंधन का है। प्रत्येक व्यक्ति का यह मानवीय दायित्व है। समय रहते जल संचयन नहीं किया गया तो आने वाले समय में युद्ध की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। जल संचयन एवं प्रबंधन को सभी राज्यों में कानूनी तौर पर अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

हमारी राष्ट्रीय जल नीति में जल को मानव जीवन तथा पशुओं के लिए पारिस्थितिक संतुलन बनाये रखने के लिये, और जल की निरंतर कमी होते जाने के कारण इसके उपयोग की उपयुक्त, सर्वहितकारी तथा मितव्ययी योजनाओं का समुचित प्रकार से नियोजन तथा प्रबंधन किया जाना आवश्यक है और देश का सभी भागों में जल के समुचित व्यवस्थाएँ करने पर जोर दिया गया है। सरकारी तौर पर इस जल नीति में जिन व्यवस्थाओं और कार्यक्रमों को लागू करके देश के जल संसाधनों के उपयुक्त और व्यापक प्रयोग की संकल्पना की गई है। उन्हें उस रूप में लागू करने के लिए समुचित रूप से प्रयास नहीं किये जा रहे हैं लेकिन वर्तमान संकट को देखते हुए अब गंभीरतापूर्वक इन प्रावधानों को लागू किया जाना नितांत आवश्यक है।

वर्तमान समय में पानी के संरक्षण एवं प्रबंधन के आज ऐसी प्रौद्योगिकी की जरूरत है जिससे कृषि क्षेत्र में मौजूदा पानी का 10 से 50 प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्र में 40 से 90 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में लोगों की आदतों में सुधार के द्वारा 30 से 35 प्रतिशत पानी बचाया जा सकता है। यह भी प्रमाणिक तथ्य है कि पंजाब जैसे राज्य में जहाँ किसानों को बिजली और डीजल आदि पर सब्सिडी हासिल है, भूजल का तीव्र दोहन जारी है जो संकट की समस्या को और बढ़ा रहा है। हमें ध्यान देना चाहिए कि पानी एक समुदायिक धरोहर यानी प्राकृतिक संपदा है, इसलिये इसके समुचित और विकेंद्रित वितरण की व्यवस्था बनाने का कोई विकल्प नीतियों में शामिल किया जाना अपेक्षित है।

फिर भी यदि राष्ट्रीय जल नीति पानी बचाए रखने तथा उसके सही इस्तेमाल की पहल कर पाई और संभावित संकट से उबरने का कोई रास्ता निकल सके तो निश्चय ही देशवासियों के लिए राहत की बात हो सकती है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि हमें अब सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद ही सही, सरकार देश की सभी बड़ी-बड़ी नदियों को जोड़कर राष्ट्रीय जलग्रिड बनाने हेतु प्रयासरत है। यह जल संचयन एवं प्रबंधन की दिशा में एक सफल प्रयास माना जा सकता है। जल संकट वाले इलाकों को चिन्हित कर भूजल की सेटलाइट इमेजिंग व जियोलाजिकल सर्वे रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए ताकि जल संकट का निदान दूढ़ने में आसानी हो सके। ऐसा भी नहीं है कि भारत सरकार के पास संसाधनों का अभाव है, इच्छाशक्ति की कमी जरूर है।

जल संचयन एवं प्रबंधन हम सबों का मानवीय दायित्व है क्योंकि जल ही जीवन है। यह जीवन का आधार है। जल संरक्षण अधिनियम ही जल प्रबंधन के लिए पर्याप्त नहीं है। इस दिशा में ईमानदारी और निष्ठापूर्वक समन्वित प्रयास करें तो समस्या आने के पूर्व ही सुलझाया जा सकता है। जल प्रबंधन को हम सबों का व्यवहारात्मक रूप से धरातल पर उतारना ही सार्थक प्रयास होगा। अभी भी वक्त है हम अपने परिवार और समाज की रक्षा बेहतर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के माध्यम से कर सकते हैं और अपने बुजुर्गों के द्वारा दी गयी ज्ञान का सही उपयोग कर सम्पूर्ण सृष्टि की रक्षा कर सकते हैं। वरना आने वाला भविष्य हमें कभी माफ नहीं करेगा।

संदर्भ सूची:

1. अनिल कुमार रंजन “पानी के लिए लड़ाई: भारत की तैयारी” पर्यावरण विमर्श, सं० डॉ० अनिल ठाकुर, मीनाक्षी प्रकाशन, दिल्ली, वर्ष-2008, पृ० सं०.77
2. प्रेम वर्मा, “जल अमृत या विष” हल्ला बोल सच, तौमासि, मई-2012 पृ० सं०-20
3. दैनिक जागरण, समाचार पत्र, भागलपुर, 24 अप्रैल 2011 “मर रहा है आंखों का पानी” अरूण तिवारी,
4. अग्रवाल, उमेश चंद्र (जून, 2006) जल प्रबंधन: चुनौतियाँ और समाधान। योजना, 50 (3), 13-20
5. कन्नोजे, एस.आर.(जून, 2006) जल संकट का निदान वर्षा जल संचयन में। कुरुक्षेत्र, 62 (8), 20-21
6. गुप्ता, रामप्रताप (8 नवम्बर, 2004) पानी के निजीकरण की तैयारी।
7. जैन, एच.सी.(2000) पर्यावरण संचार शिक्षा एवं प्रबंधन। नई दिल्ली, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, जयपुर
8. पाण्डे, गिरीश चन्द्र (अगस्त 2006) 21वीं सदी में गहराता जल संकट और उसका समाधान। प्रतियोगिता दर्पण, 76-77
9. मोदी, अनिता (मई, 2007) बढ़ता जल संकट गंभीर चुनौती। कुरुक्षेत्र, 53 (4) 7-9
10. मिश्र, दिनेश (26 मई, 2006) हाथ पानी होगी बूंद-बूंद की जंग। दैनिक जागरण कसौटी, भागलपुर



पाक-कला का महत्व एवं उपयोगिता: संतुलित पोषाहार के संदर्भ में

नीलम कुमारी

वात्स्यायन के कामसूत्र में पाक कला को 64 कलाओं में प्रथम स्थान प्राप्त है। कहा जाता है कि प्रेम की शुरुआत उदर से होती है इसलिए जैसा आहार उसे प्राप्त होता है वैसा सोच व्यक्ति अपने से इतर दूसरे के बारे में निर्मित करता है। इसलिए एक शास्त्र के रूप में पाक-कला विज्ञान की उपभोक्तावादी युग में भी आवश्यकता बनी हुई है। कारण स्पष्ट है अगर हम संतुलित, संयमित, नियमित आहार ग्रहण करते हैं तब जाकर हमारे सामाजिक विकास को नया आयाम प्राप्त होता है।

पाक-कला विश्व की प्राचीनतम कलाओं में से एक है। इस सम्बन्ध में अनेक पौराणिक कथाएँ एवं कहानियाँ प्रचलित हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम यह किस प्रकार ज्ञात किया कि भोज्य पदार्थों को उष्मा के सम्पर्क में लाने से उनमें सुधार होता है। एक कहानी के अनुसार एक लड़के ने जलते हुए घर में से अधपका सुअर का बच्चा निकालकर अग्नि में झुलसती हुई अपनी उँगलियों की पीड़ा से मुक्ति पाने हेतु मुँह में देकर भुने हुए गोशत के अच्छे स्वाद का अन्वेषण किया। आदि-मानव कच्ची ही भोज्य सामग्री का उपयोग करता था। धीरे-धीरे उसने ज्ञात किया कि सूर्य के प्रकाश से भोज्य पदार्थों को संरक्षित तथा भविष्य के उपयोग के लिए सुखाया जा सकता था। अग्नि तथा जल भरने हेतु बर्तनों का आविष्कार करने के पश्चात् मानव में अग्नि के माध्यम से भोज्य पदार्थ पकाना सीखा।

प्राचीन युग से ही अन्नों का आविष्कार अग्नि के योग से और अधिक महत्वपूर्ण माना जाने लगा, क्योंकि अन्न स्वतः खाद्य नहीं थे। अतः मनुष्य ने इसे पकाकर विविध प्रकार के स्वादिष्ट एवं स्वास्थ्यवर्धक व्यंजन तैयार करने की कला का विकास किया। क्रमशः इसे प्रतिष्ठित तथा उन्नत कला समझा जाने लगा। उस समय 'नल' जैसे राजा और 'भीम' जैसे राजकुमार भी पाक कर्म में गर्व का अनुभव करते थे। ये दोनों ही श्रेष्ठ रसोइये थे।

किसी भोज्य पदार्थ को पकाने का उद्देश्य उसे अधिक सुपाच्य एवं स्वादिष्ट बनाना होता है। अन्नों तथा सब्जियों में जो सेल्यूलोज तथा रेशे होते हैं, उन्हें पकाने की क्रिया द्वारा मुलायम किया जाता है। पकाने की विभिन्न विधियाँ जो प्राचीन युग से चली आ रही हैं, वे उबालना, बाफना, सेंकना, तलना तथा भूना इत्यादि हैं। इन विधियों द्वारा पकाने पर सभी पोषक तत्व नष्ट नहीं होते। पकाये जाने वाले भोज्य पदार्थ की प्रकृति के अनुसार पाक-विधि अपनायी जाती है, ताकि पाक कर्म द्वारा पोषक तत्व नष्ट न हो जायें। अतः पाक कला का सीधा संबंध पोषण से है।

वैदिक काल में उपलब्ध भोज्य पदार्थों की सूची देखकर यह प्रतीत होता है कि पाक-कर्म पूर्णतः विकसित अवस्था में था। पकाने की उन सभी विधियों का प्रयोग होता था, जो आज भी प्रयोग में लायी जाती हैं। भले ही उनका स्वरूप आज से कुछ भिन्न था। वेदों में उल्लिखित "माँसोदन", पृथुका, कुसर, धूप इत्यादि उस समय की पाक कला के नमूने हैं। उस समय रसोइये को "पात्र" एवं परोसने वाले को "परिवेष्टार" कहते थे। वैदिक युग में पाक कर्म के लिए मिट्टी, पत्थर तथा लकड़ी के बर्तन प्रयोग में लाये जाते थे। पेय पदार्थ रखने के लिए चमड़े का पात्र भी प्रयुक्त होता था।

बुद्ध तथा महावीर के समय पाक कर्म को पच्चीस मुख्य पेशाओं में एक माना जाता था। इस समय के प्राप्त जातक-साहित्य में अट्टारह प्रकार के ठोस आहार की चर्चा है। भोज्य पदार्थों को सुगन्धित तथा सुस्वाद करने के लिए जीरा तथा हींग प्रयुक्त होता था। पकाने के बर्तनों में 'भृगांर' (पानी का बर्तन), 'सरक' (कप), 'धाविक' (पानी का बैग), 'पिठक' (टोकरी), 'कुम्भी' (पकाने का बर्तन), 'ताट्टक', 'परियोग' तथा 'कांडपिय' आदि प्रमुख थे। द्रव

आहार “आलिन्द” में तथा ठोस आहार ‘ओपिटक’ में रखा जाता था।

इस समय प्रचलित धातु के बर्तनों में से किसमें किस वस्तु को पकाना चाहिए, इसका पूर्ण विवरण दिया गया था। जैसे - लोहे के बर्तन में ‘घी’, चाँदी के बर्तन में ‘दाल’, भूना तथा मसालेदार ‘माँस’ सोने के बर्तन में तथा फलों से तैयार व्यंजन पत्थर के बर्तन में प्रयोग करना उत्तम फलदायक होता है। इसके अतिरिक्त फल तथा मिठाईयों के लिए ‘पत्ता’, उबले दूध के लिए ‘ताम्बा’ तथा अन्य पौष्टिक तथा मादक पेयों के लिए ‘मिट्टी के बर्तन’ अधिक उपयोगी बताये गये हैं।

भोजन पकाने की विधियाँ पीढ़ी-दर-पीढ़ी सुधरती जा रही है। अनेक विधियाँ प्राचीन काल से ही प्रचलन में हैं। जिन विधियों का हम उपयोग कर रहे हैं, उनमें भी निरन्तर सुधार होता जा रहा है, तथापि अब भी आदिकाल की पकाने की विधियाँ हमारे यहाँ प्रचलित हैं। जलते हुए कोयलों पर हरे चने, मक्का, बालियाँ आदि भूनकर खाये जाने पर यह प्रतीत होता है कि उनके पकाने के ढंग में अब कोई सुधार नहीं किया जा सकता।

अतः स्पष्ट है कि जैसे-जैसे मानव जाति प्रगति करती गई तथा उसके स्वाद में परिष्कार होता गया, भोज्य पदार्थों के पकाने की अनेकानेक विधियाँ प्रचलित होती गईं। सुसभ्य व्यक्ति ही एक ऐसा प्राणी है जो कच्ची भोज्य सामग्री खाना पसन्द नहीं करता।

पाक-कला के प्रमुख महत्त्व निम्नलिखित हैं—

(i) भोज्य सामग्री को सुपाच्य बनाना: पदार्थ को पकाने से उनके

श्वेतसार पृथक् होकर टूट जाते हैं और भोज्य सामग्री नर्म व पाचनशील बनती है, परिणामतः वस्तु सरलता से चबाने योग्य बन जाती है, जिससे पाचक रस सरलता से अपना प्रभाव डाल सकते हैं तथा वे भोज्य सामग्री को सुपाच्य बना देते हैं। मांसादि की मांसपेशियों के तन्तु भी पकाने से टूट जाते हैं। जोड़ों के तन्तु ढीले पड़ जाते हैं। हड्डियाँ भी माँस से पृथक् हो जाती हैं। माँस के ऊष्मा के सम्पर्क में आने से उसके हीमोग्लोबिन का विघटन होने से उसका कच्चा स्वरूप समाप्त हो जाता है। मांस तन्तुओं के प्रोटीन का अधिक स्कन्द (Coagulation) होता है। पेशीय तन्तुओं के चारों ओर विद्यमान संयोजक ऊतकों का जिलेटिनीकरण (Gelatinisation) होता है तथा उनमें उत्पन्न ढीलेपन के कारण वे पाचन रस तक सरलता से पहुँच जाते हैं तथा पेशियों की संहति (Masses) से वसा का द्रवीकरण (Melting) होता है।

(ii) रूप सुधारना: पकाने से भोज्य सामग्री स्वाद, सुगन्ध एवं बाह्य स्वरूप की दृष्टि से आकर्षक बन जाता है। भोज्य सामग्री को पकाकर अनेक रंगों से प्रदर्शित करके उसकी नीरसता समाप्त कर दी जाती है। पकाने पर भोज्य तन्तु स्वादयुक्त एवं स्वाभाविक सुगन्ध पूर्णतः छोड़ देते हैं। उदाहरणस्वरूप मछली पकाने पर उसकी अरूचिकर गंध दूर हो जाती है तथा वह खाने योग्य हो जाती है। इसके विपरीत अच्छे चावल की सुगन्ध पकाने पर बढ़कर दुगुनी हो जाती है। सुन्दर एवं सुगन्धित भोज्य सामग्री का मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है।

(iii) रोग के कीटाणुओं का नाश करना: पकाने में विभिन्न प्रकार का ताप प्रयुक्त किया जाता है। ताप से

वस्तुओं को सड़ाने वाले तथा विषयुक्त शाकाणु अंडे सहित नष्ट हो जाते हैं। पाक-क्रिया से भोज्य पदार्थों में विशेषकर दूध, माँस, मछली में उपस्थित कीटाणु एवं कृमि नष्ट हो जाते हैं। रोग के कीटाणुयुक्त भोजन को किसी भी परिस्थिति में प्रयुक्त नहीं करना चाहिए।

भोजन पकाते समय अधोलिखित बातों की ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए—

- (i) भोजन सदैव स्वच्छ बर्तनों में पकाना चाहिए। गन्दे बर्तनों में भोजन विषयुक्त होकर स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है।
- (ii) बिना कलई वाले पीतल के बर्तन में भोजन पकाने से वह विषयुक्त हो सकता है। अतः कलई किये हुए बर्तनों में भोजन पकाना चाहिए।
- (ii) पकाने का कार्य करने वाले के नाखून स्वच्छ होने चाहिए। गन्दगीयुक्त नाखून भोजन को विषैला बना देते हैं। उसके बाल भी बँधे व कसे हुए होने चाहिए ताकि वे भोजन में नहीं गिरे।
- (iii) रसोई के बर्तन पोंछने व पकड़ने के वस्त्र सदैव स्वच्छ रखने चाहिए।
- (iv) पकाते समय बर्तन को खुला नहीं रखना चाहिए। खुला रहने से भोजन वायु के सम्पर्क में आता है, जिसके परिणामस्वरूप विटामिन तथा भोजन की सुगन्ध नष्ट होने की सम्भावना रहती है।
- (v) निश्चित अवधि से अधिक देर तक भोजन पकाने से उसके

पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं तथा ऐसे भोजन पकाने में भी कठिनाई होती है।

- (vi) खाने का सोडा भोज्य पदार्थों में डालने से विटामिन 'बी' नष्ट हो जाते हैं। अतः विटामिन 'बी' युक्त पदार्थों में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए।
- (vii) जिस पानी में चावल या हरी सब्जी पकायी या उबाली गई हो, उस पानी को फेंकना नहीं चाहिए क्योंकि उस पानी में पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं। चावल व सब्जी में उतना ही पानी डालना चाहिए कि वे उसे सोख सकें।
- (viii) मसालों का प्रयोग अधिक मात्रा में करने से भोज्य पदार्थों के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं तथा उनका स्वाभाविक स्वाद नष्ट हो जाता है।

(ix) भोजन को बार-बार गर्म करने से भी उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं।

सारांश रूप में, उपरोक्त पाक कला के उद्देश्यों से स्पष्ट होता है कि यह हमारे दैनिक भोजन में पौष्टिकता के संतुलित आहार से ही प्राप्त होता है।

उपयोगिता

संक्षेप में पाक-कला की उपयोगिता निम्न है—

- (1) उत्तम स्वास्थ्य की देखभाल करना।
- (2) शारीरिक, मानसिक एवं रोग निरोधक क्षमता का विकास करना।
- (3) पाक-कला के प्रति भारतीय समाज में स्वच्छ दृष्टिकोण विकसित करना।
- (4) पाक-कला के बदलते आयामों के बारे में सजग रहना।
- (5) इस क्षेत्र में हुए नवीनतम प्रयोग की जानकारी प्रदान करना।

निष्कर्ष

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि पाक-कला का महत्व एवं उपयोगिता जीवन के हर क्षण में व्यक्ति को रहती है। भले ही हम आज के भागदौड़ की जिंदगी से परेशान हैं पर भोजन के बारे में यदि हम सतर्क रहें तो एक अच्छी जिंदगी एवं स्वास्थ्य के बारे में कभी कोई परेशानी न होगी। आशा है आने वाली पीढ़ी इस विचार को आत्मसात् करेगी।

संदर्भ-सूची:

1. पोषण एवं आहार विज्ञान - डॉ० जी. पी. शैरी
2. आहार विज्ञान - प्रो० (श्रीमती) सुधा नारायणम्
3. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी-बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
4. आहार एवं पोषण विज्ञान - डॉ० प्रमिला वर्मा एवं डॉ० कांति पांडेय
5. आहार एवं पोषण विज्ञान - उषा टण्डन



राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और धर्मनिरपेक्षतावाद

डॉ. अनिता रानी

राष्ट्रीय पुनर्निर्माण राष्ट्रीय नीतियों की बुनियाद पर संभव है। आज की परिस्थिति में राष्ट्रीय नीतियों के निर्धारण में मजहब के रूप में प्रतिष्ठित धर्म का बढ़ता प्रभाव निश्चयतः विश्व के भविष्य के प्रति सचेतन मानव के समक्ष एक गम्भीर समस्या के रूप में प्रस्तुत है। विश्व आज इतिहास के महानतम संकट के बीच से गुजर रहा है— यह एक सामान्य सत्य के रूप में सुप्रतिष्ठित हो चुका है। विश्व की यह संकटापन्न स्थिति राष्ट्रीय चेतना पर धर्म अर्थात् मजहब के बढ़ते कुप्रभाव के कारण उत्पन्न हुई है। इसी ने उस धर्माश्रित आतंकवाद रूपी कालसर्प को जन्म दे रखा है जिसके दंश से आज समस्त मानवता आक्रांत है। यहाँ यह भी द्रष्टव्य है कि यह केवल आज की स्थिति नहीं है, वरन् धर्म का इतिहास मानव-महत्त्व के वैतालिकों को दी गयी यातनाओं से आपूर्ण प्राप्त होता है। पोप की आज्ञा से बूनों को जीवित जलाए जाने, गैलोलियों को यंत्रणा दिये जाने इत्यादि घटनाओं से हम सर्वथा परिचित देना आज भी बन्द नहीं किया है। धर्म के नाम पर आतंकी नृशांसता की रक्तरंजित कथाओं से हम अवगत हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि धर्म कभी मानवता एवं राष्ट्रीय चेतना का उत्सेधक रहा है, लेकिन धर्म के चित्र का एक दूसरा लेकिन विध्वंसात्मक पहलू भी महत्त्वपूर्ण है। पं. जवाहरलाल नेहरू की यह उद्भावना यहाँ प्रासंगिकतः महत्त्वपूर्ण है:

“मानवता की तरक्की में मजहबों ने बहुत मदद की है, उन्होंने चीजों की कीमत तय की है, मापदण्ड बनाए हैं तथा जिन्दगी में रास्ता दिखाने वाले उसूलों को बतलाया है। लेकिन जो कुछ भलाई उन्होंने की है, उसके साथ ही खास शक्ति या पक्के यकीनों में उन्होंने सत्य को कैद करने की भी कोशिश की है। जिज्ञासा और विचार को बढ़ावा देने की जगह उन्होंने प्रकृति के सामने, सम्प्रदाय के सामने और सारी मौजूदा व्यवस्था के सामने सिर झुकाने के फलसफे का प्रचार किया है।”

अध्यक्ष, पालि विभाग, अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज, गया

इसी फलसफे ने आज विश्व में एक ऐसी प्रवृत्ति को जन्म देने में महती भूमिका निभायी है जिसका सारतत्व है— उत्पीड़न, नास्तिक-उच्छेदन एवं धर्माश्रित मतग्राहिता तथा उससे उत्पन्न उग्र आतंकवाद। ध्यान रखना होगा कि यह फलसफा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच विद्वेष, घृणा तथा अनुदारता का खुला खेल खेलने के लिए छोड़ देता है। द्रष्टव्य है कि यह कोई सैद्धान्तिक तथ्य नहीं है। न केवल आज सर्वत्र हम इस खेल को देखने के लिए बाध्य हो रहे हैं बल्कि पूर्व में भी हम इसे देखने के लिए बाध्य होते हैं, चाहे वह भारत की आजादी के समय हिन्दू, मुस्लिम एवं सिक्खों के बीच का दंगा रहा हो, अथवा आज अफगानिस्तान में चल रहा तथाकथित धर्मयुद्ध हो या फिर धार्मिक जिहाद के नाम पर वर्ल्ड टावर का विध्वंस हो अथवा पाकिस्तान में अभी हाल में लाल मस्जिद में घटित तथाकथित जिहादी युद्ध। प्रश्न उठता है कि क्या इसका निदान संभव है? इसी के उत्तर में धर्म-निरपेक्षतावाद की दृष्टि को सामने रखा गया है। लेकिन यह भी द्रष्टव्य है कि मत-भिन्नताओं के कारण आज यह ‘दृष्टि’ कम से कम भारत में, स्वयं विवाद के विषय का रूप ग्रहण कर चुकी है। आखिर धर्मनिरपेक्षतावाद है क्या? साथ ही क्या राष्ट्र के पुनर्निर्माण में धर्म की भूमिका के प्रश्न पर यह एक नकारात्मक दृष्टि का उत्सेधक है? इन दो प्रश्नों पर सकेन्द्रित हो एक ‘सम्यक् दृष्टि’ का अन्वेषण प्रस्तुत निबंध का लक्ष्य है।

प्रथम और बुनियादी प्रश्न है कि ‘धर्मनिरपेक्षतावाद’ का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या यह धर्म के उच्छेद को ध्वनित करता है? ध्यान रखना होगा कि पश्चिम में पुनर्जागरण काल से अठारहवीं शताब्दी तक की चार सौ वर्षों की दीर्घकालीन अवधि में यूरोप में धर्म के प्रति विकसित नवीन बौद्धिक दृष्टिकोण से अपने अभ्युदय की पृष्ठभूमि प्राप्त कर उन्नीसवीं सदी में जार्ज जैकब होलियेक विचारों में ‘ऐहिकता एवं लौकिकता’ के अर्थ में प्रथमतः प्रस्फुटित सेक्युलेरिज्म, जिसका हिन्दी पर्याय धर्मनिरपेक्षतावाद है, वस्तुतः इसी धर्म- उच्छेद के अर्थ को ध्वनित करता प्राप्त होता है। इस सत्य को अभिग्रहित कर कि मानव के लौकिक एवं ऐहिक हितों की प्राप्ति एवं उसकी वास्तविक स्थितियों का सुधार ही धर्मनिरपेक्षतावाद का उद्देश्य है², धर्म-निरपेक्षतावाद के संपोषकों

ने इसे उस जीवन-दृष्टि के रूप में देखा है। “जो अपने अन्दर केवल वस्तुओं की प्राकृतिक व्याख्या को समाहित करता है। जो ईश्वर को नहीं खोजता अथवा आध्यात्मिक सत्ता के क्षेत्र को नहीं खोजता क्योंकि इस दृष्टि में यह अस्वीकार प्रभावी है कि जीवन एवं जीवन के सफल संचालन हेतु विचार के अन्तर्गत इनकी कोई आवश्यकता है।”³ स्पष्ट है कि यहाँ धर्मनिरपेक्षतावाद को उस ‘जीवन-दृष्टि’ के रूप में देखा गया है जिसके अन्तर्गत एक ऐसे जीवन की व्यवस्था है जो ईश्वर (धर्म का आधारभूत तत्व) से बिल्कुल अलग रखकर संगठित किया जाता है मानों ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है।⁴ यही कारण है कि धर्म के पक्षपोषकों के विरुद्ध एक तीव्र प्रतिक्रिया के रूप में ‘धर्मनिरपेक्षतावाद’ की दृष्टि के सार-सत्व को उद्घाटित करते हुए प्रसिद्ध भारतीय विचारक मानवेन्द्र नाथ राय ने स्पष्ट शब्दों में कहा है: “धर्मनिरपेक्षतावाद का सार यह नहीं है कि प्रत्येक नागरिक यह चुनाव करे कि वह किस धर्म को अपनाना चाहता है, बल्कि उसके पास यही विकल्प है कि धर्म के बन्धन से यह पूर्णरूपेण अलग हो।”⁵

लेकिन क्या ऐहिकता एवं लौकिकता की मूल चेतना से अनुप्राणित यह ऐहिकतावादी दृष्टिकोण ही “धर्मनिरपेक्षतावाद” का वास्तविक अर्थ है? निश्चयतः यह अर्थ महत्त्वपूर्ण है, लेकिन यह धर्मनिरपेक्षतावादी दृष्टि के सभी पहलुओं को अभिव्यक्त नहीं करता है। ध्यान रखना होगा कि धर्मनिरपेक्षता कोई सर्वसम्मत वैचारिक सम्प्रदाय नहीं है, यह पूर्णतया निश्चित एवं सर्वसम्मत सिद्धान्तों को प्रतिपादित करने की चेष्टा भी नहीं है, बल्कि इसका आविर्भाव तो

इस प्रकार के प्रयत्नों के विरुद्ध, उनके प्रतिवाद में ही हुआ है। इसका जन्म दर्शन अथवा धर्म के किसी नए सम्प्रदाय को स्थापित करने की चेष्टा में भी नहीं है। सत्य यह है कि धर्मनिरपेक्षतावाद कोई ‘वाद’ नहीं वरन् ‘दृष्टि’ है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपने आप में यह एक तटस्थता की दृष्टि है। इसकी स्थिति होटल के गलियार जैसी है जिसमें अनेकों दरवाजे अनेकों कमरे के लिए खुलते हैं। मानव-जीवन मूल्यों को अपने में सन्निवेशित किए यह गलियारा मानव-उत्थान और मानव-विकास का गलियारा है। धर्मनिरपेक्षतावाद के संतोषकों को इस गलियारे में होकर जाना पड़ता है, भले ही वह अलग-अलग कमरे में जाता रहे और अन्ततोगत्वा वह ऐहिकतावादी अथवा नास्तिक हो जाए अथवा आदर्शवादी एवं आध्यात्मवादी। स्पष्ट है कि ऐहिकतावादी भावनाओं के विपरीत धर्मनिरपेक्षतावाद की दृष्टि का एक और भी पक्ष है- आध्यात्म की चेतना से अनुप्राणित उसका आदर्शवाद पक्ष। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपनी आँखों में एक समुन्नत राष्ट्र का उदात्त स्वप्न संजोए भारत के राष्ट्र निर्माताओं ने राष्ट्र के पुनर्निर्माण में जब “धर्मनिरपेक्षता” को नींव के पत्थर के रूप में प्रतिष्ठित किया तो वस्तुतः उनकी दृष्टि में ‘धर्म-निरपेक्षतावाद’ के अर्थ का यही आदर्शवादी पक्ष प्रभावी था। प्रश्न उठता है कि इस पक्ष के अधीन ‘धर्म-निरपेक्षतावाद’ से क्या अर्थ-अभिप्रेत है?

इस पक्ष के अधीन “धर्मनिरपेक्षतावाद” से अभिप्रेत अर्थ है- धार्मिक सहिष्णुता। किसी भी धर्म विशेष के प्रति रूढ़िवादी मताग्रह से पूर्णतः वियुक्त हो सभी धर्मों के प्रति सहनशील होना तथा उन सबका

समान रूप से आदर करना ही सही अर्थ में “धर्मनिरपेक्षतावाद” है। स्पष्ट है कि धर्मनिरपेक्षतावाद की यह दृष्टि अपने को ऐहिकतावाद एवं नास्तिकवाद तक प्रतिबद्ध नहीं करती, बल्कि मानव-मनस् में प्रभावी ईश्वरवादी भावनाओं को भी समाहित करती है। इसी सत्य को लक्ष्य कर डॉ. आबिद हुसैन ने ‘धर्मनिरपेक्षतावाद’ के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा है कि: “धर्मनिरपेक्षतावाद का अर्थ अधार्मिकता या अनीश्वरवाद अथवा भौतिक मूल्यों पर बल देना नहीं है। सत्य यह है कि यह आध्यात्मिक मूल्यों की सार्वभौमिकता पर बल देता है।”⁶ राधाकृष्णन् ने भी इसी की पुष्टि में कहा है कि धर्मनिरपेक्षतावाद वह दृष्टि है जो वैयक्तिक गुणों को समुदाय के सदस्यों के अधीन मानने के स्थान पर उनमें परस्पर सामंजस्य स्थापित करके धर्मपरायण व्यक्तियों में एकता तथा सौहार्द उत्पन्न करने का प्रयास करती है।⁷

सत्य वह है कि धर्म-वियुक्त जीवन-दृष्टि से सर्जन में धर्मनिरपेक्षतावाद का कोई अर्थ ही नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म-विहीन जीवन ही संभव नहीं है। आवश्यकता केवल इसे सही परिप्रेक्ष्य में देखने की है। ध्यान रखना होगा कि अपने मूल तात्विक स्वरूप के अधीन बल्कि यह तो मानव-जीवन का आभ्यन्तर तत्व है, जिसका प्रयोजन है इस प्रज्ञा जगत् से- इस विभक्त चेतना वाले जगत् से, जिसमें विभेद है, द्वित्व है- सामरस्यमय, स्वातंत्र्यमय एवं प्रेममय जीवन में विकसित होने में मानव-जाति की मदद करना। उल्लेखनीय है कि धर्म-निरपेक्षतावाद की ऐहिकतावाद परिभाषा में धर्म के प्रति जो विरोध-भाव दृष्टिगत होता है, वह अस्वाभाविक भी नहीं है। इसका उत्तरदायी आज की

वर्तमान परिस्थिति है जिसमें धर्म राष्ट्र-राज्य (नेशन स्टेट) की तरह हो गया है, जिसमें एक बुरा नागरिक तो उसका अपना हो गया है जबकि एक अच्छा अजनबी उसके लिए बाहरी आदमी, परदेशी बन जाता है। संसार के समस्त राष्ट्र न्यूनाधिक रूप में स्वयं धर्मों या मजहबों के प्रति यही नीति अपना रहे हैं। सारी विकृति के मूल में यही है। अतः यदि हमें धर्म-निरपेक्षतावाद के मूल तत्व को समझना है तो हमें धर्म के प्रति अपनी दृष्टि को सार्वभौमिक और सार्वजनीन बनाना होगा और तब हमें स्पष्टतः इसकी अभिज्ञा प्राप्त होगी कि धर्मनिरपेक्षता का वास्तविक अर्थ धर्म से निरपेक्षता अर्थात् वियुक्तता नहीं, वरन् मताग्रही दृष्टि से सर्वथा वियुक्त हो, धर्मों अथवा मजहबों के प्रति निरपेक्षता अर्थात् तटस्थता हो। धर्मनिरपेक्षतावाद वास्तव में धर्मों अथवा मजहबों के प्रति एक तटस्थता की दृष्टि है।

दूसरा विचारणीय प्रश्न है कि क्या राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में धर्मनिरपेक्षतावाद धर्म की नकारात्मक भूमिका का उत्सेधक है? ऊपर के विवेचन से इस प्रश्न के सम्बन्ध में हमें उत्तर का आधार प्राप्त हो जाता है। धर्म-निरपेक्षतावाद अपने वास्तविक अर्थ में न तो धर्म का विरोधी है और न ही यह मनुष्य के वैयक्तिक एवं सामुदायिक जीवन में धर्म के प्रवेश को घातक स्वीकार करता है। हाँ! इसका बल इस बात पर अवश्य है कि धर्म को रीति-रिवाजों एवं परम्पराओं के घेरे में प्रतिबद्ध कर उसके प्रति मताग्रही होना निश्चयतः न केवल व्यक्ति के लिए, वरन् राष्ट्र के लिए भी घातक होगा। अतः आवश्यकता राष्ट्र को धर्म-विरहित बनाने की नहीं है बल्कि धर्म के प्रति मताग्रह से विरहित बनाने की है। सत्य

यह है कि धर्मनिरपेक्षतावाद राष्ट्र-अस्तित्व के लिए अनिवार्य मूल्यों का एक घोषणा-पत्र है जिसमें निम्न आदर्श सन्निवेशित हैं-

1. एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण, जिसमें मनुष्य-मात्र की समानता व्यवहारतः स्वीकृत हो, और मनुष्य, न कि मजहब, सब वस्तुओं का प्रतिमान हो, विशेषकर राष्ट्र का, जो उस पर शासन करता है। यदि मजहब के प्रति उग्र मताग्रही प्रवृत्ति अपनाये राष्ट्र का स्वरूप अमानवीय है तो उसका अन्त होना चाहिए और उसके स्थान पर एक मानवीय व्यवस्था- पंथ अथवा मजहब निरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना होनी चाहिए।
2. एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण, जिसमें दरिद्रता की हेय अवस्था का उन्मूलन हो चुका हो, लोगों को उपयुक्त भोजन, वस्त्र और निवास की सुविधाएँ उपलब्ध हो तथा वे तन-मन से स्वस्थ मानवों के रूप में राष्ट्र को आबाद करें, न कि भूख, रोग, बेकारी और धर्म के नाम पर युद्ध से सताए आज के लाखों-करोड़ों पशु-धर्माओं के रूप में।
3. एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण, जहाँ लोग सभी पंथ मजहब के अनुयायियों के साथ, बिना दूसरों की स्वतंत्रता पर आघात पहुँचाए, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, बौद्धिक एवं भावात्मक स्वतंत्रता के रूप में वास्तविक स्वतंत्रता का उपभोग कर सकें।
4. एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण, जिसमें इन्सान भोजन, शक्ति,

स्वतंत्रता के लिए अपने आरम्भिक संघर्षों, जिसमें वे आज जुटे दृष्टिगत हो रहे हैं, को पार कर ऊपर उठ सकें तथा राष्ट्र के अधीन मनुष्य की गरिमा का साक्षात्कार कर सकें, जिससे एक नये महान् राष्ट्र की कल्पना साकार हो सके।

निश्चयतः अपने में इन उदात्त आदर्शों को अपने में सन्निवेशित किए यह घोषणा पत्र राष्ट्र के निर्माण में उदात्त मानवीय मूल्यों को प्रतिष्ठित करता है न कि धर्म का विरोध। यदि किसी राष्ट्र का पुनर्निर्माण धर्मनिरपेक्षतावाद के बुनियाद पर होता है तो इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि यह राष्ट्र मानव-जीवन में धर्म की आवश्यकता को अस्वीकार करता है अथवा वह अधार्मिकता की प्रशंसा करता है। इसका यह मतलब भी नहीं है कि धर्मनिरपेक्षता ही उस राष्ट्र की निश्चयात्मक धर्म बन जाती है या कि राष्ट्र ईश्वरीय प्राधिकारों (प्रोरोगेटिक्स) को धारण कर लेता है। यहाँ राष्ट्र के लिए प्रभावी विधान यह होता है कि वह स्वयं किसी धर्म अथवा मजहब के साथ अपने को संयुक्त नहीं करेगा और न ही वह किसी एक धर्म अथवा मजहब के द्वारा नियंत्रित होगा। एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र के लिए यह अपरिहार्य होता है कि उसके द्वारा किसी भी एक धर्म (मजहब) को विशेष पद नहीं प्रदान किया जाना चाहिए और न ही किसी भी एक को राष्ट्रीय जीवन या अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में विशेष सुविधाएँ दी जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करना होगा बल्कि धर्म तथा शासन दोनों के सर्वोत्तम हितों के विरुद्ध होगा। धार्मिक निष्पक्षता एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र की अनिवार्य शर्त है। इस शर्त की पूर्ति

के लिए अपरिहार्य है कि पूरी समझदारी एवं सहिष्णुता के साथ धार्मिक निष्पक्षता एवं तटस्थता को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जीवन में एक दैवी कर्तव्य मानकर सुप्रतिष्ठित किया जाए। राष्ट्र का कोई नागरिक उन अधिकारों एवं सुविधाओं को स्वयं नहीं प्राप्त कर सकता जिन्हें दूसरों को देने से वह इनकार करता है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की विलक्षणता इस स्वीकृति में निहित है कि यहाँ किसी को भी केवल अपने धर्म के कारण किसी प्रकार की अयोग्यता या भेदभाव का शिकार नहीं होना पड़ेगा बल्कि सामान्य जीवन में पूरी मात्रा में भाग लेने के लिए हरेक समान रूप से स्वतंत्र रहेगा। वस्तुतः एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के अन्तर्गत धर्म को राजनीति से अलग करने की जो प्रवृत्ति प्रभावी रहती है, उसके मूल में यही आधारभूत सिद्धान्त प्रभावी होता है। सारतः कहा जा सकता है कि:

“धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र वह है जो व्यक्ति तथा समुदाय को धर्म की स्वतंत्रता का

आश्वासन देता है, जो व्यक्ति के धर्म पर विचार किए बिना नागरिक के रूप में उसके साथ व्यवहार करता है तो संवैधानिक दृष्टि से किसी विशेष धर्म के साथ सम्बद्ध नहीं होता, जो धर्म को न तो प्रोत्साहन देता है और न उसमें हस्तक्षेप करता है।”⁸

निश्चयतः यहाँ स्पष्टतः प्रदर्शित होता है कि धर्म निरपेक्षतावाद न तो धर्म का उच्छेदक है और न ही राष्ट्र के निर्माण में धर्म की भूमिका का अवरोधक। यदि इसका कोई विरोध है तो वह है धर्म अथवा मजहब विशेष के प्रति रूढ़िवादी एवं मताग्रही प्रवृत्ति संचालित वैयक्तिक एवं सामुदायिक जीवन के नीति-निर्धारण से।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब आदर्श भारत राष्ट्र के पुनर्निर्माण की बुनियाद ‘धर्मनिरपेक्षता’ पर रखी गयी तो वहाँ धर्म-निरपेक्षता का यही आदर्श रखा गया। बाद में निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस आदर्श को एक विकृत रूप प्रदान किया गया। अतः यदि आज,

भारत के प्रसंग में, धर्म निरपेक्षतावाद एक विवाद का विषय है तो इसका कारण धर्मनिरपेक्षतावाद तथा उसके आदर्श नहीं, वरन् ये विकृतियाँ हैं जिसे भारत के धर्मनेताओं ने स्वयं सृजित किया है तथा जिनके दंश से आज सम्पूर्ण भारत आक्रान्त है।

संदर्भ-सूची:

1. नेहरू, पं. जवाहर लाल, “हिन्दुस्तान की कहानी”, पृष्ठ 46.
2. धर्म दर्शन, प्राच्य एवं पाश्चात्य, या मसीह, पृष्ठ 618.
3. “सेक्युलरिज्म: ए मिथ”, ई.ई. अम्बे, पृष्ठ 17.
4. द्रष्टव्य, “रिलिजन इन माडर्न लाइफ”, जार्ज जी. हैकमैन, पृष्ठ 283.
5. राय, एम.एन., “नेशनल इन्टोशन” (रोक.) ‘कलेक्शन ऑफ सेमिनार पेपर्स, सेक्युलर डेमोक्रेटिक फार्म’, पृष्ठ 23
6. हुसैन, डॉ. आबिद, “दि नेशनल कल्चर ऑफ इन्डिया”, पृष्ठ 8.
7. द्रष्टव्य, रिकवरी ऑफ फेथ, डॉ. एस. राधाकृष्णन्, पृष्ठ 202.
8. द्रष्टव्य, “इन्डियन ऐज ए सेक्युलर स्टेट”, डी.ई. स्मिथ, पृष्ठ 4.



Land Reform: Need for Agricultural Development in Bihar

Dr. Gokhula Prasad Singh

The socialists believe that the existence of feudal or semi feudal relations is the real cause of backwardness and poverty in rural communities. The emancipation of the peasantry from the bondages of institutional depressors will unleash forces which shall automatically raise levels of production in agriculture.

Land reforms aim is to make more rational use of scarce land resource by affecting condition of holdings, imposing ceilings and floors on holdings so that cultivation can be done in the most economical manner, i.e., without any waste of labour and capital; on the other, it is a means of redistributing land in favour of the less privileged classes and of improving the terms and conditions on which land is held for cultivation by the actual tillers, with a view to ending exploitation. Land reforms also aim at providing security of tenure, fixation of rents, conferment of ownership etc and bring the actual cultivator in direct contact with the state. Need it be mentioned that in the rural economy, the agriculturist is the lynch- pin of the whole social chariot, and that in order to revitalize the rural economy. Therefore the methods of land reforms adopted in Bihar are as follows:

(a) abolition of intermediaries, (b) tenancy reforms, i.e., regulation of rent, security of tenure for tenants and conferment of ownership on them, (c) ceilings and floors on land holdings, (d) agrarian reorganization including consolidation

of holdings and prevention of sub-division and fragmentation, and (e) organization of co-operative farms.

(A) *The Abolition of Intermediaries:* When India achieved independence, the land system of a country was a Pandora's box of various tenures and it was believed that the land tenure system then obtaining was unsuitable either from the view point of more production or of social and economic justice. There were three types of land tenure – Zamindari, Mahalwari and Ryotwari system of tenure were founded in India and Bihar also.

Bihar has taken steps to abolish the intermediaries by effected legislation in 1950 and compensate to them Rs. 239 crores either in cash or in the form of bonds.

(B) *Tenancy Reforms:* Tenancy cultivation may be done by small proprietors who find that they have an insufficient quality of land or it may be carried on by landless laborers. In a country like India where the demand for land is much more than its supply on account of a growing population, exploitation of weak and unprotected tenants at the hands of reckless landlords in a wide spread evil.

The legislation for abolition of intermediaries is aimed at providing land to the tillers, but it does not mean that it shall put an end to the problem of tenancy. The panel on land reform recognized this fact and recommended the desirability of allowing person who suffers from disability, a widow or unmarried woman, a minor or a person suffering from mental infirmity and members of the armed forces to lease out their lands.

Measures of tenancy reform pertain to (1) regulation of rent, (2) security of tenure, (3) conferment of ownership on tenants.

In Bihar one –fourth gross produce has been fixed as rent. It is quite disappointing that in Bihar, no provision exists even for an optional right of purchase. While the state can facilitate the transfer of ownership right of land from the

land lords to the tenants, no financial burdens are imposed on the state.

(C) Ceiling on Land Holdings: Ceiling on land holdings means, beyond a certain specified limit, all lands belonging to the landlords will be taken over by the state and allotted to small proprietors to make their holdings economic or to landless labourers to meet their demand for land holdings.

An end of ceiling on land holding is to reduce and minimize inequality of income, inequality of ownership of lands and social justice.

(D) Consolidation of Holdings and Prevention of Sub-division and Fragmentation: The problem of agricultural holdings not only the holdings are small but also fragmented. They are found not in one compact block but in tiny plots scattered all over the village. Each holding consists of many scattered piece of land. Consolidation is achieved by first pooling all land in the village into one compact block and dividing it into compact block among all the farmers in the village. A farmer who has a holding of 5 acres which is scattered in, say 10 places will get (after consolidation) a compact block of 5 acres in only one place. Consolidation of holding is beneficial since it saves time and labour, facilities improvement of land through irrigation and decreases litigation.

The consolidation movement has made considerable progress in many states. Some states like Gujrat, Madhya Pradesh, and

West Bengal has provided laws for voluntary consolidation but voluntary consolidation is not remedy of sub-division and fragmentation. But Punjab and Haryana has been completed the consolidation work. These states get increasing returns of agricultural products and remark a very progress states. But Bihar has not consolidated the lands yet.

(E) Co-operative Farming: According to some authorities as well as the Indian Govt. has accepted the fact that a permanent solution to the problem of small and scattered holdings is co-operative farming. Mahatma Gandhi wrote: "I firmly believe, too, that we shall not derive the full benefits of agriculture until we take to co-operative farming. Does it not stand to reason that it is far better for a hundred families in a village to cultivate their lands collectively and divide the income there from than to divide the land anyhow into a hundred portions? Ultimately the Govt. of India has accepted that the object of land reform is to establish co-operative firms in India.

Reasons for the Poor Performance of Land reforms in Bihar

After division of Bihar, the separated Bihar's economy is agricultural economy. We can not deny the fact that without growth and development of agriculture based industry, the state can not progress and relieve from poverty.

It is a matter of wonder that the legislation of land reforms

is existed in Bihar but the fruitful results are not achieved. Due to unsuccessfulness of land reforms many problems like nuxalism, kidnapping, dacoities, smuggling etc are occurs in the state.

We can say the following is the chief reasons for poor implementation of land reforms: lack of political will, absence of pressure from below, unorganized and inarticulate; lukewarm and often apathetic attitude of the bureaucracy, absence of up-to-date land records; an legal hurdles in the way of implementation of land reforms.

Following suggestions can be given below for effective land reforms in Bihar:

- (1) legislation should be framed expeditiously by the state to provide security of tenure and right to purchase in respect of homestead lands on which tenants and agricultural workers, mostly belonging to the weaker sections, viz. scheduled casts and scheduled tribes have constructed their dwelling houses.
- (2) A comprehensive cadastral survey programme will be given high priority so as to prepare and maintain up to date records of tenancy, more especially of share croppers.
- (3) The surplus land come from ceiling of land and the government waste land available for distribution to new assignees should be

consolidated in compact blocks and to promote co-operative farming,

- (4) Civil courts should not be involved in the implementation of land reforms. Revenue tribunals should be constituted in the nature of special itinerant courts which will bring justice to the door of poor people. The state should also provide free legal assistance to the share-croppers.
- (5) All landless labourers, share-croppers and small holders of the villages owning less than 2 acres of

land may elect 5-7 members from amongst themselves to constitute a village committee. Members of each village committee may elect one of their members to the block committee.

- (6) Constitute and promote co-operative system not only in farming but in marketing too.

Undoubtedly, there is a need for strengthening administrative machinery. It is necessary to induct in the administrative machinery the representatives of tenants, share-croppers and landless labors so that effective actions

are taken at the grass root level where returns are filed, records are scrutinized, appals and revisions are made at the primary level.

No doubt, land reform is the need of the days for 'Rainbow' and 'Food Chain Revolution' in Bihar.

References

- 1) Next step in village India- Baljit Singh
- 2) Planning Commission: Report of task force on Agrarian Relation
- 3) Economics of land Reform and Farm size in India- A.M. Khusro.
- 4) Indian Economy- Rudra Dutt & Sundram.
- 5) Pratiyogita Darpan- Extra issue 2011-12.



Issues and Challenges of Food Security in India

Dr. Phanindra Kumar Singh

India, the second populous country after China, is facing the problem of food insecurity at an alarming rate. The irony is that it is an agriculture based economy with more than 70 percent people engaged in agriculture directly or indirectly. We are developing at a faster rate of growth except China where the growth rate is around 12%. Still we are facing the problem of hunger, malnutrition and under-nourishment.

High economic growth rates have failed to improve food security in India leaving the country facing a crisis in its rural economy. According to GOI Economic survey, food grains production in India has declined from 208 per kg per annum per capita in 1996-1997 to 186 kg only in 2009-10, a decline of 11 percent. Despite reduced production, India has been exporting on an average 7 million tones of cereals per annum, causing availability to decline further by 15 per cent from 510 gms per day per capita in 1991 to 436 gms in 2008. Various reports say that number of undernourished people is rising reversing gains made in 1990's. According to a 2004 article from the BBC 30 million people have been added to the ranks of hungry since mid- 1990's and 46 percent of children are underweight. Slowing growth in food production, rising unemployment and declining purchasing power of the poor in India are combining to weaken the rural economy.

Food security refers to the availability of food and one's access to it. A house hold is considered food secure when its occupants do not live in hunger or fear of starvation. There are two

commonly used definitions of food security. One is from UN's food and Agriculture organization (FAO) which explains that food Security exists when all people at all times have physical, social and economic access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. The United States Department of Agriculture (USDA) is of the view that food security, for a house hold means access by all members at all times to enough food for an active, healthy life. Food security includes at a minimum (1) the ready availability of nutritionally adequate and safe foods and (2) an assured ability to acquire acceptable foods in socially acceptable ways (that is, without resorting to emergency food supplies, scavenging, stealing or other coping strategies).

Issues Relating to Food Security in India

Food security has been a major developmental objective in India since the beginning of planning. India achieved self sufficiency in food grains in the 1970's and has sustained it since then. In recent years the food grains production has increased and this production has touched 2500 lakh tones in 2011-12. But the achievement of food grains security at the national level did not percolate down to households and the level of chronic food insecurity is still high due to the weaknesses and shortages of Storage, marketing and processing methods. Over 225 million people in India remain Chronically under nourished. According to the Tendulkar committee's report a huge 87 percent of Indians do not prescribe to the minimum calorie norm. In 2000-01, about half of the rural children below five years of age suffered from malnutrition and 40% of the adults suffered from chronic energy deficiency. Such a high level of wasting away of human resources should be a cause for concern.

Prof. Prabhat Patnaik of JNU Delhi, blames the central Govt. for unable to mitigate the problems of hunger and food security in the country. According to him the figure of calorie norms per person has come down to 138 kilograms per person during 2007-08 in comparison to Pre-British days when the per person calorie norm stood at an annual 200 kgs.

Associate Professor, Department of Economics, B.D. College, Patna

He even said, to add to the woes, the Govt. has divided India's masses into BPL and APL categories which in effect means that persons under the BPL category will be able to get subsidized food grains and those under the APL not, despite the division between the two categories being minimal. Prof. Patnaik is of the view that capitalist industry and peasant agriculture can never grow in tandem in a balanced manner.

Despite largest food schemes relating to anti-poverty and anti-hunger plan in the world for the poorest of the poor, we come across the naked truth of deaths in India owing to chronic hunger, stomach ache, dysentery, anemia, malnutrition, debt, etc. The Hindustan Times (29 March 2010) in an article "Break down in Balangir" and "Safety nets Collapse in Balangir" asserts while visiting 55 families where people mostly below 40 had died over two years across 27 villages in Balangir (Orissa) and found that malnutrition is sparking a lifelong cycle of fatal weaknesses, disease and death. Many of those who died could not make do with 25 kg of subsidized rice per month. In 2008, the supreme court has ordered 35 kg, an order common violated by states. Meanwhile, Orissa's food subsidy programme allows even ministers, officers and legislators 25 kg of subsidized rice at Rs. 2 per kg every month, under an "above the poverty line" Programme. Many in Balangir earn less than Orissa's poverty line of Rs. 356 per month but they are not officially classified as below the poverty line (BPL). Orissa civil supplies and consumer affairs

minister Sarda Prasad Nayak, acknowledged the last BPL survey in 1997, was faulty. A later survey in 2002 still has not been implemented till March 29, 2010. (survey by Hindustan Times).

In the ultimate twist to India's food subsidy Programmes, H.T. found that the 25 kg at Rs. 2 per kg is now the only income for many families. Distressed families resell up to half their food grains to buy other essentials including medicine for their failing bodies.

Hindustan Times recorded similar Patterns in Journeys to 55 families in 27 villages in Balangir where 62 percent of all families officially live below the poverty line across 6,575 sq km, more than four times larger than the national capital Territory of Delhi. In interviews many officials in Balangir confirmed that they were witnessing a deepening cycle of poverty. It could explain how millions of hungry people are slipping through the cracks nationwide, how shoddy implementation imperils well-meaning ambitious national anti hunger programmes; how mothers become malnourished, giving birth to more malnourished children than anywhere else in the world. (HT dated 29 March 2010).

Further more, Hindustan Times in an article, "where tribal's kill hunger with flowers" asserted that the Mavesi and Gaund tribes living in a cluster of seven settlements in Banda district of Uttar Pradesh have a diet largely comprising Mahua Flowers. The two tribes are not listed in the state's scheduled tribe list. Government schemes such as

mid-day meals Sarv Shiksha Abhiyan, Integrated child development schemes, old age pension and Janani Suraksha Yojana (for pregnant women) are unheard in this part of Uttar Pradesh.

Hence we can say that despite a range of food-for-work and other wage employment programmes, our country is facing a big concern to feed the whole chunk of downtrodden sufficiently.

Food Security Challenges in India

In Recent years, our economy is booming and its growth rate have been among the highest in the world. The dark side, however is that one in every five Indians suffers from overt or covert hunger. "Hunger" as stated by Amartya Sen and Jean Dreze is "Intolerable in the modern world" in a way it, could not have been in the past because it is "So unnecessary and unwarranted". India is a glaring example of how food, sufficiency at the aggregate level has not translated into food security at the household level. About 214 million people are chronically food insecure. Moreover, about 40 million are exposed to natural disasters. Among children (mostly rural and tribal) about 50% of them are undernourished, 23 percent have a low weight at birth, and 68 out of 1000 die before the age of one year. Even there is a high prevalence of anemia and other micronutrient deficiencies.

Internationally, India is shown to be suffering from alarming hunger ranking 66 out of 88 developing countries studied by IFPRI in 2008. India

as part of the world community has pledged to halve hunger by 2015, as stated in the millennium development goal I, but the present trends show that this target is unlikely to be met.

In this context, the most important challenge before us is to bring down the poverty line in the poor's ambit. Peasant should be encouraged to uplift their standard of living by means of raising income at the Govt. and NGO level.

The second challenge confronting the people is the rising prices of food articles. Farmers are not getting the fair price due to unscrupulous methods of traders and middlemen. This should be mitigated at the lowest level in the interest of peasants.

The impact of the global food crisis has been powerful and already quite devastating as food shortages and high prices of food have adversely affected billions of people especially the poor in the developing world.

Thirdly, the policy neglect of agriculture over the past two decades, leads to low public investment in agriculture and in agricultural research. This has been associated with low to poor yield, especially in tropical agriculture and falling productivity of land. Greater trade openness and market orientation of farmers have led to shifts in acreage from traditional food crops to cash crops that have increasingly relied on purchased inputs. The lack of attention to relevant agricultural research and extension by public bodies has denied farmers access to necessary knowledge. All this

mean that the number of hungry people is increasing in certain developing regions.

Prices for seeds, fertilizers and pesticides have increased quite sharply. There have also been attempts in most developing countries to reduce subsidies to farmers in the form of lower power and water prices, thus adding to cultivation costs. Costs of cultivation have been further increased in most developing countries by the difficulties in accessing institutional credit. So many farmers are forced to opt for much more expensive informal credit networks that have added to their costs.

The other challenge is being posed by the developed countries in the form of producing bio-fuel from the cereals, an alternative to petroleum. The impact of both oil prices and govt. policies in U.S, Europe, Brazil and elsewhere that have promoted bio-fuels, has led to significant shifts in acreage to the cultivation of crops that can produce bio-fuels. For example in 2007 the U.S. diverted more than 30 per cent of its maize production, Brazil used half of its sugar cane production and the European union used the greater part of its vegetable oilseeds production as well as imported vegetable oils, to make bio-fuel. In addition to diverting corn output into non-food use, this has also reduced acreage for other crops and has naturally reduced the available land for producing food.

In addition, there is the impact of recent climate change. Global weather disruptions have been a key driver affecting global crop prices between June

2010 to April 2011, projecting warmer climate and early growing seasons will increase crop susceptibility to pests and viruses. The rapid melting of glaciers in Asia is of huge consequence to china and India, where important rivers are fed by such glaciers. This will deprive the hinterland of much needed irrigation water for wheat and rice crops during dry season. This is of global significance since china and India together produce more than half of the world's wheat and rice.

Moreover pressure on supplies bottlenecks from a rapidly expanding on global population is also aggravating the food prices. FAO estimates that global population by 2050 will climb to 9.2 billion from an estimated 6.9 billion in 2010.

Corruption and negligence of the officials in the gigantic food programmes run by the Govt. are not being implemented properly. India has the largest food schemes in the world for example.

1. Entitlement feeding programmes
 - (a) ICDS (All children under six, pregnant and lactating mother)
 - (b) MDMS (All primary school children)
2. Food subsidy programmes
 - (a) Targeted public distribution system (35kgs/per month of subsidised food grains)
 - (b) Annapurna (10 kgs of free food grains for destitute poor)
 - (c) E m p l o y m e n t programmes

- (d) National rural Employment scheme (100 days of employment at minimum wages)
- (e) Social safety Net programmes
- (f) National old age pension scheme (monthly pension to BPL)
- (g) National family Benefit scheme (compensation in case of death of bread winner to BPL families)
- (h) Unemployment allowance as in U.P. (started by the present chief Minister)

Lastly, covered storage facilities is also posing a great challenge due to limited capacity of them. About 70% of wheat storage is being left for other sources apart from 30% by the government machinery.

Conclusion and suggestions

Since food security and hunger are caused by a large number of factors, solutions too have to be multi-pronged in nature.

First, improve the skills of the poor for market oriented jobs, so that they are absorbed in the sunrise industries such as hospitality, security, health and construction.

Secondly, start a drive to plant fruit trees on degraded forests and homestead lands that belong to or have been allotted to the poor. This will not only make the poor people's diet more nutritious, but will also diversify their livelihoods and reduce seasonal vulnerability.

Thirdly, revamp small holder agriculture. The need is greater investment in irrigation, power and roads in the poorer regions.

Fourthly, Since the slower growth in agricultural productivity is a big concern, we have to usher in second green revolution to accommodate the rising population.

Fifthly, public distribution system (PDS) should be strengthened in such a manner that it should be useful for the needy poor people, even for economically weak middle class people living in far flung areas.

Sixthly, launch a drive in collaboration with civil society to cover the poorest, as a large number of homeless and poor living in unauthorized colonies in Urban areas have been denied ration cards and thus are not able to avail themselves of PDS, on the ground that they do not have an address.

Seventhly, Launch massive watershed development programmes in central India, where most tribes live in. In a successful watershed programme, the poor benefit in three ways :- First, as the new sown area and crop intensity increases more opportunities for wage employment. Second, increased water availability and reduced soil erosion increases production on small and marginal farmers lands and third, it also improves access to the poor to more fodder fuelwood, and water. NREGA assets should be monitored for at least five to six years to establish their links with drought proofing and enhanced availability of water.

Eighthly, prepare a comprehensive list every two years of all destitutes needing free or subsidized cooked food. Open up mid-day meals kitchen to these old, destitutes and hungry in the villages. This is already done in Tamil Nadu and its replication in other states should be funded by the GOI. Establish community kitchens across cities and Urban settlements to provide inexpensive subsidized nutritious cooked meals near Urban homeless and migrant labour settlements.

Ninthly, India requires a significant increase of targeted investments in nutrition programmes, clinics, disease control, irrigation, rural electrification, rural roads and other basic investments, especially in rural India. Higher public investments and more importantly, the quality of public expenditure in these areas need to be accompanied by systematic reforms that will overhaul the present system of service delivery.

Lastly, private investors should be encouraged to invest more in the field of storage. Moreover, big farmers in this field can be an asset if there is a provision of subsidy in constructing warehouses to them by the Government.

Furthermore, it all requires improving the governance, productivity and accountability of government machinery. Awareness and publicity of the Government food schemes should be the core matter in this respect and a massive campaign should be launched in far flung tribal areas of different parts of the country.



Entrepreneurship and Economic Well-being

Dr. Anwar Imam

Entrepreneurship is the act of being an entrepreneur, which can be defined as “one who undertakes innovations, finance and business acumen in an effort to transform innovations into economic goods”. This may result in new organizations or may be part of revitalizing mature organizations in response to a perceived opportunity. The most obvious form of entrepreneurship is that of starting new businesses (referred as Startup Company); however, in recent years, the term has been extended to include social and political forms of entrepreneurial activity. When entrepreneurship is describing activities within a firm or large organization it is referred to as intra-preneurship and may include corporate venturing, when large entities spin-off organizations.

According to Paul Reynolds, entrepreneurship scholar and creator of the Global Entrepreneurship Monitor, “by the time they reach their retirement years, half of all working men in the United States probably have a period of self-employment of one or more years; one in four may have engaged in self-employment for six or more years. Participating in a new business creation is a common activity among U.S. workers over the course of their careers.” And in recent years has been documented by scholars such as David Audretsch to be a major driver of economic growth in both the United States and Western Europe.

Entrepreneurial activities are substantially different depending on the type of organization

and creativity involved. Entrepreneurship ranges in scale from solo projects (even involving the entrepreneur only part-time) to major undertakings creating many job opportunities. Many “high value” entrepreneurial ventures seek venture capital or angel funding (seed money) in order to raise capital to build the business. Angel investors generally seek annualized returns of 20-30% and more, as well as extensive involvement in the business. Many kinds of organizations now exist to support would-be entrepreneurs including specialized government agencies, business incubators, science parks, and some NGOs. In more recent times, the term entrepreneurship has been extended to include elements not related necessarily to business formation activity such as conceptualizations of entrepreneurship as a specific mindset resulting in entrepreneurial initiatives e.g. in the form of social entrepreneurship, political entrepreneurship, or knowledge entrepreneurship have emerged.

The entrepreneur is a factor in microeconomics, and the study of entrepreneurship reaches back to the work of Richard Cantillon and Adam Smith in the late 17th and early 18th centuries, but was largely ignored theoretically until the late 19th and early 20th centuries and empirically until a profound resurgence in business and economics in the last 40 years.

In the 20th century, the understanding of entrepreneurship owes much to the work of economist Joseph Schumpeter in the 1930s and other Austrian economists such as Carl Menger, Ludwig von Mises and Friedrich von Hayek. In Schumpeter, an entrepreneur is a person who is willing and able to convert a new idea or invention into a successful innovation. Entrepreneurship employs what Schumpeter called “the gale of creative destruction” to replace in whole or in part inferior innovations across markets and industries, simultaneously creating new products including new business models. In this way, creative destruction is largely responsible for the dynamism of industries and long-run economic growth. The supposition that

Associate Professor, Department of Economics, VKS University, Arrah

entrepreneurship leads to economic growth is an interpretation of the residual in endogenous growth theory and as such is hotly debated in academic economics. An alternate description posited by Israel Kirzner suggests that the majority of innovations may be much more incremental improvements such as the replacement of paper with plastic in the construction of a drinking straw.

For Schumpeter, entrepreneurship resulted in new industries but also in new combinations of currently existing inputs. Schumpeter's initial example of this was the combination of a steam engine and then current wagon making technologies to produce the horseless carriage. In this case the innovation, the car, was transformational but did not require the development of a new technology, merely the application of existing technologies in a novel manner. It did not immediately replace the horsedrawn carriage, but in time, incremental improvements which reduced the cost and improved the technology led to the complete practical replacement of beast drawn vehicles in modern transportation. Despite Schumpeter's early 20th-century contributions, traditional microeconomic theory did not formally consider the entrepreneur in its theoretical frameworks (instead assuming that resources would find each other through a price system). In this treatment the entrepreneur was an implied

but unspecified actor, but it is consistent with the concept of the entrepreneur being the agent of x-efficiency.

Different scholars have described entrepreneurs as, among other things, bearing risk. For Schumpeter, the entrepreneur did not bear risk: the capitalist did.

For Frank H. Knight (1921) and Peter Drucker (1970) entrepreneurship is about taking risk. The behaviour of the entrepreneur reflects a kind of person willing to put his or her career and financial security on the line and take risks in the name of an idea, spending much time as well as capital on an uncertain venture. Knight classified three types of uncertainty.

- Risk, which is measurable statistically (such as the probability of drawing a red color ball from a jar containing 5 red balls and 5 white balls).
- Ambiguity, which is hard to measure statistically (such as the probability of drawing a red ball from a jar containing 5 red balls but with an unknown number of white balls).
- True Uncertainty or Knightian Uncertainty, which is impossible to estimate or predict statistically (such as the probability of drawing a red ball from a jar whose number of red balls is unknown as well as the number of other colored balls).

The acts of entrepreneurship are often associated with true uncertainty, particularly when it involves bringing something really novel to the world, whose market never exists. However, even if a market already exists, there is no guarantee that a market exists for a particular new player in the cola category.

The place of the disharmony-creating and idiosyncratic entrepreneur in traditional economic theory (which describes many efficiency-based ratios assuming uniform outputs) presents theoretic quandaries. William Baumol has added greatly to this area of economic theory and was recently honored for it at the 2006 annual meeting of the American Economic Association.

The entrepreneur is widely regarded as an integral player in the business culture of American life, and particularly as an engine for job creation and economic growth. Robert Sobel published *The Entrepreneurs: Explorations Within the American Business Tradition* in 1974. Zoltan Acs and David Audretsch have produced an edited volume surveying Entrepreneurship as an academic field of research, and more than a hundred scholars around the world track entrepreneurial activity, policy and social influences as part of the Global Entrepreneurship Monitor (GEM) and its associated reports.

Though Entrepreneurs are thought to have many of the same character traits as leaders,,

involve particular psychological dispositions, or operate in purely business spheres of life, recent European theorising on the subject has suggested that, come the era of neo-liberalism and 'big society' politics that promote conceptualising humans as economic agents per se, normal, everyday people usually marginalised from the term 'entrepreneur' are too involved in the very same kind of processes that 'big business', proper entrepreneurs are involved with. Entrepreneurs, and entrepreneurship, as such, might be enacted by anybody, encountering as they do economic uncertainty on an everyday basis.

Concept of Entrepreneurship

It has assumed super importance for accelerating economic growth both in developed and developing countries. It promotes capital formation and creates wealth in country. It is hope and dreams of millions of individuals around the world. It reduces unemployment and poverty and its a pathway to prosper. Entrepreneurship is the process of searching out opportunities in the market place and arranging resources required to exploit these opportunities for long term gains. It is the process of planning, organising, opportunities and assuming. Thus it is a risk of business enterprise. It may be distinguished as an ability to take risk independently to

make utmost earnings in the market. It is a creative and innovative skill and adapting response to environment of what is real. The concept of entrepreneurship has a wide range of meanings. On the one extreme an entrepreneur is a person of very high aptitude who pioneers change, possessing characteristics found in only a very small fraction of the population. On the other extreme of definitions, anyone who wants to work for himself or herself is considered to be an entrepreneur.

Promotion of Entrepreneurship

Given entrepreneurship's potential to support economic growth, it is the policy goal of many governments to develop a culture of entrepreneurial thinking. This can be done in a number of ways: by integrating entrepreneurship into education systems, legislating to encourage risk-taking, and national campaigns. An example of the latter is the United Kingdom's Enterprise Week, which launched in 2004.

Outside of the political world, research has been conducted on the presence of entrepreneurial theories in doctoral economics programs. Dan Johansson, fellow at the Ratio Institute in Sweden, finds such content to be sparse. He fears this will dilute doctoral programs and fail to train young economists to analyse problems in a relevant way. Many of these initiatives have

been brought together under the umbrella of Global Entrepreneurship Week, a worldwide celebration and promotion of youth entrepreneurship, which started in 2008.

The charity The Aldridge Foundation sponsors Academies specialising in entrepreneurship, teaching core entrepreneurial attributes to young people with the aim of improving their life skills. The Collegiate Entrepreneurs' Organization was started in 1983 and it's mission is to support and inspire college students to be entrepreneurial and seek opportunity through enterprise creation.

Financial Bootstrapping

Financial bootstrapping is a term used to cover different methods for avoiding using the financial resources of external investors. Bootstrapping can be defined as "a collection of methods used to minimize the amount of outside debt and equity financing needed from banks and investors". The use of private credit card debt is the most known form of bootstrapping, but a wide variety of methods are available for entrepreneurs. While bootstrapping involves a risk for the founders, the absence of any other stakeholder gives the founders more freedom to develop the company. Many successful companies including Dell Computers and Facebook were founded this way.

There are different types of bootstrapping:

- Owner financing
- Sweat equity
- Minimization of the accounts receivable
- Joint utilization
- Delaying payment
- Minimizing inventory
- Subsidy finance
- Personal Debt.

References

- Baran, Paul A.: *The Political Economy of Growth*, New York, Modern Reader Paperbacks, 1975.
- Basu, Kaushik. *Analytical Development Economics, The Less Developed Economy Revisited*, Cambridge, Mass.: MIT Press, 1997.
- Clive W. J.: *Empirical Modeling in Economics, Specification and Evaluation*, London, Cambridge University Press, 1999.
- David Sedik : *A Stocktaking of Land Reform and Farm Restructuring*, in Bulgaria, Moldova, Azerbaijan and Kazakhstan, 2005.
- Emmanuel Saez : *The Evolution of the Top Incomes, A Historical and International Perspective*, National Bureau of Economic Research, Cambridge, 2006.
- Fruhan, W. E.: *Financial Strategy, Studies in the Creation, Transfer and Destruction of Shareholder Value*. Homewood, 1979.
- Gowdy, J., *Coevolution Economics: The Economy, Society and the Environment*, Kluwer, Boston, 1994.
- Hausman, D. M.: *The Inexact and Separate Science of Economics*, Cambridge, Cambridge University Press, 1992.
- Hayek, F. A. *Individualism and Economic Order*, The University of Chicago Press, Chicago, 1948.
- Hunt, E. K. *History of Economic Thought, A Critical Perspective*, New York, HarperCollins, 1992.
- John A, Marcell, *Handbook of Small Business Valuation Formulas and Rules of Thumb*, Valuation Press, 1993.
- Larry J.: *Business Valuations, Advanced Topics*, Westport, CT, Quorum Books, 1997.
- Lindblom, C. E.: *A Strategy of Decision: Policy Evaluation as a Social Process*, New York, The Free Press, 1970.
- Loomes, G.: *Current Issues in Microeconomics*, New York: St. Martin's Press, 1989.
- Magnussen, L., *Evolutionary and Neo-Schumpeterian Approaches to Economics*, Kluwer, Boston, 1994.
- Mann, L.: *Decision Making, A Psychological Analysis of Conflict, Choice and Commitment*. New York, Free Press, 1977.
- Marris, R. L., and Wood, A.: *The Corporate Economy*, London: Macmillan, 1971.
- Meyer, M. W.: *Theory of Organizational Structure*, Indianapolis, 1977.
- Nelson, Judy A.: *Feminism, Objectivity and Economics*, London and New York, Routledge, 1996.
- Pennings, J. M.: *Decision Making, An Organizational Behaviour Approach*, New York, Markus Wiener Publishing, 1983.
- Pesendorfer, W.: *The Foundations of Positive and Normative Economics*, New York, Oxford University Press 2008.
- Rappaport, A.: *Creating Shareholder Value, The New Standard for Business Performance*, New York, Free Press, 1986.
- Salancik, G. R.: *The External Control of Organizations, A Resource Dependence Perspective*, New York, 1978.
- Schumpeter, J. A., *The Theory of Economic Development*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1934.
- Scott, W. R.: *Organizations: Rational, Natural, and Open Systems*, Englewood Cliffs, 1981.
- Tietenberg, Tom, *Environmental Economics and Policy*, New York, HarperCollins, 1994
- Tinbergen, Jan.: *On the Theory of Economic Policy*; Amsterdam, North-Holland 1952.
- Warwick, D. P.: *A Theory of Public Bureaucracy*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1975.
- Weibull, J. W.: *Advances in Understanding Strategic Behaviour*, New York, Palgrave, 2004.
- West, Thomas L.: and Jeffrey D. Jones: *Handbook of Business Valuation*, New York: Wiley, 1992.
- Woodward, J.: *The Oxford Handbook of Philosophy of Economics*, New York, Oxford University Press, 2009.



Non Government Initiatives in Natural Resource Management

Rajiv Ranjan Singh

The world's greatest concentration of biological wealth is found in tropical developing countries including Africa that are beset by acute poverty. In these regions, the loss of biodiversity is accelerating as poverty is increasing. African tropical forests represent one of the world's great remnant blocks of closed canopy habitat. This forest is under increasing pressure from population growth, unsustainable resource use, hotter and drier climate, poor management, and other problems related to poverty, scarce financial resources and political instability. Other factors of forestry degradation include unsustainable timber exploitation, shifting cultivation, urban expansion, and other human activities, which are posing increasing threats to this globally-significant tropical forest resource.

African countries rich in natural resources and biological diversity are witnessing high deforestation rates and loss of their biodiversity. Search for short-term economic gains and poverty of the populations living in areas rich in biodiversity are at the root of environmentally harmful behaviour. Well known examples are slash-and-burn practices, excessive commercial logging and clearing of natural habitats for agriculture and urban expansion.

Biological diversity comprises countless plants that feed and heal people, many crop

varieties and aquatic species with specific nutritional characteristics, livestock species adapted to harsh environments, insects that pollinate fields and microorganisms that regenerate agricultural soils. Biodiversity, essential for agriculture and food production, is threatened by urbanization, deforestation, pollution and the conversion of wetlands. Biodiversity is very important to food security for the very poor in Africa. A diversity of cultivated species and varieties of crops, trees, livestock and fish help poor farmers to spread risks, especially in marginal environments.

In Africa, environmentalists have focused on the conservation of endangered animals, plants and trees taking little account of the needs of the poor people and time and again well-intentioned conservation efforts on protected area systems have been resisted by local people whose livelihoods have been jeopardised. People can be allies of the conservationists, but for this to come about we have to focus much more on sustainable use, rather than on conservation for its own sake.

CAF development, advocacy and public awareness activities will emphasize the importance of biodiversity for agriculture, food security, nutrition, sanitation and rural livelihoods, and especially for those populations living in marginal and harsh environments.

JBIC Project: Integrated Natural Resource Management and poverty Reduction in Haryana

The ongoing JBIC Project: Integrated Natural Resource Management and poverty Reduction in 7 Districts of Haryana, supported by Haryana Forest Department.

The Household Survey on "Integrated Natural Resource Management and Poverty Reduction in 7 districts of Haryana" is part of the effort to assess various poverty indicators, village resources and to find out strategies to reduce poverty in these areas. The present survey has made a serious attempt to deepen our

understanding of the poverty status in villages, needs and areas of concern relating to reduction of poverty. The survey has been conducted in 85 villages of seven districts from the state of Haryana.

Objective of the Survey

To undertake baseline survey across a sample of caste and class structure, including gender, in project designated villages to understand the existing inequity and assess poverty status.

Methodology

The survey methodology is based on participatory interaction and observation through focus group discussions with the villagers of the designated villages through village level meetings to identify among others the key indicators of the study. The second part of the survey was based on stratified random sampling to target one-third of households in each village. The adoption of sampling technique would be in such a way that it represents the actual overall position of the households combine together in the targeted village. For that, one third respondents from each section i.e. BPL/APL households, landless, landholders, SCs, BCs, and general castes, would be taken to represent the actual population of the village being surveyed.

Coverage

The survey covered nearly 15000 households taking

around 150 to 200 households from each designated village who were interviewed through Household Questionnaire. Our sample is dispersed among 7 districts and 85 designated villages of Haryana. The total population figure around 4,766,06 from a total of 82,730 households. Data were collected through intensive field survey using a structured interview schedule and supported with participant observation through village level survey. The study duration was for five months.

Major Findings

Village Profile

The village profile depicts a clear picture of demography of the specified villages in details. It consists of population, caste, land resources, education, health facilities, agriculture, water sources, climatic conditions, communication, livestock, and wage pattern. The data is collected through participatory assessments at village meetings.

Baseline Household Survey

Caste: The focus on caste is highlighted in the household survey as most of the lower caste; especially the SCs do not have any land property/assets, which is considered as the route to resource generation. We have given the caste scenario of each specified village.

Gender Disparity: It has been a long tradition in Haryana villages that males

enjoy more prerogatives than females in any decision making process, whether within their households or beyond. This gender discrimination can be considered to be one of the major causes for poverty as the main work force, i.e. the female population, in these villages is not considered as an important constituent in the decision making process.

Education: Our findings say that households with lower level of literacy/education have higher poverty incidence than those with higher levels of literacy/education.

Poverty Level: The poverty level is not homogeneous in terms of their natural, social, or economic environments. A vast majority of population from SC community is poor.

Livestock Details: Almost all the villagers, irrespective of their caste and economic level, in all the districts have livestock. Income from livestock is not much as it should be. This potential has to be tapped by formation of dairy cooperatives to generate regular sources of income on a continuing basis and initiating the empowerment process more particularly to the women sections of the society.

Income Source: The households of these seven districts of Haryana are dependent on different sources of income such as agriculture, wage labour, service in government and private

sectors, business, animal husbandry, etc. Most of the people in the villages are highly dependent on agriculture, though some have diversified income sources since they are unable to meet their basic needs through agriculture.

Our analysis shows that there is a move away from agriculture. It reflects the interaction of several factors, including access to land, water, and credit; land degradation; population growth; technological change; and market forces. In some villages persistence of poverty damages the fragile resource base and the environment of all people in general.

Awareness level and interest of SHG: We have found two different statistics about the awareness and interest level of people about SHGs. The awareness level about SHG is very less. Once they are aware of the benefits of SHGs, they start taking interest in formation of SHGs. The women take interest in SHGs formation more keenly than their male counterpart. They feel it is one such source through which the income can be increased.

Awareness Level about INRM: Though the people are aware of the integrated natural resource management, they are divided in their opinion to our questionnaires on soil and water conservation, plantation, and management of forestry.

Conclusion

On the basis of our survey and data analysis, we have found that the rural poor lacks access to adequate land, water, and credit facilities. They have little human capital in terms of minimal skills required for involving themselves in any other source of income, apart from their traditional sources of income.

They encounter limited employment opportunities in villages. There has been a high level of illiteracy in SC community as compared to overall scenario of the villages and also high degree of Gender Disparity.

Suggestions

An Empowerment Approach is needed particularly amongst the females. The importance of pursuing an "empowerment" approach is more important than a "delivery" approach that treats beneficiaries as mere recipients and not as subjects of change.

Improvement in Female Education is also essential as it can have synergistic effects on both education and income generation. The institution building process needs to be strengthened starting with SHGs, and followed by cooperatives by involving three/six SHGs under one cooperative for initiating various activities in the socioeconomic domain.

Networking for Community-Based Natural Resource Management

Community forest management in Thailand demonstrates effective cases of local initiative and active community involvement in managing natural resources at the village level, with support from the government. However, issues related to forest management have multiplied in their complexity and can no longer be solved by relying on each village's resources alone. As a result, many local communities have joined together to form networks-an interconnected group or system of organizations, institutions or individuals working together for a set of common goals and objectives, to manage their resources. Emerging from community forest networks, are other networks such as watershed management networks and coastal resource management networks.

Collaboration with other communities facing the same problems in relation to natural resources has helped to develop appropriate strategies and plans, and in harnessing assistance from national and international agencies to support their efforts.

The success of community networking for natural resource management depends on a variety of factors, and through examining innovative forest

management and integrated approaches, RECOFTC aims to provide a hands-on opportunity for natural resource management practitioners to explore and study these factors more closely. As a participant on this study tour you will learn how local communities in Thailand set up their networking channels to manage forest and water resources for sustainable natural resource management and livelihood strategies. You will meet local people face-to-face and discover their challenges, achievements and traditional

practices that have been sustained and adapted during times of rapid change.

References

- Anindya Bakrie & Morendy Octora.: *Schooling, Experience, and Earnings*, New York, Singapore National University, Columbia University Press 2002.
- Baran, Paul A.: *The Political Economy of Growth*, New York, Modern Reader Paperbacks, 1975.
- Burke, Frank M., *Valuation and Valuation Planning for Closely Held Businesses*, Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall, 1981.
- Cootner, Paul : *The Random Character of Stock Market Prices*, MIT Press, 1964.
- Goleman D.: *Emotional Intelligence*, New York: Bantam, 1995.
- Hayek, F. A. *Individualism and Economic Order*, The University of Chicago Press, Chicago, 1948.
- March, J. G.: *A Behavioural Theory of the Firm*, Englewood-Cliffs, Prentice Hall, 1963.
- Santos, A.C.: *The Social Epistemology of Experimental Economics*, London, Routledge 2009.
- Tietenberg, Tom, *Environmental Economics and Policy*, New York, HarperCollins, 1994
- Woodward, J.: *The Oxford Handbook of Philosophy of Economics*, New York, Oxford University Press, 2009.



Preparation of Environmental Management Plans

Dr. Sanjeev Kumar Singh

Environmental Management Plan (EMP) is aimed at mitigating the possible adverse impact of a project and for ensuring to maintain the existing environmental quality. The EMP converses all aspects of planning, construction and operation of the project, which are relevant to environment. It is essential to implement the EMP right from the planning stage and then continuing it throughout the construction and operation stage. Therefore the main objective of the EMP is to identify the project specific activities that would have to be considered for investigation of the significant adverse impacts and the mitigation measures required. The impacts due to development works construction will be first minimized by adequate planning and taking construction activities as per PERT and CPM Chart.

Air Environment

Provision shall be made for sprinkling of water on loose soil to avoid dust generation. The debris and unutilized construction material and earth from the construction site shall be removed immediately to recycle within the project so that no nuisance dust is generated due to wind. The vehicles employed by the developers shall be checked for vehicular emissions. The developers shall also impress upon the service agencies to get vehicles regularly checked for vehicular emissions.

Construction Activities shall not be allowed at Night. The mitigation measures shall include regular maintenance of machinery and provision of personnel protective equipments to workers where needed. The steps shall be taken to reduce the impact of noise by taking to plantations from the very beginning. A Hot Mix Bitumen Plant with air pollution control system shall be used to provide Bitumen Macadam Roads and entire operation shall be mechanized to complete the work in shortest duration and in one go. The permission of the Himachal Pradesh State Environment Protection & Pollution Control Board shall be taken as relevant.

Extensive plantation is plan to mitigate the impact of noise and to improve the ambient air in general. The standby generator shall be installed with enclosures as per guidelines of Central pollution Control Board and after taking consent from Himachal Pradesh Environment Protection & Pollution Control Board under Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. However, be allowed to install generators on roadsides, in corridors or in such a manner to act as a public nuisance, by way of making this a part of agreement, while allotting the flats. Any residential area once occupied is also expected to bring vehicular traffic. The traffic studies on NH-21A show that the range of mean speed is 40 to 45 KMPH. Median speed is nearly 45 to 50 KMPH. 85th percentile speed is nearly 50 KMPH. 98th percentile speed is in the range of 58-60 KMPH. vehicles move in 28 KMPH pace whereas on Sai Road that will connect colony to NH-21A 30% of the vehicles move in 18 KMPH Pace. It shows that there is no problem of congestion on the main road but Sai Road is congested to some extent. The congestion, however, is more related to the movement of Tractor Trolleys as found on this road due to construction activities being taken around in Baddi. Once the construction boom is over, the road traffic shall be normal. Further looking into this aspect the road connecting colony with Sai Road that will run through the colony shall be extended by the developers to the

village Katha side providing a 2-way entrance to the colony and equally distributing the ingoing and outgoing traffic to the colony. Traffic Forecasting is done for the next 10 years using the formula Projected Traffic = $P(1+r/100)^n$

- P= Present Peak Hour Volume
- N= Forecasting Period
- R = Growth Rate

Thus due consideration has been given to traffic management. The layout of the colony is further so done that no traffic congestion is there. Adequate parking space is provided. Parking space for Blocks-A and B is being provided at G.F so that there is no parking on roads. About 180 Kg/day of solid waste shall be generated from the proposed housing colony. The Developer plan to introduce a paid house-to-house garbage collection work for which cycle carts shall be provided. A designated sites for provision of Safai Kendra to segregate the solid wastes and undertaking solid waste management through vermiculture biotechnology is envisaged. The Environment Management Cell by developer in consultation with HIMUDA and HPSEP&PCB shall take all steps to see the compliance of the Municipal Solid Wastes (Management and Handling) Rules, 2000. Thus there are no chances of air pollution, odour nuisance and problem of flies.

The run-off during development shall be controlled by removing construction

related solid waste as malba, loose soil etc. quickly. Further land clearing activity shall be kept to the absolute minimum by working at the specific sites one by one where construction is to take place. A septic tank shall be provided with toilet facilities to meet the daily needs of labour during working hours. Workers shall be discouraged from toilet in open. Both roof top rainwater harvesting and storm water run off shall be tapped for recharging the aquifers and storage. The developers shall undertake Rain Water Harvesting in Parks and Public Places. The provision of the same shall be made compulsory for those who shall purchase plots and construct it.

The Environment Management Cell of the Developers shall further carry out awareness campaigns on the same for the owners of the individual plots. A Roof Top Area of 40000 Sq.m with annual Roof Top Rain Water Harvesting Potential of 32000 m³ is available. The details of rain water harvesting.

The Storm Water plan is attache A Sewage Treatment Plant of 900 m³/day capacity is planned to treat the sewage to BOD <5 mg/l. and recycle the same. About 1800 Kg/day of solid waste shall be generated from the proposed housing colony. The Developer plan to introduce a paid house-to-house garbage collection work for which cycle carts shall be provided. A designated sites for provision of Safai Kendra to segregate the solid wastes and

undertaking solid waste management through vermiculture biotechnology. The Environment Management Cell by developer in consultation with HIMUDA and HPSEP&PCB shall take all steps to see the compliance of the Municipal Solid Wastes (Management and Handling) Rules, 2000.

Land Environment

To avoid erosion of the top soil the development is planned in the shortest possible time and landclearing activity shall be kept to the absolute minimum by working at the specific sites one by one where construction is to take place so as to increase detention and infiltration. The activities that result in soil being laid bare shall be scheduled in such a way that some type of vegetative cover appropriate to the site shall be established prior to onset of monsoons.

Natural waterways/ drainage pattern shall be maintained by providing culverts where needed. The solid waste generated from the construction activities shall be effectively recycled within the project.

The requirements of sand and aggregates for the construction works are met from in and around Baddi, where, these are taken out from seasonal rivulets that get replenished annually. The development works shall prefer use of concrete blocks and concrete and use of bricks shall be to minimum. The fly ash based cement shall be used for the purpose. For the

development works the use of wood shall not be allowed (Timber Free Construction) and is replaced by Mild Steel, Aluminium, Glass and Plastic. The project involves development of a residential colony over an area of 8.79 Ha (21.71 Acres). The residential area is divided into 5 Blocks with a total of 1712 Flats (Block-A 336 Flats, Block-B 368 Flats, Block-C 432 Flats, Block-D 464 Flats and Block-E 112 Flats). Permissible Ground Floor Coverage is 50% and Permissible FAR is 1.5. The Blocks A & B are G.F + 4 Floors whereas Blocks C, D & E are G.F + 3 Floors. A total population of 9000 is expected with an average of 5 persons per flat. Area under housing is only 36% of the total area and remaining area is under common services as parks, roads, footpaths, schools and health centre. A 5 m green bet is placed all along the colony. The land use is thus so planned that there is minimum adverse impact.

Energy Management

The orientation of the plots to maximum extent is planned to make use of natural light and direction of sun. The land use is thus so planned that there is minimum adverse impact and maximum use of principles of eco design. A fundamental principle of solar design is to maximize the solar gain in the winter and minimize it in the summer and is used to the extent possible practically. The Environment Management Cell for the colony shall also hold awareness programmes for the

individual plot owners in this regard to maximize the benefits of working with the sun.

Environment Monitoring Programme

Regular monitoring of all significant environmental parameters is essential to check the compliance status vis-à-vis the environmental laws and regulation. The objectives of the monitoring will be as follows:

- To verify the results of the impact assessment study with respect to the proposed projects.
- To study the trend of concentrated values of the parameters, which have been identified as critical and then planning the mitigating measures.
- To check and assess the efficacy of pollution control equipment.
- To ensure that any additional parameters, other than those identified in the impact, do not turn critical after the commissioning of proposed project.

To implement the EMP, a structured Environment Management Cell (EMC) interwoven with the existing management system will be created. EMC will undertake regular monitoring of the environment and conduct yearly audit of the environmental performance during the construction of the project. It will also check that the stipulated measures are being

satisfactorily implemented and operated. It shall also coordinate with local authorities to see that all environmental measures are well coordinated. A comprehensive environmental monitoring program that has been prepared for the purpose of implementation in the proposed residential colony by the EMC is described below:

- The Ambient Air quality shall be monitored at project Site and two upward and downstream locations once every quarter for RSPM, SPM, NO_x & SO₂, and CO levels during the Construction Phase and Operational Phase. The Ambient Noise Levels shall also be monitored once every six months.
- The Vehicles shall be checked for PUC once every quarter during the development period and records shall be maintained.
- Ground-water quality of the Tube wells in site area will be regularly monitored preferably once in a quarter during the development period.
- Sewage Treatment Plant shall be provided with a small Laboratory and weekly monitoring of the parameters shall be undertaken. In addition monitoring shall be got done from an independent agency as laid down by Himachal Pradesh State Environment Protection &

Pollution Control Board. All the above observations will be complied and documented by the EMC to serve the following purposes.

- Identification of any environmental problems that are occurring in the area.
- Initiating or providing solution to those problems through designed channels and verification of the implementation status.
- Controlling activities inside the project, until the environmental problem has been corrected.
- Suitably responding to emergency situations.

References

Basu, Kaushik. *Analytical Development Economics, The Less Developed*

Economy Revisited, Cambridge, Mass.: MIT Press, 1997.

Bazilevskii, Y. Y.: *The Theory of Mathematical Machines*, Pergamon Press, Macmillan Co., New York, 1963.

Caviglioni O. : *Mapwise: Accelerated Learning Through Visible Thinking*, Network Educational Press, 2000.

Desmond, Glenn, and John A, Marcell, *Handbook of Small Business Valuation Formulas and Rules of Thumb*, Valuation Press, 1993.

Fraser, Steven, *Labor Will Rule, Sidney Hillman and the Rise of American Labor*, Reprint ed. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1993.

Granger, Clive W. J.: *Empirical Modeling in Economics, Specification and Evaluation*, London, Cambridge University Press, 1999.

Hayek, F. A. *Individualism and Economic Order*, The University of Chicago Press, Chicago, 1948.

Knapp, C. L.: *Commercial Damages, A Guide to Remedies in Business Litigation*, Matthew Bender, 1993.

Lindblom, C. E.: *A Strategy of Decision: Policy Evaluation as a Social Process*, New York, The Free Press, 1970.

Martin, Gerald D.: *Determining Economic Damages*, Santa Ana, CA: James Publishing, 1995.

Pfeffer, J., and Salancik, G. R.: *The External Control of Organizations, A Resource Dependence Perspective*, New York, 1978.

Roth, A. E.: *The Handbook of Experimental Economics*, Princeton, Princeton University Press, 1995.

Santos, A.C.: *The Social Epistemology of Experimental Economics*, London, Routledge 2009.

Throsby, David, *Economics and Culture*, Cambridge University Press, 2001.

Weibull, J. W.: *Advances in Understanding Strategic Behaviour*, New York, Palgrave, 2004.



Wages Under Various Market Models

Rajiv Kerketta

This is a paper on labour markets. Why are labour markets important to economic development? Many individuals and institutions, including the World Bank and the regional development banks, seek “a world free of poverty.” Broadly speaking, those who are poor are poor because 1) they earn little from the work they do, 2) the societies in which they live are too poor to provide them with substantial goods and services by virtue of their citizenship or residency, and 3) the poor are not permitted to move to richer countries. Thus, anti-poverty efforts can be focused on 1) helping people as workers (defined broadly to include wage employees, informal employees, and the selfemployed in all ranges of the skill distribution), 2) helping people as citizens/residents through publicly-provided goods and services, and 3) striving for freer movement of labour from poor to rich countries. This paper is concerned with the first channel: helping improve labour market opportunities for workers.

Labour markets deserve a prominent place in anti-poverty efforts. Research studies using decomposition methodologies have shown that labour income inequality is as important or more important than *all other income sources combined* in explaining total income inequality; see Ayub (1977) for Pakistan, Fields (1979a) for Colombia, Fei, Ranis, and Kuo (1978, 1979) and Fields and Mitchell (1999) for Taiwan, and Shorrocks (1983) and Karoly and Burtless (1995) for the United States. The reason that labour income is so important is that most poor people in the

developing world derive no significant income from sources other than their own labour: in the words of the 1990 World Development Report, “the poor’s most abundant asset [is their] labour.” (World Bank, 1990, p. 3). What drives income inequality, therefore, is that some people earn very large amounts for their labour while a great many earn very little. Thus, it is therefore the inequality of labour incomes that accounts primarily for the inequality of total incomes. Labour income also plays a predominant role in income mobility research. In much of this literature, economic welfare is gauged by household income per capita (PCI) or household consumption per capita (PCC). Research on changing PCI in Indonesia, South Africa, Spain, and Venezuela has shown that household per-capita income changes are determined much more by changes in household income (the numerator) than by changes in number of household members (the denominator) and that changes in labour income far outweigh changes in other sorts of income (Fields et al., 2003).

This paper approaches labour markets through multisector modelling. Multisector labour market models start with the recognition that in many countries, the labour market consists of quite distinct segments that are linked with one another. Writing as one who has worked with multisector labour market models for many years (e.g., Fields 1972, 1975, 1979b, 1989, 1997, forthcoming), I owe much of my intellectual heritage to the early dual labour market adherents and modelers

Multisector models explain phenomena such as these: why an increase in productivity might cause wages to *fall*; why an economic boom in one economic sector might produce rising wages in *all* sectors; why firms might be able to add workers at will without having to raise wages; why urban employment creation may result in more urban *unemployment*; and why the solution to urban unemployment might be rural development. These phenomena simply do not make sense in a single market setting.

To develop a framework/typology and lay out the main issues on multisector labour market

Assistant Professor, Department of Economics, Sahibganj College, Sahibganj

modelling, the paper proceeds in four stages. The first main substantive section (Section II) presents the essence of labour market dualism. I maintain that labour markets often consist of quite distinct segments and that a useful and insightful analytical approach is to start with just two.

The second main substantive section is on models of wages and employment in the formal economy. To be reviewed here are 1) the market-clearing labour market model and the presumed equilibrating forces, 2) above-market-clearing wages set institutionally, 3) above-market-clearing wages set by efficiency wage considerations, and 4) above-market-clearing wages set by worker behaviour.

The third main substantive section is on wages and employment in the informal economy. This section presents three characterizations of informal sector labour markets:

The informal economy as a free-entry sector that prospective workers enter only as a last resort, 2) the informal economy as a desirable sector that workers choose in preference to formal sector work, and 3) the informal economy with its own internal dualism, combining 1) and 2).

The fourth main substantive section is on intersectoral linkages. The models here are: 1) the integrated labour market model with full market clearing, 2) crowding models, and 3) the Harris-Todaro model.

While the models presented here differ from one another in important respects, they all

share certain common features of which the reader should be aware from the outset. First, firms in these models are assumed to be maximizing profits. This means that they hire workers, raise wages, and improve worker quality if and only if it is in their profit-maximizing interest to do so. Second, workers in these models are assumed to be maximizing utility. Especially in poor countries, in which large numbers of people value additional goods greatly compared to leisure, the utility-maximization assumption may often be fruitfully replaced by an income-maximization assumption. Third, the notion of "market equilibrium" used in this paper needs to be clarified. "Market equilibrium" is a state toward which a market tends and, once there, it tends to stay. "Market-clearing" is a state in which the quantity of a good or service supplied equals the quantity demanded.

Some of the equilibria we shall deal with in this paper are market-clearing and others are not. And finally, I concentrate on positive analysis in this paper and offer very little normative analysis. Much of what happens in labour markets is not pretty. My objective here is to make labour market outcomes understandable.

The Essence of Labour Market Dualism

At the core of dualistic labour market models is the distinction between a sector that is alternatively called

"formal," "modern," "industrial," or "urban" and another that is alternatively called "informal," "traditional," "agricultural," or "rural." (At one point, I even called this latter one the "murky" sector.) Throughout this paper, I shall use the formal/informal terminology.

In my view, labour market dualism is a useful stylization of what has been called "labour market segmentation" or "labour market fragmentation." Why have just two sectors? Basu (1997) put it well: The dual economy model of LDCs has had its demurrers. It has been pointed out that labour markets are often fragmented into more than two parts and also that dualism is not the distinguishing feature of underdevelopment because there are traits of it even in developed economies. These are not disturbing criticisms. It is unlikely that any of the initiators of the dual economy model would deny that the labour market may in reality be fragmented into more than two sectors. The assumption of duality is merely for analytical convenience. If fragmentation – irrespective of the number of parts – in itself causes some problems and we wish to examine these, then the simplest assumption to make is that of dualism.

Along similar lines, Dixit (1973) wrote Earlier: The dual economy has, over the last decade, proved itself to be a useful conceptual framework for analysing several problems of economic development.. Dual economy models provide a significantly better description

and understanding of the problems of development than any aggregate model, not because two sectors are better than one... but because the sectoral division chosen reflects several vital social and economic distinctions in the type of economy being analysed.

Unfortunately, international practice has been quite ambiguous about the feature distinguishing the two sectors. The International Labour Organisation and the Economic Commission for Latin America and the Caribbean have defined the informal sector as the sum of non-professional self-employed, domestic workers, unpaid workers, and workers in enterprises employing five or fewer workers. In Brazil, the formal sector consists of workers who hold labour cards entitling them to various benefits and protections and the informal sector of those who do not. In other contexts, the formal sector is distinguished according to whether the firm is registered with the government and pays taxes. Yet others equate the informal economy with drugs, prostitution, and other illegal activities.

The distinguishing feature that I find most appealing is that associated with the Nobel laureates Arthur Lewis (1954) and Simon Kuznets (1955) as well as other dual economy modelers. Lewis, in typical fashion, presented the difference between formal and informal employment in picturesque terms:

What we have is not one island of expanding capitalist employment, surrounded by a vast sea of subsistence workers, but rather a number of such tiny islands. We find a few industries highly capitalized, such as mining or electric power, side by side with the most primitive techniques; a few high class shops, surrounded by masses of old style traders; a few highly capitalized plantations, surrounded by a sea of peasants. But we find the same contrasts also outside their economic life... There is the same contrast even between people; between the few highly westernized, trousered, natives, educated in western universities, speaking western languages, and glorying Beethoven, Mill, Marx, or Einstein, and the great mass of their countrymen who live in quite other worlds.

For Lewis, the essence of dualism is the fact that workers earn different wages depending on the sector of the economy in which they are able to find work. Lewis wrote: "Earnings in the subsistence sector set a floor to wages in the capitalist sector, but in practice wages have to be higher than this, and there is usually a gap of 30 per cent or more between capitalist wages and subsistence earnings." Lewis explained that although part of the gap is "illusory" because of the higher cost of living in the capitalist sector, there remained a real wage gap due to a) the "psychological cost of transferring from the easy

going way of life of the subsistence sector to the more regimented and urbanized environment of the capitalist sector," b) the payoff to experience in the capitalist sector, and c) "workers in the capitalist sector acquiring tastes and a social prestige which have conventionally to be recognized by higher real wages."

Kuznets (1955) further developed the model of wage dualism and intersectoral shifts by exploring how various measures of income inequality would change as the high income sector comes to employ an increasing share of the population. All of the inequality measures used by Kuznets exhibited an inverted-U pattern, which later came to be known as the "Kuznets Curve." Subsequent research examined inequality and poverty in the Lewis-Kuznets process of intersectoral shifts. More recent writings on labour market dualism are grounded in human capital theory as developed by Schultz (1961, 1962), Becker (1962, 1964), and Mincer (1962, 1974). The more modern labour market dualism literature stressed that for dualism to exist, different wages must be paid in different sectors to *comparable* workers. Many researchers have reported evidence of such dualism or segmentation; for one early compilation of evidence. Lewis and Kuznets should not be faulted for neglecting the human capital issue, because human capital theory had not yet been devised

when they developed their dualistic development models.

The idea that different wages are paid to comparable workers has been incorporated, largely without question, into job search theory, which also did not exist in Lewis's and Kuznets's time. Since the late 1960's and early 1970's, a whole class of models has arisen in which a wide variety of wages exist in the labour market, and workers are presumed to search among employers for the best possible opportunities.

Dualistic labour market models have been criticized on a number of grounds. A particularly harsh critic is Rosenzweig (1988). Rosenzweig accepted that empirical studies often show that workers with given measured human capital characteristics have systematically different wages or earnings depending on the type of employment in which they are working. He questioned not the fact but the interpretation. In his words: "Do [these differentials] suggest barriers to mobility - non-competing groups - or do

they merely reflect compensatory differentials, rewards for unmeasured skills or compensation for unmeasured differences in the disutility of the work place?"

Rosenzweig favoured the latter set of explanations, and therefore found the dualistic labour market literature unconvincing. He wrote: "It is the lack of a precise behavioural interpretation of the results that is the principal shortcoming of the dualistic labour market empirical studies."

References

- Baran, Paul A.: *The Political Economy of Growth*, New York, Modern Reader Paperbacks, 1975.
- Benería, Lourdes. *Gender, Development, and Globalization, Economics as if All People Mattered*, New York and London, Routledge, 2003.
- Commons, J. R., *Institutional Economics-Its Place in Political Economy*, The University of Wisconsin Press, Madison, Wisconsin, 1934.
- Desmond, Glenn, and John A, Marcell, *Handbook of Small Business Valuation Formulas and Rules of Thumb*, Valuation Press, 1993.
- Fruhan, W. E.: *Financial Strategy, Studies in the Creation, Transfer and Destruction of Shareholder Value*. Homewood, 1979.
- Guala, F.: *The Methodology of Experimental Economics*, New York, Cambridge University Press, 2005.
- Hayek, F. A. *Individualism and Economic Order*, The University of Chicago Press, Chicago, 1948.
- Lindblom, C.E.: *A Strategy of Decision: Policy Evaluation as a Social Process*, New York, The Free Press, 1970.
- Marris, R. L., and Wood, A.: *The Corporate Economy*, London: Macmillan, 1971.
- Peirson, G., Bird, R., Brown, R., & Howard, P.: *Business Finance*, Roseville, 1990
- Roth, A. E.: *The Handbook of Experimental Economics*, Princeton, Princeton University Press, 1995.
- Selznick, P.: *Leadership in Administration, A Sociological Interpretation*, New York, Harper & Row, 1957.
- Smith, Gordon V., and Russell Parr, *Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets*, New York: Wiley, 1994.
- Tinbergen, Jan.: *On the Theory of Economic Policy*; Amsterdam, North-Holland 1952.
- West, Thomas L.: and Jeffrey D. Jones: *Handbook of Business Valuation*, New York: Wiley, 1992.



Agricultural Scenario in Himachal Pradesh—A Macro View

Dr. Shankar Shah

With 91 per cent population living in the rural areas of the State and about 70 per cent of the total work force depending upon agriculture, farm economy of the State assumes a great significance in the context of raising the overall rate of growth of the economy on the one hand, and raising the incomes of the vast multitude of farmers, on the other. The farm sector also faces serious constraints on productivity front in the State in the sense that nearly four-fifth of the farm holdings belong to the small and marginal category, the irrigated area constitutes about one-fifth of the total area under plough and the technology innovations are not possible in relation to the economies of scale due to topography and climatic conditions.

Much has been said about the horticultural revolution in the State and lately, one has heard about the emergence of vegetable cultivation as a high return activity. These need to be gone into to understand whether any such achievements really exist and if yes, what is their magnitude and sustainability in the State.

This paper attempts at taking an overview on the farm sector in the State vis-à-vis the all-India scenario. In proceeding in that direction, it is necessary that some basic statistics are presented and then productivity comparisons are made with a view to identifying the niche areas or areas

of distinct comparative advantage. Table 1 below presents the distribution of farm holdings and the area commanded for the State of Himachal Pradesh and all-India.

Table 1: Distribution of holdings, area and the average size of holdings according to 1995-96 Agricultural Census

Holding type	HP number ('000)	HP area ('000ha.)	Average size HP (Hect.)	India number ('000)	India area ('000 ha.)	Average size India (Hect.)
Marginal	556	230	0.41	71179	28121	0.40
Small	173	241	1.39	21643	30722	1.42
Semi-medium	95	256	2.69	14261	38953	2.73
Medium	34	194	5.71	7092	41398	5.84
Large	5	78	15.60	1404	24163	17.21
Total	863	1000	1.16	115580	163357	1.41

It is interesting to note that the marginal and small holdings account for 84.5 per cent of the total holdings in Himachal Pradesh whereas the all-India situation indicates the number of holdings in these categories at 80.3 per cent of the total.

As for the area commanded, the position in Himachal Pradesh is better than the all-India scenario. These holdings command 47.1 per cent of the total area in Himachal Pradesh as against the all-India figure of only 36.0 per cent.

One important inference is that the generally advanced argument that the marginal and small holdings abound in Himachal Pradesh and therefore, act as a constraint in efforts to raise productivity, therefore, does not hold enough water. In fact, the situation at the all-India level is a bit worse due to much lower command over the area by these categories of holdings.

The topographical and climatic variations in Himachal Pradesh do offer a greater scope for excellence than the all-India scenario. Coming to the overall holding size for these categories put together, it is 0.65 hectares for Himachal Pradesh against the all-India average of 0.63 hectares. One can also infer that the technology constraints operate almost identically in both the situations and lower holding size and preponderance of marginal and small holdings should not act as a damper on the larger question of productivity.

Associate Professor, PG Department of Economics, JPU, Chapra

Apart from the distributional aspect of the farm holdings, the other body of data needing a look at on the supply side of productivity is the land use of the available area. The data in this behalf is presented in table 2 below:

Table 2: Aspects of land use data constituting the supply side of farm productivity ('000 hectares)

<i>Land use</i>	<i>HP 1992-93</i>	<i>HP 1999-2000</i>	<i>All-India 1992-93</i>	<i>All-India 1999-2000</i>
Net sown area	573	551	142509	141231
Gross cropped area	973	953	185487	189740
Net Irrigated area	100	102	50296	57238
Gross irrigated area	175	179	66761	76336
Area under foodgrains	843	823	123148	123104
Area under non-Foodgrain crops	129	134	62339	66636
Fertilizer consumption in Kgs./hect.	29.35	39.02	66.34	95.23

The above data will now be analysed to understand the overall structure of the farm economy for the State of Himachal Pradesh as compared to the all-India picture on the one hand, and also for analysing the changes that have taken place in the two over time, i.e. from 1992-93 to 1999-2000.

The percentage of net irrigated area to the net sown area in Himachal Pradesh has increased marginally from 13.4 per cent in 1992-93 to 13.7 per cent for 1999-2000.

The comparative figures for all-India are 35.29 per cent and 40.53 per cent, respectively. The ratio of the net irrigated area to net sown area at the all India level for 1999-2000 is three times as compared to Himachal Pradesh.

Clearly, this fact emerges as a possible constraint on the productivity potential for the State of Himachal Pradesh. The other indicator of performance of the farm economy is the cropping intensity. The cropping intensity in Himachal Pradesh increased from 169.8 per cent in 1992-93 to 173.0 per cent in 1999-2000.

The corresponding figures for all-India are 130.1 per cent and 134.3 per cent, respectively. A higher cropping intensity in Himachal Pradesh is indicative of a much intensive use of the area under the plough as also the available irrigation potential created. This should generally auger

well for a better productivity picture for Himachal Pradesh as compared to the country average.

Another attribute of productivity is the fertilizer use. The data in Table 2 above indicates that per hectare fertilizer use in Himachal Pradesh is at one-third the level of the all-India average. This appears to be a factor responsible for comparatively lower productivity in Himachal Pradesh.

However, it would be a bit out of place to accept it as such despite the fact that firm data on the overall availability of manure from the animal wealth in the State is not available. It is, however, important to mention that the livestock population of the State is about 55 lakh and could be contributing significantly to the availability of manure for the farm operations.

Another attribute which can be considered as an important indicator of farm diversification and better productivity in the context of Himachal Pradesh is the shift from food grains to non-foodgrain crops. The data presented above in Table 2 indicates that there has not been any significant change in the area under non-foodgrain crops over the period under study from 1992-93 to 1999-2000.

However, there has been a perceptible increase in the area commanded by the non-foodgrain crops at the all-India level from 33.6 per cent of the gross cropped area to 35.1 per cent during the same period.

An important inference that can be drawn here is that the much hyped farm diversification story of Himachal Pradesh is not all that true. This inference again needs to be taken with greater care because the data available for area under fruits and vegetables in Himachal Pradesh appears to be not getting correctly reflected in the annual season and crop reports, the only authentic source of such data.

With this preliminary analysis on the supply side of the productivity, it would be interesting to go into the productivity data for various crops for which the comparative data for all-India and Himachal Pradesh is available.

Since wheat, maize and rice account for a majority of the area under foodgrains, it will be appropriate to compare the productivity scenario for these crops over time. The productivity data for these crops over time for Himachal Pradesh and all-India has been analysed and presented in

the following text. The data for rice crop is contained in the following table:-

Table 3 : Productivity data of rice : HP and all-India over time

Year	HP area '000 ha.	HP production "000 Tonnes	HP Yield per ha. (Kgs)	All India area lakh ha.	All India production Lakh tones	Yield all India (Kgs.)
1973-74	96.8	117.5	1214	382.85	440.51	1151
1983-84	92.8	111.5	1202	412.44	600.97	1457
1993-94	82.3	101.9	1238	425.39	803.00	1888
2001-02	80.6	137.4	1700	446.22	930.48	2090
Percent increase	(-16.7	16.9	40.0	16.6	111.3	81.6

The data presented in the above table indicates an interesting picture. For Himachal Pradesh, the area under rice has declined by 16.7 per cent over the period under study whereas the production has increased by about 16.9 per cent.

The result is that productivity per hectare has increased over the study period by about 40 per cent. Coming to the all-India picture, we see that the area has shown an increase of about 16.6 per cent, the production has increased by about 111.3 per cent and the productivity per hectare has gone up by 81.6 per cent.

These two parameters present a distinct picture for Himachal Pradesh vis-a-vis the all-India scenario. There has been a decline in the area under rice in Himachal Pradesh despite a 40 per cent increase in the productivity. What could be the reasons for such an area loss need to be studied separately?

However, it would not be far-fetched to make a conjecture that the green revolution may have

made a small impact in the State as far as rice crop is concerned. The bottom-line is that the productivity increase in Himachal Pradesh has been below 50 per cent of the national average and cultivation of rice does not appear to be presenting a situation of distinct advantage in the farm scenario for Himachal Pradesh. This is indicative of the trend in the decline in the area under rice cultivation in the State.

References

- Anindya Bakrie & Morendy Octora.: *Schooling, Experience, and Earnings*, New York, Singapore National University, Columbia University Press 2002.
- Baran, Paul A.: *The Political Economy of Growth*, New York, Modern Reader Paperbacks, 1975.
- Caplin, A. and Schotter, A.: *The Foundations of Positive and Normative Economics*, New York, Oxford University Press, 2008.
- Caviglioni O. : *Mapwise: Accelerated Learning Through Visible Thinking*, Network Educational Press, 2000.
- Fruhan, W. E.: *Financial Strategy, Studies in the Creation, Transfer and Destruction of Shareholder Value*. Homewood, 1979.
- Goleman D.: *Emotional Intelligence*, New York: Bantam, 1995.
- Loomes, G.: *Current Issues in Microeconomics*, New York: St. Martin's Press, 1989.
- Magnussen, L., *Evolutionary and Neo-Schumpeterian Approaches to Economics*, Kluwer, Boston, 1994.
- Nelson, Judy A.: *Feminism, Objectivity and Economics*, London and New York, Routledge, 1996.
- Peirson, G., Bird, R., Brown, R., & Howard, P.: *Business Finance*, Roseville, 1990
- Roth, A. E.: *The Handbook of Experimental Economics*, Princeton, Princeton University Press, 1995.
- Santos, A.C.: *The Social Epistemology of Experimental Economics*, London, Routledge 2009.



Attitudes Towards Disability in India

Meena Kumari

Attitude is a state of readiness, a tendency to respond in a certain manner when confronted with certain stimuli (Oppenheim, 1992). Attitude towards disabled people have been predominantly negative in direction and the intensity of beliefs and behaviours appears to vary according to not only factors such as culture (Ingstad & Whyte, 1995~ Stone, 2001), but also impairment.

Parental attitude

Some of the more common reactive pattern to the advent of a disabled child into a family are: realistic coping with the problem; denial of the reality of the handicap; self pity; ambivalence toward or rejection of the child; feelings of guilt; shame and depression; and patterns of mutual dependence (Telford & Sawrey, 1995).

The presence of a handicapped child in the family constitutes an additional stress. Defensive reactions are likely to occur more often and to a greater degree in such families than in families where all members are nondisabled.

There are powerful social and personal forces motivating a parent to deny evidences of the disability of the off spring. The cultural stereotype of the ideal child, the parents' expectation that their offspring will successfully play the roles that society and his parents assign to him, the parents' hopes that their child will attain or surpass their own accomplishments all these contribute to their "it just - can't be so" reaction when the child is apparently unhealthy. Because parents identify themselves with their children, participate in their success and failures, bask in their reflected glory, and are belittled by their shortcomings, they inevitably experience a loss of self esteem when one of their offsprings is less than expected.

Disability in the child is partly that of the parent (Telford & Sawrey, 1995).

The parents may reject the disabled child because of resentment and guilt. As a result the child may resent the parents. But, being dependent upon the parents, the child is forced to suppress his blame, which produces self hostility, guilt and anxiety. On the other hand some parents whether from genuine sympathy or guilt reactions, may tend to over protect the child, with equally harmful results. In either instance, the child's ego and social status needs are frustrated. Coughlin (1941) selected a group of 51 children from the files of the Detroit Orthopaedic Clinic. In all cases the parents of the children were living and the researchers knew the attitude of the parents. Coughlin finds four broad categories of parental attitude. "The attitude considered most constructive was that of the relatively small number of parents who had sufficient intellectual insight and were so well adjusted personally that they were able, while fully realizing the implications of the orthopaedic problem, to accept it and turn their attention and energies toward finding means of compensating for it". A second generally positive attitude was expressed by some parents who apparently had a "complete acceptance of a handicapped child on an emotional level with very little or no intellectual insight". A number of parents had an adequate intellectual understanding of the child's problem, but emotionally were unable to provide him with complete acceptance. Thus these parents demonstrated such feelings as over anxiety, over protection, and "overstimulation of the patient to accomplish more than he was capable". Finally, a group of parents were observed who neither intellectually nor emotionally were able to accept the child. These parents possessed both a lack of understanding on the physical condition of the child and "destructive attitude" toward the child. Included among these latter were such factors as fear of surgery, fear that the child might get worse, fear of what society would think, and fear of inability to the economically independent.

Lecturer, School of Education, Nalanda Open University,
3rd Floor, Biscomaun Bhawan, West Gandhi Maidan, Patna

Societal Attitude

An individual is part and product of his social environment and so is a person with disability. His relationship, attitude and behavior patterns are vitally affected by the nature and extent of the harmony or disharmony of his relationship with the family members, relatives, friends, community members, workplace colleagues and employers etc. Tragically enough, the persons with disabilities are "less handicapped by their own disability than by the social attitude" (Silver, 1957) meted out to them in every walk of life (Shrivastava, 1970).

A disabled person, like every other person, is a 'social being' and is, therefore, no different from other able bodied persons. It is an irony, however, that he is not accepted by the society as he is, for it invariably focuses its attention on his disabilities rather than on his abilities, victims of disease, accident or negligence, they have been further victimized by their peculiar and irrational prejudice of the society. Social Scientists have known for decades that able bodied people tend to avoid interacting with people with disabilities, because they are uncertain about how to behave in their presence (Thompson, 1982; Yamamoto, 1971).

"Most nondisabled people I know are so driven by their own fears of damage and death that they dread contact, let alone interaction, with anyone touched by affliction of any kind" (Berube, 1997) Tringo (1970) in his study found that,

if a general prejudice exists toward disabled people, then a hierarchy toward specific groups should also be present, suggesting that those ranked as least preferred will have the most difficulty in being accepted by society. By using a nine point social distancing scale, ranging from 'would marry' to 'would put to death', with 21 impairments, it was found that mental retardation, alcoholism and mental illness were the 'least preferred' by the nondisabled subjects (n455), with ulcer, arthritis and asthma ranked as most accepted. Tringo's hierarchy has been found to be relatively stable 30 years later, with only people with cancer showing a change in position (Thomas, 2000).

Harasymiew et al (1976) found that stereotypes and negative attitudes exist not just in the general population, but also amongst the health professionals. Children are generally regarded as holding more positive attitudes towards disabled people than the adult population (Townsend et al, 1993).

Harper (1999) views culture as a significant factor in influencing attitudes toward different impairments, citing how an obese child was ranked as least desirable in the United States, while in Nepal and New Zealand this child was ranked more highly.

In the US during the upheaval of the 1960s & 1970s, the disability rights movement and the women's rights movement took their place beside other social movements

that forever changed the sociopolitical landscape. It had its impact globally. Goffman's (1963) sociological analysis of stigma and its consequences in socially marginalized groups is frequently cited as foundational in disability literature reviews.

Goffman's (1963) and Davis's (1961) thesis that relations between disabled persons and nondisabled persons are marked by strain, misunderstanding and disconnection is supported by a wide range of data sources. Murphy (1990) described disability as a 'disease of social relations', adding "Social relations between the disabled and the able bodied are tense, awkward, and problematic. This is something that every handicapped person knows".

Summarizing the results of their interviews with disabled persons, Murphy and colleagues reported that "handicapped people of every condition complain that nondisabled act as if we were contagious" (Murphy et al 1988) and wheelchair users know that in public places, they are commonly "noticed by everyone and acknowledged by nobody".

A national sample of 100 employers of the disabled people, and a similar number of Disability Employment Advisors (DEAs) was drawn for a study in England. 70% of the employers felt that there were positive benefits to employing disabled people, most often because they are more loyal. DEAs reported that majority of the disabled employees give 110% performance, have little sick leave and are very reliable. It would be helpful to forge a

stronger synthesis between, on the one hand, securing legislative improvement and enforcement, and on the other, promoting the universal benefits of a more inclusive society. Each complements the other.

The following diagram illustrates how public attitudes about disability can be mapped along a continuum (see Figure 1). This continuum is important because this and other research has revealed clear evidence of how attitudes underpin behaviour towards disabled people which in turn affect the everyday lives of disabled people. The diagram was developed from the results of the qualitative research.

The continuum of attitudes is applicable to both disabled and non-disabled people, although an individual's own sense of identity as disabled or non-disabled has complex roots. Nevertheless, as has been mentioned above, people with health problems who do not consider themselves to be 'disabled' appear to hold views which often correspond to the views held by non-disabled people with minimal experience of disability.

Figure 1: A continuum of attitudes towards disability

INCLUSIONARY	EXCLUSIONARY
<i>Reject 'difference'</i>	<i>Focus on 'difference'</i>
Accept broad definition of disability	Limited definition of disability
Positive view of disabled people's lives	Negative image of disabled people's lives
Egalitarian, accepting	Fearful, patronising, uncertain, sympathetic, sorrowful

Exclusionary

Non-disabled people were asked to describe how they felt when they saw or met disabled people. Many reported being embarrassed and uncertain of how to behave with a disabled person. There was a fear of causing offence by offering to help for example, and a fear of the possible negative reaction from the disabled person. Some non-disabled people recalled a strong sense of curiosity when they had met disabled people, a desire to understand how or why that person is disabled and to learn about what their life is like and whether or not it is different to their own. Others reported feeling

uneasy or fearful of disabled people, these feelings were particularly strong in relation to people with learning difficulties or mental illness.

Inclusionary Attitudes

In contrast some non-disabled people (especially those who had had higher levels of contact with disabled people) expressed more egalitarian responses which were less focused on difference. In this group, people reported feeling no difference in their social interaction with disabled or nondisabled people. Additionally, disabled people themselves commonly expressed more inclusionary attitudes about disability. The exception to this being those who did not consider themselves as disabled.

Inclusionary attitudes were characterised by a sense of equality and the absence of beliefs which suggest difference between disabled and non-disabled people. Similarly, inclusionary attitudes were founded on the belief that disabled people have capabilities, rather than disabilities, and experience the same range of life experiences as non-disabled people.

Attitudes of the non-disabled are proving to be a major barrier in the social integration of persons with disabilities. "The more severe and visible the deformity is, the greater is the fear of contagion, hence the attitudes of aversion and segregation towards the crippled" (Desai,1990, p.19). Such attitudes reinforced by religious institutions may militate against any attempts to include students with disabilities into regular schools. For example, Hindus (who constitute 85 percent of the total population in India) believe that disability is a consequence of misdeeds performed in the previous life (often referred to as the doctrine of Karma). Many Hindu religious institutions and temple trusts, therefore, do not think a part of their duty is to help persons with disabilities, because they consider the disability to be the result of a person's misdeeds in his previous life (Rao, 1990). Any attempts to improve the life of a person with a disability may be considered a "defiance of the wills of Allah or as interference with a person's karma" (Harriss-White, 1996, p.7 [also see Miles, 1995]). Alur (2001), in her study found that disability in India is not seen as something "normal" or "natural," rather it is seen as an "evil eye." Guilt, stigma

and different kinds of fears tend to be paramount in such families. She further concludes that “the contradiction here was that Indian society, although integrated in accepting and valuing diversity in so many ways, has a social role construct of disability which is negative, discriminatory and exclusionary” (n.p.). Kannan, (2000), states that in order to harness the great potential of more than 30 million people with disabilities, it is essential that “prejudice, mental and irrational myths concerning disability, is eradicated.”

Dissemination and public education: People, including parents and school personnel, are largely unaware of the full intent of the recent legislation passed by Indian Parliament. A large number of school personnel are also not aware of funding available to include students with disabilities in regular schools. There is some evidence that those educators who are knowledgeable about government policies and laws concerning integrated education tend to have positive attitudes toward implementing such programs (U. Sharma, 2001). There is also evidence when parents are knowledgeable and supportive of integrated education, they tend to have a positive effect on school personnel (U. Sharma, 2001). Thus, unless people, especially parents of children with disabilities and school personnel, are made knowledgeable about the various provisions enshrined in the Act, the

Central and State governments’ commitment to providing integrated education will be in vain. Although some attempts are being made to disseminate information about the Persons with Disabilities Act to parents, to government officials and non government organizations (B. L. Sharma, 2001), they have been extremely limited in coverage (Chatterjee, 2003).

There is also a greater need to have a National Resource Center for Disabilities. Such a center would work to collect, and disseminate information on various aspects of disability (B.L. Sharma, 2001). The center would provide information through various TV and radio programs as well as through internet (B.L. Sharma, 2001). The center would also fulfil the role of scrutinizing all mass communication programs (TV, radio and even entertainment programs) to ensure that disability is not portrayed in a negative manner.

The center could also start documentary projects (e.g. video programs) that feature inclusion being implemented in different parts of India. Such programs are likely to make a positive impact on school educators who often believe that inclusion can work only in Western or developed countries.

References

- Aggarwal, R. (1994). India. In K. Mazurck & M. A. Winzer (Eds.), *Comparative studies in special education* (pp. 179-203). Washington D. C.: Gallaudet University Press.

- Alur, M. (2001). Inclusion in the Indian Context. *Humanscape*, 8(6), 1-8.
- Azad, Y. A. (1996). *Integration of disabled in common schools: A survey-study of IEDC in the country*. New Delhi: National Council of Educational Research and Training.
- Baquer, A., & Sharma, A. (1997). *Disability: Challenges vs responses*. New Delhi: Concerned Action Now.
- Canadian International Development Agency (CIDA). (2003). *India Country Program Framework (2002-2007)*. Retrieved 10th June, 2003, from www.acdi-cida.gc.ca
- Chatterjee, G. (2003, April). The global movement for inclusive education. Retrieved 10th July, 2003, from <http://www.indiatogether.org/2003/apr/edu-inclusive.htm>
- Das, A. K., & Pillay, A. N. (1999, December). Inclusive education for disabled students: Challenges for teacher education. Paper presented at the 5th UNESCO-ACEID Conference, Bangkok, Thailand.
- Jangira, N. K. (1995). Rethinking teacher education. *Prospects*, 25(2), 261-272.
- Jangira, N. K., & Ahuja, A. (1993). Special education in India. *Asia Appraiser*(October-December), 6-11.
- Jangira, N. K., Singh, A., & Yadav, S. K. (1995). Teacher policy, training needs and perceived status of teachers. *Indian Educational Review*, 30(1), 113-122.
- Jha, M. M. (2002). Barriers to access and success: Is inclusive education an answer? Paper presented at the Commonwealth of Learning (2002) Pan-Commonwealth forum on open learning: Open learning: transforming education for development, 29 July - 2 August 2002, 16p, Durban, South Africa.



Overview of Primary Schools Education in Delhi

Manisha¹, S.Vivek Adhish²

Abstract

In Delhi, the Education Department of MCD is committed to improve the standard of nursery and primary education, qualitatively as well quantitatively, For the harmonious development of children, Government had started School Health Scheme in March 1979 with the objective of promotion of positive health, prevention, early detection, diagnosis and treatment of diseases and referral services to higher health centres for further treatment and management. In spite of the fact, MCD is providing free textbooks, free school uniforms, insurance cover and mid-day meals etc. to the children, the situation in the primary schools has not improved upto the desired level.

According to 1st March 2011, the population of India is 1,210,193,422 (1.21 billions). The country added 181 million to its population since 2001, slightly lower than the population of Brazil. The capital of India, Delhi is considered to be second largest metropolitan city after Mumbai. There has been tremendous development in transport, education and other facilities offered by the government and other agencies in Delhi. The population of New Delhi has increased rapidly in last 10 years. From a figure of 400000 in year 1901, the population of Delhi has increased to around 16753235 in current year 2011. The literacy rate in Delhi has increased from 75.29 percent in 1991 to 81.67 percent in 2001 and further to 86.34 percent in 2011. In other words,

the number of literates in Delhi has increased from 59 lakhs in 1991 to 97 lakh in 2001 and further to 145 lakh in 2011.

The Directorate of Education provides educational facilities in the following stages:

- Pre-primary
- Primary
- Middle/ Upper-primary
- Higher/ Secondary
- Senior Secondary

In Delhi, pre-primary and primary education are the responsibility of the local bodies namely the Municipal Corporation of Delhi (MCD), the New Delhi Municipal Council (NDMC) and the Delhi Cantonment Board (DCB). Middle, Secondary and Senior Secondary education are primarily looked after by Directorate of Education, Government of National Capital Territory (NCT) of Delhi.

Primary School Education

Under the Delhi Municipal Corporation Act, 1957, primary school education is an obligatory function of the Municipal Corporation of Delhi (MCD). Initially the MCD also ran some 400 Middle Schools and 11 Senior Secondary Schools (up to June 30, 1970). Thereafter, with effect from July 1, 1970, Delhi Administration took over these schools from the MCD. Since then, the education department of the MCD has only been running Primary Schools. Number of primary schools has increased from 2029 in 1991-92 to 2620 in 2007-08 increasing enrolment 9.64 Lakh in 1991-92 to 17.60 Lakh in 2007-08.

School Education

Class	Enrolment (In lakh)				Number of Schools			
	1991-92	2001-02	2006-07	2007-08	1991-92	2001-02	2006-07	2007-08
Pre Primary/Primary	9.64	14.34	17.50	17.60	2029	2406	2646	2620
Middle	5.35	7.81	8.88	9.39	502	666	640	643
Secondary/Sr.Secondary	4.02	5.65	7.57	7.93	1178	1576	1750	1759
Total	19.01	27.8	33.95	34.92	3709	4648	5036	5022

(Economic Survey of Delhi, 2007-08)

1. Assistant Research Officer, Department of Medical Care and Hospital Administration, National Institute of Health & Family Welfare, Munirka, New Delhi

2. Professor and Head, Department of Medical Care and Hospital Administration, National Institute of Health & Family Welfare, Munirka, New Delhi

The proportion of male students is higher than females at school level. In MCD schools, 8.17 lakh girls were enrolled in comparison of 9.43 lakh boys. In Delhi, no detention policy is operative at the primary stage. This implies that an automatic policy is followed, that is to say that the students are simply promoted to the next class on the basis of satisfactory attendance. Despite this, the dropout rate for Delhi continues to be high. It is estimated that 25-30% of the children dropout between classes 1 and 5. The teacher-pupil ratio in primary schools is 1:48. This shows that the overall average ratio is quite favourable.

Student Enrolment in MCD

Primary Schools during 2007-08 (In Lakh)

Class	Boys	Girls	Total
Pre Primary/Primary	9.43	8.17	17.60

(Economic Survey of Delhi, 2007-08)

School Health Scheme

Schools have profound influence on thinking patterns and behaviours of children, their families, and the community in general. Providing easy access to health to children in schools, nutrition and hygiene education and services is a simple and cost effective tool which can go a long way in the prevention and control of communicable and non communicable diseases. Keeping this in view the Directorate of Health Services, Govt. of NCT Delhi, started School health scheme in March 1979 with six School health clinics initially which were later increased to provide comprehensive health care services to the school going children. The School Health clinics have been established in the school premises itself for easy accessibility to children. These are planned to cover the children studying in Government and Government Aided Secondary schools.

Objectives of School Health Scheme

- Promotion of positive Health (Health Education)
- Prevention of diseases (including immunization)
- Early detection, diagnosis and treatment of diseases

- Referral services to higher Health Centers for further treatment and management.

Services provided by School health clinic

School health clinic provides comprehensive integrated health care services to school children to achieve the objectives of the school health Program. The following parameters are assessed in the detailed health examinations:-

1. Nutritional Status by Measurement of Height and Weight
2. Clinical Examination and Assessment for Anemia
3. Eye check up for refractive errors
4. Hearing test
5. Dental Examination
6. ENT Examination
7. General systemic health examination
8. Assessment of common health disorders like Intestinal parasites, Scabies, Pediculosis,
9. Sensory and Motor Examination
10. Curative services through OPD services.
11. Immunization
12. First Aid.
13. Referral to those students who require attention of a specialist are referred to referral centers/Delhi govt. Hospitals and subsequent follow up of these cases.
14. Follow-up of referred children
15. Health education (IEC Material): Based on Month and Season of the year, the local and focal diseases are emphasized like in winter-respiratory tract infections, in summer-water borne diseases, in rainy season-vector borne diseases like malaria, conjunctivitis et al.
16. Counseling

Other Methods Adopted

- Helping in maintenance of healthy and safe environment.
- Capacity Building of Teachers & Students
- Implementation of special Health Programmes
- Organization of Health Melas (zone wise) at various schools where on the spot health

examination, Eye, ENT, Dental check-ups are done by the specialists.

Welfare Schemes

In spite of School Health Scheme, Government is also providing different welfare schemes for MCD Primary Schools children.

- *Free Text Books:* Education Department, MCD provides free text books to all children studying in Primary Schools every year. All Hindi medium & English text books are purchased from Delhi Bureau of Text Books & Urdu medium text books from NCERT and distributed to schools through zonal stores at the beginning academic session.
- *Provision for Free Uniform, Jerseys, Shoes & Socks:* The Education Department provides subsidy in the form of cash to all the children for purchasing two sets of uniform, a jersey, a pair of shoes & two pairs of socks. The department pays Rs. 500/- in cash per child to all the children studying in the schools run and aided by MCD.
- *Provision for Free Stationery Items:* MCD provides three note books & one drawing book for children studying in class I & II and five note books & one drawing book for children studying in class III, IV & V in Municipal Schools free of cost.

- *Mid-day-Meal to All Children:* In pursuance upon the orders passed by Hon'ble Supreme Court of India, the scheme of providing cooked Mid-day-Meal to the children enrolled in schools run / aided by MCD has been introduced. All the schools run / aided by MCD are covered under this scheme. For compliance the orders of Hon'ble Supreme Court of India and ensuring the quality and quantity of food, the work of providing cooked mid-day-meal to all the children studying in schools run and aided by the MCD has been entrusted to 08 NGOs/ Service Providers. These NGOs/Service Providers has established 10 semi automated kitchens throughout the Delhi for preparing and serving good hygienic food to children.
- *Computer Aided Learning in Schools:* To improve the academic standards of the children, Education Department has introduced Computer Aided Learning, in the Schools run by it, in phased manner. All the MCD primary schools have been grouped in four groups i.e. Group 'A', Group 'B', Group 'C' and Group 'D'. Three MCD zones have been taken in one group. This program is named as Project Sharada. At present,

Computer Aided Learning Centers has been established in 1381 Municipal schools spanning all 12 zones. These 1381 schools have been scrutinized taking in view that the school has sufficient basic infrastructure and facilities and sizeable number of children in class III, class IV & Class V. Department has plan to provide such computer labs in the remaining schools under the scheme of Computer Aided Learning Programme.

- *Insurance Cover to the Children:* With a view to provide insurance cover to all the children enrolled in schools run / aided by Municipal Corporation of Delhi, a scheme of Group Accidental Insurance has been introduced for benefit of children in case of injuries, loss of limb etc.
- *No fees/funds from Students:* Children studying in MCD schools need not to pay any kind of fee / fund such as boys fund, hobby funds, PTA fund etc. at the time of admission in the municipal schools or thereafter. The expenditure made by schools on such accounts is recouped by MCD every year.
- *School Health Services:* There is a branch of Health Department in the name of School Health Services headed by Addl. MHO (SHS). There is also one Health Centre in each

zone and the Medical Officers & para-medical staff visits the Municipal Schools for health check up of the children regularly and provides medical assistance. In addition the department is also providing hearing aids and spectacles to the needy children.

The Education Department of MCD is committed to improve the standard of nursery and primary education, qualitatively as well quantitatively, for the harmonious development of children. While the MCD claims to be implementing welfare schemes (such as distribution of free textbooks, free school uniforms, and mid-day meals), there is no doubt that the situation in the schools is becoming from bad to worse. The plight of the MCD schools is well known.

Hindustan Times (2012) has published that a total of 26,411 students of Delhi Government schools were screened for deficiencies, diseases and disabilities under the Chacha Nehru Sehat Yojna, during December 2011 to January 2012. An analysis of the data was carried out and it was found that 60% of the students were anemic, 40% were suffering from refractive error, and almost everyone had poor oral hygiene and dental caries. At least 5,527 students have been referred for further investigation and treatment.

There are frequent reports of MCD not distributing free textbooks to its students. Mid-day meals are not given everyday as the rulebook says.

Jerseys meant for distribution in winter remain stacked in the stores while the children shiver in the cold.

Ninety percent of the students haven't got uniforms since enrolment.

The MCD schools are under equipped in the sphere of infrastructure also. There are enough cases of students sitting on torn and dirty rags in the courtyard. Over the years, the Corporation has not been able to provide pucca buildings to them. A large number of them are still run under tents. The shortage of teachers and non-payment of salaries seem to be perennial problems.

References

1. Indiaonlinepages.com
2. Times of India, July 5,2010
3. Hindustan Times, January 31,2012
4. Municipal Corporation of Delhi, Education Department, School Information Management System
5. Economic Survey of Delhi, 2007-08
6. <http://www.censusindia.net/data/del.pdf>



Implications of the Impulses for Philosophy of Education

Dr. Anita Sharma

Given the existence of these three impulses, how can they help in providing an overview of the field of philosophy of education that does not fall into arguments about disciplinary boundary maintenance? First, these very broad orientations are in many respects easier to generalize within the field than would be any specific set of disciplinary criteria; many different kinds of philosophy of education can manifest these sorts of inclinations. Indeed, it makes for strange bedfellows when people consider that despite their vigorous paradigmatic differences they are actually motivated by very similar underlying philosophical commitments. Perhaps this recognition might create a stronger incentive for them to engage one another respectfully across those differences.

Second, it is beneficial for philosophers to consider that the validity they attribute to certain kinds of arguments may not be driven simply by the objective force of those arguments, but also by a particular appeal those kinds of arguments have *for them*. This sort of reflectiveness might be fruitful for various reasons, but a significant benefit could be in raising a person's appreciation for why others may not be moved by the arguments that seem so patently obvious to that person; and why the force of argument alone may not be sufficient to generate philosophical agreement or reconcile disagreement. Given the pervasively eclectic and interdisciplinary nature of the field of philosophy of education, such a spirit of tolerance and inclusiveness, while not needing to be unbounded entirely, would be a valuable corrective to the historical tendency to

establish *the* methods or *the* philosophical school that will separate proper philosophy of education from the imposters.

Advocates of more prescriptive approaches typically buttress their case for dominance by reference to canonical Great Works (Plato, ancient Greek philosopher Aristotle, Locke, Rousseau, Dewey). This sort of system-building across epistemological, ethical, and social/political issues is what the great philosophers *do*, and it is revealing that for them philosophy of education was rarely seen as a distinct area of inquiry but merely the working out in practice of implications for teaching and learning that were derived from their larger positions about truth, value, justice, and so on.

Advocates of more analytical approaches, as noted, tend to put more reliance upon the tools of philosophical investigation, and less on particular authors or sources. In the twentieth century, versions of these approaches tended to dominate philosophy of education, especially in the English-speaking world, as they have many departments of philosophy itself. Indeed, when one surveys accounts of the field of philosophy of education from the 1990s forward, they nearly all chart the history as one of the rise to dominance of an analytical approach and then a succession of critiques and attacks upon it.

Advocates of more critical approaches suffer from a particular difficulty—carrying out their philosophical work in a way that is consistent with their broader commitments. Naturally, any philosophical approach aspires to consistency of some sort; but to the extent that critically oriented philosophers are concerned with challenging power structures, hegemonic belief systems, and universalisms that obscure, not to say squelch, the particular beliefs, values, and experiences of those whom they seem to empower, such philosophers must also endeavour to avoid these potentially oppressive tendencies in their own writing and teaching. This tension is perhaps felt most acutely by contemporary post-modern philosophers of education, but it can be seen in much of the work of neo-Marxists, critical

Reader, Education Department, Dau Dayal Mahila (P.G.) College, Ferozabad

theorists, feminists, and Foucauldians as well: how to argue for and promote an emancipatory approach to education that does not itself fall into the habits of exclusionary language, authoritative (if not authoritarian) postures, and universalizing generalizations that are excoriated when detected in the work of others.

Where is the Proper Meaning of Education in India?

Our country needs to introduce a uniform pattern of education in all places. If the parents have a transferable job or changing jobs in private sector, then such children suffer the most as they do not have proper domicile papers in any state and they have to apply in private colleges for professional studies. Moreover these entrance exams are a big hindrance for students with our huge population, the competition is too much, and very few seats, it creates a lot of stress and tension.

We have reservations, thanks to our politicians and our higher castes, especially in villages where these higher castes exploit the less privileged, and the politicians exploit these people for their votes. But the general category is the most affected in these entrance exams, especially in the medical entrances, where the numbers of seats are less and lakhs of students write these exams. Let us put the poor students under so much stress and tension. Let us control our population growth especially in the rural sector. Let us get the India of Mahatma Gandhi who desired to see a liberated India

wherein anyone who wanted to study any course could get the seat with the required marks.

Many students get seats in colleges paying so much money, but to get the money back, which they used for education loans or entry donation, those candidates either select corrupt methods while working or their parents demand huge dowries as their sons are engineer/ doctors etc.

Every action has a reaction; it affects so many persons in different ways. Our education should be kept away from the politicians, let us give our children good education, it should be within the reach of all.

There are various definitions of education. The one as defined by the Oxford dictionary is the most satisfactory: development of character or mental powers. It is in the latter sense that today the use of the word 'education' conveys the maximum meaning. The basic validity of this concept is rooted in the very nature of man i.e. he is a learner and he has no instincts like the other animals. Thus, education is a must for man; for, it fosters development of character/mental powers. These two acquisitions enable man to field power. That is why it is often said that knowledge is power. With this power as conferred by education man manipulates and has even power over material and non-material things around. A few who have more power of education than others are more important than others. In other words, stratification of society could have come into existence based on the criterion of education power. Both in

ancient Greece and ancient India the learned ranked as the highest in society. This stratification was further strengthened by the innate urge of each individual to be superior to others. In other words, there is a Lucifer in each one of us. It is this Lucifer that was strengthened by the knowledge that education conferred. Over time as the means of disseminating education multiplied evolution of alphabet facilitating the art of writing, material on which it could be written, printing press and modern telecommunications – it has become difficult to monopolies this power of education. Locally, the distinction based on learning has come to be blurred since each individual has access to the means by which one could acquire the power conferred by education.

The mental powers that one acquires are memory, analysis, logical thinking, sense of discrimination, constructive thinking and cultivated aesthetic and spiritual sense. Human mind by itself has no mental power of its own. Man, unlike animals who are guided by instincts, is a learner. Thus whatever may be the agency that is instrumental for imparting education to new members of society contributes to the development of their mental powers. The agencies that nurture the mental powers of man are traditionally two; one family and the other society. In modern times a third agency has come into existence i.e. formal and institutionalized form of education. This agency for imparting education is becoming all-important because modern education has almost

totally become utilitarian i.e. education to enable the new entrants into society find occupations for earning their livelihood.

The occupations, in turn are becoming more and more specialized or professional. In brief, the formal educational institutions that are multiplying today are primarily serving the purpose of youngsters filling the various slots that are available in society (statuses or job opportunities and professions). Apart from these three main agencies of education, today there are a few more intruders. One is the mass media, particularly exponential increase in audio-visual gadgets. On the other hand, the roles of society, family and elders are on the decline. Besides changed nature of the agencies imparting education, the content has also been transformed. In ancient times languages and scriptures constituted the primary subjects of study. In a country like India even these areas were limited to the upper most stratum of society while knowledge that was needed to pursue manual occupations were transmitted through the family channel along with the binding ethic of caste and occupation.

This pattern of education was almost totally dislodged with the introduction of western type of education by the British Raj. While educational institutions based on western pattern with English medium of instructions grew under the sponsorship of the British Raj the same tract was

followed by private individuals since it came to be accepted that only in the English medium and the new kind of knowledge that was imparted that one can secure a job or pursue a profession of the time. After independence development of education became more angular because with the growing stress on specialization and professional skills. The latest figures of India show that the service sector has started making perceptible contribution to the GNP at the expense of agriculture and animal husbandry. In developed countries the percentage of contribution by the service sector occupies the top place.

References

- Altbach, Philip G. and Gail Kelly : *New Approaches to Comparative Education*, Chicago, The University of Chicago Press, 1986.
- Aspray, William: *John von Neumann and the Origins of Modern Computing*, Cambridge, MA: The MIT Press, 1990.
- Bentley, T. : *Learning beyond the Classroom: Education for a Changing World*, London, Routledge, 1998.
- Brand, Stewart: *The Media Lab: Inventing the Future at MIT*, New York: Penguin, 1987.
- Brockman, John: *Digerati: Encounters With the Cyber Elite*, San Francisco, HardWired, 1996.
- Campbell-Kelly, Martin and William Aspray: *Computer: A History of the Information Machine*, New York: Basic Books, 1996.
- Cole, J. P.: *Situations in Human Geography: a Practical Approach*. Oxford: Basil Blackwell.
- Donaldson, Gordon A. : *Cultivating Leadership in Schools*, New York, College Press, 2001.
- Edwards, Paul N.: *The Closed World: Computers and the Politics of Discourse in Cold War America*,

- Cambridge, The MIT Press, 1996.
- Evers, C. & Lakomski, G. : *Knowing Educational Administration*, Oxford, Pergamon, 1991.
- Feigenbaum, Edward A.: *Computers and Thought*, New York: McGraw-Hill, 1963.
- Fishman, Katherine Davis: *The Computer Establishment*, New York: McGraw-Hill, 1981.
- Flink, James J.: *The Automobile Age*, Cambridge, MA: The MIT Press, 1993.
- Galbraith, M.W. : *Education Through Community Organizations*, San Francisco, Jossey-Bass, 1990.
- Giroux, H. : *Critical Theory and Educational Practice*, Geelong, Australia, Deakin University, 1983.
- Glass, Robert L.: *Software Creativity*, Prentice Hall PTR, 1995.
- Hawkes, Nigel: *The Computer Revolution*, New York: E.P. Dutton, 1972.
- Heims, Steve J.: *The Cybernetics Group*, Cambridge, MA: The MIT Press, 1991.
- Kahin, Brian and James Keller: *Public Access to the Internet*, Cambridge, MA: The MIT Press, 1995.
- Lee, J.A.N.: *Computer Pioneers*, Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society Press, 1994.
- McCarty, Willard: *Humanities Computing Yearbook*, Oxford: Clarendon Press, 1988.
- Nias, J.: *Seeing anew: Teachers' Theories of Action*, Australia, Deakin University, 1987.
- Poster, C. and Kruger, A. : *Community Education in the Western World*, London, Routledge, 1990.
- Rheingold, Howard: *The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier*, Reading, MA: Addison-Wesley, 1993.
- Simkins, T. : *Non-formal Education and Development*, Manchester, Manchester University, 1977.
- Thomas, A. : *Educating Children at Home*, London, Cassell, 1998.
- Warner D. and Palfreyman D. : *Higher Education Management: The Key Elements*, The Society for Research into Higher Education and Open University Press, London, 1996.



Spiritual Development in Child Literature

Dr. Sunil Kumar

To explain the term spirituality can be very challenging because the experience it refers to is not a rational or obvious one. There is no particular mode to explain spirituality. Berryman (2001) asks why is it that "we know 'spirituality' when we meet it, but can't define it? Why do our explanations fail to satisfy?". He seeks to give these questions answers by proposing that maybe the fact that spirituality is part of our non-verbal communication system is the reason it is so complicated to define, and thus our efforts should be geared towards showing the non-verbal nature of spirituality in its place of searching for verbal brevity.

Beyond the specifics of verbal or non-verbal ways of defining spirituality, some authors argue between the relation of spirituality to religion or its independence from it. The widely held view of authors is that even though religion can be a system of manifesting and living spirituality, they are not attached to one another and thus having a particular religious belief is not obligatory for being spiritual. For the purpose of this paper I will focus on spirituality and religion as separate, independent concepts from each other. These concepts can be related if we view religion as a "systematic approach to spiritual growth formed around doctrines and standards of behavior", and spirituality as the substance of religion or as DeMarco (2000, as cited in Stutts and Schloemann, 2002) would put it, as a set of beliefs that can be manifested through religious practice, but are not limited to it. I will embrace Champagne's (2001) understanding that "spirituality and religion are

interdependent rather than equivalent", to be able to study spirituality more freely.

Mc Creery (1994) in her quest for defining spirituality encountered different authors who had faced similar difficulties as her own. She found that there were three most important concept under which spirituality could be understood: spirituality as a fundamental aspect of human nature, spirituality as "something other" ,and spirituality as energy, power, and essence. Champagne (2001) also has found in the literature common threads to the notion of spirituality as: human experience, unification and integrity, and consciousness. I will describe the different definitions of spirituality under these three approaches.

As far as the theory of spirituality as an aspect of human nature is concerned, most writers agree that to speak of spiritual aspects is to speak of "something that is shared by all human beings and not just a few" . Hay (1982) explains that in his study he has come across a great number of people who are aware of a spiritual side to existence, whether they are "religious" or not, thus understanding it as a human characteristic.

Hart (2003) agrees that spirituality is in reality so imbedded in human nature that he proposes "rather than thinking of ourselves as human beings occasionally having spiritual experiences, I find it more helpful to think of ourselves as spiritual beings having human experiences" (p. 8). Elkins (1998) also asserts that "spirituality is a universal human phenomenon found in all cultures and in every age; it is not the exclusive possession of any religious group".

Scott (2001) establishes his work with spirituality on the hypothesis that all humans are spiritual and have spiritual experiences with a assortment of characteristics that may or may not be mediated by religious doctrines or institutional frames. Therefore, it is understood that regardless of the fact that we choose to view spirituality through religion or not, tied to an impression of God or away from it, it is regularly conceived as a human attribute or characteristic.

Spirituality as Unifying with "Something Other"

Focusing on the view of spirituality as *other*, Hart (2003) explains that "spiritual refers to an intimate and direct influence of the divine in our lives" (p. 8), giving the sense that spirituality originates outside of us although it significantly influences us in our inner core. McCreery (1994) explains how in England, in the 1988 Education Reform Act, the spiritual is listed as something evident from the moral, cultural, mental, and physical. Priestley (1985) also suggests that we can "only talk about the spiritual in terms of images rather than concepts. To tie spirituality down to intellectual discourse is to lose it, because it cannot be limited to the static forms of intellectual models". From these authors it can be gathered that spirituality can be portrayed in images that stem from outside of us, which have a distinct and powerful impact on our lives.

Bosacki (2001) complies that the majority of research hints at that the term *spirituality* deals with "connections and relations to ourselves, others, and the world around us. It refers to both a sense of inferiority or an inner reality and a sense of being connected beyond one's own self, connected to something 'greater'". Myers and Myers (1999) view this connection as a construction of meaning that informs the way we engage in "the processes of transcendence". This process of transcendence is then what gives consent to us to move past

what is known towards what we do not yet understand; that which is beyond us.

Other authors define spirituality as a combination of the aspects found by McCreery (1994). In their study Stutts and Schloemann (2002) tried to ascertain how spirituality came into play when deciding what is best for the sick child. They defined spirituality in DeMarco's (2000, in Stutts and Schloemann, 2002) terms, as "the relationship between the self and a higher power that is dynamic, interpretive, rational, and integral part of human life", thus combining the notion of an integral part of the human being and the "something other" views of spirituality. Champagne (2001) agrees with this combining notion and states "spirituality cannot be dissociated either from the human or from what is beyond the human, in transcend and in immanence".

Children's Spirituality

Many authors maintain that young children have a natural sense of the self and the spiritual in that they are more connected to the genuine in themselves and others (Coles, 1990; Hay and Nye, 1998). The problem arises when children share their spiritual experiences with adults. These experiences are usually undermined, deemed as unreal and in the best cases, when recognized as true, asked to be forgotten or not shared with anyone else because they can be dangerous to the child. Hart (2003)

explains that children have a secret spiritual life. "They have spiritual capacities and experiences - profound moments that shape their lives in enduring ways. These are sometimes stunning, often tender, and reveal a remarkable spiritual world that has been kept largely secret".

Silverman and Worden (1992, as cited in Garbarino & Bedard, 1996) did a research with children of whom a parent had died, and found that "57 percent reported speaking to the dead parent; 43 percent of those children felt they received an answer; and 81 percent believed their dead parents were watching them" (p. 471). In contrast, Kalish and Reynolds (1973, as cited in Garbarino & Bedard, 1996) reported that only 12 percent of adults described such direct contact with the dead. It is not my intent to claim that believing in the spirit outliving the human body is a requirement for spiritual development; nevertheless, these studies indicate that children seem to be more open to spiritual experiences and to admitting their spiritual beliefs overtly to others, than adults.

Garbarino and Bedard (1996) also make an important point when differentiating children's spirituality from that of adults. They state that since the initial structures of meaning, which are necessary for spiritual development, are most efficiently and effectively established in early childhood, children tend to be more open

to developmentally enhancing experiences than are adults. Nevertheless, this “critical period” of spiritual development places children in a vulnerable position and thus makes it imperative for adults to protect them providing for safe and nurturing environments for spiritual development to occur.

As adults there are some aspects that we can be aware of to help free and uncover children’s secret spiritual lives, and some authors have made a point of making some recommendations for parents and adults in general.

Children’s Spirituality in Education

Regarding spirituality in education, McCreery (1994) explains that great educators of the past, such as Froebel and Steiner, have analysed spirituality as an vital aspect of children’s education, but what appears to be missing is the way of formally encompassing this work into the curriculum. While there also seems to still be some uncertainty of what spirituality is. Bosacki (2001) indicates that spirituality in education needs to go “beyond knowledge acquisition and enter the realms of personal meaning and purpose” . Hart (2003) explains that the problem with schools, in terms of spirituality, is not that they lack answers; it is more that they lack depth, and he claims that profundity is associated more with asking good questions than with having all the answers.

Along these lines, Alexander and Ben-Peretz (2001) propose “pedagogy of the sacred” to teach spirituality in schools. This type of pedagogy consists of “an instructional concept that engages us in reflection about ritual and liturgical aspects of the curriculum”. They claim that curriculum designers should, when deciding which knowledge is of most worth and how to communicate or create it, examine their fundamental beliefs about the purpose of life and the nature of a good society. They believe that “the design, construction, implementation and evaluation of educational materials can and should be conceived as a sacred task”. Therefore, the spiritual aspect of education should start in the planning and designing of the curriculum.

Ratcliff (1992) explains that to understand child-like faith better we have to empathize children. He bases his arguments on theories of child development by Jean Piaget, Erik Erickson, Alice Honig and Bettye Cadwell and proposes that spiritual programs for children should be led by trustworthy people, carried out in predictable environments, having those in charge care for the children responsibly, paying attention to their signals. When referring particularly to infants and toddlers, he suggests using generous amounts of body language and facial expressions to convey affirmations and encourage self esteem.

Stories and Narratives:
One of the recurrent strategies

that come up in the literature to help children develop and live their spirituality is the notion of listening and telling of stories (Berrymann, 1990; Bosacki, 2001; Champagne, 2001; Priestley, 2001; Scott, 2001). Berrymann (1990) maintains that the spiritual “awareness best takes the form of narrative” and that when “the experience of God shifts to the form of story, it enters space and time” (p. 531).

Story telling of spiritual experience can be a complex job, especially because in our Western cultures we are neither anticipating to hear nor willing to affirm personal narratives of spiritual experiences (Scott, 2001). Scott (2001) describes that “to begin to tell personal spiritual narratives is to act against a strong cultural message. This creates difficulties in both telling and listening to stories of spiritual experiences”. Spirituality has been hushed in Western cultures, and this has had lasting consequences of inhibiting growth and development in the spiritual ambit.

In terms of how we do research on children’s spiritual experiences, Scott (2001) implies that our approach must change; the spiritual experience needs a shift in understanding for effective research to take place. The researcher must be keen to suspend “subject-object dualism, listen for multiplicity; accept ambiguity and uncertainty in order to participate with narrators in engaging the experience and its implications”

Conclusions

After reviewing the literature on spirituality, it is noticeable that there are many interpretations and definitions to the term *spiritual*. Even though there are commonalities to the definitions such as spirituality as a human characteristic, spirituality having to do with being in touch with a higher essence, and also having to do with opening up one's consciousness to the greater world, the authors in this field still have to come to a consensus. This consensus would facilitate the implementation of a spiritual curriculum and would help the educational field address spirituality in school settings.

One future task that can be achieved by theorists and researchers is to outline and define spirituality as something a bit more substantial, to the extent that this may be possible. This common ground of understanding would make easy the task for adults to take care of children's spiritual development.

Another focus for researchers could be, once the definition of spirituality is clear, to describe the spiritual programs and curricula that are being realized at the moment and determine, if possible, their influence of spiritual development. This would then consent researchers to propose spiritual curricula and specific spiritual curricular activities and strategies that could be applied by teachers in classrooms.

References

- Alexander, H., & Ben-Peretz, M. (2001). Toward a pedagogy of the sacred: Transcendence, ethics, and the curriculum. In J. Erricker, C. Ota & C. Erricker (Eds.), *Spiritual education: cultural, religious, and social differences: new perspectives for the 21st century*. Brighton: Sussex Academic Press.
- Berryman, J. W. (1990). Teaching as presence and the existential curriculum. *Religious Education*, 85(4), 509-534.
- Bosacki, S. L. (2001). Theory of mind or theory of the soul? The role of spirituality in children's understanding of mind and emotions. In J. Erricker, C. Ota & C. Erricker (Eds.), *Spiritual education: cultural, religious, and social differences: new perspectives for the 21st century*. Brighton: Sussex Academic Press. (p. 157)
- Champagne, E. (2001). Listening to...listening for...: A theological reflection on spirituality in early childhood. In J. Erricker, C. Ota & C. Erricker (Eds.), *Spiritual education: cultural, religious, and social differences: new perspectives for the 21st century*. Brighton: Sussex Academic Press. (p. 83).
- Coles, R. (1990). *The spiritual life of children*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Elkins, D. N. (1998). *Beyond Religion*. Wheaton: Quest Books Theosophical Publishing House.
- Elkins, 1998; Fowler, 1981; Hart, 2003; Kubbler-Ross, 1999; Miller, 2000; Newberg, D'Aquili & Rause, 2001.
- Garbarino, J., & Bedard, C. (1996). Spiritual challenges to children facing violent trauma. *Childhood: A Global Journal of Child Research*, 3(4), 467-478.
- Hart, T. (2003). *The secret spiritual world of children*. Makawao, HI: Inner Ocean Publishing. (p. 5)
- McCreery, E. (1994). Towards an understanding on the notion of the spiritual in education. *Early Child Development and Care*, 100, 93-99. (p. 95),
- Myers, B. K., & Myers, M. E. (1999). Engaging children's spirit and spirituality through literature. *Childhood Education*, 76(1), 28-32.
- Ratcliff, D. (1992). Baby faith: Infants, toddlers, and religion. *Religious Education*, 87(1), 117-126.



Feminine Sensibility in Shashi Deshpande

Dr. Ruchi Malaviya

All over the world women are suffering with the stigma of inferiority and their identity has always been a matter of question. But we should always remember that though,

"It's a man's world

*But it wouldn't be nothing without a woman or a girl."*¹

- James Brown

Perhaps this concept is the basic reason of the emergence of the term Feminism which has been defined by the Oxford English Dictionary as,

*"The advocacy of women's rights on the ground of equality of the sexes."*²

According to Alice Jardine,

*Feminism is a "movement from the point of view of, by, and for women."*³

In the contemporary world most of the women writers are working on this subject of Feminism. In the Western countries the process of feminist thought began in the eighteenth century with the emergence of the women writers like Mary Wollstonecraft and Margaret Fuller. Later on Rebecca West, Virginia Woolf, Dorothy Richardson, Simone de' Beauvoir and Germaine Greer "initiated the feminist consciousness movement in Literature."⁴ In India too the feminist consciousness started spreading fast. It was definitely the impact of emancipation of women in Western countries. During late eighteenth and early nineteenth century some educated women writers like Toru Dutt, Sita Chatterjee started writing about women and gave

a few dimension to the literature. In the beginning their work was undervalued because they were writing about women. Gradually after a long period of struggle these writers achieved their due significance. Till the twentieth century women writers became a powerful medium of feminist statement.

Specially if we talk about the contemporary women novelists the writers like Kamla Markanday, Ruth Praver Jhabvala, Shobha De, Anita Desai, Shashi Deshpande and Kiran Desai have contributed a lot. The main concern of these novelists was to deal with various issues of women in their literary works, whether it is poetry, short story or novel.

In the present paper I am going to deal with the feminist world created by Shashi Deshpande specially in her novel *That Long Silence*. Shashi Deshpande born in Dharwad, Karnataka in the year 1938, occupies a significant place in the contemporary Indian English fiction. She is the daughter of famous Kannada dramatist and Sanskrit scholar Sriranga. From him she has imbibed influence for writing novels. She has also been influenced by Jane Austen, Charles Dickens, George Bernard Shaw, and other feminists like Simone De Beauvoir, Betty Friedan and Germaine Greer. She began her literary career with *The Legacy and other short stories* a collection of short stories in 1978. Besides this a number of famous novels are to her credit as *The Binding Vine* (1982), *If I die Today* (1982), *The Dark Holds No Terrors* (1980), *That Long Silence* 1988 and *A Matter of Time* (1996). In all these she has concentrated on various problems and social issues concerning women. As she herself admits:

*"The stories I wrote then, and the novels that followed, marked me out as a women 'writer' as a woman who wrote about women."*⁵

Though, she is a woman writer but she completely rejects the idea of categorization of literature on the basis of men's writing and women's writing, strictly she pronounces:

"Do I as a writer, have to always carry my identity tag of woman round my neck? Why is it relevant?"

Lecturer, English Department, S.S. Khanna Girls Degree College, Allahabad

*Would the phrase male writer' have been used for a man."*⁶

Probably this might be the reason that she goes to the extent of saying that:

*"I don't like to call myself a feminist writer. I say I'm a feminist but I don't write to propagate an ism."*⁷

Rather she believes as she said :

*"My feminism has come to me very slowly, very gradually, and mainly out of my own thinking and experiences and feelings. I started writing first and then I discovered my feminism."*⁸

In this connection Naresh K. Jain has rightly said:

*"Shashi Deshpande doesn't like to be categorized as a woman writer but I hope she would permit us to say that as a writer she takes us inside the consciousness of women characters and deal with what she herself calls, 'The vulnerability of women, The power of women, The deviousness of women, The helplessness of women, The courage of women. We almost see women's minds in their undress. She is above all concerned with empowering women."*⁹

That *Long Silence* is one of the representative novels of Shashi Deshpande. Generally all her novels are deeply rooted in Indian culture and they present real picture of women as they are. The present text is also not an exception. Published in June 1988, it is the Sahitya Akademi award-winning novel.

The novel deals with the story of Jaya, an ordinary middle class educated woman who is presented as an affectionate mother and a devoted housewife. Here again Mrs. Deshpande has raised her voice against male dominated society. The title of the novel itself suggests the main theme of the text. Jaya, the representative of a traditional Hindu wife, breaks the silence of centuries and speaks a different language in the end. In due course of time of Jaya recognizes her identity and becomes aware of the knowledge of self. In this regard this novel, as Naresh K. Jain says, "best exemplifies the silence speech dichotomy."¹⁰

The term implies that silence and speech are contrasting words and they signify the journey of a woman's character from silence to speech. This concept has rightly been described by Mr. Naresh K. Jain in the following words:

*"Silence speech dichotomy can be useful in locating women on the tradition-modernity axis. How do women characters respond to male hegemony? Is it silence or is it speech? Not to talk back is part of the culturally inherited value of modesty and is considered essentially feminine. In this sense silence is a symbol of oppression, a characteristic of the subaltern condition. On the contrary, speech signifies self-expression and liberation."*¹¹

This is how the title of the novel itself conveys the

message of self-awareness among women.

So far as the character of Jaya is concerned, three phases of her life are portrayed by the novelist :

- a. Jaya as a child and a Young girl.
- b. Jaya as a married woman.
- c. Jaya as a woman with the realization of her own identity.

Jaya the protagonist, has been brought up in a traditional Hindu family where great emphasis is laid on ancient Hindu ethics like -

*"In a childhood a woman should be under her father's control, in youth under her husband's and when her husband is dead under her sons. She should not have independence."*¹²

- *The Laws of Manu*

From the beginning she has been taught the lesson of being patient and humble as she has to prove herself as a good housewife in future. She is compelled to follow the age old saying that:

*"The best of the good is for the man and the rest belongs to the woman."*¹³

She is scolded by her grand mother for her witty nature thus:

*"Look at you for everything a question, for everything a retort. What husband can be comfortable with that?"*¹⁴

She is always reminded of the fact that:

*"A husband is like a sheltering tree."*¹⁵

Or

*"The happiness of your husband and home depends entirely on you."*¹⁶

A critic has rightly said that:
*"Thus the girl is being conditioned towards the comforts of her future husband."*¹⁷

Not only this even her taste for film music was also despised at her home as her father said :

*"What poor taste you have, Jaya,"*¹⁸

This is to say that she had no liberty to think freely. All her ideas were suppressed. Due to this the shame or shyness that she felt then continued even after her marriage. As a result the silence which began in her childhood, never allowed her to express her feelings.

Jaya, when married to Mohan, perfectly practices the role of a traditional idea of her own existence.

As she herself says :

*"I was born. My father died when I was fifteen. It got married to Mohan. I have two children?"*¹⁹

As an ideal wife she always takes care of Mohan's wishes and Mohan takes all her services for granted. He lovingly calls her Suhasini who becomes the symbols of a good house wife. Though she is capable of producing good write ups but she neglects her talent for the sake of her husband. She is quite capable of serious writing but her husband

objects this so she indulges herself in writing a safe column entitled Seeta.

In spite of these things her married life is not happy one.

She finds herself in great tension when her husband gets involved in corrupt practices. His reputation is at stake and he puts the vain excuse that :

*"It was for you and the children that I did this, I wanted you to have a good life, I wanted the children to have all those things I never had"*²⁰

However, in order to avoid the critical situation Mohan and Jaya shift from their church gate flat to a small apartment in Dadar, Here the two people live in deep silence and frustration.

She herself admits that they were just like:

*"A pair of bullocks yoked together clever phrase, but can it substitute for the reality? A man and a woman married for seventeen years. A couple with two children a family somewhat like the one caught and presumed for posterity by the advertising visuals I so loved. But the reality was only this. We were to persons. A man, A woman"*²¹

Upto this point Jaya become a completely a fragmented self. In such a disturbed condition she tries to find her own identity and realizes that:

*"The real picture, the real 'you' never emerges, looking for it bewildering as trying to know how you really look. Ten different mirrors show you ten different faces."*²²

After experiencing the unbearable and monotonous married life with Mohan, Jaya reaches upto that phase of life when she starts realizing her own existence and decalnes that:

*"I will have to speak, to listen, I will have to erase the silence between us. While studying Sanskrit drama, I'd learnt with a sense of out rags that right rules did not permit women characters to speak Sanskrit. The anger I'd felt then comes back to me when I realize what I've been doing all these years. I have been speaking Prakrit myself."*²³

The realization of self-knowledge in Jaya is itself the message of the novelist. The following remarks by Sir Max Beerbohm definitely conveys the theme of Mrs. Deshpande's novel.

*"Women are a sex by themselves, so to speak."*²⁴

There is no denying the fact that Mrs. Deshpande has created a wonderful feminine world and the most importantly the novel ends with an optimistic note that there will be some positive action in future. Thus as a critic rightly says :

*"The novelist emerges as a bridge-builder between old and the new, between tradition and modernity".*²⁵

Though sometimes Mrs. Deshpande has been criticized by the critics for the narrow range of her novel because she has dealt with the relationship

of a husband and wife. However the way she has dealt with their relationship and the way she has described the upliftment of character of Jaya that is really praise worthy. In the end only it remains to say:

Though That Long Silence is cast in the feminist frame work, Deshpande does not transgress the limits of Indian Socio cultural reality. As such the novel is of immense relevance to us in the present-day socio-cultural context.²⁶

References

1. James, Brown, "song : It's a Man's World", Ed. Judy, Hamilton, *Book of Quotations*, (Geddes and Grosset 2004)p. 400.
2. Oxford English Dictionary.
3. R.S. Pathak, "Shashi Deshpande and Woman Question" *Modern Indian Novel in English*, Creative Books' (Nice Printing Press, Delhi, 1999), p. 196.
4. Sanjukta Das Gupta, "Towards Ecriture Feminine", Ed., R.K. Dhawan, *Feminism and American Literature* (Prestige Books, 1996), p. 7
5. Shashi Deshpande, "Of Concerns of Anxieties", Ed. Naresh K. Jain, *Women in Indo-Anglican Fiction Tradition and Modernity* (Manohar Publishers and Distributors, 1998) p. 33.
6. *Ibid p.*
7. Judith Butler, *That Long Silence : The unavoidable silence of an Indian woman.*
8. R.S. Pathak, "Shashi Deshpande and Woman Question", *Modern Indian Novel in English*, (Creative Books, Nice Printing Press, Delhi, 1999), p. 196.
9. Shashi Deshpande of Concern of Anxieties, Ed. Naresh K. Jain, *Women in Indo Anglican Fiction Tradition and Modernity* (Manohar Publishers and Distributors, 1998) p. 15
10. *Ibid.* 25
11. *Ibid*, p. 24
12. *Ibid*, p. 12
13. Mrs. Shilavati Ketkar, *On the soul of the Indian Woman*, Vol. II (Tipografia Rangel, 1943) p. 2
14. Shashi Deshpande, *That Long Silence*, (Penguin Books, 1988) p. 27
15. *Ibid p.* 137
16. *Ibid p.* 138
17. A.N. Dwivedi, "Shashi Deshpande's that Long Silence : A Feminist Reading", *Papers on Indian Writing in English* Vol. II (Atlantic Publishers and Distributors, 2002) p. 209.
18. Shashi Deshpande, *That Long Silenc* (Penguin Books, 1988) p. 3.
19. *Ibid p.* 2
20. *Ibid p.* 9
21. *Ibid p.* 8
22. *Ibid p.* 1
23. *Ibid p.* 192-193
24. Sir (Henry) Max (Imilian) Beerbohm, "The Pervasion of Rouge," Ed., Judy Hamilton, *Books of Quotations*, (Geddes and Grosst 2004) p. 400
25. R.S. Pathak, "Shashi Deshpande and the Woman Question", *Modern Indian Novel in English*, (Creative Books, Nice Printing Press, 1999) p. 207.
26. A.N. Dwivedi, "Shashi Deshpande's *That Long Silence* : A Feminist Reading", *Papers on Indian Writing in English*, (Atlantic Publishers and Distributors Vol. II, 2002) p. 217.



Principles and Parameters of English Grammar

Dr. Raj Kumar Singh

Principles and parameters is a framework within generative linguistics in which the syntax of a natural language is described in accordance with general *principles* (i.e. abstract rules or grammars) and specific *parameters* (i.e. markers, switches) that for particular languages are either turned *on* or *off*. For example, the distinction between whether a language is head-initial or head-final is regarded as a parameter which is either on or off for particular languages (i.e. English is *head-initial*, whereas Japanese is *head-final*).

Principles and parameters was largely formulated by the linguists Noam Chomsky and Howard Lasnik. Many linguists have worked within this framework, and for a period of time it was considered the dominant form of mainstream generative linguistics.

Framework

The central idea of principles and parameters is that a person's syntactic knowledge can be modelled with two formal mechanisms:

- A finite set of fundamental principles that are common to all languages; e.g., that a sentence must always have a subject, even if it is not overtly pronounced.
- A finite set of parameters that determine syntactic variability amongst languages; e.g., a binary parameter that determines whether or not the subject of a sentence must be overtly pronounced (this example is sometimes referred to as the Pro-drop parameter).

Within this framework, the goal of linguistics is to identify all of the principles and parameters that are universal to human language (called: Universal Grammar). As such, any attempt to explain the syntax of a particular language using a principle or parameter is cross-examined with the evidence available in other languages. This leads to continual refinement of the theoretical machinery of generative linguistics in an attempt to account for as much syntactic variation in human language as possible.

Language Acquisition

The Principles and Parameters approach is the postulated answer to Plato's Problem: how can children with different linguistic environments arrive at an accurate grammar that exhibits universal and non-obvious similarities, relatively rapidly, and with finite input. According to this framework, principles and parameters are part of a genetically innate universal grammar (UG) which all humans possess, barring any genetic disorders. As such, principles and parameters do not need to be learned by exposure to language. Rather, exposure to language merely triggers the parameters to adopt the correct setting. The problem is simplified considerably if children are innately equipped with mental apparatus that reduces and in a sense directs the search space amongst possible grammars. The P&P approach is an attempt to provide a precise and testable characterization of this innate endowment which consists of universal, language-specific "Principles" and universal, binary "Parameters" that can be set in various ways. The interaction of the principles and the parameter settings produces all known languages while excluding non-natural languages.

Criticism

Criticism of the P&P approach has come from a number of quarters, but with varying impact. These can be subdivided into three main groups.

- Theory internal critique
 - The lack of consensus on a set of parameters
 - Inter-paradigm critiques not specific to P&P
- Perhaps the most influential criticisms of P&P

have been theory internal. By its very nature, research published within the P&P paradigm often suggests reformulations and variations of the basic P&P premises. This is the norm for any developing field of enquiry. Notable debates emerged within P&P including (a) derivationalism vs representationalism (b) the locus of morphology (e.g. lexicalism vs derived morphology) and (c) the tension between a production model and a competence model amongst others. The development of HPSG and LFG reflect these debates: these are both strongly lexicalist and representational systems. Nevertheless, perhaps the most coherent and substantial critique of P&P is the Minimalist Program, Noam Chomsky's most recent proposal. This program of research utilizes conceptions of economy to enhance the search for universal principles and parameters. Linguists in this program assume that humans use as economic a system as possible in their innate syntactic knowledge. The Minimalist Program takes issue with the large number of independent postulations in P&P. and either (a) reduces them to more fundamental principles (e.g. Merge, Move, Agree), (b) derives them from 'reasonable' interface constraints on derivations (e.g. bottom-up Merge and requirement that no derivation be counter-cyclic derives Relativized Minimality effects) or (c) programmatically suggests that they be either

derived from more basic principles or eliminated subject to future research (e.g. Binding Principles). Note that there is debate about whether the Minimalist Program is motivated by the empirical shortcomings of P&P or whether it is motivated by ideological concerns with 'elegance' etc.

Aside from this major move within the discipline, it seems that consensus has not been achieved over a list of universal parameters. Certainly, there is no publicly available list of these parameters and textbooks tend to cite the same ones: the interrelated verb-movement parameters (V-v, V-T, T-C), noun-movement parameters (N-D), subject-related parameters (pro-drop and EPP) and headedness parameters. This is not to say that the theory has not been fruitful (e.g. Holmberg and Platzak's comprehensive analysis of parametric variation in Scandinavian languages), or that the theory is not descriptively adequate, but rather that the accomplishments of this line of thinking have been less than anticipated in terms of explanatory adequacy. Notably lacking is the development of a systematic, predictive system of parameters, their properties and interactions along the lines of the periodic table in chemistry. This is not to say that such a system is impossible in principle, merely that it has not yet been developed. Generally, theorists have moved to regarding parameters as

varying feature specifications on lexical items within languages and derivations rather than parameters which are globally defined.

Finally, there are a number of critiques which can be classified as 'pseudo'-critiques insofar as they attempt to critique a paradigm from an external position. Kuhn argues convincingly that different paradigms cannot be compared because the metalanguages of the two camps are incommensurable. For instance, the classical Chomskyan bifurcation of I-Language and E-Language often gives rise to misunderstanding when P&P (which covers I-Language) is criticised on the basis of E-Language. Thus, according to some critics, recordings and transcriptions of natural, everyday types of conversation show a different picture of what language looks like and how it is used.

For example, while formal linguistics takes the sentence to be the canonical unit of analysis, conversation analysis (CA) takes the turn at talk as canonical. Speakers in conversation often do not use complete sentences or even complete words to converse. Rather, discourse is composed of sequences of turns which are composed of turn constructional units (e.g. a word, phrase, clause, sentence). In CA, the form and meaning of an utterance is a product of situated activity- which is to say meaning is highly contextual

(within a social, interactive context) and contingent upon how participants respond to each other regardless of grammatical completeness of an utterance.

Similarly, other discourse and corpus linguistic analyses have found recursion and other forms of grammatical complexity to be rather rare in spoken discourse (especially in preliterate societies) but common in written discourse suggesting that much of grammatical complexity may in fact be a product of literacy training.

Other critics point out that there is little if anything that can unequivocally be called universal across the world's languages. Discourse analyses have focused on the dynamic, dialogic, and social nature of language use in social situations. These critics argue that P&P and discourse analysis differ in the same way that chemistry and cookery differ: one is the study of fundamental interactions at a micro-scale in a deterministic model that attempts to be scientific in the broad sense, the other is a more macro-scale, non-deterministic, non-scientific model focussing on use of chemicals in everyday situations in the real world. What these critiques have in common is the claim that the analysis of I-language does not carry over to E-language. From

a Chomskyan perspective, this is a truism because the two objects of study are fundamentally different.

There is a tendency for inter-paradigm critiques to focus on a number of assumptions that are commonly associated with P&P, but which actually are common to Chomskyan generative linguistics as a whole. These include innateness, modularity, the poverty of the stimulus, language universals, binarity, etc. for example, Connectionist, Functionalist and Cognitivist critiques. As another example, the linguist Larry Trask argues that the ergative case system of the Basque language is not a simple binary parameter, and that different languages can have different levels of ergativity. Also, some have argued using evidence from historical linguistics that grammar is an emergent property of language use.

References

- Armstrong, S. : *Using Large Corpora*. Cambridge, MA: The MIT Press, 1994.
- Barzun, Jacques: *The Modern Researcher in English Language*, Boston, Houghton Mifflin Co., 1992.
- Cruttenden A.: *The Pronunciation of English*, Edward Arnold, London, 1994.
- Crystal, David: *English as a Global Language*, Cambridge University Press, Cambridge, 1997.

Frankl, V. E : *Psychotherapy and Existentialism*, Selected Papers on Logotherapy, Simon and Schuster, New York, 1967.

Gries, S. T.: *Quantitative Corpus Linguistics with R. A Practical Introduction*. Oxford: Routledge, 2009.

Hardie, A., & McEnery, T.: *A Glossary of Corpus Linguistics*. Edinburgh University Press, 2006.

Kenneth, B.: *The Philosophy of Literary Form: Studies in Symbolic Action*, University of California Press, 1974.

Leary, Lewis Gaston: *Articles on American Literature, 1950-1967*, Duke University Press, Durham, NC, 1970.

May, Rollo : *Psychology and the Human Dilemma*, Norton, New York, 1996.

Noden, Harry R.: *Image Grammar: Using Grammatical Structures to Teach Writing*, Boynton/Cook, Portsmouth, NH, 1999.

Palmer, Gary: *Toward a Theory of Cultural Linguistics*. Austin: University of Texas Press, 1996.

Robinson, Orrin: *Old English and Its Closest Relatives*, Stanford Univ. Press, UK, 1992.

Schneider, Edgar: *Postcolonial English: Varieties Around the World*, Cambridge University Press, Cambridge, 2007.

Tomasello, Michael: *The New Psychology of Language: Cognitive and functional approaches to language structure*. Mahwah, NJ: Laurence Erlbaum, 1998b.

Wardhaugh, Ronald: *An Introduction to Sociolinguistics*, Wiley-Blackwell, NY, 2006.



Urbanisation Needs Sustainable Approach in India

Sushil Kumar Singh

The Eleventh Five Year Plan of India (2007-12) holding urbanisation as the “key indicator” of economic and social development and that the cities “will be the locus and engine of economic growth over the next two decades” for the realization of “an ambitious goal of 9%-10% growth in GDP” is in line with this perspective.

The census of India defines some criteria for urbanization, these are:

- Population should be more than 5000
- The density should be over 400 persons per sq. km
- 75% of the male population should engage in non-agricultural occupations.
- Metropolises are cities with population of more than one million.

Basic feature of urbanisation in India can be highlighted as:

1. Uneven urbanisation encourage growth of class I cities.
2. Urbanisation occurs without industrialization and strong economic base.
3. Urbanisation is mainly a product of demographic explosion and poverty by rural-urban migration.
4. Rapid urbanisation leads to massive growth of slum followed by poverty, unemployment, exploitation, inequalities, degradation in the quality of urban life.
5. Urbanisation occurs not due to urban pull but due to rural push.
6. Poor quality of rural-urban migration leads to poor quality of urbanisation.

Growth of Urbanisation in India 1901-2011

Census Year	Urban Population (in million)	Percentage of Urban Population	No. of Urban Agglomeration/Town
1901	25.85	10.84	1827
1911	25.94	10.29	1825
1921	28.08	11.18	1949
1931	33.45	11.99	2072
1941	44.15	13.86	2250
1951	62.44	17.29	2843
1961	78.93	17.97	2363
1971	109.11	18.24	2590
1981	159.46	23.33	3378
1991	217.17	25.72	3768
2001	286.12	27.82	5161
2011	377.10	31.16	7935

Source: 2011 Census Report (Provisional).

Urbanisation is an index of transformation from traditional rural economies to modern industrial one. It is a long term process. Number of urban agglomeration /town has grown from 1827 in 1901 to 7935 in 2011. Number of urban population has increased from 25.85 million in 1901 to 377.10 million in 2011. Over the years there has been continuous concentration of population in class I towns. Fifty to sixty percent of the population in these large cities is living in urban slums in a very dense settlement pattern. Their life in many cases is worse than life in rural areas. The phenomenal increase in the population during the last fifty years has led to rapid industrialization and high rate of urbanization which have created tremendous pressure on natural resources like land, air and water. The unplanned location of industries in urban and sub-urban areas followed by traffic congestion, poor housing, poor drainage and garbage accumulation causes serious pollution problems. Mega cities are emerging and urban slums are expanding. Such rapid and unplanned expansion of cities has resulted in degradation of urban environment. The urban growth lead to an increase in the pollution levels and exposes population to serious environmental health

Research Scholar, Geography Department, Jay Prakash University, Chapra.

hazards. Overcrowding and inadequate housing contribute to pollution related diseases such as respiratory diseases, acute water borne diseases, tuberculosis, meningitis and various other diseases. Due to air pollution the incidences of respiratory diseases lead to increase and water pollution triggers the number of patients suffering from acute water borne diseases.

The World Commission on Environment and Development was created in 1983 which popularly known as "Brundtland Commission", it described sustainable development as "*development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*". The UN Conference on 'Environment and Development' also known as 'Earth Summit' was held at Rio-de-Janeiro (Brazil) in 1992 that adopted an action plan, named 'Agenda 21'. The agenda 21 promised to reduce poverty, provide clean water and health care, and protect the natural resources and so on. Also to be noted that some of the Millennium Development Goals have urged for a healthy life, free from hunger, disease and poverty particularly in urban areas of developing countries where two-third of the population lives.

Sustainable urban development refers to attaining social equity and environmental protection in urbanisation while minimizing the costs of urbanisation, but this has to be done in ways that

are socially, economically and politically acceptable. Urban areas mostly face problems of air pollution, green house gases, sewage treatment, waste disposal, unsustainable consumption and of inadequate sanitation and water supply. Sustainable urban planning should aim at achieving social and environmental equity while improving the lives of the people. In other words, the urban area should be able to produce and distribute the services in an economic, environment friendly and equitable way.

Urbanization can be sustained only if overall regional development is sustainable and equitable. For this, an integrative approach is necessary between urban and regional development planning in terms of land-use, resource allocation, equitable and mutually complementary resource flows between the city and its surrounding, and institutional and infrastructural mechanisms to enable these to happen. Developing country like India should adopt the various strategies for implementing sustainable urban development programmes such as:-

1. Improving Human Settlements- It should adopt global and national shelter strategies for providing housing. They should also have provision of basic health care, water, sanitation, drainage and waste management services as

well as energy for cooking and heating at affordable costs. Shelter at minimum acceptable standards of habitability, guided by economically realistic building and planning codes (especially for the urban poor) is crucial to urban infrastructure.

2. Promoting Land Resource Management- It should promote effective land resource management policies that take into account the conflicting demands of industries, housing, commerce, agricultural and the need for open space as well as the rising costs of urban land. Cities produce large amounts of waste, which pollutes and degrades the environment both within and outside their limits. Planning and management mechanisms including waste minimization must be evolved and implemented to correct those aspects of urbanization which promote such negative cross-boundary impacts.
3. Adequate Environmental Infrastructure- People must be placed at the centre of planning concerns. The quality and efficiency of infrastructure play a major role in determining the quality of urban environment, and consequently the quality of life of citizens. Sustainable urbanization is not possible without appropriate physical,

economic, social and environmental infrastructure. Such infrastructure includes water and sanitation, public health and education facilities, recreational spaces, open spaces and transport.

4. Promote Sustainable Energy and Transport System- It should promote the development and use of environmentally sound commercial energy resources. They should adopt urban transport programmes favoring mass-occupancy public transport and encouraging non-motorised transport by providing safe cycle and footways. Locally appropriate Research &

Development to develop non-conventional energy sources should be encouraged and promoted, especially in the area of solar energy, which is abundantly available in most parts of India, as well as wind energy wherever practicable.

5. Ensuring Security of Livelihoods- It should adopt measures to generate employment opportunities for support of informal sector activities such as repairs, recycling services and small commerce. Programmes of skill and versatility development, support for promoting small-scale entrepreneurship, management and marketing

must be developed for those whose occupations and livelihoods are at risk.

In all the above priority activities the need to improve the living condition growing low-income and poor urban communities mandates human resource development and capacity building.

References

1. Urbanisation and Urban System in India - R. Ramachandran.
2. India's Urbanisation - A. Bose.
3. World Urbanisation Prospects, United Nations (1993), New Work.
4. Report of the National Commission on Urbanisation (1988), Vol. II. Govt. of India.
5. Census Report, 2011 (Provisional) Govt. of India.
6. Eleventh Five Year Plan, 2007-2012 vol. III. , Planning Commission, Govt. of India.



History of Economic Geography

Smriti Amrita

In the history of economic geography there were many influences coming mainly from economics and geographical sciences.

First traces of the study of spatial aspects of economic activities on Earth can be found in Strabo's *Geographika* written almost 2000 years ago. This has recently been challenged, however, by seven Chinese maps of the State of Qin dating to the 4th century BC.

During the period known in geography as environmental determinism notable (though later much criticized) influence came from Ellsworth Huntington and his theory of climatic determinism.

Valuable contributions came from location theorists such as Johann Heinrich von Thunen or Alfred Weber. Other influential theories were Walter Christaller's Central place theory, the theory of core and periphery.

Fred K. Schaefer's article *Exceptionalism in geography: A Methodological Examination* published in American journal *Annals* (Association of American Geographers) and his critique of regionalism had a big impact on economic geography. The article became a rallying point for the younger generation of economic geographers who were intent on reinventing the discipline as a science. Quantitative methods became prevailing in research. Well-known economic geographers of this period are William Garrison, Brian Berry, Waldo Tobler, Peter Haggett, William Bunge (Apurba Dutta, Ranibandh) Contemporary economic

geographers tend to specialize in areas such as location theory and spatial analysis (with the help of geographic information systems), market research, geography of transportation, land or real estate price evaluation, regional and global development, planning, Internet geography, innovation, social networks and others.

Economists and Economic Geographers

Economists and economic geographers differ in their methods in approaching similar economic problems in several ways. To generalize, an economic geographer will take a more holistic approach in the analysis of economic phenomena, which is to conceptualize a problem in terms of space, place and scale as well as the overt economic problem that is being examined. The economist approach, according to economic geographers, has four main drawbacks or manifestations of "economic orthodoxy that tends to homogenize the economic world in way that economic geographers try to avoid

Location Theory

Location theory is concerned with the geographic location of economic activity; it has become an integral part of economic geography, regional science, and spatial economics. Location theory addresses the questions of what economic activities are located where and why. Location theory rests — like Micro-economic theory generally — on the assumption that agents act in their own self interest. Thus firms choose locations that maximize their profits and individuals choose locations that maximize their utility.

Origins

While others should get some credit for even earlier work (e.g., Richard Cantillon, Etienne Bonnot de Condillac, David Hume, Sir James D. Steuart, and David Ricardo), it was not until Johann Heinrich von Thunen's first volume of *Der Isolierte Staat* in 1826 that location theory can be said to have really gotten underway. Indeed, the prominent regional scientist Walter Isard has called von Thunen "the father of location

Research Scholar, L.N.M.U., Darbhanga

theorists." In *Der Isolierte Staat*, von Thunen notes that the costs of transporting goods consumes some of Ricardo's economic rent. He notes that because these transportation costs and, of course, economic rents, vary across goods, different land uses and use intensities will result with distance from the marketplace.

A German hegemony of sorts seems to have taken hold in location theory from the time of von Thunen through to Walter Christaller's 1933 book *Die Zentralen Orte in Suddeutschland*, which formulated much of what is now understood as central place theory. An especially notable contribution was one by Alfred Weber, who published *Uber den Standort der Industrien* in 1909. Working from a model akin to a physical frame adapted from some ideas by Pierre Varignon (a Varignon frame), Weber applies freight rates of resources and the finished goods along with the finished good's production function to develop an algorithm that identifies the optimal location for manufacturing plant. He also introduces distortions induced by labour and both agglomerative and deglomerative forces. Weber then moves on to discuss groupings of production units, anticipating Losch's market areas.

Carl Wilhelm Friedrich Launhardt conceived much of that for which Alfred Weber received credit, prior to Weber's work. Moreover, his contributions are surprisingly

more modern in their analytical content than Weber's. This suggests that Launhardt was ahead of his time and simply was not readily understood by many of his contemporaries. Whether Weber was familiar with Launhardt's publications remains unclear. Weber was most certainly influenced by others, most notably Wilhelm Roscher and Albert Schaffle, who seem likely to have read Launhardt's work. Regardless, location theoretic thought blossomed only after Weber's book was published.

Resources and Development

Humans through technology and institutions transform things available with nature.

- Resources are of two types natural and human.
- Resources can be classified in the following ways -
 - (a) On the basis of origin - biotic and abiotic
 - (b) On the basis of exhaustibility - renewable and non-renewable
 - (c) On the basis of ownership - individual, community, national and international
 - (d) On the basis of status of development - potential, developed stock and reserves.
- The oceanic area up to 12 nautical miles from the coast line is called *territorial waters* of a country.
- The area up to 200 km from the coast line in which the country has the exclusive rights to exploit the natural resources is the *exclusive economic zone*. It includes territorial waters in it.
- Resource planning is the technique or strategy for the judicious use of resources in a country.
- *Sustainable economic development* means 'development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generations.'
- *Agenda 21* is the declaration signed in 1992 at the UNCED, Rio de Janeiro, Brazil. It aims at achieving global sustainable development. It is an agenda to combat environmental damage, poverty, disease through global co-operation.
- Land supports natural vegetation, wild life, human life, economic activities, transport, and communication systems.
- About 43 per cent of the land area is plain, which provides facilities for agriculture and industry.
- Mountains account for 30 per cent of the total surface area of the country. They ensure perennial flow of some rivers; provide facilities

for tourism and ecological aspects.

- About 27 per cent of the area of the country is the plateau region. It possesses rich reserves of minerals, fossil fuels and forests.
- Islands are less than 1 per cent of the area of the country. They provide opportunities for sea trade, tourism, and fish catch.
- Net sown area is over 80 per cent of the total area in Punjab and Haryana. Due to gentle sloping lands covered with fertile alluvial soils and black soils, climate favours cereal cultivation, good irrigation facilities, high population pressure.
- Net sown area is less than 10 per cent in Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur and Andaman Nicobar Islands because of mountainous areas, lack of irrigational facilities, infertile soils, low density of population, etc.
- The use of land is determined both by physical factors such as topography, climate, and soil types as well as human factors such as population density, technological capability and culture and traditions etc.
- If a land is left uncultivated for more than 5 agricultural years it is called Culturable waste land.

- If a land is left uncultivated for the past 1 to 5 agricultural years it is called Other than current fallow.
- If a land is left without cultivation for one or less than one agricultural year it is called Current fallow.
- Net sown area is the total area sown with crops and orchards. Area sown more than once in the same year is counted only once.
- Area sown more than once in an agricultural year plus net sown area is known as gross cropped area.
- Barren Land: This includes all land covered by mountains, deserts, etc.
- Land which cannot be brought under cultivation except at a huge cost is classified as unculturable land.
- The top most layer of the earth crust which is composed of organic and non-organic matter is called soil. Soil is a renewable natural resource. The soil is a living system.
- 33 % of geographical area should be under Forest in the country according to the National Forest Policy 1952.
- Alluvial soils are the most widely spread and important soil of our country.
- Alluvial soils are found in the entire northern plains, Rajasthan and Gujarat, eastern coastal plains, deltas of the Mahanadi,

Godavari, Krishna and Kaveri rivers.

- Duars, Chos and Terai are the Piedmont plains where alluvial soils are coarse.
- According to their age alluvial soils are of two types: old alluvial (Bangar) and new alluvial (Khadar).
- Black soils are also known as *regur* soils or cotton soils.
- Black soils develop on Basaltic lava rocks.
- Black soils are found in the Deccan trap (*Basalt*) region of Deccan plateau, the plateaus of Maharashtra, Madhya Pradesh and Chhattisgarh.
- Red soil develops on crystalline igneous rocks.
- Red and yellow soils are found in the eastern and southern parts of the Deccan plateau, the Western Ghats.
- The laterite soil develops due to intense leaching in areas with high temperature and heavy rainfall.
- Laterite soils are found in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, and the hilly areas of Orissa and Assam.
- The denudation of the soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion.
- When the running water cuts through the clayey soils and makes deep

channels it is called gullies.

- The land becomes unfit for cultivation and is known as bad land.
- In the Chambal basin such lands are called ravines.
- Sometimes water flows as a sheet over large areas down a slope. In such cases the top soil is washed away. This is known as sheet erosion.
- Wind blows loose soil off flat or sloping land known as wind erosion.

References

- Beck, Andrew : *Cultural Work, Understanding the Cultural Industries*, Routledge, London and New York, 2003.
- Berry, J.K. : *Beyond Mapping, Concepts, Algorithms and Issues in GIS*, Fort Collins, CO: GIS World Books, 1993.
- Brady, C. and Lorenz, A. : *End of the Road, the Real Story of the Downfall of Rove*, Prentice Hall Business, Harlow, 2005.
- Davis, Howard and Richard SCASE : *Managing Creativity*, Open University Press, 2000.
- Diehl, M. : *International Trade in Intermediate Inputs, the case of the automobile industry*, in Anderton, Robert, Europe and the United States, Routledge, London, 2006.
- Elangovan K. : *GIS, Fundamentals, Applications and Implementations*, New India Publishing Agency, New Delhi 2006.
- Ginsburgh, Victor A. : *Economics of Art and Culture*, Contributions to Economic Analysis, Elsevier, 2004.
- Granstrand, Ove : *The Economics and Management of Intellectual Property, Towards Intellectual Capitalism*, E.Elgar, Cheltenham, United Kingdom, 1999.
- Lansbury, R.D., Suh, Chung-Sok and Kwon, Seung-Ho : *The global Korean Motor Industry, the Hyundai Motor Company's Global Strategy*, Routledge, New York, 2007.
- May, M.E. : *The Elegant Solution*, Toyota's formula for mastering innovation, Free Press, New York, 2007.
- Park, S.O. : *Daewoo, Corporate Growth and Spatial Organisation*, in De Smidt, M. and Wever, E. The corporate firm in a changing world economy, Routledge, London, 1990.
- Roberts, D. : *In the Shadow of Detroit, Gordon M. McGregor, Ford of Canada, and Motoropolis*, Wayne State University Press, Detroit, 2006.
- Rosengarten, P.G. and Stuermer, C.B. : *Premium Power, the Secret of Success of Mercedes-Benz, BMW, Porsche and Audi*, Palgrave Macmillan, New York, 2006.
- Scott, Allen J. and Dominic POWER : *Cultural Industries and the Production of Culture*, Taylor & Francis, 2007.
- Seltzer, Kimberley and Tom Bentley : *The Creative Age, Knowledge and Skills for the New Economy*, Demos, 1999.
- Thurston, J., Poiker, T.K. and J. Patrick Moore. : *Integrated Geospatial Technologies, A Guide to GPS, GIS, and Data Logging*, Hoboken, New Jersey: Wiley, 2003.
- Vinet, Mark : *Entertainment Industry, The Business of Music, Books, Movies, TV, Radio, Internet, Video Games, Theater, Fashion, Sports, Art, Merchandising, Copyright, Trademarks & Contracts*, Wadern Publishing, 2005.
- Vogel, Harold L. : *Entertainment Industry Economics, A Guide for Financial Analysis*, Cambridge University Press, 2004.
- Watt, Richard and Wendy J. Gordon : *The Economics of Copyright, Developments in Research and Analysis* Edward Elgar, 2003.



Criticism of the Malthusian Theory

Anil Kumar

The theory may be briefly characterized thus: In its most extreme and abstract form it is false; in its more moderate form it never has been and never can be demonstrated; even if true, it is so hypothetical, and subject to so many disturbing factors, that it is of no practical value or importance. It is, of course, abstractly or theoretically possible that population may exceed subsistence, either temporarily and locally, or permanently and universally. This possibility has been frequently realized among savage peoples, and occasionally among civilized peoples, as in the case of famine. But the theory of Malthus implies something more than an abstract possibility or a temporary and local actuality. It asserts that population shows a constant tendency to outrun the food supply, a tendency, therefore, that is always about to pass into a reality if it is not counteracted. In all the six editions of his work that appeared during Malthus's lifetime, this tendency is described in the formula that population tends to increase in geometrical progression, as, 2, 4, 8, etc., while the utmost increase in subsistence that can be expected is according to an arithmetical ratio, as, 2, 3, 4, etc. So far as we know, population has never increased in geometrical ratio through any considerable period; but we cannot show that such an increase, by natural means, is physiologically impossible. All that it implies is that every married couple should have on the average four children, who would themselves marry and have the same number of children to each couple, and that this ratio should be kept up indefinitely. It is

not, however, true that the means of living can be increased only in an arithmetical ratio. During the nineteenth century this ratio was considerably exceeded in many countries (cf. Wells, "Recent Economic Changes"). Malthus's view on this point was based upon a rather limited knowledge of what had been happening before his time. He did not foresee the great improvements in production and transportation which, a few years later, so greatly augmented the means of subsistence in every civilized country. In other words he compared the potential fecundity of man, the limits of which were fairly well known, with the potential fertility of the earth and the potential achievements of human invention, neither of which was known even approximately. This was a bad method, and its outcome in the hands of Malthus was a false theory.

Even if we discard the mathematical formulation of the theory, and examine it in its more moderate form, as merely asserting that population tends to outrun subsistence, we find that the theory cannot be proved. The facts adduced by Malthus in support of his contention related to the insufficiency of the food supply in many countries at many different times. Now it is true that barbarous peoples and peoples dependent upon fishing and hunting for a living have frequently lacked subsistence, especially when they were unable or unwilling to emigrate; but such has not often been the case for any considerable time among civilized nations. Want of food among the latter has usually been due to a bad industrial organization and a bad distribution, rather than to the poverty of nature, or the unproductiveness of man. Even today a large proportion of the inhabitants of every country is insufficiently nourished, but no intelligent person attributes this condition to an absolute excess of population over subsistence or productiveness. Since Malthus did not give sufficient attention to the evils of distribution, he failed to prove that his theory was generally true, even of the time before he wrote; since he did not suspect the great improvements in production that were soon to take place, he was

Research Scholar, BRA Bihar University, Muzaffarpur

still less able to show that it would be universally valid. While admitting the weakness of his argument, some of his later followers insist that the theory is true in a general way. Population, if unchecked by a prudential regulation of marriages and births, can and in all probability often will outrun subsistence, owing to the law of diminishing returns (cf. Hadley, "Economics").

Although Malthus seems to have had some knowledge of this law, he did not use it as the basis of his conclusions. Now the "law of diminishing returns" is simply the phrase by which economists describe the well-known fact that a man cannot go on indefinitely increasing the amount of capital and labour that he expends upon a piece of land, and continue to get profitable returns. Sooner or later a point is reached where the product of the latest increment of expenditure is less than the expenditure itself. This point has already been reached in many regions, whence a part of the population is compelled to move to other land. When it has been reached everywhere, population will universally exceed subsistence. Stated in this form, Malthusianism seems to be irrefutable. Nevertheless the law of diminishing returns, like all economic laws is true only in certain conditions. Change the conditions, in this case, the methods of production, and the law is no longer operative. With new productive processes, further expenditures of labour and

capital become profitable, and the point of diminishing returns is moved farther away. This fact has received frequent illustration in the history of agriculture and mining. While it is true that new methods are not always discovered as soon as they are needed, and that men often find it more profitable to expend their additional resources upon new lands than upon the old, it is also true that we can set no definite limits to the inventive power of man, nor to the potential fertility of nature. Absolutely speaking, no one is warranted in asserting that these two forces will not be able to modify indefinitely the conditions in which the law of diminishing returns operates, so that subsistence will keep pace with population as long as men have standing room upon the earth. On the other hand, we cannot prove that if population were to increase up to the full limit of its physiological possibilities, it would always be sufficiently provided for by the fertility of nature and the inventiveness of man. We are dealing here with three unknown quantities. Upon such a basis it is impossible either to establish a social law, or conclusively to refute any particular generalization that may be set up. In the third place, the Malthusian theory, even if true, is of no practical use. The assurance that population, if unchecked, will inevitably press upon subsistence does not terrify us, when we realize that it always has been checked, by celibacy, late marriages, war, natural calamities,

and other forces which are not due to scarcity of subsistence. The practical question for any people is whether these non-scarcity checks are likely to keep population within the limits of that people's productive resources. So far as the nations of the Western world are concerned, this question may be answered in the affirmative.

The use of preventive checks, such as postponement of marriage, abortion, and artificial sterility have become so common that the birth-rate has almost everywhere decreased within the last half-century, and there is no indication of a reaction in the near future. During the same period the rate of food production has considerably increased. Moreover, the decline in the birth-rate has been most pronounced among those classes whose subsistence is most ample, thus suggesting the probability that it will become equally prevalent among the poorer classes as soon as their plane of living is raised. The contingency that men may some day become so careless of the higher standards of comfort as to give up the present methods of restriction is too remote to justify anxiety on the part of this generation. Let us assume, however, that, under the influence of religion and moral teaching, all the immoral preventives of population were discarded. Even so, we have no reason to doubt that the lawful checks, such as virtuous celibacy both temporary and permanent, and the decrease of fecundity that

seems to be a necessary incident of modern life, particularly in cities, would be sufficient to keep the world's inhabitants well within the bounds of its productive powers. So far as we can see at present, the Malthusian theory, even if true in the abstract and hypothetically, is so hypothetical, assumes the absence of so many factors which are always likely to be present, that it is not deserving of serious attention, except as a means of intellectual exercise. As a law of population, it is about as valuable as many of the other law shanded down by the classical economists. It is about as remote from reality as the "economic man".

And yet, this theory met with immediate and almost universal acceptance. The book in which it was expounded went through six editions while Malthus was living, and exerted a remarkable influence upon economics, sociology, and legislation during the first half of the nineteenth century. Aside from a section of the Socialists, the most important group of writers rejecting the Malthusian theory have been Catholic economists, such as Liberatore, Devas, Pesch, Antoine* (cf. Pesch, "Lehrbuch der

Nationalökonomie", II, 598). Being pessimistic and individualistic, the teaching of Malthus agreed thoroughly with the temper and ideas of his time. Distress was deep and general, and the political and economic theories of the day favoured the policy of *laissez faire*. To him perhaps more than to any other writer is due the evil repute of the orthodox economists, as opponents of legislation in the interests of the poorer classes. In the words of Devas, "Malthusianism in practice has been a grave discouragement to all works of social reform and humane legislation, which appeared as foolish sentiment defeating its kind aims by encouraging population" (Political Economy, 2nd ed., p. 198). Malthus declared that the poor created their own poverty by marrying improvidently, and that any general system of poor relief only increased and prolonged the root evil, overpopulation, from which they suffered (Essay bk. IV, passim).

References

Ayala, F. J.: *Evolution*, W.H. Freeman & Co., California, San Francisco, 1977.
 Balshaw, Maria, and Liam Kennedy: *Urban Space and Representation*. Pluto Press, Sterling, VA, 2000.

Bolstad, P.: *GIS Fundamentals, A first text on Geographic Information Systems, Second Edition*, Eider Press, White Bear Lake, MN, 2005.
 Burrough, P.A. and McDonnell, R.A.: *Principles of Geographical Information Systems*, Oxford University Press, Oxford, 1998.
 Carrillo, J., Lung, Y., and van Tulder, R.: *Cars, Carriers of Regionalism*, Palgrave Macmillan, New York, 2004.
 Margret M. Baltes: *The Many Faces of Dependency in Old Age*, Cambridge University Press, Cambridge, England, 1996.
 Mayr, E.: *Populations, Species and Evolution*, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Mass, 1970.
 Michael, H.: *City Form and Natural Process: Towards a New Urban Vernacular*. Croom Helm, London, 1984.
 Neil, H.: *The Land of Contrasts: 1880-1901, The American Culture 5*. New York: G. Braziller, 1970.
 Peter, G.: *The Slow Plague: A Geography of the AIDS Pandemic*. Blackwell Publishers, Oxford and Cambridge, 1993.
 Ray Allen: *The Far Western Frontier, 1830-1860*. The New American Nation Series, Harper, New York, 1956.
 Richard SCASE: *Managing Creativity*, Open University Press, 2000.
 Stephen, D.: *Fields of Vision: Landscape Imagery and National Identity in England and the United States*, Polity, Cambridge, 1993.
 Victor, A.: *Geography of Art and Culture, Contributions to Economic Analysis*, Elsevier, 2004.



Determinants of Population Growth

Garib Nath Ray

Population growth is determined by four factors, births (B), deaths (D), immigrants (I), and emigrants (E). Using a formula expressed as

$$\Delta P \equiv (B - D) + (I - E)$$

In other words, the population growth of a period can be calculated in two parts, natural growth of population (B-D) and mechanical growth of population (I-E), in which Mechanical growth of population is mainly affected by social factors, e.g. the advanced economies are growing faster while the backward economies are growing slowly even with negative growth.

Population Growth Rate

In demographics and ecology, population growth rate (PGR) is the rate at which the number of individuals in a population increases in a given time period as a fraction of the initial population. Specifically, PGR ordinarily refers to the change in population over a unit time period, often expressed as a percentage of the number of individuals in the population at the beginning of that period. This can be written as the formula:

$$PGR = \frac{\ln(P(t_2)) - \ln(P(t_1))}{(t_2 - t_1)}$$

The most common way to express population growth is as a percentage, not as a rate. The change in population over a unit time period is expressed as a percentage of the population at the beginning of the time period. That is:

$$\text{Percentage Growth} = \text{Growth rate} \times 100\%$$

For small time periods and growth rates, the added population is the growth rate multiplied

by the time period. A positive growth ratio (or rate) indicates that the population is increasing, while a negative growth ratio indicates the population is decreasing. A growth ratio of zero indicates that there were the same number of people at the two times – net difference between births, deaths a growth rate may be zero even when there are significant changes in the birth rates, death rates, immigration rates, and age distribution between the two times. Equivalently, percent death rate = the average number of deaths in a year for every 100 people in the total population.

If the length of the time is taken smaller and smaller, the PGR approaches the logarithmic derivative of the population function P. If the population as a function of time is exponential, say $P(t) = Ce^{at}$, the logarithmic derivative is a . Thus, the PGR approximates the exponent a for populations with exponential growth. A related measure is the net reproduction rate. In the absence of migration, a net reproduction rate of more than one indicates that the population of women is increasing, while a net reproduction rate less than one (sub-replacement fertility) indicates that the population of women is decreasing.

Excessive Growth and Decline

Population exceeding the carrying capacity of an area or environment is called overpopulation. It may be caused by growth in population or by reduction in capacity.

Spikes in human population can cause problems such as pollution and traffic congestion, these might be resolved or worsened by technological and economic changes. Conversely, such areas may be considered “underpopulated” if the population is not large enough to maintain an economic system. Between these two extremes sits the notion of the optimum population.

Lecturer, Jawaharlal Nehru Memorial College, Nawahi, Sursand, Sitamarhi

Human Population Growth Rate

Globally, the growth rate of the human population has been declining since peaking in 1962 and 1963 at 2.20% per annum. In 2009, the estimated annual growth rate was 1.1%.

The CIA World Factbook gives the world annual birthrate, mortality rate, and growth rate as 1.915%, 0.812%, and 1.092% respectively. The last one hundred years have seen a rapid increase in population due to medical advances and massive increase in agricultural productivity made possible by the Green Revolution.

The actual annual growth in the number of humans fell from its peak of 88.0 million in 1989, to a low of 73.9 million in 2003, after which it rose again to 75.2 million in 2006. Since then, annual growth has declined.

In 2009, the human population increased by 74.6 million, which is projected to fall steadily to about 41 million per annum in 2050, at which time the population will have increased to about 9.2 billion.

Each region of the globe has seen great reductions in growth rate in recent decades, though growth rates remain above 2% in some countries of the Middle East and Sub-Saharan Africa, and also in South Asia, Southeast Asia, and Latin America. Some countries experience negative population growth, especially in Eastern Europe mainly due to low fertility rates, high death rates and emigration. In Southern Africa, growth is slowing due to the high number of HIV-related deaths. Some Western Europe countries might also encounter negative population growth. Japan's population began decreasing in 2005.

Growth by Country

The growth by country in the world increased from 1990 to 2008 with 1,423 million and 27 % growth. As persons the increase was among highest in India 290 million and China 192 million. Population growth was among highest in Qatar 174 % and United Arab Emirates 140 %.

Rank	Country	Population (thousands) 2010	Population (thousands) 1990	Growth (%) 1990-2010
	World	6,895,889	5,306,425	30.0%
1	China	1,341,335	1,145,195	17.1%
2	India	1,224,614	873,785	40.2%
3	United States	310,384	253,339	22.5%
4	Indonesia	239,871	184,346	30.1%
5	Brazil	194,946	149,650	30.3%
6	Pakistan	173,593	111,845	55.3%
7	Nigeria	158,423	97,552	62.4%
8	Bangladesh	148,692	105,256	41.3%
9	Russia	142,958	148,244	-3.6%
10	Japan	126,536	122,251	3.5%

Projections of Population Growth




Figure: Projected world population growth

According to current projections of population growth, the world population of humans will continue to grow until at least 2050, with the estimated population, based on current growth trends, to reach 9 billion in 2040, and some predictions putting the population in 2050 as high as 11 billion. World population passed the 7 billion mark on October 31, 2011. According to the United Nations' World Population Prospects report, the world population is currently growing by approximately 74 million people per year. Current United Nations

predictions estimate that the world population will reach 9.0 billion around 2050, assuming a decrease in average fertility rate from 2.5 down to 2.0.

Almost all growth will take place in the less developed regions, where today's 5.3 billion population of underdeveloped countries is expected to increase to 7.8 billion in 2050. By contrast, the population of the more developed regions will remain mostly unchanged, at 1.2 billion. An exception is the United States population, which is expected to increase 44% from 305 million in 2008 to 439 million in 2050. In 2000–2005, the average world fertility was 2.65 children per woman, about half the level in 1950–1955 (5 children per woman). In the medium variant, global fertility is projected to decline further to 2.05 children per woman.

References

- Davis, Mike: *Ecology of Fear: Los Angeles and the Imagination of Disaster*. Vintage, New York, 1999.
- Demko, George: *Why in the World: Adventures in Geography*, Anchor, New York, 1992.
- Dibbern, Jens : *The Sourcing of Application Software Services, Empirical Evidence of Cultural, Industry and Functional Differences*, Physica Verlag Heidelberg, 2004.
- Elton, C. S.: *Population Dynamics*, Oxford University Press, London, England, 1942.
- Hamilton, R. and Barrett, M.: *The Politics of Diversity: Feminism, Marxism and Nationalism*, Verso, London, 1986.
- Hartmann, B.: *Reproductive Rights and Wrongs: The Global Politics of Population Control and Contraceptive Choice*, Harper, New York, 1994.
- Harvey, David: *Explanation in Geography*. Edward Arnold, London, 1969.
- Harvey, Francis: *A Primer of GIS, Fundamental Geographic and Cartographic Concepts*, The Guilford Press, 2008.
- Henry J. Aaron and Robert D. Reischauer: *Countdown to Reform: The Great Social Security Debate*, Century Foundation Press, New York, 2001.
- Jackson, Peter: *Maps of Meaning: An Introduction to Cultural Geography*. Unwin Hyman, London and Boston, 1989.
- James, T.: *The Best Poor Man's Country: A Geographical Study of Early Southeastern Pennsylvania*. Johns Hopkins Press, Baltimore, 1972.
- King, Anthony D.: *Buildings and Society: Essays on the Social Development of the Built Environment*. Routledge & Kegan Paul, London, 1980.
- Lewis, Earl. *In Their Own Interests: Race, Class, and Power in Twentieth-Century Norfolk, Virginia*. University of California Press, Berkeley, 1990.
- Lewis, Peirce. *New Orleans: The Making of an Urban Landscape*. Ballinger Publishing Co., Cambridge, MA, 1976.
- Wilson, E. O., and Bossert, W. H.: *A Primer of Population Biology*, Sinauer, Sunderland, Mass, 1971.



The Socio-Ecology of Groundwater in India

Panna Lal

Groundwater use has increased largely because it is a 'democratic resource,' available to any farmer who has access to a pump. Accessibility has led to widespread exploitation of the resource, by farmers grateful for a reliable irrigation-water source. In turn, this has led to high levels of groundwater use being associated with high densities of farmers. But it is a myth that groundwater use is high only where supplies are high. Such findings are worrying, because the consequences of over exploitation of this precious and productive resource can be catastrophic.

The research highlighted in this briefing identifies four stages of groundwater development. To avert potential disaster and maximize benefits of groundwater as a force for poverty reduction, new policies are needed at each of these four stages. It is crucial that policymakers intervene at these critical stages to manage both the supply and demand aspects of groundwater use. Urgent priorities are areas with low supplies of renewable groundwater but alarmingly high groundwater use, such as Tamil Nadu, North Gujarat, Punjab and Haryana.

Groundwater has emerged as the primary democratic water source and poverty reduction tool in India's rural areas. It now contributes more to rural wealth creation than surface-water irrigation. Yet State irrigation departments currently focus most of their manpower and budgetary resources on centrally-created and managed large canal irrigation systems, allocating only a fraction to groundwater resources.

This policy imbalance is a symptom of the fact that the increase in the importance of groundwater over the past 25 years has largely escaped government notice. Why was this? Because the groundwater boom happened in the private, 'informal' sector, while public agencies played only an indirect role.

The explosive growth of India's groundwater economy is a result of people's resourcefulness. They sink tube wells or dig shallow wells, and connect a pump to irrigate crops that they could not otherwise grow. This approach doesn't rely on government planning, canal infrastructure or deliveries of water by the irrigation department.

Having control over their water means farmers invest more in their crops, and so get higher yields. This benefit of groundwater irrigation helps explain the huge jump in agricultural productivity identified in a recent study by Indian researchers and IWMI. With all these benefits, it is not surprising that farmers and entrepreneurs have invested around US\$12 billion in groundwater pump structures. This sum is huge, especially when compared with the US\$20 billion of public money spent on surface-water irrigation schemes over the last 50 years. The downside of groundwater use is over-exploitation. In some areas too much groundwater has been extracted, and the effects have been catastrophic. Agriculture has collapsed-destroying people's livelihoods-and drinking water supplies have been endangered with freshwater aquifers becoming polluted. Such disasters happen because groundwater resources are largely unmanaged, and because the policy needed to deal with the problem is not yet in place.

A new finding directly relevant to such policy is that population density and agricultural demand drive groundwater use-not the quantity of groundwater present or the availability of surface water for groundwater recharge. As the map on page 3 shows some of India's most intensive groundwater irrigation occurs in its most densely populated regions.

Research Scholar, JPU, Chapra

What does this imply? Simply that, although everything may look fine on the surface-high groundwater use and booming agriculture-a crash could soon occur because the underlying water resource is insufficient. Resource analysis is needed to tell policy makers how much groundwater can be sustainably tapped in various areas, and to identify hot spots where its use is unsustainable due to lack of reliable recharge.

A newly identified four-stage model of socio-ecology of India's groundwater use can help policy makers identify appropriate policy intervention points. It describes the 'boom' and 'bust' progression of groundwater development typical of India and South Asia. Tube-well numbers increase (Stage 1) and groundwater based agriculture 'booms' (Stage 2). The first signs of groundwater overuse appear (Stage 3) and the 'boom' turns to 'bust' (Stage 4) as entire areas are plunged into crisis.

Policy is lagging behind the reality of groundwater development. To avoid future crises, policy makers need to update groundwater policies and take steps to:

- understand the situation-recognizing the importance of groundwater to India and the rural poor, and the value of protecting it, and understanding the trends and drivers behind groundwater use;
- use resource analysis to identify hot spots of

unsustainable groundwater use and prioritize these for action;

- actively manage ground water-even in the early stages of the groundwater socio-ecology, shifting from 'resource-development' to 'resource-management' policies.

Policy makers must rise to the challenge of finding ways to manage groundwater sustainably. It is, after all, the most 'democratic' source of water available for improving livelihoods and household food security, and reducing poverty in India's rural areas.

Groundwater: A new synthesis

After analysing and evaluating data covering more than 80% of both India's land area and population, recent Indian research has concluded that it's time to take notice of groundwater. In comparison with surface-water irrigation, groundwater irrigation:

- covers more land and is expanding faster,
- creates more wealth, and
- has a greater impact in terms of poverty reduction.

To help us better understand India's fast-changing groundwater situation, the researchers' findings can be easily summarized.

The rapid rise of groundwater use: Groundwater use is now so extensive that we can no longer afford to overlook it. Supplying 27 million hectares of farmland, groundwater now irrigates a larger total area than surface water (21 million hectares). This means it sustains almost 60% of the country's irrigated land. On

a local level, an increasing number of districts today have larger shares of irrigated land under groundwater irrigation than under surface-water irrigation.

This change in usage in India has been extremely rapid since the 1970s. In just two decades, the groundwater irrigated lands in India has increased by 105%. In contrast, the areas of surface-water irrigated land rose by only 28% over the same period (1970-1994). This change was most striking in northern India-the heart of the Green Revolution.

A count of mechanized wells and tube wells also illustrates how quickly groundwater irrigation has spread. Numbers of wells have rocketed in the last 40 years, from less than one million in 1960 to more than 19 million in the year 2000. How has this affected agricultural production?

Greater wealth from groundwater: Analysis shows that the contribution made by groundwater to the agricultural economy of India has grown steadily since the early 1970s. Groundwater now creates more agricultural wealth than any other irrigation source. In 1993, for example, groundwater use generated Rs. 132 billion, while surface water use generated only Rs. 115 billion. This is a complete reversal from the corresponding values of Rs. 21 billion and Rs. 77 billion in 1970.

Groundwater-associated agricultural output did not rise at this phenomenal rate simply because the area under groundwater irrigation expanded.

Groundwater is actually more productive (producing more crops per hectare) than surface water. This is because farmers who use groundwater can get as much water as they need, when and where they want it. And, knowing that their crops will not fail because of drought, farmers invest more in high-yielding seed varieties, fertilizers and pesticides. This leads to higher yields.

What's more, in groundwater irrigation, crop production is higher per unit of water used than it is in surface-water irrigation. This is because it costs farmers money to pump groundwater. So, they use it sparingly and efficiently, timing their irrigation carefully. Research in other countries confirms economic benefits of groundwater irrigation. For example, groundwater is five times more productive than surface water in terms of euros/m³ in Andalusia (Spain).

Indian researchers have tested a number of hypotheses about groundwater use levels. Analysis of data from 251 districts in 12 major States showed that, between 1970 and 1973, canal irrigation was the main driver of irrigated agriculture. By the 1990-1993 period, groundwater had become the primary force behind irrigation.

Since the 1970s, the contribution of surface water to the total value of agricultural production has fallen by 3%, whilst that of groundwater has risen by 10%. What's more, this trend has not yet peaked; groundwater use is likely to continue to increase in popularity in the coming decades.

Greater impacts in reducing poverty: In relation to the amount of land they cultivate, poor farmers are better represented than richer farmers in their use of groundwater. Small and marginal farms (less than 2 hectares) make up only 29% of the total agricultural area. Yet these small farms account for 38% of the net area irrigated by wells and 35% of the tube wells fitted with electric pump sets. Proportionally more of the large increase we have seen in agricultural outputs—due to groundwater use—goes directly into the stomachs and pockets of the poor.

In fact, groundwater irrigation is inherently less biased against the poor than large dams and large-scale surface water irrigation projects. It creates democratic access to water for all, particularly for small farmers not able to benefit from water in the canal irrigation schemes. For all these reasons, groundwater irrigation is a potentially effective vehicle for poverty eradication. But,

without proper management, farmers' need for water for irrigation will destroy the resource which brings them rich agricultural and economic rewards in the short term.

References

- Allen, John C. and Dillman, Don : *Against All Odds: Rural Community in the Information Age*, Boulder: Westview Press, 1994.
- Benjamin, Joseph: *Scheduled Castes in Indian Politics and Society*, New Delhi, Ess Ess Publications, 1989.
- Bolstad, P. : *GIS Fundamentals, A first text on Geographic Information Systems, Second Edition*, White Bear Lake, MN, Eider Press, 2005.
- Chauhan, M.S. and K.L. Dangi : *Handbook of Rural Sociology*, Agrotech, Delhi, 2010.
- Peter, G.: *The Slow Plague: A Geography of the AIDS Pandemic*. Oxford and Cambridge, MA: Blackwell Publishers, 1993.
- Ramesh, G S : *Philosophy of Indian Sociology*, Global Vision, Delhi, 2005.
- Ruhela, S.P. : *Research Tools in Sociology of Education*, Indian, Delhi, 2001.
- Silverberg, James: *Social Mobility in the Caste System in India*, Mouton Publishers, The Hague, 1968.
- Stephen, D.: *Fields of Vision: Landscape Imagery and National Identity in England and the United States*. Cambridge: Polity, 1993.
- Tulder, R. : *Cars, Carriers of Regionalism*, Palgrave Macmillan, New York, 2004.
- Victor, A. : *Geography of Art and Culture*, Contributions to Economic Analysis, Elsevier, 2004.
- Watkins, Eric: *The Middle Eastern Environment*, London, The British Society for Middle Eastern Studie, 1995.



Urbanization — An Emerging Humanitarian Disaster

Kumari Sweta Sinha

In 2008, the proportion of the world's population living in urban areas crossed the 50% mark. The current rates of urbanization suggest that in China, 870 million people – more than half the population – will be living in cities within less than a decade, and the capital of Botswana, Gaborone, will grow from 186,000 to 500,000 inhabitants by 2020.¹ Most observers believe that essentially all population growth from now on will be in cities: the urban population is projected to grow to 4.9 billion by 2030, increasing by 1.6 billion while the rural population shrinks by 28 million.

This transition is happening chaotically, resulting in a disorganised urban landscape. Although many expect urbanization to mean an improved quality of life, this rising tide does not lift all boats, and many poor people are rapidly being absorbed into urban slums. Urbanization, in fact, is a health hazard for certain vulnerable populations, and this demographic shift threatens to create a humanitarian disaster. The threat comes both in the form of rising rates of endemic disease and a greater potential for epidemics and even pandemics. To protect global health, governments and international agencies need to make commensurate shifts in planning and programs, basing all changes on solid epidemiologic and operational research.

Although natural disasters and armed conflicts cause migration into urban centres, most people relocate to cities in search of employment.

When they arrive, many find only one affordable housing option: illegal and unplanned dense settlements lacking basic public infrastructure, where they must live in lodgings made from tenuous materials, such as used plastic sheets, discarded scrap metal, and mud. The United Nations Human Settlements Program (UN-Habitat) reports that 43% of urban residents in developing countries such as Kenya, Brazil, and India and 78% of those in the least-developed countries such as Bangladesh, Haiti, and Ethiopia live in such slums. These slums, which are making up an increasing proportion of growing cities, lack not only most basic government services but also political recognition; as a result, so do their inhabitants. These residents are usually tolerated and their presence tacitly accepted, but the local government generally ignores them, accepting no responsibility for accounting for them in planning or the provision of services.

The current public health paradigm delineates urban health hazards as comprising injuries, pollution, and chronic diseases, such as diabetes and hypertension. Although these hazards are indeed more specific to urban than to rural areas, urbanization also exacerbates long-standing hazards specific to populations that have not undergone the epidemiologic transition from a predominance of infectious diseases. Increasing the population density in cities without proper water supplies and sanitation increases the risk of transmission of communicable diseases. Mortality among children under 5 years of age and among infants is higher in urban slums than in rural settings.

Though in most countries health care is more limited in rural than in urban areas, the urban environment may lack health support often provided in rural settings while also posing new risks. For example, for women and children, the rural environment provides a community of kinship that often ensures physical safety, food security, and the availability of child care. Without

M.A. (Geography), Patna University, Patna

these safeguards, many women's mobility is limited in urban areas. Mobility and child care assistance from more experienced women allow mothers to perform two of the three steps that are theoretically fundamental to health care utilization: identifying illness and seeking care (the third being delivering care). Differential rates of death reflect this effect of urbanization, but we require more data in order to assess the true extent of this problem and other urban health risks. Currently, collected data are rarely disaggregated down to the level of individual city neighbourhoods, and slum populations are generally not included when health statistics are reported.

Improved systems for collecting data in slums are urgently needed for the planning of infrastructure construction, programs, and resource allocation. Precise data that distinguish among types of residence, locations, and socioeconomic strata would reveal the varied effects of urbanization on health indicators, allowing for focused interventions.

We believe that the world's wealthier countries need to invest in capturing these data and improving public health systems. Doing so is not purely altruistic; it serves the self-interest of all countries, because poor urban areas can easily become a breeding ground for emerging infections and potential pandemics. The outbreak of severe acute

respiratory syndrome (SARS) in Hong Kong in 2002 and 2003, which was believed to have originated in rural China, demonstrated how dense urban living could ignite a global health crisis. In a slum, the lack of surveillance and adequate health care might well result in more rapid spread of undetected diseases; without the necessary resources, it is difficult to implement any kind of preventive, containment, or treatment measures. Developed countries also have a financial stake in the requisite surveillance and health care systems: even conservative estimates of the cost of SARS to the economies of Europe and North America run to billions of dollars.

Understanding health-related behaviour and the logistics of the health care environment of urban areas can also aid in the design of appropriate interventions. All three factors necessary to the effective utilization of health care – illness identification, care seeking, and care delivery – vary within urban settings. Although slum residents often live close to many health care providers, they generally have little access to high-quality care. Care-seeking patterns show that although less expensive, higher-quality government clinics are often available, slum residents who do seek care tend to choose more expensive private providers – for a multitude of reasons, from perceived quality to ease of access. Studies show that the care received by the urban poor

is often of low quality. One study examining the care provided by 100 private practitioners in an urban slum in Mumbai, India, found 80 different treatment regimens being used for tuberculosis, only 4 of which met the guidelines of the World Health Organisation.

In some cases, new interventions are required for this population, but in others, interventions that are known to be effective simply need to be translated into effective programs. Fundamental public health services, such as vaccination, a safe water supply and sanitation, and oral rehydration therapy, remain important, and operational research is required in order to implement them effectively. Adapting interventions for implementation by community health workers or trained midwives has shown benefit, and we believe that a cadre of health care workers practicing in slums must be trained in order to reach this population.

Our knowledge base also needs to be supplemented through dedicated research. Epidemiologists must develop methods for collecting precise and accurate data and surveillance on the health of urban populations. Research must be conducted on the design of interventions and approaches to using proven public health tools that exploit the advantages conferred by urban settings, such as the concentration of target populations and better

communication and transportation infrastructures for delivery of care and health education. And governments, nongovernmental organisations, and private providers must commit themselves to implementing new policies and programs. Many projects and field research efforts fall by the wayside when no governing or implementing agency “scales up” initial results. Governments need to determine the structure of health care provision, administration, and regulation, and nongovernmental organisations should aid in promoting good governance, increasing capacity, and ensuring access to care.

As the world becomes increasingly urban, the health of the urban poor may suffer. Decades of progress in public health could be erased, and the stage could be set for devastating pandemics of infectious disease. Action is needed now to avert such a disaster. No potential conflict of interest relevant to this article was reported.

Urbanization in India: Facts, Issues and Recommendations

Population pressure on rural agricultural land and development efforts concentrated in some areas of the country

generate migratory movements from rural areas to the more developed areas in the country. People move to the new areas mostly for escaping rural unemployment, underemployment and to search for better job opportunities and sometimes for better living conditions. Such movements are termed as urbanization because these areas of movement have some characteristics unique to urban areas.

Different countries define these urban characteristics differently. Most often they are defined in terms of size or density of the area; sometimes occupational pattern like certain percentage of population engaged in nonagricultural activities is added to these characteristics to make it distinct from rural areas. Besides these broad criteria, some areas like cantonment and municipalities are included in an urban category because they possess the socio-economic characteristics of urban areas.

Thus definition of urban areas adopted by different countries fall in one or more of the following categories (1):

- i. Size and/or density of habitation
- ii. Occupational pattern of the habitation like

percentage of population engaged in non agricultural activities, and

- iii. Localities with certain urban socio-economic characteristics. In this category come areas like cantonment, municipalities etc.

In the case of India, a 1991 census adopted the following definition for urban areas:

- a. All places with a municipality, corporation, cantonment board, notified town area committee or other such places,
- b. All places which satisfy the following criteria:
 - i) A minimum population of 5000
 - ii) At least 75 percent of male working population engaged in non-agricultural pursuits, and
 - iii) A density of population of at least 400 persons per sq. km.
- c. Besides, the major project colonies, areas of industrial development, railway colonies and important tourist destinations were also treated as urban though they might not fulfil the above criteria strictly.



Islam and the Trade in Medieval India

Dr. Birendra Kumar Singh

It was in the expansion of trade where Islam's impact was the greatest. One of the most significant aspects of the Islamic period in world history was the emergence of Islamic courts capable of imposing a common commercial and legal system that extended from Morocco in the West to Mongolia in the North East and Indonesia in the South East. Although this was not of significant benefit to countries such as India that enjoyed a substantial trade surplus, it was probably of great significance to the people of the Arabian or Central Asian deserts whose oasis depended heavily on trade.

As the Hindu and Buddhist kingdoms of Asia were subjugated by Islam, and as Islam spread through Africa-it became a highly centralising force that facilitated in the creation of a common legal system that allowed letters of credit issued in say Egypt or Tunisia to be honoured in India or Indonesia. To create and sustain such an internationally consistent legal system, Islamic rulers had to undercut the local and traditional systems of governance that prevailed. This also meant that they often preferred to deal with foreigners who had no interest in preserving the older systems. It is also possible that the terms of trade were structured in ways that disadvantaged local artisans and peasants, but favoured the rich traders and ruling elites in the newly established and aggressively expanding Islamic kingdoms.

As the old contractual obligations in society were weakened, Islam became the new binding force of these newly conquered societies. And in

order to cement their rule, Islamic rulers initially promoted a system in which there was a revolving door between the clergy, the administrative nobility and the mercantile classes. Ibn Batuta is a classic example of this phenomenon. He served as an Imam in Delhi, as a judicial official in the Maldives, and as an envoy and trader in the Malabar. There was never a contradiction in any of his positions because each of these roles complemented the other. Islam created a compact under which political power, law and religion became fused in a manner so as to safeguard the interests of the mercantile class. This led world trade to expand to the maximum extent possible in the medieval world.

Agriculturally developed societies played a crucial role in this transformation. The interests of the mercantile community were such that they wished agricultural taxes to be high but trade duties to be low. By and large, Islamic rulers implemented exactly such a regime.

This enabled the founding of new trading and manufacturing centres that emerged wherever Islam took hold. For the desert areas of the world, Islam came as a big boon-providing wealth from trade that would have been unimaginable considering the poverty of the natural landscape. For the world's largely self-sufficient and more advanced agricultural civilisations like India (or Egypt or Indonesia)-this growth in trade was probably of lesser significance and more of a mixed bag.

Islam and the Spread of Technology

With the growth of international trade also came the spread of manufacturing technology and a more advanced urban culture. Local inventions and regional technologies became more easily globalised. This was of profound importance to those parts of the world that had lagged in terms of technological development. On the other hand, for a nation like India which had a rich intellectual tradition of its own, and was already a relatively advanced civilisation, this may have been of lesser import. Nevertheless, no

country has a lock on technology, and to the extent that the arrival of Islam was concomitant with the adoption of new technologies it helped India too.

Although there is considerable debate amongst historians as to how much technology was actually brought into India by Islamic invaders, there is one (albeit controversial) school of thought that argues that inventions like the water-wheel for irrigation were imported during the Islamic period. In some other cases, the evidence is much clearer. The use of ceramic tiles in construction was inspired by architectural traditions prevalent in Iraq, Iran, and in Central Asia. Rajasthan's blue pottery was an adaptation of Chinese pottery which was imported in large quantities by the Mughal rulers. There is also the example of Sultan Abidin (1420-70) sending Kashmiri artisans to Samarqand to learn book-binding and paper making.

But regardless of whether the Islamic rulers introduced new technology or not, there is considerable evidence that many Islamic rulers developed *Karkhanas*, *i.e.* small factories during their reign. Of even greater significance is how new towns that specialised in a particular category of manufactured goods emerged throughout the country. Khurja and Siwan became renowned for pottery, Moradabad for brass ware, Mirzapur for carpets, Firozabad for glass wares, Farrukhabad for printing, Sahranpur and Nagina for wood-carving, Bidar

and Lucknow for bidriware, Srinagar for papier-mache, Benaras for jewellery and textiles, and so on.

Impact on the Peasantry

The impact on the peasantry varied from region to region, and from ruler to ruler. Even as urbanisation created opportunities for some, it also created new problems for the countryside. The growth of the urban centres and the manufacture of luxury goods that were popular in the lavish courts of some of the Islamic rulers often came at a heavy cost on large sections of the peasantry. While trading communities and certain categories of skilled artisans may have been able to take advantage of new avenues for social mobility, other sections suffered a setback.

The invading rulers, particularly during the Delhi Sultanate (or even the Mughal) period had a fairly narrow local support base-(especially if they were not born and raised in India, and were driven to enforcing their particular idea of Islamic law on a resistant population). This meant that they had to rely on greater violence to sustain their rule. It appears that military campaigns became more frequent and more brutal. Punishments became more severe and torture and the death penalty were used with less restraint.

During the early period of Islamic conquest, many Islamic rulers resorted to the hated *jaziya*, or poll tax levied on non-

believers-*i.e.* non-Muslims. In some instances, this pushed the poorest sections of the peasantry into slavery. In other instances this may have coerced some of the peasantry into converting, or else led to local uprisings and tax rebellions. But the consequences of failed rebellions were just as disastrous.

Growth of Slavery

During the period of the Delhi Sultanate, the practice of slavery grew to levels previously unseen in Indian history. S.A.A. Rizvi reports that Delhi's 14th C. ruler Firuz Shah Tughlaq kept 180,000 slaves.

Impoverished peasants were often forced into selling their children, both boys and girls into slavery. According to Ibn Batuta, captive girls were very cheap, and even skilled girls were relatively inexpensive.

Slaves acquired through wars and armed raids against Hindu chiefs were sold in local markets. Noblemen kept an enormous number of slaves and feudal lords maintained entire armies of slaves. A significant number were captured and sent to the slave markets of Central Asia. However, slaves utilised in the military often fought their way to the top and took their revenge on the ruling clans.

This occurred not only in Delhi but also in Aurangabad and Ahmednagar in the Deccan, and in Bengal.

As a result, the Sultanate period was a period of great instability with rulers being deposed in quick succession. It

is quite likely that the Rajput practice of Jauhar emerged as a means of fending off such degradation in the face of impending military defeat.

During famines, both Hindus and Muslims sold their children into slavery thus forcing the clergy to speak out against the practice. In 1562, Akbar abolished the practice of taking the wives and children of defeated rebels as captives and from then on, it appears that the practice of slavery may have gone into decline but was not entirely discontinued.

The special tax 'Jazia' on non-Muslims, was also abolished. Nevertheless, taxes on the peasantry went up from a sixth or a fourth of the produce to a third under the Mughals. While some of these increased taxes may have been made possible through improved irrigation methods-at some point these taxes far exceeded any gains in productivity and came to be viewed as unbearable, and eventually led to the Sikh and Maratha revolts that permanently fractured Mughal rule.

But not all Islamic rulers bled the peasantry. Shah Mir who became king of Kashmir in 1339 fixed the land tax at 17%. Later rulers like Tipu Sultan of Mysore were also not viewed as unreasonable taxers and became especially popular. Even more profligate rulers like the Awadh Nawabs managed to juggle the interests of the peasantry with the interests of urban-dwellers thus maintaining a certain amount of popular support. It is thus no surprise that only such popular rulers (like Tipu and the Awadh Nawabs) were able to offer any significant resistance to British rule.

References

- Allan G. B. Fisher : *Slavery and Muslim Society in Africa*, London 1970.
- Ansari, Nasim: *Agrarian Structure, Land Reform, and Agricultural Growth in India*, Delhi, Tata McGraw-Hill, 1991.
- Asher, Catherine B. and Cynthia Talbot : *India Before Europe*, Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Baran, Paul A.: *The Political Economy of Growth*, New York, Modern Reader Paperbacks, 1975.
- Barro, Robert J., : *Economic Growth*. McGraw-Hill, 1995.
- Barzegar, Karim Najafi : *Mughal-Iranian Relations during the Sixteenth Century*, Delhi: Indian Bibliographies Bureau, 2000.
- Bhuleshkar, Vasant: *Indian Economy in the World Setting*, Bombay, Himalaya, 1988.
- Bose, Sugata: *Peasant Labour and Colonial Capital: Rural Bengal since 1770*, Cambridge, Cambridge University Press, 1993.
- Campbell, J.Y., Lo, A.W.: *The Econometrics of Financial Markets*, Princeton University Press, 1996.
- Mongia, J.N.: *India's Economic Development Strategies, 1951-2000 A.D.*. New Delhi, Allied, 1986.
- Pandian, Anand S. : "Predatory Care: The Imperial Hunt in Mughal and British India," *Journal of Historical Sociology* 2001.
- Rajgor, Dilip, and Zubair Khan : *Collector's Guide to Mughal Coins*, Mumbai: University of Mumbai, Dinesh Mody Numismatic Museum, 2002.
- Robinson, Francis : *The Mughal Emperors and the Islamic Dynasties of India, Iran, Central Asia*, London: Thames & Hudson, 2007.
- Rodriguez, Junius P.: *Encyclopedia of Slave Resistance and Rebellion*, Westport, CT: Greenwood, 2007.
- Ronald Segal : *Islam's Black Slaves*, Atlantic Books, London 2002.
- Throsby, David, *Economics and Culture*, Cambridge University Press, 2001.
- Tietenberg, Tom, *Environmental Economics and Policy*, New York, HarperCollins, 1994



The Revenue System of the Delhi Sultanate

Prof. (Dr.) Yogendra Pd. Rai

A rapid survey of the three-hundred-year history of the Delhi Sultanate is likely to leave the reader with two impressions. One is of a political structure in which violence, based on a powerful fighting force, was the only support of a ruler's government; the other is that anything like a coherent political philosophy was completely lacking. What is becoming increasingly plain, however, as the period is studied in more depth, is that the sultanate under its abler rulers had a quite sophisticated administrative structure. In addition, the Turkish sultans were heirs to a tradition in which political theory had been considerably evolved, and there were many scholars in Islamic India who had given thought to both the general principles underlying government and the techniques of public administration. We know of the works of some of these writers only from casual references in other books, but a number which have survived suggest the background of thought against which the sultanate's actual administrative structure developed.

Political Theory

The earliest work of importance for the history of political thought of Muslim India was probably intended to be a blueprint for the first Muslim government at Delhi. It was written by a contemporary of Iltutmish, Fakhr-i-Mudabbir, who had spent a considerable part of his life at Lahore, where he met Sultan Mohammad Ghuri and Sultan Qutb-ud-din Aibak, to whom one of his works, a book on genealogies, was presented in 1206. The historical introduction to this work has been translated into English, but his more important work, variously styled *Adab-ul-Muluk*

wa Kifayat al Mamluk (Rules for the Kings and the Welfare of the Subjects) or *Adab-ul-Harab wal-Shujaat* (Rules of Warfare and Bravery), has not yet been published in its entirety. It was undoubtedly intended to be a guide for rulers and administrators. The first part of this book deals with the privileges and responsibilities of kings, with separate chapters giving the qualifications and functions of different officers of state. The rest of the book is a manual dealing systematically and in some detail with the art of war. The work was presented to Iltutmish and, as the contemporary histories show, the government organization set up by him corresponded very closely to the structure visualized by Fakhr-i-Mudabbir.

Another early work, of which only an incomplete copy has survived, belongs to a different category. This is *Fatawa-i-Jahandari* (Rulings on Government) by Ziya-ud-din Barani (1285–1357), the greatest of fourteenth-century historians of Muslim India. A political phantasy consisting mainly of a number of discourses purporting to have been addressed by Sultan Mahmud of Ghazni to his successor, it was written after Barani had retired from the royal court in disgrace. It reflects Barani's bitterness against recent trends, his extremism, and his acute class-consciousness. He is bitter not only against the Hindus but also against the Muslim lower classes who, he believed, should not be "taught reading and writing, for plenty of disorders arise owing to the skill of the low-born in knowledge ... For on account of their skill, they became governors, revenue collectors, auditors, officers and rulers." If the teachers disregard this edict, and it is discovered that "they have imparted knowledge or taught letters or writing to the low-born, inevitably the punishment for disobedience will be meted out to them."

Fatawa-i-Jahandari represents an individual's views, and made no impression on the course of Indo-Muslim history or political thought. Indeed, it is not referred to by any later writer or historian, and is not included in the fairly full list of Barani's

Professor & Head, PG Department of History, SKM University, Dumka

works given by his contemporary, Amir Khurd. The importance of the book is partly personal, as an insight into the mind of Barani, and partly topical, as it gives his views in the context of the political and social situation then prevailing. In spirit and sentiments, *Fatawa-i-Jahandari* is in complete contrast with Fakhr-i-Mudabbir's book, which is throughout inspired by practical idealism, moderation and good sense.

Barani dealt at length with political philosophies of early Muslim rulers, statesmen, and religious leaders in his great historical work, *Tarikh-i-Firuz Shahi*. The long discourses on political affairs and statecraft contained in his book are dramatizations and expansions by an eloquent historian who is also a creative artist. Among the most interesting of these discourses are Nur-ud-din Mubarik Ghaznavi's advice to Iltutmish on the responsibilities of a Muslim "Defender of the Faith" (Din Panah); Balban's views on kingship, and his long lecture to his son, Bughra Khan, the governor of Bengal, on the relationship between the central and the provincial governments; Ahmad Chap's advice to Jalal-ud-din Khalji; Kotwal Ala-ul-Mulk's discourses at Alauddin's consultative assemblies; and Qazi Mughis's views on major political and legal problems of the day. They are presumably coloured by his own predilections, and should not be treated as verbally authentic, but the views attributed to different rulers and dignitaries are so distinct and so much in character that they may be

taken to represent generally the individual views of the persons to whom they are attributed.

To turn from theory to practice, the first comment that should be made on the Islamic state in India is that it was not a theocracy, as sometimes has been suggested. Aside from the question of the relevance of the concept of a theocracy to a society that does not recognize a priesthood, by the time the Delhi Sultanate was established the religious function of the caliph had ceased to be of much significance for the outlying Islamic world. It is true that a few of the Delhi rulers obtained formal recognition of their titles from the caliph, but this pious legal fiction did not alter the reality. The temporal authority of the caliph at Baghdad dwindled to a mere shadow even within his own territories, and the actual reality of the Indian links with the caliphate may be judged by the fact that occasionally a caliph would have been dead for years before Delhi became aware of the event. The patents obtained by the rulers meant so little that at one time a caliph sent patents simultaneously to both rulers of Delhi and Bengal.

In any case the policy adopted by the early sultans under the stress of circumstances with which they were confronted could scarcely permit the growth of theocracy. Iltutmish, recognizing the essentially secular nature of the sultanate saw that under the conditions prevailing in India, it was not possible for him to be a "Defender of the Faith" except in limited spheres. Balban went

even further. In spite of his courtesy to the leading ulama and his personal observance of religious practices, in matters of administration he was guided by the needs of the state, not Islamic law. Alauddin Khalji followed the same policy. "When he became sultan," Barani records, "he came to the conclusion that polity and government are one thing, and the rules and decrees of Islamic law are another. Royal commands belong to the sultan, Islamic legal decrees rest upon the judgment of the qazis and muftis." It was under the Tughluqs, particularly under Firuz, that Muslim jurists gained some recognition, but by then the pattern of Muslim rule in India had become firmly established.

The early ulama, realizing the complexity of the Indian situation and the need for strengthening the Muslim government, accepted Iltutmish's policy. Their lack of power may be judged by the fact that Raziyya ascended the throne of Delhi although Muslim legal opinion is firmly opposed to female rulers; it was left to a much later scholar, Shaikh Abdul Haq Muhaddis (1551-1642), in the more legalistic days of the Mughals, to criticize the selection of Raziyya and express surprise at the action of the contemporary jurists and Shaikhs in confirming it.

There was an equally glaring departure from the correct legal position in Qutb-ud-din Aibak's acceptance as sultan before his manumission. In general, then, the position was that so long as a sultan

undertook to safeguard the honour and the observances of Islam, did nothing in open defiance of the principles of shariat, appointed qazis and made arrangements for religious education and observance of religious practices, the ulama did not interfere in the affairs of the state.

The use of the title "sultan" in itself indicates the transition from the quasi-theocratic caliphate to a secular institution. Although the process was implicit in the establishment and administration of the Umayyad caliphate, it was strengthened by the Persian belief in the divine right of kings. This idea, which had become dominant in Baghdad under the later Abbasids, was even more marked at Ghazni. At Delhi, in the early days of the Turkish rule, there was some opposition to it in orthodox Muslim circles, and Iltutmish was almost apologetic about his kingly role. The position completely changed with Balban, who was an advocate of Persian ideas, modelled his court after the Persian style, assumed the title of *zillullah*, and introduced Persian etiquette, court ceremonial, and festivities. With him Persian ideas of monarchy became dominant. The process was facilitated by the fact that the Hindus regarded a king as a representative of divine powers.

These theories gave medieval rulers powers which occasionally were used arbitrarily, but a number of checks remained on

the absolute exercise of authority by the sultan. For one thing, the Islamic theory curtails the law-making power of a ruler, and although there was nothing to stop an autocratic ruler from becoming a law unto himself, he could do so only in defiance of the system which gave him power. Even the autocratic Alauddin Khalji admitted that administration of justice was the concern of the Muslim jurists.

Equally important was the opinion of the nobility. The sultans consulted their chief nobles and the routine affairs of the state were left to them. Minhaj refers to a dignitary, Amir-i-Majlis, whose duty was to arrange meetings of the sultan's closest associates. Important questions were discussed freely, and some favourite royal schemes (such as Alauddin's proposal to establish a new religion) were ruled out. Together with the influence of public opinion and the natural desire of the sultan to maintain his position, the nobles in this way exercised a check on the theoretical absolutism enjoyed by him.

According to Muslim theory, held particularly by the Sunnis who formed the bulk of the Muslim population in India, election was the accepted method for selecting the ruler. This was rarely observed anywhere, and both Turko-Iranian and Hindu conceptions of sovereignty were opposed to it, but a form of limited election or acceptance was generally

followed at Delhi. The oath of allegiance taken by the governors of the provinces, the principal nobles of the capital, and the chief theologians was taken as a symbol of the indirect consent of the mass of the people.

References

- Asher, Catherine B. and Cynthia Talbot : *India Before Europe*, Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Das, Kishore: *Economic History of Mughal India: An Annotated Bibliography, 1526-1875*, Calcutta, Santiniketan, 1991.
- Devin De Weese, Devin A, : *"Islamization and Native Religion in the Golden Horde"*, Penn State Press, 1994.
- Downs, Anthony: *An Economic Theory of Democracy*, New York, Harper and Row, 1957.
- Eraly, Abraham : *The Mughal Throne: The Saga of India's Great Emperors*, London: Weidenfeld & Nicolson, 2003.
- Farooqi, N. R. : *"The Resurgence of the Chishtis: A Survey of the Expansion and Fulfillment of a Sufi Order in Mughal India,"* Islamic Culture 2004.
- Frankel, Francine R.: *India's Political Economy, 1947-1977: The Gradual Revolution*, Delhi, 1978.
- Gowdy, J., *Coevolution Economics: The Economy, Society and the Environment*, Kluwer, Boston, 1994.
- Harvey L. Molotch: *Urban Fortunes: The Political Economy of Place*, Berkeley, University of California Press, 1987.
- Johnson, Nola Jeanette : *"Paradisiacal imagery in early Islamic art,"* University of Toronto, 1998.
- Kishore, K.: *Economic History of Mughal India: An Annotated Bibliography, 1526-1875*, Calcutta, Santiniketan, 1991.
- Lal, Ruby : *Domesticity and Power in the Early Mughal World*, Cambridge: Cambridge University Press, 2005.



Tribal Movements in the Early Nineteenth Century

Shashi Pratap Upadhayay

After the final defeat of the Marathas in 1818, the authority of the East India Company in the newly ceded and conquered territories in central and northern India was challenged on many fronts. Dacoity, or banditry was endemic, of which the so-called thugs were the most notorious example. The word 'thug' is of Indian origin, *thagi* meaning 'to deceive'. Although terms like it could be found in generic use in previous periods, 'thag' was first used as a specific category by a British district officer named William Sleeman, in application to a variety of groups of marauding bandits in central India in the 1820s. The suppression of the thugs thereafter became part of the great civilising mission of the British in India, along with the abolition of sati, infanticide, human sacrifice and other supposed social evils. Work on these fronts was faithfully reported to the Board of Control in London and the annual *Statement Exhibiting on Moral and Material Progress and Condition of India* from 1859 onwards.

The thug phenomenon was paralleled by another and more serious law and order problem in the early nineteenth century, which was similar in causation: the Pindaris. They were bandits who raided whole villages on horseback, principally in the newly ceded territories in central and northern India [Anon 1818; Ghosh 1966]. The Pindaris were mostly unemployed mercenary cavalymen who had served in the armies of the

Maratha Princes and others, before being disbanded in 1818. The threat that they posed was so considerable that an entire sepoy army had to be sent to suppress them.

The thugs and the Pindaris occupied a great deal of British military manpower, but there were numerous other uprisings in the same period to occupy them, many in adivasi or tribal areas. For example in the 1820s, a succession of revolts occurred amongst the Bhil tribes in Gujarat, and the Kol in Bihar between 1829 and 1833. Most serious of all was a revolt by the Santhals in 1855, just two years before the uprising of 1857, following which more than 10,000 tribals were killed in British reprisals in an attempt to pacify the territory [Guha 1983]. Nomadic and 'wandering' communities had good cause to resent the British, by whom they had been systematically persecuted. In the early 19th century huge areas of grazing lands around Delhi, used by the Gujars, Rangars and Bhattis were cleared and given by the British to Jat peasant farmers to cultivate. These communities were therefore amongst the first to resort to arson and banditry as soon as British control collapsed in 1857.

They all had one thing in common, being in one way or another losers in the land revenue settlements of the early nineteenth century. The Gujars and Bhattis lost land because the British did not recognise pastoralists to have proprietary right of access or occupancy. Tribals, who practised shifting forms of cultivation, were also frequently denied rights to the land and expelled from large areas of forest which were taken over by the government. It can be conjectured that many so-called thugs may have been Gond adivasis from the highlands of Central India who had been forced out of the forests in which they had traditionally hunted and foraged. From a life of banditry and petty thieving, it was but a small step to join in open rebellion.

The thugs and the Pindaris occupied a great deal of British military manpower, but there were numerous other uprisings in the same period to

occupy them, many in adivasi or tribal areas. For example in the 1820s, a succession of revolts occurred amongst the Bhil tribes in Gujarat, and the Kol in Bihar between 1829 and 1833. Most serious of all was a revolt by the Santhals in 1855, just two years before the uprising of 1857, following which more than 10,000 tribals were killed in British reprisals in an attempt to pacify the territory [Guha 1983]. Nomadic and 'wandering' communities had good cause to resent the British, by whom they had been systematically persecuted. In the early 19th century huge areas of grazing lands around Delhi, used by the Gujars, Rangars and Bhattis were cleared and given by the British to Jat peasant farmers to cultivate. These communities were therefore amongst the first to resort to arson and banditry as soon as British control collapsed in 1857. They all had one thing in common, being in one way or another losers in the land revenue settlements of the early nineteenth century. The Gujars and Bhattis lost land because the British did not recognise pastoralists to have proprietary right of access or occupancy. Tribals, who practised shifting forms of cultivation, were also frequently denied rights to the land and expelled from large areas of forest which were taken over by the government. It can be conjectured that many so-called thugs may have been Gond adivasis from the highlands of Central India who

had been forced out of the forests in which they had traditionally hunted and foraged. From a life of banditry and petty thieving, it was but a small step to join in open rebellion.

Uprisings of more substantial rural elites as well as of peasants occurred in the first half of the nineteenth century. The Bundela Rajputs, for example, were relatively prosperous landowners in Central India who rebelled in 1842, in reaction to tax increases and oppressive court proceedings which had deprived some of them of land. The mere arrival of a British land survey team, whose task was to measure the fields and decide how much tax should be paid, could provoke a riot, as occurred in Khandesh in 1852. There were also violent outbreaks among the peasantry on the Malabar Coast, where Muslim Mappila tenants were almost continuously in revolt against Hindu landlords appointed by the British.

Finally, in urban areas, unrest was often communal, characterised by the rioting of unemployed Muslim artisans against the Hindu moneylenders who were prospering under colonial rule. The replacement of the law officers of the old Mughal cities (such as the Kotwal, Qazi, and Mufti) by brusque colonial officials added further to the prevailing sense of unease. Dissent and unrest were therefore widespread during the early part of the

nineteenth century, but the inadequate intelligence of the East India Company meant that the seriousness of this opposition was not appreciated until events overtook them. When the general insurrection occurred in 1857, the company was therefore taken completely by surprise. The sudden collapse of British power merely provided the opportunity for many of these dissenting groups to rise up at the same time. This was what was unique about 1857.

Rethinking Tribals

Ever since the Portuguese travel writers and missionaries decided to describe the vast variety of ethnic and occupational groups and sects of the Indian subcontinent in terms of "caste" and "tribe", the terms have stuck to society as long-worn masks that start becoming one's real personality. The result is that today no Indian describes society without taking recourse to the categories "caste" and "tribe". In the initial period of India's contact with western nations the two terms were used as synonyms, the difference lay only in the social status of the groups they described. The synonymy was finally shattered through a legal intervention by the colonial rulers when an official list of communities was prepared by them (in 1872) as the list of tribes. A similar list was prepared in the previous year for communities that were

mistakenly thought of as 'criminal' and were covered by the provisions of an inhuman "Criminal Tribes Act of India, 1871." Since then the "tribes" are perceived as a distinct segment of Society.

In fact, it is necessary to recognise that every community has certain "caste" characteristics and certain other "tribal" characteristics, the degree of which may differ from community to community.

History has indeed been extremely unkind to the tribal characteristics of the people. The entire burden of the logic and the rhetoric of modernisation has sought to "detrribalise" the vast range of communities. Besides, those communities that are now marked as "tribal" have not been viewed with any degree of respect by the alienated middle classes and intellectuals. None of the brave fights of the tribals against the British has ever been treated as part of the "national" struggle for freedom. From the Bihar uprising of 1778 to Lakshman Naik's revolt in Orissa in 1942, the tribals of India repeatedly rebelled against the British in the North-East, Bengal, Bihar, Madhya Pradesh, Maharashtra, Gujarat and Andhra Pradesh. In many of the rebellions, the tribals could not be subdued by the colonial might, but terminated the struggle only because the British acceded to their immediate demands, as in the case of the Bhil revolt of

1809 and the Naik revolt of 1838 in Gujarat.

The fact, however, is that there is so much in the tribal way of life that the country needs to emulate. Tribals are not known for raping their women, beating and abusing their children, exploiting nature beyond satisfying the minimum human needs, lending money at interest, burning widows, and above all things segregating and stratifying labour in terms of caste.

A century and a half of deeply flawed education which has taught us to ape the West in every respect, has also taught us to leave the tribals out as the apes of the great Indian society. And, all that we have so far doled out in the name of tribal policy is but an attempt at extermination of tribal identity so that they remain without a voice and make space for our progress, become our low-grade clones and provide us with cheap labour. In the process, we have forgotten that much that is valuable in society, culture and heritage is of tribal origin, that in fact the tribal still has so much with him which we stand to benefit by learning.

Rarely have we looked at the tribal communities as leaders, at least in certain areas of life, who can reveal to us what civilisation truly is all about. Hence at the turn of the century we must open this question again and work towards formulating a

comprehensive tribal policy which will help both the nation and the tribal people. The four principles that we must follow while conceiving such a policy ought to be related to the recognition of the diversity of tribal communities, their special educational needs, an utmost concern for their genetic mutations, and the recognition of the peculiar character of tribal polity.

It is necessary to recognise that all tribal communities are not alike, that they are products of different historical and social conditions and that they belong to four different language families and several different racial stocks and animistic moulds. Some of them belong to the primitive stock with a continuous cultural history, others have been pushed out of the mainstream and have been "drop-outs" of our main history, yet others are created by various legal and economic interventions in society.

Therefore, no uniform policy is ever likely to benefit all tribal communities throughout the country. Next, if the huge work-force has to be given special skills which will improve their economic status, the existing formalities for educational advancement will have to be suspended, and a new kind of non-formal educational structure will have to be evolved. Thus special tribal academies which combine the merits of regular

schools and the open universities will have to be instituted. A National Tribal Academy, to regulate the education network will have to be created for this purpose. Similarly, those tribal communities which have become victims of the mutated gene diseases, such as the Korkus and the Bhils, will have to be provided with a special kind of health monitoring system so that the country does not quietly write off these as communities with defective genes. A close attention will have to be paid by social

medicine research to the incidence of sickle cell disease.

References

- Ainapur, L. S.: *Dynamics of Caste Relations in Rural India*, Jaipur, Rawat Publications, 1986.
- Allen, B. C.: *Gazetteer of Naga Hills and Manipur*, New Delhi: Mittal Publications, 1905.
- Anson, Bert : *The Miami Indians*, Norman: University of Oklahoma Press, 1970.
- Aruna, G. : *Agrarian Structure and Peasant Movements in Colonial and Post-Colonial India*, K.P.Bagchi and Company, 1990.
- Aten, Lawrence E. : *Indians of the Upper Texas Coast*, New York: Academic Press, 1983.
- Augustine, P.A.: *Social Equality in Indian Society*, New Delhi, Concept, 1991
- Bahti, Tom, : *Southwestern Indian Tribes*, Las Vegas, Nevada: KC Publications, 1989.
- Balwally, Darshan: *Growth of Totalitarianism in Arunachal Pradesh, Mizoram and Nagaland*, Guwahati: Delhi: Spectrum Publications, 2003.
- Bhattacharyya, N.N.: *Religious Culture of North-Eastern India*, New Delhi: Manohar Publishers & Distributors, 1995.
- Brass, Tom: *New Farmers' Movements in India*, London: Frank Cass, 1995.
- Chaube, S. K: *Hill Politics in Northeast India*, Patna: Orient Longman Limited, 1973.



The Role of Good Nutrition in Maintaining Good Health

Karuna Kanan

The visual system — the eyes, muscles, nerves and vision centers of the brain — is one of the most complex and highly demanding systems of the body.

More than 25% of the nutrition your body absorbs goes to feed the visual system. The visual system consumes one third of all the oxygen that you take in. Metabolism in the eyes is faster than anywhere else in the body. The concentration of vitamin C and other important nutrients is higher in the healthy eye than almost anywhere else in the body. It's not surprising, then, that proper nutrition plays an extremely important role in preventing and treating all of the common eye problems — myopia, presbyopia, cataract, macular degeneration and glaucoma. Nutrition's exact role is becoming more and more clear. Some facts are already well documented and pioneering doctors are uncovering other directions that are very promising.

Before we can discuss each eye problem in greater detail, it's important to keep in mind some general nutritional information:

Proper Balance is Important

The body does not use each vitamin and mineral in isolation. The absence of one may affect the body's ability to use another. For example, proper amounts of magnesium and vitamin D are needed in order to absorb calcium efficiently and

completely. And, without adequate levels of zinc, the body cannot utilize all the vitamin A it receives.

The Recommended Daily Allowances (RDA) suggested for most vitamins and minerals are most often only the minimum levels needed to prevent deficiencies. However, visual health — and total body health — most probably requires supplement levels that are significantly higher than the RDA. Cataract prevention, for example, may require the intake of vitamin C at a level 15 times greater than the RDA. In today's society, it is probably not realistic to expect to get all of our nutrients from food alone. No matter how wholesome and pure our diet might be, there are other factors that affect the nutrient content of the food we eat. How food is grown, how it is stored and how it is cooked all affect its nutrient value.

Besides, the amount of nutrients a particular food is supposed to contain is measured under ideal laboratory conditions, which probably don't reflect the food you are actually eating. Most of us have long known that carrots and vitamin A are supposed to be good for the eyes. Even so, 68% of the population is deficient in vitamin A. Over the last 50 years, the carrot has lost 75% of its magnesium content, 48% of its calcium, 46% of its iron and 75% of its copper. Modern farming methods have depleted the soil of trace minerals vital to our health, such as selenium, manganese and vanadium. Even calcium and vitamin C are found in lower levels in fruits and vegetables now than they were 50 years ago.

On the other hand, "popping" vitamin pills is no substitute for a wholesome diet. The body loses a significant amount of nutrients depending on the kind of food we consume. For example, we lose the trace mineral chromium as our body tries to absorb white sugar. And caffeine, refined flour, medication and preservatives also leach trace minerals and vitamins from our system. Also, there may be as yet undiscovered vitamins and minerals in food that someday will prove to be very important to our health. Age, activity level and stress affect what your body needs and how well your body can absorb and use what nutrients

M.A. (Home Science) Dakbangala Road, Hajipur

it does get. Keeping these general ideas in mind, let's look at the role that nutrition may play in myopia. In the next issue we'll look at other eye conditions.

Myopia

Myopia (nearsightedness) is a condition that affects nearly 1 out of every 3 people in the United States. Yet, only 3 out of every 100 myopic people are born that way; for everyone else, myopia is acquired at some point during their life span.

Myopia is the result of a degeneration of some part of the visual system. It's so common to see someone wearing glasses that we forget that it is not natural. Myopic people are also more prone to develop more serious eye conditions, such as retinal detachment, glaucoma and cataracts. The search for nutritional answers to myopia has focused on two different parts of the visual system: the shape of the eye and the functioning of the lens.

Let's Look at Each of these Separately: One possible explanation for myopia is that it occurs when the eye elongates, stretching from front to back. Distortions as small as 4/100 of an inch are enough to produce extreme degrees of myopia. Exactly what causes this stretching is not clear, though it seems to be due to either increased intraocular pressure or excessive tension in the extra-ocular muscles.

Dr. Gary Price Todd, a North Carolina ophthalmologist, has been using nutritional and metabolic healing for different

eye problems for more than 20 years. He is trained to do all the standard surgeries for the eyes, but he prefers to promote the natural healing of the eyes whenever possible. Dr. Todd believes that most myopia develops in children during growth spurts. If the child is not receiving proper nutrition, the body literally takes minerals from the eye to use in the growth of the body. The resulting mineral depletion in the eye weakens its structure, making it susceptible to the forces and stresses involved in prolonged near work, including reading, studying, watching TV or using a computer — all of which are common activities for most of today's children. Dr. Todd has success in arresting the progression of myopia in children that he treats; in some cases, the degree of myopia has decreased. Dr. Todd achieves these results just by recommending that children under his care supplement their diet with a total vitamin and mineral formula which is particularly rich in the minerals selenium, chromium and zinc. The formula that Dr. Todd originally developed for eye and body health is EYEMAX-plus.

Dr. Ben Lane, New Jersey optometrist and another pioneer in the role of nutrition in myopia and other eye diseases, concurs in the importance of these trace minerals in maintaining the strength of the eye. Dr. Lane has found that chromium levels in myopic children are 1/3 that of children with normal vision. (It is interesting to note that chromium is depleted in the

body by white sugar, eaten all too frequently by many children today.) Calcium levels are also lower in nearsighted children. Dr. Lane found that children increasing in the degree of myopia have diets extremely deficient in calcium. Dr. Lane thinks that in the face of this dietary deficiency, the body takes calcium from the eye to help support bone growth. This calcium lack then makes the eye susceptible to the forces playing on it during prolonged periods of near work and visual stress. Dr. Lane has also found that these children also eat too much meat protein (a poor source of calcium) and too little calcium-rich milk products and stalky vegetables. Caffeine (found in soda as well as in coffee) is known to leach calcium from the body.

Dr. Lane has also found that Vitamin C is important. He has noted that low levels of dietary intake of Vitamin C are associated with increases in pressure in the eye. This increasing pressure also is associated with the visual fatigue that can result from extended periods of near work. The focusing mechanism needs adequate levels of vitamin C and chromium for efficient functioning. Adequate levels of Vitamin C are also needed to ensure the strength and structural integrity of the eyes.

Vitamin C is leached from the body by artificial flavours and ingredients and aspirin. It is generally recommended that an adult take between 500 and 1000 mg. a day, increasing the quantity during periods of high stress (including visual stress

and extended periods of near range work).

Another vitamin that Dr. Lane thinks is of critical importance is folic acid, which helps the eyes to maintain near focus for longer periods of time as well as increase the eyes' ability to absorb nutrition from the body. He thinks that folic acid should come from food sources rather than from vitamins.

Drs. Todd and Lane have focused their studies on the nutritional factors involved in maintaining the structural integrity of the eye. Another explanation for myopia, also incorporated in Dr. Lane's theory, is that the lens has lost some of its ability to change focus, due to the constant pressure placed on it to maintain near point focus (e.g., when reading, writing, using a computer).

According to this theory, myopia occurs when the lens becomes "stuck" for near point vision and is unable to shift its focus to distant objects. Normally, the lens has the power to change its focus more than enough to compensate for individual differences in the length of the eye.

Dr. David A. Kubicek, a California doctor of chiropractic, explored the role of the lens in a research paper he wrote in 1988. This is a synopsis of his theory and his recommendations:

The ciliary muscle (which controls the focusing of the lens) is itself stimulated by both the sympathetic and the parasympathetic nerve systems of the body. Parasympathetic stimulation increases accommodation – the lens' ability to focus on near objects. Sympathetic stimulation decreases this ability, allowing the lens to focus on distant objects. Clear vision at all distances requires the nervous system of the body to constantly balance and re-balance these two types of stimulation. Nearsighted people, Dr. Kubicek reasoned, would lack sufficient sympathetic stimulation to bring distant objects into focus. Farsighted people, on the other hand, would show a weakness in parasympathetic stimulation.

To test his theory, Dr. Kubicek devised a simple muscular test that would tell him which system was weak for an individual. By performing only this simple test, he was able to predict – with 100% accuracy – which subjects were nearsighted and which were farsighted. Dr. Kubicek was then able to use this procedure and his knowledge of biochemistry to devise the right combination of nutrients that could promote proper functioning of the lens and thus help to improve vision at all distances. Certain nutrients are known to increase sympathetic activity and others are known

to increase parasympathetic activity. Nutrients that might be beneficial to nearsighted people would be vitamins B-2 and B-6, folic acid, niacinamide, zinc, magnesium and phosphorus, among others. (On the other hand, Dr. Lane cautions against phosphorus intake. His research indicates that what is most important is maintaining the balance in the body between calcium and phosphorus, a balance which is upset by the intake of too much animal-derived protein.) The answers aren't all in yet as to the exact role that various nutrients play, but it is clear that the onset of myopia can be an early indicator of nutritional deficiencies and imbalances in the visual system – and in the entire body.

References

- Arvedson, J.C. & Brodsky, L.: *Pediatric Swallowing and Feeding: Assessment and Management*. San Diego: Singular Publishing Group, 1993.
- Ashraf, Syed Mahboob: *Handbook of Fruit and Vegetable Products*, Agrobios, Delhi, 2008.
- Ballentine R. : *Diet and Nutrition: A Holistic Approach*, Himalyan Press, Delhi, 1989.
- Boik J. : *Cancer and Natural Medicine: A Basic Text Book of Basic Science and Clinical Research*, Oregon Medical Press, 1996.
- Charles, G.: *International Dictionary of Food & Cooking*, Chicago, Fitzroy Dearborn, 1998.
- Cornish-Bowden, A. : *Fundamentals of Enzyme Kinetics*, Portland Press, London, 1995.
- Doyle W.: *Teach Yourself Healthy Eating*, Hodder and Stoughton, London, 1994.



Social Security Measures in India

Dr. Vidyapati Gautam

The productivity of labour is an essential condition for the prosperity of enterprises and the well being of the workers and their families. While the production facilities at workplace and the remuneration are important, attitudes towards work, and the value placed by the society on dignity of labour are equally important in influencing the productivity of labour.

The planning process supports the attainment of economic and social objectives in the labour sector through a set of strategies. The supply of labour is kept in tune with demand through skill development and vocational training. Appropriate conditions at work are ensured by measures taken to promote safety at the workplace and minimising occupational hazards. A reasonable return on labour is facilitated by labour laws that regulate payment of wages and provision of social security to workers.

Situations where the supply of labour exceeds demand by a huge margin can lead to highly exploitative forms of work. Therefore, an effective implementation of the existing regulations relating to prohibition of bonded (forced) labour and child labour and monitoring the conditions of migrant workers is required.

Tenth Plan Objectives

The present infrastructure for improving labour productivity and for ensuring the welfare of workers covers only a very small segment of the labour force. The objective of Tenth Plan will be to increase the coverage of the labour market institutions. The essential condition for this is the provision of gainful employment to the entire labour force. However, certain recent trends make the attainment of these objectives a more challenging task. The growth of population in the

working age group is at a substantially higher pace than that of the average population. Agriculture used to provide employment to a major part of the workforce.

However, the number of workers deployed in agriculture cropping activities has not increased in recent years and it has even declined in certain parts of the country. The pace of growth of jobs in the organised sector has slowed down primarily because number of jobs in the public sector (which has a three-fourth share in organised sector jobs) has reduced and employment elasticity in the private sector has decreased significantly. The economic policy in general, and labour policy in particular, must facilitate the opening up of new employment avenues. In agriculture and related sectors, there is need to create more employment opportunities in horticulture, animal husbandry, poultry, and development of watersheds. However, the nonagricultural sectors of the economy will have to absorb the bulk of the increase in labour force. The labour sector has to focus at those kinds of establishments where much of the labour finds work.

Labour Policy and The Smaller Establishments

The Economic Census enumerates economic activities other than those which are purely for self-consumption and agricultural crop production. It identifies two types of enterprises that operate in such economic activities – the own account enterprises (OAE), which operate without any hired workers and establishments which hire workers. Labour regulations apply to the second category. Ninety-five per cent of establishments employ less than 20 workers, and 60 per cent of the workers serve in such establishments. In order to reach the bulk of the workers, labour policies and programmes have focus on the requirements of the small establishments. This is in contrast to the situation in recent years, where the large enterprises and

Director (PR) Dau Dayal Mahila (PG) College, Firozabad, U.P.

their workers have been the focus of labour policy.

Development of Vocational Skills

One of the important determinants of labour productivity is the working skills of the worker. Enterprises will be able to absorb the new entrants to labour market only if they have the requisite training. Surveys have revealed that only about 5 per cent of those in 20 to 24 year age group had any kind of technical education, in contrast to the situation in several developing countries. On the other hand, education levels have improved. Fifty-one per cent of those in 20 to 24 age group now have middle school level or higher education. With education becoming compulsory for those in the 6-14 age group, this number is set to increase in the future. If the youth do not have the working skills required by the employers, the incidence of unemployment among the educated youth will increase.

3.5.8 The projections of increase in labour force indicate that 8-10 million new entrants are required to be trained each year during the Tenth Plan period. Against this, the vocational training/ technical/ professional education sector has a capacity of only 2-2.3 million. The resultant large gap is not entirely due to a shortage in the availability of training infrastructure. In some training establishments, the enrolment is much below the capacity and dropout rate in training institutes is significant in certain instances. So a part of the gap

can be attributed to a lack of demand for vocational training, since the youth may not find the training at the vocational training institute enhances their chances of finding jobs.

There is a mismatch between the training facilities available and the skills that employers require. The factors which suppress the demand for vocational training have to be addressed. In addition, new ways of generating resources to expand the capacity for training have to be found so that the training system can absorb the large number of new entrants to the labour force. A reform of the vocational training system is, therefore, required.

Reform of the Vocational Training System

The objective of providing skills to all entrants to the labour force will have to be fulfilled by initiatives that (i) increase the demand for training; and (ii) increase the capacity for training. Thus, the process of reform will address both the factors that influence demand for vocational training and the factors that influence supply. So far, the main thrust of Government policies has been on augmenting the supply capacity. Since the factors that restrain the demand did not receive adequate attention, greater returns are expected, in the near future, from the initiatives that increase the demand for vocational training.

Demand For Vocational Training

The demand for vocational training comes from the returns

to the trainee in the form of a job and better income and returns to the employer by way of a higher output from a trained worker. If the income expectations of workers exceed the output realised by the employer, the demand for training cannot be sustained, let alone be increased. Hence, the quality of training should be of a standard that the employer expects.

On the other hand, if the expectation from training is to get a job in the Government or public sector, which are not expanding much, no useful purpose will be served by acquiring such training. Improving Linkage Of Training With Prospective Employment

3.5.11 Employment prospects of trained manpower can increase if the employer has a say in imparting training.

In the Ninth Plan, industry-institute interaction was initiated in Industrial Training Institutes (ITIs), whereby Institute Management Committees (IMC) were set up under the leadership of a local employer/ industrialist. However, the IMC has been set up only at 33 ITIs. There has been no such effort outside the labour sector. In the Tenth Plan, State Governments will be encouraged to cover practically all the training institutes by the IMC mode of management.

Industries/ employers which require training for new recruits will get priority in allotment of seats in training institutes.

Though the bulk of the employment opportunities

arise in the small establishments, these enterprises do not have an adequate role in the formulation of a policy for training and its implementation. Such involvement can be meaningful only at the local level rather than at the state or national level. The formulation of a training policy in Tenth Plan will give priority to the needs of local small employers.

Apprenticeships in establishments lead to better job prospects than the training based in the institute classroom. The Apprenticeship Training Scheme under the Apprentices Act, 1961 has remained confined to large establishments, especially those in the public sector. Small employers have not been a significant part of the scheme. In the Tenth Plan, the Apprenticeship Training Scheme will be modified keeping the small employers in mind. Payment of stipend should not be made mandatory for small employers. Absorption of apprentice trainees by the establishment to which they are attached should be voluntary.

There is a social divide between those who opt for vocational training after completing school and those who enter the higher technical/professional/medical education stream. In the entry requirements for higher applied education, vocational training

and even vocational experience should be considered as fulfilment of some part of the requirement of basic education. Entry criteria to higher-level institutions should give higher priority to those coming out of vocational training establishments over those who join after basic and general education in schools. Thus, the higher applied education streams should be vertically integrated with the training institutes that provide training in industrial trades, medical diagnostics, commercial practice, tailoring, cooking, travel services, accounting, financial services, insurance services etc. This requires closer interaction between the authorities that regulate higher applied education and those regulating vocational training and related applied courses.

References

- Anindya Bakrie & Morendy Octora.: *Schooling, Experience, and Earnings*, New York, Singapore National University, Columbia University Press 2002.
- Borcherding, K.: *Contemporary Issues in Decision Making*, Amsterdam, North-Holland, 1990.
- Caplin, A. and Schotter, A.: *The Foundations of Positive and Normative Economics*, New York, Oxford University Press, 2008.
- Caviglioni O. : *Mapwise: Accelerated Learning Through Visible Thinking*, Network Educational Press, 2000.
- Fraser, Steven, *Labor Will Rule, Sidney Hillman and the Rise of American*

- Labor*, Reprint ed. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1993.
- Goleman D.: *Emotional Intelligence*, New York: Bantam, 1995.
- Gowdy, J., *Coevolution Economics: The Economy, Society and the Environment*, Kluwer, Boston, 1994.
- Hausman, D. M.: *The Inexact and Separate Science of Economics*, Cambridge, Cambridge University Press, 1992.
- Kasper, Larry J.: *Business Valuations, Advanced Topics*, Westport, CT, Quorum Books, 1997.
- Lindblom, C. E.: *A Strategy of Decision: Policy Evaluation as a Social Process*, New York, The Free Press, 1970.
- Magnussen, L., *Evolutionary and Neo-Schumpeterian Approaches to Economics*, Kluwer, Boston, 1994.
- Peirson, G., Bird, R., Brown, R., & Howard, P.: *Business Finance*, Roseville, 1990
- Ross, D.: *Economic Theory and Cognitive Science*, Cambridge, Mass., MIT Press, 2006.
- Santos, A.C.: *The Social Epistemology of Experimental Economics*, London, Routledge 2009.
- Schumpeter, J. A., *The Theory of Economic Development*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1934.
- Taylor, F. W.: *The Principles of Scientific Management*, New York, 1917.
- Throsby, David, *Economics and Culture*, Cambridge University Press, 2001.
- Ullman, D. G.: *Making Robust Decisions*, Trafford, 2006.
- Warwick, D. P.: *A Theory of Public Bureaucracy*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1975.
- Weber, M.: *The Theory of Social and Economic Organizations*, New York, Oxford University Press, 1947.



Credit Risk: Concepts and Process of Risk Management

Chakresh Kuntal

Credit risk is an investor's risk of loss arising from a borrower who does not make payments as promised. Such an event is called a default. Another term for credit risk is default risk.

Assessing Credit Risk

Significant resources and sophisticated programs are used to analyse and manage risk. Some companies run a credit risk department whose job is to assess the financial health of their customers, and extend credit (or not) accordingly. They may use in house programs to advise on avoiding, reducing and transferring risk. They also use third party provided intelligence. Companies like Standard & Poor's, Moody's Analytics, Fitch Ratings, and Dun and Bradstreet provide such information for a fee.

Most lenders employ their own models (credit scorecards) to rank potential and existing customers according to risk, and then apply appropriate strategies. With products such as unsecured personal loans or mortgages, lenders charge a higher price for higher risk customers and vice versa. With revolving products such as credit cards and overdrafts, risk is controlled through the setting of credit limits. Some products also require security, most commonly in the form of property.

Credit scoring models also form part of the framework used by banks or lending institutions

grant credit to clients. For corporate and commercial borrowers, these models generally have qualitative and quantitative sections outlining various aspects of the risk including, but not limited to, operating experience, management expertise, asset quality, and leverage and liquidity ratios, respectively. Once this information has been fully reviewed by credit officers and credit committees, the lender provides the funds subject to the terms and conditions presented within the contract (as outlined above).

Credit risk has been shown to be particularly large and particularly damaging for very large investment projects, so-called megaprojects. This is because such projects are especially prone to end up in what has been called the "debt trap," i.e., a situation where – due to cost overruns, schedule delays, etc. – the costs of servicing debt becomes larger than the revenues available to pay interest on and bring down the debt.

Sovereign Risk

Sovereign risk is the risk of a government becoming unwilling or unable to meet its loan obligations, or reneging on loans it guarantees. The existence of sovereign risk means that creditors should take a two-stage decision process when deciding to lend to a firm based in a foreign country. Firstly one should consider the sovereign risk quality of the country and then consider the firm's credit quality.

Five macroeconomic variables that affect the probability of sovereign debt rescheduling are:

- Debt service ratio
- Import ratio
- Investment ratio
- Variance of export revenue
- Domestic money supply growth.

The probability of rescheduling is an increasing function of debt service ratio, import ratio, variance of export revenue and domestic money supply growth. Frenkel, Karmann and

Scholtens also argue that the likelihood of rescheduling is a decreasing function of investment ratio due to future economic productivity gains. Saunders argues that rescheduling can become more likely if the investment ratio rises as the foreign country could become less dependent on its external creditors and so be less concerned about receiving credit from these countries/investors.

Counterparty Risk

Counterparty risk, otherwise known as default risk, is the risk that an organization does not pay out on a bond, credit derivative, credit insurance contract, or other trade or transaction when it is supposed to. Even organizations who think that they have hedged their bets by buying credit insurance of some sort still face the risk that the insurer will be unable to pay, either due to temporary liquidity issues or longer term systemic issues. Large insurers are counterparties to many transactions, and thus this is the kind of risk that prompts financial regulators to act, e.g., the bailout of insurer AIG.

On the methodological side, counterparty risk can be affected by wrong way risk, namely the risk that different risk factors be correlated in the most harmful direction. Including correlation between the portfolio risk factors and the counterparty default into the methodology is not trivial.

A good introduction can be found in a paper by Michael Pykhtin and Steven Zhu.

Short-term Loans to Good Government Bodies

A lowest end is short-dated loans to government and government-guaranteed entities (usually semi-independent government departments). The lowest of all is the risk-free rate of return. The risk-free rate has zero risk (most modern major governments will inflate and monetise their debts rather than default upon them), but the return is positive because there is still both the time-preference and inflation premium components of minimum expected rates of return that must be met or exceeded if the funding is to be forthcoming from providers. The risk-free rate is commonly approximated by the return paid upon 30-day or their equivalent, but in reality that rate has more to do with the monetary policy of that country's central bank than the market supply conditions for credit.

Mid- and Long-term Loans to Good Government Bodies

The next types of investment is longer-term loans to government, such as 3-year bonds. The range width is larger, and follows the influence of increasing risk premium required as the maturity of that debt grows longer. Nevertheless, because it is debt of good government the

highest end of the range is still comparatively low compared to the ranges of other investment types discussed below. Also, if the government in question is not at the highest jurisdiction (i.e., is a state or municipal government), or the smaller that government is, the more along the risk-return spectrum that government's securities will be.

Short Term Loans to Blue-chip Corporations

Following the lowest risk investments are short-dated bills of exchange from major blue-chip corporations with the highest credit ratings. The further away from perfect is the credit rating, the more along the risk-return spectrum is that particular return.

Mid- and Long-term Loans to Blue-chip Corporations

Overlapping the range for short-term debt is the longer term debt from those same well-rated corporations. These are higher up the range because the maturity has increased. The overlap occurs of the mid-term debt of the best rated corporations with the short-term debt of the nearly-but-not perfectly-rated corporations.

In this arena, the debts are called investment grade by the rating agencies. The lower the credit rating, the higher the yield and thus the expected return.

Rental Property

A commercial property that the investor rents out is comparable

in risk or return to a low-investment-grade. Industrial property has higher risk and returns, followed by residential (with the possible exception of the investor's own home).

High-yield Debt

After the returns upon all classes of investment-grade debt come the returns on speculative grade high-yield debt (also known derisively as junk bonds). These may come from mid and low rated corporations, and less politically stable governments.

Equity

Equity returns are the profits earned by businesses after interest and tax. Even the equity returns on the highest rated corporations are notably risky. Small-cap stocks are generally riskier than large-cap; companies that primarily service governments, or provide basic consumer goods such as food or utilities, tend to be less volatile than those in other industries. Note that since

stocks tend to rise when corporate bonds fall and vice-versa, a portfolio containing a small percentage of stocks can be less risky than one containing only debts.

References

Beesley, Michael : *Corporate Social Responsibility: A Reassessment*, London, Crom Helm, 1978.
Campbell, Robert : *The Ethical Organisation*, London, Macmillan, 1996.
Carroll, A. : *Business and Society: Managing Corporate Social Performance*, Boston: Little, Brown & Company, 1981.
Cassel : *Money and Foreign Exchange after 1914*, London 1922.
Cheruniam, F. : *Global Economy and Business Environment*, New Delhi, Himalaya Publishing House, 2001.
Clover, Darlene Elaine: *Global Perspectives in Environmental Adult Education*, New York, Peter Lang, 2003.
Dalrymple A : *Observations on the Copper Coinage wanted in Circars*, London, 1794.
Dunfee, T. : *That Bind: A Social Contracts Approach to Business Ethics*, Boston, HBS Harvard Business School, 1999.
Eugene F. Brigham: *Essentials of Managerial Finance*, Twelfth Edition. Fort Worth, Texas: The Dryden Press, 2000.

Fetter F. A. : *The Gold Reserve: Its Function and its Maintenance*, Political Science Quarterly, 1896.
Paul, Kegan: *Money and the Mechanism of Exchange*, London, 1890.
Porter, M.E. : *The Competitive Advantage of Nations*, London, Macmillan, 1998.
Post, J.E. : *Business and Society*, New York, McGrawhill, 1988.
Reddy, Sumati : *Corporate Social Responsibility: The Environmental Aspects*, Hyderabad, ICFAI, 2004.
Robbins, P. : *Greening the Corporations: Management Strategy and the Environmental Challenge*, London: Earthscan, 2001.
Salancik, G. R.: *The External Control of Organizations, A Resource Dependence Perspective*, New York, 1978.
Sims, Ronald R. : *Ethics and Corporate Social Responsibility: Why Giants Fall*, New York, Praeger Publishers, 2003.
Som Nath Tiwari : *Global Warming and Its Effects on Environment*, Adhyayan, Delhi, 2007.
Tavakoli, Janet M.: *Credit Derivatives: A Guide to Instruments and Applications*. N.Y.: John Wiley & Sons, 1998.
Vogal, David : *Corporations and their Critics: Issues and Answers to the Problems of Corporate Social Responsibility*, New York, McGraw Hill, 1981.
Wartick, S. and Wood, D. : *International Business and Society*. Blackwell: Malden, 1998.



Educational Philosophy of Tilak

Dr. Vishwamitra Pandey

Lokmanya B.G. Tilak realised that the loss of freedom was not merely a loss of political power but a total destruction of the indigeneous culture, religion and language. Therefore, to awaken the people towards the goal of freedom became his lifetime pursuit. He was associated with Vishnushastri Chiplunkar in establishing the New English School (1880) to impart National Education in place of British imperialist education to students. According to him the content of education was an urge for freedom and to prepare the people to fight for the same.

With the help of educational institutions, religious platforms (*e.g.* Ganeshotsav) and newspapers (Kesari and Maratha) which is quite significant he put an end to mere propagation of knowledge and started an era of actual activities. His mission of national education and social organisation which he carried with unflinching faith and spiritual strength was the outcome of the life-foundations he secured from the 'Bhagvadgita'. One can know his personality and life philosophy best through his classical book 'Gita-Rahasya'. His views on life and duty rested on the Eternal Law and theistic faith. While propagating, in practical life, the 'Desireless Life of Action' he believed in final emancipation as the ultimate aim of man's action. As his was an integrated personality, this philosophy of life was reflected in his social life which became the philosophy of nationalism which Mahatma Gandhi further strengthened.

Education in India During the Period 1800 AD to 1880 AD

To understand Lokmanya Tilak's contribution to philosophy and practice of Education in India,

it is necessary to acquaint ourselves with the situation that existed in India during the 19th century. In the early years of 19 century Taty Pantoji (one teacher) schools existed in most villages. Reading, writing, arithmetic were the subjects taught. This education was enough to meet everyday needs. Fees were also meagre. However, this education was not open to women and to the scheduled castes. 'Modi' a script similar to Devnagari was also taught. In 1793 while granting license to the East India Company, the Board of Directors told the company that they would send skilled and suitable persons to India to serve as school masters. Missionaries would also be encouraged. The Board of Directors wanted to educate the natives of India. In 1813 the British Government asked the Governor General to reserve one lakh rupees every year for the revival and improvement of literature in India and for the introduction and promotion of knowledge of science among the people of India. Missionaries came to India in the 18 century following the foot-steps of the traders and undertook the responsibility of educating Indians. However, their main aim was to convert the poor and the needy to Christianity. As this was quite clear to upper class Hindus they did not send their children to missionary schools.

In the then Bombay Province, Mount Stuart Elphinstone was appointed as Governor from 1819 to 1827. He had deep interest in the education of Indians. He was in favour of the mother tongue as the medium of instruction. He was of the view that it was the Government's responsibility to educate the people. Due to his encouragement many books were translated into Marathi. English-Marathi Dictionaries were also published. Educational activity was quite prominent in Mumbai. In 1827 the Bombay Native Education Society was formed. In 1854 a Board of Education was constituted. In 1855, a separate department of Education was also established. During this time there was awakening among the Indians also. Mahatma Phule established his school in 1851-52. With Wood's Despatch and Macaulay's minutes the

Assistant Professor, Department of Philosophy, Jagdam College, Chapra

upper strata of the society accepted the importance of Western Education with English as the medium. The conflict, Eastern (or Oriental) versus Western was buried and a New Era of Western Education was started by Govt. schools and colleges as also by missionary schools and colleges. Payments to teachers were low and the percentage of girls and women in schools and colleges was also low. Tilak, Agarkar and their colleagues started their work against this background.

Lokmanya Tilak on Nature and Management of Educational Institutions

Though education occupied only a few years of his public and social life, his contribution in this field is unique in the sense that the pattern of education he selected and the management style he professed was emulated in the 20 century.

Lokmanya Tilak's contribution to Education is reflected through four important events. They are (i) The establishment of the New English School, Pune, (ii) The formation of the Deccan Education Society, Pune, (iii) The establishment of the Fergusson College, Pune and (iv) Tilak's resignation of life-membership of the Deccan Education society.

The University of Bombay (Mumbai) was established in 1857. The middle class persons and those who had some influence in the Society had accepted Western Education with English as the medium. Tilak, Agarkar and their colleagues had no alternative but to start a school imparting that education. However, there

was a vast difference between leaders like Tilak conducting schools and missionaries doing it. Opening of the school proved a new era in the educational and public life of Maharashtra. Following this example many people opened schools in their own towns. People were convinced that Education was a tool towards achieving freedom of the country.

The management style that Tilak and his colleagues formulated while writing the constitution of the Deccan Education Society must be considered unique. They introduced the concept of institutions managed by teachers themselves – a new concept of Life-Members. This style spread all over western Maharashtra and in spite of all its weaknesses noticed while practicing, it stood the test of time. Life-Membership stood for Service, Sacrifice and Integrity. When there arose differences between Life-Members and particularly between Tilak and Agarkar on how to define sacrifice, Tilak resigned his Life-Membership of the Deccan Education Society.

Fergusson College, Pune, was started on 2 January 1885. This college was granted affiliation by the University of Bombay. Reputation of this college spread all over the country in later years. Lala Lajpat Rai, Shrinivas Shastri, Pandit Madan Mohan Malviya and many others have recorded their appreciation of the work done by Tilak and his colleagues.

Educational Thoughts of Tilak's

Tilak's contemporary, Gopal Ganesh Agarkar, was a

great reformer of the 19 century. He was also the dearest friend of Tilak. He was one of those great personalities of the time who dedicated themselves to the field of education. These people were influenced by the new rationality of western thought. They believed in the social reforms and boldly advocated the same. Agarkar started his newspaper 'Sudharak' to propagate his new social reforms. His task was very difficult.

Taking into account the conditions then existing, which were mostly dominated by religious sanctions, one can imagine how difficult was the challenge before Agarkar to stand against the existing social order. He had to face humiliation, anger and short-sightedness of people. Many people threatened him with dire consequences but he withstood all such pressures. As a contemporary social reformer of Tilak, Agarkar repeatedly stressed on people's education through 'Sudharak'. His educational outlook was different from others and was based on a strong belief on rational thinking, scientific approach, individual freedom and moral values. His main priority was education for all without discrimination of caste, sex, economic strata, etc. He was a true visionary to envisage hundred years ago the difficulties of women's education.

We can summarise his views on education as follows:

1. All kinds of reforms though classified as social, political, behavioural and ranked as first, second, etc. for the sake of thinking, are all of equal

importance and are interdependent.

2. Necessity of education for all the people in the society to eradicate ignorance and untouchability.
3. Compulsory and primary education should be the responsibility of the Government.
4. Girls' education should be given more importance and equal opportunities must be given to them to learn the same subjects with boys in co-educational system.

Lokmanya Tilak and Maratha History

Lokmanya Bal Gangadhar Tilak, the father of Indian unrest, belonged to the generation of the 19 century Maharashtra. The state had not yet forgotten that they were the rulers of this country in the immediate past. He must have thought of History as the most suitable and effective method to mobilize public opinion against the tyrannical rule of the British. He thought that the adventurous and brave career of Shivaji, was not yet forgotten by the people and would be the best tool which could be used to attract the masses towards the freedom struggle. This led him to indulge in deep research about the Marathas, particularly Shivaji. Tilak was not a professional historian. He entered into the field of research

by sheer accident. As a researcher he wrote 'Orion' and 'Arctic Home In The Vedas'. However the peculiar circumstances that were prevailing in the last decade of the 19 century made him plunge into the history of the immediate past of Maharashtra i.e. the 'Maratha History'.

A British visitor who visited Shivaji's tomb at Raigad published a book reporting about the dilapidated condition of Shivaji's tomb which resulted in immediate research on Shivaji. Native opinion of V.N. Mandlik (1895) kindled the imagination of Tilak and he wrote an article in Kesari (23 April 1895). This article had a proper effect of the minds of the common people, and he could raise funds to maintain Shivaji's Samadhi at Raigad. This gave rise to a national movement known as 'Shivaji movement'.

He appealed to national leaders to celebrate Shivaji's birthday as a national festival. During the birthday celebrations of Shivaji, Tilak came to know about the controversy over the birth date of Shivaji and he made a deep research on the birth date of Shivaji. He finally accepted the date which was nearer to 'bakhas'.

It was Shaka – 1549, Pravhav Samvatsar, Vaishakh Shudha Pratipada Ashiwini Nakshatra equivalent to 6 April 1627. He confessed that there

was a great deal of confusion regarding the birth date of Shivaji and he appealed for more research in this area. The Maharashtra Govt. appointed a committee to give a final decision over the long pending controversy of the birth date of Shivaji Maharaj. The Govt. declared officially Falgun Vadya Tritiya of Shaka 1551 (1630 AD) as an authentic date for celebration of Shiv Jayanti. Tilak must be given credit for this research.

References

- Ahluwalia, B. K.: *Netaji and Gandhi*, Indian Academic Publishers, New Delhi, 1982.
- Balan, K.: *Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru : The Two Stalwarts Who Shaped India*, Delhi, Authorspress, 2002.
- Bourai, Himanshu : *Gandhian Philosophy and the New World Order*, Delhi, Abhijeet, 2004.
- Chakrabarti, Mohit : *Mahatma Gandhi: A Miscellany*, New Delhi, Mahamaya Pub., 2008.
- Das, Ratan : *Gandhi in Twenty-first Century*, New Delhi, Sarup, 2002.
- Eaton, Jeanette: *Gandhi, Fighter Without a Sword*, Morrow, New York, 1950.
- Gawali, P.A.: *Society and Social Disabilities under the Peshwas*, National, New Delhi, 1988.
- Hardiman, David : *Gandhi : In His Time and Ours*, Delhi, Permanent Black, 2003.
- Kakade, S. R.: *Scheduled Castes and National Integration: A Study of Marathwada*, Radiant Pub., New Delhi, 1990.
- Lal, Sheo Kumar and Nahar, Umed Raj: *Extent of Untouchability and Pattern of Discrimination*, Mittal Publications, New Delhi, 1990.



Concept of the Nation

Anil Sharan

A nation is a group of people who share common history, culture, ethnic origin, and perhaps most importantly language, often possessing or seeking its own government. The development and conceptualization of a nation is closely related to the development of modern industrial states and nationalist movements in Europe in the eighteenth and nineteenth centuries, although nationalists would trace nations into the past along uninterrupted lines of historical narrative. Though the idea of nationality and race are often connected, the two are separate concepts, race dealing more with genotypic and phenotypic similarity and clustering, and nationality with the sense of belonging to a culture.

A nation is different from a country in that a country is the *land* that belongs to a nation, and from a state in that a state is the government of the nation and country.

Benedict Anderson argued that nations were “imagined communities” because “the members of even the smallest nation will never know most of their fellow-members, meet them, or even hear of them, yet in the minds of each lives the image of their communion”, and traced their origins back to vernacular print journalism, which by its very nature was limited with linguistic zones and addressed a common audience. Although “*nation*” is also commonly used in informal discourse as a synonym for *state* or *country*, a nation is not identical to a state. Countries where the social concept of “*nation*” coincides with the

political concept of “*state*” are called nation states.

Ambiguity in Usage

In the strict sense, terms such as “*nation*,” “*ethnos*,” and “*people*” (as in “the Danish people”) denote a group of human beings. The concepts of nation and nationality have much in common with ethnic group and ethnicity, but have a more political connotation, since they imply the possibility of a nation-state. *Country* denominates a geographical territory, whereas *state* expresses a legitimized administrative and decision-making institution. Confusingly, the terms *national* and *international* are used as technical terms applying to *states*. International law, for instance, applies to relations between states, and occasionally between states on the one side, and individuals or legal persons on the other. Likewise, the United Nations represent sovereign states, while nations are free, *per se*, are not admitted.

History

Etymology and Early Use

The English word “*nation*” comes from the French word “*nation*” (itself derived from the Latin term *natio*) (*natio*, stem *nation-*), meaning:

- The action of being born; birth; or and
- The goddess personifying birth; or
- A breed (like a dog), stock, kind, species, race; or
- A tribe, or (rhetorically, any) set of people (contemptuous); or
- A nation or people.

As an example of how the word *natio* was employed in classical Latin, consider the following quote from Cicero’s *Philippics Against Mark Antony* in 44 BC. Cicero contrasts the external, inferior *nationes* (“*rac*es of people”) with the Roman *civitas* (“*community*”).:

“*Omnes nationes seruitutem ferre possunt: nostra civitas non potest.*”

Research Scholar, J.P.U., Chapra

("All races are able to bear enslavement, but our community cannot.")

St. Jerome used this "genealogical-historical term... in his Latin translation of New Testament to denote non-Christians— that is, 'others.'" An early example of the use of the word "nation" in conjunction with language and territory is provided in 968 by Liutprand, bishop of Cremona, who, while confronting Nicephorus II, the Byzantine emperor on behalf of his patron Otto I, Holy Roman Emperor, declared:

"The land...which you say belongs to your empire belongs, as the nationality and language of the people proves, to the kingdom of Italy." (Emphasis added.)

Although Liutprand was writing in Latin, his native tongue was Lombard, a Germanic language.

A significant early use of the term *nation*, as *natio*, was at mediaeval universities), to describe the colleagues in a college or students, above all at the University of Paris, who were all born within a *pays*, spoke the same language and expected to be ruled by their own familiar law. In 1383 and 1384, while studying theology at Paris, Jean Gerson was twice elected procurator for the French *natio* (i.e. the French-born Francophone students at the University). The division of students into a *natio* was also adopted at the University of

Prague, where from its opening in 1349 the studium generale was divided among Bohemian, Bavarian, Saxon and Polish *nations*.

Political Nation and the Constitution of the State

In the domain of political sciences, the political nation is the holder of the sovereignty which shapes the fundamental norms governing the functioning of the state.

From the French Revolution up to today, the differences and similarities between the concepts of "political nation" and "people" have been object of heated debates. A related debate concerns the concepts of national sovereignty and popular sovereignty.

A classical distinction exemplifies "national sovereignty" in the French Constitution of 1791. In this system, sovereignty is held by a parliament elected by census suffrage. This contrasts with the Constitution of 1793, in which the population is understood as a conjunct of individuals. This idea would eventually lead to direct democracy and universal suffrage. Nevertheless, these senses already started to get blurred in the very same revolutionary period. Many authors employed the words with divergent meanings. Following Guillaume Bacot, the differences started to become

merely a matter of terminology, and between 1789 and 1794 the unified revolutionary concept of sovereignty was used.

"Nation" and "people" were used in 1789 by the abbot Sieyès as synonyms, with a socio-economic meaning. But only shortly thereafter, he changed the meaning of his words, establishing a fundamental difference for his ideas of sovereignty and the constitutional state. He defined the nation then as emanating from natural law, prior to the state. "People" was determined as following from the concept of nation *after* the creation of the State. For Sieyès, the nation is the holder of sovereignty, which it exercises through the *pouvoir constituant*. After the establishment of a constitution, "people" is defined as the holder of the *pouvoir constitué*. In short, the people is defined by Sieyès as a nation organized by a constitution.

Nicolas de Condorcet only uses the word "people", but he agrees with Sieyès in emphasizing the distinction between *pouvoir constituant* and *pouvoir constitué* as the basis for the functioning of a liberal and democratic state.

For those two authors, the role of holder of sovereignty ("nation" or "people", as the case may be) is exhausted after the use of the *pouvoir constituant*. *What remains is only*

a reminder of the foundation of the State, which could only become manifest in exceptional case, e.g. rebellion against a tyrant.

The ideas of Sieyès and Condorcet lay the foundation for a basic idea of a constitutional state, still common today: this kind of state has no sovereign (cf. Martin Kriele, Ignacio de Otto). In international relations, the nation is not a subject in international law, but the State is.

Cultural Nation

The concept of cultural nation poses one of the major problems in the humanities since there is no consensus how to define it. A base line would be to say that the members of a cultural nation are aware of constituting an ethical-political body together, which is differentiated from others by the members sharing a number of defining cultural features.

Those features can include language, religion, tradition, or shared history. All this can be taken as a sign of a historically evolved distinct culture. The question whether a nation needs to have an associated territory is subject of debate.

The concept of cultural nation is normally coupled with a historical doctrine taking as a principle that all humans can be divided into groups called nations. In this sense, we are

dealing with an ethical and philosophical doctrine which is at the basis of the ideology of nationalism. The members of a nation are distinguished by a common identity and generally by a shared origin and the sense of common ancestry.

National identity specially refers to the distinction of specific features of a group. A vast array of different criteria are used, with a range of different applications. Like this, small differences in pronunciation or different dialects can be sufficient to categorize someone as a member of a different nation. On the other hand, some persons can have diverging personalities and beliefs, live in different places and speak different languages and still see each other as members of the same nation.

Furthermore, there are cases in which a group of persons defines itself as a nation not based on the features they have, but for the features they lack or dislike. The feeling of belonging to a nation is then used as a defence against other groups, even if these other groups would appear to be closer in matters of ideology cultural practices.

Finally, members of a nation can emphasize their common history despite ethnic and linguistic differences, as is the case of Switzerland, which

sees it self as a "Willensnation" (nation by will). The United States, Canada, New Zealand and Australia all display national pride based on their common history rather than on a common geographical origin.

The Cultural Nation and the State

A state which identifies itself explicitly as the home of a cultural nation is a nation-state. Many of the modern states are in this category or try to legitimize their existence in this way, although there might be disputes and contradictions as to the appropriateness of this. Because so many of the states are nation-states, the words "nation", "country", and "state" are often used synonymously.

If the cultural nation is conceptualized as exclusively ethnic, and not as requiring a territory, a number of nations without land can be found. A prominent example would be the "gypsy nation" – a cultural nation can exist without having an independent state, and not all independent states are cultural nations. Many independent states are simply administrative unions of different cultural nations or peoples.

Other examples of cultural nations without states are the Jews before the creation of the state of Israel. On the other hand, states like Belgium consist of several cultural

nations, most prominently Flemish and Walloons. The question of whether the state of Canada harbours one cultural nation or two (British Canadian and Quebecois) has been object of political debate as well. It could also be said that the nations of the English, Scottish and Welsh are also nations without states as they exists as a larger sovereign state known as the United Kingdom.

References

- Austin, Granville : *The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation*, Oxford, Clarendon Press, 1966.
- Brierly, L.: *The Law of Nations*, New York, Oxford University Press, 1955.
- Charles H.: *The Prisoner in the American Revolution*, Chicago, Loyola Univ. Press, 1971.
- Charles O.: *The Navy of the American Revolution: Its Administration, Its Policy and Its Achievements*, Cleveland, Burrows, 1906.
- Cooper, T. L. : *Handbook of Administrative Ethics*, New York, Marcel Dekker, 2001.
- Dennis, L.: *Public Policy Management and Public Policy*, New York, Longman, 1999.
- Eldridge, P.J.: *The Politics of Foreign Aid in India*, New York, Schocken, 1970.
- Friedrich, J.: *Constitutional Government and Democracy*, Boston, Ginn, 1950.
- Giddens, A.: *A Contemporary Critique of Political Science*, London, Macmillan, 1981.
- Lingat, R.: *The Classical Law of India Political Science*, Berkeley, University of California Press, 1973.
- Morris, W.H.: *The Government and Politics of India*, London, Hutchinson, 1971.
- Norman, Uphoff: *Local Organizations: Intermediaries in Rural Development*, Ithaca, Cornell University Press, 1984.
- Piketo, S.: *British Policy and Administration in Nagaland 1881-1947*, New Delhi, Scholar Publishing House, 1992.
- Rose, V.: *The French in India: From Diamond Traders to Sanskrit Scholars*, Bombay, Popular Prakashan, 1990.
- Rossiter, Clinton: *Documents in American Government*; New York, W. Sloane Associates, 1949.
- Sharman, R.: *Aspects of Political Ideas and Institutions in Ancient India* Delhi, Motilal Banarsidass, 1968.
- Srivastava, R.C.: *Judicial System in India*, Lucknow, Print House (India), 1992.



Operant Learning Behaviour

Rajeewa Kumar

Operant conditioning is the use of a behaviour's antecedent and/or its consequence to influence the occurrence and form of behaviour. Operant conditioning is distinguished from classical conditioning (also called respondent conditioning) in that operant conditioning deals with the modification of "voluntary behaviour" or operant behaviour.

Operant behaviour "operates" on the environment and is maintained by its consequences, while classical conditioning deals with the conditioning of reflexive (reflex) behaviours which are elicited by antecedent conditions. Behaviours conditioned via a classical conditioning procedure are not maintained by consequences.

Reinforcement, Punishment, and Extinction

Reinforcement and punishment, the core tools of operant conditioning, are either positive (delivered following a response), or negative (withdrawn following a response). This creates a total of four basic consequences, with the addition of a fifth procedure known as extinction (i.e. no change in consequences following a response).

It's important to note that actors are not spoken of as being reinforced, punished, or extinguished; it is the actions that are reinforced, punished, or extinguished.

Additionally, reinforcement, punishment, and extinction are not terms whose use is restricted to the laboratory. Naturally occurring consequences can also be said to reinforce, punish, or extinguish behaviour and are not always delivered by people.

- Reinforcement is a consequence that causes a behaviour to occur with greater frequency.
- Punishment is a consequence that causes a behaviour to occur with less frequency.
- Extinction is the lack of any consequence following a behaviour. When a behaviour is inconsequential, producing neither favorable nor unfavorable consequences, it will occur with less frequency. When a previously reinforced behaviour is no longer reinforced with either positive or negative reinforcement, it leads to a decline in the response.

Four Contexts of Operant Conditioning

Here the terms *positive* and *negative* are not used in their popular sense, but rather: *positive* refers to addition, and *negative* refers to subtraction. What is added or subtracted may be either reinforcement or punishment. Hence *positive punishment* is sometimes a confusing term, as it denotes the "addition" of a stimulus or increase in the intensity of a stimulus that is aversive (such as spanking or an electric shock). The four procedures are:

1. Positive reinforcement (Reinforcement): occurs when a behaviour (response) is followed by a stimulus that is appetitive or rewarding, increasing the frequency of that behaviour. In the Skinner box experiment, a stimulus such as food or sugar solution can be delivered when the rat engages in a target behaviour, such as pressing a lever.
2. Negative reinforcement (Escape): occurs when a behaviour (response) is followed by the removal of an aversive stimulus, thereby increasing that behaviour's frequency. In the Skinner box experiment, negative reinforcement can be a loud noise continuously sounding inside the rat's cage until it engages in the target behaviour, such as pressing a lever, upon which the loud noise is removed.
3. Positive punishment (Punishment) (also called "Punishment by contingent stimulation"): occurs when a behaviour

Research Scholar, J.P.U., Chapra

(response) is followed by a stimulus, such as introducing a shock or loud noise, resulting in a decrease in that behaviour.

4. Negative punishment (Penalty) (also called "Punishment by contingent withdrawal"): occurs when a behaviour (response) is followed by the removal of a stimulus, such as taking away a child's toy following an undesired behaviour, resulting in a decrease in that behaviour.

Also:

- Avoidance learning is a type of learning in which a certain behaviour results in the cessation of an aversive stimulus. For example, performing the behaviour of shielding one's eyes when in the sunlight (or going indoors) will help avoid the aversive stimulation of having light in one's eyes.
- Extinction occurs when a behaviour (response) that had previously been reinforced is no longer effective. In the Skinner box experiment, this is the rat pushing the lever and being rewarded with a food pellet several times, and then pushing the lever again and never receiving a food pellet again. Eventually the rat would cease pushing the lever.
- Noncontingent reinforcement refers to delivery of reinforcing stimuli regardless of the

organism's (aberrant) behaviour. The idea is that the target behaviour decreases because it is no longer necessary to receive the reinforcement. This typically entails time-based delivery of stimuli identified as maintaining aberrant behaviour, which serves to decrease the rate of the target behaviour. As no measured behaviour is identified as being strengthened, there is controversy surrounding the use of the term noncontingent "reinforcement".

- Shaping is a form of operant conditioning in which the increasingly accurate approximations of a desired response are reinforced.
- Chaining is an instructional procedure which involves reinforcing individual responses occurring in a sequence to form a complex behaviour.

Thorndike's Law of Effect

Operant conditioning, sometimes called *instrumental conditioning* or *instrumental learning*, was first extensively studied by Edward L. Thorndike (1874-1949), who observed the behaviour of cats trying to escape from home-made puzzle boxes. When first constrained in the boxes, the cats took a long time to escape. With experience, ineffective responses occurred less frequently and successful responses occurred more frequently, enabling the cats

to escape in less time over successive trials.

In his law of effect, Thorndike theorized that successful responses, those producing *satisfying* consequences, were "stamped in" by the experience and thus occurred more frequently. Unsuccessful responses, those producing *annoying* consequences, were *stamped out* and subsequently occurred less frequently. In short, some consequences *strengthened* behaviour and some consequences *weakened* behaviour. Thorndike produced the first known learning curves through this procedure. B.F. Skinner (1904-1990) formulated a more detailed analysis of operant conditioning based on reinforcement, punishment, and extinction. Following the ideas of Ernst Mach, Skinner rejected Thorndike's mediating structures required by "satisfaction" and constructed a new conceptualization of behaviour without any such references. So, while experimenting with some homemade feeding mechanisms, Skinner invented the operant conditioning chamber which allowed him to measure rate of response as a key dependent variable using a cumulative record of lever presses or key pecks.

Biological Correlates of Operant Conditioning

The first scientific studies identifying neurons that responded in ways that suggested they encode for conditioned stimuli came from work by Mahlon deLong and by R.T. "Rusty" Richardson. They

showed that nucleus basalis neurons, which release acetylcholine broadly throughout the cerebral cortex, are activated shortly after a conditioned stimulus, or after a primary reward if no conditioned stimulus exists. These neurons are equally active for positive and negative reinforcers, and have been demonstrated to cause plasticity in many cortical regions. Evidence also exists that dopamine is activated at similar times.

There is considerable evidence that dopamine participates in both reinforcement and aversive learning. Dopamine pathways project much more densely onto frontal cortex regions. Cholinergic projections, in contrast, are dense even in the posterior cortical regions like the primary visual cortex. A study of patients with Parkinson's disease, a condition attributed to the insufficient action of dopamine, further illustrates the role of dopamine in positive reinforcement. It showed that while off their medication, patients learned more readily with aversive consequences than with positive reinforcement. Patients who were on their medication showed the opposite to be the case, positive reinforcement proving to be the more effective form of learning when the action of dopamine is high.

Factors that Alter the Effectiveness of Consequences

When using consequences to modify a response, the effectiveness of a consequence can be increased or decreased by various factors. These factors

can apply to either reinforcing or punishing consequences.

1. *Satiation/Deprivation*: The effectiveness of a consequence will be reduced if the individual's "appetite" for that source of stimulation has been satisfied. Inversely, the effectiveness of a consequence will increase as the individual becomes deprived of that stimulus. If someone is not hungry, food will not be an effective reinforcer for behaviour. Satiation is generally only a potential problem with primary reinforcers, those that do not need to be learned such as food and water.
2. *Immediacy*: After a response, how immediately a consequence is then felt determines the effectiveness of the consequence. More immediate feedback will be more effective than less immediate feedback. If someone's license plate is caught by a traffic camera for speeding and they receive a speeding ticket in the mail a week later, this consequence will not be very effective against speeding. But if someone is speeding and is caught in the act by an officer who pulls them over, then their speeding behaviour is more likely to be affected.
3. *Contingency*: If a consequence does not contingently (reliably, or consistently) follow the target response,

its effectiveness upon the response is reduced. But if a consequence follows the response consistently after successive instances, its ability to modify the response is increased. The schedule of reinforcement, when consistent, leads to faster learning. When the schedule is variable the learning is slower. Extinction is more difficult when learning occurs during intermittent reinforcement and more easily extinguished when learning occurs during a highly consistent schedule.

4. *Size*: This is a "cost-benefit" determinant of whether a consequence will be effective. If the size, or amount, of the consequence is large enough to be worth the effort, the consequence will be more effective upon the behaviour. An unusually large lottery jackpot, for example, might be enough to get someone to buy a one-dollar lottery ticket (or even buying multiple tickets). But if a lottery jackpot is small, the same person might not feel it to be worth the effort of driving out and finding a place to buy a ticket. In this example, it's also useful to note that "effort" is a punishing consequence. How these opposing expected consequences (reinforcing and punishing) balance out will determine

whether the behaviour is performed or not.

Most of these factors exist for biological reasons. The biological purpose of the Principle of Satiation is to maintain the organism's homeostasis. When an organism has been deprived of sugar, for example, the effectiveness of the taste of sugar as a reinforcer is high. However, as the organism reaches or exceeds their optimum blood-sugar levels, the taste of sugar becomes less effective, perhaps even aversive. The Principles of Immediacy and Contingency exist for neurochemical reasons. When an organism experiences a reinforcing stimulus, dopamine pathways in the brain are activated. This network of pathways "releases a short pulse of dopamine onto many dendrites, thus broadcasting a rather global reinforcement signal to postsynaptic neurons." This results in the plasticity of these synapses allowing recently activated synapses to increase their sensitivity to efferent signals, hence increasing the probability of occurrence for the recent responses preceding the reinforcement. These responses are, statistically, the most likely

to have been the behaviour responsible for successfully achieving reinforcement. But when the application of reinforcement is either less immediate or less contingent (less consistent), the ability of dopamine to act upon the appropriate synapses is reduced.

References

- Asch, M.: *Abnormal and Developmental Psychology*, Ivy Pub, Delhi, 2003.
- Barrows, H.: *Practice-Based Learning: Problem-Based Learning Applied to Medical Education*, Springfield, IL: Southern Illinois University School of Medicine, 1994.
- Bridges, E., Hallenger, P.: *Problem-based Learning for Educational Administrators*, Oregon, ERIC Clearinghouse on Educational Management, 1992.
- Chaudhri, R.D. : *Herbal Drugs Industry : A Practical Approach to Industrial Pharmacognosy*, Eastern, Delhi, 1996.
- Damon, William : *Social and Personality Development, Infancy through Adolescence*, New York: Norton, 1983.
- Dicken, P. : *Wheels of Change, the Automobile Industry, Global shift, Mapping the Changing Contours of the World Economy*, London, 2007.
- Dubey, K.C. : *Experimental and Developmental Psychology*, Omega Pub, Delhi, 2009.
- Ellis, A. : *Humanistic Psychology, The Rational-emotive Approach*, Julian Press, New York, 1973.
- Georgi, A. : *Psychology as a Human Science*, Harper & Row, New York, 1970.
- Ginsburgh, Victor A. : *Economics of Art and Culture, Contributions to Economic Analysis*, Elsevier, 2004.
- Gregory, S.: *Getting around Brown: Desegregation, Development, and the Columbus Public Schools*, Columbus, Ohio State University Press, 1998.
- Harvey, Francis: *A Primer of GIS, Fundamental Geographic and Cartographic Concepts*, The Guilford Press, 2008.
- Hoy, W.K. : *Instructional Leadership: A Learning-centered Guide*, Boston, Allyn & Bacon/Longman, 2003.
- Jalan, P.K. : *Industrial Sector Reforms in Globalization Era*, Sarup, Delhi, 2004.
- Kumar, Arvind : *Industrial Pollution and Management*, APH, Delhi, 2004.
- Lee, Jeong-kyu : *Historic Factors Influencing Korean Higher Education*, Seoul, Jimoondang, 2000.
- McDonnell, R.A. : *Principles of Geographical Information Systems*, Oxford University Press, Oxford, 1998.
- Murthy, J. Krishna : *Administration and Organisation of Physical Education and Sports*, Commonwealth, Delhi, 2005.
- Pathak, Bachcha : *Industrial Policy of India : Changing Facets*, Deep and Deep, Delhi, 2007.
- Rastogi, P.N. : *Management of Technology and Innovation : Competing Through Technological Excellence*, Response, Delhi, 2009.
- Sagar, G. Vidya : *Pharmaceutical Industrial Management*, Pharma Book Syndicate, Delhi, 2005.
- Strasser, S. *Phenomenology and the Human Science*, Duquesne University Press, Pittsburgh, PA, 1963.



Nature and Principles of Human Growth and Development

Dr. Manoj Kumar Singh

Unlike others researchers in the earlier days of psychology, Abraham Maslow's based his theory of *human needs* on creative people who used all their talents, potential, and capabilities. His methodology differed from most other psychological researchers at the time in that these researchers mainly observed mentally unhealthy people.

Maslow (1970) felt that *human needs* were arranged in a hierarchical order that could be divided into two major groups: basic needs and metaneeds (higher order needs):

- Basic Needs are physiological, such as food, water, and sleep; and psychological, such as affection, security, and self-esteem. These basic needs are also called "deficiency needs" because if they are not met by an individual, then that person will strive to make up the deficiency.
- Metaneeds or *being needs* (growth needs). These include justice, goodness, beauty, order, unity, etc. Basic needs normally take priority over these meta needs. For example, a person who lacks food or water will not normally attend to justice or beauty needs.

These needs are normally listed in a hierarchical order in the form of a pyramid to show that the basic needs (bottom ones) must be met before the higher order needs:

- *Self-actualization* – know exactly who you are, where you are going, and what you want to accomplish. A state of well-being.

- *Esteem* – feeling of moving up in world, recognition, few doubts about self.
- *Belongingness and love* – belong to a group, close friends to confide with.
- *Safety* – feel free from immediate danger.
- *Physiological* – food, water, shelter, sex.

Maslow posited that people want and are forever striving to meet various goals. Because the lower level needs are more immediate and urgent, then they come into play as the source and direction of a person's goal if they are not satisfied. A need higher in the hierarchy will become a motive of behaviour as long as the needs below it have been satisfied. Unsatisfied lower needs will dominate unsatisfied higher needs and must be satisfied before the person can climb up the hierarchy.

Knowing where a person is located on the pyramid will aid you in determining effective motivators. For example, motivating a middle-class person (who is in range 4 of the hierarchy) with a certificate will have a far greater impact than using the same motivator to effect a minimum wage person from the ghetto who is desperately struggling to meet the first couple of needs.

It should be noted that almost no one stays in one particular hierarchy for an extended period. We constantly strive to move up, while at the same time various forces outside our control try to push us down. Those on top get pushed down for short time periods, i.e., death of a loved-one or an idea that does not work, while those on the bottom get pushed up, i.e., come across a small prize. Our goal as leaders therefore is to help people obtain the skills and knowledge that will push them up the hierarchy on a more permanent basis. People who have their basic needs met become much better workers as they are able to concentrate on fulfilling the visions put forth to them, rather than consistently struggling to make ends meet.

Criticisms and Strengths

Note however, that the above statements may be considered generalizations. Maslow's theory

has often been criticized because we can find exceptions to it, such as the military, police, firefighters, etc. who will risk their safety for the well-being of others or parents who will sacrifice their basic needs for their children. However, there are very few theories that are not flawed in that once we start drilling down to individualistic levels, then the theory or generalization often starts to fall apart. For example, even Newton's theory of physics, which later became laws, fell apart once we were able to drill down to the atomic level.

Maslow's theory remains a classic because rather than looking at psychology as strictly the study of the mentally ill, his theory was based upon healthy persons. And being one of the first humanistic ones, it has its share of flaws.

Expansion of the Pyramid

In Maslow's (1971) later years, he became more interested in the higher order or meta needs and tried to further distinguish them. Maslow theorized that the ultimate goal of life is self-actualization, which is almost never fully attained but rather is something we try to always strive for. He later theorized that this level does not stop, it goes on to self-transcendence, which carries us to the spiritual level, e.g. Gandhi, Mother Theresa, Dalai Lama, or even poets, such as Robert Frost. Maslow's self-transcendence level recognizes the human need for ethics, creativity, compassion and

spirituality. Without this spiritual or transegoic sense, we are simply animals or machines.

This expansion of the higher order needs is shown here:

Note that the four meta needs (above the inner pyramid) can be pursued in any order, depending upon a person's wants or circumstances, as long as the basic needs have all been met:

- *Self-transcendence* – a transegoic level that emphasizes visionary intuition, altruism, and unity consciousness.
- *Self-actualization* – know exactly who you are, where you are going, and what you want to accomplish. A state of well-being.
- *Aesthetic* – to do things not simply for the outcome but because it's the reason you are here on earth – at peace, more curious about the inner workings of all things.
- *Cognitive* – to be free of the good opinion of others – learning for learning alone, contribute knowledge.
- *Esteem* – feeling of moving up in world, recognition, few doubts about self.
- *Belongingness and love* – belong to a group, close friends to confide with.
- *Safety* – feel free from immediate danger.
- *Physiological* – food, water, shelter, sex.

Note: Transegoic means a higher, psychic, or spiritual state

of development. The trans is related to transcendence, while the ego is based on Freud's work. We go from preEGOic levels to EGOic levels to transEGOic. The EGO in all three terms are used in the Jungian sense of consciousness as opposed to the unconscious. Ego equates with the personality.

In addition, just as in his earlier model, we may be in a state of flux – we shift between levels (Maslow, 1968). For example there may be peak experiences for temporary self-actualizations and self-transcendence. These are our spiritual or creative moments.

Characteristics of self-actualizing people:

- Have better perceptions of reality and are comfortable with it.
- Accept themselves and their own natures.
- Lack of artificiality.
- They focus on problems outside themselves and are concerned with basic issues and eternal questions.
- They like privacy and tend to be detached.
- Rely on their own development and continued growth.
- Appreciate the basic pleasures of life (e.g. do not take blessings for granted).
- Have a deep feeling of kinship with others.
- Are deeply democratic and are not really aware of differences.
- Have strong ethical and moral standards.

- Are original, inventive, less constricted and fresher than others.

Going Beyond Maslow

While the research of Maslow's theory has undergone limited empirical scrutiny, it still remains quite popular due to its simplicity and being the start of the movement away from a totally behaviourist/reductionistic/mechanistic approach to a more humanistic one. In addition, a lot of concerns are directed at his methodology in that he picked a small number of people that he declared self-actualizing and came to the conclusion about self-actualization. However, he understood this and thought of his work as simply a method of pointing the way, rather than being the final say. In addition, he hoped that others would take up the cause and complete what he had begun. Which brings us to the next models. Other researchers have taken up his cause and furthered refined them, mostly in the area of organizations and work. Herzberg, Alderfer, and McGregor's research are all closely tied to Maslow's theory.

Herzberg's Hygiene and Motivational Factors

Frederick Herzberg was considered one of the most influential management consultants and professors of the modern postwar era. Herzberg was probably best known for his

challenging thinking on work and motivation. He was considered both an icon and legend among visionaries such as Abraham Maslow, Peter Drucker, and Douglas MacGregor.

Herzberg (1966) is best known for his list of factors that are based on Maslow's Hierarchy of Needs, except his version is more closely related to the working environment:

Herzberg's Hygiene & Motivational Factors

Hygiene or Dissatisfiers:

- Working conditions
- Policies and administrative practices
- Salary and Benefits
- Supervision
- Status
- Job security
- Co-workers
- Personal life.

Motivators or Satisfiers:

- Recognition
- Achievement
- Advancement
- Growth
- Responsibility
- Job challenge.

Hygiene or dissatisfiers factors must be present in the job before motivators can be used to stimulate a person. That is, you cannot use motivators until all the hygiene factors are met. Herzberg's needs are specifically job related and reflect some of the distinct things that people want from their work as opposed to

Maslow's Hierarchy of Needs which reflect all the needs in a person's life. Building on this model, Herzberg coined the term *job enrichment* – the process of redesigning work in order to build in motivators by increasing both the number of tasks that an employee performs and the control over those tasks. It is associated with the design of jobs and is an extension of job enlargement (an increase in the number of tasks that an employee performs).

References

- Arndt, William B. Jr. : *Theories of Personality*, Macmillan, New York, 1974.
- Bandura, Albert : *Adolescent Aggression*, N.Y. Ronald Press, New York, 1959.
- Carr, W. & Kemmis, S. : *Becoming Critical: Education, Knowledge and Action Research*, London, Falmer, 1986.
- Fisher, William C. : *Working Toward Sustainable Development: The Narmada Dam Project*, Armonk, New York, 1994.
- Galbraith, M.W. : *Education Through Community Organizations*, San Francisco, Jossey-Bass, 1990.
- Kegan, Robert. : *In over Our Heads: The Mental Demands of Modern Life*, Cambridge, Harvard University Press, 1994.
- Maslow, A. H. : *Motivation and Personality*, Harper & Bros, New York, 1954.
- Prasad, Deepesh Chandra : *A-Z Handbook of Child Psychology*, Khel Sahitya Kendra, Delhi, 2006.
- Rekers, G.: *Handbook of Childhood and Adolescent Sexual Problems*. NY: Lexington Books, 1995.
- Shyam, Radhey and Khan, Azizuddin : *Clinical Child Psychology*, Kalpaz, Delhi, 2009.
- Thomas, A. : *Educating Children at Home*, London, Cassell, 1998.



Sociological Perspectives in Rural Economy

Dr. Tarun Pathak

The success story of Indian economy is spreading its wings towards India's districts and rural areas which accounts for over 65% of the nation's total populace. Currently, the rural sector of India is not only observing a massive increase in its per capita income but also in its expenditure and production. To enhance the rural economy of India, the Indian government has increased the monetary incentives allotted for the National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) to USD 8.04 bn in its 2009 Union Budget. Moreover, the government has also allotted USD 34.74 bn in its Bharat Nirman Programme for enhancing rural road and rail network.

Surprisingly, the rural economy was unaffected by the recent global financial meltdown as per the research conducted by Rural Marketing Association of India (RMAI). The research also revealed that the rural economy in India is soon to witness an increase in its earnings which will be largely triggered by the incessant expansion in agriculture for the last four successive years.

Rural Consumer Market of India

The rural consumer market of India is expected to attain its target of USD 425 bn by 2010-2011, which can be translated as double of 2004-05 economy size, as per the report by CII-Technopark.

Indian Rural Retail Industry

As per the report by Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM), the Indian rural retail economy is worth USD 113

bn which can be translated as 40% of the total Indian retail market worth USD 280 bn. Some of the firms which have already established their base in rural areas are Reliance, AV Birla and Godrej, while firms like DCM, Pantaloon-Godrej JV, Tata, Hindustan Unilever, etc. are all set to expand their retail business in rural market.

Demand for FMCG in Indian Rural Areas

During the fourth quarter of the FY 2009, the demand for fast moving consumer goods (FMCG) increased steadily as compared to its urban counterparts, as per the research conducted by AC Nielsen.

Companies like Dabur, HUL, Godrej, etc have started recruiting more and more deserving candidates from rural districts in an attempt to elevate their network and market. Firms like Nestle and GlaxoSmithkline Consumer Healthcare (GSK) are all set to introduce new products for the rural areas in order to promote their brand.

This indicates that the FMCG firms no longer treat rural markets as an appendage to their metropolitan strongholds and are targeting the market for positioning their brands and for industrial set-ups.

Indian rural Healthcare Industry

The Indian rural Healthcare market is expected to expand at a pace of 44% by 2015, totaling its worth to USD 8.8 bn, according to a survey carried out by McKinsey. Conglomerates like Sanofi-Aventis, has currently introduced a promotional activity to advertise generics in rural provinces called 'Prayas'. This initiative is considered as an attempt to share medicinal information with practicing medicos in rural districts through seminars.

Indian Rural Automobiles Industry

The recent development that the Indian rural Automobiles Industry saw was the declaration of the establishment of new sales and service

M.A., Ph.D., Patna University, Patna

channels in rural India by the President of Mahindra and Mahindra Group (M&M) Rajeev Dubey. These service outlets have a premeditated target of manufacturing 1,00,000 automobiles by FY 2015.

Indian Rural Services Industry

Surprisingly, more than 60% of the services industry of the nation is based in the rural areas, as per the research conducted by National Sample Survey Organisation (NSSO). In the fiscal year 2007, there were around 85% of the own account enterprises (OAEs) in India which deployed 76% of the manpower in rural districts of India.

Indian Rural Telecommunication Industry

According to the research carried out by Confederation of Indian Industries (CII), the Indian rural Telecommunication Industry is expected to account for more than 65% of the entire telecom subscribers in India.

In an attempt to envelop rural subscribers, many telecom giants in India have willingly invested in rural telecom industry to benefit from its massive potential. Mobile equipments manufacturing firms like Intex Technologies, Karbonn, etc have allocated USD 21.03 mn for its promotional activities for 2010.

Indian Rural Agricultural System

Although agriculture contributes only 21% of India's

GDP, its importance in the country's economic, social, and political fabric goes well beyond this indicator. The rural areas are still home to some 72 percent of the India's 1.1 billion people, a large number of whom are poor. Most of the rural poor depend on rain-fed agriculture and fragile forests for their livelihoods.

The sharp rise in foodgrain production during India's Green Revolution of the 1970s enabled the country to achieve self-sufficiency in foodgrains and stave off the threat of famine. Agricultural intensification in the 1970s to 1980s saw an increased demand for rural labor that raised rural wages and, together with declining food prices, reduced rural poverty.

Sustained, although much slower, agricultural growth in the 1990s reduced rural poverty to 26.3 percent by 1999/00. Since then, however, the slowdown in agricultural growth has become a major cause for concern. India's rice yields are one-third of China's and about half of those in Vietnam and Indonesia. With the exception of sugarcane, potato and tea, the same is true for most other agricultural commodities.

The Government of India places high priority on reducing poverty by raising agricultural productivity.

However, bold action from policymakers will be required to shift away from the existing subsidy-based regime that is no longer sustainable, to build a

solid foundation for a highly productive, internationally competitive, and diversified agricultural sector.

Issues and Challenges

Slow Down in Agricultural and Rural Non-Farm Growth: Both the poorest as well as the more prosperous 'Green Revolution' states of Punjab, Haryana and Uttar Pradesh have recently witnessed a slow-down in agricultural growth. Some of the factors hampering the revival of growth are:

- Poor composition of public expenditures: Public spending on agricultural subsidies is crowding out productivity-enhancing investments such as agricultural research and extension, as well as investments in rural infrastructure, and the health and education of the rural people. In 1999/2000, agricultural subsidies amounted to 3 percent of GDP and were over 7 times the public investments in the sector.
- Over-regulation of domestic agricultural trade: While economic and trade reforms in the 1990s helped to improve the incentive framework, over-regulation of domestic trade has increased costs, price risks and uncertainty, undermining the sector's competitiveness.
- Government interventions in labor, land, and credit markets: More rapid growth of the rural non-farm sector is constrained

by government interventions in factor markets – labor, land, and credit – and in output markets, such as the small-scale reservation of enterprises.

- Inadequate infrastructure and services in rural areas.

Weak Framework for Sustainable Water Management and Irrigation:

- Inequitable allocation of water: Many states lack the incentives, policy, regulatory, and institutional framework for the efficient, sustainable, and equitable allocation of water.
- Deteriorating irrigation infrastructure: Public spending in irrigation is spread over many uncompleted projects. In addition, existing infrastructure has rapidly deteriorated as operations and maintenance is given lower priority.

Inadequate Access to Land and Finance:

- Stringent land regulations discourage rural investments: While land distribution has become less skewed, land policy and regulations to increase security of tenure (including restrictions or bans on renting land or converting it to other uses) have had the unintended effect of reducing access by the landless and discouraging rural investments.
- Computerization of land records has brought to light institutional weaknesses:

State government initiatives to computerize land records have reduced transaction costs and increased transparency, but also brought to light institutional weaknesses.

- Rural poor have little access to credit: While India has a wide network of rural finance institutions, many of the rural poor remain excluded, due to inefficiencies in the formal finance institutions, the weak regulatory framework, high transaction costs, and risks associated with lending to agriculture.

Weak Natural Resources Management: One quarter of India's population depends on forests for at least part of their livelihoods.

- A purely conservation approach to forests is ineffective: Experience in India shows that a purely conservation approach to natural resources management does not work effectively and does little to reduce poverty.
- Weak resource rights for forest communities: The forest sector is also faced with weak resource rights and economic incentives for communities, an inefficient legal framework and participatory management, and poor access to markets.

Weak delivery of basic services in rural areas:

- Low bureaucratic accountability and inefficient use of public

funds: Despite large expenditures in rural development, a highly centralized bureaucracy with low accountability and inefficient use of public funds limit their impact on poverty. In 1992, India amended its Constitution to create three tiers of democratically elected rural local governments bringing governance down to the villages. However, the transfer of authority, funds, and functionaries to these local bodies is progressing slowly, in part due to political vested interests. The poor are not empowered to contribute to shaping public programs or to hold local governments accountable.

Priority Areas for the World Bank Support

Enhancing Agricultural Productivity, Competitiveness, and Rural Growth

Enhancing productivity: Creating a more productive, internationally competitive and diversified agricultural sector would require a shift in public expenditures away from subsidies towards productivity enhancing investments.

Second it will require removing the restrictions on domestic private trade to improve the investment climate and meet expanding market opportunities.

Third, the agricultural research and extension systems need to be strengthened to improve access to productivity enhancing technologies. The diverse conditions across India suggests the importance of regionally differentiated strategies, with a strong focus on the lagging states.

Improving Water Resource and Irrigation/Drainage Management: Increase in multi-sectoral competition for water highlights the need to formulate water policies and unbundle water resources management from irrigation service delivery. Other key priorities include: (i) modernizing Irrigation and Drainage Departments to integrate the participation of farmers and other agencies in irrigation management; (ii) improving cost recovery; (iii) rationalizing public expenditures, with priority to completing schemes with the highest returns; and (iv) allocating sufficient resources for operations and maintenance for the sustainability of investments.

Strengthening rural non-farm sector growth: Rising incomes are fueling demand for higher-value fresh and processed agricultural products in domestic markets and globally, which open new opportunities for agricultural diversification to higher value products (e.g. horticulture, livestock), agro-processing and related services. The government needs to shift its role from direct intervention and overregulation to creating the enabling environment for private sector participation and competition for agribusiness and more broadly, the rural non-farm sector growth. Improving the rural investment climate includes removing trade controls, rationalizing labor regulations and the tax regime (i.e. adoption of the value added tax system), and improving access to credit and key infrastructure (e.g. roads, electricity, ports, markets).

References

Allen, John C. and Dillman, Don : *Against All Odds: Rural Community in the Information Age*, Boulder: Westview Press, 1994.

Botkin, Daniel, Harmonies, B. *Discordant : A New Ecology for the 21st Century*, Oxford and New York: Oxford University Press.

Chauhan, M.S. and K.L. Dangi : *Handbook of Rural Sociology*, Agrotech, Delhi, 2010.

Doshi, S.L. & Jain, P.C. : *Rural Sociology*, Rawat, Delhi, 1999.

Helen E. Longino : *Feminism and Science*, Oxford and New York, Oxford University Press, 1996.

John, D. Kasarda: *Contemporary Urban Ecology*, New York: Macmillan, 1977.

Kumar, Arvind : *Fundamentals of Rural Sociology*, Cyber Tech Pub, Delhi, 2009.

Ramesh, G S : *Philosophy of Indian Sociology*, Global Vision, Delhi, 2005.

Silverberg, James: *Social Mobility in the Caste System in India*, Mouton Publishers, The Hague, 1968.

Singh, Balveer : *Medical Sociology of Tribal Community*, Himanshu, Delhi, 1992.

Singh, Yogendra : *Ideology and Theory in Indian Sociology*, Rawat, Delhi, 2004.

Young, Jora : *The Ecology of Hope*, New Haven: New Society Publishers, 1997.



A Treatise on the Drawings of the Indian Artists

Ekta Kulshreshtha

Drawing is an influential means to exploring the visual language. Indian art has closed link with drawing from primitive age to contemporary art. Drawing is an art which has been practiced since early period even primitive men decorated wall of the cave and their pots with lines to communicate. Drawing is considered as a preparation of painting but have also aesthetic value as an artistic expression. There is importance of thoughts and ideas as well as of form in creation of any image and which is called the mirror of the creativity of individual and one can find the his own reflection in that thought. Drawing basically serves as an outline of the artist's imagination which is produced with pencils, crayons and ink. The Indian artists made their sketches through different ways, by using different types of materials. Every artist draws less or more in his or her life but in the process of visual language, he has to face the act of drawing, even abstract artist also draws occasionally but it is very important for the figurative artist for artistic interpretation. When we see an artist finalized painting and its related sketches, then we find multi dimensions of his creativity. In ancient Indian art , drawing was first made and after the colour was applied, the subject of drawing of the artist was related to the period in which they worked. Like the painters of Mughal, Rajasthani, Pahari schools were mostly fond of drawing for its own pleasure. Pahari drawings, are calmer, gracious, rhythmic delicately drawn by artist. In early periods drawings were done on single sheets or layers of two or three sheets of Indian handmade paper.

Aligarh

Drawing is necessary for any form of painting for pictorial articulation. A 'drawing' determining the connection with the artist so as we can share in the art work of his meditation and belief. A Drawing is like a thoughtful approach that encapsulates the reality of life which is difficult to interpreted into a canvas. The most important drawing is that which is the flawless medium of expression by the different artist. Firstly I mention the remarkable indigenous artist like Nandalal Bose Abanindra Nath Tagore, Rabindra Nath Tagore, Yamini Roy, Vinod Bihari Mukherjee , Amrita shergill, Yamini Roy . Our significant artist like Sanatkar , Somnath hore , K.S kulkarni etc. who gave the vital role of drawing in their art life. The drawing of these great artists creates a strong feel of emotions provides the endless source of inspiration the contemporary artists also .

Nandalal Bose who is undoubtedly the master of the line in Indian art , he made many drawings of sceneries, people, different animals and lush vegetation and also made on the spot sketches in a realistic manner. Rabindranath tagore's drawing generally in small size, which is not articulated in words. Tagore got basic training in drawing from a drawing master in 1860s. Tagore working in coloured ink and his Images are full of vigorous thoughts and element of fantasy. Shivax chavda preferred to capture Indian and foreign dancers with the minimum use on the line. His line encapsulates the characteristic of form, pose and expression entirely which was the symbol of lighting release of linear energy. K.K.Hebbar freely expressed his emotional state by means of line and colour. He studied Kathak in order to understand rhythm and portray it with gracing his drawings. These not just as a painters but as an artist in the real sense to the art world.

M.F.Husain, Arpana caur, Laxma Goud , Ganesh pyne, Jogen Chowdhury, Satish gujral, Sudhir patwardhan, Tyeb Mehta, Manu

Parekh, Krishen Khanna, A. Ramachandran. Drawings of Jai jharotia are the absolute way of expression in its own. Lines and drawings occupy the prominent role in the paintings of A. Ramachandran, Arpana caur, Arpita singh , so these drawing are similar to the paintings.

I believe that drawing is a miraculous method of inner findings. The expression of drawing is predictable as the essential and effective language in the world of art. Every artist makes more or less drawings in their lives. There are lot of artists who formulate the drawing before initial step of the painting.

Laxma goud is an well-known artist for the use of drawing based painting and trying to search the path of expression. He also considers the drawing as a source of inner and outer feelings . He made a series of subtle drawings of objects.

Ganesh pyne worked in pen and black ink drawing. His drawings inspired by the Bengal's folklore and mythology and various stories whish narrated by his grandmother in his childhood. A series of pyne's

drawing depicting various stages of his life and career. Depiction of line drawing which seems to be more particular and informal in sensation. Like his '*Seated Drawing*' is a drawing in pencil and crayon. Although Pyne worked on canvas and also paper in tempura style but these works have been also similar to the drawing and through the expressive lines he creates the mystery. Jogen chowdhury's forms are like a grotesque. line plays a vital role in his art and through the strokes , he represents the individual character. He said, "*My drawings are not made, they grew out of me as plants grow*". Satish gujral drawings of animals and human forms, he experiments with textured and coloured paper to make collage base drawing. His work span above for decades presented whole devotion to his art. The works of Gujral between the 90's are very expressive and spontaneous. Sudhir patwardhan also worked on various black and white drawings based on the theme of labour and problems of daily life. Arpita singh has always done drawing and many sketches to give form

to her emerging ideas. Her monochromatic drawings are very significant which reveal her effectiveness manipulation over lines. A. Ramachandran who reinterprets the indigenous beauty of tribal livings through the contemplation of his drawings and paintings.

It is necessary to describe that these Indian artists in whose work lines occupy as a significant feature, create a charm of drawing. In the field of art , there are some artists who only worked on drawing but among them A. Ramachandran and Arpita singh drawings striking me most, I really inspired with these artists and through the magical drawings with pen and ink these artists create the amazing world of art.

I think that the drawing does not basically comprise in the thought, still the drawings are the manifestation of sensation of an artist. It is said that these drawings are a kind of captivate fare for each art lover. In totality I can say that the drawing, most probably the strongest means of express the sentiments of happenings of life and emotions.

